

निदेशक सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।



त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19
भाग—4

इस प्रकार स्पष्ट है कि अंकन रू0 2232595.00 सी0सी0 टाईल्स पर व्यय दर्शाया गया है, जिससे ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजपाल द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ करके, राजकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके एवं दुरभिसंधि करके राजकीय धन की क्षतिकारित की गयी है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजपाल उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर-105:-ग्राम पंचायत पलडा विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2018-19 में अंकन रू0 2232595.00 टाईल्स पर भुगतान दर्शाया गया है। किन्तु टाईल्स खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत की कटौती न कराकर तथा फर्म/विक्रेता से दुरभि सन्धि करके जी0एस0टी0 की चोरी कराकर राजकीय राजस्व की भारी क्षतिकारित की गयी है। उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर के रूप में अंकन रू0 401867.00 की कटौती कर जमा करायी जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजपाल उत्तरदायी है। ग्राम विकास अधिकारी भुवनेश कुमार से ब्याज सहित वसूली कर उक्त कर की धनराशि रू0 401867.00 राजकोश में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर-106:-ग्राम पंचायत पलडा विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 31.03.2019 को चैक सं0 009237 एवं 009238 द्वारा क्रमशः 50450.00 तथा 500450.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में अनुमोदित कार्य योजना, स्वीकृत प्रस्ताव, स्टॉक पंजिका, स्वीकृत बजट, एस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किये। हैण्डपम्प रिबोर से सम्बन्धित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी। रिबोर से सम्बन्धित कोई विभागीय आदेश एवं स्वीकृति भी पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी। टेण्डर/कुटेशन भी नहीं ली गयी। उक्त रिबोर बाजार में प्रचलित दर से बहुत अधिक दर पर कराया गया। इस प्रकार अंकन रू0 100900.00 का हैण्डपम्प रिबोर दर्शाकर गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गयी है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजपाल उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 09)

प्रस्तर-107:-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2018-19 में सी0सी0 टाईल्स पर अंकन रू0 1330632.00 का व्यय दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क0सं0	चैक नं0	दिनांक	धनराशि
1	007114	31.08.2019	62223.00
2	009388	05.09.2018	87000.00
3	007123	26.11.2018	120000.00
4	007120	13.12.2018	100000.00
5	007116	04.01.2019	100000.00
6	009382	14.01.2019	100000.00
7	009379	26.01.2019	100000.00
8	009394	22.02.2019	135705.00
9	009399	25.02.2019	77376.00
10	009303	25.02.2019	125448.00
11	007129	23.03.2019	96520.00
12	007132	27.03.2019	125448.00
13	009314/009415		100912.00
योग			1330632.00

- टाईल्स क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं विभागीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
- टाईल्स खरीदने हेतु दिया गया क्रय आदेश तथा फर्नीचर प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी।
- स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये।
- स्वीकृत कार्ययोजना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं करायी गयी।
- स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे टाईल्स क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी। उपभोग की स्थिति एवं अवशेष स्टॉक की स्थिति भी अज्ञात रही।
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराये गये।
- टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन दर पर क्रय करने की पुष्टि नहीं हो सकी।
- उक्त कार्यों से सम्बन्धी पत्रावली बार-बार कहने पर भी सुलभ नहीं करायी गयी।

- X. न्यूनतम दर पर टाईल्स क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
- XI. माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
- XIII. टाईल्स ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया, जिससे टाईल्स ग्राम पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
- XII. टाईल्स क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर लाखों की वस्तु सेवा कर की चोरी की गई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अंकन रू0 1330632.00 सी0सी0 टाईल्स पर व्यय दर्शाया गया है, जिससे ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ करके, राजकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके एवं दुरभिसंधि करके राजकीय धन की क्षतिकारित की गयी है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आ0 संख्या 07)

प्रस्तर-108:-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा वर्ष 2018-19 में अंकन रू0 1330632.00 टाईल्स पर भुगतान दर्शाया गया है। किन्तु टाईल्स खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत की कटौती न कराकर तथा फर्म/विक्रेता से दुरभि सन्धि करके जी0एस0टी0 की चोरी कराकर राजकीय राजस्व की भारी क्षतिकारित की गयी है। उक्त धनराशि पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर के रूप में अंकन रू0 239514.00 की कटौती कर जमा करायी जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी उत्तरदायी है। ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार से ब्याज सहित वसूली कर उक्त कर की धनराशि रू0 239514.00 राजकोश में जमा करायी जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर-109:-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा दिनांक 12.10.2018 को चैक सं0 007121 तथा दिनांक 25.01.2019 को चैक सं0 7133 द्वारा क्रमशः रू0 54000.00 तथा रू0 87100.00 का भुगतान डस्टबिन खरीदने हेतु किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ पायी गयी:-

- I. डस्टबिन क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं विभागीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
- II. डस्टबिन खरीदने हेतु दिया गया क्रय आदेश तथा फर्नीचर प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी।
- III. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे डस्टबिन क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।
- IV. डस्टबिन कहाँ पर लगाये गये, उसकी सूची प्रस्तुत नहीं की गयी।
- V. स्वीकृत बजट, प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कार्ययोजना अप्राप्त रही।
- VI. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराये गये।
- VII. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे न्यूनतम दर पर क्रय करने की पुष्टि नहीं हो सकी।
- VIII. डस्टबिन क्रय सम्बन्धी पत्रावली भी सुलभ नहीं करायी गयी।
- IX. न्यूनतम दर पर टाईल्स क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।
- X. डस्टबिन ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कोई भाडा नहीं दर्शाया गया।

इस प्रकार राजकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके एवं दुरभिसंधि करके विकास कार्यों पर अनुदान का उपयोग न करके तथा अधिक दर पर डस्टबिन क्रय दर्शाकर अंकन रू0 141100.00 का दुर्विनियोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 09)

प्रस्तर-110:-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर द्वारा दिनांक 17.07.2018 को चैक सं0 7098 एवं 7099 द्वारा अंकन रू0 141000.00 का फर्नीचर क्रय पर व्यय दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

- I. फर्नीचर क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं विभागीय स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
- II. फर्नीचर खरीदने हेतु दिया गया क्रय आदेश तथा फर्नीचर प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी।
- III. स्टॉक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे फर्नीचर क्रय की पुष्टि संभव नहीं हो सकी।

- IV. फर्नीचर का विवरण तथा कहाँ दिया गया, उसकी प्राप्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।
- V. स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
- VI. सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नहीं कराये गये।
- VII. टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन दर पर क़य करने की पुष्टि नहीं हो सकी।
- VIII. फर्नीचर क़य सम्बन्धी पत्रावली सुलभ नहीं करायी गयी।
- IX. फर्नीचर ग्राम पंचायत तक पहुँचाने का कोई भाड़ा नहीं दर्शाया गया है।
- X. फर्नीचर पर नियमानुसार जी0एस0टी0 नहीं काटा गया है।

इस प्रकार राजकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके एवं दुरभिसंधि करके विकास कार्यों पर अनुदान का उपयोग न करके तथा अधिक दर पर फर्नीचर क़य दर्शाकर अंकन रू0 141000.00 का दुर्विनियोग किया गया है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी उत्तरदायी है। उक्त से इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(सा0 आपत्ति संख्या 10)

प्रस्तर-111:-ग्राम पंचायत निडावली विकास खण्ड हस्तिनापुर में दिनांक 30.06.2018, दि0 25.07.2018, दि0 20.12.2018 तथा दि0 13.03.2019 को क्रमश रू0 15645.00, रू0 19840.00, रू0 25420.00 तथा रू0 25882.00 का व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि में स्वीकृति बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, एस्टीमेट, विभागीय आदेश एवं स्वीकृति, कार्ययोजना, सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार प्राक्कलन आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे क़य किये गये पार्ट्स एवं उनके उपयोग की स्थिति अज्ञात रही। पुराने पार्ट्स का क्या किया गया, इस प्रति भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस प्रकार हैंडपम्प मरम्मत पर कुल रू0 86787.00 का फर्जी व्यय दर्शाकर बैंक से आहरण कर राजकीय धन का गबन किया गया है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी उत्तरदायी है। अंकन रू0 86787.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री भुवनेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती कृष्णा देवी से की जानी अपेक्षित है

(सा0 आपत्ति संख्या 11)

प्रारूप - 4

मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

जनपद —अमरोहाअनुभाग - पंचायत

(1) ग्राम पंचायत का नाम- कपसुआ

वर्ष - 2018—19

प्रस्तर-1 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा, खाता संख्या 85842210011372 से दिनांक 08.09.2018 के चैक सं0 21106070 द्वारा रू0 45120.00 जू0हा0 स्कूल के बाउन्ड्री वॉल के निर्माण में मजदूरी हेतु व्यय किया गया है। किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उ0प्र0 पंचायतराज लेखा मैनुअल के नियम 8 क व 8 ख के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया फर्जी माना जाता है। अतः इसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाता है। उक्त धनराशि का गबन प्रधान उपेन्द्र एवं सचिव ओमपाल सिंह द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि - 45120.00

ग्राम पंचायत का नाम —वसीमुस्तकम

वर्ष —2018—19

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम प्रधान द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा के खाता सं0 85842210010853 से दिनांक 30.08.2018 को चैक सं0 19500173 द्वारा 99000.00 रू0 एवं चैक सं0 19500172 द्वारा 99000.00 रू0 कुल 198000.00 शुभम इलेक्ट्रिकल के नाम से निकाला गया है तथा कोश बही में दर्ज नहीं है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान शुभम इलेक्ट्रिकल का कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। उ0प्र0 पंचायतराज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्रावधान में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि

का गबन प्रधान श्रीमति जैको एंव सचिव श्री अशोक कुमार द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली दोनों से ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 198000.00

(3) ग्राम पंचायत का नाम —पपसरी खादर

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—3 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्रा० पं० द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा खाता सं० 85842210011001 दिनांक 18.8.2018 को चैक संख्या 22313910 द्वारा उच्च प्रा०वि० में सी०सी० टाइल्स कार्य हेतु कड़ीर कंस्ट्रक्शन के नाम से सी०सी० टाइल्स हेतु 151024.00 रु० का अपहरण किया गया है तथा कोश बही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जबकि शासनादेश दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। सचिव श्री रोहित गन्धर्व एंव प्रधान शीला द्वारा इस सन्दर्भ में वित्तीय अनियमितता का पालन किया गया, जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर—बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—4 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम प्रधान द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा के खाता सं० 85842210011001 से दिनांक 10.09.2018 को हैण्डपम्प रिबोर हेतु प्रमोद हैण्डपम्प रिबोर के नाम से चैक सं० 22313922 द्वारा रु० 161795.00 आहरित किया गया है तथा कोश बही में दर्ज है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य में व्यय का कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्राप्त हुआ है। उ०प्र० पंचायतराज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान श्रीमती शीला एंव सचिव श्री रोहित गन्धर्व द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 312819.00

(4) ग्राम पंचायत का नाम —सौडाला फरीदपुर

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—5 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्रा० पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक की शाखा बडा बाजार अमरोहा के खाता सं० 20898563369 द्वारा दिनांक 26.10.18 को चैक सं० 055543 द्वारा रु० 143328.00 प्रा०वि० में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु अंसारी टाइल्स के नाम से निकाला गया है। तथा कोश बही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि शासनादेश दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख रुपया से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, किन्तु ग्रा०पं० द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव आलोक वर्मा एंव प्रधान साहब देई द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः रु० 143328.00 की वसूली दोनों से ब्याज सहित बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 143328.00

(5) ग्राम पंचायत का नाम —ढयोटी

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—6 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा खाता सं० 85842210011146 से दिनांक 14.09.2018 को चैक सं० 21108220 द्वारा रु० 1294336.00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु नरेन्द्र कान्ट्रेक्टर के नाम से निकाला गया है। तथा कोश बही में दर्ज है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान नरेन्द्र हैण्डपम्प का कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ है। उ०प्र० पंचायतराज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाण के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान श्रीमती फरीदा एंव सचिव श्री रोहित गन्धर्व द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 129436.00

प्रस्तर—7 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्रा० पं० द्वारा उक्त बैंक की शाखा द्वारा दिनांक 08.02.19 को चैक सं० 100442028 द्वारा रु० 185380.00 प्रा०वि० में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु गोपाल इन्टरप्राइजेज के नाम से निकाला गया है। तथा कोश बही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जबकि शासनादेश दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख रुपया से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, किन्तु ग्रा०पं० द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव रोहित गन्धर्व एंव प्रधान फरीदा द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती बयी है। अतः रु० 185380.00 की वसूली दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 185380.00

(6) ग्राम पंचायत का नाम —देहरा कादर बक्श

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—8 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा खाता सं० 85842210011295 से दिनांक 29.09.2018 को चेक 9571600 द्वारा प्रा०वि० मे इ०ला० कार्य हेतु मजदूरी हेतु रु० 13300.00 निकाला गया हे तथा कोश वही में दर्ज भी है, किन्तु लेखा लेखा परीक्षा के दौरान मजदूरी से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ है।

व०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान विरेन्द्र एवं सचिव कपिल कुमार किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 13300.00

(7) ग्राम पंचायत का नाम —मलेशिया

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—9 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्रा०पं० द्वारा सिंडिकेट बैंक शाखा धनौरा के खाता सं० 85842210011387 से दिनांक 04.12.2018 को चैक सं० 9572798 द्वारा ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु शुभम इलेक्ट्रिकल के नाम से 135000.00 रु० आहरित किया गया है। तथा कोश बही मे दर्ज है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। शासनादेश दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख रुपया से अधिक मूल्य की सामग्री कय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, किन्तु ग्रा०पं० द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव कपिल कुमार एवं प्रधान महावीर सिंह द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः रु०135000.00.00 की वसूली दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 135000.00

(8) ग्राम पंचायत का नाम —खालकपुर कला

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—10 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक शाखा बड़ा बाजार अमरोहा के खाता सं० 20898572828 द्वारा दिनांक 21.01.2019 को सोलर लाइट हेतु चैक सं० 107422 द्वारा मै० यादव अक्षय ऊर्जा शापें किसान घर अमरोहा को रुपया 55650.00 आहरित किया गया तथा कोश बही मे दर्ज है। किन्तु सोलर लाइट का कय यू०पी०नेडा या उसके द्वारा अधिकृत फर्म से न कर सोलर लाइट की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा है। इस क्रम मे गुणवत्ता का ध्यान न देते हुए वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः रुपया 55650.00 की वसूली सचिव शहरोज अली एवं प्रधान सतपाल सिंह दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 55650.00

प्रस्तर—11 आलोच्य वर्ष 2018—19 मे ग्रा० पं० इलाहाबाद बैंक की उक्त शाखा तथा उक्त खाता सं० से दिनांक 14.03.2019 को चैक सं० 107442 द्वारा रु० 107425.00 रामफल के मकान से नौबहार के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग हेतु सिसोदिया टाइल्स को भुगतान किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शासनादेश दिनांक 23.09.2008 के अनुसार एक लाख रुपया से अधिक मूल्य की सामग्री कय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए, किन्तु ग्रा०पं० द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव शहरोज अली एवं प्रधान सतपाल सिंह द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। अतः रु०107425.00.00.00 की वसूली दोनों से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 107425.00

(9) ग्राम पंचायत का नाम —चौहड़पुर बगद

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—12 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा सिंडिकेट बैंक की शाखा धनौरा दिनांक 11-02-2019 को चेक संख्या 106523 द्वारा शंकर हैण्डपम्प रिबोर के नाम से रु०—199989—00 आहरित किया गया। तथा कोशबही में दर्ज है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ है। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक प्राप्त न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान—पवन कुमार एवं सचिव सुरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से बराबर—बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 199989—00

(10) ग्राम पंचायत का नाम —कैसरा

वर्ष —2018—19

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पं० द्वारासिंडिकेट बैंक की शाखाधनौरा के खाता संख्या-85842210011320 से दिनांक 24-09-2018 के चेक संख्या 9572631 द्वारा हेमराज के मकान के कोने से प्रेम के मकान के कोने तक सी.सी. एवं नाली निर्माण हेतु मजदूरी रूपया 55450-00 एवं सामग्री हेतु रूपया 126960-00 आहरित किया गया है। तथा कोशबही में दर्ज भी है, किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान मजदूरी एवं सामग्री का कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को आहरण की श्रेणी में माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। इस समस्त कार्य पर रूपया 182410-00 व्यय किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रूपया 182410-00 का गबन प्रधान श्री सोमपाल एवं सचिव मयाराम सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली दोनों से बराबर-बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 182410180-00

(11) ग्राम पंचायत का नाम -शाहपुर रझेड़ावर्ष -2018-19

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पं० द्वारासिंडिकेट बैंक की शाखाधनौरा खाता संख्या 85842210011073 से दिनांक 31-07-2018 को चेक संख्या 21110883 द्वारा रूपया 299250-00 स्ट्रीट लाईट हेतु श्री टेक इण्टर प्राइजेज के नाम से निकाला गया है। तथा कोशबही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त व्यय धनराशि की स्वीकृति डी०पी०आर०ओ से नहीं प्राप्त की गयी है। जबकि डी०पी०आर०ओ महोदय की स्वीकृति आवश्यक है। प्रधान महीलाल एवं सचिव विदित कुमार द्वारा गंभीर अनियमितता का पालन किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 299250-00

(12) ग्राम पंचायत का नाम -सिहाली नारायणवर्ष -2018-19

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पं० द्वाराइलाहाबाद बैंक की शाखाबडा बाजार अमरोहा के उक्त खाता संख्या से दिनांक 15-12-2018 को चेक संख्या 005009 द्वारा रूपया 65205-00 सोलर लाइट हेतु आहरित किया गया है किन्तु सोलर लाइट का क्रय यू.पी. नेडा द्वारा अधिकृत फर्म से न करके मै. चिकारा ट्रेडर्स द्वारा किया गया है। सोलर लाइट के क्रय में गुणवत्ता का ध्यान न देते हुए वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 65205-00

प्रस्तर-16 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक की शाखा बडा बाजार अमरोहा के खाता सं०20898653301 द्वारा दिनांक 01-11-2018 को चेक संख्या 062414 द्वारा प्रा.वि. के प्रांगण में इण्टरलाकिंग हेतु अंसारी टाइल्स से नाम से 140302-00 रु. व उ.प्रा.वि. प्रांगण में इण्टरलाकिंग हेतु अंसारी टाइल्स के नाम से उसी दिनांक को चेक सं-062413 द्वारा रूपया 147967-00 आहरित किया गया है। तथा कोशबही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जबकि शासनादेश दिनांक 23-09-2008 के अनुसार एक लाख रूपया से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय हेतु लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए, किन्तु ग्रा.पं. द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सचिव आलोक वर्मा एवं प्रधान जयपाल सिंह द्वारा गंभीर अनियमितता बरती गयी है, अतः रूपया 288269-00 की वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 288269-00

(13) ग्राम पंचायत का नाम -कलामपुर

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-17 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक की शाखाबडा बाजार अमरोहा के खाता संख्या 20898535274 से दिनांक 14-09-2018 को चेक संख्या 097223 द्वारा रूपया 91756-00 व दिनांक 01-10-2018 को चेक संख्या 097222 द्वारा रूपया 45590-00 का आहरण 4 हैण्डपम्प रिबोर हेतु कुल रूपया 137346-00 निकाला गया तथा कोशबही में दर्ज भी है। किन्तु लेखापरीक्षा के दौरान इस व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया है। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व 8ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान अजय कुमार एवं सचिव विपिन यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 137346-00

(14) ग्राम पंचायत का नाम—गालिबबाड़ा**वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—18 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक की शाखाबड़ा बाजार अमरोहा के खाता संख्या 20898558043 द्वारा दिनांक 24-08-2018 को चेक संख्या 179020 से रूपया 135740-00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु आहरित किया गया और कोशबही में दर्ज भी है। किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान हैण्डपम्प रिबोर से सम्बन्धित की व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुआ। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः उक्त धनराशि का गबन प्रधान अनुज एवं सचिव विपिन यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 135704-00**(15) ग्राम पंचायत का नाम—दबका****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—19 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा पी.एन.बी. बैंक शाखा मेन ब्रान्च अमरोहा से खाता संख्या 0021006900000334 द्वारा प्रा.वि. में बाउन्ड्री वॉल निर्माण हेतु दिनांक 01-10-2018 को चेक संख्या 086425 द्वारा मजदूरी हेतु रूपया 45700-00 शान ब्रिक फिल्ड के नाम से चेक संख्या 086424 द्वारा रूपया 102196-00 तथा किसान सेवा सेन्टर के नम से चेक संख्या 086423 द्वारा रूपया 95221-00 आहरित किया गया है तथा इन चेकों की छायाप्रति भी संलग्न है किन्तु किये गये भुगतान से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में नहीं पाया गया है। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रूपया 243117-00 धनराशि का गबन प्रधान श्री बब्लू एवं सचिव आलोक वर्मा द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 243117-00**(16) ग्राम पंचायत का नाम —खेड़ा****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—20 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा इलाहाबाद बैंक की शाखाबड़ा बाजार अमरोहा के खाता संख्या 20898507643 द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में रूपया 3413767-00 आहरित किया गया है किन्तु उसके सापेक्ष विभिन्न कार्यों में रूपया 1707372-00 ही व्यय किया गया है। शेष रूपया 1706395-00 का कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक किसी भी कार्य हेतु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रूपया 1706395-00 का कोई भी कार्य न कराकर सम्पूर्ण धनराशि पंचायत सचिव श्री विपिन यादव, वं ग्राम प्रधान श्रीमती अनिसाद्वारा अपहरण किया गया। उ.प्र. पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8क व ख के प्राविधान के अनुसार व्यय किये गये धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रूपया 1706395-00 धनराशि का गबन पंचायत सचिव श्री विपिन यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनिसा द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 1706395-00**(17) ग्राम पंचायत का नाम —फन्देड़ी****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—21 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पं० द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु सिंडिकेट बैंक की शाखा धनौरा के खाता संख्या 85842210011276 से दिनांक 13-02-2019 को चेक संख्या 124887993 द्वारा 235-00 रूपया एवं दिनांक 16-02-2019 को चेक संख्या 124887997 द्वारा रूपया 126900-00 कुल रूपया 361900-00 का आहरण शुभम इलेक्ट्रिकल के नाम से की गयी है। तथा कोशबही में दर्ज भी है।

किन्तु लेखापरीक्षा के दौरान उक्त कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। शासनादेश दिनांक 23-09-2008 के अनुसार एक लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के क्रय के लिए लेखा नियमों के प्रस्तर 360 से 364 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। पंचायत सचिव श्री अभिनय चौहान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इरशाद फातिमा द्वारा अनियमितता किया गया। अतः उक्त धन रूपया 361900-00 की वसूली ब्याज सहित दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 361900-00**(18) ग्राम पंचायत का नाम —सरकड़ा कला****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर-22 ग्राम निधि खाते से ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के नाम पर दिनांक 23-01-2019 को रूपया 35000-00 का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य से सम्बन्धित मस्टररोल डीपीसी एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र देखने को नहीं मिला। जिसमें स्पष्ट है कि सफाई कार्य के नाम पर धनराशि आहरित करके ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र सिंह एवं पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंह द्वारा अपहरण किया गया। उ.प्र. पंचायती राज नियमावली बिन्दु 8 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 35000-00

(19) ग्राम पंचायत का नाम —देहरा धनश्याम

वर्ष —2018-19

प्रस्तर-23 ग्राम निधि खाते से ग्राम पंचायत में डस्टबिन के नाम पर दिनांक 01-12-2018 को रूपया 6500-00 का अपहरण किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक देखने को नहीं मिला। बिना व्यय प्रमाणक के किया गया आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली बिन्दु 8 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 6500-00

(20) ग्राम पंचायत का नाम —हाशमपुर बुजुर्ग

वर्ष —2018-19

प्रस्तर-24 ग्राम निधि खाते से विभिन्न स्थानों पर जाल व स्लैब निर्माण के नाम पर दिनांक 16-01-2019 को 38912-00 एवं दिनांक 05-03-2019 को रूपया 2560-00 कुल 41472-00 का आहरण किया गया है। कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पर उन स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया है जिन स्थानों पर जाल व स्लैब का निर्माण किया गया तथा इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के किया गया आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। अतः उ.प्र. पंचायती राज नियमावली बिन्दु 8 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती एवं पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 41472-00

(21) ग्राम पंचायत का नाम —बहलोलपुर

वर्ष —2018-19

प्रस्तर-25 ग्राम निधि खाते से दिनांक 11-10-2019 को मिट्टी भराव कार्य पर रूपया 114400-00 का आहरण श्रीमती गायत्री के नाम से किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान इस कार्य से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली देखने को नहीं मिली है। मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अभाव में न तो यह जानकारी मिल सकी की यह मिट्टी भराव किस स्थान पर किया गया है तथा कितने श्रमिकों ने कार्य किया। जिसमें स्पष्ट है कि मिट्टी भराव कार्य के नाम पर ग्राम निधि खाते से धन आहरित करके पंचायत सचिव श्री कुलदीप सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी द्वारा अपहरण किया गया। उ.प्र. पंचायती राज नियमावली बिन्दु 8 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 114400-00

(22) ग्राम पंचायत का नाम —सूबरा

वर्ष —2018-19

प्रस्तर-26 पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त बाउचर्स/प्रमाणक/पत्रावली अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान रु0 4,81,663 की तीनो पत्रावलियों अनुपलब्ध रही। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार पत्रावली एवं बाउचर्स उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 481663.00

(23) ग्राम पंचायत का नाम —ढबारसी

वर्ष —2018-19

प्रस्तर-27 पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त बाउचर्स/प्रमाणक/पत्रावली अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान रु0 5,85,099/ की तीनो पत्रावलियों अनुपलब्ध रही। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार पत्रावली एवं बाउचर्स उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 585099.00

(24) ग्राम पंचायत का नाम —बालानांगल

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—28 पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त बाउचर्स/प्रमाणक/पत्रावली अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान रु0 513704.00 की तीनों पत्रावलियों अनुपलब्ध रही। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुसार पत्रावली एवं बाउचर्स उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

अतः रु0 513704.00 की ब्याज सहित वसूली धारा 256 के अनुसार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री भगत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 513704.00

(25) ग्राम पंचायत का नाम —जलालपुर खुर्द

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—29 पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा परीक्षा दल को समस्त बाउचर्स/प्रमाणक/पत्रावली अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान रु0 983611.00 की तीनों पत्रावलियों अनुपलब्ध रही। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुसार पत्रावली एवं बाउचर्स उपलब्ध न होने की स्थिति में व्यय की गयी धनराशि का गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

अतः रु0 983611.00 की ब्याज सहित वसूली धारा 256 के अनुसार की कार्यवाही करते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कपिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 983611.00

(26) ग्राम पंचायत का नाम —लुहारी भूड

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—30 ग्राम पंचायत लुहारी भूड द्वारा वर्क आई0डी0 संख्या 19354963 के द्वारा ग्राम पंचायत में टाईल्स निर्माण कार्य श्रमिकों का भुगतान दिनांक 20.11.2018 को चेक संख्या 666572 द्वारा रु0 18000.00 का भुगतान श्रमिकों को न कर अन्य व्यक्ति असलम के खाते में कर दिया गया है। किसी का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना नियमानुसार गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त रु0 18000.00 की वसूली लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क के अनुसार व धारा 256 के अनुसार रु0 18000.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर भागों में ग्राम प्रधान श्री अकेश पाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव खुर्शीद अहमद से किया जाय एवं विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 18000.00

(27) ग्राम पंचायत का नाम —बेगपुर मुण्डा

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—31 ग्राम पंचायत बेगपुर मुण्डा द्वारा स्टेशनरी खरीद में एवं पेंटिंग कार्य दिनांक 16.11.2018 को एवं 12.12.2018 को चेक सं0 385249 एवं 385252 के द्वारा रु0 2000.00 एवं 7500.00 कुल रु0 9500.00 का भुगतान कार्य करने वाली फर्म को न कर अन्य व्यक्ति असलम के खाते में कर दिया गया है। किसी का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना नियमानुसार गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त रु0 9500.00 की वसूली लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क के अनुसार व धारा 256 के अनुसार रु0 9500.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर बराबर भागों में ग्राम प्रधान श्री अकेश पाल सिंह व ग्राम पंचायत सचिव कपिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 9500.00

(28) ग्राम पंचायत का नाम —फैय्याज नगर

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—32 ग्राम पंचायत फैय्याज नगर द्वारा विभिन्न कार्यों के भुगतान में मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों को या कार्य प्रभारी को न कर अन्य व्यक्ति असलम के खाते में दिनांक 13.02.2019 के चेक संख्या 375631, 375633, 375637 एवं 375639 के द्वारा क्रमशः रु0 16600.00, 24700.00, 8150.00 एवं 8400.00 किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.12.2018 को 375621 के द्वारा रु0 69000.00 का मिटटी भराई कार्य का मजदूरों को न कर असलम के खाते में कर दिया गया है। उपरोक्त सभी भुगतान कुल रु0 126850.00 गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क अनुसार व धारा 256 के अनुसार रु0 126850.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर बराबर भागों में ग्राम प्रधान श्री केहर सिंह व ग्राम सचिव श्री दिनेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 126850.00

(29) ग्राम पंचायत का नाम –चौकनी**वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–33 ग्राम पंचायत चौकनी द्वारा मिटटी भराव कार्य का भुगतान संबंधित मजदूरो को न कर अन्य व्यक्ति असलम के खाते में दिनांक 12.11.2018 को चैक संख्या 796149 के द्वारा रू0 47250.00 किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमिता है। अतः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क अनुसार व धारा 256 के अनुसार रू0 47250.00 की वसूली ब्याज सहित बराबरबराबर भागों में ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार व ग्राम सचिव श्री खुर्शीद अहमद से किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 47250.00**(30) ग्राम पंचायत का नाम –दमगड़ी****वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–34 ग्राम पंचायत दमगड़ी द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कार्य का भुगतान संबंधित फर्म को न कर अन्य व्यक्ति असलम के खाते में दिनांक 05.01.2019 को चैक संख्या 587508 के द्वारा रू0 19500.00 किया गया है। यह एक गम्भीर अनियमिता है। अतः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क अनुसार व धारा 256 के अनुसार रू0 19500.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर बराबर भागों में ग्राम प्रधान श्रीमती शारदा व ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 19500.00**(31) ग्राम पंचायत का नाम –चमरपतेई****वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–35 वर्क आई0डी0 19643103 इ0लॉ0 टा0 कार्य जिसका कुल भुगतान रू0 207100 का ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। इसमें चेक सं0 886409 दिनांक 11.01.2019 के द्वारा रू0 10500.00 का भुगतान फर्म को न कर श्री असलम के खाते में किया गया है, अतः यह भुगतान अनियमित रहा। वित्त लेखा मैनुअल अध्याय 8 के धारा 8 क अनुसार व धारा 256 के अनुसार रू0 10500.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर बराबर भागों में ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र व ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 10500.00**(32) ग्राम पंचायत का नाम –पीपली मेकचन्द****वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–36 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.09.2018 को चैक संख्या 639351 एवं 639352 के द्वारा रू0 10800.00 एवं 10900.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत के लिए श्री असलम को किया गया है। जबकि यह भुगतान फर्म को किया जाना था, जिसने कार्य समाप्त किया गया है। साथ ही दिनांक 29.11.2018 को चेक संख्या 439363 के द्वारा रू0 5000 का स्टेशनरी का भुगतान भी संबंधित फर्म को न कर असलम के खाते में किया गया है। यह दोनों भुगतान अनियमित रहे। उक्त भुगतान की कुल धनराशि रू0 26700 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री गजेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 26500.00**(33) ग्राम पंचायत का नाम –सुमाठेर****वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–37 वर्क आई डी0 सं0 17498021 के द्वारा ग्राम पंचायत में मिटटी भराव का कार्य कराया गया है, जिसका भुगतान चेक सं0 304174 दिनांक 28.9.2018 एवं चेक संख्या 940743 दिनांक 01.06.2018 को किया गया है, जिसमें धनराशि रू0 25200 एवं 5000 रू0 कुल 30200.00 का भुगतान संबंधित फर्म को न कर एवं अन्य व्यक्ति श्री असलम के खाते में किया गया है अतः भुगतान अनियमित रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री योगेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री विजयपाल से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 30200.00**(34) ग्राम पंचायत का नाम –घरौंट****वर्ष –2018–19**

प्रस्तर–38 चैक संख्या 713243 एवं 713238 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा ग्राम पंचायत में रू0 39240 एवं 15000 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। रू0 39240 का भुगतान फ्लोर टाईल्स कार्य से संबंधित है जिसकी वर्क आई0 डी0 21267512 है। अतः भुगतान संबंधित फर्म एवं सफाई श्रमिकों को न कर एक अन्य व्यक्ति के खाते में कर दिया गया है। अतः रू0 54240.00 का भुगतान अनियमित रहा। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार

कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कावेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 54240.00

(35) ग्राम पंचायत का नाम —ईशापुर शर्की

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—39 वर्क आई0 डी0 सं0 19630090 मिट्टी भराव कार्य में चेक संख्या 770274 दिनांक 7.09.2018 को रू0 86200 का भुगतान फर्म को न कर एक अन्य व्यक्ति श्री असलम के खाते में कर गम्भीर अनियमिता की गयी है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री निगम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 86200.00

प्रस्तर—40 वर्क आई0 डी0 सं0 19635085 वाल पेटिंग दिनांक 16.09.2018 को रू0 25800.00 का भुगतान फर्म को न कर एक अन्य व्यक्ति श्री असलम के खाते में कर गम्भीर अनियमिता की गयी है। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री निगम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 25800.00

(36) ग्राम पंचायत का नाम —भदौरा

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—41 वर्क आई0डी0 16362629 एवं 16361945 के द्वारा ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य कराया गया। इस कार्य के सापेक्ष दिनांक 7.7.2018 को चेक सं0 113219 एवं 113228 के द्वारा रू0 23661 एवं रू0 22421 कुल रू0 46082 का भुगतान ओम ब्रिक फील्ड को किया गया है। परन्तु पत्रावली की जाँच में उक्त भुगतान से संबंधित फाईल में खरीद वाउचर अनुपलब्ध रहें। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मेहबान सिंह राणा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 46082.00

(37) ग्राम पंचायत का नाम —दीपपुर

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—42 वर्क आई0 डी0 संख्या 17987787 के मिट्टी भराव कार्य में दिनांक 01.08.2018 को चेक संख्या 929624 द्वारा रू0 29900 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए था। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मेहबान सिंह राणा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 29900.00

(38) ग्राम पंचायत का नाम —मछरई

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—43 दिनांक 12.07.2018 को चैक संख्या 660250 एवं 660249 के द्वारा क्रमशः 20,000 एवं 20,000 कुल 40,000 रू0 का भुगतान श्री असलम को किया गया है। उक्त भुगतान ग्राम पंचायत में मिट्टी भराव कार्य से संबंधित है। स्पष्ट है कि मिट्टी भराव कार्य का भुगतान श्रमिकों को न कर श्री असलम के खाते में कर दिया गया है। अतः यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 क के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री योगेन्द्र एवं श्री सतेन्द्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अतरो से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 40000.00

(39) ग्राम पंचायत का नाम —तुगलकाबाद

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—44 वर्क आई0 डी0 संख्या 19828625 टाईल्स निर्माण एवं वर्क आई0 डी0 19828672 के वृक्षारोपण कार्य में दिनांक 20.09.2018 को चेक संख्या 866702 द्वारा रू0 26700 का भुगतान चैक सं0 006175 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए था। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राम सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 40700.00

(40) ग्राम पंचायत का नाम —बहापुर**वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—45 वर्क आई0 डी0 संख्या 18037947 के शौचालय निर्माण कार्य में दिनांक 15.09.2019 को चेक संख्या 706087 द्वारा रू0 10800 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान फर्म व श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कपिल कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री मेहबान सिंह राणा से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 10800.00**(41) ग्राम पंचायत का नाम —रझौहा****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—46 वर्क आई0 डी0 संख्या 31834360 शौचालय निर्माण एवं वर्क आई0 डी0 17410536 के परिवार रजि0 निर्माण कार्य में दिनांक 06.11.2018 को चेक संख्या 867511 द्वारा रू0 5000 का भुगतान एवं चैक सं0 867517 से रू0 3600 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री खुर्शीद अहमद एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 8600.00**(42) ग्राम पंचायत का नाम —कूबी****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—47 वर्क आई0 डी0 संख्या 17810201 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में दिनांक 16.08.2019 को चेक संख्या 942468 द्वारा रू0 5000 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान फर्म व श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुकेश रानी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 5000.00**(43) ग्राम पंचायत का नाम —अल्लीपुर भूड़ शर्की****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—48 वर्क आई0 डी0 संख्या 17692996 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में दिनांक 21.08.2018 को चेक संख्या 660919 द्वारा रू0 5000 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान फर्म व श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री बृजेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती वकीलत से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 5000.00**(44) ग्राम पंचायत का नाम —रझेड़ा बहादुरपुर****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—49 वर्क आई0 डी0 संख्या 17442407 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में दिनांक 16.08.2018 को चेक संख्या 441332 द्वारा रू0 5000 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान फर्म व श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मधु से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 5000.00**(45) ग्राम पंचायत का नाम —कुन्दरकी भूड़****वर्ष —2018—19**

प्रस्तर—50 वर्क आई0 डी0 संख्या 18282459 इ0ला0 टाईल्स निर्माण कार्य एवं वर्क आई0 डी0 18278872 के प्रशासनिक व्यय में दिनांक 21.08.2018 को चेक संख्या 796277 द्वारा रू0 5000 का भुगतान एवं चैक सं0 705224 से रू0 6500 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का संबंधित फर्म के खाते में किया जाना चाहिए भा। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा

आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हितेश कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 11500.00

(46) ग्राम पंचायत का नाम –**झुण्डीमाफी**

वर्ष –2018–19

प्रस्तर–51 वर्क आई0 डी0 संख्या 19666800 के द्वारा ग्राम पंचायत में मिटटी भराव कार्य में दिनांक 10.09.2018 को चेक संख्या 953364 द्वारा रू0 10000.00 का भुगतान श्री असलम के खाते में किया गया है। जबकि कार्य का भुगतान श्रमिकों के खाते में या कार्य प्रभारी के खाते में किया जाना चाहिए था। इसी कारण यह भुगतान अनियमित रहा। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री मौ0 नाजिम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विमला से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

सम्बन्धित धनराशि 10000.00

(47) ग्राम पंचायत का नाम –**सबलपुर शर्की**

वर्ष –2018–19

प्रस्तर–52 ग्राम निधि खाता सं0 2172101042960 से निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न चेकों के द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि का आहरण किया गया है–

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण
26.09.18	946689	37,800	हैण्डपम्प मरम्मत
29.10.18	531368	5,000	स्टेशनरी खरीद
24.01.19	531393	6,500	स्टेशनरी खरीद

उक्त आहरण के संबंध में कुल रू0 49,300 का आहरण श्री असलम के खाते में किया गया है, जबकि इसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को किया जाना था। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री कृपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री दीपक से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 49300.00

(48) ग्राम पंचायत का नाम **बिजनौरा**

वर्ष –2018–19

प्रस्तर–53 ग्राम निधि खाता सं0 से निम्नलिखित तिथियों में विभिन्न चेकों के द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार धनराशि का आहरण किया गया है–

दिनांक	चेक सं0	धनराशि	विवरण
26.10.18	946689	37,800	हैण्डपम्प मरम्मत
29.10.18	531368	5,000	स्टेशनरी खरीद
24.01.19	531393	6,500	स्टेशनरी खरीद

उक्त आहरण के संबंध में कुल रू0 49,300 का आहरण श्री असलम के खाते में किया गया है, जबकि इसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को किया जाना था। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एवं उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री मो0 नासिम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 109280.00

(49) ग्राम पंचायत का नाम –**ढक्का**

वर्ष –2018–19

प्रस्तर–54 ग्राम निधि खाता संख्या 2172101042984 से निम्नलिखित तिथियों में निम्न विवरण अनुसार धनराशि का आहरण किया गया है–

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
07.09.18	226977	5200	स्टेशनरी
	226978	15600	हैण्डपम्प मरम्मत
	226979	15600	हैण्डपम्प मरम्मत
	226980	9100	स्टेशनरी
27.11.18	025832	9100	स्टेशनरी
29.9.18	226994	5200	स्टेशनरी
06.10.18	467005	10400	हैण्डपम्प मरम्मत
30.10.18	025771	10920	हैण्डपम्प मरम्मत

कुल धनराशि – 81120.00

उक्त आहरण के संबंध में कुल रु0 81120.00 का आहरण श्री असलम के खाते में किया गया है, जबकि इसका भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा फर्म को किया जाना था। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुसार एंव उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अनुसार कार्यवाही अधिकार को करते हुए आधा आधा ग्राम सचिव श्री नसीम एंव ग्राम प्रधान श्रीमती हबीबा शहरोज से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 81120.00

(50) ग्राम पंचायत का नाम —**श्योंनाली**

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—55 निम्न विवरण के अनुसार कराये गये कार्यों के मजदूरी भुगतान के मस्टरोल पर हस्ताक्षरव अगूठा नहीं पाया गया —

1— जू0हा0 स्कूल मे शौचालय निर्माण	5,790.00
2— मेन रास्ते से वीर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण	15,130.00
3— मेन रोड से रिजवान के घर तक सी0सी0 निर्माण	32,053.00
4— प्रा0पाठशाला श्योंनाली में निर्माण	35,202.00
5— प्रा0 पाठशाला श्योंनाली मे सी0सी0 निर्माण	10,287.00
6— प्रा0 पाठशाला में शौचालय निर्माण रसोई	12,440.00
7— प्रा0 पाठशाला श्योंनाली मे टाईल्स निर्माण	44,703.00

योग

1,55,632.00

उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अन्तर्गत प्रमाणको का अपूर्ण होना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है व अधिभार की कार्यवाही के लिए ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

सम्बन्धित धनराशि 155632.00

(51) ग्राम पंचायत का नाम —**सिबौरा**

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—56 रसूलपुर में मिटटी भराव का भुगतान प्रमाणक रु0 64,500.00 लेखा परीक्षा के दौरान अनुपलब्ध रहा।

अतः उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के, नियम संख्या 256 के तहत प्रमाणको का लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध ना कराया जाना धन के अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 64500.00

प्रस्तर—57 वर्ष 2018—19 के दौरान विभिन्न स्थानों पर चैनल निर्माण पर रुपया 83,250.00 का भुगतान किया गया है, परन्तु निर्माण कार्य की पूर्ण पत्रावली को लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के, नियम संख्या 256 के तहत प्रमाणको का लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध ना कराया जाना धन के अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 83250.00

(52) ग्राम पंचायत का नाम —**जग्गा नंगला**

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—58 निम्न भुगतान के व्यय प्रमाणको को लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया—

1— मानदेय प्रधान <u>पत्रावली / प्रमाणक</u> अप्राप्त—	42,000.00
2— प्रा0वि0 में मिटटी भराव का प्रमाणक अप्राप्त	59,500.00

योग

1,01,500.00

उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 के धारा 256 के अन्तर्गत प्रमाणको का अपूर्ण होना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है व अधिभार की कार्यवाही के लिए अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 1,01,500.00

(53) ग्राम पंचायत का नाम —**पूरनपुर**

वर्ष —2018—19

प्रस्तर—59 निदेशक पंचायती राज, उ0प्र0 के आदेश के द्वारा 2.5.19 के द्वारा 8 हैण्डपम्प रिबोर प्रकार 2 गलत आई0डी0 पर कराये गये हैं जो विभागीय नियमों की अवेहलना है व धन के उपयोग में नियमों का पालन न करके गंभीर अनियमितता की गई।

अतः रू0 2,75,672.00 की धनराशि को गंभीर अनियमितता की धनराशि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सम्बन्धित सचिव व प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 275672.00

प्रस्तर—60 वर्क आई0डी0 8630990 पर नाला सफाई पर व्यय रू0 84,020.00 का भुगतान किया गया है जिसमें से 51520.00 का भुगतान 16 मजदूरों का भुगतान का है जिसका भुगतान प्रधान को किया गया है व मस्टररोल पर किसी मजदूर के धन प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं है स्पष्ट होता है , प्रधान ने धन का अपहरण किया है। साथ ही 32,500.00 के भुगतान का प्रमाणक भी नहीं पाया गया है।

अतः आहरित धनराशि को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

अतः उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम सं0 256 के तहत प्रामाणिकता का लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध न कराना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली प्रधान व सचिव से मय ब्याज की वसूल की जानी अपेक्षित है।

सम्बन्धित धनराशि 84020.00

प्रस्तर—61 निम्न 2 आई0डी0 पर भुगतान पेंटिंग/स्लोगन पर कोटेशन दर का कोई पालन नहीं किया गया, कोटेशन बगैर भुगतान को धन के गंभीर अनियमित रूप से भुगतान में वर्गीकृत किया जाता है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

1— पेंटिंग कार्य	रू0 41,500.00
2— स्वच्छ स्लोगन नारे	रू0 42,700.00
योग	रू0 84,200.00

प्रारूप—4

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः—जमालुद्दीनपुर विकास खण्डः— जलीलपुर

वर्षः— 2018—19

प्रस्तर संख्या—1 आलोच्य वर्ष की कैश बुक में दिनांक 20.06.2018 को रू0 19890.00 दिनांक 26.06.2018 को रू0 19940.00 तथा दिनांक 09.07.2018 को रू0 19930.00 हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित भुगतान किया गया है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसी दशा में उल्लिखित धनराशि को अपहरण मानते हुए रू0 59760.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सतीश कुमार एवं प्रधान श्रीमती प्रमिला से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या—2 ग्राम पंचायत जमालुद्दीनपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018—2019 निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018—19 में बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 2497317.30 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य—मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :—

1. ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।
2. वर्ष 2018—19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।
3. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
4. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
5. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
6. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
7. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

10. विभाग द्वारा ग्राम पंचायतो की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएं अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में ग्राम निधि प्रथम की कैशबुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रु. 2497317.30 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री लल्लू सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रवाना विकास खण्ड:- जलीलपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम पंचायत रवाना की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 2116099.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

9. विभाग द्वारा ग्राम पंचायतो की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएं अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 2116099.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिशेक, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री रूपेश कुमार, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- आकू विकास खण्ड:- नहटौर वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-4 ग्राम पंचायत आकू की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रूपये 1581096.80 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेंडर विज्ञापन, टेंडर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

5 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

6 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

7 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

8 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएँ अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1581096.80 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विवेक देशवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री संजीव, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि

ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— अकबरपुर गारब विकास खण्डः— नहतौर

वर्षः— 2018—19

प्रस्तर संख्या— 5 ग्राम पंचायत अकबरपुर गारब की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018—2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018—19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 1441613.10 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य—मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :—

1 वर्ष 2018—19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5 व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

6 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

7 वर्ष 2018—19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र—7)।

8 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएँ अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएँ एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०—256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय—8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018—2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1441613.10 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विवेक देशवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री अजीत सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी—आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— बैरमपुर खजूरी विकास खण्डः— नहतौर

वर्षः— 2018—19

प्रस्तर संख्या— 6 ग्राम पंचायत बैरमपुर खजूरी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018—2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018—19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 1741534.80 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

- 1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।
- 2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
- 3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
- 4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
- 5 व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
- 6 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
- 7 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
- 8 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
- 9 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएँ अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएँ एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 1741534.80 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विवेक देशवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री शकील अहमद, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

ग्राम पंचायत:- नसीबपुर

विकास खण्ड:- नहतौर

मण्डल:- मुरादाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-7 ग्राम पंचायत नसीबपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 1717480.80 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्षित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

- 10 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।
- 11 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
- 12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
- 13 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

- 14 व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
- 15 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
- 16 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
- 17 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
- 18 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएं अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1717480.80 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विवेक देशवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री मनोज, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- बूढ़पुर

विकास खण्ड:- नहतौर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-8 ग्राम पंचायत बूढ़पुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक स्टेटमेंट मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के आधार पर रुपये 1807976.80 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5 व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

6 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

8 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

9 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएं अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1807976.80 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री विवेक देशवाल, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती रूपा देवी, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- गंगोडा शेख

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-9 ग्राम पंचायत गंगोडा शेख की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक पासबुक मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक पासबुक के आधार पर रुपये 1851540.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेंडर विज्ञापन, टेंडर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिका जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5 व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

6 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

8 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

3 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएं अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक पासबुक को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1851540.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हेमेश

सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती शाकरा, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- मुकरपुर सती

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत मुकरपुर सती की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक पासबुक मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक पासबुक के आधार पर रुपये 1816098.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5 व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

6 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।

8 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

9 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएँ अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक पासबुक को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएँ एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1816098.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री पीयूष सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री ओमपाल सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- नांगल जट

विकास खण्ड:- हल्दौर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत नांगल जट की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-2019 निधि प्रथम की कैश बुक तथा बैंक पासबुक मात्र ही प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 में कैशबुक एवं बैंक पासबुक के आधार पर रुपये 5612324.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष कैशबुक में दर्शित विभिन्न व्ययों की जाँच एवं पुष्टि नहीं करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

- 1 वर्ष 2018-19 खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।
 - 2 स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
 - 3 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
 - 4 ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
 - 5 व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
 - 6 मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
 - 7 अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
 - 8 वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
 - 9 विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई विभिन्न सूचनाएँ अप्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।
- ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक एवं बैंक पासबुक को छोड़कर अपेक्षित सूचनाएँ एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-2019 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 5612324.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री हेमन्ध्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती राजबाला, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- अकबरपुर देवीदासवाला

विकास खण्ड:- मौ०पुर देवमल

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत अकबरपुर देवीदासवाला की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1374919.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपों में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है। इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 1374919.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री राजपाल सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- मौढिया धनसी

विकास खण्ड:- मौ0पुर देवमल

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत मौढिया धनसी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 2821535.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपों में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 2821535.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त

सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री यशपाल, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- माचकी

विकास खण्ड:- मौ०पुर देवमल

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम पंचायत माचकी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1835602.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशिका कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययो की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपों में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 1835602.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री संसार सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रतनपुर रियाया

विकास खण्ड:- मौ०पुर देवमल

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत रतनपुर रियाया की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1840353.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययो की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।

2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यो की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्मति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपो में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1840353.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री जयराम सिंह, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

ग्राम पंचायत:- शाहबाजपुर

विकास खण्ड:- मौ0पुर देवमल

मण्डल:- मुरादाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत शाहबाजपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1940768.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययो की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यो की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्मति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यो/अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपों में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।
इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1940768.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री राजपाल, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- महेश्वरी

विकास खण्ड:- मौ0पुर देवमल

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-17 ग्राम पंचायत महेश्वरी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 3784278.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्मति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
9. लेखा परीक्षा के समय नवीन ऑडिट नोट के प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 की विभिन्न सूचनाये अनुपलब्ध रही जिसके कारण इनको प्रारूपों में अंकित नहीं किया जा सका। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता है।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 3784278.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दुष्यन्त सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती रोशनी, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि

ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- पैजनिया

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-18 ग्राम पंचायत पैजनिया की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2776000100834725 के बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
14-12-18	414934	19604.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
15-12-18	414929	4990.00	रौनक एगो को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
	योग	24594.00	

उपरोक्त व्ययों का इन्द्राज प्रस्तुत कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया और उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः कैश बुक में व्ययों का इन्द्राज न करके और वाउचर आदि भी अप्राप्त के कारण रुपये 24594.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में रुपये 24594.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री छोटे सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती ममता त्यागी, ग्राम प्रधान से समान रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- औलियापुर

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत औलियापुर की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 0805000400362662 के बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
25-04-18	942872	69161.00	रायसुद्दीन को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
25-04-18	942873	82108.00	रायसुद्दीन को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
25-04-18	942874	86649.00	रायसुद्दीन को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
25-04-18	942875	78499.00	रायसुद्दीन को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
	योग	316417.00	श्री जयवीर सिंह, सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा आहरण किया गया।
25-09-18	942879	4880.00	गौरवी को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
27-09-18	942880	14000.00	हरिराज सिंह को भुगतान (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
	योग	18880.00	श्री छोटे सिंह, सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा आहरण।
	कुल योग	335297.00	

उपरोक्त व्ययों का इन्द्राज प्रस्तुत कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया और उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः कैश बुक में व्ययों का इन्द्राज न करके और वाउचर आदि भी अप्राप्त के कारण रुपये 335297.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में उपरोक्त व्यय राशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जयवीर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री हरिराज सिंह, ग्राम प्रधान से रुपये 316417.00 तथा श्री छोटे सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) एवं श्री हरिराज सिंह, ग्राम प्रधान से रुपये 18880.00 समान रूप से इस प्रकार कुल रुपये 335297.00 की धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- अथाई जमरूद्दीन

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम पंचायत अथाई जमरूद्दीन की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 2776001700819037 के बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
23-04-18	908306	162912.00	जकिर हुसैन कान्ट्रैक्टर (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
23-04-18	908307	173341.00	जकिर हुसैन कान्ट्रैक्टर (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
05-09-18	908318	43884.00	जकिर हुसैन (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
	कुल योग	380137.00	

उपरोक्त व्ययों का इन्द्राज प्रस्तुत कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया और उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः कैश बुक में व्ययों का इन्द्राज न करके और वाउचर आदि भी अप्राप्त के कारण रुपये 380137.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में रुपये 380137.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जयवीर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती नाहिद जहाँ, ग्राम प्रधान से समान रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- खासपुरा

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत खासपुरा की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 31575659515 के बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
09-04-18	745431	148078.00	व्यय का विवरण कैश बुक में अंकित नहीं है।
09-04-18	745432	120767.00	व्यय का विवरण कैश बुक में अंकित नहीं है।
	योग	268845.00	श्री जयवीर सिंह, सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा आहरण किया गया।
11-12-18	745461	21504.00	व्यय का विवरण कैश बुक में अंकित नहीं है।
	योग	21504.00	श्री छोटे सिंह, सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा आहरण।
	कुल योग	290349.00	

उपरोक्त व्ययों का इन्द्राज प्रस्तुत कैश बुक में अंकित नहीं पाया गया और उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः कैश बुक में व्ययों का इन्द्राज न करके और वाउचर आदि भी अप्राप्त के कारण रुपये 290349.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में उपरोक्त व्यय राशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री जयवीर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती पूनम देवी, ग्राम प्रधान से रु० 268845.00 तथा श्री छोटे सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) एवं श्रीमती पूनम देवी, ग्राम प्रधान से रुपये 21504.00 समान रूप से इस प्रकार कुल रुपये 290349.00 की धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- फजलपुर ढाकी विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत फजलपुर ढाकी की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय दिनांक 01-04-2018 से 30-06-18 तक की कैशबुक, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। इस अवधि में श्री दिनेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) कार्यरत रहे हैं। ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार इस अवधि में निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
25-04-18	583257	4500.00	श्री अविनाश को भुगतान दर्शित है। (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
30-06-18	583262	4000.00	नैपट द्वारा ट्रांसफर (बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार)
	योग	8500.00	

उपरोक्त व्ययों की जाँच एवं पुष्टि हेतु कैशबुक अनुपलब्ध रही। कैश बुक के अभाव में उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट एवं अपुष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः रुपये 8500.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैशबुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में रुपये 8500.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती रुबीना ग्राम प्रधान से समान रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- भवानीपुर कलिया

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत भवानीपुर कलिया की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय दिनांक 01-04-2018 से 31-08-18 तक की कैशबुक, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। इस अवधि में श्री दिनेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) कार्यरत रहे हैं। ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार उक्त अवधि में निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी (बैंक स्टेटमेण्ट के अनुसार)
01-06-18	689646	10500.00	श्री इस्तेखार
25-06-18	689648	51654.00	नैपट द्वारा ट्रांसफर, मौ०हसन
25-06-18	689650	71488.00	नैपट द्वारा ट्रांसफर, मौ०हसन

25-06-18	689649	67196.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर, मौ0हसन
28-06-18	689647	3450.00	मौ0 आमिर - 442300
21-07-18	689651	36610.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर, मौ0हसन
27-07-18	689653	62194.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर, मौ0हसन
27-07-18	689654	57094.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर, मौ0हसन
27-07-18	689652	66830.00	नैफ्ट द्वारा ट्रांसफर, मौ0हसन
01-08-18	689656	4500.00	बालाजी ट्रेडर्स एण्ड कॉ0-183400
	योग	431516.00	

उपरोक्त व्ययों की जाँच एवं पुष्टि हेतु कैशबुक अनुपलब्ध रही। कैश बुक के अभाव में उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट एवं अपुष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री इस्तेखार ग्राम प्रधान द्वारा रुपये 431516.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैशबुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में रुपये 431516.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (भूतपूर्व सचिव) तथा श्री इस्तेखार ग्राम प्रधान से समान रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- महमदाबाद

विकास खण्ड:- नूरपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-24 ग्राम पंचायत महमदाबाद की वर्ष 2018-19 लेखा परीक्षा करते समय दिनांक 01-04-2018 से 31-08-18 तक की कैशबुक, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहे। इस अवधि में श्री दिनेश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) कार्यरत रहे हैं। ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त अवधि में निम्नलिखित आहरण किया गया है -

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	टिप्पणी (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार)
15-06-18	117821	10500.00	नासिर
19-06-18	117822	5200.00	गौरवी-107000
23-07-18	117823	143946.00	ने: PUNBH18204246138/MHUSSAIN
06-08-18	117825	2470.00	TRF TO BALAJI TRADERS & CONTRACTOR
	योग	162116.00	

उपरोक्त व्ययों की जाँच एवं पुष्टि हेतु कैशबुक अनुपलब्ध रही। कैश बुक के अभाव में उपरोक्त व्यय किस संबंध में किये गये हैं अस्पष्ट एवं अपुष्ट रहा तथा उपरोक्त व्ययों के सापेक्ष पत्रावली, बिल, वाउचर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि भी अप्रस्तुत रहे। अतः श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री नासिर ग्राम प्रधान द्वारा रुपये 162116.00 का अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैशबुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में रुपये 162116.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री दिनेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (भूतपूर्व सचिव) तथा श्री नासिर ग्राम प्रधान से समान रूप से धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— इस्लामपुर सादात

विकास खण्डः— किरतपुर

वर्षः— 2018—19

प्रस्तर संख्या—25 ग्राम पंचायत इस्लामपुर सादात की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018—19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018—19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018—19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1936073.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब— किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययो की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य—मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :—

1. वर्ष 2018—19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्मति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018—19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र—7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०—256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय—8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018—19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1936073.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मोहित कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती संतोश देवी, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी—आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— नंगला इस्लाम

विकास खण्डः— किरतपुर

वर्षः— 2018—19

प्रस्तर संख्या—26 ग्राम पंचायत नंगला इस्लाम की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018—19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018—19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018—19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 2105586.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब— किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययो की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य—मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :—

1. वर्ष 2018—19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण—पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्मति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।

6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 2105586.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मोहित कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्रीमती नुसरत जहाँ, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सराय जीवन

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत सराय जीवन की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 777203.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 777203.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अजेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री समद, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- शाहपुर सुक्खा

विकास खण्ड:- किरतपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-28 ग्राम पंचायत शाहपुर सुक्खा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1159514.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त राशि के व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक, बैंक पासबुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1159514.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अजेन्द्र कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री सुधीर कुमार, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- कुजैटा

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-29 ग्राम पंचायत कुजैटा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1706012.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1706012.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सोनी कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री पतराम, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रामजीवाला

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-30 ग्राम पंचायत **रामजीवाला** की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1138139.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। **आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है।** विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्य, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्य से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्य के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्य के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्य की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्य/अन्य कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1138139.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सोनी कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री नसीम अहमद, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी

धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सरदारपुर

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-31 ग्राम पंचायत सरदारपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 988022.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। **आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है।** विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 988022.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सोनी कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री ओमप्रकाश, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- चकउदयचन्द

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-32 ग्राम पंचायत चक उदयचन्द की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1267966.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। **आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है।** विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।
इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1267966.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री सोनी कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री इरशाद, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- मिटठोपुर

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-33 ग्राम पंचायत मिटठोपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1059887.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी

व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 1059887.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री शाहिद, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रायपुर गढ़ी

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-34 ग्राम पंचायत रायपुर गढ़ी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1482792.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। **आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है।** विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाईज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।”

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्षित व्यय धनराशि रुपये 1482792.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- अलाउद्दीनपुर

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-35 ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 891675.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। **आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब- किताब लेखा परीक्षा के**

समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं०-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 891675.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राकेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री शाकिर, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

ग्राम पंचायत:- कण्डारावाला

विकास खण्ड:- कोतवाली

मण्डल:- मुरादाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-36 ग्राम पंचायत कण्डारावाला की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 753524.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यों, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्यों की सामाग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्यों/अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामाग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 753524.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजकुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्रीमती कुलदीप कौर, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- कमरूद्दीन नगर

विकास खण्ड:- कोतवाली

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-37 ग्राम पंचायत कमरूद्दीन नगर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2018-19 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2018-19 की आहरण राशि प्रिया साफ्ट फिडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट के आधार पर रुपये 1774514.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्य, डेड स्टॉक खरीद, प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी, स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जाँच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे :-

1. वर्ष 2018-19 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर।
2. स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।
3. निर्माण कार्य से सम्बन्धित टैन्डर विज्ञापन, टैन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्य के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्य के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, पैमाईश रजिस्टर, निर्माण कार्य की सामग्री की स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।
4. ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्य की समिति की कार्यवाही पंजिकाएँ जिसमें निर्माण कार्य/अन्य कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।
5. व्यय धनराशि की जाँच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/वाउचर/एडवाइज की गार्डफाईल आदि।
6. मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी को मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध में सामग्री स्टॉक बुक एवं रजिस्टर आदि।
7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर, अनुदान पत्रावली।
8. वर्ष 2018-19 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)।

इत्यादि

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अन्तर्गत "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।"

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2018-19 में दर्शित व्यय धनराशि रुपये 1774514.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री राजकुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) तथा श्री मौ0 अशरफ, ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोश में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- पीपलसाना

विकास खण्ड:- धामपुर

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-38 आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर दि0 16.04.2018 को रू0 20859.00, दि0 12.09.2018 को रू0 12000.00 तथा दि0 28.11.2018 को रू0 30475.00 का व्यय कोशवही पर अंकित है परन्तु इससे

सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलीय विवरण भी अंकित नहीं है। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार शर्मा तथा ग्राम प्रधान श्री एहसान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 आलोच्य वर्ष में निधि-1 से निम्नांकित धनराशि आहरित की गयी है जिसका विवरण कैश बुक पर नाला सफाई अंकित है परन्तु इससे सम्बन्धित कोई मस्टररोल या व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया—

दिनांक	धनराशि	पं०स० जिसके कार्यकाल में धनराशि का आहरण हुआ
17.04.2018	20000.00	श्री अरुण कुमार शर्मा
01.05.2018	19500.00	श्री अरुण कुमार शर्मा
12.09.2018	15000.00	श्री अरुण कुमार शर्मा
02.03.2019	14000.00	श्री मोहित कुमार
08.03.2019	19500.00	श्री मोहित कुमार
11.03.2019	17500.00	श्री मोहित कुमार

कुल योग- 105500.00

उल्लेखनीय है कि सफाई कार्य हेतु ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है। ऐसी दशा में सफाई कार्य पर अतिरिक्त धनराशि का व्यय किया जाना उचित नहीं है।

अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि को अपहरण मानते हुये रु० 54500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार शर्मा तथा प्रधान श्री एहसान एवं रु० 51000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री मोहित कुमार एवं प्रधान श्री एहसान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 आलोच्य वर्ष की कोशवही पर दि० 01.05.2018 को सहकारी समिति के पास नाली मरम्मत से सम्बन्धित कार्य कराया जाना अंकित है जिस पर कुल रु० 2000.00 व्यय हुआ है तथा इसका भुगतान श्री गुल मुहम्मद को किया गया है। इस व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय प्रमाणक के अभाव में इस धनराशि को अपहरण मानते हुये रु० 2000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार शर्मा एवं प्रधान श्री एहसान से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 आलोच्य वर्ष में मिट्टी भराव पर दि० 16.01.2019 को रु० 18000.00 तथा दि० 29.01.2019 को रु० 60000.00 व्यय किया गया है जिसका भुगतान क्रमशः दीपक कान्स्ट्रक्टर को किया गया है। कार्य की प्राक्कलन व एम०बी० प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति ही ली गयी है। ऐसी दशा में धनराशि का दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है। अतः रु० 78000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री अरुण कुमार शर्मा एवं प्रधान श्री एहसान से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— केहरीपुर जंगल

विकास खण्डः— अफजलगढ़

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या-42 आलोच्य वर्ष की कैश बुक में दि० 25.06.2018 को रु० 31150.00 व रु० 44450.00 तथा दि० 25.06.2018 को ही रु० 31500.00 व 32900.00 बाल पेंटिंग पर व्यय अंकित है। उससे सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कहीं पर बाल पेंटिंग के स्थल का ही उल्लेख है। अतः उचित व्यय प्रमाणक के अभाव में उल्लिखित कुल धनराशि को अपहरण मानते हुये इसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री सतीश कुमार तथा प्रधान श्री मती बलजीत कौर से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— इस्लामनगर

विकास खण्डः— अफजलगढ़

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या-43 आलोच्य वर्ष में दि० 20.06.2018 को प्रायमरी विालय बनियावाला की रंगार्ड-पुताई में रु० 73426.00 प्रा०विालय कालागढ़ की रंगार्ड-पुताई में रु० 83703.00 तथा प्रायमरी विालय भिक्कावाला की रंगार्ड-पुताई में रु० 41983.00 का व्यय कैश बुक में अंकित है। कृत कार्यों से सम्बन्धित पत्रावली में मात्र प्राक्कलन व एम०बी० संलग्न है तथा अन्य अभिलेख अधूरे एवं अपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि पूर्व वर्ष में प्रायमरी विालय की रंगार्ड पुताई में रु० 230744.00 व्यय किया गया है जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष की कैशबुक पर दि० 17.04.2018 को अंकित है। पूर्व वर्ष के इस व्यय से सम्बन्धित फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। आलोच्य वर्ष की एम०बी० पर तिथि अंकित नहीं है। इस फाइल में कार्य प्रारम्भ एवं कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व वर्ष में की गयी रंगार्ड-पुताई को पुनः आलोच्य वर्ष में दर्शा करके रु० 199112.00

का दुरुपयोग किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सतीश कुमार एवं प्रधान श्रीमती राखीकाला से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— अजीमुल्लानगर

विकास खण्डः— अफजलगढ़

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या—44 आलोच्य वर्ष की कैश बुक में दि० 20.06.2018 को रू० 19890.00, दि० 26.06.2018 को रू० 19940.00 तथा दि० 09.07.2018 को रू० 19930.00 हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित भुगतान किया गया है परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अतः ऐसी दशा में उल्लिखित धनराशि को अपहरण मानते हुये रू० 59760.00 की वसूली ब्याज सहित तत्कालीन सचिव श्री सतीश कुमार एवं प्रधान श्रीमती प्रमिला से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— जाफराबाद

विकास खण्डः— अफजलगढ़

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या—45 आलोच्य वर्ष में रू० 150607.00 का भुगतान दि० 14.11.2018 को प्रताप सिंह कान्त्रैक्टर को किया गया है। निर्माण कार्यो से सम्बन्धित पत्रावली पर विभिन्न स्थलों पर नाली खड़न्जा मरम्मत कराया जाना अंकित है परन्तु प्राक्कलन व एम०बी० या अन्य कहीं पर उन स्थलों का विवरण अंकित नहीं है जहां पर यह कार्य कराये जाने की तिथि अंकित नहीं है। पत्रावली में कार्यस्थल का फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। इस प्रकार खड़न्जा मरम्मत के नाम पर धनराशि का दुरुपयोग किया जाना प्रतीत होता है अतः पंचायत सचिव कुमारी कंचन चौहान तथा प्रधान श्रीमती दिनेश कुमारी से रू० 150607.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— शेरपुर अमि

विकास खण्डः— नजीबाबाद

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या—46 वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत शेरपुर अमि की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 18.04.2018 में चेक संख्या 622587 से रू० 200000.00 का आय पक्ष में आहरण दिखाया गया है किन्तु कैशबुक के व्यय पक्ष में उक्त धनराशि की प्रविष्टि नहीं की गई है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से उक्त धनराशि की प्रविष्टि कैशबुक के व्यय पक्ष में न करना धनराशि का अपहरण माना जाता है। अतः रू० 200000.00 की वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से सचिव श्री कुलदीप तथा प्रधान श्री सुनील कुमार से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— हरचन्दपुर

विकास खण्डः— नजीबाबाद

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या—47 वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत हरचन्दपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनतर्गत अवमुक्त धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक 19-06-2015 मार्गदर्शक सिद्धान्तों के विपरीत निम्न कार्यो का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से न प्राप्त कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है। विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	लोकेश के घर से ब्रजपाल के घर तक सी०सी० टाइल्स रोड	04.04.2018 04.04.2018	348075 348076	444975.00 53397.00	498372.00
2	ब्रजपाल के खेत से आलोक के खेत तक सी०सी० टाइल्स रोड	02.06.2018 02.06.2018	348080 348079	52784.00 427171.00	479955.00
	योग—				978327.00

उक्त शासनादेश में निहित है कि रू० 250001.00 से रू० 500000.00 तक कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त दोनों कार्यो का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त करना था, किन्तु ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। अतः लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त कराया गया कार्य एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। शासनादेश की अवहेलना के कारण खर्च धनराशि रू० 978327.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री कुलदीप तथा प्रधान श्री मुनेश से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

जपनदः— बिजनौर

मण्डलः— मुरादाबाद

ग्राम पंचायतः— कामगारपुर

विकास खण्डः— नजीबाबाद

वर्षः— 2018-19

प्रस्तर संख्या-48 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.03.2019 को धनराशि रु0 285768.00 का भुगतान एल.ई.डी. लाइट हेतु आरोही ट्रेडर्स को किया गया है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्ति इस प्रकार है-

- 1- ग्राम पंचायत का उक्त कार्य हेतु- वित्त संयोजन अप्राप्त रहा।
- 2- उक्त कार्य का कार्यपूर्ति/तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
- 3- उक्त कार्य की वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
- 4- उक्त कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त रहा।
- 5- उक्त एल0ई0डी0 लाइटों के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार रमप्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी अध्याय 8 के धारा 8(क) के प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 285768.00 का गबन प्रधान श्रीमती रेणुका एवं सचिव श्री भरत खन्ना द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- रायपुर खास

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-49 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हरि के घर से माध्यमिक स्कूल तक सी0सी0 निर्माण कार्य हेतु दिनांक 13.03.2019 को चैक संख्या 410099 द्वारा रु0 199000.00 का भुगतान राम सिंह कांटेक्टर को किया गया है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में आपत्ति इस प्रकार है-

- 1- उक्त कार्य हेतु- टेण्डर अप्राप्त रहा।
- 2- कार्य का स्टीमेट एवं एम0बी0 अप्राप्त रहे।
- 3- कार्यादेश अप्राप्त रहा।
- 4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
- 5- कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त रहा।
- 6- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार रमप्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी अध्याय 8 के धारा 8(क) के प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 199000.00 का गबन प्रधान श्री चतर सिंह एवं सचिव श्री भरत खन्ना द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- काशीरामपुर

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-50 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12.03.2019 को चैक संख्या 896885 द्वारा रु0 407100.00 का भुगतान फर्नीचर कय हेतु किया गया है। उक्त खर्च से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। जबकि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम पंचायत एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 407100.00 का गबन प्रधान श्री तरुण कुमार एवं सचिव श्री भरत खन्ना द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- सबलगढ़

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-51 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हाई मार्क्स लाइट हेतु गोयल इंटरप्राइजेज को निम्न तिथियों को भुगतान किया गया है-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
15.03.2019	603011	132000.00
15.03.2019	603012	132000.00
15.03.2019	603013	132000.00
15.03.2019	603014	132000.00

योग- 528000.00

उक्त व्यय धनराशि के सम्बन्ध में आपत्ति इस प्रकार है-

1. 14वें वित्त आयोग के गाइड लाइन के अनुसार पाँच लाख से ऊपर के कार्य की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, उक्त कार्य पाँच लाख से ऊपर का है। स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा अप्राप्त रही।
2. उक्त कार्य का टेण्डर अप्राप्त रहा।
3. कार्यदेश अप्राप्त रहा।
4. कार्यप्रति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
5. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त रहा।
6. व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल केक अध्याय 8 के बिन्दू 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी अध्याय 8 के धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 528000.00 का गबन प्रधान श्री गसिता सिंह एवं सचिव श्री भरत खन्ना द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- करौली

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-52 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न चेको द्वारा एल0ई0डी0 लाईट क्रय दिखाया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
27.03.2019	602290	492807.00
27.03.2019	602291	44352.00

योग- 93632.00

उक्त कार्य से सम्बन्धित विधुत संयोजन, कार्यपूर्ति प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, व्यय प्रमाण अप्राप्त रहे। वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 बिन्दू 7 एवं धारा 8 (क) के तहत व्यय प्रमाणको की अनुपस्थिति में व्यय को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न चेको द्वारा आर0ओ0 का क्रय दिखाया गया है।

दिनांक	चैक संख्या	धनराशि
30.03.2019	602293	64700.00
30.03.2019	602294	64700.00

योग- 129400.00

उक्त कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक का किया गया व्यय गबन माना जाता है। अतः उक्त धनराशि रु0 129400.00 का गबन प्रधान श्री रोहताश एवं सचिव प्रमोद द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- हकीमपुर काजी

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-54 निम्न प्रकार आहरण की प्रविष्टि कैश बुक में न करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज संबंधित प्रधान एवं सचिव से कराई जाये-

19.04.2018 को आहरण	19500.00
14.06.2018 को आहरण	19200.00
14.06.2018 को आहरण	<u>2360.00</u>

योग - 41060.00

प्रस्तर संख्या-55 29.03.2019 को 3 पोलिंग बूथों पर बने रैंपर पर विकलांग को चढ़ाने हेतु व्हीलचेयर क़य की गई है जिस हेतु रु० 18300.00 किया गया परन्तु पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक नहीं पाया गया। पंचायती राज के नियमावली-187 की धारा-27 के तहत प्रमाणको का ना मिलना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है।

उच्च अधिकारी का ध्यान आकृषित किया जाता है व धनराशि को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- हर्षवाड़ा

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-56 वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार एल०ई०डी० लाइट क़य की गई है। जिसके लिये कार्य योजना में द्वितीय सप्लीमेन्टरी में दिनांक 01.02.2019 को कार्य योजना स्वीकृत हुई है परन्तु कार्य योजना स्वीकृति से पूर्व ही 90,000-00 एल०ई०डी० लाइट दिनांक 31.01.2019 को हाइटेक इन्टरप्राइजेज क़य कर ली गई है। पुष्टि में प्रमाणक के साथ तीन कोटेशनद र व कार्यपूर्ति भी नहीं पाई गई जबकि नियमानुसार एल०ई०डी० लाइट क़य करते समय नेडा से क़य करने हेतु प्रयास करना चाहिए था।

बगैर विभागीय स्वीकृति/कार्य योजना स्वीकृति से पूर्व एल०ई०डी० लाइट क़य करना धन के गम्भीर अनियमितता में वर्गीकृत किया जाता है व विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है।

2- फरवरी 2019 में हाइटेक इन्टरप्राइजेज में एल०ई०डी० लाइट निम्न प्रकार क़य की गई है-

1. 06.02.2019	148500.00
2. 06.02.2019	99000.00
3. 06.02.2019	99000.00
4. 25.02.2019	49500.00
5. 25.02.2019	49500.00
6. 25.02.2019	49500.00
7. 25.02.2019	49500.00
8. 25.02.2019	<u>49500.00</u>

कुल योग - 544500.00

नियमानुसार उपरोक्त क़य की गई लाइट के लिए एक चैक काटा जाता/व विभागीय टेंडर नीति अपनाई जाती। पुष्टि में प्रमाणक के साथ तीन कोटेशनद र भी नहीं पाई गयी।

नियमानुसार एल.ई.डी. लाइट क़य करते समय लेडा के माध्यम से क़य करने हेतु प्रयास करना चाहिए था।

अतः उपरोक्त व्यय पर कोटेशन प्रक्रिया न होने/टेंडर प्रक्रिया न अपनाने/कार्य पूर्ति न उपलब्ध करा पाने के कारण धन को गम्भीर अनियमितता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- हकुमतपुर केशो

विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-57 वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक पासबुक/कैश बुक के अनुसार 2208726.00 रुपये का व्यय किया गया है जिसमें 2207753.00 के निर्माण कार्य में अन्य व्यय का भुगतान किया गया है शेष भुगतान बैंक कटौती के है। 2207753.00 की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराए गए। पंचायती राज के नियमावली-187 की धारा- 27 के तहत प्रमाणकों का ना मिलना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है व धनराशि को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

जपनद:- बिजनौर

मण्डल:- मुरादाबाद

ग्राम पंचायत:- गदमलपुर विकास खण्ड:- नजीबाबाद

वर्ष:- 2018-19

प्रस्तर संख्या-58 वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा दौरान 01.04.2018 से 30.09.2018 तक की कैश बुक/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा दौरान वर्तमान सचिव द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे कि लेखा परीक्षा में 829082.00 की धनराशि आहरण की पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही साथ कोई व्यय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया।

पंचायती राज नियमावली-187 की धारा - 27 के तहत व्यय प्रमाणक को लेखा परीक्षा दौरान छुपाया जाना धन के अपहरण की श्रेणी में आता है।

इस और उच्च अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है व धनराशि 829082.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप -4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम-मुरादाबाद

मण्डल का नाम - मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण -

1. ग्राम पंचायत-सोनकपुर वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-01 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3944123-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से दिनांक 1.4.18 से 30.6.18 तक के मध्य आहरित धनराशि 1228902-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव मौ० कौशर एवं प्रधान से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-1228902.00/-

2. ग्राम पंचायत -शैरुआ धर्मपुर वर्ष 2017-18 से 2018-19 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-02 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4227251-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से बैंक कटौती भी की गई तथा शेष धनराशि के निर्माण कार्य कराए गए परंतु 2017-18 वर्ष के कोई व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव नीरज एवं प्रधान पातीराम से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-4227251.00/-

3. ग्राम पंचायत-रसूलपुर हमीरपुर वर्ष 2018-19 वि०ख०-कुंदरकी, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-03 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2828413-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से दिनांक 1.4.18 से 30.9.18 तक के मध्य आहरित धनराशि 1168569-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु कोई एम०बी रजिस्ट्रर व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव जय लाल शर्मा एवं प्रधानसे मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-1168569.00/-

4. ग्राम पंचायत -जिगनिया वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-कुंदरकी, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-04 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5981701-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से दिनांक 1.4.18 से 30.6.18 तक के मध्य आहरित धनराशि 1493544-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव मौ० कौसर एवं प्रधानसे मय ब्याज की जानी अपेक्षित है। **कुलयोग-1493544.00/-**

5. ग्राम पंचायत - शेखपुर खास वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-कुंदरकी, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-05 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3446517-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से दिनांक 1.4.18 से 31.01.19 तक के मध्य आहरित धनराशि 2508185-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु कोई एम०बी रजिस्ट्रर व्यय प्रमाणक/निर्माण पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव जय लाल शर्मा एवं रजत पुष्कर एवं प्रधानसे मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-2508185.00/-

6. ग्राम पंचायत -अलीनगर वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-कुंदरकी, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-06 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3773444-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से दिनांक 1.4.18 से 30.9.18 तक के मध्य आहरित धनराशि 2349276-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु व्यय [प्रमाणक/निर्माण](#) पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज के अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव जय लाल शर्मा एवं प्रधानसे मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-2349276.00/-

7. ग्राम पंचायत -सोनकपुर देहात वर्ष 2017-18 से 18-19 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-07 वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 3387840-00 एवं 3939889-00 की धनराशि आहरित की गई जो कुल 7327729-00 हुई जिसमें से 3014-00 बैंक कटौती की गई तथा शेष धनराशि 7324715-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु दोनों वर्षों के कोई व्यय [प्रमाणक/निर्माण](#) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई।

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज के अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा 27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव नीरज एवं प्रधान नसीम अहमद से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

योग-7324715.00/-

8. ग्राम पंचायत -सलेमपुर बंगर वर्ष 2017-18 से 2018-19 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-8 वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1027765-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें बैंक कटौती 922-00 की गई तथा शेष धनराशि 1026843-00 के निर्माण कार्य कराए गए परंतु 2017-18 वर्ष के कोई व्यय [प्रमाणक/निर्माण](#) पत्रावली/कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज के अधिनियम एवं नियमावली -1947 की धारा -27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव नीरज एवं प्रधान सत्य प्रकाश से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-1026843.00/-

9. ग्राम पंचायत -शाहपुर मुस्तकम वर्ष 2017-18 से 2018-19 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-9 वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3387840-00 की धनराशि आहरित की गई जिसमें से बैंक कटौती की गई तथा शेष धनराशि के निर्माण कार्य कराए गए परंतु 2017-18 वर्ष के कोई व्यय [प्रमाणक/निर्माण](#) पत्रावली/एम0बी0 रजिस्टर/कार्यपूर्ति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण की अनुपलब्धता पंचायती राज के अधिनियम एवं नियमावली-1947 की धारा -27 के तहत धन के अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली संबंधित अवधि के सचिव रविराज एवं ओमप्रकाश एवं प्रधान नवी हसन से मय ब्याज की जानी अपेक्षित है।

योग-4587867-00/-

9. ग्राम पंचायत- राईभूड वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-10 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-85882200112579 से दिनांक 30.10.2019 को रु 151849.00 का नाली व सी.सी रोड का निर्माण के लिए सामग्री क्रय हेतु विश्नोई ट्रेडर्स को भुगतान तथा दिनांक 01.02.2019 को रु 64000.00 का उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान दर्शित है। इस प्रकार कुल धनराशि रु 215849.00 की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु 215849.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मालती एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-215849.00/-

10. ग्राम पंचायत- पाडला वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-11

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112698 से निम्नतिथियों में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	14.11.2018	193640.00	नाली व सी०सर० इन्टर लार्किंग कार्य के लिए सामग्री क्रय हेतु कमाल ट्रेडर्स को भुगतान
02	17.11.2018	54000.00	उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान
	योग	247640.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 247640.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कर्णवीर सिंह एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।
कुलयोग-247640.00/-

11. ग्राम पंचायत- पानूवाला वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-12

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112143 से निम्नतिथियों में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	01.02.2019	125984.00	प्रा० वि० पानूवाला में पेंटिंग व फर्ष टाइल्स कार्य हेतु सामग्री क्रय का भुगतान
02	01.02.2019	11200.00	उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान
03	10.02.2019	196238.00	खुशींद के घर से तालाब तक नाली व सी०सर० इन्टर लार्किंग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान
04	18.02.2019	53200.00	उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान
	योग	247640.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 386622.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नईम अहमद एवं सचिव श्री रविराज सिंह से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-386622.00/-

12. ग्राम पंचायत-मलपुरा लक्ष्मीपुरवर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-13

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200111330 सिंडिकेट बैंक ठाकुरद्वारा से कुल धनराशि रु०153600.00 को प्रधान श्रीमति आमना बेगम तथा प्रधान पति श्री असद हुसैन के बैंक खाता स्थानान्तरित कर अपहरण किया गया है। उक्त धनराशि से संबंधित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा अनुपलब्ध रहा। स्थानान्तरित की गई धनराशि की गई धनराशि का विवरण निम्न है-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	खाते में स्थानान्तरित
01	11.01.2019	86574134	5000.00	प्रधान श्रीमति आमना बेगम खाता सं० 85882200179500
02	16.02.2019	86575091	35000.00	प्रधान श्रीमति आमना बेगम के पति श्री असद हुसैन का खाता सं० 85882200025022
03	29.01.2019	86574135	39800.00	
04	12.02.2019	86574139	50800.00	
05	21.02.2019	86575094	23000.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 153600.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति आमना बेगम एवं सचिव श्री मनोज कुमार से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-153600.00/-

13. ग्राम पंचायत-फैजुल्ला गंज वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-14

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112457 सिंडिकेट बैंक ठाकुरद्वारा से कुल धनराशि रु0 294200.00 को प्रधान श्री राजीव कुमार के खाता सं0 8588220017758 में स्थानान्तरित कर अपहरण किया गया है। स्थानान्तरित की गई धनराशि का विवरण निम्न है-

क्र०सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
01	18.08.2018	15647246	57400.00
02	27.08.2018	15647249	10800.00
03	01.10.2018	111775124	37400.00
04	10.10.2018	111775124	16000.00
05	04.02.2011	111775143	50000.00
06	14.03.2019	111775151	22600.00
07	30.03.2019	111775152	100000.00
		योग	294200.00

पंचायतराज लेखा मैनुअल के आधार 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार ग्राम निधि खाते से प्रधान के खाते में धनराशि स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता तथा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण माना जाता है। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि रु0 294200.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार तथा सचिव श्री मनोज कुमार से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी चाहिए।
कुलयोग-294200.00/-

14. ग्राम पंचायत-अब्दुल्लापुर लेदावर्ष 2018-19 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-15

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112292 सिंडिकेट बैंक ठाकुरद्वारा से निम्नांकित आहरित कुल धनराशि रु0 402645.00 से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

क्र०सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	आहरित करने वाले का नाम
01	24.07.2018	88463739	77621.00	भावना कन्स्ट्रक्शन
02	31.07.2018	88463740	16163.00	कमल ब्रिक्स फिल्ड
03	13.02.2019	112726185	56642.00	नफीस अहमद
04	13.02.2019	112726180	78429.00	नफीस अहमद
05	13.02.2019	112726176	61867.00	नफीस अहमद
06	13.02.2019	112726172	53082.00	नफीस अहमद
07	13.02.2019	112726192	58841.00	नफीस अहमद
		योग	402645.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त होना अपहरण माना जाता है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमति शाहिन जहाँ तथा सचिव श्री जयलाल शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि रु0 402645.00 की वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

2. आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112292 सिंडिकेट बैंक ठाकुरद्वारा से निम्नांकित आहरित कुल धनराशि रु0 41615.00 को अपने पास अनियमितरूप से रोकड अवशेष रखा गया है।

क्र०सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि
01	01.08.2018	गतमाह का अवशेष	4615.00
02	06.08.2018	88463748	7000.00
03	30.08.2018	86573657	10000.00
04	30.08.2018	88463750	10000.00
05	31.08.2018	86573658	10000.00
		योग	41615.00

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तरक के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा राजकीय धन को आहरित कर अपने पास नहीं रखा जा सकता है। अतः उक्त अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन जहाँ तथा सचिव श्री जयलाल शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—444260.00 /—

15. ग्राम पंचायत— मुनीमपुरवर्ष 2018—19 विकास खण्ड—ठाकुरद्वारा, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—17 आलोच्य वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत निधि प्रथम खाता संख्या 85882200112500 से निम्नतिथियों में व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	मद
01	22.10.2018	188849.00	सीमेन्ट, रेत, बजरफुट, रोडा, सी०सी० टाइल्स हेतु कमाल ट्रेडर्स को भुगतान
02	22.10.2018	50000.00	श्री गिरिवर सिंह को मजदूरी भुगतान
03	22.10.2018	195026.00	सीमेन्ट, रेत, बजरफुट, रोडा, सी०सी० टाइल्स हेतु कमाल ट्रेडर्स को भुगतान
04	23.10.2018	44053.00	ईट रोडा कय हेतु कोहिनूर ब्रिक्स को भुगतान
05	17.11.2018	51200.00	श्री सुनील कुमार को मजदूरी भुगतान
	योग	529128.00	

पंचायतराज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं होते हैं तो समस्त व्यय की गई धनराशि को गबन मान ली जायेगी।

इस प्रकार उक्त धनराशि रु० 529128.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति उपमा देवी एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—529128.00.00 /—

16. ग्राम पंचायत—बिलारी देहात वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—18 दिनांक 02.05.2018 से 16.03.2019 के मध्य ग्राम निधि खाता संख्या 31589450765 से धनराशि रु० 1029135.00 आहरित धन का लेखा कैशबुक में न कर ग्राम प्रधान श्रीमति रिकी व सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा अपहरण किया गया जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—19 दिनांक 22.05.18 से 23.10.18 के मध्य निम्न विवरणानुसार ग्राम निधि खाता सं० 7525000100020354 से बिना प्रमाणक निर्मल भारत अभियान खाता से व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत की धनराशि रु० 1176500.00 का अपहरण श्रीमति रिकी ग्राम प्रधान व सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा किया गया दोशी ग्राम प्रधान व सचिव से वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

कुल योग—2205635.00

17. ग्राम पंचायत—सरथलवर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—20 दिनांक 04.04.2018 से 12.12.18 के मध्य ग्राम पंचायत ग्राम निधि खाता संख्या 31574048187 से निम्नांकित विवरणानुसार आहरित धन की प्रविष्टि कैश बुक में न कर धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मोहर सिंह व सचिव श्री चन्द्र प्रकाश से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—1483618.00 /—

18. ग्राम पंचायत—इमरतपुर वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—21 दिनांक 08.05.2018 से 13.11.2018 के मध्य निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत निधि खाता संख्या 31592501932 से आहरित धन का लेखा कैशबुक में न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजयपाल सिंह व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह द्वारा किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—633225.00 /—

19. ग्राम पंचायत—अकबरपुर खास वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—22 ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता संख्या 31589437052 से निम्न विवरणानुसार आहरित धनराशि रु० 9,47,500.00 की प्रविष्टि कैश बुक में कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अतर सिंह व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—23 वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत के निर्मल भारत अभियान के अर्न्तगत खाता सं० 7325000100020257 से आहरित धनराशि 34,61,651.00 में रु० 2,720.80 बैंक चार्ज + लाभार्थ के खाते से सीधे ट्रांसफर रु०

3,72,090. = 3,74,810.80 को घटाकर शेष रू0 30,86,840.40 का सामग्री कय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अतर सिंह व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—40,34,340.40 /—

20. ग्राम पंचायत—देवीपुरा नंगला वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—24 दिनांक 10.04.2018 से 07.03.19 के मध्य निम्न विवरणानुसार तिथियों में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता सं0 31589393432 से आहरित धनराशि रू0 3,62,300.00 का लेखा कैश बुक में न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमति नजमा बेगम व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—25 ग्राम पंचायत के निर्मल भारत अभियान खाता सं0 7325000100020239 से धनराशि रू0 1,97,800.00 का आहरण किया गया। व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किया गया। अपहरित धन की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति नजमा बेगम व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से की जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—5,60,100.00 /—

21. ग्राम पंचायत—ग्वार खेडा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—26 दिनांक 19.04.2018 से 27.02.19 के मध्य ग्राम निधि खाता सं0 86072200010479 से निम्न विवरणानुसार आहरित धन की प्रविष्टि कैशबुक में न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति संतोश कुमारी व सचिव श्री लखपत सिंह व श्री धनेन्द्र पाल सिंह द्वारा किया गया। जिसकी वसूली के साथ साथ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
19.04.18	290073128165	40,430.00
09.08.18	290073128139	11,724.00
29.08.18	290073128176	29,990.00
20.09.18	290073128178	1,00,000.00
04.01.19	290073128180	50,000.00
17.01.19	300073749463	50,000.00
27.02.19	290073129397	1,48,750.00
	योग	4,30,894.00

प्रस्तर—27 दिनांक 03.04.18 से 31.03.19 के मध्य ग्राम पंचायत के निर्मल भारत अभियान खाता सं0 7325000100019598 से कुल आहरित धनराशि 14,77,922.86 से बैंक चार्ज रू0 1722.80 घटाकर रू0 24,76,200.00 का दार्षिक व्यय का बिना प्रमाणक व कार्यपूर्ति के व्यय दर्शाकर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान संतोश कुमारी व सचिव लखपत सिंह से की जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बन्धित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—29,07,094.00 /—

22. ग्राम पंचायत—मिठनपुर महेश वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—28 दिनांक 17.05.2018 से 05.03.19 के मध्य ग्राम निधि खाता सं0 31589849077 से निम्न विवरणानुसार आहरित धन की प्रविष्टि कैशबुक में न कर ग्राम पंचायत के धन का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कमल सिंह व सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली के साथ साथ विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
17.05.18	103080	26,500.00
05.06.18	103083	10,250.00
11.06.18	103085	22,000.00
20.08.18	103094	33,006.00
20.08.18	103090	27,500.00
01.09.18	103099	34,500.00
10.09.18	103101	55,000.00
10.09.18	103103	55,000.00
13.09.18	103104	45,000.00
13.09.18	130102	45,000.00
06.10.18	103110	2,46,500.00

10.10.18	103112	35,000.00
17.1.19	535645	50,000.00
19.01.19	635641	50,000.00
16.02.19	535650	50,000.00
02.03.19	535657	50,000.00
05.03.19	535660	50,000.00
	योग	8,85,256.00

कुलयोग—8,85,256.00 /—

23. ग्राम पंचायत—रोण्डा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—29 वित्तीय वर्ष 2018—19 में ग्राम निधि vi के खाता सं0 85932210028981 से निम्नांकित विवरणानुसार अनाधिकृत रूप से धन का आहरण किया गया है—

क्र०	दिनांक	चैक नं०	धनराशि	प्राप्त कर्ता का नाम
1	11.05.2108	10850851	21000.00	अरकान
2	11.05.2108	10580852	21000.00	अरकान
3	23.05.2018	10850856	19500.00	अरकान
		योग	61500.00	

उपरोक्त तालिका के अनुसार लेखा परीक्षा में उक्त आहरित धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 61500. का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अरकान तथा सचिव से की जानी अपेक्षित है। उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सम्बंधित पक्षों से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—61500.00 /—

24. ग्राम पंचायत—धतुरामेघा नंगला वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—30 लेखा परीक्षा में रु० 7,40,000.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 7,40,000. का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति अर्चना तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—7,40,000.00 /—

25. ग्राम पंचायत—घौण्डा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—31 लेखा परीक्षा में रु० 8,27,136.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 8,27,136.00. का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—8,27,136.00 /—

26. ग्राम पंचायत—बिकनपुर वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—32 लेखा परीक्षा में रु० 8,74,000.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 8,74,000.00. का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति रामरति तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—8,74,000.00 /—

27. ग्राम पंचायत—सिरोहा बाजे वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—33

लेखा परीक्षा में रु० 11,99,500.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रु० 11,99,500.00 . का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जयपाल सिंह तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—11,99,500.00 /—

28. ग्राम पंचायत—रनियाठेर वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—34लेखा परीक्षा मे रू0 5,70,000.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रू0 5,70,000.00 . का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सत्यपाल सिंह तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—5,70,000.00 /—

30.ग्राम पंचायत—खरगपुर बाजे वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—मूढापाण्डे, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—35लेखा परीक्षा मे रू0 11,34,000.00 की धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इस प्रकार आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रू0 11,34,000.00 . का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर तथा सचिव श्री मोहन सिंह रावत द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसलिए ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के अनुसार उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—11,34,000.00 /—

31.ग्राम पंचायत— उदमावाला वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—भगतपुर टोंडा, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर—36

ग्राम पंचायत उदमवाला की लेखा परीक्षा में पत्रावलियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कराए गए कार्यों के व्यय प्रमाणक नहीं है। इस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायती राज लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के प्रस्तर—8 (क) में दर्शित है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि को की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। अप्राप्त व्यय प्रमाणक का विवरण निम्नानुसार है—

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	धनराशि	मद
01	01.07.18	नकद भुगतान	15,812.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
02	05.07.18	नकद भुगतान	52,781.00	टाइल्स कय
03	05.07.18	नकद भुगतान	21,990.00	सीमेंट कय
04	05.07.18	नकद भुगतान	22,065.00	ईट कय
05	05.07.18	नकद भुगतान	1,20,000.00	हैण्डपम्प रिबोर
06	07.07.18	नकद भुगतान	60,873.00	टाइल्स कय
07	02.08.18	नकद भुगतान	48,805.00	सीमेंट कय
08	20.8.18	नकद भुगतान	52,803.00	ईट कय
09	30.08.18	नकद भुगतान	21,750.00	लेबर
10	31.08.18	नकद भुगतान	95,083.00	सीमेंट कय
11	31.08.18	नकद भुगतान	29,999.00	विन्डो कय
12	22.11.18	544791	2,500.00	सफाई कार्य
13	26.11.18	544793	20,000.00	सफाई कार्य
14	26.11.18	544794	30,000.00	सफाई कार्य
15	02.02.19	नकद भुगतान	25,028.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
		योग	6,19,489.00	

लेखा परीक्षा की दृष्टि में उपरोक्त नकद व चेक भुगतान रू0 6,19,489.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नवी हुसैन व सचिव श्री हरि सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—37ग्राम पंचायत उदमवाला की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथियों में ग्राम निधि खाते से धन आहरित किया गया किन्तु इसकी एन्ट्री कैशबुक में न कर ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा धन का गवन कर लिया गया है। लेखा परीक्षा की दृष्टि से धनराशि 117825.00 की एन्ट्री कैशबुक में न करना गवन माना जाता है। अतः ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नवी हुसैन तथा सचिव श्री हरिसिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

योग—880992.00 /—

32. ग्राम पंचायत—तुमरिया कला वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—डिलारी, जनपद—मुरादाबाद।

प्रस्तर-38 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मेन रोड से शमीम के घर तक नाली मिट्टी एवं सी0सी0 टाईल्स कार्य रुपये 234412.00। शमीम के घर से तौफीक के घर तक नाली मिट्टी एवं सी0सी0 टाईल्स कार्य रुपये 235328.00। तौफीक के घर से देवी स्थान तक नाली मिट्टी एवं सी0सी0 टाईल्स कार्य रुपये 223083.00 का किया गया है। जिसका कुल भुगतान रुपये 692823.00 है। उक्त कार्य के सम्बंध में आपत्ति यह है कि एक ही कार्य जो मेन रोड से देवी स्थान तक है, को तीन भागों में तोड़ा गया है। इसका कारण यह है कि कार्य योजना की स्तरीय स्वीकृति से बचा जाये। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015- 03/2015 दिनांक 29.07.2015 के बिन्दु 4 के क,ख,ग, एवं घ और शासनादेश संख्या -3/2016/3038/33-01-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 व द्वारा प्रदत्त गाइड लाइन के अनुसार निर्देशित है कि रु0 2 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा रुपये 200001 से रुपये 500000.00 तक के कार्यों की स्वीकृति सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा रुपये 250001 से रुपये 500000.00 तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा एवं रुपये 500001.00 से अधिक के कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

इस प्रकार उक्त गाइड लाइन में उल्लिखित व्यवस्था का उल्लंघन करके कुल धन राशि- 692823.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मति हनीसा एवं सचिव श्री विकास कुमार त्यागी जिम्मेदार है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **कुलयोग-692823.00/-**

33. ग्राम पंचायत-धींगरपुर मूलावान वर्ष2018-19 विकास खण्ड-डिलारी, जनपद-मुरादाबाद।

प्रस्तर-39 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुसब्बीर के घर से हनीफ के घर तक नाली मिट्टी एवं सी0सी0 टाईल्स कार्य रुपये 156367.00। गफार हाजी के घर से मुसब्बीर के घर तक नाली मिट्टी एवं सी0सी0 टाईल्स कार्य रुपये 233715.00। जिसका कुल भुगतान रुपये 390082.00 है। उक्त कार्य के सम्बंध में आपत्ति यह है कि एक ही कार्य जो मुसब्बीर के घर से गफार हाजी के घर तक है। को तोड़ा गया है। इसका कारण यह है कि कार्य योजना की स्तरीय स्वीकृति से बचा जाये। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015- 03/2015 दिनांक 29.07.2015 के बिन्दु 4 के क,ख,ग, एवं घ और शासनादेश संख्या -3/2016/3038/33-01-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 व द्वारा प्रदत्त गाइड लाइन के अनुसार निर्देशित है कि रु0 2 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा रुपये 200001 से रुपये 500000.00 तक के कार्यों की स्वीकृति सहायक विकास अधिकारी (पं0) द्वारा रुपये 250001 से रुपये 500000.00 तक के कार्यों की स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा एवं रुपये 500001.00 से अधिक के कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

इस प्रकार उक्त गाइड लाइन में उल्लिखित व्यवस्था का उलंघन करके कुल धन राशि-390082.00 की अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मति खातून एवं सचिव श्री विकास कुमार त्यागी जिम्मेदार है, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-390082.00/-

34.ग्राम पंचायत- बेगमपुर विकास खण्ड- छजलैट वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-40 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष कैशबुक के अनुसार रु 2885736.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख- रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु 2885736.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई.डी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरिय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सांहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु 2885636.00 का गवन, प्रधान - अनीशा एवं सचिव ग्राम पंचायत - श्री विजय बहादुर शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। योग 2885736.00

35.ग्राम पंचायत कूकुरझुण्डी विकास खण्ड भगतपुर टांडा वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-41 ग्राम पंचायत कुकुरझुण्डी की लेखा परीक्षा में पत्रावलियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कराए गये कार्यों के न तो तकनीकी प्रशासनिक व वित्तीय अनुमति है और न व्यय प्रमाणक। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में दर्शित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ – साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सांहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। निम्न कार्यों के अप्राप्त व्यय प्रमाणक का विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
1	वाहिद के घर से चामुण्डा तक नाली, मिटटी और सी०सी० टाइल्स रोड निर्माण।	30.07.18	312581	45,600.00	मिटटी, लेबर भुगतान
		30.07.18	312585	30,300.00	"
		31.07.18	312580	1,62,196.00	सी०सी० टाइल्स
		31.07.18	312584	66,799.00	"
		02.08.18	312582	31,072.00	श्रेता बजरफुट
		02.08.18	312578	17,654.00	"
		06.08.18	312579	15,526.00	रोड़ी
		10.08.18	312583	51,568.00	ईट, रोड़ी
			योग-	4,20,715.00	

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
2	चामुण्डा से मेन रोड तक मिटटी नाली सी०सी० टाइल्स रोड निर्माण।	30.07.18	312593	45,200	मिटटी, लेबर भुगतान
		30.07.18	312589	22,200	"
		31.07.18	312588	38,869	टाइल्स
		31.07.18	312590	17,612	रेता
		31.07.18	312592	1,60,450	टाइल्स
		31.07.18	312586	27,753	रेता, बसरपुर
		06.08.18	312587	49,029	ईट, रोड़ी
		06.08.18	312591	15,379	रोड़ी
			योग-	3,76,492.00	

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
3	श्रतन के घर से नासिर के घर तक मिटटी नाली सी०सी० टाइल्स रोड निर्माण।	30.07.18	312577	53,200.00	मिटटी, लेबर भुगतान
		30.07.18	312573	32,000.00	"
		31.07.18	312572	31,653.00	टाइल्स
		31.07.18	312576	1,44,078.00	टाइल्स
		02.08.18	312574	15,650.00	रेता
		02.08.18	312570	39,162.00	रेता,
		06.08.18	312575	13,817.00	रोड़ी
		06.08.18	312571	52,730.00	ईट, रोड़ी
			योग-	3,82,290.00	

क्र० सं०	कार्य का नाम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	मद
4	पॉच हैण्ड पम्प रिबोर	05.10.18	312413	62,346.00	लेबर भुगतान
		05.10.18	312414	1,71,000.00	सामग्री
		08.10.18	नकद भुगतान	39,310.00	समग्री लेवर
		08.10.18	नकद भुगतान	39,310.00	" "
		28.01.19	312435	1,16,000.00	" "
		28.01.19	312434	46,092.00	" "
			योग-	4,74,058.00	

उपरोक्त व्ययों की पुष्टि व्यय प्रमाणक न होने के कारण लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त कुल धनराशि रु 16,53,555.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रजनीश कुमार तथा सचिव श्री हरिसिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **योग -1653555.00**

36.ग्राम पंचायत बिलावाला विकास खण्ड भगतपुर टांडा वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-42 वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बिलावाला की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में मजदूरी तथा मिटटी कार्य का व्यय एक साथ दिखाया गया है जो अनियमित है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउण्ट से ज्ञात हुआ कि कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान की गई मजदूरी मजदूरों के खातों में ट्रांसफर न करके अपितु प्रधान तथा फर्मों के खातों में ट्रांसफर की गयी है जो गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि मजदूरी हेतु विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि-प्रथम के खाते से आहरित धनराशि सापेक्ष मस्टररोल बनाया ही नहीं गया है। इस कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के भाग 8 (क) में दर्शित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

अप्राप्त मस्टर रोल का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
1.	02.07.18	5,000.00	आनन्द पाल
2.	03.07.18	12,250.00	कमल ट्रेडर्स 0037486084836
3.	04.07.18	45,200.00	दयावती (प्रधान)
4.	04.07.18	46,600.00	-तदैव-
5.	24.07.18	32,600.00	-तदैव-
6.	24.07.18	23,900.00	-तदैव-
7.	03.10.18	52,750.00	कैश बुक में नगद भुगतान
8.	15.02.19	42,750.00	-तदैव-
9.	15.02.19	50,000.00	कमल ट्रेडर्स
10.	02.03.19	18,250.00	कैश बुक में नगद भुगतान
11.	02.03.19	19,750.00	-तदैव-
12.	15.03.19	9,000.00	-तदैव-
	योग	3,58,050.00	

उपरोक्त मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टररोल न होने के कारण लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त कुल धनराशि रु 3,58,050.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती दयावती तथा सचिव श्री हरिसिंह से संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है। **(आ0स0-21)**

प्रस्तर संख्या-43 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्ययों की पुष्टि में ग्राम पंचायत में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। व्यय प्रमाणकों का न होना वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग 8 (क) में दर्शित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानी जायेगी। अप्राप्त बाउचरों का विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	दिनांक	चेक संख्या	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	मद
1.	03.07.18	488621	72,003.00	कमल ट्रेडर्स	टाइल्स
2.	03.07.18	488622	18,534.00	" "	ईट रोड़ी
3.	03.07.18	488617	12,215.00	" "	सीमेंट रेत
4.	03.07.18	488618	20,273.00	" "	ईट रोड़ी
5.	03.07.18	488626	1,56,114.00	" "	टाइल्स
6.	03.07.18	488623	1,54,839.00	" "	टाइल्स
7.	03.07.18	488624	7,141.00	" "	सीमेंट रेत
8.	03.07.18	488625	14,742.00	" "	रोड़ी कय
9.	19.07.18	488639	84,000.00	-	डस्टविन कय
10.	19.07.18	488633	60,321.00	" "	टाइल्स
11.	19.07.18	488636	22,370.00	" "	ईट रोड़ी
12.	19.07.18	488635	17,097.00	" "	सीमेंट रेत
13.	19.07.18	488632	24,532.00	" "	ईट रोड़ी
14.	19.07.18	488631	17,830.00	" "	सीमेंट रेत

15.	19.07.18	488637	1,04,076.00	" "	टाइल्स कार्य
16.	28.08.18	कैश बुक में व्यय पक्ष	71,224.00	नकद भुगतान	सीमेंट रेता बजरफुट व लोहा
17.	01.09.18	488645	75,000.00	—	ईट कय
18.	01.09.18	कैश बुक में व्यय पक्ष	32,943.00	नकद भुगतान	टाइल्स कय
19.	25.09.18	कैश बुक में व्यय पक्ष	34,833.00	नकद भुगतान	हैण्ड पम्प रिबोर
20.	19.11.18	488657	40,000.00	कमल ट्रेडर्स	हैण्ड पम्प रिबोर
21.	13.02.19	488666	49,786.00	" "	टाइल्स कय
22.	13.02.19	488667	36,872.00	" "	टाइल्स कय
23.	13.02.19	488668	1,43,497.00	" "	टाइल्स कय
24.	15.02.19	488670	15,362.00	" "	सीमेंट
25.	15.02.19	488671	53,103.00	" "	सीमेंट ईट रोड़ी रेता
26.	15.02.19	488672	1,03,863.00	कमल ट्रेडर्स	टाइल्स कय
27.	15.02.19	कैश बुक में व्यय पक्ष	92,715.00	नगद भुगतान	सीमेंट ईट बजरफुट रेता
28.	14.03.19	" " " "	32,116.00	" "	—तदैव—
		योग—	15,67,351.00		

उक्त व्ययों के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः दर्शित व्ययों की पुष्टि नहीं होती है। उक्त व्ययों में कमल ट्रेडर्स (0037486084836) को अधिकांश भुगतान किए गए हैं। कम संख्या-20 में हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान कमल ट्रेडर्स को ही किया गया है। कुछ भुगतान नकद किए गये हैं। लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत हो रहे हैं। लेखा परीक्षा की दृष्टि में उक्त रु 15,67,351.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहना अपहरण माना जाता है। अतः उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती दयावती तथा सचिव श्री हरिसिंह से ब्याज सहित उक्त धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आ0स0-22)

प्रस्तर संख्या-44 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बिलावाला वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खातों से विभिन्न तिथियों में धनराशि आहरित की गई किन्तु कैशबुक में धनराशि की इन्ट्री न करके धन का गवन कर लिया गया है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1.	16.03.19	817766	5,000.00
2.	19.03.19	817767	10,000.00
3.	22.03.19	817764	20,000.00
4.	22.03.19	817765	5,000.00
		योग—	40,000.00

लेखा परीक्षा की दृष्टि में रु 40,000.00 के सीधे गबन के जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती दयावती तथा सचिव श्री हरिसिंह हैं। ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उनसे की जानी अपेक्षित है।

योग— 19,65,401.00

37.ग्राम पंचायत सदरपुर मतलबपुर विकास खण्ड छजलैट वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-45 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दौरान वर्ष कैशबुक के अनुसार रु 4371653.00 विभिन्न नये कार्यों, परिसम्पत्तियों के रख-रखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु 4371653.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना स्टीमेट, वर्क आई.डी, वाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम.बी कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य का त्रिस्तरिय फोटो ग्राफ आदि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ० प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सांहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु 4371653.00 का गवन, प्रधान — श्री कृष्णावतार एवं सचिव ग्राम पंचायत — श्री विजय बहादुर शर्मा द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

योग— 4371653.00

38.ग्राम पंचायत महमूदपुर माफी विकास खण्ड छजलैट वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या-46 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नांकित धनराशि विभिन्न तिथियों में आहरित करके विकास कार्यों पर खर्च किया गया है लेकिन इनके वाउचर अप्राप्त रहे।

दिनांक	चेक सं०	धनराशि
16.10.18	969673	37040.00
18.10.18	969672	63287.00
20.10.18	969675	33359.00
20.10.18	969678	36957.00
20.10.18	969682	17841.00
20.10.18	969686	51245.00
20.10.18	969688	13340.00
20.10.18	969680	11640.00
20.10.18	969684	5360.00
23.10.18	969687	22180.00
23.10.18	969683	8928.00
23.10.18	969679	28866.00
23.10.18	969691	34628.00
23.10.18	969690	33416.00
23.10.18	969692	33484.00
25.10.18	969671	146131.00
29.10.18	969689	300.00
29.10.18	969685	300.00
29.10.18	969681	300.00
31.10.18	969693	37420.00
31.10.18	969694	133812.00

योग- 749834.00

उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ० प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवर्न मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सांहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्न का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु 749834.00 का गवर्न, प्रधान – श्री रियाजुद्दीन एवं सचिव श्री दिगम्बर राठी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **योग- 749834.00**

39. ग्राम पंचायत कासमपुर विकास खण्ड छजलैट वर्ष 2018-19

प्रस्तर संख्या 47 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24.11.2018 को चेक संख्या 6142199 द्वारा रु० 46398 का भुगतान श्रेष्ठ इंडिया मार्केटिंग को परिवार रजिस्टर नवीनीकरण के लिये भुगतान किया गया है लेकिन उक्त कार्य के सम्बन्ध में कोटेशन, कार्य देश वित्तीय स्वीकृत, वाउचर आदि अप्राप्त रहे उल्लेखनीय है कि पंचायत राजविभाग उ० प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो दर्शायी गयी धनराशि को गवर्न मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सांहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गवर्न का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा इस प्रकार उक्त धनराशि रु 46398.00 का गवर्न, प्रधान – श्री रईस अहमद एवं सचिव श्री दिगम्बर राठी द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग-46398.00/-

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर	वि०ख०-चमरौआ	मण्डल का नाम-मुरादाबाद
1-ग्राम पंचायत- ककरौआ		लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां		

प्रस्तर 1—ग्राम पंचायत ककरौआ की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्रामप0स0/ग्रा0प0अ0 एवं विकास कार्यालय से दिनांक 24/07/19, 22/08, 04/09, 31/10/19, 16/10/19, 14/11/19 23/11/19 व 5/12/19 को लिखित तथा मौखिक रूप से सम्पर्क किया गया ,परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 5545029.00 (पचपन लाख पैतालीस हजार उन्तीस रुपये मात्र) की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशिअपुष्टित रही। व्यय प्रमाण पत्र का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर
नाम—मुरादाबाद

वि0ख0—चमरौआ

मण्डल का

2—ग्राम पंचायत— मडैयान शादी

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 2— ग्राम पंचायत मडैयान शादी की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्रामप0स0/ग्रा0प0अ0 एवं विकास कार्यालय से दिनांक 24/07/19, 22/08, 04/09, 31/10/19, 16/10/19, 14/11/19 23/11/19 व 5/12/19 को लिखित तथा मौखिक रूप से सम्पर्क किया गया ,परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 2465703.00 (चौबीस लाख पैसठ हजार सात सौ तीन रुपये मात्र) की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशिअपुष्टित रही। व्यय प्रमाण पत्र का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि0ख0—चमरौआ

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

3—ग्राम पंचायत— लालू नगला

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 3— ग्राम पंचायत लालू नगला की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्रामप0स0/ग्रा0प0अ0 एवं विकास कार्यालय से दिनांक 24/07/19, 22/08, 04/09, 31/10/19, 16/10/19, 14/11/19 23/11/19 व 5/12/19 को लिखित तथा मौखिक रूप से सम्पर्क किया गया ,परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 5142967.00 (इक्यावन लाख ब्यालीस हजार नौ सौ सात रुपये मात्र) की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशि अपुष्टित रही। व्यय प्रमाण पत्र का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि0ख0—चमरौआ

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

4—ग्राम पंचायत— कोयला

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 4— ग्राम पंचायत कोयला की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्रामप0स0/ग्रा0प0अ0 एवं विकास कार्यालय से दिनांक 24/07/19, 22/08, 04/09, 31/10/19,

16/10/19, 14/11/19 23/11/19 व 5/12/19 को लिखित तथा मौखिक रूप से सम्पर्क किया गया ,परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 5470835.00 (चौवन लाख सत्तर हजार आठ सौ पैंतीस रुपये मात्र) की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशि अपुष्टित रही। व्यय प्रमाण पत्र का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—चमरौआ मण्डल का नाम—मुरादाबाद
5—ग्राम पंचायत— चिकटी रामनगर लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 5— ग्राम पंचायत चिकटी रामनगर की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए ग्रामप0स0/ग्रा0प0अ0 एवं विकास कार्यालय से दिनांक 24/07/19, 22/08, 04/09, 31/10/19, 16/10/19, 14/11/19 23/11/19 व 5/12/19 को लिखित तथा मौखिक रूप से सम्पर्क किया गया ,परन्तु लेखा परीक्षण की दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा रू0 3462172.00 (चौतीस लाख बासठ हजार एक सौ बेहत्तर रुपये मात्र) की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उक्त धनराशि अपुष्टित रही। व्यय प्रमाण पत्र का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 07 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम सचिव/ग्राम विकास अधिकारी से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—स्वार मण्डल का नाम—मुरादाबाद
6—ग्राम पंचायत— सोनकपुर लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 6—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009257 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू0 10000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
21.06.2018	243	10000.00	समोदिया ब्रिक बर्कस
	योग—	10000.00	

प्रस्तर 7—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009257 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू0 257381.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण

11.07.2018	255	20000.00	अली ट्रेडर्स
31.10.2018	336	25000.00	अली ट्रेडर्स
01.11.2018	331	75009.00	अली ट्रेडर्स
01.11.2018	332	94872.00	अली ट्रेडर्स
01.11.2018	333	42500.00	अली ट्रेडर्स

योग— 257381.00

प्रस्तर 8—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009257 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1100843.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	163	10000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
22.11.2018	338	52000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
05.12.2018	286	111688.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
05.12.2018	286	106266.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
05.12.2018	288	65963.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	294	27866.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	293	56313.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	339	14993.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	292	15915.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	296	21989.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	298	22215.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.12.2018	300	20650.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.12.2018	291	30000.00	जेड० ए० कन्सट्रैक्सन
04.12.2018	290	10300.00	जेड० ए० कन्सट्रैक्सन
05.12.2018	287	50640.00	गुप्ता एण्ड कम्पनी
16.02.2019	278	146001.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
16.02.2019	279	140544.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
14.03.2019	280	80000.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
25.03.2019	285	39600.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
28.03.2019	346	31600.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
28.03.2019	349	36300.00	अब्दुल्ला इण्टरप्राइजेज
योग		1100843.00	

प्रस्तर 9—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती अरबाईना द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009257 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 40000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं० धनराशि	विवरण	
01.11.2018	335	17500.00	श्रीमती अरबाईना
31.03.2019	274	17500.00	श्रीमती अरबाईना
25.03.2019	284	5000.00	नकद/स्वयं

प्रस्तर 10—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य व्यक्तियों के नामों से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009257 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 320000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं० धनराशि	विवरण	
05.04.2018	164	2500.00	श्री नवनीत
14.06.2018	246	5000.00	श्री इरशाद हुसैन
18.06.2018	244	5000.00	श्री इरशाद हुसैन
19.06.2018	245	5000.00	श्री इरशाद हुसैन
12.07.2018	254	5000.00	श्री इरशाद हुसैन
29.06.2018	248	5000.00	श्री रिजवान अली
06.08.2018	242	7000.00	श्री रिजवान अली
10.08.2018	232	5000.00	श्री रिजवान अली
13.08.2018	231	5000.00	श्री रिजवान अली
12.02.2019	276	5000.00	श्री रिजवान अली
18.02.2019	275	5000.00	श्री रिजवान अली
29.06.2018	247	30000.00	श्री मौ० फरहान कॉन्ट्रेक्टर
12.07.2018	250	95000.00	श्री मौ० फरहान कॉन्ट्रेक्टर
16.07.2018	253	60000.00	श्री मौ० फरहान कॉन्ट्रेक्टर
16.07.2018	252	65500.00	श्री मौ० फरहान कॉन्ट्रेक्टर
04.07.2018	249	5000.00	श्री सर्वेश कुमार
30.07.2018	165	5000.00	श्री मौ० जुबैर
18.08.2018	233	5000.00	श्री राहुल
योग		320000.00	

प्रस्तर 11—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 15710100009257 से रु० 289273.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (289273.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप- 4

जनपद का नाम— रामपुर
7—ग्राम पंचायत— मिलक दुन्दी
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

वि०ख०—स्वार

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

प्रस्तर 12—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009277 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु०94709.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
16.02.2019	83	94709.00	बिस्मिल्ला ब्रिक बर्कस
	योग—	94709.00	

प्रस्तर 13—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009297 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 195000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
23.05.2018	94	50000.00	अली ट्रेडर्स
23.05.2018	96	100000.00	अली ट्रेडर्स
13.02.2019	86	45000.00	गुरफान सीमेन्ट स्टोर
	योग—	195000.00	

प्रस्तर 14—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009297 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 537171.00.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
19.05.2018	95	60000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
25.10.2018	102	36000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
25.10.2018	103	15000.00	जेड0 ए0 कन्सट्रैटसन
04.08.2018	100	90000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.08.2018	99	35000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.08.2018	97	161171.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
02.02.2019	81	60000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
02.02.2019	82	10000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
13.02.2019	87	20000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
01.03.2019	88	50000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
	योग	537171.00	

प्रस्तर 15—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री साजिद खां द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं 15710100009297 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी

प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 206377.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
22.05.2018	93	47000.00	श्री साजिद खां
22.05.2018	91	55000.00	श्री साजिद खां
22.05.2018	92	47000.00	श्री साजिद खां
30.08.2018	98	57377.00	श्री साजिद खां
योग—		206377.00	

प्रस्तर 16—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री जाकिर हुसैन के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009297 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 500000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
13.02.2019	85	50000.00	श्री जाकिर हुसैन
योग		50000.00	

प्रस्तर 16 अ—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 15710100009297 से रु0 289273.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 172890.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—स्वार मण्डल का नाम—मुरादाबाद
8—ग्राम पंचायत— अलीनगर उत्तरी लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 17—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009321 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 30000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण

21.01.2019	333	30000.00	बिस्मिल्ला ब्रिक बर्कस
	योग—	30000.00	

प्रस्तर 18—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009321 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु०85000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.04.2018	502622	70000.00	अली ट्रेडर्स
31.03.2019	15000.00	15000.00	अली ट्रेडर्स
	योग—	85000.00	

प्रस्तर 19—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 15710100009321 से अलग—अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 878156.00.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
02.05.2018	284	137814.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
17.05.2018	285	15000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
01.06.2018	243	80000.00	जेड0 ए0 कन्सट्रैटसन
01.06.2018	244	2000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
14.06.2018	248	6200.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
18.08.2018	288	25000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
12.11.2018	227	1000.00	जेड0ए0 कन्सट्रैटसन
18.08.2018	254	56890.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
18.08.2018	287	91345.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
18.08.2018	255	49880.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.10.2018	261	6000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
26.10.2018	297	2000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.12.2018	264	60000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
04.12.2018	265	10000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
24.12.2018	268	50000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
24.12.2018	269	10000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
08.02.2019	228	10000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
08.02.2019	344	41000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
08.02.2019	345	20000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
18.02.2018	232	90000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
20.02.2018	233	15000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
योग		878156.00	

प्रस्तर 20—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री जलीस अहमद द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं 15710100009321 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 58000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.05.2018	282	5000.00	श्री साजिद खां
11.05.2018	283	5000.00	श्री साजिद खां
30.06.2018	241	5000.00	श्री साजिद खां
18.05.2018	249	5000.00	श्री साजिद खां
26.10.2018	296	5000.00	श्री साजिद खां
14.02.2019	229	5000.00	श्री साजिद खां
25.02.2019	236	12000.00	श्री साजिद खां
28.02.2019	237	7000.00	श्री साजिद खां

योग— 58000.00

प्रस्तर 21—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री जाकिर हुसैन के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 15710100009297 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0186200.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
26.04.2018	271	5000.00	
01.05.2018	274	50000.00	श्री राजू
15.02.2019	230	5000.00	श्री गोपाल
02.05.2018	272	5000.00	श्री गोपाल
02.05.2018	275	5000.00	श्री फरद
03.05.2018	278	5000.00	श्री सलमान
03.05.2018	280	5000.00	श्री अतीक
05.05.2018	273	5000.00	श्री जाकिर
07.05.2018	277	5000.00	श्री आदिल खां
08.05.2018	279	5000.00	श्री महबूब
10.05.2018	281	5000.00	श्री सुभान
24.10.2018	292	5000.00	री इद्रीश
25.10.2018	293	5000.00	श्री इद्रीश
22.05.2018	276	5000.00	श्री इरफान
24.07.2018	250	5000.00	श्री इरफान
02.08.2018	253	3000.00	श्री ष्णानू

30.08.2018	289	5000.00	श्री भानू
30.10.2018	295	5000.00	श्री भानू
04.06.2018	242	1500.00	श्री भानू
02.02.2019	342	5000.00	श्री भानू
04.02.2019	339	5000.00	श्री भानू
05.02.2019	340	5000.00	श्री भानू
06.02.2019	341	5000.00	श्री भानू
12.11.2018	298	5000.00	श्री सुहैल
04.10.2018	259	2000.00	श्री सुहैल मियां
07.07.2018	251	2000.00	श्री लियाकत
08.08.2018	252	1500.00	श्री फईम
10.10.2018	215	1500.00	श्री फईम
28.01.2019	331	2000.00	श्री फईम
12.09.2018	257	2200.00	श्री परवेज
04.10.2018	260	3000.00	श्री इल्याश मियां
23.10.2018	291	5000.00	श्री राहुल
29.10.2018	294	5000.00	श्री मौ0 अनस
01.11.2018	290	3000.00	श्री असरफ खां
13.11.2018	226	5000.00	श्री तौसिफ
14.11.2018	300	5000.00	श्री दानिश
28.01.2019	337	2000.00	श्री दानिश
31.01.2019	338	5000.00	श्री दानिश
15.11.2018	299	5000.00	श्री किसान सिंह
04.12.2018	263	5000.00	श्री नवनीत
24.12.2018	262	1500.00	श्री नवनीत
05.12.2018	266	5000.00	श्री तौकिर अहमद
13.12.2018	267	2000.00	श्री अमीर अहमद
04.01.2019	332	5000.00	श्री राज सिंह
21.01.2019	334	5000.00	श्री केशव
योग—		186200.00	

प्रस्तर 22—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 15710100009321 से रू0 230258.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू0 230258.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—स्वार मण्डल का नाम—मुरादाबाद
 9—ग्राम पंचायत— सिरकापट्टी कुण्डेसरी लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19
 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 23—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013824 से भुगतान बार-बार ट्रान्सफर किया गया है। जो ट्रान्सफर किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर

प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 297972.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
07.04.2018	154	59300.00	ट्रांसफर अज्ञात
07.04.2018	157	45880.00	ट्रांसफर अज्ञात
29.06.2018	137	24492.00	ट्रांसफर अज्ञात
29.06.2018	161	48425.00	ट्रांसफर अज्ञात
29.06.2018	139	31550.00	ट्रांसफर अज्ञात
01.08.2018	145	40750.00	ट्रांसफर अज्ञात
01.08.2018	142	24200.00	ट्रांसफर अज्ञात
30.03.2018	202	23375.00	ट्रांसफर अज्ञात
योग—		297972.00	

प्रस्तर 24—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013824 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1108040.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
28.06.2018	160	159425.00	गहलोत ट्रेडर्स
28.06.2018	140	24040.00	गहलोत ट्रेडर्स
28.06.2018	164	76150.00	गहलोत ट्रेडर्स
01.08.2018	149	38725.00	गहलोत ट्रेडर्स
31.07.2018	144	75590.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
31.07.2018	148	125030.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
31.07.2018	146	127960.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	179	82900.00	राम सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	180	20000.00	राम सीमेन्ट स्टोर
28.03.2019	198	177520.00	राम सीमेन्ट स्टोर
28.03.2019	200	177700.00	राम सीमेन्ट स्टोर
28.03.2019	203	20000.00	राम सीमेन्ट स्टोर
योग—		1108040.00	

प्रस्तर 25—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013824 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 158345.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
18.01.2019	175	15000.00	एस0डी0 इण्टरप्राइजेज
02.07.2018	138	81345.00	सैनी पाईप स्टोर
19.12.2018	168	50000.00	सैनी पाईप स्टोर
28.01.2019	171	18000.00	सैनी पाईप स्टोर

28.01.2019	177	9000.00	सैनी पाईप स्टोर
योग	158345.00		

प्रस्तर 26—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री नृपाल सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं 830100013824 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 52500.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
29.08.2018	166	31500.00	श्री नृपाल सिंह
11.01.2019	174	21000.00	श्री नृपाल सिंह
योग		52500.00	

प्रस्तर 27—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य व्यक्तियों के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 830100013824 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर), कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु—185401.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
04.04.2018	155	9618.00	श्री नईम
04.04.2018	156	47325.00	श्री नईम
16.05.2018	159	15000.00	श्री सत्यवीर सिंह
29.06.2018	162	15810.00	श्री सत्यवीर सिंह
29.06.2018	141	10535.00	श्री सत्यवीर सिंह
02.08.2018	143	13935.00	श्री सत्यवीर सिंह
29.08.2018	167	15000.00	श्री सत्यवीर सिंह
06.02.2019	176	5000.00	श्री सत्यवीर सिंह
02.08.2018	150	9575.00	श्री देवेन्द्र सिंह
02.08.2018	147	9575.00	श्री देवेन्द्र सिंह
29.06.2018	165	8925.00	श्री देवेन्द्र सिंह
29.06.2018	163	7445.00	श्री देवेन्द्र सिंह
09.10.2018	107	2100.00	श्री फईम खां
19.12.2018	169	2600.00	श्री बादरी प्रसाद
05.01.2019	172	6000.00	श्री प्रथी सिंह
18.03.2019	197	7000.00	श्री प्रथी सिंह
योग—		185401.00	

प्रस्तर 28—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 830100013824 से रु0 36582.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 36582.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 29— दिनांक 27.02.2018 को ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं० 830100013824 से चैक सं० 178 के द्वारा क्रमशः रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है। तथा ग्राम पंचायत के वत्ति एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 2000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

10—ग्राम पंचायत— रायपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 30—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009438 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1759234.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.04.2018	261	95186.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
05.04.2018	265	128916.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
17.04.2018	288	88341.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
17.04.2018	292	69454.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
27.06.2018	281	32501.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
16.07.2018	270	72198.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
13.08.2018	305	49036.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
13.09.2018	310	49759.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
29.09.2018	349	56124.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
29.09.2018	353	78442.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
25.10.2018	328	62542.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
25.10.2018	323	23054.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
07.12.2018	337	70352.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
12.02.2019	363	28208.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
12.02.2019	369	14779.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
19.02.2019	377	72320.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
19.02.2019	374	26056.00	ख्वाजा ब्रिक वर्क्स
17.04.2018	287	9736.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
17.04.2018	291	23512.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर

07.06.2018	275	25000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.06.2018	274	30000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.06.2018	276	2000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
22.06.2018	280	65541.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
09.07.2018	303	53997.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
10.08.2018	308	18090.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
31.08.2018	311	55086.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	348	5864.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	352	10625.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
22.10.2018	324	6267.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
22.10.2018	327	18054.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	315	80000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	331	80000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
11.01.2019	345	50000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.02.2019	362	9809.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	373	102686.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	376	20276.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.03.2019	383	5000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	386	4183.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
28.06.2018	285	24433.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
13.09.2018	313	7186.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
03.10.2018	357	9230.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
03.12.2018	329	7391.00	भारत सीमेन्ट स्टोर
योग		1759234.00	

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610100009438 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 347727.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
17.04.2018	296	12223.00	बाबू इण्टरप्राइजेज
12.10.2018	321	14326.00	बाबू इण्टरप्राइजेज
12.10.2018	319	14326.00	बाबू इण्टरप्राइजेज
12.10.2018	317	14326.00	बाबू इण्टरप्राइजेज
06.06.2018	277	30000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
03.07.2018	302	30000.00	ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज
16.10.2018	322	86090.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्री कल्चर स्टोर
06.02.2019	372	98964.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्री कल्चर स्टोर
18.03.2019	380	15971.00	नरेश हार्डवेयर स्टोर
18.03.2019	381	11996.00	नरेश हार्डवेयर स्टोर
18.03.2019	382	5039.00	नरेश हार्डवेयर स्टोर
25.03.2019	384	6000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
14.02.2019	366	8466.00	भटनागर टाईल्स एण्ड सनैट्री स्टोर
योग-		347727	

प्रस्तर-32-ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ऊशा रानी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610100009438 से भुगतान किया गया

है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 902859.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.04.2018	294	28320.00	श्रीमती ऊषा रानी
06.06.2018	272	10000.00	श्रीमती ऊषा रानी
06.06.2018	273	10000.00	श्रीमती ऊषा रानी
06.06.2018	271	20000.00	श्रीमती ऊषा रानी
22.06.2018	279	45800.00	श्रीमती ऊषा रानी
04.07.2018	301	14000.00	श्रीमती ऊषा रानी
09.07.2018	269	63225.00	श्रीमती ऊषा रानी
13.08.2018	307	16200.00	श्रीमती ऊषा रानी
31.08.2018	312	40625.00	श्रीमती ऊषा रानी
27.09.2018	355	27825.00	श्रीमती ऊषा रानी
27.09.2018	351	19820.00	श्रीमती ऊषा रानी
03.10.2018	358	4387.00	श्रीमती ऊषा रानी
20.10.2018	325	60225.00	श्रीमती ऊषा रानी
20.10.2018	330	31175.00	श्रीमती ऊषा रानी
24.10.2018	332	30000.00	श्रीमती ऊषा रानी
04.12.2018	336	28500.00	श्रीमती ऊषा रानी
16.01.2019	343	16275.00	श्रीमती ऊषा रानी
08.02.2019	371	99325.00	श्रीमती ऊषा रानी
08.02.2019	365	10125.00	श्रीमती ऊषा रानी
16.02.2019	375	53800.00	श्रीमती ऊषा रानी
16.02.2019	379	31875.00	श्रीमती ऊषा रानी
17.04.2018	289	9800.00	श्री महावीर
17.04.2018	293	7700.00	श्री महावीर
22.06.2018	282	4200.00	श्री महावीर
09.07.2018	268	36238.00	श्री महावीर
13.08.2018	306	3150.00	श्री महावीर
03.10.2018	354	7700.00	श्री महावीर
03.10.2018	350	5950.00	श्री महावीर
20.10.2018	26	3288.00	श्री महावीर
04.12.2018	335	13300.00	श्री महावीर
16.01.2019	344	13650.00	श्री महावीर
08.02.2019	364	2800.00	श्री महावीर
08.02.2019	370	31850.00	श्री महावीर
16.02.2019	378	9100.00	श्री महावीर
18.09.2018	347	2500.00	श्री अंकित गुप्ता
07.12.2018	338	4500.00	श्री अंकित गुप्ता
19.09.2018	346	2500.00	श्री अंकित गुप्ता
27.09.2018	356	3000.00	श्री इमरान हुसैन
08.01.2019	340	5000.00	श्री इमरान हुसैन

10.01.2019	341	5000.00	श्री इमरान हुसैन
11.10.2018	320	23367.00	श्री जाकिर
11.10.2018	318	23367.00	श्री जाकिर
11.10.2018	316	23367.00	श्री जाकिर
योग—		902859.00	

प्रस्तर 33—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ऊशा रानी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 169827.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
11—ग्राम पंचायत— रवाना लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 34—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 08610100009358 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 2418112.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
11.04.2018	310	80651.00	अमन ईट ओग
05.05.2018	347	10004.00	अमन ईट ओग
05.06.2018	351	25042.00	अमन ईट ओग
14.01.2019	393	101083.00	अमन ईट ओग
23.01.2019	399	33100.00	अमन ईट ओग
23.01.2019	403	99981.00	अमन ईट ओग
28.01.2019	345	13488.00	अमन ईट ओग
28.01.2019	469	23930.00	अमन ईट ओग
17.04.2018	309	12961.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
08.05.2018	346	2979.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
17.07.2018	364	35580.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
20.09.2018	371	41310.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
20.09.2018	375	5880.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
26.10.2018	316	20000.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
15.01.2018	385	106984.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
15.01.2018	326	94939.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
05.12.2018	390	131181.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
12.12.2018	421	139233.00	यादव सीमेन्ट स्टोर

15.12.2018	433	71875.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
15.12.2018	332	94933.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
25.01.2019	344	68103.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
25.01.2019	468	150071.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	451	155923.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	455	153503.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	460	152957.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	462	5962.00	यादव सीमेन्ट स्टोर
28.05.2018	352	20000.00	सरताज सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
20.09.2018	369	7102.00	सरताज सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
18.07.2018	363	7389.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
20.09.2018	370	24132.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
20.09.2018	368	33468.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
26.10.2018	317	76346.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
20.11.2018	330	20582.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
20.11.2018	327	13003.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
10.12.2018	387	24068.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
13.12.2018	426	22547.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
13.12.2018	422	19807.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
17.12.2018	431	63326.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
17.12.2018	333	19155.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
17.12.2018	434	12303.00	एम0एच0 ब्रिक बर्कस
06.11.2018	324	50000.00	एस0ए0ट्रेडर्स
06.11.2018	323	50000.00	एस0ए0ट्रेडर्स
12.12.2018	432	28197.00	एस0ए0ट्रेडर्स
08.01.2019	394	44627.00	एस0ए0ट्रेडर्स
08.01.2019	392	45377.00	एस0ए0ट्रेडर्स
23.01.2019	398	32104.00	एस0ए0ट्रेडर्स

योग

2418112.00

प्रस्तर 35—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009358 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 249116.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि

विवरण

11.04.2018	313	12000.00	वलीयाद बैलडिंग बर्कस
11.10.2018	372	9290.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
31.10.2018	318	8400.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
20.12.2018	427	5950.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
20.12.2018	423	5600.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
05.01.2019	338	56350.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
30.01.2019	470	5250.00	नॉन कस्टुमर इण्टर ब्रान्च
12.12.2018	425	146276.00	ए0आई0 इण्टरप्राईजेज
योग		249116.00	

प्रस्तर 36—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती सायदा द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 0861010000358 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1061025.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	307	29195.00 श्रीमती सायदा
04.04.2018	303	21404.00 श्रीमती सायदा
11.04.2018	312	22300.00 श्रीमती सायदा
04.05.2018	349	4075.00 श्रीमती सायदा
21.06.2018	355	5000.00 श्रीमती सायदा
30.06.2018	356	5000.00 श्रीमती सायदा
13.07.2018	360	31500.00 श्रीमती सायदा
16.07.2018	361	13825.00 श्रीमती सायदा
20.09.2018	377	8500.00 श्रीमती सायदा
20.09.2018	374	36650.00 श्रीमती सायदा
26.10.2018	319	31700.00 श्रीमती सायदा
16.11.2018	329	39625.00 श्रीमती सायदा
16.11.2018	384	43675.00 श्रीमती सायदा
16.11.2018	322	5000.00 श्रीमती सायदा
16.11.2018	321	20000.00 श्रीमती सायदा
05.12.2018	389	52700.00 श्रीमती सायदा
12.12.2018	424	50675.00 श्रीमती सायदा
12.12.2018	428	60050.00 श्रीमती सायदा
12.12.2018	429	25050.00 श्रीमती सायदा
15.12.2018	331	29150.00 श्रीमती सायदा
15.12.2018	335	39275.00 श्रीमती सायदा
24.12.2018	337	27825.00 श्रीमती सायदा
10.01.2019	391	25525.00 श्रीमती सायदा
10.01.2019	396	25000.00 श्रीमती सायदा
23.01.2019	400	14925.00 श्रीमती सायदा
25.01.2019	467	27475.00 श्रीमती सायदा
25.01.2019	471	62300.00 श्रीमती सायदा
27.03.2019	454	66700.00 श्रीमती सायदा
27.03.2019	457	64650.00 श्रीमती सायदा
27.03.2019	459	63350.00 श्रीमती सायदा
27.03.2019	464	8275.00 श्रीमती सायदा
29.03.2019	478	5000.00 श्रीमती सायदा
04.04.2018	298	9450.00 श्री अहमद नवी
04.04.2018	306	2800.00 श्री अहमद नवी
04.04.2018	302	8050.00 श्री अहमद नवी
20.09.2018	376	2450.00 श्री अहमद नवी
16.11.2018	383	4200.00 श्री अहमद नवी

16.11.2018	386	3850.00	श्री अहमद नवी
15.12.2018	334	3500.00	श्री अहमद नवी
17.12.2018	435	2800.00	श्री अहमद नवी
11.04.2018	314	5000.00	श्री अहमद नवी
03.01.2019	343	4000.00	श्री अहमद नवी
16.04.2018	315	5000.00	श्री अहमद नवी
18.04.2018	311	8050.00	श्री जीशान खां
16.07.2018	362	1400.00	श्री जीशान खां
29.03.2019	475	2100.00	श्री जीशान खां
19.04.2018	295	2500.00	श्री अखिलेश रस्तोगी
28.09.2018	379	2500.00	श्री अखिलेश रस्तोगी
27.11.2018	325	2500.00	श्री अखिलेश रस्तोगी
11.02.2019	404	2500.00	श्री अखिलेश रस्तोगी
10.07.2018	350	3000.00	श्री अंकित गुप्ता
18.09.2018	365	5000.00	श्री अंकित गुप्ता
06.10.2018	382	2500.00	श्री अंकित गुप्ता
07.02.2018	402	2500.00	श्री अंकित गुप्ता
10.01.2019	341	5000.00	श्री अनिल कुमार
10.01.2019	342	5000.00	श्री अनिल कुमार
योग		1061025.00	

प्रस्तर 37—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय संबंधि बैंक खाता सं० 08610100009358 से रु० 137995.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बावत व किसे—किसे किये गये व्यय संबंधि प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 137995.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
12—ग्राम पंचायत— पट्टी फजीलाबाद लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610200000321 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 898940.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	210	50348.00	ताज ईट डोग
03.11.2018	246	60000.00	ताज ईट डोग
10.04.2018	216	26486.00	एस० ए० ट्रेडर्स
10.04.2018	217	21577.00	शमा ब्रिक बर्कस
22.06.2018	227	35000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर

22.06.2018	228	15000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.07.2018	233	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
21.08.2018	237	31671.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
06.10.2018	244	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
24.10.2018	176	45500.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	249	77639.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	253	58307.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
17.12.2018	260	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.01.2019	268	30000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.01.2019	269	30000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
05.03.2019	273	28596.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	281	60000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
11.03.2019	277	21156.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
15.03.2019	288	89089.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
15.03.2019	293	62333.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
15.03.2019	283	5000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
27.06.2018	226	30000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
29.08.2018	23	10970.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
19.02.2019	271	35000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
11.03.2019	274	15268.00	गुल ब्रिक बर्कस
योग		898940.00	

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610200000321 अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 216372.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
07.06.2018	220	21972.00 ए०आई० इण्टरप्राइजेज
07.06.2018	224	50000.00 ए०आई० इण्टरप्राइजेज
15.11.2018	257	45000.00 ए०आई० इण्टरप्राइजेज
15.03.2019	292	60000.00 ए०आई० इण्टरप्राइजेज
25.03.2019	284	3000.00 भगवति इण्टरप्राइजेज
03.07.2018	232	36400.00 श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्री० स्टोर
योग		216372.00

प्रस्तर 40—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री नेकपाल सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610200000321 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 584577.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण

22.05.2018	219	5000.00	श्री नेकपाल सिंह
10.04.2018	218	15000.00	श्री नेकपाल सिंह
08.06.2018	222	11433.00	श्री नेकपाल सिंह
22.06.2018	225	40000.00	श्री नेकपाल सिंह
22.06.2018	229	8000.00	श्री नेकपाल सिंह
03.07.2018	230	14000.00	श्री नेकपाल सिंह
20.08.2018	235	6022.00	श्री नेकपाल सिंह
24.09.2018	239	2500.00	श्री नेकपाल सिंह
06.10.2018	245	20000.00	श्री नेकपाल सिंह
06.10.2018	243	10500.00	श्री नेकपाल सिंह
08.10.2018	214	62000.00	श्री नेकपाल सिंह
12.10.2018	248	25000.00	श्री नेकपाल सिंह
24.10.2018	168	25000.00	श्री नेकपाल सिंह
26.10.2018	247	20000.00	श्री नेकपाल सिंह
14.11.2018	252	33550.00	श्री नेकपाल सिंह
14.11.2018	254	37075.00	श्री नेकपाल सिंह
28.11.2018	259	2000.00	श्री नेकपाल सिंह
28.11.2018	258	5000.00	श्री नेकपाल सिंह
02.01.2019	265	7000.00	श्री नेकपाल सिंह
03.01.2019	264	14000.00	श्री नेकपाल सिंह
16.01.2019	269	15000.00	श्री नेकपाल सिंह
16.01.2019	267	15000.00	श्री नेकपाल सिंह
01.03.2019	276	10625.00	श्री नेकपाल सिंह
06.03.2019	282	30000.00	श्री नेकपाल सिंह
07.03.2019	280	7275.00	श्री नेकपाल सिंह
15.03.2019	286	34625.00	श्री नेकपाल सिंह
15.03.2019	291	53975.00	श्री नेकपाल सिंह
21.06.2018	221	17589.00	श्री सट्टू सिंह
21.06.2018	223	1700.00	श्री साधु सिंह
16.11.2018	251	2800.00	श्री साधु सिंह
20.08.2018	236	3308.00	श्री सतपाल
14.11.2018	256	6300.00	श्री हरिशंकर
01.03.2019	275	2100.00	श्री हरिशंकर
07.03.2019	279	1750.00	श्री हरिशंकर
15.03.2019	287	7000.00	श्री हरिशंकर
15.03.2019	290	5950.00	श्री हरिशंकर
08.10.2018	240	6500.00	श्री प्रमोद
08.10.2018	242	5000.00	श्री प्रमोद
योग		584577.00	

प्रस्तर 41—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय संबंधि बैंक खाता सं० 08610200000321 से रु० 80560.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बावत व किसे—किसे किये गये व्यय संबंधि प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 80560.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

13—ग्राम पंचायत— किशनपुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर—42 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009428 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 525524.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
24.09.2018	94	40976.00	आजम ब्रिक बर्कस
08.10.2018	104	15000.00	आजम ब्रिक बर्कस
30.10.2018	154	25259.00	आजम ब्रिक बर्कस
27.11.2018	160	20128.00	आजम ब्रिक बर्कस
27.11.2018	164	22497.00	आजम ब्रिक बर्कस
18.12.2018	178	35253.00	आजम ब्रिक बर्कस
18.12.2018	123	24161.00	आजम ब्रिक बर्कस
18.12.2018	175	74410.00	आजम ब्रिक बर्कस
18.12.2018	170	26481.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.02.2019	215	32926.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.02.2019	132	20731.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.02.2019	211	19826.00	आजम ब्रिक बर्कस
22.03.2019	236	52043.00	आजम ब्रिक बर्कस
29.11.2018	163	9897.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	135	105936.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
योग—		525524.00	

प्रस्तर 43 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009428 अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 863142.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	106	5000.00	बाबू इण्टरप्राइजेज
25.03.2019	229	6000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
03.07.2018	114	30000.00	ए० आई० इण्टरप्राइजेज
08.10.2018	103	60000.00	डी०के० इण्टरप्राइजेज
20.09.2018	98	14876.00	वसीम पेन्ट स्टोर
05.09.2018	119	20000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.09.2018	95	28528.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
01.11.2018	153	8109.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
06.12.2018	159	6958.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
18.12.2018	174	45085.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
18.12.2018	177	86974.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर

18.12.2018	122	123026.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
18.12.2018	172	2240.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
18.12.2018	169	43122.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
26.02.2019	131	102239.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
26.02.2019	214	94416.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.03.2019	227	50000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.03.2019	235	76422.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.03.2019	231	20207.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.03.2019	226	40000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल एण्ड एग्रीकल्चर स्टोर
19.09.2018	97	9855.00	सैफी इन्जीनिरिंग बर्कस
योग—		863142.00	

प्रस्तर 44—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान श्री अनवार द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 08610100009428 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 319415.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि विवरण

16.04.2018	108	5000.00	श्री अनवार
18.04.2018	109	5000.00	श्री अनवार
19.04.2018	107	5000.00	श्री अनवार
24.05.2018	110	5000.00	श्री अनवार
06.07.2018	113	5000.00	श्री अनवार
23.07.2018	115	5000.00	श्री अनवार
23.07.2018	116	3000.00	श्री अनवार
18.08.2018	92	5000.00	श्री अनवार
10.09.2018	120	5000.00	श्री अनवार
12.10.2018	151	5000.00	श्री अनवार
29.10.2018	152	5000.00	श्री अनवार
31.10.2018	156	10700.00	श्री अनवार
31.10.2018	157	2450.00	श्री अनवार
27.11.2018	158	20000.00	श्री अनवार
27.11.2018	162	8325.00	श्री अनवार
29.11.2018	102	10700.00	श्री अनवार
05.12.2018	165	2450.00	श्री अनवार
05.12.2018	161	2100.00	श्री अनवार
27.12.2018	171	5369.00	श्री अनवार
27.12.2018	124	6215.00	श्री अनवार
25.02.2019	176	7702.00	श्री अनवार
02.03.2019	217	5000.00	श्री अनवार
11.03.2019	213	41478.00	श्री अनवार
11.03.2019	130	44449.00	श्री अनवार
11.03.2019	134	44677.00	श्री अनवार
18.03.2019	228	5000.00	श्री अनवार

03.07.2018	111	5000.00	श्री मौ0 अनसार अली
27.11.2018	167	5000.00	श्री मौ0 अनसार अली
27.02.2019	212	4500.00	श्री मौ0 अनसार अली
28.02.2019	216	4769.00	श्री मौ0 अनसार अली
08.03.2019	133	4603.00	श्री मौ0 अनसार अली
18.03.2019	233	3996.00	श्री मौ0 अनसार अली
03.07.2018	112	5000.00	श्री इमरान हुसैन
10.01.2019	126	5000.00	श्री इमरान हुसैन
27.03.2019	238	2500.00	श्री इमरान हुसैन
20.09.2018	96	1932.00	श्री असलम
04.10.2018	100	5000.00	श्री प्रमोद
06.10.2018	101	2500.00	श्री मौ0 इरफान खां
योग		319415.00	

प्रस्तर 45—ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 08610100009428 से भुगतान बार—बार नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 295158.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
08.08.2018	117	9000.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
01.09.2018	91	15000.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
11.10.2018	99	49750.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
19.01.2019	179	12181.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
19.01.2019	173	31401.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
19.01.2019	168	25869.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
19.01.2019	121	52712.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
27.02.2019	129	46085.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
20.03.2019	234	36791.00	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
20.03.2019	230	16369.000	नॉन कस्टूमेर इण्टर ब्रान्च
योग—		295158.00	

प्रस्तर 46—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय संबंधि बैंक खाता सं0 08610100009428 से रु0 89634.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बावत व किसे—किसे किये गये व्यय संबंधि प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 89634.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
 14—ग्राम पंचायत— खरसौल लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19
 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610100009378 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 2071833.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
09.04.2018	257	21624.00	ख्वाजा ब्रिक बर्क
09.04.2018	261	15976.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
17.04.2018	267	46093.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
03.05.2018	252	26878.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
12.10.2018	300	30000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
26.10.2018	330	76443.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
26.10.2018	326	34405.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
26.10.2018	273	13000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
13.11.2018	281	25000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
19.02.2019	406	31175.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
19.02.2019	411	31896.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
16.08.2018	304	39816.00	खान बिक इण्डस्ट्रीज
09.10.2018	320	60000.00	खान बिक इण्डस्ट्रीज
09.10.2018	316	60000.00	खान बिक इण्डस्ट्रीज
07.04.2018	256	51291.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.04.2018	260	53667.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
17.04.2018	264	24056.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
17.04.2018	270	14597.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
14.08.2018	303	35696.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
14.08.2018	307	94725.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
29.08.2018	313	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
04.10.2018	299	80000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
04.10.2018	317	30000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
04.10.2018	319	50000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	325	24130.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	329	12850.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	276	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
30.10.2018	277	100000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
30.10.2018	279	100000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
01.11.2018	282	40000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	361	25000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
29.11.2018	367	47376.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
29.11.2018	364	64551.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
17.12.2018	377	70000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.01.2019	385	25000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
07.02.2019	423	40000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	410	23840.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	409	145463.00	
25.02.2019	418	80031.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	390	71491.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर

25.02.2019	456	4991.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.03.2019	460	5000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
29.08.2018	311	20000.00	सरताज सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
06.12.2018	370	28617.00	आस्था सीमेन्ट ट्रेडर्स
18.09.2018	287	6844.00	सुलतान ब्रिक बर्कस
18.09.2018	296	14729.00	सुलतान ब्रिक बर्कस
18.09.2018	292	21656.00	सुलतान ब्रिक बर्कस
14.03.2019	415	34803.00	सुलतान ब्रिक बर्कस
14.03.2019	457	7508.00	सुलतान ब्रिक बर्कस
29.11.2018	371	6592.00	आजम ब्रिक बर्कस
29.11.2018	368	26160.00	आजम ब्रिक बर्कस
29.11.2018	372	19627.00	आजम ब्रिक बर्कस
29.11.2019	362	19236.00	आजम ब्रिक बर्कस
योग		2071833.00	

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009378 अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 319201) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि विवरण

19.07.2018	301	50000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
18.09.2018	291	8124.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
18.09.2018	295	8343.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
18.09.2018	286	1895.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
19.12.2018	381	10000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
20.12.2018	378	50000.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
18.02.2019	417	111722.00	श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल स्टोर
25.03.2019	463	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
29.11.2018	285	76177.00	ए०आई० इण्टरप्राइजेज
योग		319201.00	

प्रस्तर 49—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती तरन्नुम बी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009378 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1124808.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि

विवरण

06.04.2018	258	26930.00	श्रीमती तरन्नुम बी
06.04.2018	262	32075.00	श्रीमती तरन्नुम बी

10.04.2018	265	21065.00	श्रीमती तरन्नुम बी
10.04.2018	266	12930.00	श्रीमती तरन्नुम बी
19.07.2018	302	21000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
14.08.2018	310	38525.00	श्रीमती तरन्नुम बी
14.08.2018	306	47575.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.08.2018	312	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
18.09.2018	289	2950.00	श्रीमती तरन्नुम बी
18.09.2018	293	5900.00	श्रीमती तरन्नुम बी
18.09.2018	294	8325.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.09.2018	318	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
03.10.2018	322	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
03.10.2018	321	25000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
10.10.2018	324	5000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
23.10.2018	274	5000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
23.10.2018	272	17200.00	श्रीमती तरन्नुम बी
23.10.2018	327	22025.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.10.2018	280	40000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.10.2018	278	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.10.2018	275	5000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
14.11.2018	362	21000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.11.2018	284	11625.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.11.2018	374	30950.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.11.2018	363	26725.00	श्रीमती तरन्नुम बी
29.11.2018	283	31950.00	श्रीमती तरन्नुम बी
17.12.2018	379	40000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
17.12.2018	383	20000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
17.12.2018	382	20000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
17.12.2018	380	20000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
02.01.2019	384	40000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
05.02.2019	422	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
05.02.2019	421	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
12.02.2019	408	60575.00	श्रीमती तरन्नुम बी
15.02.2019	413	2650.00	श्रीमती तरन्नुम बी
18.02.2019	414	62475.00	श्रीमती तरन्नुम बी
26.02.2019	459	3525.00	श्रीमती तरन्नुम बी
26.02.2019	455	53400.00	श्रीमती तरन्नुम बी
26.02.2019	420	43100.00	श्रीमती तरन्नुम बी
11.03.2019	461	50000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
11.03.2019	462	30000.00	श्रीमती तरन्नुम बी
18.04.2018	259	6343.00	श्री छत्रपाल
18.04.2018	268	5748.00	श्री छत्रपाल
18.04.2018	263	6541.00	श्री चन्द्रकेश
09.05.2018	253	3391.00	श्री चन्द्रकेश
10.09.2018	315	2500.00	श्री इमरान हुसैन
13.09.2018	314	2500.00	श्री इमरान हुसैन
18.09.2018	298	2100.00	श्री हरपाल
18.09.2018	297	1050.00	श्री हरपाल
19.09.2018	288	700.00	श्री हरपाल
07.01.2019	388	5000.00	श्री फईम

07.01.2019 387 5000.00 श्री फईम
योग 1124808.00

प्रस्तर 50—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 08610100009378 से रू0 169935.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे—किसे किये गये सम्बन्धी व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रू0 169935.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप -4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
15—ग्राम पंचायत— विसौली लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर—51 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610200000322 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू0 668189.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
19.06.2018	67	16000.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.06.2018	66	31651.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.06.2018	77	30000.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.06.2018	75	30000.00	आजम ब्रिक बर्कस
24.09.2018	84	20000.00	आजम ब्रिक बर्कस
23.10.2018	96	10000.00	आजम ब्रिक बर्कस
23.10.2018	90	32015.00	आजम ब्रिक बर्कस
19.11.2018	98	15078.00	आजम ब्रिक बर्कस
26.02.2019	214	21865.00	आजम ब्रिक बर्कस
19.07.2018	76	45000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.09.2018	83	40000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.10.2018	89	29590.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
22.10.2018	95	30000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
01.11.2018	97	101427.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	218	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
19.06.2018	65	22752.00	एन0एस0सीमेन्ट स्टोर
25.06.2018	70	4248.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
19.07.2018	74	45000.00	सरताज सीमेन्ट स्टोर
15.10.2018	91	12739.00	सरताज सीमेन्ट स्टोर
22.10.2018	4	20000.00	सरताज सीमेन्ट स्टोर
12.12.2018	213	90824.00	सरताज सीमेन्ट स्टोर
योग		668189.00	

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610200000322 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 30850.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
17.09.2018	78	25850.00	विनेश पाइप स्टोर
10.10.2018	87	5000.00	कुमार इनफोटच
योग		30850.00	

प्रस्तर 53—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610200000322 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 371842.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
10.04.2018	63	5000.00	श्रीमती राजकली
10.04.2018	64	3500.00	श्रीमती राजकली
11.04.2018	62	5000.00	श्रीमती राजकली
15.06.2018	72	7000.00	श्रीमती राजकली
07.07.2018	73	3500.00	श्रीमती राजकली
10.09.2018	81	5000.00	श्रीमती राजकली
19.09.2018	82	10500.00	श्रीमती राजकली
26.09.2018	85	16000.00	श्रीमती राजकली
12.10.2018	93	66700.00	श्रीमती राजकली
31.10.2018	100	43825.00	श्रीमती राजकली
12.12.2018	203	40000.00	श्रीमती राजकली
20.12.2018	204	19175.00	श्रीमती राजकली
27.12.2018	207	5000.00	श्रीमती राजकली
02.01.2019	206	5000.00	श्रीमती राजकली
03.01.2019	208	1750.00	श्रीमती राजकली
31.01.2019	210	5000.00	श्रीमती राजकली
31.01.2019	211	5000.00	श्रीमती राजकली
31.01.2019	212	5000.00	श्रीमती राजकली
12.02.2019	219	57500.00	श्रीमती राजकली
26.03.2019	223	5000.00	श्रीमती राजकली
28.03.2019	221	7000.00	श्रीमती राजकली
15.06.2018	69	11709.00	श्री पुष्पेन्द्र
16.10.2018	92	4233.00	श्री पुष्पेन्द्र
31.10.2018	99	4900.00	श्री पुष्पेन्द्र
20.12.2018	205	4200.00	श्री पुष्पेन्द्र

12.02.2019	217	3850.00	श्री पुष्पेन्द्र
05.10.2018	86	5000.00	श्री आरिफ हुसैन
13.09.2018	79	2500.00	श्री इमरान हुसैन
13.09.2018	80	2500.00	श्री इमरान हुसैन
27.03.2019	222	5000.00	श्री इमरान हुसैन
08.10.2018	88	6500.00	श्री प्रमोद कुमार
योग		371842.00	

प्रस्तर 54—ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 08610200000322 से भुगतान शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रु० 36680.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि

विवरण

18.06.2018	68	36680.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		36680.00	

प्रस्तर 55—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 08610200000322 से रु० 410.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रु० 410.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—शाहबाद

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

16—ग्राम पंचायत— चकौनी

लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 56 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009435 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 441137.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि विवरण

11.04.2018	242	29885.00	अमन ईट उोग
05.06.2018	256	20058.00	आजम ब्रिक बर्कस
19.07.2018	264	25000.00	आजम ब्रिक बर्कस
27.09.2018	285	32000.00	आजम ब्रिक बर्कस
15.11.2018	297	11527.00	आजम ब्रिक बर्कस
17.12.2018	298	30000.00	आजम ब्रिक बर्कस
17.01.2019	300	30000.00	आजम ब्रिक बर्कस

14.02.2019	305	16429.00	आजम ब्रिक बर्कस
07.06.2018	259	40000.00	ख्वाजा ब्रिक बर्कस
27.09.2018	286	30000.00	चौधरी ब्रिक बर्कस
11.04.2018	243	33617.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	268	30000.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
18.09.2018	282	18888.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
24.09.2018	283	22931.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	284	20000.00	एन0एस0 सीमेन्ट स्टोर
17.04.2018	241	21000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	255	20000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	296	12802.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
13.02.2019	308	27000.00	भगवानदास सीमेन्ट स्टोर
योग		441137.00	

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610100009435 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 453851.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
25.07.2018	266	10000.00	गुप्ता एग्रीकल्चर स्टोर
14.11.2018	292	5000.00	कुमार इन्फोटच
02.11.2018	293	6500.00	जनता इण्टरप्राइजेज
13.04.2018	244	15000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
25.04.2018	253	30000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
11.07.2018	261	50000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
20.07.2018	262	20000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
20.07.2018	263	25000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
28.09.2018	254	30000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
28.09.2018	287	70000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
05.10.2018	290	70000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
24.10.2018	291	30000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
12.11.2018	294	30000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
11.02.2019	304	42351.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
07.03.2019	310	20000.00	दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी
योग		453851.00	

प्रस्तर 58—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान श्री निवलेश द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 08610100009435 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की

धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 114107.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि विवरण

11.04.2018	248	5000.00	श्री निवलेश
11.04.2018	255	10500.00	श्री निवलेश
30.06.2018	260	10500.00	श्री निवलेश
07.09.2018	270	7000.00	श्री निवलेश
13.09.2018	272	5000.00	श्री निवलेश
05.10.2018	289	21000.00	श्री निवलेश
03.01.2019	299	21000.00	श्री निवलेश
12.04.2018	245	6097.00	श्री निवलेश
24.09.2018	281	5040.00	श्री निवलेश
11.02.2018	307	3689.00	श्री राजपाल
19.09.2018	275	3281.00	श्री संजीव कुमार
18.01.2018	303	1000.00	श्री जफर हुसैन
07.03.2019	311	5000.00	श्री इमरान हुसैन
07.03.2019	312	5000.00	श्री इमरान हुसैन
27.03.2019	314	5000.00	श्री इमरान हुसैन
योग		114107.00	

प्रस्तर 59—ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 08610100009435 से भुगतान षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रु0 363683.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि

विवरण

12.04.2018	251	15925.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
16.04.2018	252	25550.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
04.06.2018	257	18720.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
04.06.2018	258	38150.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
19.07.2018	265	12000.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
08.08.2018	267	30000.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
25.09.2018	277	29200.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
25.09.2018	279	26800.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
26.09.2018	278	31050.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
25.10.2018	288	9375.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
15.11.2018	295	16900.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
18.01.2019	301	30000.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
14.02.2019	306	23023.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
07.03.2019	309	25000.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
17.04.2018	249	14350.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
17.04.2018	246	17640.00	षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		363683.00	

प्रस्तर 60—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 08610100009435 से रु0 42354.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के

उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रु0 42354.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
17—ग्राम पंचायत— सैफनी लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009350 से ईट/सीमेंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 10573567.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

वारसी ट्रेडर्स

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
14.06.2018	480	10960.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
14.06.2018	475	44307.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
14.06.2018	478	20732.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	496	35784.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	537	40990.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	534	13868.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	530	9817.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	526	26495.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	455	43570.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	522	9041.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	517	33748.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	512	26898.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	465	1108.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
27.06.2018	461	1008.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.07.2018	493	9525.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.07.2018	482	12795.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.07.2018	487	29517.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
18.07.2018	503	4984.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10.08.2018	510	42090.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10.08.2018	548	22804.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10.08.2018	544	39518.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
10.08.2018	506	40035.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	563	16065.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	566	23625.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	569	23625.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	632	16380.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	560	11655.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज

22.10.2018	558	16380.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	635	28350.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	639	15120.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
22.10.2018	642	38350.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	657	19769.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	655	10828.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	653	17057.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	650	13937.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	648	10848.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	646	15904.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	573	10969.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	571	8618.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
06.11.2018	659	12306.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	699	26459.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	599	18969.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	691	32555.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	693	29870.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	695	29424.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.11.2018	697	43309.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	707	27631.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	711	31739.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	715	23873.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	720	36257.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	724	39640.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.12.2018	728	21627.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19.12.2018	742	33778.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19.12.2018	738	31563.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19.12.2018	746	34392.00	खान ब्रिक इण्डस्ट्रीज
04.04.2018	441	74751.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	445	76946.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	449	133705.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	432	71336.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	428	50437.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	424	41014.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	420	51603.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	416	142623.00	वारसी ट्रेडर्स
04.04.2018	437	66870.00	वारसी ट्रेडर्स
06.06.2018	470	36357.00	वारसी ट्रेडर्स
06.06.2018	469	42154.00	वारसी ट्रेडर्स
19.06.2018	473	136495.00	वारसी ट्रेडर्स
19.06.2018	476	60149.00	वारसी ट्रेडर्स
19.06.2018	479	85698.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	525	102046.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	529	52255.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	540	142210.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	533	100447.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	520	75973.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	516	119804.00	वारसी ट्रेडर्स
28.06.2018	511	81585.00	वारसी ट्रेडर्स

28.06.2018	454	116092.00	वारसी ट्रेडर्स
20.07.2018	486	105210.00	वारसी ट्रेडर्स
20.07.2018	481	51500.00	वारसी ट्रेडर्स
20.07.2018	492	74805.00	वारसी ट्रेडर्स
10.08.2018	543	102972.00	वारसी ट्रेडर्स
10.08.2018	505	137287.00	वारसी ट्रेडर्स
10.08.2018	509	132626.00	वारसी ट्रेडर्स
10.08.2018	547	66903.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	631	77195.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	568	68090.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	634	82205.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	562	68090.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	559	55680.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	565	68090.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	645	82205.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	638	52955.00	वारसी ट्रेडर्स
23.10.2018	556	77195.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	591	47094.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	592	53599.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	585	54676.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	584	68519.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	590	38310.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	589	42621.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	586	57194.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	587	59160.00	वारसी ट्रेडर्स
19.11.2018	588	27681.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	928	145281.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	811	135191.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	832	144060.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	828	127943.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	916	141318.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	920	130607.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	924	125215.00	वारसी ट्रेडर्स
13.03.2019	824	60433.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	840	69785.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	964	101441.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	968	93631.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	972	110855.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	976	114512.00	वारसी ट्रेडर्स
29.03.2019	980	81660.00	वारसी ट्रेडर्स
14.01.2019	801	22304.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	797	13362.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	758	41986.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	754	39396.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	778	12525.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	731	15765.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	735	15718.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	762	11910.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स
14.01.2019	766	14849.00	नेशनल ब्रिक बर्क्स

14.01.2019	770	20027.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
14.01.2019	774	30972.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	625	46046.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	629	35663.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	614	44840.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	663	31610.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	621	38582.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	602	18721.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	807	24123.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	605	36477.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	609	12381.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
01.02.2019	617	30980.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	672	42330.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	688	32187.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	676	15797.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	668	34041.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	680	14275.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
02.02.2019	684	32434.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
21.02.2019	897	20386.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
21.02.2019	910	19152.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
21.02.2019	909	23306.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
21.02.2019	889	23253.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
21.02.2019	893	21926.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	836	20424.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	929	38855.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	925	30250.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	921	25441.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	812	34272.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	917	24446.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	913	22264.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	817	35932.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	821	25769.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	825	11127.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	829	18532.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
11.03.2019	833	40731.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	981	28144.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	977	36757.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	973	26757.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	969	27110.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	961	19775.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
26.03.2019	965	32025.00	नेशनल ब्रिक बर्कस
30.01.2019	604	116644.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	620	147457.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	613	134337.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	608	62585.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	806	52652.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	810	98661.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	616	109441.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.01.2019	628	142635.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर

30.01.2019	662	127213.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
30.1.2019	624	138920.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	671	135191.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	683	112739.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	667	118672.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	687	110948.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	679	63136.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
01.02.2019	675	73154.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	896	105357.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	888	130796.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	892	130943.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	908	140541.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	911	109811.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
15.02.2019	901	108181.00	सोनाक्षी सीमेन्ट एण्ड आयरन स्टोर
योग		10573567.00	

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 08610100009350 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 2667778.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	415	35210.00	विनेश पाईप स्टोर
05.09.2018	551	30298.00	विनेश पाईप स्टोर
31.10.2018	555	60300.00	विनेश पाईप स्टोर
17.07.2018	500	2000.00	अंसारी पाईप स्टोर
17.07.2018	502	5100.00	अंसारी पाईप स्टोर
27.06.2018	460	21865.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
27.06.2018	458	22745.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
27.06.2018	457	6480.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
18.07.2018	494	7356.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
18.07.2018	484	10320.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
18.07.2018	489	5910.00	नेशनल पाईप एण्ड पेन्ट स्टोर
06.12.2018	705	126261.00	सैफनी खाभण्डार
06.12.2018	736	89013.00	सैफनी खाभण्डार
06.12.2018	701	80113.000	सैफनी खाभण्डार
06.12.2018	702	122257.00	सैफनी खाभण्डार
06.12.2018	703	100853.00	सैफनी खाभण्डार
06.12.2018	704	107698.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	706	110831.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	727	71661.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	710	109531.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	714	92160.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	719	146100.00	सैफनी खाभण्डार
15.12.2018	723	144524.00	सैफनी खाभण्डार
14.01.2019	796	84149.00	सैफनी खाभण्डार

14.01.2019	734	70269.00	सैफनी खाभण्डार
14.01.2019	761	52276.00	सैफनी खाभण्डार
14.01.2019	777	83183.00	सैफनी खाभण्डार
14.01.2019	765	69517.00	सैफनी खाभण्डार
15.01.2019	800	135291.00	सैफनी खाभण्डार
15.01.2019	753	112384.00	सैफनी खाभण्डार
15.01.2019	757	130524.00	सैफनी खाभण्डार
15.01.2019	769	118359.00	सैफनी खाभण्डार
15.01.2019	773	110379.00	सैफनी खाभण्डार
17.01.2019	804	70900.00	सैफनी खाभण्डार
24.01.2019	805	99961.00	सैफनी खाभण्डार
16.03.2019	837	18000.00	भगवती इण्टरप्राईजेज
16.03.2019	838	4000.00	कुमार इन्फोटच
योग		2667778.00	

प्रस्तर 63—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव द्वारा ग्राम प्रधान श्री फरहीन खां द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 08610100009350 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 4888846.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	466	24500.00	श्री फरहीन खां
24.04.2018	468	42470.00	श्री फरहीन खां
24.04.2018	467	46010.00	श्री फरहीन खां
04.06.2018	471	46720.00	श्री फरहीन खां
14.06.2018	474	57785.00	श्री फरहीन खां
14.06.2018	477	26715.00	श्री फरहीन खां
15.06.2018	453	74680.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	524	43995.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	519	32685.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	514	36050.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	532	41700.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	539	66090.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	498	62025.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	528	21735.00	श्री फरहीन खां
27.06.2018	515	51775.00	श्री फरहीन खां
18.07.2018	504	5660.00	श्री फरहीन खां
18.07.2018	495	39640.00	श्री फरहीन खां
18.07.2018	490	62825.00	श्री फरहीन खां
18.07.2018	485	38580.00	श्री फरहीन खां
10.08.2018	508	58135.00	श्री फरहीन खां
10.08.2018	542	62735.00	श्री फरहीन खां

10.08.2018	550	30215.00	श्री फरहीन खां
10.08.2018	546	42760.00	श्री फरहीन खां
16.08.2018	552	44765.00	श्री फरहीन खां
16.10.2018	554	50960.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	561	22795.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	557	37050.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	637	31800.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	640	16980.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	644	31800.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	633	37050.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	570	28300.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	567	28300.00	श्री फरहीन खां
20.10.2018	564	28300.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	574	30575.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	572	17125.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	660	25275.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	658	15435.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	656	17640.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	654	20470.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	649	22270.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	647	22505.00	श्री फरहीन खां
03.11.2018	651	23300.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	700	38170.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	698	53895.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	600	33045.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	694	42410.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	696	45590.00	श्री फरहीन खां
29.11.2018	692	51775.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	726	59905.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	730	26690.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	722	60790.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	717	38520.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	713	46475.00	श्री फरहीन खां
12.12.2018	709	46475.00	श्री फरहीन खां
19.12.2018	744	48975.00	श्री फरहीन खां
19.12.2018	739	55130.00	श्री फरहीन खां
19.12.2018	748	61140.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	733	27825.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	768	27250.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	772	48125.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	776	45575.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	780	33650.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	752	28000.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	756	42525.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	799	34400.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	803	55425.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	760	52675.00	श्री फरहीन खां
14.01.2019	764	20475.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	809	61675.00	श्री फरहीन खां

29.01.2019	603	41000.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	607	47725.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	611	25425.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	615	55250.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	623	57700.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	661	55150.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	665	50850.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	627	56050.00	श्री फरहीन खां
29.01.2019	619	42525.00	श्री फरहीन खां
02.02.2019	686	43375.00	श्री फरहीन खां
02.02.2019	682	24700.00	श्री फरहीन खां
02.02.2019	678	28575.00	श्री फरहीन खां
02.02.2019	690	43050.00	श्री फरहीन खां
02.02.2019	674	52850.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	894	42800.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	898	45925.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	906	61850.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	902	47950.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	890	52525.00	श्री फरहीन खां
16.02.2019	886	55525.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	923	53050.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	927	51250.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	814	57625.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	815	60225.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	919	59300.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	915	54900.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	819	60000.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	823	60750.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	827	24425.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	831	52175.00	श्री फरहीन खां
11.03.2019	835	60050.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	967	43375.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	963	28200.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	971	40075.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	975	50150.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	979	49050.00	श्री फरहीन खां
28.03.2019	983	37875.00	श्री फरहीन खां
09.04.2018	426	2083.00	श्री अले हसन
09.04.2018	443	3580.00	श्री आले हसन
28.06.2018	499	5850.00	श्री बाबू
28.06.2018	535	4442.00	श्री बाबू
28.06.2018	538	5506.00	श्री बाबू
16.01.2019	798	2730.00	श्री मौ0 हनीफ
16.01.2019	775	3120.00	श्री मौ0 हनीफ
16.01.2019	779	2730.00	श्री मौ0 हनीफ
16.01.2019	771	4075.00	श्री मौ0 हनीफ
16.01.2019	802	4360.00	श्री मौ0 हनीफ
16.01.2019	767	2800.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	630	4879.00	श्री मौ0 हनीफ

31.01.2019	618	3665.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	606	2738.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	610	1971.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	601	3379.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	622	4682.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	626	5600.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	808	5339.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	664	5250.00	श्री मौ0 हनीफ
31.01.2019	666	2926.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	813	6036.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	822	5168.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	818	4360.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	830	4258.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	834	3907.00	श्री मौ0 हनीफ
13.03.2019	826	2165.00	श्री मौ0 हनीफ
14.08.2018	545	3045.00	श्री फेजान अली
14.08.2018	507	5464.00	श्री फेजान अली
14.08.2018	549	2234.00	श्री फेजान अली
16.08.2018	541	6277.00	श्री फेजान अली
09.04.2018	480	2577.00	श्री रईस
09.04.2018	422	2579.00	श्री रईस
09.04.2018	434	3399.00	श्री रईस
09.04.2018	439	3624.00	श्री रईस
09.04.2018	447	2785.00	श्री रईस
09.04.2018	451	3235.00	श्री रईस
28.06.2018	456	5850.00	श्री रईस
28.06.2018	462	2730.00	श्री रईस
28.06.2018	463	1248.00	श्री रईस
28.06.2018	464	3900.00	श्री रईस
28.06.2018	513	2301.00	श्री रईस
28.06.2018	518	3627.00	श्री रईस
28.06.2018	523	2433.00	श्री रईस
28.06.2018	527	3166.00	श्री रईस
28.06.2018	531	1989.00	श्री रईस
21.07.2018	488	2106.00	श्री रईस
21.07.2018	491	6015.00	श्री रईस
16.11.2018	503	4063.00	श्री रईस
16.11.2018	581	3112.00	श्री रईस
16.11.2018	580	2800.00	श्री रईस
16.11.2018	576	3357.00	श्री रईस
16.11.2018	577	3611.00	श्री रईस
16.11.2018	578	2464.00	श्री रईस
16.11.2018	575	4340.00	श्री रईस
16.11.2018	579	2497.00	श्री रईस
16.11.2018	582	1868.00	श्री रईस
29.11.2018	593	2800.00	श्री रईस
29.11.2018	598	3026.00	श्री रईस
29.11.2018	597	3861.00	श्री रईस
29.11.2018	596	3751.00	श्री रईस

29.11.2018	595	3494.00	श्री रईस
29.11.2018	594	4251.00	श्री रईस
14.12.2018	725	5109.00	श्री रईस
14.12.2018	721	5132.00	श्री रईस
14.12.2018	716	3357.00	श्री रईस
14.12.2018	712	3906.00	श्री रईस
14.12.2018	708	4097.00	श्री रईस
14.12.2018	729	2449.00	श्री रईस
19.12.2018	747	4141.00	श्री रईस
19.12.2018	743	3404.00	श्री रईस
19.12.2018	450	4063.00	श्री रईस
14.01.2019	751	3520.00	श्री रईस
14.01.2019	732	3051.00	श्री रईस
14.01.2019	755	3856.00	श्री रईस
14.01.2019	763	2100.00	श्री रईस
14.01.2019	759	4671.00	श्री रईस
02.02.2019	681	2591.00	श्री रईस
02.02.2019	673	5097.00	श्री रईस
02.02.2019	677	2960.00	श्री रईस
02.02.2019	669	4099.00	श्री रईस
02.02.2019	685	3599.00	श्री रईस
02.02.2019	689	3588.00	श्री रईस
16.02.2019	891	4644.00	श्री रईस
16.02.2019	887	3871.00	श्री रईस
16.02.2019	907	9218.00	श्री रईस
16.02.2019	899	6230.00	श्री रईस
16.02.2019	903	6579.00	श्री रईस
16.02.2019	895	3554.00	श्री रईस
13.03.2019	922	4173.00	श्री रईस
13.03.2019	914	4694.00	श्री रईस
13.03.2019	918	5309.00	श्री रईस
13.03.2019	926	3953.00	श्री रईस
13.03.2019	930	4113.00	श्री रईस
योग		4888846.00	

प्रस्तर 64—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 08610100009350 से रू० 731575.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे—किसे किये गये सम्बन्धी व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः(रू० 731575.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप—4

जनपद का नाम— रामपुर
18—ग्राम पंचायत— भौनकपुर

वि०ख०—मिलक

मण्डल का नाम—मुरादाबाद
लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100017991 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 301518.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
25.07.2018	441	20900.00	इण्डिया ब्रिक फिल्ड
24.09.2018	525	6600.00	इण्डिया ब्रिक फिल्ड
09.05.2018	373	28800.00	हिना ब्रिक
11.06.2018	438	19200.00	हिना ब्रिक
03.07.2018	377	38400.00	हिना ब्रिक
05.02.2019	477	37600.00	हिना ब्रिक
01.03.2019	413	75600.00	हिना ब्रिक
27.06.2018	450	11200.00	फेजान ब्रिक बर्कस
30.06.2018	448	25200.00	खलील ब्रिक फिल्ड
10.08.2018	511	15000.00	खलील ब्रिक फिल्ड
01.10.2018	536	6518.00	खलील ब्रिक फिल्ड
18.03.2019	566	16500.00	श्री गनेश जी ब्रिक फिल्ड
योग		301518.00	

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100017991 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 671129.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
08.05.2018	374	45000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	436	25000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
07.08.2018	482	57584.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
08.10.2018	537	11450.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
26.10.2018	410	40000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
20.06.2018	376	17630.00	के0के0 सीमेन्ट स्टोर
16.10.2018	494	17650.00	कमल ट्रेडर्स
04.01.2019	422	21948.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
26.06.2018	447	135000.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
26.06.2018	449	63158.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
09.08.2018	488	105000.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
27.09.2018	539	70000.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
22.02.2019	504	36839.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
06.03.2019	417	24600.00	ओम कन्सट्रैक्सन बिल्डिंग मटेरियल
योग		671129.00	

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100017991 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1416409.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
09.04.2018	403	45500.00	गोयल डिस्ट्रीब्यूटर
09.04.2018	404	2950.00	महाराजा अग्रसैन फर्नीचर
10.04.2018	401	70800.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
27.09.2018	535	32040.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
10.08.2018	481	34400.00	प्रिन्स सोल्स
16.08.2018	369	80000.00	एस0 डी0 इण्टरप्राईजेज
03.05.2018	405	105000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
27.06.2018	375	14550.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
11.07.2018	386	50000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
23.08.2018	491	4500.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
23.08.2018	493	75000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
17.10.2018	495	45000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
17.10.2018	522	96000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
10.12.2018	565	45000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
19.12.2018	474	62000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
15.01.2018	475	50000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
18.02.2018	480	138421.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
01.03.2019	479	138000.00	प्रिया इण्टरप्राईजेज
11.07.2018	381	7000.00	शिव एग्रीकल्चर स्टोर
28.09.2018	534	1960.00	सुपर सकलैनी इलैक्ट्रीकल्स
21.02.2018	508	87400.00	सुपर सकलैनी इलैक्ट्रीकल्स
05.03.2018	420	87420.00	सुपर सकलैनी इलैक्ट्रीकल्स
16.10.2018	490	12518.00	शिवम एग्रीकल्चर स्टोर
योग		1416409.00	

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100017991 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 153250.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
08.08.2018	486	5000.00	श्री राजीव कुमार
10.08.2018	517	5000.00	श्री राजीव कुमार
31.10.2018	408	49875.00	श्री राजीव कुमार

31.010.2018	409	49875.00	श्री राजीव कुमार
04.03.2019	419	38500.00	श्री राजीव कुमार
08.03.2019	423	5000.00	श्री राजीव कुमार
योग		153250.00	

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100017991 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 288990.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
03.04.2018	367	5000.00	श्री माधोराम
13.04.2018	369	5000.00	श्री माधोराम
17.04.2018	370	5000.00	श्री माधोराम
24.04.2018	371	5000.00	श्री माधोराम
25.04.2018	372	5000.00	श्री माधोराम
14.09.2018	524	5000.00	श्री माधोराम
28.09.2018	498	5000.00	श्री माधोराम
11.10.2018	557	5000.00	श्री माधोराम
12.10.2018	556	5000.00	श्री माधोराम
17.10.2018	559	5000.00	श्री माधोराम
04.04.2018	368	5000.00	श्री माधोराम
21.06.2018	443	5000.00	श्री माधोराम
25.06.2018	446	5000.00	श्री गौरव कुमार
06.07.2018	383	5000.00	श्री गौरव कुमार
17.07.2018	389	5000.00	श्री गौरव कुमार
09.08.2018	487	5000.00	श्री गौरव कुमार
05.06.2018	437	5000.00	श्री रामसरन
10.09.2018	520	5000.00	श्री रामसरन
16.11.2018	501	5000.00	श्री मथुर प्रसाद
17.11.2018	500	5000.00	श्री मथुर प्रसाद
28.08.2018	492	5000.00	श्री जमुना प्रसाद
20.08.2018	492	5000.00	श्री जमुना प्रसाद
23.10.2018	407	5000.00	श्री जमुना प्रसाद
29.10.2018	412	5000.00	श्री जमुना प्रसाद
15.06.2018	439	5000.00	श्री मुकेश
19.06.2018	442	5000.00	श्री मुकेश
28.06.2018	444	5000.00	श्री मुकेश
03.07.2018	380	5000.00	श्री मुकेश
05.07.2018	382	5000.00	श्री मुकेश
26.07.2018	512	5000.00	श्री मुकेश
20.09.2018	529	5000.00	श्री मुकेश
18.06.2018	440	5000.00	श्री सुरेश

10.12.2018	473	5000.00	श्री सुरेश
10.12.2018	472	5000.00	श्री सुरेश
17.01.2018	503	5000.00	श्री सुरेश
10.07.2018	388	5000.00	श्री रामवीर
30.07.2018	515	5000.00	श्री रामवीर
19.09.2018	528	5000.00	श्री सोमपाल
29.09.2018	497	5000.00	श्री सोमपाल
03.10.2018	467	5000.00	श्री सोमपाल
26.10.2018	411	5000.00	श्री सोमपाल
25.09.2018	532	5000.00	श्री अमरसिंह
10.10.2018	469	5000.00	श्री अमरसिंह
25.10.2018	406	5000.00	श्री अमरसिंह
29.09.2018	496	5000.00	श्री शम्भू
29.09.2018	499	5000.00	श्री शम्भू
16.07.2018	387	5000.00	श्री इन्द्रजीत
26.09.2018	530	5000.00	श्री इन्द्रजीत
13.07.2018	385	5000.00	श्री नफीस
04.08.2018	513	5000.00	श्री नफीस
17.10.2018	558	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
17.10.2018	560	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
06.11.2018	471	5000.00	श्री कपिल देव
21.02.2019	570	4990.00	श्री कपिल देव
01.03.2019	418	2000.00	श्री कपिल देव
11.04.2018	366	20000.00	श्री मौ0 राशिद
योग		288990.00	

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 07220100017991 से भुगतान शाखा प्रबन्धक कैनरा बैंक, शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई0 बैंक, शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 175325.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
01.05.2018	364	44450.00	शाखा प्रबन्धक कैनरा बैंक
29.06.2018	379	20000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
29.06.2018	378	20000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
07.08.2018	484	15000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
17.01.2019	502	9975.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
27.09.2018	538	22150.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई बैंक
22.02.2019	505	43750.00	शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई बैंक
योग		175325.00	

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 07220100017991 से रु0 161253.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में

आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 161253.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 दिनांक 01.02.2019 को ग्राम पंचायत के बैंक खाते सं० 07220100017991 से चैक सं० 467 के द्वारा क्रमशः रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 2000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—मिलक मण्डल का नाम—मुरादाबाद

19—ग्राम पंचायत— चकरपुर लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 072201000180092 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 217477.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	134	11720.00 सरफराज ब्रिक बर्कस
25.03.2019	397	13638.00 एफ० जेड० ब्रिक
31.12.2018	313	25512.00 शिव शक्ति बिक
24.10.2018	217	30000.00 एस०आर० के० ब्रिक
12.11.2018	223	25638.00 एस०आर० के० ब्रिक
03.12.2018	260	20000.00 एस०आर० के० ब्रिक
03.01.2019	306	20969.00 एस०आर० के० ब्रिक
23.01.2019	345	40000.00 एस०आर० के० ब्रिक
30.08.2018	234	30000.0 इण्डिया ब्रिक फिल्ड
योग		

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 072201000180092 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 687346.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
20.04.2018	133	18390.00	देव ट्रेडर्स
12.06.2018	170	30000.00	देव ट्रेडर्स
05.07.2018	180	10000.00	देव ट्रेडर्स
16.08.2018	203	10000.00	देव ट्रेडर्स
29.08.2018	232	36720.00	देव ट्रेडर्स
29.08.2018	226	2894.00	देव ट्रेडर्स
06.11.2018	242	41369.00	देव ट्रेडर्स
15.01.2019	332	53200.00	देव ट्रेडर्स
18.01.2019	337	46240.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	284	6000.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	275	1450.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	278	1420.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	279	50000.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	283	10000.00	देव ट्रेडर्स
01.03.2019	274	10906.00	देव ट्रेडर्स
16.03.2019	395	72501.00	देव ट्रेडर्स
16.03.2019	394	10000.00	देव ट्रेडर्स
31.01.2019	341	4940.00	शर्मा सीमेन्ट स्टोर
27.08.2018	227	39659.00	गहलोत ट्रेडर्स
27.08.2018	230	13641.00	गहलोत ट्रेडर्स
28.08.2018	231	22800.00	गहलोत ट्रेडर्स
12.11.2018	242	25630.00	गहलोत ट्रेडर्स
01.01.2019	304	15000.00	गहलोत ट्रेडर्स
28.02.2019	281	10000.00	प्रिन्स सीमेन्ट स्टोर
28.02.2019	280	10000.00	प्रिन्स सीमेन्ट स्टोर
28.02.2019	282	10000.00	प्रिन्स सीमेन्ट स्टोर
30.10.2018	240	10000.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
19.12.2018	266	19485.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
19.12.2018	268	15000.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
19.12.2018	265	21309.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	264	10000.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
02.01.2019	305	12622.00	हिन्दुस्तान सीमेन्ट स्टोर
06.11.2018	249	5000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
06.11.2018	244	3350.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
06.11.2018	243	3000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
10.12.2018	261	10000.00	सिंह ट्रेडर्स
14.01.2019	336	4940.00	सिंह ट्रेडर्स
14.01.2019	335	4940.00	सिंह ट्रेडर्स
14.01.2019	334	4940.00	सिंह ट्रेडर्स
योग		687346.00	

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018092 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 206792.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
26.04.2018	132	7400.00	आकाश आयरन स्टोर
07.06.2018	167	20000.00	आकाश आयरन स्टोर
26.09.2018	238	5000.00	सैफी आयरन स्टोर
02.08.2018	190	10000.00	एस०के० मेटलस सगत
02.08.2018	189	10000.00	एस०के० मेटलस सगत
30.08.2018	210	8320.00	एस०के० मेटलस सगत
16.11.2018	247	5000.00	एस०के० मेटलस सगत
16.11.2018	250	4500.00	एस०के० मेटलस सगत
16.11.2018	248	5000.00	एस०के० मेटलस सगत
16.11.2018	254	5000.00	एस०के० मेटलस सगत
25.01.2019	344	1572.00	एस०के० मेटलस सगत
23.08.2018	206	84000.00	कृष्णा
25.09.2018	213	10000.00	जेड०ए०स्सील स्टोर
30.10.2018	222	10000.00	जेड०ए०स्सील स्टोर
20.11.2018	258	5000.00	एस०एस० एग्रीकल्चर स्टोर
20.12.2018	267	15000.00	एस०एस० एग्रीकल्चर स्टोर
योग		206792.00	

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती परनदेई द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018092 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 15000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
25.06.2018	175	5000.00	श्रीमती परनदेई
27.06.2018	176	5000.00	श्रीमती परनदेई
16.08.2018	204	5000.00	श्रीमती परनदेई
योग		15000.00	

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018092 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 245568.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
03.04.2018	127	5000.00	श्री अतरसिंह

17.04.2018	131	5000.00	श्री अतरसिंह
04.06.2018	171	5000.00	श्री अतरसिंह
07.07.2018	182	5000.00	श्री अतरसिंह
21.08.2018	207	5000.00	श्री अतरसिंह
28.08.2018	233	5000.00	श्री अतरसिंह
19.09.2018	211	5000.00	श्री अतरसिंह
09.10.2018	212	1100.00	श्री अतरसिंह
06.04.2018	129	5000.00	श्री नफीस अहमद
13.04.2018	130	2850.00	श्री नफीस अहमद
01.05.2018	198	2500.00	श्री नफीस अहमद
15.06.2018	174	5000.00	श्री नफीस अहमद
06.12.2018	262	5000.00	श्री नफीस अहमद
06.12.2018	259	2000.00	श्री नफीस अहमद
31.12.2018	308	5000.00	श्री नफीस अहमद
04.04.2018	125	4000.00	श्री लाखनसिंह
01.06.2018	168	5000.00	श्री लाखनसिंह
02.06.2018	169	4000.00	श्री लाखनसिंह
18.12.2018	269	2468.00	श्री लाखनसिंह
02.05.2018	158	7250.00	श्री पप्पू
02.05.2018	157	5000.00	श्री पप्पू
09.05.2018	200	5000.00	श्री मनवेन्द्र सिंह
23.07.2018	185	5000.00	श्री मनवेन्द्र सिंह
24.07.2018	188	5000.00	श्री मनवेन्द्र सिंह
04.08.2018	193	5000.00	श्री मनवेन्द्र सिंह
31.07.2018	191	5000.00	श्री फईम अली
07.08.2018	202	5000.00	श्री फईम अली
08.08.2018	195	5000.00	श्री फईम अली
09.08.2018	201	5000.00	श्री फईम अली
18.08.2018	205	5000.00	श्री फईम अली
29.08.2018	235	5000.00	श्री फईम अल
01.09.2018	236	5000.00	श्री फईम अली
16.11.2018	255	5000.00	श्री फईम अली
24.12.2018	270	1000.00	श्री फईम अली
02.01.2019	309	5000.00	श्री फईम अली
26.03.2019	417	4940.00	श्री फईम अली
26.03.2019	414	4940.00	श्री फईम अली
03.10.2018	239	5000.00	श्री ओमप्रकाश
12.11.2018	251	5000.00	श्री ओमप्रकाश
25.06.2018	177	2000.00	श्री ब्रिजकिशोर
26.06.2018	178	4940.00	श्री ब्रिजकिशोर
15.03.2019	404	4940.00	श्री ताहिर सारम
15.03.2019	401	4940.00	श्री ताहिर सारम
15.03.2019	405	4940.00	श्री ताहिर सारम
15.03.2019	403	4940.00	श्री ताहिर सारम
15.03.2019	402	4940.00	श्री ताहिर सारम
25.03.2019	415	4940.00	श्री ताहिर सारम
25.03.2019	416	4940.00	श्री ताहिर सारम
25.03.2019	419	4940.00	श्री ताहिर सारम
10.07.2018	181	5000.00	श्री ठाकुरदास

02.08.2018	187	5000.00	श्री ठाकुरदास
02.08.2018	186	5000.00	श्री ठाकुरदास
23.10.2018	215	5000.00	श्री ठाकुरदास
20.12.2018	263	5000.00	श्री ठाकुरदास
योग		245568.00	

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 07220100018092 से भुगतान शाखा प्रबन्धक कैनरा बैंक, शाखा प्रबन्धक, एस०बी०आई० बैंक, को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 46950.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.09.2018	237	19750.00	शाखा प्रबन्धक कैनरा बैंक
12.09.2018	209	27200.00	शाखा प्रबन्धक, एस०बी०आई० बैंक,
योग		46950.00	

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 07220100018092 से रु० 196276.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 196276.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि०ख०-मिलक मण्डल का नाम-मुरादाबाद
20-ग्राम पंचायत- हरदुआ लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018054 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 506443.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
06.04.2018	347	15120.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
10.04.2018	340	19574.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
10.04.2018	334	13550.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
10.04.2018	350	12600.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
10.04.2018	360	10316.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
10.04.2018	336	18459.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक

10.04.2018	344	7623.00₹	यु रामस्वरूप ब्रिक
03.11.2018	428	46000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
30.11.2018	368	45121.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
04.12.2018	373	63587.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
13.12.2018	404	45731.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
18.12.2018	406	65231.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
18.03.2019	451	30000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
18.03.2019	450	10000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
27.03.2019	462	15000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
27.03.2019	463	15000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक
27.03.2019	512	3219.00₹	यु रामस्वरूप ब्रिक
27.03.2019	516	7770.00₹	यु रामस्वरूप ब्रिक
30.10.2018	389	45000.00	रूमेशा ब्रिक सेन्टर
29.12.2018	395	17542.00	रूमेशा ब्रिक सेन्टर
योग		506443.0	

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018054 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹ 964473.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
03.04.2018	328	48960.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	329	60334.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	330	42432.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	346	58199.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	348	39168.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	349	49975.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	326	35904.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	327	54140.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
12.04.2018	342	35680.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
12.04.2018	339	62918.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
12.04.2018	358	26438.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
12.04.2018	359	32934.00	अबनीश सीमेन्ट स्टोर
16.04.2018	357	37806.00	खालसा सीमेन्ट स्टोर
24.04.2018	356	13326.00	खालसा सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	416	8884.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	417	24647.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	415	45099.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
13.03.2019	441	10000.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
13.03.2019	443	15000.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
13.03.2019	442	20000.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	468	18478.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	469	18877.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	470	30000.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	471	43055.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर

30.03.2019	475	37209.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	419	40000.00	अली सीमेन्ट स्टोर
06.3.2019	420	40000.00	अली सीमेन्ट स्टोर
25.03.2019	453	15000.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
योग		964473.00	

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100018054 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 111235.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं0 धनराशि विवरण

10.10.2018	384	84000.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
12.02.2019	418	4995.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
04.01.2019	408	222240.00	आर0के0 ट्रेडिंग कम्पनी
योग		111235.00	

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री रामवीर द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100018054 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 54480.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
10.04.2018	345	5000.00	श्री रामवीर
27.09.2018	380	5000.00	श्री रामवीर
28.09.2018	381	5000.00	श्री रामवीर
29.09.2018	382	4000.00	श्री रामवीर
29.10.2018	386	5000.00	श्री रामवीर
30.10.2018	387	5000.00	श्री रामवीर
03.11.2018	422	5000.00	श्री रामवीर
06.11.2018	390	5000.00	श्री रामवीर
13.11.2018	423	3000.00	श्री रामवीर
07.12.2018	365	4940.00	श्री रामवीर
14.12.2018	398	4940.00	श्री रामवीर
03.01.2019	405	2600.00	श्री रामवीर
योग		54480.00	

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100018054 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत

नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 110295.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.04.2018	351	4900.00	श्री राजवीर सिंह
05.04.2018	354	4900.00	श्री राजवीर सिंह
05.04.2018	353	4900.00	श्री राजवीर सिंह
09.04.2018	355	5000.00	श्री अरविन्द कुमार
16.05.2018	379	2000.00	श्री अरविन्द कुमार
29.03.2018	519	4940.00	श्री दीपक कुमार
16.11.2018	432	5000.00	श्री शमशुद्दीन
17.11.2018	433	4500.00	श्री शमशुद्दीन
07.05.2018	378	2000.00	श्री विपिन कुमार
18.03.2019	446	5000.00	श्री विपिन कुमार
12.11.2018	424	5000.00	श्री जागनलाल
14.11.2018	430	4000.00	श्री जागनलाल
03.12.2018	366	4940.00	श्री छोटेलाल
05.12.2018	367	4940.00	श्री छोटेलाल
10.12.2018	374	4940.00	श्री छोटेलाल
12.12.2018	392	4940.00	श्री छोटेलाल
13.12.2018	391	4940.00	श्री छोटेलाल
29.12.2018	400	3800.00	श्री छोटेलाल
30.03.2019	467	15997.00	श्री गंगबहादुर
30.03.2019	473	2993.00	श्री गंगबहादुर
30.03.2019	474	4233.00	श्री गंगबहादुर
30.03.2019	477	3172.00	श्री गंगबहादुर
30.03.2019	478	3260.00	श्री गंगबहादुर
योग		110295.00	

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 07220100018054 से भुगतान बार-बार शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 323875.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
16.04.2018	335	37375.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
08.05.2018	376	25575.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
12.11.2018	429	27690.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
17.11.2018	431	30000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
22.11.2018	364	29640.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा

30.11.2018	371	30680.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
16.03.2019	448	17575.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
16.03.2019	449	24580.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
27.03.2019	514	13545.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
27.03.2019	465	24580.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
27.03.2019	464	24580.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
28.03.2019	518	37785.00	प्लाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		323875.00	

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 07220100018054 से भुगतान बार-बार ट्रॉन्सफर किया गया है। जो ट्रॉन्सफर किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 713076.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
25.03.2019	454	40000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	455	60000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	456	40000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	457	60000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	458	35000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	459	50000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.03.2019	461	50000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
27.03.2019	511	41829.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
04.04.2018	323	27035.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
05.05.2018	331	39685.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
08.05.2018	341	50625.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
08.05.2018	338	50625.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
08.05.2018	ट्रॉन्सफर	25400.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
04.12.2018	372	82215.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
13.12.2018	403	21368.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
13.12.2018	397	12294.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
14.12.2018	413	27000.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
योग		713076.00	

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 07220100018054 से रु0 182410.50 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 182410.50) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर

वि0ख0-मिलक

मण्डल का नाम-मुरादाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100000150 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 344160.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
11.06.2018	142	50000.00	गहलोत ट्रेडर्स
25.06.2018	145	7380.00	गहलोत ट्रेडर्स
01.09.2018	155	38877.00	गहलोत ट्रेडर्स
20.12.2018	171	108000.00	गहलोत ट्रेडर्स
04.01.2019	180	22703.00	गहलोत ट्रेडर्स
27.02.2019	190	30000.00	गहलोत ट्रेडर्स
04.10.2018	167	67200.00	श्री राम ट्रेडर्स
21.02.2019	188	20000.00	देव ट्रेडर्स
योग			

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100000150 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 96116.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
13.03.2019	198	35508.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
13.03.2019	197	35608.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
27.12.2018	170	25000.00	एन0 के0
योग		96116.00	

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री ठाकुरदास द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100000150 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 87000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण

05.05.2018	136	5000.00	श्री ठाकुरदास
24.05.2018	137	5000.00	श्री ठाकुरदास
04.06.2018	139	5000.00	श्री ठाकुरदास
14.06.2018	144	5000.00	श्री ठाकुरदास
14.06.2018	143	5000.00	श्री ठाकुरदास
10.07.2018	148	2750.00	श्री ठाकुरदास
10.07.2018	150	2250.00	श्री ठाकुरदास
21.08.2018	151	35000.00	श्री ठाकुरदास
29.08.2019	152	5000.00	श्री ठाकुरदास
12.09.2018	160	5000.00	श्री ठाकुरदास
15.09.2018	161	5000.00	श्री ठाकुरदास
29.10.2018	251	5000.00	श्री ठाकुरदास
29.10.2018	252	2000.00	श्री ठाकुरदास
योग		87000.00	

प्रस्तर 91 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100000150 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 88186.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	132	5000.00	श्री बब्लू
25.05.2018	138	5000.00	श्री जुबैर अहमद
22.06.2018	147	5000.00	श्री जयदेव
22.06.2018	149	5000.00	श्री जयदेव
13.09.2018	157	3750.00	श्री जयदेव
03.10.2018	164	5000.00	श्री जयदेव
05.10.2018	162	5000.00	श्री राजेन्द्र
02.01.2019	174	5000.00	श्री राजेन्द्र
24.01.2019	183	1370.00	श्री राजेन्द्र
30.03.2019	192	660.00	श्री राजेन्द्र
30.03.2019	203	5000.00	श्री राजेन्द्र
04.10.2018	158	3500.00	श्री राजचरन
04.10.2018	153	3547.00	श्री राजचरन
14.11.2018	253	14359.00	श्री सिद्धार्थ
21.12.2018	173	5000.00	श्री फिरासत अली
21.12.2018	175	5000.00	श्री फिरासत अली
02.01.2019	168	5000.00	श्री भूपराम
30.03.2019	202	5000.00	श्री भूपराम
08.03.2019	195	1000.00	श्री ब्रिजमोहन
योग		88186.00	

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 07220100000150 से भुगतान बार-बार शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 101750.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
12.09.2018	156	40000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
20.12.2018	172	35000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
04.01.2019	178	26750.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		101750.00	

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 07220100000150 से रु0 65086.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 65086.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0-मिलक मण्डल का नाम-मुरादाबाद
22-ग्राम पंचायत- जगतपुर लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100018056 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1191128.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
16.04.2018	368	50400.00	रहमान ब्रिक
01.11.2018	ट्रॉन्सफर	72981.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
01.11.2018	428	90000.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
17.11.2018	431	83744.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
26.11.2018	397	80000.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
26.11.2018	404	7257.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
26.11.2018	398	41989.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
03.12.2018	410	7830.00	उमेश ब्रिक सेन्टर

27.12.2018	287	55264.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
27.12.2018	286	38851.00	उमेश ब्रिक सेन्टर
12.04.2018	367	32640.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
02.05.2018	370	50400.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
24.10.2018	423	45218.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
01.11.2018	430	97171.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
16.11.2018	257	81976.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
16.11.2018	264	79834.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
19.11.2018	263	90000.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07.03.2019	440	71826.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
07.03.2019	441	26863.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
30.03.2019	384	18697.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
30.03.2019	472	1937.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
11.03.2019	526	66250.00	न्यु रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
योग		1191128.00	

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018056 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 244847.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.09.2018	452	44336.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
17.09.2018	453	48248.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	383	40536.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
30.03.2019	381	53856.00	गंगवार सीमेन्ट स्टोर
26.11.2018	392	15310.00	सिद्धिकी ट्रेडर्स
27.12.2018	413	8778.00	सिद्धिकी ट्रेडर्स
27.12.2018	292	4800.00	सिद्धिकी ट्रेडर्स
22.11.2018	258	20383.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
04.01.2019	380	8600.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
योग		244847.00	

प्रस्तर 96 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018056 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 479184.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	364	35930.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
06.12.2018	411	9164.00	श्री साईं सनैट्री स्टोर
12.10.2018	463	7500.00	प्रिन्स इण्टरप्राइजेज

12.10.2018	461	6000.00	प्रिन्स इण्टरप्राइजेज
06.02.2019	437	15000.00	आर0बी0 इण्टरप्राइजेज
14.03.2019	474	34369.00	आर0बी0 इण्टरप्राइजेज
01.12.2018	394	22244.00	सिंह इण्टरप्राइजेज
29.10.2018	427	51500.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
29.10.2018	426	45000.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
15.11.2018	435	14398.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
15.11.2018	256	29711.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
27.11.2018	405	58219.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
01.01.2019	307	11745.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
01.01.2019	306	12404.00	गॉजी इण्टरप्राइजेज
12.10.2018	464	126000.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राइजेज
योग		479184.00	

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती कुमकुम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018056 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 95972.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.04.2018	365	17500.00	श्रीमती कुमकुम
08.10.2018	462	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	294	3460.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	378	1500.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	313	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	414	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	309	4400.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	308	4400.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	315	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	310	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	311	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	297	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	314	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	312	5000.00	श्रीमती कुमकुम
28.12.2018	303	5000.00	श्रीमती कुमकुम
14.03.2019	467	5000.00	श्रीमती कुमकुम
14.03.2019	468	5000.00	श्रीमती कुमकुम
14.03.2019	473	803.00	श्रीमती कुमकुम
14.03.2019	470	3909.00	श्रीमती कुमकुम
योग		95972.00	

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018056 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम

प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 92134.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांकचैक नं० धनराशि विवरण

02.05.2018	371	4900.00	श्री अवनीश
13.03.2019	409	4900.00	श्री अवनीश
03.10.2018	459	2000.00	श्री ब्रिजमोहन
12.11.2018	434	2500.00	श्री ब्रिजमोहन
18.03.2019	478	2000.00	श्री ब्रिजमोहन
17.09.2018	451	3361.00	श्री राकेश
18.09.2018	454	3361.00	श्री राकेश
29.09.2018	460	4900.00	श्री बाबूराम
15.12.2018	416	4160.00	श्री बाबूराम
17.11.2018	259	5000.00	श्री ब्रिजमोहन
19.11.2018	260	4200.00	श्री राजेश
29.11.2018	407	2492.00	श्री राजेश
15.12.2018	401	5000.00	श्री राजेश
15.12.2018	4000	1180.00	श्री राजेश
19.12.2018	403	1500.00	श्री राजेश
24.10.2018	424	2400.00	श्री राजेन्द्र
10.12.2018	412	4000.00	श्री जयविशन्द्रा
22.11.2018	402	4500.00	श्री चन्द्रपाल
27.12.2018	420	5000.00	श्री कपिल देव
04.01.2019	379	5000.00	श्री विजयपाल
17.12.2018	417	4940.00	श्री धर्मपाल
05.03.2019	466	4900.00	श्री मिक्की खां
19.13.2019	479	4940.00	श्री हुकमसिंह
25.03.2019	480	5000.00	श्री मनोज कुमार
योग		92134.00	

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 07220100018056 से भुगतान बार-बार ट्रॉन्सफर किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1048625.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
21.04.2018	369	31900.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
19.09.2018	457	41328.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
19.09.2018	456	37720.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
22.10.2018	465	42215.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
22.10.2018	421	35330.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात

20.10.2018	422	48648.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
25.10.2018	425	42215.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
03.11.2018	433	50640.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
03.11.2018	432	49125.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
15.11.2018	262	27031.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
15.11.2018	266	42250.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
17.11.2018	265	44580.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
17.11.2018	201	35880.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
22.11.2018	399	36700.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
22.11.2018	395	24260.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	267	90965.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	408	38214.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	391	26741.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	396	10492.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	269	44660.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	409	12100.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
26.11.2018	406	19580.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
21.12.2018	299	9406.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
21.12.2018	300	8760.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
21.12.2018	290	29380.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
21.12.2018	288	39520.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
06.03.2019	446	24066.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
06.03.2019	447	11070.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
11.03.2019	528	14060.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
11.03.2019	527	21424.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
16.03.2019	450	27684.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
16.03.2019	449	30681.00	ट्रॉन्सफर अज्ञात
योग		1048625.00	

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 07220100018056से रू० 204703.50 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अर्न्तगत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू० 204703.50) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर

वि०ख०-मिलक

मण्डल का नाम-मुरादाबाद

23-ग्राम पंचायत- लखीमपुर बिश्नू

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018000 से ईट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम

204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 164212.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.07.2018	186	29700.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
14.12.2018	255	6129.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
14.12.2018	242	15823.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05.02.2019	176	6390.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05.02.2019	220	7776.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
05.02.2019	201	28963.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
12.03.2019	273	11340.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.03.2019	262	43060.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
29.03.2019	261	15031.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक इण्डस्ट्रीज
योग		164212.00	

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018000 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 828423.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.07.2018	187	45451.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
16.11.2018	241	45383.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
14.12.2018	252	52169.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
14.12.2018	249	64848.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	199	5427.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	171	33501.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	172	33501.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	173	33501.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	217	45964.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	218	48843.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
23.01.2019	219	26062.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
12.03.2019	271	103390.0	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
12.03.2019	277	34560.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
12.03.2019	276	41472.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
25.03.2019	259	117051.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
25.03.2019	260	97300.00	स्नेहिल सीमेन्ट एजेन्सी
योग		828423.00	

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018000 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 347726.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
20.11.2018	244	45875.00	श्री साई सनैट्री स्टोर
18.12.2018	251	59696.00	श्री साई सनैट्री स्टोर
18.12.2018	256	51837.00	श्री साई सनैट्री स्टोर
04.01.2019	216	7000.00	प्रिन्स इण्टरप्राइजेज
29.11.2018	245	27074.00	राजा सनैट्री स्टोर
17.12.2018	253	6243.00	सिंह इण्टरप्राइजेज
17.12.2018	250	7327.00	सिंह इण्टरप्राइजेज
05.01.2019	227	16674.00	सिंह इण्टरप्राइजेज
01.02.2019	197	63000.00	एस0डी0 इण्टरप्राइजेज
04.02.2019	198	63000.00	एस0डी0 इण्टरप्राइजेज
योग		347726.00	

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री सचिन त्रिवेदी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 07220100018000 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 63976.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
15.06.2018	160	17500.00	श्री सचिन त्रिवेदी
15.06.2018	161	10500.00	श्री सचिन त्रिवेदी
16.11.2018	246	4680.00	श्री सचिन त्रिवेदी
20.11.2018	247	1296.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	281	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	285	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	284	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	283	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	282	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
13.03.2019	280	5000.00	श्री सचिन त्रिवेदी
योग		63976.00	

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 07220100018000 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की

धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 187517.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
15.12.2018	237	4002.00	श्री नदीम
28.01.2019	175	3322.00	श्री नदीम
18.12.2018	233	3600.00	श्री मोहन स्वरूप
18.12.2018	228	3828.00	श्री मोहन स्वरूप
18.12.2018	234	3240.00	श्री मोहन स्वरूप
12.07.2018	185	4990.00	श्री अंगनलाल
31.07.2018	163	4950.00	श्री अंगनलाल
31.07.2018	164	4990.00	श्री अंगनलाल
01.08.2018	165	4870.00	श्री कपिल देव
01.08.2018	189	2190.00	श्री कपिल देव
18.12.2018	239	2088.00	श्री जयकीरत
18.12.2018	230	3828.00	श्री जयकीरत
18.12.2018	229	3828.00	श्री जयकीरत
29.09.2018	192	4872.00	श्री मोहनलाल
18.12.2018	236	4002.00	श्री सत्तार अली
21.12.2018	213	4320.00	श्री सत्तार अली
24.01.2019	167	4076.00	श्री सत्तार अली
29.06.2018	162	2000.00	श्री ब्रिजमोहन
27.12.2018	215	4320.00	श्री महरन
22.01.2019	224	2550.00	श्री महरन
23.01.2019	221	3696.00	श्री नेमचन्द
12.03.2019	272	5000.00	श्री नेमचन्द
28.03.2019	264	3839.00	श्री नेमचन्द
24.01.2019	166	4076.00	श्री फिरासत अली
24.01.2019	225	4250.00	श्री सुल्तान
24.01.2019	168	4425.00	श्री तनवीर
07.02.2019	210	2554.00	श्री मुबारक
07.02.2019	209	4000.00	श्री मुबारक
13.03.2019	275	3002.00	श्री मुबारक
25.03.2019	267	5000.00	श्री मुबारक
26.03.2019	266	5000.00	श्री मुबारक
27.03.2019	268	4522.00	श्री मुबारक
29.03.2019	025924	35588.00	श्री सर्ईद अहमद कॉन्ट्रेक्टर
29.03.2019	025925	25000.00	श्री सर्ईद अहमद कॉन्ट्रेक्टर

योग

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं० 07220100018000 से भुगतान बार-बार षाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 173670.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण

26.04.2018	158	5760.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
26.04.2018	153	9000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
08.03.2019	278	34590.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
29.03.2019	269	52398.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
30.03.2018	270	48690.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
16.07.2018	188	33232.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		173670.00	

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 07220100018000 से रू० 134572.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू० 134572.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—मिलक मण्डल का नाम—मुरादाबाद

24—ग्राम पंचायत— परशुपुरा लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018020 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू० 389396.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
11.04.2018	286	2755.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
11.04.2018	339	3265.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
11.04.2018	336	7380.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
17.05.2018	361	24000.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
17.05.2018	369	23400.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
16.08.2018	362	9424.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
21.08.2018	417	37124.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
21.08.2018	409	32226.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
13.09.2018	394	58212.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
20.09.2018	403	29137.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
25.09.2018	405	74368.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
02.11.2018	462	33663.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
14.11.2018	570	6700.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
22.01.2019	531	7428.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
22.01.2019	532	7925.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
18.02.2019	623	13626.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
29.03.2019	660	17272.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक

29.03.2019	596	1691.00	न्यू रामस्वरूप ब्रिक
योग		389396.00	

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018020 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1057550.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
03.04.2018	316	13262.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	318	41340.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
03.04.2018	317	39188.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
09.04.2018	340	67828.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
09.04.2018	333	13995.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
19.05.2018	362	12000.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
23.05.2018	372	12000.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
23.07.2018	387	63422.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	351	82592.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
27.08.2018	407	20330.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
27.08.2018	415	17197.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
27.08.2018	357	1017.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
01.10.2018	402	34126.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
01.11.2018	461	28300.00	राठौर सीमेन्ट स्टोर
20.09.2018	466	38240.00	अग्रवाल सीमेन्ट ट्रेडर्स
29.03.2019	657	127108.00	नेहा सीमेन्ट स्टोर
08.10.2018	470	10000.00	कमल ट्रेडर्स
04.12.2018	500	6400.00	कमल ट्रेडर्स
10.04.2018	345	39812.00	योगेश सीमेन्ट स्टोर
02.01.2019	556	48943.00	सीताराम ट्रेडर्स
02.01.2019	557	46679.00	सीताराम ट्रेडर्स
28.01.2019	529	43065.00	सीताराम ट्रेडर्स
28.01.2019	530	32480.00	सीताराम ट्रेडर्स
21.02.2019	622	161576.00	सीताराम ट्रेडर्स
07.03.2019	595	23050.00	सीताराम ट्रेडर्स
07.03.2019	598	32600.00	सीताराम ट्रेडर्स
योग		1057550.00	

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100018020 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 173845.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण

17.09.2018	404	84000.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
13.02.2019	617	4995.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
28.11.2018	499	16000.00	शिव एग्रीकल्चर स्टोर
06.11.2018	509	68850.00	शेखर इण्टरप्राईजेज
योग		173845.00	

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री करन सिंह द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018043 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 84773.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
09.04.2018	298	3500.00	श्री करन सिंह
13.04.2018	297	3500.00	श्री करन सिंह
18.04.2018	300	3500.00	श्री करन सिंह
24.04.2018	287	4900.00	श्री करन सिंह
07.05.2018	364	4900.00	श्री करन सिंह
08.05.2018	363	3500.00	श्री करन सिंह
10.05.2018	365	3500.00	श्री करन सिंह
14.05.2018	368	4900.00	श्री करन सिंह
18.05.2018	371	3500.00	श्री करन सिंह
27.08.2018	406	5000.00	श्री करन सिंह
24.09.2018	439	3500.00	श्री करन सिंह
25.09.2018	447	1693.00	श्री करन सिंह
25.09.2018	393	2880.00	श्री करन सिंह
27.09.2018	469	5000.00	श्री करन सिंह
02.11.2018	458	3500.00	श्री करन सिंह
06.11.2018	457	3500.00	श्री करन सिंह
13.11.2018	456	3500.00	श्री करन सिंह
05.12.2018	431	3500.00	श्री करन सिंह
07.12.2018	434	5000.00	श्री करन सिंह
10.12.2018	433	3500.00	श्री करन सिंह
15.12.2018	435	5000.00	श्री करन सिंह
07.01.2019	511	3500.00	श्री करन सिंह
योग		84773.00	

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 07220100018020 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की

धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 252199.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
10.04.2018	299	1800.00	श्री ब्रिजमोहन
07.05.2018	366	2000.00	श्री ब्रिजमोहन
23.07.2018	348	5000.00	श्री ब्रिजमोहन
10.04.2018	343	3850.00	श्री राजवीर
10.04.2018	344	4200.00	श्री राजवीर
16.04.2018	338	5000.00	श्री राजवीर
02.05.2018	294	4025.00	श्री राजवीर
02.05.2018	290	4075.00	श्री राजवीर
06.07.2018	378	4200.00	श्री राजवीर
08.03.2018	590	5000.00	श्री राजवीर
11.04.2018	341	5000.00	श्री चुन्नीलाल
16.04.2018	334	3500.00	श्री चुन्नीलाल
09.05.2018	328	1050.00	श्री चुन्नीलाल
29.08.2018	402	5000.00	श्री चुन्नीलाल
04.09.2018	445	2191.00	श्री चुन्नीलाल
27.11.2018	503	3000.00	श्री चुन्नीलाल
28.01.2019	534	4295.00	श्री चुन्नीलाल
04.02.2019	537	3559.00	श्री चुन्नीलाल
11.04.2018	342	2260.00	श्री जयसिंह
11.04.2018	332	1750.00	श्री जयसिंह
16.04.2018	335	1600.00	श्री जयसिंह
16.04.2018	296	4680.00	श्री जयसिंह
16.04.2018	288	4680.00	श्री जयसिंह
18.04.2018	331	590.00	श्री जयसिंह
04.06.2018	374	4900.00	श्री जयसिंह
06.06.2018	375	4680.00	श्री जयसिंह
14.03.2018	630	5000.00	श्री जयसिंह
19.04.2018	292	4900.00	श्री धर्मेश
20.04.2018	293	4900.00	श्री धर्मेश
01.05.2018	289	4680.00	श्री धर्मेश
28.06.2018	376	4800.00	श्री धर्मेश
26.04.2018	291	4900.00	श्री छोटेलाल
23.08.2018	413	5000.00	श्री ओमकार
24.08.2018	412	5000.00	श्री ओमकार
07.09.2018	414	4339.00	श्री ओमकार
21.08.2018	418	5000.00	श्री रघुनाथ
28.08.2018	419	5000.00	श्री रघुनाथ
13.09.2018	395	5000.00	श्री जफर अली
17.09.2018	398	5000.00	श्री जफर अली
18.09.2018	396	5000.00	श्री जफर अली
25.09.2018	399	5000.00	श्री जफर अली
07.08.2018	353	4800.00	श्री जयप्रकाश
05.09.2018	359	4000.00	श्री जयप्रकाश
20.10.2018	479	4800.00	श्री जयप्रकाश
24.10.2018	451	4800.00	श्री जयप्रकाश

16.11.2018	421	4800.00	श्री जयप्रकाश
04.01.2019	570	2400.00	श्री जयप्रकाश
06.02.2019	540	1520.00	श्री जयप्रकाश
30.07.2018	350	4800.00	श्री मुकेश
19.09.2018	437	3600.00	श्री मुकेश
17.01.2019	526	2400.00	श्री मुकेश
26.02.2019	593	4800.00	श्री मुकेश
31.08.2018	450	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
06.11.2018	505	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
06.11.2018	506	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
13.11.2018	427	4800.00	श्री प्रशान्त सागर
13.11.2018	428	4375.00	श्री प्रशान्त सागर
13.11.2018	429	4900.00	श्री प्रशान्त सागर
13.11.2018	507	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
13.11.2018	508	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
27.12.2018	430	5000.00	श्री प्रशान्त सागर
18.07.2018	389	4200.00	श्री बब्लू
योग		252199.00	

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 07220100018020 से भुगतान बार-बार शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा को किया गया है। जो किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 40225.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
05.10.2018	477	18025.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
12.02.2019	616	22200.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा
योग		40225.00	

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 072201000180020 से रु0 457732.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 457732.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—शाहबाद मण्डल का नाम—मुरादाबाद
 25—ग्राम पंचायत— कमरुद्दीन नगर लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19
 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 115—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 07220100017993 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न

होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 170000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
06.03.2019	205	60000.00	इण्डिया ब्रिक फिल्ड
26.02.2019	206	25000.00	खलील ब्रिक फिल्ड
03.07.2018	174	35000.00	शान ब्रिक बर्कस
13.08.2018	230	50000.00	शान ब्रिक बर्क
योग		170000.00	

प्रस्तर 116— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100017993 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 191800.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
13.04.2018	153	10000.00	विष्णू सीमेन्ट स्टोर
30.06.2018	173	20000.00	विष्णू सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	231	30000.00	विष्णू सीमेन्ट स्टोर
18.09.2018	215	50000.00	विष्णू सीमेन्ट स्टोर
03.10.2018	214	20000.00	विष्णू सीमेन्ट स्टोर
21.07.2018	184	16800.00	सिद्धिकी ट्रेडर्स
28.11.2018	234	25000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
13.12.2018	225	20000.00	बालाजी सीमेन्ट स्टोर
योग—		191800.00	

प्रस्तर 117—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 07220100017993 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 780690.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	156	71869.00	श्री सॉई सनैट्री स्टोर
28.12.2018	211	13393.00	श्री सॉई सनैट्री स्टोर
03.10.2018	212	20000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
14.11.2018	217	1000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
20.12.2018	196	95000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
07.01.2019	178	125662.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
17.01.2019	200	95000.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
22.02.2019	204	137450.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
15.03.2019	242	112726.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज
16.03.2019	243	122600.00	प्रिया इण्टरप्राइजेज

22.05.2018	149	14000.00	शिव एग्रीकल्चर स्टोर
25.02.2019	202	8000.00	शिव एग्रीकल्चर स्टोर
04.08.2018	226	80000.00	एस0डी0इण्टरप्राईजेज
18.03.2019	163	4995.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
18.03.2019	162	4995.00	दिव्य शक्ति इण्टरप्राईजेज
योग—		780690.00	

प्रस्तर 118—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती रूपवती द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 07220100017993 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 115000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
13.04.2018	154	5000.00	श्रीमती रूपवती
16.04.2018	157	5000.00	श्रीमती रूपवती
26.04.2018	159	5000.00	श्रीमती रूपवती
08.05.2018	161	5000.00	श्रीमती रूपवती
25.06.2018	170	5000.00	श्रीमती रूपवती
25.06.2018	169	5000.00	श्रीमती रूपवती
11.07.2018	175	5000.00	श्रीमती रूपवती
11.07.2018	176	5000.00	श्रीमती रूपवती
21.07.2018	189	5000.00	श्रीमती रूपवती
21.07.2018	190	5000.00	श्रीमती रूपवती
24.07.2018	193	5000.00	श्रीमती रूपवती
24.07.2018	192	5000.00	श्रीमती रूपवती
28.11.2018	219	5000.00	श्रीमती रूपवती
28.11.2018	220	5000.00	श्रीमती रूपवती
28.11.2018	221	5000.00	श्रीमती रूपवती
04.12.2018	222	5000.00	श्रीमती रूपवती
04.12.2018	223	5000.00	श्रीमती रूपवती
27.12.2018	197	5000.00	श्रीमती रूपवती
07.03.2019	164	5000.00	श्रीमती रूपवती
07.03.2019	165	5000.00	श्रीमती रूपवती
07.03.2019	180	5000.00	श्रीमती रूपवती
07.03.2019	237	5000.00	श्रीमती रूपवती
07.03.2019	238	5000.00	श्रीमती रूपवती
योग—		115000.00	

प्रस्तर 119—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा अन्य के नामों से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 07220100017993 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे

खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 118992.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
06.04.2018	147	4492.00	श्री पुरमान
03.04.2018	148	5000.00	श्री जगदीश
06.04.2018	151	5000.00	श्री जगदीश
06.04.2018	152	5000.00	श्री जगदीश
16.04.2018	155	5000.00	श्री जगदीश
17.04.2018	158	5000.00	श्री जगदीश
16.05.2018	150	5000.00	श्री जगदीश
17.05.2018	166	5000.00	श्री जगदीश
15.03.2019	241	5000.00	श्री जगदीश
19.05.2018	168	5000.00	श्री राजकुमार
07.05.2018	160	4500.00	श्री नरेश कुमार
21.05.2018	167	5000.00	श्री रामपुकार
30.06.2018	172	5000.00	श्री ब्रिजमोहन
30.06.2018	171	5000.00	श्री श्री फईम
16.07.2018	182	5000.00	श्री फईम
16.07.2018	183	5000.00	श्री फईम
16.07.2018	185	5000.00	श्री फईम
16.07.2018	187	5000.00	श्री फईम
03.08.2018	227	5000.00	श्री फईम
03.08.2018	228	5000.00	श्री फईम
03.08.2018	229	5000.00	श्री फईम
20.08.2018	177	5000.00	श्री अंगनलाल
16.03.2019	179	5000.00	श्री अंगनलाल
23.08.2018	233	5000.00	श्री कपिलदेव
योग		118992.00	

प्रस्तर 120—ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 07220100017993 से भुगतान शाखा प्रबन्धक बैं ऑफ बडोदा को बार—बार ट्रान्सफर किया गया है। जो ट्रान्सफर किया गया भुगतान अज्ञात रहा। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 154700) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
03.04.2018	024150	14700.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
18.08.2018	232	20000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
28.09.2018	215	50000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
03.10.2018	213	20000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
28.11.2018	235	25000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
13.12.2018	224	25000.00	शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा
योग		154700.00	

प्रस्तर 121—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 07220100017993 से रु० 143082.50 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 143082.50) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद

26—ग्राम पंचायत— सींगनखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 122—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000126 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 4177000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
06.11.2018	323	80000.00	सिंह ट्रेडर्स
10.05.2018	264	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
16.05.2018	269	5000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.06.2018	279	14000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.06.2018	280	5000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	283	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.06.2018	153	25000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
03.07.2018	156	5000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	353	4000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	441	25000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.09.2018	288	50000.00	भारत ट्रेडर्स
04.01.2019	347	30000.00	भारत ट्रेडर्स
29.10.2018	238	85000.00	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
29.10.2018	239	85000.00	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
05.06.2018	281	150000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
10.07.2018	158	50000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
20.07.2018	159	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
10.08.2018	165	80000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	243	20000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
20.08.2018	253	70000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
24.08.2018	252	95000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
29.10.2018	320	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	303	25000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	302	95000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.11.2018	315	70000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
13.12.2018	525923	30000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर

13.12.2018	525980	50000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	355	40000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	357	45000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
16.03.2019	383	30000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
16.11.2018	307	95000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
17.12.2018	525976	90000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
11.01.2019	358	90000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
02.02.2019	370	90000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
05.03.2019	417	90000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
13.03.2019	381	90000.00	गुप्ता एण्ड कंपनी
15.05.2018	261	50000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
01.06.2018	277	90000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
01.06.2018	171	45000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
14.06.2018	152	118000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
30.11.2018	311	50000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
28.03.2019	439	50000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
27.03.2019	387	190000.00	प्रियान्शु ट्रेडर्स
17.05.2018	258	50000.00	न्यू रहमान ब्रिक
04.06.2018	275	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
04.06.2018	276	50000.00	न्यू रहमान ब्रिक
27.04.2018	284	30000.00	न्यू रहमान ब्रिक
13.08.2018	163	130000.00	न्यू रहमान ब्रिक
20.08.2018	250	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
17.10.2018	232	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
17.10.2018	231	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
01.11.2018	316	95000.00	न्यू रहमान ब्रिक
15.11.2018	301	80000.00	न्यू रहमान ब्रिक
30.11.2018	312	95000.00	न्यू रहमान ब्रिक
31.12.2018	356	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
15.01.2019	359	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
01.02.2019	369	100000.00	न्यू रहमान ब्रिक
28.02.2019	418	90000.00	न्यू रहमान ब्रिक
29.03.2019	389	190000.00	न्यू रहमान ब्रिक
29.03.2019	445	190000.00	न्यू रहमान ब्रिक
22.01.2019	368	10000.00	सिद्धिकी ट्रेडर्स
योग		4177000.00	

प्रस्तर 123— ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000126 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 2716997.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.03.2019	385	9000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
28.03.2019	388	235000.00	एम०एस०
28.03.2019	444	235000.00	एम०एस०
30.03.2019	386	14997.00	अयान इण्टरप्राइजेज

29.09.2019	299	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
29.09.2019	300	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
18.10.2018	234	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
18.10.2018	235	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
18.10.2018	327	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
03.11.2018	322	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
03.11.2018	325	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
08.11.2018	326	90000.00	श्री गुरु कृष्ण
08.11.2018	308	95000.00	श्री गुरु कृष्ण
19.11.2018	309	95000.00	श्री गुरु कृष्ण
19.11.2018	313	95000.00	श्री गुरु कृष्ण
29.11.2018	310	95000.00	श्री गुरु कृष्ण
29.11.2018	525979	95000.00	श्री गुरु कृष्ण
18.12.2018	419	15000.00	सैफी आयरन
27.02.2019	416	45000.00	सैफी आयरन
06.03.2019	442	30000.00	सैफी आयरन
28.03.2019	361	190000.00	ओमकार इन्फोस्टेक
15.01.2019	413	190000.00	ओमकार इन्फोस्टेक
06.03.2019	438	190000.00	ओमकार इन्फोस्टेक
29.03.2019	289	84000.00	एस0डी0 इण्टरप्राईजेज
10.09.2018	290	84000.00	एस0डी0 इण्टरप्राईजेज
14.12.2018	525772	20000.00	डायमेण्ड इलै0
15.01.2019	364	55000.00	डायमेण्ड इलै0
01.02.2019	373	50000.00	डायमेण्ड इलै0
योग		2716997.00	

प्रस्तर 124—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा ट्रांसफर निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं0 14720100000126 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1224000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
12.09.2018	293	30000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
19.09.2018	298	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
19.09.2018	297	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
27.09.2018	226	16000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
06.10.2018	227	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
12.10.2018	230	90000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
23.10.2018	239	90000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
31.10.2018	317	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.12.2018	346	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.12.2018	525976	30000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
28.12.2018	354	160000.00	ट्रान्सफर अज्ञात

17.01.2019	365	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
21.01.2019	367	30000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
02.06.2018	273	20000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
02.06.2018	272	10000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
05.06.2018	282	21000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
20.06.2018	154	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
03.07.2018	157	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
08.08.2018	162	50000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
13.08.2018	244	20000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
13.08.2018	242	12000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.08.2018	164	90000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
18.08.2018	247	90000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
18.08.2018	249	20000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
18.08.2018	248	450000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
योग		1224000.00	

प्रस्तर 125—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ओमवती द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 14720100000126 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार—बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 3375150.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
11.05.2018	260	25000.00	श्रीमती ओमवती
15.05.2018	268	25000.00	श्रीमती ओमवती
15.05.2018	270	10000.00	श्रीमती ओमवती
14.06.2018	151	15000.00	श्रीमती ओमवती
14.06.2018	285	90000.00	श्रीमती ओमवती
26.06.2018	155	15000.00	श्रीमती ओमवती
11.10.2018	229	90000.00	श्रीमती ओमवती
29.10.2018	240	70000.00	श्रीमती ओमवती
05.11.2018	318	60000.00	श्रीमती ओमवती
17.11.2018	304	90000.00	श्रीमती ओमवती
20.11.2018	330	35000.00	श्रीमती ओमवती
27.11.2018	314	95000.00	श्रीमती ओमवती
11.12.2018	525974	100000.00	श्रीमती ओमवती
18.12.2018	348	90000.00	श्रीमती ओमवती
27.12.2018	352	40000.00	श्रीमती ओमवती
08.01.2019	360	80000.00	श्रीमती ओमवती
05.02.2019	375	2500.00	श्रीमती ओमवती
06.02.2019	371	90000.00	श्रीमती ओमवती
11.02.2019	409	5000.00	श्रीमती ओमवती
25.02.2019	408	3000.00	श्रीमती ओमवती

26.02.2019	408	1750.00	श्रीमती ओमवती
02.03.2019	420	90000.00	श्रीमती ओमवती
18.03.2019	382	90000.00	श्रीमती ओमवती
27.03.2019	390	190000.00	श्रीमती ओमवती
27.03.2019	446	190000.00	श्रीमती ओमवती
27.03.2019	443	31500.00	श्रीमती ओमवती
28.03.2019	447	4000.00	श्री आसिफ
27.03.2019	437	60000.00	श्री रामचन्द्र
15.03.2019	379	20000.00	श्री आरिब
22.02.2019	412	2000.00	श्री फिरोज अहमद
10.05.2018	262	10000.00	श्री भगवानदास
30.10.2018	236	20000.00	श्री भगवानदास
07.05.2018	257	27000.00	श्रीमती पूनम
27.02.2019	410	2100.00	श्री अतुल गुप्ता
22.11.2018	328	25000.00	श्री चंचल
17.11.2018	305	64000.00	श्री सुरेश
18.12.2018	350	50000.00	श्री सुरेश
29.03.2019	254	15000.00	श्री प्रेमपाल
22.11.2018	329	25000.00	श्री देवेन्द्र
14.12.2018	525975	50000.00	श्री फुरखान
20.12.2018	351	40000.00	श्री फुरखान
06.02.2019	362	40000.00	श्री फुरखान
01.03.2019	415	50000.00	श्री फुरखान
19.03.2019	378	20000.00	श्री फुरखान
14.12.2018	525977	20000.00	श्री हरिसिंह
11.05.2018	263	10000.00	श्री इमानी
02.06.2018	278	50000.00	श्री इमानी
12.10.2018	228	90000.00	श्री इमानी
18.12.2018	349	50000.00	श्री इमानी
08.01.2019	363	50000.00	श्री इमानी
02.02.2019	372	50000.00	श्री इमानी
02.03.2019	414	50000.00	श्री इमानी
18.03.2019	380	50000.00	श्री इमानी
27.03.2019	436	190000.00	श्री इमानी
18.07.2018	160	20000.00	श्री विपिन
02.03.2019	376	20000.00	श्री केदार
11.05.2018	265	1900.00	श्री वाजिद
14.05.2018	266	15600.00	श्री वाजिद
02.02.2019	374	15000.00	श्री वाजिद
29.08.2018	286	2550.00	श्री मनोज गुप्ता
18.03.2019	377	3000.00	श्री मनोज गुप्ता
17.05.2018	267	15000.00	श्री शरीफ अहमद
07.12.2018	525971	100000.00	श्री शरीफ अहमद
11.09.2018	292	20000.00	श्री शरीफ अहमद
10.09.2018	295	50000.00	श्री शरीफ अहमद
10.09.2018	294	50000.00	श्री शरीफ अहमद
10.09.2018	296	90000.00	श्री शरीफ अहमद
10.09.2018	291	90000.00	श्री शरीफ अहमद
27.08.2018	255	85000.00	श्री शरीफ अहमद

18.08.2018	251	45000.00	श्री शरीफ अहमद
04.06.2018	274	20000.00	श्री शाहदत्त
19.07.2018	161	20000.00	श्री शाहदत्त
21.08.2018	245	5250.00	श्री अब्दुल शाकिर
23.01.2018	365	20000.00	श्री लाखन

योग— 3375150.00

प्रस्तर 126— ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं० 14720100000126 से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹0 1224000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
27.12.2018	319	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग—		2000.00	

प्रस्तर 127—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 14720100000126 से ₹0 478592.50 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 478592.50) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद

27—ग्राम पंचायत— सींगनी लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर 128—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000116 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹0 941340.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	229	18000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
01.05.2018	231	35000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
01.05.2018	233	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.05.2018	233	7000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
24.05.2018	240	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.05.2018	239	55000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	244	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	243	76000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर

30.07.2018	248	107000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
21.12.2018	269	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
21.12.2018	270	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	278	8500.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	277	38500.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	274	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
22.02.2019	283	8000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.03.2019	285	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	291	40000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	288	14000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.03.2019	293	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.03.2019	298	22000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.03.2019	303	45000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
30.07.2018	245	112000.00	चौधरी भट्टा
30.07.2018	267	33000.00	चौधरी भट्टा
27.02.2019	276	3000.00	चौधरी भट्टा
27.02.2019	282	20000.00	चौधरी भट्टा
06.03.2019	290	40000.00	चौधरी भट्टा
06.03.2019	297	7000.00	चौधरी भट्टा
14.12.2018	265	15446.00	दिलशाद ट्रेडर्स
14.12.2018	266	9894.00	दिलशाद ट्रेडर्स
01.07.2018	247	42000.00	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
04.12.2018	262	15000.00	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
योग		941340.00	

प्रस्तुत 129—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 14720100000116 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 87000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
03.03.2019	300	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
25.10.2018	258	84000.00	एस०डी० इण्टरप्राइजेज
योग		87000.00	

प्रस्तुत 130—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा ट्रांसफर निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 14720100000116 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 500000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
23.04.2018	230	50000.00	ट्रांसफर अज्ञात

प्रस्तुत 131—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती नन्ही देवी द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनाकों में बैंक खाता सं० 14720100000116 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 562650.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
01.05.2018	232	10000.00	श्रीमती नन्ही देवी
15.05.2018	237	30000.00	श्रीमती नन्ही देवी
25.05.2018	238	8000.00	श्रीमती नन्ही देवी
05.06.2018	241	69000.00	श्रीमती नन्ही देवी
30.07.2018	249	24500.00	श्रीमती नन्ही देवी
30.08.2018	246	86000.00	श्रीमती नन्ही देवी
27.11.2018	263	15000.00	श्रीमती नन्ही देवी
27.11.2018	264	25000.00	श्रीमती नन्ही देवी
21.12.2018	268	15000.00	श्रीमती नन्ही देवी
02.02.2019	271	21000.00	श्रीमती नन्ही देवी
21.02.2019	280	5000.00	श्रीमती नन्ही देवी
06.03.2019	292	30000.00	श्रीमती नन्ही देवी
12.03.2019	294	25000.00	श्रीमती नन्ही देवी
22.03.2019	299	7000.00	श्रीमती नन्ही देवी
18.04.2018	227	10000.00	श्री इजतेखार
02.08.2018	242	62000.00	श्री इजतेखार
16.05.2018	235	1900.00	श्री वाजिद अली
10.09.2019	250	5000.00	श्री आसिफ
02.02.2019	272	10000.00	श्री जितेन्द्र
20.02.2019	279	5000.00	श्री जितेन्द्र
20.02.2019	275	8000.00	श्री जितेन्द्र
21.02.2019	284	12000.00	श्री जितेन्द्र
05.03.2019	286	20000.00	श्री जितेन्द्र
05.03.2019	302	15000.00	श्री जितेन्द्र
05.03.2019	301	2500.00	श्री जितेन्द्र
06.03.2019	289	14000.00	श्री जितेन्द्र
05.05.2018	287	5000.00	श्री श्री इकरार हुसैन
04.09.2018	254	2000.00	श्री शाह
24.08.2018	251	5250.00	श्री अब्दुल शकूर
06.09.2018	257	5000.00	श्री अमर
06.09.2018	259	5000.00	श्री रईस
04.09.2018	256	2000.00	श्री अतुल
21.02.2018	281	2500.00	श्री अतुल
योग		562650.00	

प्रस्त 132— ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं० 14720100000116 से रू० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
21.12.2018	3261	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग—		2000.00	

प्रस्त 133—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 14720100000116 से रू० 45744.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू० 45744.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद

28—ग्राम पंचायत— नगलिया आकिल लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्त 134—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730200000229 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू० 5688000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.04.2018	395	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	398	2000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.05.2018	405	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.05.2018	402	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.05.2018	408	13000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
17.05.2018	421	180000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.06.2018	426	35000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
11.07.2018	433	26000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.02.2019	523	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
10.01.2019	511	14000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.02.2019	526	10000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	540	75000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
15.03.2019	545	30000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.03.2019	548	50000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.04.2018	390	40000.00	हिन्दुस्तान ट्रेडर्स

14.12.2018	502	33000.00	डायमंड ब्रिक
05.04.2018	393	94000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
10.04.2018	397	18000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
08.06.2018	420	190000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
20.08.2018	443	90000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
24.09.2018	462	90000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
24.09.2018	464	90000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
24.09.2018	465	90000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
14.11.2018	487	140000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
29.11.2018	496	50000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
29.11.2018	497	50000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
29.11.2018	498	97000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
24.12.2018	508	150000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
08.02.2019	522	200000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
08.02.2019	520	195000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
20.02.2019	521	190000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
01.03.2019	538	150000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
01.03.2019	537	150000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
01.03.2019	539	150000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
29.03.2019	547	280000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
17.04.2018	399	110000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
02.05.2018	404	82000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
28.05.2018	422	80000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
28.05.2018	418	190000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
28.05.2018	419	190000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
11.06.2018	417	190000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
15.06.2018	424	90000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
15.06.2018	425	90000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
30.06.2018	431	90000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
21.08.2018	444	90000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
21.08.2018	446	90000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
23.10.2018	478	86000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
15.11.2018	488	190000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
20.08.2018	445	60000.00	न्यू हिन्दुस्तान ट्रेडर्स
25.05.2018	411	160000.00	अंश ब्रिक बर्कस
23.10.2018	477	65000.00	अंश ब्रिक बर्कस
03.12.2018	495	29000.00	अंश ब्रिक बर्कस
27.12.2018	5409	150000.00	अंश ब्रिक बर्कस
21.02.2019	519	55000.00	अंश ब्रिक बर्कस
05.03.2019	535	59000.00	अंश ब्रिक बर्कस
03.07.2018	436	77000.00	दिलशाद ट्रेडर्स
18.09.2018	456	38000.00	दिलशाद ट्रेडर्स
16.11.2018	491	16000.00	दिलशाद ट्रेडर्स
07.08.2018	439	12000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
20.08.2018	449	50000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	466	40000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	460	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
12.10.2018	474	8000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
23.10.2018	480	44000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर

14.11.2018	483	20000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
17.11.2018	489	50000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
29.11.2018	499	33000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	510	45000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
योग—		5688000.00	

प्रस्तर 135—ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000229 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 171000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
20.09.2018	452	84000.00	एस० डी० इण्टरप्राइजेज
20.09.2018	451	84000.00	एस० डी० इण्टरप्राइजेज
18.03.2019	546	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
योग—		171000.00	

प्रस्तर 136—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा ट्रान्सफर निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000229 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 161000.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
22.10.2018	479	110000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
19.09.2018	457	38000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
24.09.2018	468	13000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
योग—		161000.00	

प्रस्तर 137—ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती अमीर जहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14720100000229 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 2273150.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
02.05.2018	401	14000.00	श्रीमती अमीर जहां
18.09.2018	453	17500.00	श्रीमती अमीर जहां

13.11.2018	484	5000.00	श्रीमती अमीर जहां
20.12.2018	503	10500.00	श्रीमती अमीर जहां
22.02.2019	527	10500.00	श्रीमती अमीर जहां
06.04.2018	392	94000.00	श्री इब्राहीम
11.04.2018	396	10000.00	श्री इब्राहीम
17.04.2018	400	25000.00	श्री इब्राहीम
07.05.2018	407	40000.00	श्री इब्राहीम
25.05.2018	416	65000.00	श्री इब्राहीम
01.06.2018	414	90000.00	श्री इब्राहीम
13.06.2018	428	65000.00	श्री इब्राहीम
03.07.2018	432	50000.00	श्री इब्राहीम
18.08.2018	442	90000.00	श्री इब्राहीम
20.08.2018	447	10000.00	श्री इब्राहीम
24.09.2018	463	90000.00	श्री इब्राहीम
23.10.2018	476	85000.00	श्री इब्राहीम
22.11.2018	486	104000.00	श्री इब्राहीम
14.12.2018	501	47000.00	श्री इब्राहीम
19.12.2018	505	39000.00	श्री इब्राहीम
01.01.2019	507	103000.00	श्री इब्राहीम
08.02.2019	516	105000.00	श्री इब्राहीम
22.02.2019	517	95000.00	श्री इब्राहीम
05.03.2019	536	155000.00	श्री इब्राहीम
16.03.2019	544	110000.00	श्री इब्राहीम
18.03.2019	543	110000.00	श्री इब्राहीम
01.06.2018	415	65000.00	श्री फारुक
10.10.2018	471	2550.00	श्रीमनोज कुमार
24.04.2018	448	10000.00	श्री अफताब अहमद
27.09.2018	467	14000.00	श्री अफताब अहमद
12.11.2018	485	5000.00	श्री अफताब अहमद
20.12.2018	504	5000.00	श्री अफताब अहमद
22.02.2018	518	10000.00	श्री अफताब अहमद
05.05.2018	409	62000.00	श्री सरफराज
14.11.2018	492	3000.00	श्री सरफराज
25.09.2018	470	9600.00	श्री सत्तार हुसैन
25.05.2018	413	90000.00	श्री नावेद
13.06.2018	427	70000.00	श्री नावेद
06.06.2018	412	90000.00	श्री केशो
07.12.2018	494	70000.00	श्री केशो
10.07.2018	434	19000.00	श्री फुरकान
08.10.2018	473	19000.00	श्री फुरकान
08.10.2018	472	48000.00	श्री फुरकान
16.11.2018	490	18000.00	श्री फुरकान
27.07.2018	430	4000.00	श्री रईस अहमद
08.08.2018	438	7000.00	श्री रईस अहमद
14.09.2018	454	7500.00	श्री रईस अहमद
20.02.2019	515	5000.00	श्री रईस अहमद
योग—		2273150.00	

प्रस्तुत 138— ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं० 14720100000229 से रु० 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान

एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
27.12.2018	482	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग—		2000.00	

प्रस्तुत 139—ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 14720100000229 से रु० 166103.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः सचिव/(रु० 166103.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद
29—ग्राम पंचायत— मोतियापुरा लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तुत—140 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100021432 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 573000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
08.05.2018	73	50000.00	नवाब ब्रिक
09.05.2018	75	15000.00	अरीद ब्रिक
21.05.2018	71	75000.00	सितिखार ब्रिक
13.02.2019	103	90000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
17.05.2018	74	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
24.05.2018	121	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.07.2018	122	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.08.2018	130	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
10.08.2018	132	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
23.08.2018	96	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
21.05.2018	72	30000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	133	10000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर
13.08.2018	131	90000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर
18.12.2018	170	25000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर
11.02.2019	106	50000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	112	3000.00	महमूद सीमेन्ट स्टोर

योग—

573000.00

प्रस्तर—141 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100021432 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 76500.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
18.08.2018	134	31500.00	ट्रान्सफर अज्ञात
22.10.2018	97	35000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
31.08.2018	93	10000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
योग		76500.00	

प्रस्तर—142 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री जाहिद अली द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100021432 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 288500.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
05.04.2018	67	5000.00	श्री जाहिद अली
01.05.2018	69	10500.00	श्री जाहिद अली
26.07.2018	124	5000.00	श्री जाहिद अली
22.10.2018	97	35000.00	श्री जाहिद अली
01.11.2018	101	5000.00	श्री जाहिद अली
17.12.2018	168	5000.00	श्री जाहिद अली
17.12.2018	169	7000.00	श्री जाहिद अली
05.02.2019	105	5000.00	श्री जाहिद अली
05.03.2019	108	5000.00	जाहिद अली
02.05.2018	70	9000.00	श्री असगर अली
02.05.2018	68	3000.00	यशवीर
27.03.2019	114	5000.00	श्री नौसाद अली
15.02.2019	180	29000.00	श्री आयुव
06.03.2019	109	20000.00	श्री आयुव
22.10.2018	95	12000.00	श्री रफी
14.02.2019	107	2000.00	श्री रफी
08.08.2018	129	5000.00	श्री नाजिर अली
30.08.2018	94	5000.00	श्री नाजिर अली
22.10.2018	98	5000.00	श्री नाजिर अली
10.12.2018	166	5000.00	श्री नाजिर अली

01.02.2019	172	5000.00	श्री नाजिर अली
11.02.2019	175	25000.00	श्री नाजिर अली
11.03.2019	110	5000.00	श्री नाजिर अली
27.03.2019	113	7000.00	श्री नाजिर अली
01.08.2018	123	5000.00	श्री हरपाल
04.08.2018	126	5000.00	श्री हरपाल
16.08.2018	135	5000.00	श्री हरपाल
21.08.2018	92	5000.00	श्री हरपाल
02.11.2018	100	5000.00	श्री हरपाल
18.12.2018	167	5000.00	श्री हरपाल
06.02.2019	104	5000.00	श्री हरपाल
11.02.2019	173	3000.00	श्री हरपाल
13.02.2019	176	5000.00	श्री हरपाल
06.03.2019	111	5000.00	श्री हरपाल
11.02.2019	ट्रांसफर	8000.00	श्री रिजवान
02.08.2018	125	5000.00	श्री जराफत अली
09.08.2018	127	3000.00	श्री रईस अहमद
योग		288500.00	

प्रस्तर-143 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10990100021432 से ₹0 7548.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 7548.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि०ख०-सैदनगर मण्डल का नाम-मुरादाबाद
 30-ग्राम पंचायत- परशुपुरा लेखा परीक्षा वर्ष-2018-19
 ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-144 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100011877 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹0 958552.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
04.08.2018	123	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.02.2019	169	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	107	75700.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
13.06.2018	141	12000.00	हमजा ब्रिक बर्कस
06.07.2018	149	52800.00	हमजा ब्रिक बर्कस
20.08.2018	121	34550.00	हमजा ब्रिक बर्कस

04.02.2019	166	55000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
29.03.2019	111	11900.00	शाविर ब्रिक
29.03.2019	106	4999.00	शाविर ब्रिक
29.03.2019	114	9500.00	शाविर ब्रिक
29.03.2019	109	28400.00	शाविर ब्रिक
25.03.2019	115	55000.00	सिद्धिकी सीमेन्ट स्टोर
18.04.2018	142	70000.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
18.04.2018	144	29500.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	122	23750.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
16.10.2018	160	64000.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
26.02.2019	176	50000.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	116	151389.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	112	152564.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
22.03.2019	118	27500.00	मकसूद अली सीमेन्ट स्टोर
योग		958552.00	

प्रस्तर-144 अ ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100011877 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 90000.00) उक्त धनराशि व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
25.03.2019	177	6000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
28.09.2018	125	84000.00	एस० डी० इण्टरप्राइजेज
योग		90000.00	

प्रस्तर-145 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100011877 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 570400.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
21.05.2018	145	2500.00	श्री आसिफ
30.10.2018	161	2500.00	श्री आसिफ
13.02.2019	168	2500.00	श्री आसिफ
17.05.2018	143	50000.00	श्री इमरान
03.05.2018	145	20000.00	श्री मुज्जममिल
05.07.2018	148	30000.00	श्री रासिद अली

19.03.2019	108	42300.00	श्री रासिद अली
19.03.2019	110	54400.00	श्री रासिद अली
19.03.2019	113	18800.00	श्री रासिद अली
27.12.2018	134	6000.00	श्री इरफान
22.11.2018	162	23000.00	श्री इमरान
19.12.2018	163	20000.00	श्री इमरान
24.12.2018	133	10000.00	श्री इमरान
12.02.2019	170	10000.00	श्री इमरान
16.03.2019	180	30000.00	श्री इमरान
10.07.2018	147	50000.00	श्री अतीक भाई
25.07.2018	150	95000.00	श्री अतीक भाई
01.10.2018	151	30000.00	श्री वाजिद अली
16.10.2018	158	2000.00	श्री अतुल गुप्ता
16.10.2018	131	2000.00	श्री अतुल गुप्ता
05.03.2019	167	2100.00	श्री अतुल गुप्ता
14.06.2018	140	3000.00	श्री रईस अहमद
30.08.2018	124	4000.00	श्री रईस अहमद
17.10.2018	153	5000.00	श्री रईस अहमद
17.10.2018	155	28000.00	श्री रईस अहमद
19.12.2018	130	3000.00	श्री रईस अहमद
02.03.2019	173	3000.00	श्री रईस अहमद
19.03.2019	119	10300.00	श्री रईस अहमद
15.02.2019	172	3000.00	श्री असगर अली
01.10.2018	128	5000.00	श्री इन्तेजार
20.02.2019	175	3000.00	श्री सरोज
योग		570400.00	

प्रस्तर-146 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10990100011877 से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी, को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 2000.00) उक्त धनराशि व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
23.10.2018	154	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग		2000.00	

प्रस्तर-147 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10990100011877 से ₹0 82201.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नयम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 82201.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-148 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10730200000225 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 5196524.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
05.04.2018	93	50000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
04.05.2018	98	5000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
28.06.2018	110	45000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
28.06.2018	109	50000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
01.02.2019	147	210000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
13.02.2019	161	260000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	173	265000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	172	260000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	175	255000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	176	295000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
05.03.2019	183	150000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
05.03.2019	185	97000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
05.03.2019	184	150000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	192	226000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	193	219000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	191	225000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
15.09.2018	120	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.09.2018	126	7000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
17.11.2018	133	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
13.12.2018	136	10000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	139	100000.00	हुसैन सीमेन्ट स्टोर
10.01.2019	141	190000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
15.02.2019	160	52000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
21.02.2019	165	200000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
21.02.2019	164	215000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
21.02.2019	163	210000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
07.03.2019	180	139000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
07.03.2019	188	100000.00	नवाब ब्रिक बर्कस
11.04.2018	96	11000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
16.05.2018	104	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	105	5000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
11.07.2018	111	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.01.2019	140	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.03.2019	2174	215000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.03.2019	186	71000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर

12.03.2019	194	101000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.03.2019	195	476250.00	गोल्डन ट्रेडर्स
12.03.2019	196	63500.00	गोल्डन ट्रेडर्स
29.03.2019	205	54000.00	गोल्डन ट्रेडर्स
29.03.2019	206	94500.00	गोल्डन ट्रेडर्स
29.03.2019	ट्रांसफर	90000.00	गोल्डन ट्रेडर्स
02.02.2019	143	35000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.02.2019	162	40000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.02.2019	177	15000.00	सैफी आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.12.2018	137	17274.00	दिलशाद ट्रेडर्स
14.12.2018	135	15000.00	डायमेण्ड ईट
05.02.2019	145	10000.00	डायमेण्ड ईट
05.02.2019	150	40000.00	डायमेण्ड ईट
योग		5196524.00	

प्रस्तर-149 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10730200000225 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 261350.00) उक्त धनराशि व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
30.03.2019	187	10000.00	अरियान इण्टरप्राइजेज
30.03.2019	199	75350.00	नदीम सनैट्री स्टोर
28.08.2018	188	50000.00	आई0टी0 सोलूशन
07.09.2018	121	84000.00	एस0डी0इण्टरप्राइजेज
07.09.2018	122	42000.00	एस0डी0इण्टरप्राइजेज
योग		261350.00	

प्रस्तर-150 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा ट्रांसफर निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 10730200000225 7 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 281450.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
29.09.2018	127	15000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
31.10.2018	129	18950.00	ट्रान्सफर अज्ञात
10.04.2018	95	28000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
26.04.2018	97	44500.00	ट्रान्सफर अज्ञात
10.04.2018	94	32000.00	ट्रान्सफर अज्ञात

14.05.2018	102	5000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.05.2018	100	25000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.05.2018	103	88000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
14.05.2018	101	25000.00	ट्रान्सफर अज्ञात
योग		281450.00	

प्रस्तर-151 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री जमाल अख्तर द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 107302000002225 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1388596.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
13.06.2018	108	20000.00	श्री जमाल अख्तर
15.09.2018	123	21000.00	श्री जमाल अख्तर
19.09.2018	125	55000.00	श्री जमाल अख्तर
01.11.2018	131	15000.00	श्री जमाल अख्तर
06.11.2018	134	50000.00	
30.01.2019	146	30000.00	श्री जमाल अख्तर
01.02.2019	149	17500.00	श्री जमाल अख्तर
13.02.2019	159	66000.00	श्री जमाल अख्तर
13.02.2019	153	66000.00	श्री जमाल अख्तर
14.02.2019	152	3000.00	श्री जमाल अख्तर
18.02.2019	166	1750.00	श्री जमाल अख्तर
05.03.2019	181	130000.00	श्री जमाल अख्तर
06.03.2019	189	90000.00	श्री जमाल अख्तर
28.03.2019	207	121000.00	श्री जमाल अख्तर
30.03.2019	200	30000.00	श्री जमाल अख्तर
05.03.2019	179	3000.00	श्री लाखन सिंह
12.02.2019	154	5000.00	श्री असगर अली
06.06.2018	106	15000.00	श्री ओमप्रकाश
25.02.2019	169	50000.00	श्री ओमप्रकाश
21.08.2018	112	5250.00	श्री अबदुल शकूर
03.10.2018	128	20000.00	श्री इमरान
01.02.2019	148	50000.00	श्री इमरान
13.02.2019	158	70000.00	श्री इमरान
18.02.2019	171	27000.00	श्री इमरान
18.02.2019	167	135000.00	श्री इमरान
05.03.2019	182	82000.00	श्री इमरान
06.03.2019	190	123000.00	श्री इमरान
14.12.2018	138	18726.00	श्री रिजवान
30.01.2019	144	22950.00	श्री रिजवान
28.03.2019	197	8220.00	श्री रिजवान

28.03.2019	198	106700.00	श्री रिजवान
05.05.2018	99	12000.00	श्री प्रदीप
06.06.2018	107	15000.00	श्री प्रदीप
18.02.2019	170	50000.00	श्री प्रदीप
28.08.2018	117	2000.00	श्री अतुल गुप्ता
27.02.2019	155	2100.00	श्री अतुल गुप्ता
30.10.2018	130	18900.00	श्री वाजिद अली
18.02.2019	156	2500.00	श्री मौ0 आसिफ
योग		1388596.00	

प्रस्तर 152—ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं0 10730200000225 से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
27.12.2018	132	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग		2000.00	

प्रस्तर-153 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 10730200000225 से रू0 637403.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रू0 637403.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि0ख0—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद

32—ग्राम पंचायत—झूरकझुण्डी लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-154 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10730200000131 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रू0 651400.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
01.06.2018	163	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
08.06.2018	167	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
08.06.2018	165	40000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर

14.06.2018	169	5000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.06.2018	170	40000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.07.2018	172	40000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.07.2018	173	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
28.09.2018	177	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
11.10.2018	183	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
11.10.2018	186	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	198	11000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	196	90000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	199	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.01.2018	209	25000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.03.2018	215	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.03.2019	225	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	233	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
28.03.2019	232	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
22.03.2019	221	7500.00	भारत ब्रिक
22.03.2019	223	40000.00	भारत ब्रिक
14.06.2018	164	14000.00	सखावत ब्रिक
14.06.2018	166	18000.00	सखावत ब्रिक
12.11.2018	197	14400.00	सखावत ब्रिक
16.10.2018	188	15000.00	सखावत ब्रिक
योग		651400.00	

प्रस्तर—155 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10730200000131 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 3000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
25.03.2019	220	3000.00	भगवती इण्टरप्राईजेज
योग		3000.00	

प्रस्तर— 156 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती अकलीम द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं० 10730200000131 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 380700.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
20.08.2018	149	21000.00	श्रीमती अकलीम
07.01.2019	207	31500.00	श्रीमती अकलीम
24.05.2018	162	3000.00	श्रीमती अकलीम
06.11.2018	187	2000.00	श्रीमती अकलीम
03.10.2018	175	3000.00	श्रीमती अकलीम
07.03.2019	212	5000.00	श्रीमती अकलीम
05.05.2018	161	4000.00	श्रीमती अकलीम
29.03.2019	234	5000.00	श्रीमती अकलीम
27.03.2019	230	36000.00	श्रीमती अकलीम
27.03.2019	229	33000.00	श्रीमती अकलीम
03.01.2019	205	3000.00	श्रीमती अकलीम
22.03.2019	227	5000.00	श्रीमती अकलीम
17.07.2018	174	5000.00	श्रीमती अकलीम
09.08.2018	148	5000.00	श्रीमती अकलीम
22.10.2018	191	5000.00	श्रीमती अकलीम
01.11.2018	195	5000.00	श्रीमती अकलीम
06.12.2018	201	5000.00	श्रीमती अकलीम
07.01.2019	210	5000.00	श्रीमती अकलीम
28.02.2019	214	5000.00	श्री हरपाल सिंह
06.03.2019	216	5000.00	श्री हरपाल सिंह
16.03.2019	219	4200.00	श्री हरपाल सिंह
19.03.2019	228	5000.00	श्री हरपाल सिंह
15.10.2018	184	40000.00	श्री शाकिल
25.10.2018	189	15000.00	श्री शाकिल
10.12.2018	202	4000.00	श्री बद्रीप्रसाद
17.12.2018	204	5000.00	श्री धर्मपाल
09.08.2018	147	10000.00	श्री आस मौ०
03.10.2018	181	15000.00	श्री आस मौ०
22.10.2018	190	5000.00	श्री आस मौ०
26.10.2018	193	5000.00	श्री आस मौ०
31.10.2018	194	5000.00	श्री आस मौ०
05.12.2018	200	5000.00	श्री आस मौ०
17.12.2018	203	10000.00	श्री आस मौ०
14.03.2019	218	5000.00	श्री आस मौ०
18.03.2019	224	7000.00	श्री आस मौ०
18.03.2019	222	15000.00	श्री आस मौ०
14.09.2018	176	3000.00	श्री असगर अली
20.02.2019	211	3000.00	श्री असगर अली
30.03.2019	226	5000.00	श्री सुरेश सिंह
11.10.2018	185	22000.00	श्री मेहरूद्दीन
08.02.2019	206	1000.00	श्री वीरेन्द्र सिंह
योग		380700.00	

प्रस्तर-157 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10730200000131 से रु 115973.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली

1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 115973.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

33—ग्राम पंचायत— दलेलनगर

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर—158 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100011874 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 3342083.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
11.04.2018	217	15299.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	224	5115.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	214	10434.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	220	13646.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	228	43510.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
24.07.2018	239	54974.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
24.07.2018	232	98434.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
24.07.2018	235	76218.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
09.10.2018	247	34500.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
09.10.2018	252	12516.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
31.10.2018	261	98193.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	267	79412.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	271	120728.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
30.11.2018	278	45028.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
14.12.2018	286	85413.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
19.12.2018	291	115244.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
28.12.2018	301	56021.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
28.12.2018	304	44982.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
29.12.2018	307	118777.0	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
07.01.2019	310	20000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
08.01.2019	311	121307.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
10.01.2019	316	44622.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
10.01.2019	318	91701.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
11.01.2019	321	34355.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
23.01.2019	328	70253.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
23.01.2019	324	81331.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
31.01.2019	331	15000.00	
12.02.2019	332	115842.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	335	122548.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	338	149994.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर

13.02.2019	342	50000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	395	28000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
08.03.2019	352	20000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
16.03.2019	357	20000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	361	19704.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	360	105576.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	359	107479.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
27.03.2019	349	22641.00	सबीर ब्रिक
12.04.2018	215	30745.00	हमजा ब्रिक
12.04.2018	218	2306.00	हमजा ब्रिक
12.04.2018	225	15597.00	हमजा ब्रिक
12.04.2018	221	28944.00	हमजा ब्रिक
25.07.2018	233	8669.00	हमजा ब्रिक
25.07.2018	240	42086.00	हमजा ब्रिक
25.07.2018	236	4337.00	हमजा ब्रिक
12.11.2018	268	6091.00	हमजा ब्रिक
12.11.2018	262	5765.00	हमजा ब्रिक
12.11.2018	258	23238.00	हमजा ब्रिक
12.11.2018	272	9392.00	हमजा ब्रिक
03.12.2018	279	98583.00	हमजा ब्रिक
20.12.2019	287	4312.00	हमजा ब्रिक
27.12.2018	292	11759.00	हमजा ब्रिक
28.12.2018	305	22550.00	हमजा ब्रिक
28.12.2018	302	11850.00	हमजा ब्रिक
01.01.2019	308	39150.00	हमजा ब्रिक
10.01.2019	313	17232.00	हमजा ब्रिक
11.01.2019	317	88353.00	हमजा ब्रिक
11.01.2019	319	3364.00	हमजा ब्रिक
28.01.2019	325	6928.00	हमजा ब्रिक
28.01.2019	329	2381.00	हमजा ब्रिक
12.02.2019	333	19573.00	हमजा ब्रिक
12.02.2019	336	20468.00	हमजा ब्रिक
12.02.2019	339	22915.00	हमजा ब्रिक
12.02.2019	296	67000.00	हमजा ब्रिक
26.03.2019	364	28192.00	चौधरी भट्टा
26.03.2019	365	4100.00	चौधरी भट्टा
26.03.2019	363	17734.00	चौधरी भट्टा
31.10.2018	257	168994.00	हर्षित सीमेन्ट स्टोर
24.12.2018	299	50000.00	हर्षित सीमेन्ट स्टोर
24.12.2018	300	50000.00	हर्षित सीमेन्ट स्टोर
20.06.2018	229	20414.00	सागर ट्रेडर्स
14.09.2018	244	20000.00	सागर ट्रेडर्स
योग		3342083.00	

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10990100011874 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश

पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 3000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
25.03.2019	220	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
योग		3000.00	

प्रस्तर— 160 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती अंगूरी देवी द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं० 10990100011874 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1354394.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
12.04.2018	216	16308.00	श्रीमती अंगूरी देवी
12.04.2018	223	1926.00	श्रीमती अंगूरी देवी
12.04.2018	226	8860.00	श्रीमती अंगूरी देवी
12.04.2018	222	10105.00	श्रीमती अंगूरी देवी
12.04.2018	219	5985.00	श्रीमती अंगूरी देवी
02.06.2018	230	7200.00	श्रीमती अंगूरी देवी
02.06.2018	231	17700.00	श्रीमती अंगूरी देवी
24.07.2018	238	37685.0	श्रीमती अंगूरी देवी
11.10.2018	253	17800.00	श्रीमती अंगूरी देवी
11.10.2018	249	46000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
23.10.2018	256	21000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
31.10.2018	264	32725.00	श्रीमती अंगूरी देवी
01.11.2018	266	10000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
01.11.2018	265	5000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
05.11.2018	270	26425.00	श्रीमती अंगूरी देवी
05.11.2018	274	24550.00	श्रीमती अंगूरी देवी
30.11.2018	281	34380.00	श्रीमती अंगूरी देवी
05.12.2018	282	12000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
14.12.2018	288	20145.00	श्रीमती अंगूरी देवी
17.12.2018	289	20000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
19.12.2018	293	21420.00	श्रीमती अंगूरी देवी
28.12.2018	306	32545.00	श्रीमती अंगूरी देवी
28.12.2018	303	38280.00	श्रीमती अंगूरी देवी
29.12.2018	309	48340.00	श्रीमती अंगूरी देवी
09.01.2019	312	46730.00	श्रीमती अंगूरी देवी
11.01.2019	320	46820.00	श्रीमती अंगूरी देवी
23.01.2019	327	21332.00	श्रीमती अंगूरी देवी
23.01.2019	326	25028.00	श्रीमती अंगूरी देवी

13.02.2019	334	41920.00	श्रीमती अंगूरी देवी
13.02.2019	340	61065.00	श्रीमती अंगूरी देवी
13.02.2019	337	50200.00	श्रीमती अंगूरी देवी
21.02.2019	343	20000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
28.02.2019	350	43640.00	श्रीमती अंगूरी देवी
25.03.2019	367	37000.00	श्रीमती अंगूरी देवी
25.03.2019	369	7825.00	श्रीमती अंगूरी देवी
13.04.2018	227	3000.00	श्री रईस
24.10.2018	255	3000.00	श्री रईस
28.02.2019	347	3000.00	श्री रईस
19.12.2018	294	20000.00	श्री रंजीत सिंह
24.01.2019	323	6000.00	श्री मौ0 रफी
21.02.2019	344	3000.00	श्री आरिफ
23.07.2019	237	27340.00	श्री रमेश
23.07.2019	234	35600.00	श्री रमेश
01.11.2018	263	3600.00	श्री शरीफ अहमद
06.11.2018	273	3975.00	श्री शरीफ अहमद
16.11.2018	259	5100.00	श्री शरीफ अहमद
06.12.2018	269	2700.00	श्री शरीफ अहमद
27.12.2018	280	7350.00	श्री शरीफ अहमद
27.12.2018	297	36000.00	श्री शरीफ अहमद
05.03.2018	298	13000.00	श्री शरीफ अहमद
14.03.2019	353	13000.00	श्री शरीफ अहमद
28.08.2018	242	3500.00	श्री वाजिद अली
06.11.2018	275	5000.00	श्री वाजिद अली
12.11.2018	276	10000.00	श्री वाजिद अली
20.11.2018	277	9200.00	श्री वाजिद अली
27.02.2018	345	4900.00	श्री वाजिद अली
29.03.2019	370	7000.00	श्री वाजिद अली
12.09.2018	245	5900.00	श्री रवि शंकर
14.01.2019	322	5000.00	श्री वासिफ अली
23.10.2018	254	3000.00	श्री सुरेश कुमार
15.02.2019	330	3000.00	श्री बब्लू
22.11.2018	260	57250.00	श्री बब्लू
29.03.2019	366	17800.00	श्री इरफान
27.08.2018	243	12000.00	श्री आसिफ
20.09.2018	246	5640.00	श्री आसिफ
11.12.2018	285	3000.00	श्री असगर अली
22.02.2019	346	3000.00	श्री भूरालाल
24.10.2018	250	13800.00	श्री भूरालाल
24.10.2018	248	6800.00	श्री हारून
10.12.2018	284	5000.00	श्री हारून
10.12.2018	283	45100.00	श्री हारून
16.03.2019	356	2000.00	श्री हारून
30.03.2019	371	14000.00	श्री हारून
योग		1354394.00	

प्रस्तर-161 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 10990100011874 से रु0 189895.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय

प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वत्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 189895.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

34—ग्राम पंचायत— अहमदाबाद

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-162 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730100011879 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1285000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.04.2018	208	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.05.2018	210	1000000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.05.2018	256	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
15.05.2018	257	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
22.05.2018	261	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.06.2018	265	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.06.2018	155	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.10.2018	276	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.10.2018	281	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.10.2018	161	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.11.2018	227	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.02.2019	240	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	305	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
22.03.2018	318	12000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.04.2018	205	19000.00	नमबरदार ईट ओग
27.12.2018	231	50000.00	नमबरदार ईट ओग
08.02.2019	235	45000.00	नमबरदार ईट ओग
08.02.2019	237	30000.00	नमबरदार ईट ओग
11.06.2018	153	20000.00	अंश ब्रिक
05.10.2018	272	13000.00	अंश ब्रिक
25.10.2018	284	16000.00	अंश ब्रिक
25.10.2018	282	14000.00	अंश ब्रिक
25.10.2018	283	19000.00	अंश ब्रिक
25.09.2018	266	30000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
01.10.2018	271	90000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
01.10.2018	273	90000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.10.2018	269	52000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
10.10.2018	279	38000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर

25.10.2018	285	30000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
03.11.2018	163	25000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
05.11.2018	165	60000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
17.11.2018	228	20000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.02.2019	239	90000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.02.2019	302	50000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.03.2019	313	45000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
18.03.2019	316	90000.00	फारूख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
योग		1285000.00	

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 14730100011879 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 230000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
14.02.2019	303	20000.00	शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
25.03.2019	315	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
		23000.00	

प्रस्तर- 164 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री मशरूम जहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 14730100011879 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 467000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
11.02.2019	301	35000.00	श्री मशरूम जहां
14.06.2018	158	5000.00	श्री वाजिद अली
05.11.2018	164	20000.00	श्री वाजिद अली
12.03.2019	312	90000.00	श्री वाजिद अली
14.09.2018	159	3000.00	श्री असगर अली
21.02.2019	306	3000.00	श्री असगर अली
06.02.2019	236	9000.00	श्री फरजंद अली
19.04.2018	209	5000.00	श्री हरपाल
20.12.2018	232	5000.00	श्री हरपाल
11.02.2019	304	5000.00	श्री हरपाल
07.03.2019	308	5000.00	श्री हरपाल

01.06.2018	263	27000.00	श्री नौसाद
02.11.2018	162	5000.00	श्री नौसाद
03.12.2018	229	3000.00	श्री नौसाद
28.03.2019	320	18000.00	श्री नौसाद
01.06.2018	264	18000.00	श्री मुराद
01.10.2018	274	48000.00	श्री मुराद
01.10.2018	275	33000.00	श्री मुराद
05.10.2018	270	12000.00	श्री मुराद
10.10.2018	280	60000.00	श्री मुराद
10.10.2018	311	48000.00	श्री मुराद
10.10.2018	314	10000.00	श्री मुराद
योग		467000.00	

प्रस्तर-165 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 14730100011879 से ₹0 478857.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 478857.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद
35—ग्राम पंचायत— लालपुर कलां लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-166 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990200000140 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹0 2779700.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
16.05.2018	157	95000.00 रियाज सीमेन्ट स्टोर
21.05.2018	159	95000.00 रियाज सीमेन्ट स्टोर
04.06.2018	164	95000.00 रियाज सीमेन्ट स्टोर
04.06.2018	166	95000.00 रियाज सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	153	61000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.05.2018	158	50000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
16.05.2018	160	95000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
02.06.2018	165	95000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	172	95000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	171	95000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
30.07.2018	179	50000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
30.07.2018	180	71000.00 असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर

30.07.2018	181	72000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.08.2018	184	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.12.2018	211	40000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.02.2019	215	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.02.2019	216	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.02.2019	218	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
08.03.2019	233	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	245	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
04.02.2019	219	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
20.02.2019	228	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
06.03.2019	231	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.03.2019	323	95000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	246	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.02.2019	223	12000.00	दिलशाद ट्रेडर्स
26.10.2018	196	50000.00	खुशींद सीमेन्ट स्टोर
02.06.2018	163	95000.00	फरुख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	173	49000.00	फरुख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	176	95000.00	फरुख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
09.08.2018	185	95000.00	फरुख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
19.03.2019	244	95000.00	फरुख आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	174	39700.00	नवाब जान ब्रिक
09.08.2018	186	95000.00	नवाब जान ब्रिक
04.02.2019	217	95000.00	नवाब जान ब्रिक
योग		2779700.00	

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990200000140 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 140000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
14.02.2019	303	20000.00	शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी
25.03.2019	315	3000.00	भगवती इण्टरप्राइजेज
		23000.00	

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती मुशरफी द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनों को बैंक खाता सं० 10990200000140 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधित प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1521200.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान

से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
18.04.2018	156	44000.00 श्रीमती मुशरफी
01.05.2018	154	75000.00 श्रीमती मुशरफी
15.05.2018	161	50000.00 श्रीमती मुशरफी
16.05.2018	162	50000.00 श्रीमती मुशरफी
22.10.2018	198	50000.00 श्रीमती मुशरफी
01.11.2018	202	50000.00 श्रीमती मुशरफ
19.12.2018	206	42000.00 श्रीमती मुशरफी
08.03.2019	234	95000.00 श्रीमती मुशरफी
11.03.2019	235	95000.00 श्रीमती मुशरफी
16.03.2019	241	50000.00 श्रीमती मुशरफी
16.03.2019	242	60000.00 श्रीमती मुशरफी
19.03.2019	247	60000.00 श्रीमती मुशरफी
30.03.2019	230	2000.00 श्री फिरोज अहमद
01.06.2018	169	14000.00 श्री आरिफ
25.07.2018	175	71600.00 श्री आरिफ
30.07.2018	182	81000.00 श्री आरिफ
26.09.2018	192	30000.00 श्री आरिफ
22.03.2019	243	50000.00 श्री आरिफ
01.06.2018	168	58500.00 श्री अकबर अली
16.10.2018	194	2000.00 श्री अतुल गुप्ता
07.02.2019	220	2100.00 श्री अतुल गुप्ता
05.11.2018	203	70000.00 श्री मौ० अनस
24.10.2018	201	50000.00 श्रीमती फात्मा
19.12.2018	204	35000.00 श्री रिजवान
19.12.2018	205	35000.00 श्री रिजवान
27.12.2018	210	3500.00 श्री रिजवान
16.01.2019	212	24000.00 श्री रिजवान
11.02.2019	222	21500.00 श्री रिजवान
11.03.2019	237	14500.00 श्री रिजवान
11.03.2019	236	58500.00 श्री रिजवान
02.06.2018	167	3000.00 श्री फईम
20.02.2019	227	4000.00 श्रीमती सरोज
22.10.2018	200	5000.00 श्री दिनेश कुमार
27.03.2019	238	2500.00 श्री उमर
15.06.2018	170	1500.00 श्री वाजिद
14.09.2018	190	50000.00 श्री वाजिद
18.08.2018	187	50000.00 श्री जैन
23.10.2018	197	6000.00 श्री आविद अली
24.10.2018	193	5000.00 श्री रईस अहमद
14.02.2019	226	5000.00 श्री रईस अहमद
04.09.2018	188	5000.00 श्री असगर अली
14.02.2019	224	5000.00 श्री असगर अली
24.10.2018	195	2500.00 श्री आसिफ
21.02.2019	221	2500.00
योग		1521200.00

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं० 10990200000140 से ₹0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी, को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 2000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
27.12.2018	209	2000.00	पंचायत राज अधिकारी,
योग		2000.00	

प्रस्तर-170 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10990200000140 से ₹0 100507.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वक्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (₹0 100507.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद
36—ग्राम पंचायत— मिलक हाशम लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730100011311 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (₹0 193000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
17.07.2018	92	50000.00	शाहिल सीमेन्ट स्टोर
20.07.2018	99	100000.00	शाहिल सीमेन्ट स्टोर
27.02.2019	168	23000.00	महाराज ब्रिक
09.07.2018	95	20000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
योग		193000.00	

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730100011311 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत

अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 50000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
11.07.2018	91	50000.00	राजू एण्ड कम्पनी
योग		50000.00	

प्रस्तर-173 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 14730100011311 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 410500.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं0	धनराशि	विवरण
31.08.2018	105	10000.00 श्री मौ0 जावेद
07.09.2018	113	5000.00 श्री मौ0 जावेद
15.10.2018	118	25000.00 श्री मौ0 जावेद
02.02.2019	143	50000.00 श्री जमील अहमद
02.02.2019	144	50000.00 श्री जमील अहमद
05.02.2019	145	50000.00 श्री नितेश सागर
05.02.2019	146	45000.00 श्री नितेश सागर
23.07.2018	99	10000.00 श्री सिद्धराज
06.08.2018	102	15000.00 श्री सिद्धराज
05.01.2019	138	5000.00 श्री सिद्धराज
01.02.2019	142	30000.00 श्री सिद्धराज
15.09.2018	116	15000.00 श्री मौ0 शमशेर
15.09.2018	115	15000.00 श्री मौ0 शमशेर
20.02.2019	141	15000.00 श्री मौ0 शमशेर
10.09.2018	107	5000.00 श्री फिरोज अहमद
10.09.2018	110	1500.00 श्री जसवीर
11.09.2018	111	1000.00 श्री जितेन्द्र
17.09.2018	109	2500.00 श्री मनोज गुप्ता
14.01.2019	139	10000.00 श्री मनोज गुप्ता
23.10.2018	119	25000.00 श्री तालिब रजा
23.10.2018	120	25000.00 श्री तालिब रजा
24.10.2018	136	13000.00 श्री अफसर अली
योग		410500.00

प्रस्तर-174 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 14730100011311 से रु0 353735.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत हपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 353735.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

37—ग्राम पंचायत— बेंजना

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-175 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730100011512 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 2062254.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
09.04.2018	150	30449.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
09.04.2018	155	34099.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
10.04.2018	151	21000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
05.02.2019	278	100000.00	कार्तिक सीमेन्ट स्टोर
11.04.2018	149	69903.00	एस० के० ट्रेडर्स
11.04.2018	147	35368.00	एस० के० ट्रेडर्स
14.08.2018	233	92714.00	एस० के० ट्रेडर्स
14.08.2018	229	161216.00	एस० के० ट्रेडर्स
28.06.2018	173	5562.00	नमबरदार ईट ओग
28.06.2018	177	38747.00	नमबरदार ईट ओग
06.07.2018	196	30841.00	नमबरदार ईट ओग
11.07.2018	206	84988.00	नमबरदार ईट ओग
11.07.2018	210	5859.00	नमबरदार ईट ओग
11.07.2018	203	95164.00	नमबरदार ईट ओग
13.08.2018	217	9698.00	नमबरदार ईट ओग
21.08.2018	227	20560.00	नमबरदार ईट ओग
14.06.2018	189	50000.00	नमबरदार ईट ओग
09.07.2018	213	10000.00	नमबरदार ईट ओग
10.08.2018	235	65000.00	नमबरदार ईट ओग
07.02.2019	276	55837.00	नमबरदार ईट ओग
12.03.2019	264	80000.00	नमबरदार ईट ओग
19.07.2018	214	5000.00	नमबरदार ईट ओग
25.06.2018	187	108645.0	नमबरदार ईट ओग
25.06.2018	183	168936.00	नमबरदार ईट ओग
29.06.2018	190	100000.00	नमबरदार ईट ओग
02.07.2018	171	68733.00	नमबरदार ईट ओग
02.07.2018	179	17254.00	नमबरदार ईट ओग
02.07.2018	175	89949.00	नमबरदार ईट ओग
10.07.2018	198	17317.00	नमबरदार ईट ओग

25.07.2018	208	12322.00	नमबरदार ईट उोग
25.07.2018	205	12321.00	नमबरदार ईट उोग
25.07.2018	211	34075.00	नमबरदार ईट उोग
08.08.2018	219	67907.00	नमबरदार ईट उोग
16.08.2018	224	40819.00	नमबरदार ईट उोग
15.02.2019	279	221891.00	नमबरदार ईट उोग
योग		2062254.00	

प्रस्तर-176 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 14730100011512 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 54640.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं0	धनराशि	विवरण
14.11.2018	252	34640.00 नदीम सनैट्री स्टोर
03.07.2018	200	20000.00 असगर आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
योग		54640.00

प्रस्तर-177 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती अमीर जहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 14730100011512 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 706604.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं0	धनराशि	विवरण
16.04.2018	163	24500.00 श्रीमती अमीर जहां
16.04.2018	162	2750.00 श्रीमती अमीर जहां
11.07.2018	204	15198.00 श्रीमती अमीर जहां
19.07.2018	215	3000.00 श्रीमती अमीर जहां
31.07.2018	218	1621.00 श्रीमती अमीर जहां
31.07.2018	220	22209.00 श्रीमती अमीर जहां
11.04.2018	146	1700.00 श्री गरीब नवाज
11.04.2018	152	3349.00 श्री गरीब नवाज
11.04.2018	156	4680.00 श्री गरीब नवाज
17.04.2018	160	6142.0 श्री गरीब नवाज
26.06.2018	169	9686.00 श्री गरीब नवाज
26.06.2018	195	10000.00 श्री गरीब नवाज
26.06.2018	186	31395.00 श्री गरीब नवाज
26.06.2018	182	3708.00 श्री गरीब नवाज
26.06.2018	166	13549.00 श्री गरीब नवाज

10.08.2018	223	89008.00	श्री गरीब नवाज
13.08.2018	231	14445.00	श्री गरीब नवाज
19.04.2018	161	11474.00	श्री संतराम
19.04.2018	148	13320.00	श्री संतराम
19.04.2018	157	14970.00	श्री संतराम
19.04.2018	153	39900.00	श्री संतराम
10.09.2018	239	1500.00	श्री जसबीर
05.11.2018	253	40000.00	श्री रिजवान
21.06.2018	193	50000.00	श्री सिद्धराज
30.06.2018	201	40000.00	श्री सिद्धराज
05.09.2018	240	3000.00	श्री सिद्धराज
08.10.2018	243	10500.00	श्री सिद्धराज
06.11.2018	248	5000.00	श्री सिद्धराज
12.11.2018	254	5000.00	श्री सिद्धराज
12.11.2018	249	15000.00	श्री सिद्धराज
17.01.2019	274	50000.00	श्री सिद्धराज
05.02.2019	282	50000.00	श्री सिद्धराज
05.02.2019	283	50000.00	श्री सिद्धराज
31.07.2018	216	15000.00	श्री अकरम अली
31.07.2018	221	5000.00	श्री अकरम अली
11.10.2018	245	10000.00	श्री अकरम अली
27.11.2018	255	5000.00	श्री अकरम अली
07.03.2019	263	15000.00	श्री अकरम अली
योग		706604.00	

प्रस्तर-178 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 14730100011512 से रु०-1185306.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 1185306.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

38—ग्राम पंचायत— हरैटा

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-179 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730200000240 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 1437761.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक

चैक नं०

धनराशि

विवरण

16.04.2018	175	2940.00	इण्डिया ब्रिक
16.04.2018	172	5140.00	इण्डिया ब्रिक
01.06.2018	184	3780.00	इण्डिया ब्रिक
23.08.2018	78	11375.00	इण्डिया ब्रिक
23.08.2018	77	11380.00	इण्डिया ब्रिक
23.08.2018	76	6847.00	इण्डिया ब्रिक
23.08.2018	67	11635.00	इण्डिया ब्रिक
23.08.2018	66	3465.00	इण्डिया ब्रिक
24.08.2018	74	31590.00	इण्डिया ब्रिक
20.09.2018	78	85000.00	इण्डिया ब्रिक
29.10.2018	203	11743.00	इण्डिया ब्रिक
28.11.2018	216	105774.00	इण्डिया ब्रिक
01.03.2019	301	78022.00	इण्डिया ब्रिक
31.01.2019	228	45000.00	इण्डिया ब्रिक
05.02.2019	234	30000.00	इण्डिया ब्रिक
12.02.2019	240	45000.00	इण्डिया ब्रिक
03.04.2018	170	40000.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
16.04.2018	178	72020.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
16.04.2018	171	69400.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
29.05.2018	183	18261.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
21.08.2018	62	22820.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
27.11.2018	217	15000.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
06.02.2019	235	30000.00	ठाकुरदास सीमेन्ट स्टोर
14.06.2018	193	50000.00	मैज ट्रेडर्स
15.06.2018	191	50000.00	मैज ट्रेडर्स
15.06.2018	195	50000.00	मैज ट्रेडर्स
16.07.2018	51	52018.00	मैज ट्रेडर्स
16.07.2018	200	55016.00	मैज ट्रेडर्स
18.07.2018	52	15760.00	मैज ट्रेडर्स
26.07.2018	199	53880.00	मैज ट्रेडर्स
02.08.2018	59	50000.00	मैज ट्रेडर्स
02.08.2018	57	50000.00	मैज ट्रेडर्स
23.08.2018	61	51123.00	मैज ट्रेडर्स
23.08.2018	64	42441.00	मैज ट्रेडर्स
20.09.2018	80	35000.00	मैज ट्रेडर्स
03.10.2018	96	20000.00	मैज ट्रेडर्स
03.10.2018	95	37103.00	मैज ट्रेडर्स
26.10.2018	204	17260.00	मैज ट्रेडर्स
28.11.2018	218	9892.00	मैज ट्रेडर्स
01.03.2019	303	42076.00	मैज ट्रेडर्स
योग		1437761.00	

प्रस्तर-180 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 14730200000240 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 55505.00) उक्त

धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
25.03.2019	307	3000.00 भगवती इण्टरप्राइजेज
28.02.2019	306	25000.00 नवीन स्टी स्टोर
15.10.2018	99	21700.00 एस० के० इण्टरप्राइजेज
27.06.2018	185	5805.00 ज्योति हार्डवेयर स्टोर
योग		55505.00

प्रस्तर-181 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती शाहजहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं० 4730200000240 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 235187.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
22.06.2018	197	3000.00 श्रीमती शाहजहा
27.06.2018	190	20000.00 श्रीमती शाहजहा
21.08.2018	72	5000.00 श्रीमती शाहजहा
17.04.2018	179	18150.00 श्री फरीद
17.04.2018	177	17240.00 श्री फरीद
16.05.2018	182	9800.00 श्री फरीद
08.06.2018	194	20000.00 श्री फरीद
19.03.2019	309	21497.00 श्री इन्तेजार
19.03.2019	310	10000.00 श्री इन्तेजार
22.06.2018	192	20000.00 श्री भगवानदास
23.08.2018	58	20000.00 श्री भगवानदास
24.09.2018	88	5000.00 श्री हसन अली
25.09.2018	85	5000.00 श्री हसन अली
21.02.2019	244	5000.00 श्री हसन अली
05.10.2018	92	5000.00 श्री सिद्धराज
10.10.2018	91	5000.00 श्री सिद्धराज
01.11.2018	205	5000.00 श्री सिद्धराज
15.11.2018	212	5000.00 श्री सिद्धराज
26.11.2018	222	5000.00 श्री सिद्धराज
27.11.2018	223	10000.00 श्री सिद्धराज
27.11.2018	224	10500.00 श्री सिद्धराज
30.01.2019	232	10000.00 श्री सिद्धराज
योग		235187.00

प्रस्तर-182 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 4730200000240 से रु० 569128.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी

द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 569128.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर

वि०ख०—सैदनगर

मण्डल का नाम—मुरादाबाद

39—ग्राम पंचायत— मिलक नगली

लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर—183 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100021426 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 220000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
15.05.2018 16	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.02.2019 78	50000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.02.2019 80	35000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
07.02.2019 81	35000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
27.11.2018 61	15000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
14.01.2019 77	35000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
योग	220000.00	

प्रस्तर—184 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10990100021426 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 81150.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
25.07.2018 27	63600.00	एस० डी इण्टरप्राइजेज
28.06.2018 21	17550.00	नदीम सनैट्री स्टोर
योग	81150.00	

प्रस्तर—185 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री फरीद खां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं० 10990100021426 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले

जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 361250.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं०	धनराशि	विवरण
02.06.2018 18	30000.00	श्री फरीद खां
26.06.2018 24	5000.00	श्री फरीद खां
17.07.2018 26	10000.00	श्री फरीद खां
08.08.2018 28	15000.00	श्री फरीद खां
13.09.2018 29	20000.00	श्री फरीद खां
24.10.2018 57	20000.00	श्री फरीद खां
22.11.2018 62	25000.00	श्री फरीद खां
24.12.2018 63	25000.00	श्री फरीद खां
07.02.2019 79	25000.00	श्री फरीद खां
28.02.2019 87	15000.00	श्री फरीद खां
28.02.2019 84	42000.00	श्री फरीद खां
14.06.2018 20	18750.00	श्री रिजवान
04.05.2018 55	5000.00	श्री असगर अली
04.10.2018 30	5000.00	श्री असगर अली
15.05.2018 17	5000.00	श्री हरपाल
01.03.2019 86	2500.00	श्री आसिफ
20.02.2019 83	5000.00	श्री शोहित कुमार
28.02.2019 82	5000.00	श्री शोहित कुमार
22.06.2018 23	5000.00	श्री अरवाज खान
22.10.2018 56	5000.00	श्री आसिफ अहमद
04.01.2019 6	60000.00	श्री आसिफ अहमद
01.01.2019 65	5000.00	श्री रिसालत हुसैन
24.06.2018 22	2000.00	श्री रईस
18.12.2018 59	5000.00	श्री रईस
27.12.2018 64	1000.00	श्री वाजिद अली
योग	361250.00	

प्रस्तर-186 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10990100021426 से रु० 413.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 413.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर	वि०ख०—सैदनगर	मण्डल का नाम—मुरादाबाद
40—ग्राम पंचायत— बैजनी		लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19
ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां		

प्रस्तर-187 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10730100011277 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 1863253.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
03.04.2018	169	15195.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
03.04.2018	175	14140.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
29.06.2018	147	90000.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
02.08.2018	160	35783.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
02.08.2018	163	22468.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
13.02.2019	227	20480.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
13.02.2019	221	21350.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
13.02.2019	218	5000.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
14.03.2019	235	11050.00	आरिफ ब्रिक बर्कस
04.04.2018	167	77248.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.04.2018	166	65052.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.04.2018	173	21000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.04.2018	171	80288.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.04.2018	172	51000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.04.2018	168	20000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
10.05.2018	178	66382.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
11.06.2018	138	45495.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
19.06.2018	141	9000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
29.06.2018	146	60000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
29.06.2018	140	80000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
04.07.2018	149	40000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
18.05.2018	179	10000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
29.01.2019	215	15000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
14.02.2019	230	17250.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
12.03.2019	238	20000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
25.07.2018	152	50000.00	अतीक ब्रिक
13.03.2019	233	70000.00	लक्की सीमेन्ट स्टोर
13.03.2019	234	79580.00	लक्की सीमेन्ट स्टोर
13.06.2018	136	6048.00	हमजा ब्रि बर्कस
06.04.2018	151	17000.00	हमजा ब्रिक बर्कस
18.06.2018	142	50000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
10.08.2018	190	40000.00	शाहवेज ट्रेडर्स
20.07.2018	153	50000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
03.08.2018	161	43385.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
03.08.2018	157	24772.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
03.08.2018	165	61111.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
10.08.2018	188	37700.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
10.08.2018	184	46070.00	ख्वाजा ट्रेडर्स
07.09.2018	196	50000.00	ख्वाजा ट्रेडर्स

30.01.2019	212	40000.00	ख्वाजा ट्रेडस
30.01.2019	210	40000.00	ख्वाजा ट्रेडस
14.02.2019	225	122900.00	ख्वाजा ट्रेडस
14.02.2019	220	121500.00	ख्वाजा ट्रेडस
योग		1863253.00	

प्रस्तर-188 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 10730100011277 से अलग-अलग फर्म से अन्य मटेरियल खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 92250.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
20.03.2019	240	5250.00	दैनिक आज
25.03.2019	241	3000.00	भगवती इण्टरप्राईजेज
24.09.2018	199	84000.00	एस0 डी0 इण्टरप्राईजेज
योग		92250.00	

प्रस्तर-189 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा ट्रान्सफर स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 10730100011277 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 46239.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
09.08.2018	182	10312.00	ट्रान्सफर अज्ञात
09.08.2018	186	9483.00	ट्रान्सफर अज्ञात
29.06.2018	ट्रान्सफर	26444.00	ट्रान्सफर अज्ञात
योग		46239.00	

प्रस्तर-190 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती गामा द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनोंको में बैंक खाता सं0 10730100011277 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त

किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 692505.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं0	धनराशि	विवरण
09.08.2018	191	15000.00	श्रीमती गामा
27.09.2018	200	2000.00	श्रीमती गामा
20.11.2018	203	31500.00	श्रीमती गामा
24.12.2018	206	12000.00	श्रीमती गामा
02.01.2019	207	40000.00	श्रीमती गामा
20.02.2019	229	4750.00	श्रीमती गामा
20.02.2019	224	700.00	श्रीमती गामा
11.03.2019	236	55350.00	श्रीमती गामा
21.07.2018	156	5000.00	श्री सिद्धराज
12.11.2018	201	10500.00	श्री सिद्धराज
14.11.2018	202	5000.00	श्री सिद्धराज
24.12.2018	209	5000.00	श्री सिद्धराज
09.08.2018	192	5000.00	श्री हारून
15.12.2018	204	5000.00	श्री हारून
21.07.2018	154	50000.00	श्री आसिफ अली
06.08.2018	162	19404.00	श्री आसिफ अली
06.08.2018	164	3235.00	श्री आसिफ अली
06.08.2018	181	2458.00	श्री आसिफ अली
06.08.2018	159	6248.00	श्री आसिफ अली
06.08.2018	158	12656.00	श्री आसिफ अली
24.12.2018	205	5460.00	श्री आसिफ अली
01.02.2019	213	30000.00	श्री आसिफ अली
01.02.2019	214	20000.00	श्री आसिफ अली
14.02.2019	219	10350.00	श्री आसिफ अली
14.02.2019	222	34499.00	श्री आसिफ अली
14.02.2019	228	25125.00	श्री आसिफ अली
10.04.2018	135	3000.00	नगद
09.05.2018	180	5460.00	नगद
08.06.2018	137	1466.00	नगद
19.07.2018	155	5000.00	नगद
04.09.2018	194	3000.00	नगद
04.09.2018	193	3000.00	नगद
07.09.2018	195	2500.00	नगद
07.09.2018	197	2000.00	नगद
07.09.2018	198	5000.00	नगद
11.02.2019	216	2500.00	नगद
13.02.2019	223	4700.00	नगद
28.02.2019	232	2500.00	नगद
11.03.2019	237	4900.00	नगद
13.03.2019	239	3000.00	नगद
03.04.2018	174	47850.00	श्री महबूब
09.05.2018	177	49389.00	श्री महबूब
08.06.2018	139	17010.00	श्री महबूब
29.06.2018	143	40000.00	श्री महबूब
29.06.2018	145	4701.00	श्री महबूब

29.06.2018	148	8000.00	श्री महबूब
29.06.2018	150	30000.00	श्री महबूब
09.08.2018	187	1053.00	श्री महबूब
09.08.2018	183	1333.00	श्री महबूब
09.08.2018	189	12942.00	श्री महबूब
09.08.2018	185	12966.00	श्री महबूब
योग		692505.00	

प्रस्तर-191 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं० 10730100011277 से रु० 58780.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु० 58780.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम— रामपुर वि०ख०—सैदनगर मण्डल का नाम—मुरादाबाद
41—ग्राम पंचायत— गागननगला लेखा परीक्षा वर्ष—2018—19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर-192 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं० 10730100021430 से ईट/सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8 तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु० 533000.00) उक्त धनराशि को व्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांक	चैक नं०	धनराशि	विवरण
15.05.2018	50	30000.00	असरार आयरन एण्ड सीमेन्ट स्टोर
30.08.2018	102	18000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
06.11.2018	20	10000.00	खुर्शीद सीमेन्ट स्टोर
15.05.2018	47	95000.00	गरीब नवाज ब्रिक
15.05.2018	46	95000.00	गरीब नवाज ब्रिक
04.09.2018	100	95000.00	मकसूद आयरन स्टोर
23.10.2018	18	55000.00	मकसूद आयरन स्टोर
07.02.2019	30	65000.00	मकसूद आयरन स्टोर
07.02.2019	29	70000.00	मकसूद आयरन स्टोर
योग		533000.00	

प्रस्तर-193 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती कमरूल द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनों को बैंक खाता सं० 10730100021430 से भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बावत व किसे किये गये संबंधि प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधानमंत्री योजना में खोले

जा चुके हैं। फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में क्यों नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है। अतः (रु0 452500.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं0	धनराशि	विवरण
09.04.2018 97	10000.00	श्रीमती कमरूल
14.05.2018 48	50000.00	श्रीमती कमरूल
14.05.2018 49	30000.00	श्रीमती कमरूल
04.09.2018 55	42000.00	श्रीमती कमरूल
04.09.2018 99	70000.00	श्रीमती कमरूल
09.10.2018 16	30000.00	श्रीमती कमरूल
18.12.2018 107	50000.00	श्रीमती कमरूल
07.02.2019 26	42000.00	श्रीमती कमरूल
08.02.2019 23	50000.00	श्रीमती कमरूल
08.02.2019 24	50000.00	श्रीमती कमरूल
30.07.2018 98	5000.00	श्री रईस अहमद
18.08.2018 54	3000.00	श्री रईस अहमद
24.10.2018 104	3000.00	श्री रईस अहमद
13.06.2018 52	35000.00	श्री दिनेश
04.10.2018 51	2000.00	श्री दिनेश
20.12.2018 106	5000.00	श्री हरपाल
01.10.2018 103	2000.00	श्री इन्तेजार
23.10.2018 19	5000.00	श्री मुकेश
योग	452500.00	

प्रस्तर-194 ग्राम पंचायत के बैंक खाते सं0 10730200000225 से रु0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकार को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

दिनांकचैक नं0	धनराशि	विवरण
23.10.2018 91	2000.00	जिला पंचायत राज अधिकारी
योग	2000.00	

प्रस्तर-195 ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय सम्बन्धी बैंक खाता सं0 10730100021430 से रु0 119355.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट अतः (रु0 119355.00) उक्त धनराशि को ब्याज के साथ संबंधित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जनपद का नाम— सम्भल

मण्डल का नाम — मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण —

1. ग्राम पंचायत—पैगारफातपुर वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद सम्भल।

प्रस्तर—01 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रुपया 233818.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजवीर सिंह एवं सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुलयोग—233818.00 /—

2. ग्राम पंचायत — सराय ज्वालापुरी वर्ष 2017—18 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—02 ग्राम पंचायत में वर्ष 2017—18 कैशबुक में विभिन्न मदों में खर्च रुपया 1210044.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमति गायत्री देवी एवं सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—1210044.00 /—

3. ग्राम पंचायत—भगतपुर मिर्जा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद—सम्भल।

प्रस्तर—03 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 24.09.2018 से दिनांक 07.01.2019 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रुपया 983959.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजेश्वर एवं सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—983959.00 /—

4. ग्राम पंचायत—खबरिया हुलासनगर वर्ष 2017—18 से 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—04 ग्राम पंचायत में वर्ष 2017—18 दिनांक 31.03.2018 को कैशबुक में नगद अवशेष धनराशि रुपया 37000.00 था, जिसे वर्ष 2018—19 की कैशबुक माह अप्रैल 2018 में शून्य धनराशि अंकित कर रुपया 37000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री जबर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—05 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 23.10.2018 से दिनांक 07.01.2019 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रुपया 534977.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेन्द्र सिंह एवं सचिव श्री जबर सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि	मद का नाम जिसके वाउचर नहीं पाये गये
23.10.2018	25500.00	सफाई कार्य
26.10.2018	20000.00	सफाई कार्य जे0सी0बी0
12.11.2018	9765.00	ईट क्रय
12.11.2018	69930.00	ईट क्रय
6.12.2018	16500.00	ठेली क्रय
17.12.2018	15200.00	हैण्डपम्प सामान
17.12.2018	9600.00	हैण्डपम्प मजदूरी
18.12.2018	39037.00	हैण्डपम्प रिबोर
18.12.2018	38846.00	हैण्डपम्प रिबोर
18.12.2018	38496.00	हैण्डपम्प रिबोर
18.12.2018	38941.00	हैण्डपम्प रिबोर
18.12.2018	38846.00	हैण्डपम्प रिबोर

19.12.2018	18500.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामान क्रय
19.12.2018	4000.00	हैण्डपम्प मजदूरी
19.12.2018	38495.00	हैण्डपम्प रिबोर
19.12.2018	38846.00	हैण्डपम्प रिबोर
02.01.2019	34375.00	सीमेण्ट क्रय
07.01.2019	40100.00	सीमेण्ट क्रय
योग	534977.00	

कुल योग—571977.00 /—

5. ग्राम पंचायत—भवालपुर वासली वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—असमोली, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—06 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 कैशबुक एवं स्टेटमेंट से विभिन्न मदों में रूपया 1586238.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री ओमचन्द सिंह एवं सचिव श्री दिनेश चौधरी एवं श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। **कुल योग—1586238.00 /—**

6.ग्राम पंचायत—रतनपुर स्योंडारा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—07 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.01.2019 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रूपया 234320.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अंशू एवं सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—234320.00 /—

29. ग्राम पंचायत —लखनेटा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—08 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 31.10.2018 से दिनांक 05.01.2019 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रूपया 360143.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमति सरला देवी एवं सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—360143.00 /—

30. ग्राम पंचायत —गुरगोंव वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—09 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 30.11.2018 तक कैशबुक में विभिन्न मदों में रूपया 326808.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमति सर्वेश एवं सचिव श्री दिनेश कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—326808.00 /—

31. ग्राम पंचायत —मानकपुर नरौली वर्ष 2017—18 विकास खण्ड—बनियाखेड़ा, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—10 ग्राम पंचायत में वर्ष 2017—18 में निम्नलिखित तिथियों में ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि का कैशबुक में एन्ट्री न करके तथा निर्माण आदि कार्यों पर खर्च न करके रूपया 467923.00 धनराशि का अपहरण करना। उत्तरदायी व्यक्ति प्रधान श्री मदन पाल सिंह तथा सचिव श्री सतेन्द्र कुमार यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

	दिनांक	धनराशि
1—	03.04.17	4830.00 /—
2—	03.04.17	4830.00 /—

3-	12.04.17	3220.00 / -
4-	12.04.17	5040.00 / -
5-	12.04.17	3220.00 / -
6-	12.04.17	3220.00 / -
7-	12.04.17	4830.00 / -
8-	13.04.17	7000.00 / -
9-	13.04.17	3220.00 / -
10-	13.04.17	49500.00 / -
11-	13.04.17	13212.00 / -
12-	15.04.17	6500.00 / -
13-	17.04.17	16560.00 / -
14-	19.04.17	3680.00 / -
15-	19.04.17	3960.00 / -
16-	19.04.17	3680.00 / -
17-	19.04.17	3960.00 / -
18-	19.04.17	3680.00 / -
19-	20.04.17	36000.00 / -
20-	20.04.17	13669.00 / -
21-	20.04.17	28494.00 / -
22-	24.04.17	3680.00 / -
23-	24.04.17	3680.00 / -
24-	25.04.17	3220.00 / -
25-	28.04.17	16874.00 / -
26-	01.05.17	3680.00 / -
27-	03.05.17	3680.00 / -
28-	05.05.17	2990.00 / -
29-	05.05.17	2990.00 / -
30-	05.05.17	28450.00 / -
31-	05.05.17	2990.00 / -
32-	05.05.17	2880.00 / -
33-	05.05.17	2880.00 / -
34-	06.05.17	49608.00 / -
35-	06.05.17	49590.00 / -
36-	08.05.17	2990.00 / -
37-	08.05.17	9100.00 / -
38-	08.05.17	2880.00 / -
39-	08.05.17	33656.00 / -
40-	08.05.17	2880.00 / -
41-	15.05.17	2990.00 / -
42-	19.05.17	2990.00 / -
43-	19.05.17	2990.00 / -
44-	19.05.17	2990.00 / -
45-	19.05.17	4680.00 / -
योग		467923 / -

कुल योग-467923.00 / -

32. ग्राम पंचायत-शाहपुर सिरपुड़ा वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-असमोली, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-11ग्राम पंचायत में वर्ष 2018-19 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट से विभिन्न मदों में रुपया 1682914.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना,

एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमति नासराखातून एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिनेश चौधरी एवं श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

कुल योग—1682914.00 /—

33. ग्राम पंचायत—भैसोड़ा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—असमोली, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—12 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट से विभिन्न मदों में रुपया 1040060.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना, एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सर्वेश कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
1— 04.04.18	10500.00 /—
2— 07.04.18	11900.00 /—
3— 09.04.18	11900.00 /—
4— 18.04.18	16100.00 /—
5— 27.04.18	11900.00 /—
6— 01.05.18	19500.00 /—
7— 01.05.18	18370.00 /—
8— 01.05.18	10500.00 /—
9— 01.05.18	18250.00 /—
10— 01.05.18	15500.00 /—
11— 01.05.18	19200.00 /—
12— 01.05.18	19150.00 /—
13— 02.05.18	16100.00 /—
14— 02.05.18	24500.00 /—
15— 02.05.18	29450.00 /—
16— 03.05.18	45000.00 /—
17— 03.05.18	65000.00 /—
18— 03.05.18	155000.00 /—
19— 05.05.18	165340.00 /—
20— 10.05.18	85000.00 /—
21— 22.05.18	67250.00 /—
22— 23.05.18	79270.00 /—
23— 09.08.18	75280.00 /—
24— 10.08.18	20000.00 /—
25— 06.12.18	30100.00 /—
योग	1040060 /—

कुल योग—1040060.00 /—

34. ग्राम पंचायत—चन्दवारवर्ष 2018—19 विकास खण्ड—असमोली, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—13 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट से विभिन्न मदों में रुपया 1250305.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना, एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की

गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमुकेश एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री ओमप्रकाश शर्मा से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
1- 06.04.18	10000.00 / -
2- 09.05.18	10000.00 / -
3- 11.05.18	249565.00 / -
4- 14.05.18	31180.00 / -
5- 14.05.18	15550.00 / -
6- 14.05.18	25000.00 / -
7- 14.05.18	25000.00 / -
8- 23.05.18	40000.00 / -
9- 23.05.18	65200.00 / -
10- 14.06.18	49000.00 / -
11- 18.08.18	46600.00 / -
12- 21.08.18	80590.00 / -
13- 21.08.18	56070.00 / -
14- 21.08.18	38000.00 / -
15- 21.08.18	74325.00 / -
16- 21.08.18	109800.00 / -
17- 21.08.18	70000.00 / -
18- 21.08.18	74425.00 / -
योग	1250305 / -

कुल योग-1250305.00 / -

35. ग्राम पंचायत-मऊकठेर वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-बहजोई, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018-19 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट (खाता संख्या 0543000100214718) से विभिन्न मदों में रूपया 1024314.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना, एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमति लक्ष्मी देवी एवं सचिव श्री यशपाल सिंह, श्री रमेश कुमार एवं श्री प्रेमपाल से की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	मद/नाम	धनराशि
21.06.2018	9057	अमर सिंह	17800
13.07.2018	9068	राजकुमार त्यागी	2500
24.07.2018	931142	गौरव शर्मा	5200
24.07.2018	9070	मनीश टाईल्स	106625
31.07.2018	931156	सौरव ट्रेडिंग क0	94625
01.08.2018	931136	ए0बी0सी0 ईट जोग	23323
01.09.2018	931168	पंकज शर्मा	3600
05.09.2018	931170	लक्ष्मी	5000
10.09.2018	931175	अनूप कुमार	5000
11.09.2018	931166	उस्मान	12800
14.09.2018	931179	मनोज मशीनरी एण्ड एग्री स्टोर	45000
20.09.2018	931171	पुष्पेन्द्र	5000
05.09.2018	931185	स्वराज सिंह	5000
15.09.2018	931188	शरीफ	15000
16.09.2018	931187	फरमान	20000
26.10.2018	931186	घनेन्द्र सिंह	3000

12.11.2018	931203	इसरार सीमेण्ट	66000
12.11.2018		इसरार सीमेण्ट	25000
12.11.2018	931208	आशा भट्टा कम्पनी	79000
19.12.2018	528480	शरीफ	20500
21.12.2018	528475	होतीलाल जगदीश सरन	18400
31.12.2018	528490	मनीश टाईल्स	118838
05.01.2019	528496	सुमित ट्रेडर्स	152428
07.01.2019	528497	इसरार सीमेण्ट	142175
08.01.2019	528512	राजकुमार त्यागी	3000
12.02.2019	390403	गणेश आयरन	17700
12.02.2019	390402	गणेश आयरन	11800
		योग	1024314.00

कुल योग—1024314.00 /—

36. ग्राम पंचायत—रम्पुरा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—बहजोई, जनपद— सम्भल।

प्रस्तर—15 ग्राम पंचायत में वर्ष 2018—19 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट (खाता संख्या 0543000100214949) से विभिन्न मदों में रूपया 548463.00 के वाउचर नहीं पाये गये जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। जबकि नियमानुसार ग्राम पंचायत में जो भी खर्च किया जाये उसमें व्यय सम्बन्धी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जिसमें कार्ययोजना, एस्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर, वाउचर एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र अवश्य बनाना चाहिए जोकि ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाया गया। वित एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर नहीं पाये जाते हैं तो खर्च की गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर—बराबर प्रधान श्रीमति गीता देवी एवं सचिव श्री रमेश कुमार एवं श्री जितेन्द्र कुमारसे की जानी अपेक्षित है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 की कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	धनराशि
24.05.2018	4000
08.06.2018	4000
12.07.2018	3000
31.07.2018	111722
01.08.2018	1200
02.08.2018	3900
09.08.2018	14000
18.08.2018	20000
27.08.2018	2000
19.08.2018	2600
04.09.2018	5000
06.09.2018	107050
06.09.2018	10000
07.09.2018	3000
07.09.2019	3000
08.10.2018	5000
11.10.2018	5000
25.10.2018	5000
29.10.2018	10000
08.03.2019	18000
28.03.2019	86172
29.03.2019	62019
29.03.2019	36400
29.03.2019	23400
20.03.2019	3000
	548463.00

कुल योग—548463.00 /—

37. ग्राम पंचायत—केवलपुर तिपेड़ा वर्ष 2018—19 विकास खण्ड—रजपुरा, जनपद— सम्भल।

श्रीमति रानी यादवसे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-1695386.00 /-

67. ग्राम पंचायत-मौ0पुर मालनी वर्ष 2018-19 विकासखण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-46ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में रूपया 3040385.00 व्यय दर्षित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अजय कुमार व प्रधान श्रीमति रेशमासे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-3040385.00 /-

68. ग्राम पंचायत-रिठाली वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-47ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कैश बुक में रूपया 2500623.00 व्यय दर्षित है परन्तु दर्षित व्यय के सापेक्षकार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, वाउचर फाइल, मस्टर रोल,कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान मानदेय रजि0, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पुस्तिकाइत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मेंकोई वाउचर उपलब्ध न होने पर दर्शायी गयी व्यय कीसम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री गौरव सागर व प्रधान श्रीमति मुनेशवाला से बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-2500623.00 /-

69. ग्राम पंचायत-मौ0पुर कठैरा वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-48ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में कैशबुक में रूपया 841014.00 व्यय दर्षित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शिवशकल सिंह व प्रधान श्री मुख्त्यारसे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-841014.00 /-

70. ग्राम पंचायत-मंडलाई वर्ष 2018-19 विकासखण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-49ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में कैशबुक में रूपया 1210993.00 व्यय दर्षित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शिवशकल सिंह व प्रधान श्री हिमायतुल्लासे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-1210993.00 /-

71. ग्राम पंचायत-शहजादी सराय वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-50ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में कैशबुक में रूपया 1561292.00 व्यय दर्षित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री शिवशकल सिंह व प्रधान श्रीमति लता देवी से बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।

कुलयोग-1561292.00 /-

72. ग्राम पंचायत-महमूदपुर कुंज वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-सम्भल, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-51ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में कैशबुक में रूपया 1338000.00 व्यय दर्षित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर

व प्रधान श्री मनीरामसे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।
कुलयोग-1041123.00/-

79. ग्राम पंचायत-बसला वर्ष 2018-19 विकास खण्ड-पवांसा, जनपद- सम्भल।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में कैशबुक में रूपया 2272580.00 व्यय दर्शित है परन्तु व्यय से सम्बन्धित व्यय वाउचर नहीं पाया गया। वाउचर न प्राप्त होने के कारण पंचायतीराज नियमावली के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर न होने पर व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्बन्धित ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह व प्रधान श्री नीरज सैनीसे बराबर-बराबर धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 409 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही भी की जाये।
कुलयोग-2272580.00/-

प्रारूप-4

त्रिस्तरीय पंचायत अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

नाम संस्था-ग्राम पंचायत चकस्करन लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-बहुआ जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -1 आहरित धनराशि को कोशबही में प्रविष्टि न कर किया गया अपहरण

ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या एसबीआई एडीबी ए/सी 31639145805 से दिनांकित विवरणानुसार धनराशि आहरित की गयी है, किन्तु कोशबही में निम्नांकित धनराशियों की प्रविष्टि आय -व्यय पक्ष में न कर कुल धनराशि रू0-1,31,950.00रू0 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भूपेन्द्र सिंह एवं पंचायत निधि सचिव श्री नीरज से की जाय।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
18.06.2018	738928	9,950.00
06.07.2018	738929	24,000.00
27.02.2019	738971	20,000.00
12.03.2019	738981	78,000.00
	योग	1,31,950.00

नाम संस्था-ग्राम पंचायत महमूदपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-बहुआ

जनपद-फतेहपुर।

ग्राम पंचायत महमूदपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण/अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये।

प्रस्तर -2 ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या एसबीआई एडीबी ए/सी 31639733657 खाता संख्या से दिनांक-20.09.2018 को चेंक संख्या 840045 धनराशि रू0-14000.00 की नगद निकासी की गयी है, किन्तु कोशबही में उक्त नगद निकासी की प्रविष्टि आय व्यय पक्ष में न कर सीधे अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भीशम एवं ग्राम विकास अधिकारी की श्री सुनीत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -3 ग्राम निधि प्रथम के खाते में विभिन्न तिथियों में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ब्याज रू0-16837.00 प्राप्त हुआ है। उक्त खाते में वित्तीय वर्ष की समाप्ति दिनांक-31.03.2019 को बैंक अवशेष रू0-1477.50 ही शेष रहा इस प्रकार अन्तर रू0-15359.50 ब्याज मद से सक्षम प्राधिकारी (राज्य सरकार/ जिलाधिकारी) की अनुमति के बिना व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जाय।

नाम संस्था-ग्राम पंचायत बिझौली

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-बहुआ

जनपद-फतेहपुर।

ग्राम पंचायत बिझौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये।

प्रस्तर -4 ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए0डी0बी0 खाता सं0 31639149990 खाता संख्या से दिनांक-14.03.2019 को चेंक संख्या 503465 धनराशि रू0-8340.00 की नगद निकासी की गयी है, किन्तु कोशबही में उक्त नगद निकासी की प्रविष्टि आय व्यय पक्ष में न

कर सीधे अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लोकनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज से की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था ग्राम पंचायत बड़ागाँव :-

बहुआ-:विकास खण्ड

लेखा परीक्षा वर्ष 19-2018

फतेहपुर -:जनपद

ग्राम पंचायत- बड़ागाँव के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत् अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये।

प्रस्तर -5 आहरित धनराशि को कोशबही में प्रविष्टि न कर किया गया अपहरण

ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ए0डी0बी0 खाता सं0 31639159294 खाता संख्या से दिनांक-05.10.2018 को चेंक संख्या 768764 धनराशि रू0-18000.00 की नगद निकासी की गयी है, किन्तु कोशबही में उक्त नगद निकासी की प्रविष्टि आय व्यय पक्ष में न कर सीधे अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अखिलेश यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीरज से की जानी अपेक्षित है।

नाम संस्था-ग्राम पंचायत गौरी

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-बहुआ

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -6 आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्षित है

दिनांक	धनराशि	विवरण
18.07.2018	14185 (वाउचर नं0 06)	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
21.07.2017	14000 (वाउचर नं0 07)	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
07.12.2017	18717 (वाउचर नं0 08)	लोरिंग-बोरिंग
07.12.2017	18717 (वाउचर नं0 09)	लोरिंग-बोरिंग
11.12.2017	20834 (वाउचर नं0 11)	रिबोर हेतु सामग्री क्रय
11.12.2017	21036 (वाउचर नं0 13)	रिबोर हेतु सामग्री क्रय
08.02.2018	10460 (वाउचर नं0 17)	हैण्डपम्प हेतु सामग्री क्रय
07.03.2018	9150 (वाउचर नं0 19)	हैण्डपम्प हेतु सामग्री क्रय
योग-	1,27,099.00	1,27,099.00

जिसके सम्बंध में निम्न आपत्तियों को प्रकाश में लाया जाता है-

01. जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह ज्ञात न हो सका कि कौन कौन से हैण्डपम्प खराब थे।
02. वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे वर्ष में क्रय सामग्री प्रयुक्त एवं अवशेष स्टॉक की जाँच न की जा सकी।
03. डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे मरम्मत के दौरान निकली पुरानी सामग्री की जाँच न की जा सकी। नीलामी आदि की प्रक्रिया की स्थिति अज्ञात रहीं।
04. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों के स्थलों की सूची एवं ग्रामवासियों/लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्पों के खराब होने की सूचना या उसके मरम्मत सम्बंधी मांग पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
05. हैण्डपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से नहीं तैयार करवाया गया है।
06. हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ भी मिलने की पुष्टि नहीं होती है। स्पष्ट है कि उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निकासी के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गई है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -7 ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक की आडिट में पाया गया कि दिनांक-31.03.2018 को प्रधान क पास नगद अवशेष रू0-20.20 अंकित था जिसको वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक-01.04.2018 को उक्त धनराशि को अंकित न कर सीधे अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -8 दिनांक- 06.04.2017 को प्रधान मानदेय रू0-40,000.00 माह जुलाई 2014 से अक्टूबर 2015 तक कुल 16 माह का पूर्व प्रधान राम खेलावन को भुगतान किया गया है भुगतान की पुष्टि में पूर्व में दिये गये मानदेय से सम्बंधित विवरण/ मानदेय रजिस्टर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं रहा है। अतः यह जानकारी नहीं हो पायी कि पूर्व में कब तक का मानदेय भुगतान हो सका था। इस संदर्भ में मानदेय दिये जाने में दुहराव की

संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। भुगतान एक साथ कई महीनों का प्राप्त किया जाना नियम विरुद्ध है। छह माह अथवा इससे अधिक अवधि हेतु भुगतान किया जाय तो उसकी स्वीकृति विलम्ब के कारण सहित सहायक विकास अधिकारी पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। उक्त पत्रावलियों के अभाव में ₹0-40,000.00 का मानदेय भुगतान दर्शित कर गंभीर अनियमितता की गई है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— लाडलेपुर

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —9 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय क सम्बंध में बाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्य धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने क नियम का उल्लेख है। वर्ष 18-19 में कैशबुक में दर्शित कुल ₹0-881688.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत् है।

मद	सामग्री मे व्यय	मजदूरी में व्यय	मिट्टी पुराई में व्यय	योग व्यय
हैण्डपम्प मरम्मत	53788	22400		76188
हैण्डपम्प रिबोर में	26650	18000		44650
प्रा0वि0 में रैम्प निर्माण	15000	7500		22500
प्रा0वि0के दो कमरों की फर्ष मरम्मत एवं परिसर में मिट्टी पुराई	46000	30575	39000	115575
खडंजो के निर्माण में व्यय	485620	89075	29300	603995
वृक्षारोपण वृक्षकय	11830	6950		18780
			योग—	881688

अतः उक्त नियम के तहत ₹0-881688 कोशांकित व्यय के अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री मातादीन ग्राम प्रधान एवं श्री अर्पण अग्रवाल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— रहीमपुर धर्मगतपुर

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —10 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय क सम्बंध में बाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने के नियम का उल्लेख है। वर्ष 18-19 में कैशबुक में दर्शित कुल ₹0-922926.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसका विवरण निम्नवत् है।

मद	सामग्री मे व्यय	मजदूरी में व्यय	मिट्टी पुराई में व्यय	योग व्यय
हैण्डपम्प मरम्मत	113575	42200		155775
हैण्डपम्प रिबोर में	21922	18800		40722
प्रा0वि0 रहीमपुर में रैम्प निर्माण एवं मिट्टी पुराई	17000	6000	45500	68500
प्रा0वि0 रहीमपुर में रसोई चबूतरा(ईट,बालू, सीमेंट)	14400	9200	31500	55100
खडंजो एवं नाली निर्माण पर ईट कय मोरम सीमेन्ट कय	414169 27980	112000	33000	587149
वृक्षारोपण वृक्षकय	11830	3850		15680
			योग—	922926

अतः उक्त नियम के तहत ₹0-922926 कोशांकित व्यय के अपहरण की धनराशि की ब्याज सहित वसूली श्री विनोद ग्राम प्रधान एवं श्री अर्पण अग्रवाल ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बुदवन

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —11 ग्राम पंचायत बुदवन में वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाते से बाउचर संख्या 21 (01.10.2018), 22 (04.10.2018) व 23 (05.10.2018) द्वारा क्रमशः 23500 रिबोर सामग्री पर 130000 डस्टबिन

पर व 7000 डस्टबिन फिटिंग पर कुल रू0-160500 क्रय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि कुल रू0 160500 प्रधान श्रीमती सुमन देवी व श्री राम निरंजन सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती सुमन देवी प्रधान व श्री राम निरंजन सिंह ग्रा0पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— अल्लीपुर भादर

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -12 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में बाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्य धनराशि को अपहरण मानते हुये वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने क नियम का उल्लेख है। वर्ष 18-19 में अल्लीपुर भादर बाउचर संख्या 13,14,15,19,21, व 22 में कुल रू0-223813.00 के 6 व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में कार्यों की पुष्टि प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत् है—

बाउचर संख्या	दिनांक	मद	धनराशि
13	06.09.2018	पानी की टंकी व हैण्डपम्प मरम्मत सामान	57000.00
14	13.09.2018	शिवांग इण्टरप्राइजेज से सफाई किट	19680.00
15	14.09.2018	शिवांग इण्टरप्राइजेज से सफाई किट	19680.00
19	26-10-2018	प्रा0पाठशाला का शीदामपुर में मिट्टी पुराई	17500.00
21	26.10.2018	प्रा0पाठशाला शीदामपुर में मिट्टी पुराई	96000.00
22	26.10.2018	प्रा0पाठशाला का शीदामपुर में मिट्टी पुराई	13953.00
		योग—	223813.00

अतः उक्त नियम के तहत रू0 223813.00 कोशांकित क्रय अपहरण के लिये श्री राकेश कुमार ग्राम प्रधान व श्री सुशील कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहें हैं। अतः रू0 223813.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राकेश कुमार प्रधान व श्री सुशील कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बहेरा सादात

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -13 ग्राम पंचायत बहेरा सादात में वर्ष 2018-19 में ग्राम निधि खाते से दिनांक-30.02.2018 बाउचर संख्या 28 ,29 व 30 दिनांक-30.10.2019 से क्रमशः 97500, 97500, व 97500 कुल रू0 292500 डस्टबिन खरीद पर व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि कुल रू0-292500 प्रधान श्री अल्ताफ आलम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अंकित सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अल्ताफ आलम प्रधान व अंकित सिंह ग्रा0पं0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— अल्लीपुर बहेरा

लेखा परीक्षा— 2018-19

विकास खण्ड का नाम—ऐराया

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -14 ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में बाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से किये जाने के नियम का उल्लेख है। वर्ष 18-19 में कैशबुक में दर्शित बाउचर संख्या 16,81,50,79,80,77,82 कुल रू0-147150.00 के 7 व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत् है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

बाउचर संख्या	दिनांक	मद	धनराशि
16	26.06.2018	आंगनबाडी साइन बोर्ड	5000
50	14.02.2018	सडको के किनारे कूड़ा सफाई 30 ट्राली	18000
81	28.03.2019	गांव के किनारे सडको एवं नाली क कूड़ा की सफाई 45 ट्राली	27000
79	28-03-2019	डस्टबिन क्रय 8 पीस	52000
80	28.03.2019	डस्टबिन फिक्सिंग पर व्यय 8 पीस	5600

82	28.03.2019	पानी की टंकी की मरम्मत	24550
77	08.03.2019	वाटर प्यूरीफायर क्रय	15000
		योग—	147150.00

ग्राम पंचायत— घनघौल
विकास खण्ड का नाम—हसवा
प्रस्तर —15

लेखा परीक्षा— 2018—19
जनपद—फतेहपुर।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—18.09.2018 के कैशबुक के अनुसार व्यय प्रमाणक 30 द्वारा फोटोकापी एवं स्टेशनरी क्रय हेतु रु0 5000.00 का भुगतान दर्षित है, किन्तु लेखा परीक्षाके दौरान उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती सुशीलाशुक्ला व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्रीमती सुशीला शुक्ला प्रधान व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से 5000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —16

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—04.04.2018 को व्यय प्रमाणक 3 द्वारा रु0 4000.00 दिनांक—27.07.2018 को व्यय प्रमाणक 20 द्वारा रु0 3500.00 डिस्प्ले बोर्ड का अमित टेडर्स को एवं दिनांक—17.09.2018 को व्यय प्रमाणक 28 द्वारा मे0 ओम साईं स्पलायर्स को डिस्प्ले बोर्ड का रु0 4600.00 रु0 भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान यह प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती सुशीला शुक्ला व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्रीमती सुशीला शुक्ला प्रधान व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 12100.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —17

आलोच्य वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—02.03.2019 को व्यय प्रमाणक 55 द्वारा मे0 प्रयागराज इण्टरप्राइजेज को स्कूल की टंकी वर्तन हेतु रु 12700.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती सुशीला शुक्ला व रंजीता यादव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्रीमती सुशीला शुक्ला प्रधान व रंजीता यादव ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 12700.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— बिलारीमऊ
विकास खण्ड का नाम—हसवा

लेखा परीक्षा— 2018—19
जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —18

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—18.09.2018 के कैशबुक के अनुसार व्यय प्रमाणक 11 द्वारा फोटोकापी एवं स्टेशनरी क्रय हेतु रु0 5425.00 का भुगतान दर्षित है, किन्तु लेखा परीक्षा क दौरान उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री सुनील कुमार व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्री सुनील कुमार प्रधान व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से 5425.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —19

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—22.10.2018 को व्यय प्रमाणक 25 द्वारा मेसर्स शादाब नर्सरी फतेहपुर से वृक्ष क्रय हेतु रु0 12080.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री सुनील कुमार व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्री सुनील कुमार प्रधान व जितेन्द्र नाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 12080.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —20

आलोच्य वर्ष के ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—16.02.2019 को व्यय प्रमाणक 35 द्वारा मे0 प्रयागराज इण्टरप्राइजेज को स्कूल की टंकी वर्तन हेतु रु 6350.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखापरीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री सुनील कुमार व रंजीता यादव ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्री सुनील कुमार प्रधान व रंजीता यादव ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 6350.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— फतेहपुर मटिहा

लेखा परीक्षा— 2018—19

वि०ख० का नाम:- हसवॉ

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-21, वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-19.03.2019 को कैंशबुक के अनुसार व्यय प्रमाणक क्र०सं०-81 द्वारा ए.एम. कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स फतेहपुर को दरी क्रय का रू०- 2500/- का भुगतान दर्षित है किन्तु उक्त क्रय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रीतू सिंह एवं श्री मनीश शुक्ल ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतः श्रीमती रीतू सिंह ग्राम प्रधान व श्री मनीश शुक्ल ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रू०-2500/- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-22, आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-12.09.2018 को व्यय प्रमाण क्र०सं०-40 द्वारा रू०-7500/- का मे० विराट पैरामाउण्ट पापुलर एजेन्सी फतेहपुर से कुर्सी क्रय व दिनांक-12.09.2018 को व्यय प्रमाणक क्र०सं० 41 पर रू०-12050/-का मे० विराट पैरामाउण्ट पापुलर एजेन्सी फतेहपुर को आलमारी क्रय का भुगतान दर्षित है किन्तु उक्त क्रय की पुष्टि में क्रय से पूर्व लिये गये कोटेशन, प्रस्ताव, स्टॉक रजिस्टर एवं सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गयी उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रीतू सिंह व श्री मनीश शुक्ल ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- कुसुम्भी

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- हसवॉ

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-23, वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-09.07.2018 को कैंशबुक के अनुसार व्यय प्रमाणक क्र०सं०-22 द्वारा मे० सिंह फोटोकॉपी एण्ड कम्प्यूटर जाब सेन्टर फतेहपुर को फोटो कॉपी का रू०-12630/- का भुगतान दर्षित है। किन्तु उक्त व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री चुनबुदुन एवं श्री जितेन्द्रनाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः श्री चुनबुदुन ग्राम प्रधान एवं जितेन्द्रनाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रू०-13630/- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-24, आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-22.10.2018 को व्यय प्रमाण क्र०सं०-65 द्वारा मे० शादाब नर्सरी फतेहपुर से वृक्ष क्रय हेतु रू०-12080/- का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री चुनबुदुन व जितेन्द्रनाथ ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः श्री चुनबुदुन व जितेन्द्रनाथ ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रू०-12080/- की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अहमदपुर कुसुम्भा

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-धाता

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -25

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-17.07.2018 को व्यय प्रमाणक 25 के द्वारा कशिश फोटो स्टेट धाता को फोटो स्टेट का रू० 2800.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये श्रीमती पुष्पलता सिंह प्रधान व संतोशकुमार ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है, अतः श्रीमती पुष्पलता सिंह प्रधान व संतोशकुमार ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रू० 2800.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -26

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-27.07.2018 को व्यय प्रमाणक 27 द्वारा ग्राम पंचायत में कूड़ा करकट व नाली सफाई का रू० 30,000.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये श्रीमती पुष्पलता सिंह प्रधान व संतोश कुमार ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है, अतः श्रीमती पुष्पलता सिंह प्रधान व संतोश कुमार ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रू० 30000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- घोशी

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-धाता

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -27

आलोच्य वर्ष में कैंशबुक ग्रा०नि०-1 के अनुसार नाली नि० अखिलेश के घर से दिनेश के पशुशाला तक वाउचर संख्या 41 दिनांक-14.02.2019 द्वारा ईट क्रय हेतु नाजिया बिक फील्ड को कुल रू० 76500.00 व्यय भुगतान दर्षित है। किन्तु उक्त के सम्बंध में नि०कार्य पत्रावली व व्यय प्रमाणक

आदि कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित कृत कार्य एवं व्यय भुगतान के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।, जो कि संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होता है अतएव सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ 36 के पैरा 8 क में दी गयी व्यवस्थानुसार गबन मानते हुये सम्पूर्ण धनराशि रु 76500.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कुलदीप कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रतिकान सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— उकाथू

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—धाता

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —28

आलोच्य वर्ष में कैशबुक ग्रा0नि0—1 के अनुसार राजवित्त/ 14 वां वित्त आयोग मद से हयूम पाइप कय हेतु वाउचर संख्या 37 दिनांक—20.07.2018 द्वारा 25600.00 वाउचर संख्या 50/18.08.18 द्वारा रु0 30000.00 तथा वाउचर संख्या 62/14.11.18 द्वारा रु0 30000.00 इस प्रकार कुल 85600.00 व्यय भुगतान किया जना दर्शाया गया है यपि कि इनका उपयोग गाम पंचायत के आम रास्तों में होना बताया गया किन्तु समीक्षा वर्ष में इकाई द्वारा कराये गये किसी भी निर्माण कार्य में इनका उपयोग नहीं हुआ है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त औचित्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक के इतर अपेक्षित अन्य अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति स्थलवार प्राक्कलन एम बी फोटोग्राफी तथा समक्ष अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव कैश बुक में उपरोक्तानुसार हयूम पाइप कय हेतु दर्शित व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि 85600.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है अतएव उक्त के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है अन्यथा स्थिति में इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बाबूलाल सिंह से समान रूप से जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—बरैचा

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—धाता

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —29 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—23.08.2018 को व्यय प्रमाणक 8 क्रमांक के द्वारा ग्राम पंचायत में रास्तों में पड़े कूड़ा करकट आदि की सफाई का रु0 35000.00 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये प्रधान श्री राम कुमार व श्री बाबूलाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः श्री राम कुमार ग्राम प्रधान व श्री बाबू लाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 35000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—कल्यानपुर कचरौली

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—धाता

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —30 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—18.02.2020 को व्यय प्रमाणक 66 क्रमांक के द्वारा ग्राम पंचायत में कूड़ादान कय हेतु रु0 39000.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु उक्त कय की पुष्टिमें कय से पूर्व लिये गये कोटेशन प्रयुक्त किये गये स्थलों की सूची, प्रस्ताव, स्टॉक, रजिस्टर, एवं सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में कय हेतुभुगतान की गई धनराशि अनियमित रही जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री अर्जुन सिंह व श्री बाबूलाल सिंह ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—हरदासपुर गेरिया

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—धाता

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —31

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—26.03.2019 को कैशबुक क अनुसार व्यय प्रमाणक क्रमांक 60 द्वारा फोटोकापी एवं स्टेशनरी का जय मॉ चन्द्रिका फोटोस्टेट धाता को रु0 1950.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु उक्त व्यय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिये गाम प्रधान मो0 तौकील व सुरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः मो0 तौकील प्रधान व सुरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी समान रूप से रु0 1950 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —32

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मी सामग्री व किट का मे0 गुरु ट्रेडर्स को दिनांक-17.10.2018 को व्यय प्रमाणक क्रमांक 19 द्वारा रू0 6500.00 दिनांक7 17.10.2018 को व्यय प्रमाणक क्रमांक 20 द्वारा रू0 6500.00 व दिनांक- 20.10.2018 को व्यय प्रमाणक क्रमांक द्वारा 21 द्वारा रू0 7927.00 का भुगतान दर्षित है किन्तु उक्त क्रय की पुष्टि में क्रय से पूर्व लिये गये कोटेशन प्रस्ताव स्टाक रजिस्टर एवं सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही जिसके जिये ग्राम प्रधान मो0 तौकील व सुरेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। अतः आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-नरौली

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-विजयीपुर

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -33

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-26.04.2018 को ब्रदर्स सप्लाय नेटवर्क के पक्ष में स्टीट लाईट क्रय हेतु रू0 25200.00 का भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त भुगतान के क्रम में व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक बाउचर के रू 25200.00 कोशबही में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बाबूलाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हेमंत सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सुजानीपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-विजयीपुर

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -34

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-28.08.2018 को जनता मशीनरी खागा के पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु रू0 15000.00 का भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त भुगतान के क्रम में व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक बाउचर के रू 15000.00 कोशबही में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री माता बदल सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जीत बहादुर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-समदा सहोदरपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-भिटौरा

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -35

व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण करना

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत समदा सहोदरपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नतिथियों में कैशबुक में क्रय सामग्री के सापेक्ष भुगतान दर्षित है। किन्तु भुगतान दर्षित धनराशि की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त है। इस प्रकार भुगतान दर्षित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री विजयपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार वर्मा पूर्णरूप से जिम्मेदार है इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप से उक्त दोनो से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	सम्बंधित कार्य
06.11.2018	18	9210	छिड़काव किट का क्रय
24.01.2019	25	6284	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क
	योग	15494.00	

ग्राम पंचायत-लतीफपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-भिटौरा

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -36 व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण करना

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत लतीफपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नतिथियों में क्रय किये गये सामग्री के सापेक्ष कैशबुक में भुगतान दर्षित है। किन्तु दर्षित भुगतान की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण अप्राप्त है। इस प्रकार भुगतान दर्षित धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती केतकी देव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश चन्द्र श्रीवास्तव पूर्णरूप से जिम्मे दार है इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली समान रूप से उक्त दोनो से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत् है-

दिनांक	प्रमाणक संख्या	धनराशि	सम्बंधित कार्य
22.06.2018	02	21800.00	सफाई ट्राली कय
11.01.2019	10	12920.00	वृक्षारोपण हेतु कय
	योग	34720.00	

ग्राम पंचायत-बेतीसादात

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-भिटौरा

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -37 ग्राम पंचायत बेती सादात वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या 13530100007618 बैंक आफ बडौदा से दिनांक-26.03.2019 को चेक संख्या 195 द्वारा रु0 21000.00 आहरित है। किन्तु उक्त धनराशि के व्यय/ उपयोगिता की पुष्टि में कैशबुक के आय एवं व्यय पक्ष में न तो कार्याकन किया गया है। न ही रोकड अवशेष के रूप में दर्शित किया गया है इस प्रकार उक्त धनराशि रु 21000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये ग्राम प्रधानश्री सरफराज हुसैन एवं ग्राम वि०/ग्राम पंचायत श्री रणधीर सिंह पूर्णरूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनो से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मोहम्मदीपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-भिटौरा

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -38

हैण्डपम्प मरम्मत सम्बंधित कय सामग्री एवं मजदूरी सम्बंधी कतिपय अभिलेख प्रस्तुत न कर की गयी अनियमितता आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत मोहम्मदीपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प सम्बंधी कय सामग्री एवं मजदूरी आदि में निम्नतिथियों में कैशबुक में भुगतान दर्शित है किन्तु खरीद के औचित्य की पुष्टि में लेख परीक्षा में कतिपय अभिलेख यथा हैण्डपम्प मरम्मत कराये गये स्थलों की सूची, निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण एवं सत्यापन रिपोर्ट आदि अप्राप्त रहे यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/स्वाती सिंह, आकांक्षा मिश्रा पूर्णरूप से जिम्मेदार है जिस प्रति यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नवत् है-

दिनांक-	धनराशि
04.05.2018	10449.00
18.08.2018	17817.00
18.08.2018	17817.00
30.08.2018	23577.00
05.09.2018	3000.00
18.09.2018	11635.00
10.01.2019	15900.00
योग-	1,23,772.00

ग्राम पंचायत-सूपा

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-तेलियानी

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -39 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सूपा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत मद में विभिन्न तिथियों में सामग्री एवं मजदूरी भुगतान सहित रु0 40290.00 व्यय दर्शित पाया गया किन्तु भुगतान की पुष्टि में ग्रामवासियों का आवेदन पत्र मरम्मत कराये गये स्थलों की सूची निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण एवं जल प्रबंधन समिति का अनुमोदन आदि अप्राप्त रहा जो गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पूर्णरूप से जिम्मेदार है। जिसके प्रति विभागीय यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -40 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सूपा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि डस्टबिन मद में कैशबुक में दिनांक- 05.06.2018 को रु0 65000.00 व्यय दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में डस्टबिन रखे गये स्थलों की सूची, विभागीय स्वीकृति, सत्यापन, रिपोर्ट एवं कोटेशन आदि अप्राप्त रहें जो कि गम्भीर अनियमितता है जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी है। जिस प्रति विभागीय यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-सराय सईद खां

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-तेलियानी

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -41 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सराय सईद खां की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नतिथि में कैशबुक में रु0 10,000.00 व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु व्यय/उपयोगिता की पुष्टि में लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 10,000.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री फूल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवाकान्त बाजपेयी पूर्णरूप से जिम्मेदार हैं। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	प्रमाणक संख्या	धनराशि
15.06.2018	27	10,000.00
ग्राम पंचायत—सनगांव	लेखा परीक्षा— 2018-19	
विकास खण्ड का नाम—तेलियानी	जनपद—फतेहपुर।	

प्रस्तर -42 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सनगांव की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नतिथियों में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे हैं। इस प्रकार निम्नांकित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हकीमुन्नशां एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री कुलदीप सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	प्रमाणक संख्या	धनराशि
04.07.2018	26	13600.00
13.08.2018	30	15000.00
27.11.2018	78	7927.00
योग	—	36527.00

ग्राम पंचायत—मोहम्मदपुर नेवादां
विकास खण्ड का नाम—तेलियानी

लेखा परीक्षा— 2018-19
जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -43 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर नेवादा की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नतिथियों में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है। किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे हैं। इस प्रकार उक्त धनराशि रु0 21900.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री अमर पाल एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवाकान्त बाजपेयी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	प्रमाणक संख्या	धनराशि
18.08.2018	38	21900.00

ग्राम पंचायत—असवार तारापुर
विकास खण्ड का नाम—तेलियानी

लेखा परीक्षा— 2018-19
जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -44 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत असवार तारापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत सम्बंधी / मजदूरी के सापेक्ष कैशबुक में निम्नतिथियों में भुगतान किया जाना दर्शित है। किन्तु भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे हैं। इस प्रकार भुगतान दर्शित धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री लाल मोहम्मद एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री हरिपाल पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली उक्त दोनों से समान रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

दिनांक—	प्रमाणक संख्या	धनराशि
16.05.2018	13	23.067.00
29.03.2018	22	11500.00
योग—		34567.00

ग्राम पंचायत— हरसिंहपुर
विकास खण्ड का नाम—मलवाँ

लेखा परीक्षा— 2018-19
जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर -45 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-16.03.2019 को राजपूत हार्डवेयर के पक्ष में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क कय हेतु रु0 30200.00 का भुगतान किया जाना कोशबही ग्रामनिधि 1 में अंकित है। उक्त भुगतान क सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक के रु0 30200.00 कोशबही में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री कल्याण सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-रामपुर
विकास खण्ड का नाम-मलवों

लेखा परीक्षा- 2018-19
जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -46

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक-10.12.2018 को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री के कय हेतु रु 15000.00 का भुगतान किया जाना कोशबही ग्राम निधि 1 में अंकित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक के रु0 15000.00 कोशबही में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुशमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विक्रम सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरुहां
विकास खण्ड का नाम-असोथर

लेखा परीक्षा- 2018-19
जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -47 आवश्यक अभिलेख एवं जल प्रबंधन समिति की संस्तुति बिना हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर धनराशि व्यय कर की गयी अनियमितता

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है

बाउचर संख्या	दिनांक	मद	धनराशि
05	18.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री	21580.00
12	15.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	44175.00
13	15.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री	49210.00
14	15.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री	39800.00
		कुल योग	154765.00

जिसके सम्बंध में निम्न आपत्तियों को प्रकाश में लाया जाता है-

01. जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन कौन से हैण्डपम्प खराब थे।
02. वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वर्ष में कय सामग्री प्रयुक्त सामग्री एवं अवशेष स्टॉक की जाँच न की जा सकी।
03. डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे मरम्मत के दौरान निकली पुरानी सामग्री की जाँच न की जा सकी। नीलामी आदि की प्रक्रिया की स्थिति अज्ञात रही।
04. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों के स्थलों की सूची एवं ग्रामवासियों/ लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्पों के खराब होने की सूचना या उसके मरम्मत सम्बंधी मांग पत्र लेखा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है।
05. हैण्डपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/ स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार नहीं करवाया गया है।
06. हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर सामग्री कय हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे सामग्री कय में न्यूनतम दर का लाभ भी मिलने की पुष्टि नहीं होती है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु निकासी के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण पति एवं पंचायत सचिव श्री राम कृपाल से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत-सरवल
विकास खण्ड का नाम-असोथर

लेखा परीक्षा- 2018-19
जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -48 आलोच्य वर्ष में कय एवं मरम्मत किये गये सोलर लाइटों पर रु0 301400.00 व्यय किया जाना कैशबुक में कोशांकित है। शासनादेश संख्या 977/45/वि0/ अतिअ0सो0वि0/ 2017 दिनांक- 29.08.2017 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही एक लाख से अधिक मूल्य के वर्ष भर में सोलर लाइट कय एवं मरम्मत हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं इस प्रकार सोलर लाइट मनमाफिक एजेंसियों से कय की गयी है जबकि ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0 नेडा से ही लाइट

क़य कर सकती है यू0पी0 नेडा को पूरी तरह नजरअंदाज करके भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफिक दामों पर सोलर लाईट क़य करके बिना वारंटी गारंटी (पॉच वर्शों के लिये) कार्ड लिये रू0 301400.00 की वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिये श्री गोरेलाल ग्राम प्रधान एवं श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

प्रस्तर 49—आलोच्य वर्ष में क़य किये स्ट्रीट लाइटों पर कुल रू0 305000.00 व्यय किया जाना कैशबुक में कोशांकित है शासनादेश संख्या 51/2018/1701/ 33-3-2018-40/2018 दिनांक-03.06.2018 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही एक लाख से अधिक मूल्य के (वर्ष भर में) स्ट्रीट लाईट क़य करने हेतु टेण्डर ही आमंत्रित किया गया है आलोच्य वर्ष में भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफिक फर्मों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीटलाइट क़य की गयी है क़य दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है और न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाईट क़य की गयी है उसको न तो स्ट्रीट लाईट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न तो उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा (वारंटी/गारंटी) किया गया है इस प्रकार उक्त मद में रू0 305000.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये श्री गोरेलाल ग्राम प्रधान एवं श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बौण्डर

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-असोथर

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -50व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर किये गये व्यय धनराशि का अपहरण-

वर्ष 2018-19 में कैशबुक में दर्शित बाउचर संख्या 41 व 42 कुल रू0 17022.00 के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में व्ययों की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नवत् है-

बाउचर संख्या	दिनांक	मद	धनराशि
41	15.11.2018	आंगनबाडी केन्द्र हेतु सरिया क़य का भुगतान	2471.00
42	19.11.2018	आंगनबाडी केन्द्र हेतु सामग्री क़य का भुगतान	14551.00
		कुल योग	17022.00

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8- के प्रस्तर 8 क के अनुसार दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में बाउचर न उपलब्ध कराये जाने पर दर्शायी गयी व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत से किये जाने के नियम का उल्लेख है। अतः रू0 17022.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश सिंह से किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-गढ़ी

लेखा परीक्षा- 2018-19

विकास खण्ड का नाम-असोथर

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर -51 आवश्यक अभिलेख एवं जल प्रबंधन समिति की संस्तुति बिना हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर पर धनराशि व्यय कर की गयी अनियमितता-

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है-

बाउचर संख्या	दिनांक	मद	धनराशि
	01.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46400.00
	01.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46450.00
	01.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46450.00
	01.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46250.00
	02.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46300.00
	0205.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46200.00
	03.05.2018	हैण्डपम्प रिबोर	46500.00
	25.07.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	5000.00
	25.07.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	5000.00
	21.08.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	10000.00
	12.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	12000.00
	15.10.2018	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	14000.0
	08.02.2019	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क़य	25000.00
	12..02.2019	हैण्डपम्प रिबोर	45300.00
	25.02.2019	हैण्डपम्प रिबोर	48900.00

	05.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	46200.00
	12.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	49347.00
	25.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	49000.00
		कुल योग—	634297.00

जिसके सम्बंध में निम्न आपत्तियों को प्रकाश में लाया जाता है —

01. जल प्रबंधन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन कौन से हैण्डपम्प खराब थे।
02. वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वर्ष में क्रय सामग्री प्रयुक्त सामग्री एवं अवशेष स्टॉक की जाँच न की जा सकी।
03. डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे मरम्मत के दौरान निकली पुरानी सामग्री की जाँच न की जा सकी। नीलामी आदि की प्रक्रिया की स्थिति अज्ञात रही।
04. मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों के स्थलों की सूची एवं ग्रामवासियों / लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्पों के खराब होने की सूचना या उसके मरम्मत सम्बंधी/ मांग पत्र लेखा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है।
05. हैण्डपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/ स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं करावाया गया है।
06. हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया जिससे सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ भी मिलने की पुष्टि नहीं होती है।
स्पष्ट है कि उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर हेतु निकासी के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लल्लू सिंह एवं श्री पंचायत सचिव श्री अंकित सिंह से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—आलमगंज

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—खजुहा

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —52 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—06.10.2018 को शादाब नर्सरीको क्रय हेतु रु0 25559.00 का भुगतान किया जाना अंकित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (बाउचर) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक बाउचर के रु 25559.00 कोशबही में व्यय दिखाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जन्नतुन निशां एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत—दरियाबाद

लेखा परीक्षा— 2018—19

विकास खण्ड का नाम—खजुहा

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर —53 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक—18.12.2018 को बालाजी के पक्ष में कूड़ादान क्रय हेतु रु0 78000.00 का भुगतान किया जाना कोशबही में अंकित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (बाउचर) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक बाउचर के रु 78000.00 कोशबही में दर्शित कर 78000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती दिव्या एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण उत्तम से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— रूसी

लेखा परीक्षा— 2018—19

वि0ख0 का नाम:— देवमई

जनपद—फतेहपुर।

प्रस्तर—54, स्टेशनरी क्रय काल्पनिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण करना। वर्ष आलोच्य में कैशबुक के माह नवम्बर 2018 में आय (निकासी) एवं व्यय क्रमशः 51761/— एवं 42347/— दर्शित हैं जिनके अनुसार नकद रोकड शेष प्रधान के पास रु0—9414/— दर्शित की जानी चाहिए थी। उक्त माह के अन्त में नकद शेष रु0—1100/— से कम दर्शाकर उक्त कम दर्शित धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश सिंह से रु0—1100/— की ब्याज सहित वसूली समान रूप से करते हुये उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:— जाफरपुर सिठर्रा

लेखा परीक्षा— 2018—19

वि०ख० का नाम:- देवमई

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-55, स्टेशनरी क्रय काल्पनिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण करना। वर्ष आलोच्य में दिनांक-27.03.2019 को बाउचर सं०-33 के द्वारा श्री कृष्ण पुस्तक भण्डार जहानाबाद से स्टेशनरी क्रय करना कैशबुक में दर्शित है। लेकिन उक्त स्टेशनरी क्रय करने से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न कराये जाने से उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार उक्त व्यय काल्पनिक दर्शाकर रुपये 1850/- का अपहरण किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली, एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त अपहरित धनराशि 1850/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार से समान रूप से करते हुये उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- कंसाही

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- देवमई

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-56, स्टेशनरी क्रय काल्पनिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण करना।

वर्ष आलोच्य में दिनांक-03.05.2018 को बाउचर सं०-02 के द्वारा स्टेशनरी क्रय करना कैशबुक में दर्शित है। लेकिन उक्त स्टेशनरी क्रय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध न कराये जाने से उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। इस प्रकार उक्त व्यय काल्पनिक दर्शाकर रु०-4875/- का अपहरण किया गया जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री हंसराज, एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त अपहरित धनराशि 4875/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री हंसराज एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजकुमार पटेल से समान रूप से करते हुये उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- डारी बुजुर्ग

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- देवमई

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-57, स्टेशनरी क्रय काल्पनिक दर्शाकर धनराशि का अपहरण करना। वर्ष आलोच्य में दिनांक-14.06.2018 को बाउचर सं०-240 के द्वारा रु०-5000/- का भुगतान श्री कैलाश नारायण को बाउचर सं०-08 के द्वारा तालाब में पानी भराने के लिए भुगतान किया जाना दर्शित है। उक्त मद से सम्बन्धित भुगतान की पुष्टि हेतु बाउचर 08 अप्राप्त रहा। इस प्रकार उक्त मद में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु०-5000/- की धनराशि का अपहरण किया गया। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लखनलाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः अपहरित धनराशि रु०-5000/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान राजू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लखनलाल से समान रूप से करते हुये उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- शिवपुरी

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-58, वास्तविक व्यय से अधिक भुगतान दर्शाकर किया गया अपहरण। वर्ष आलोच्य में निधि-1, के एस.बी. आई. खजुहा के खाता सं०-11679557082 से दिनांक-04.10.2018 को चेक सं०-194086 द्वारा योगेन्द्र कुमार राजपूत नर्सरी जहानाबाद को रु०-14100/- का भुगतान दर्शित है। पौध क्रय (200 पौध) पर भाड़ा सहित व्यय रुपया 13600/- होता है, जबकि भुगतान 14100/- किया गया है। इस प्रकार 500/- अधिक भुगतान किया गया है। उक्त अधिक भुगतान रु०-500/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित कुमार से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- कहिंजरा

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-59, माह सितम्बर 2018 का दो बार मानदेय देकर किया गया अपहरण वर्ष आलोच्य में निधि-1, के अनुरूप के अनुसार दिनांक-16.10.2018 को चेक सं०-000185 द्वारा 06 माह का प्रधान मानदेय (अप्रैल-18 से सितम्बर-18) रु०-21000/- प्रधान श्रीमती राजकली को दिया गया। पुनः दिनांक-28.02.2019 को चेक सं०-000237 द्वारा 04 माह का प्रधान मानदेय (सितम्बर-18 से दिसम्बर 18) रु०-14000/- दिया गया है। स्पष्ट है कि माह सितम्बर 2018 का प्रधान मानदेय दो बार भुगतान किया गया है। इस प्रकार रु०-3500/- का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजकली एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द पटेल से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- आजमपुर गड़वा

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि०ख० का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-60, ग्राम पंचायत आजमपुर गडवा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत अपहरण/दुरुपयोग एवं अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये- वर्ष आलोच्य में निधि-1, के अनुरूप के अनुसार ग्राम प्रधान रामबाबू द्वारा दिनांक-13.12.2018 को चेक सं0-546694 द्वारा रू0-5000/- का अपहरण किया गया जिसके कैंशबुक में दर्ज न करके सीधा अपहरण किया गया है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामबाबू एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कौशल किशोर से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- बिरनई

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-61, ग्राम पंचायत बिरनई के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत अपहरण/दुरुपयोग एवं अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये- वर्ष आलोच्य में निधि-1, के बी.ओ.बी. अमौली के खाता सं0-34410100001416 के अनुसार दिनांक-23.10.2018 को चेक सं0-106 द्वारा ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन को रू0-5000/- का भुगतान दर्षित है। कैंशबुक के अनुसार यह धनराशि प्रियासाफ्ट फीडिंग (2017-18) एवं स्टेशनरी खरीद में व्यय की गई है। दोनों मदों की अलग अलग व्यय धनराशि अनुपलब्ध रही है उक्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के समय अनुपलब्ध रहे, जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा। व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहने के कारण उक्त धनराशि 5000/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकिशुन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार वर्मा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- दरियापुर छेदिया

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-62, ग्राम पंचायत दरियापुर छेदिया के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत अपहरण/दुरुपयोग एवं अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये- वर्ष आलोच्य में ग्रामनिधि-1, के खाता सं0-34410100001416 से दिनांक-03.05.2018 को चेक सं0-194 द्वारा रू0-1,50,000/- दिनांक-25.08.2018 को चेक सं0-209 द्वारा रू0-3,60,000/- तथा दिनांक को चेक संख्या 2018-08-20 द्वारा रुपया 2231080000.00 इस प्रकार कुल रू0-15,90,000/- ग्रामनिधि-6 के खाते में ट्रान्सफर कर व्यय किया जाना दर्षित है। किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक व अन्य अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव दर्षित धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी पुष्टि सम्यक अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ सं0-36 के पैरा-8 (क) में दी गयी व्यवस्थानुसार गबन मानते हुये सम्बन्धित से इसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- गंगौली

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- अमौली

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-63, ग्राम पंचायत गंगौली के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नवत अपहरण/दुरुपयोग एवं अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-आलोच्य वर्ष में कैंशबुक ग्रामनिधि-1, के खाता सं0-34410100001409 से दिनांक-07.07.2018 को चेक सं0-536541 द्वारा रू0-7,80,000/- तथा दिनांक-27.09.2018 को चेक सं0-1000049 द्वारा रू0-1,80,000/- इस प्रकार कुल रू0-9,60,000/- ग्रामनिधि-6, के खाते में ट्रान्सफर कर व्यय किया जाना दर्षित है। किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी व्यय प्रमाणक व अन्य अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतएव दर्षित धनराशि अपुष्ट रही। जिसकी पुष्टि सम्यक अभिलेखों से करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ सं0-36 के पैरा 8 (क) में दी गई व्यवस्थानुसार गबन मानते हुये सम्बन्धित से इनकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- मिर्जापुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- हथगोव

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-64, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का भुगतान काल्पनिक दिखाकर अपहरण किया गया-ग्राम पंचायत मिर्जापुर के वर्ष 2018-19 के कैंशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री नियमानुसार व्यय किया जाना दर्षित है-

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	मद का विवरण
01.03.2019	20	1,20,000.00	हैण्डपम्प सामग्री
25.03.2019	27	64,931.00	हैण्डपम्प सामग्री
		योग:- 1,84,931.00	

निम्न कारणों से उपरोक्त व्यय काल्पनिक है-

- (क)– जल निगम द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्डपम्प कब हैण्ड ओवर किया गया है कि लिखित सूचना लेख परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अगर जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की हैण्ड ओवर नहीं किये गये तो किस नियम के अनुसार ग्रा0पं0 द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया स्पष्ट करें।
- (ख)– मरम्मत कार्य में डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (ग)– जल प्रबन्धन समिति द्वारा लाभान्वित ग्राम वासियों द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं स्थलवार सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- (घ)– क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार ग्रा0पं0 द्वारा कुल धनराशि रू0–1,84,931.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरण किया गया है। अतः रू0–92,465.50 प्रधान श्री जय सिंह से एवं रू0–92,465.50 ग्रा0वि0अ0 श्री सुनील कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:– अब्दुलापुर

लेखा परीक्षा– 2018–19

वि0ख0 का नाम:– हथगाँव

जनपद–फतेहपुर।

प्रस्तर–65, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का भुगतान काल्पनिक दिखाकर अपहरण किया गया–ग्राम पंचायत अब्दुलपुर के वर्ष 2018–19 के कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री नियमानुसार व्यय किया जाना दर्शित है–

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	मद का विवरण
03.02.2019	34	2,35,000.00	हैण्डपम्प सामग्री
25.03.2019	44	29693.00	हैण्डपम्प सामग्री
25.03.2019	45	10,000.00	हैण्डपम्प सामग्री
		योग– 63193.00	

निम्न कारणों से उपरोक्त व्यय काल्पनिक है–

- (क)– जल निगम द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्डपम्प कब हैण्ड ओवर किया गया है कि लिखित सूचना लेख परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अगर जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की हैण्ड ओवर नहीं किये गये तो किस नियम के अनुसार ग्रा0पं0 द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया स्पष्ट करें।
- (ख)– मरम्मत कार्य में डिस्पोजल सामग्री का ब्लॉक रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (ग)– जल प्रबन्धन समिति द्वारा लाभान्वित ग्राम वासियों द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं स्थलवार सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- (घ)– क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार ग्रा0पं0 द्वारा कुल धनराशि रू0–63193.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः रू0–31596.50 प्रधान श्री राजेन्द्र से एवं रू0–31596.50 ग्रा0वि0अ0 श्री भूपेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:– दुलौली जलालपुर

लेखा परीक्षा– 2018–19

वि0ख0 का नाम:– हथगाँव

जनपद–फतेहपुर।

प्रस्तर–66, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का भुगतान काल्पनिक दिखाकर अपहरण किया गया–ग्राम पंचायत दुलौली जलालपुर के वर्ष 2018–19 के कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री नियमानुसार व्यय किया जाना दर्शित है–

दिनांक	धनराशि	मद का विवरण
25.06.2018	6000.00	हैण्डपम्प सामग्री
15.11.2018	20000.00	हैण्डपम्प सामग्री
	योग– 26000.00	

निम्न कारणों से उपरोक्त व्यय काल्पनिक है–

- (क)– जल निगम द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्डपम्प कब हैण्ड ओवर किया गया है कि लिखित सूचना लेख परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अगर जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की हैण्ड ओवर नहीं किये गये तो किस नियम के अनुसार ग्रा0पं0 द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया स्पष्ट करें।
- (ख)– मरम्मत कार्य में डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (ग)– जल प्रबन्धन समिति द्वारा लाभान्वित ग्राम वासियों द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं स्थलवार सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- (घ)– क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार ग्रा0पं0 द्वारा कुल धनराशि रू0-26000.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है। अतः रू0-13000 प्रधान श्रीमती खुसनुदा से एवं रू0-13000 ग्रा0वि0अ0 श्री अर्पित से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत:- इमादपुर

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- हथगौव

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-67, आलोच्य वर्ष 2018-19 में पाया गया कि कैशबुक में निम्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट भुगतान सम्बन्धी व्यय दर्शित है किन्तु व्यय/उपयोगिता की पुष्टि में कतिपय अभिलेख यथा विभागीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्र स्ट्रीट लाईट स्थापना स्थलों की सूचीटेंडर पत्रावली एवं सक्षम ,कोटेशन , अधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट आदि अप्राप्त रहें। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। जिस प्रति विभागीय यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि
03.08.2018	08	165000.00
03.08.2018	09	165000.00
		योग- 330000.00

ग्राम पंचायत:- अखरी

लेखा परीक्षा- 2018-19

वि0ख0 का नाम:- हथगौव

जनपद-फतेहपुर।

प्रस्तर-68, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री का भुगतान काल्पनिक दिखाकर अपहरण किया गया-ग्राम पंचायत अखरी के वर्ष 2018-19 के कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु क्रय सामग्री नियमानुसार व्यय किया जाना दर्शित है-

दिनांक	बाउचर नं0	धनराशि	मद का विवरण
03.10.2018	15	15000.00	हैण्डपम्प सामग्री
30.10.2018	26	28486.00	हैण्डपम्प सामग्री
17.01.2019	27	15000	हैण्डपम्प सामग्री
		योग- 58486.00	

निम्न कारणों से उपरोक्त व्यय काल्पनिक है-

- (क)- जल निगम द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्डपम्प कब हैण्ड ओवर किया गया है कि लिखित सूचना लेख परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। अगर जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प ग्राम पंचायत की हैण्ड ओवर नहीं किये गये तो किस नियम के अनुसार ग्रा0पं0 द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया स्पष्ट करें।
- (ख)- मरम्मत कार्य में डिस्पोजल सामग्री का स्टॉक रजि0 लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (ग)- जल प्रबन्धन समिति द्वारा लाभान्वित ग्रामवासियों द्वारा ग्रा0पं0 को हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना एवं स्थलवार सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।
- (घ)- क्रय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार ग्रा0पं0 द्वारा कुल धनराशि रू0-58486.00 का काल्पनिक व्यय दर्शाकर आहरण किया गया है। अतः रू0-29243.00 प्रधान श्री बीनू सिंह से एवं रू0-29243.00 ग्रा0वि0अ0 श्री भूपेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -बरुआ विकास खण्ड- सरसवां

प्रस्तर - 01 :-वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मेन्युल 8क बिन्दु(8क) के प्रविधानुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए रु0140724.00 की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शालिनी देवी तथा ग्र0प0अधिकारी श्रीधनराज कोटार्य से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बरूआ के वर्ष 2018-19 के बैक स्टेटमेंट के अनुसार निम्नलिखित तिथियों में व्यय दर्शित किया गया है। किन्तु उक्त व्यय न तो कोश बही में अंकित हैं और न ही उसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया जिससे व्ययकृत धनराशि की पुष्टि न हो सकी। जिसका विवरण निम्नवत है—

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
01	06-04-2018	3600.00	विवरण अंकित नहीं
02	06-04-2018	300.00	विवरण अंकित नहीं
03	07-04-2018	22000.00	शुभम ट्रेडर्स
04	13-04-2018	29497.00	शालीनी देवी
05	16-05-2018	2500.00	धनराज कोटार्य
06	16-05-2018	3625.00	शालीनी देवी
07	29-05-2018	2000.00	सुनील शुक्ला
08	14-06-2018	900.00	राजू
09	05-07-2018	4350.00	योगेश मोर्या
10	07-07-2018	251160	2 / 64
11	07-07-2018	21192.00	शुभम ट्रेडर्स
12	07-07-2018	25600.00	न्यू आदर्श मशीनरी
	योग:-	140724.00	

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —भवनसूरी

विकास खण्ड— सरसवां

प्रस्तर :02 :-वर्ष 2018-19 कोश बही के अवलोकन में पाया गया कि हैण्ड पम्प मरम्मत में निम्नविरणानुसार व्यय दर्शित है.

क्रम संख्या	दिनांक	धनराशि	व्यय विवरण
1	17-04-2018	14500.00	मजदूरी
2	02-05-2018	32530.00	सामग्री कय शुभम ट्रेडर्स से
3	29-05-2018	28750.00	सामग्री / मजदूरी
4	18-06-2018	14500.00	मजदूरी
5	18-06-2018	42800.00	सामग्री
6	30-08-2018	20000.00	सामग्री / मजदूरी
7	29-08-2018	18125.00	मरम्मत मजदूरी
	योग—	171205.00	

जिनमे निम्न कमियाँ पायी गयी।

क. जिन स्थानों/जिनके हैण्ड पम्प मरम्मत किये गये उनके प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

ख. ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प का प्रस्ताव नहीं कराया गया।

ग. ग्राम पंचायत की बैठक में हैण्ड पम्प के मरम्मत के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किन-किन स्थानों पर लगे हैण्ड पम्प की मरम्मत की जानी है।

उक्त से स्पष्ट हैं कि नियमों के विपरीत कार्य/भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती रेखा देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री घनजंय यादव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —लौगवां

विकास खण्ड— सरसवां

प्रस्तर - 03 :-ग्राम पंचायत लोगवां के वर्ष 2018-19 की कोश बही के अवलोकन में पाया गया कि बैक स्टेटमेंट में दर्शित दिनांक 29-03-2019 को प्राप्त आय रु0 99800.00 कोश बही में दर्शित नहीं है जिसके सापेक्ष व्यय भी दर्शित नहीं रहा। इस प्रकार कोश बही में रुपये 99800.00 का अंकन न करके धन अपहरण

किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती सुनिता देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज सिंह बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत — पुनवार

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— सरसवां

प्रस्तर — 04 :- वर्ष 2018-19 के कोश बही के अवलोकन में पाया गया कि हैण्ड पम्प मरम्मत में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है।

क्रम सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10-04-2018	51276.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री
02	18-05-2018	5075.00	हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी
03	06-07-2018	30250.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
04	14-09-2018	6400.00	मजदूरी
05	25-10-2018	47730.00	समग्री
06	25-10-2018	4800.00	मजदूरी
07	16-03-2019	63010.00	समग्री
	योग—	208540.00	

उपरोक्त व्यय में निम्न कमियाँ पायी गयी.....

क—जिन स्थानों/जिनके हैण्ड पम्प की मरम्मत की गयी है उनके प्रार्थना-पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये।

ख—ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत का प्रस्ताव नहीं कराया गया है।

ग—ग्राम पंचायत के समान्य बैठक के प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं है कि किन-किन स्थानों पर लगे हैण्ड पम्पो की मरम्मत की जानी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नियमों के विपरीत कार्य/भुगतान करके गम्भीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्रीमती इद्रावती तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दूधनाथ पटेल संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहें। उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत — जलालपुर बोरियो

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 05 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 ग्राम निधि प्रथम के बैंक आफ बडौदा मूरतगंज खाता सं० 13090100007042 की जॉच में प्रकाश में आया की निम्नलिखित धनराशि को प्रधान श्री इसरार अहमद के व्यक्तिगत खाता संख्या 01/23595 में अनियमित रूप से स्थानान्तरित किया गया एवं कोश पंजिका में उसके सापेक्ष निम्नविवरणानुसार व्यय देखाया गया है, अर्थात् सम्बन्धित पक्षों को भुगतान न कर प्रधान द्वारा चेक अपने खाता में जामा कर उसके सापेक्ष फर्जी प्रमाणक लगाकर अपहरण को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः निम्न विवरणानुसार अपहरित धनराशि रु० 42350.00 मात्र की वसूली प्रधान श्री इसरार अहमद एवं ग्रा०प० अधिकारी श्री रामकृत राम से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

कोश पंजिका के अनुसार

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार

दिनांक	भुगतान विवरण	धनराशि	चेक सं०	भुगतान प्राप्तकर्ता
05-03-19	राममिलन के घर सलिम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण में मजदूरी भुगतान	39850.00	453	इसरार अहमद 01/23595 मूरत गंज
05-03-19	ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी निर्माण हेतु निविदा प्रकाशन	2500.00	454	इसरार अहमद 01/23595 मूरत गंज
	योग—	42350.00		

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत — फरीदपुर चकताजपुर

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 06 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 ग्राम निधि प्रथम की कोश पंजिका एवं बैंक आफ बडौदा मूरतगंज खाता सं० 13090100015548 के स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट की जॉच में प्रकाश में आया की निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ प्रधान के व्यक्तिगत खाता संख्या 488101/1101 में स्थानान्तरित की गई, एवं कोश पंजिका में शिवबरन इन्टरप्राइजेज को प्रा० वि० सौन्दर्यीकरण में सामग्री का भुगतान दर्शित किया गया है।

जबकि शिवबरन इन्टरप्राइजेज को बैंक स्टेटमेंट की दर्शित अन्य भुगतान के अनुसार शिवबरन इन्टरप्राइजेज का एकाउन्ट नं० 488102/72 है।

अतः निम्न विवरणानुसार धनराशि प्रधान श्री शिवबरन के व्यक्तिगत खाता 488101/1101 में स्थानान्तरित कर एवं कोश पंजिका में इसके सापेक्ष काल्पनिक व्यय दर्शित कर फर्जी प्रमाणक लगाकर धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली रु० 48500.00 प्रधान शिवबरन एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री मैकूलाल से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

दिनांक	चेक संख्या	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	धनराशि	कोश पंजिका के अनुसार
		विवरण		विवरण
6.8.18	176	ट्रान्सफर शिवबरन सिंह 488101/1101 रखसाई	17250	प्रा०वि० सौन्दरीयीकरण में सामग्री शिवबरन इन्टरप्राजेज को चेक संख्या 176 से
14.8.18	198	ट्रान्सफर शिवबरन सिंह 488101/1101 रखसाई	31250	प्रा०वि० सौन्दरीयीकरण में सामग्री शिवबरन इन्टरप्राजेज को चेक संख्या 198 से
		योग—	48500	

प्रस्तर — 07 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि चेक संख्या 202 दिनांक 20.8.18 को प्रधान के व्यक्तिगत खाता संख्या 488101/1101 में रु० 28500.00 स्थानान्तरित की गई जबकि कोश पंजिका में इस धनराशि के सापेक्ष पूर्व मा०वि० में बाउन्ड्रीवाल उच्चीकरण में मजदूरी भुगतान दर्शित है।

धनराशि प्रधान के व्यक्तिगत खाते में स्थानान्तरित हो गई तो मजदूरी की मजदूरी किस प्रकार भुगतान की गई ?

अतः प्रधान के व्यक्तिगत खाते में अनियमित तरीके से रु० 28500.00 स्थानान्तरित कर एवं उसके सापेक्ष काल्पनिक मजदूरी भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया जिसकी वसूली प्रधान शिवबरन एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री मैकूलाल से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत पकसराई

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 08 :- कोश पंजिका ग्राम निधि प्रथम के आयपक्ष में दिनांक 25.7.18 को “खाता संख्या 01/23600 में टीआर टीआर बैंक द्वारा कटौती रु० 10000.00” एवं व्यय पक्ष में दिनांक 25.7.18 को “बैंक द्वारा टीआर टीआर 820613708818 में की गई धनराशि” रुपयों 10000.00 अंकित है जबकि बैंक स्टेटमेंट , बैंक आफ बड़ौदा मूरतगंज खाता संख्या 13090100023600 में निम्न अंकित है—

दिनांक	विवरण	चेक नं०	आहरण
25-7-18	ट्रान्सफर /820613708 ट्रान्सफर /820613708818 /25.07.18	708818	10000-00

लेखा परीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि उक्त आहरण ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार द्वारा “सहज जन सेवा केन्द्र” से आधार कार्ड द्वारा किया गया, एवं व्यय पक्ष (कोश पंजिका) में व्यय विवरण अंकित करने के स्थान पर बैंक स्टेटमेंट के अनुसार “ बैंक द्वारा ट्रान्सफर 8206137088178में की गई धनराशि” अंकित किया गया ।

ग्राम पंचायत के खाते से प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरण न कर प्रधान द्वारा अपने व्यक्तिगत आधारकार्ड से अनियमित तरीके से रु० 10000.00 आहरण कर एवं कोश पंजिका में जैसा बैंक स्टेटमेंट में अंकित है वैसा ही अंकित कर बिना व्यय प्रमाणक के खारिज की गई धनराशि का अपहरण किया गया है। अपहरण की गई धनराशि रु० 10000.00 मात्रा की वसूली प्रधान श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर — 09:- कोश पंजिका ग्राम निधि प्रथम में निम्न भुगतान मजदूरी पर भुगतान किया जाना दर्शित है जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान फर्म को किया गया है।—

कोश पंजिका के अनुसार				बैंक स्टेटमेंट के अनुसार			
दि०	मूल आ० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि	दि०	विवरण	चेक संख्या	धनराशि
1.12.18	35	श्री राम के घर से रौशन के घर तक इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान	23742	1.12.18	सन्यासी बाबा ब्रिक फील्ड	140	23742

1.12.18	36	श्री राम के घर से रौशन के घर तक इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान	6852	1.12.18	केसरवानी ट्रेडर्स 02/33	138	6852
1.12.18	37	पूर्व0मा0वि0 मे मरम्मत की मजदूरी भुगतान	10709	1.12.18	सन्ध्यासी बाबा ब्रिक फील्ड	137	10709
1.12.18	38	कल्लू के घर से धर्मपाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी भुगतान	18651	1.12.18	केसरवानी ट्रेडर्स 02/33	136	18651
		योग—	59954				59954

अर्थात यदि फर्म को भुगतान किया जा चुका था तो प्रधान के पास मजदूरी भुगतान हेतु धनराशि नहीं थी, अर्थात काल्पनिक/फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर धनराशि रु0 59954.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली प्रधान श्री सुनील कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ से बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — काजू

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 10 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 ग्राम निधि प्रथम के बैंक आफ बड़ौदा खाता सं0 13090100015568 की जाँच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित धनराशि को प्रधान श्रीमती मनीशा देवी के व्यक्तिगत खाता संख्या 01/5693 में अनियमित रूप से स्थानान्तरित किया गया एवं कोश पंजिका में उसके सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय दिखाया गया है।, अर्थात सम्बन्धित पक्षों को भुगतान न कर प्रधान द्वारा चेक अपने खाते में जमाकर उसके सापेक्ष फर्जी प्रमाणक लगाकर अपहरण को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः निम्न विवरणानुसार अपहरित धनराशि कुल रु0 500625.00 मात्र की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मती मरीशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमरनाथ से की जानी अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

कोश पंजिका के अनुसार			बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	
दिनांक	विवरण	धनराशि	चेक सं0	भुगतान प्राप्त कर्ता
6.4.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई व चट्टा बनवाई का भुगतान बड़े लाल काजू के दरवाजे	21000	538	मनीशा देवी 01/5693काजू
10.4.18	हण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	23725	540	मनीशा देवी 01/5693काजू
16.4.18	हण्डपम्प बोर करवाई व चतराम पासी व श्री रामदेव यादव के दरवाजे (राम दमालपुर)	42000	559	मनीशा देवी 01/5693काजू
16.4.18	हण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	25500	560	मनीशा देवी 01/5693काजू
27.4.18	नाला खुदाई मजदूरी श्याम लाल के घर से तलाब तक	38350	562	मनीशा देवी 01/5693काजू
1.5.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई, मूलचन्द्र व हीरालाल के दरवाजे	42000	564	मनीशा देवी 01/5693काजू
25.5.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई, हौसीबाग तथा रामखेलावन (राम दमालपुर)के दरवाजे	42000	605	मनीशा देवी 01/5693काजू
1.6.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई, मिस्टर व कल्लू	42000	607	मनीशा देवी 01/5693काजू
1.6.18	मजदूरी भुगतान श्यामलाल के घर से तलाब तक	29500	608	मनीशा देवी 01/5693काजू
5.6.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई, लायक सिंह के दरवाजे	21000	620	मनीशा देवी 01/5693काजू
5.6.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई,	42000	610	मनीशा देवी 01/5693काजू
8.6.18	मजदूरी भुगतान श्यामलाल के घर से तलाब तक	26550	613	मनीशा देवी 01/5693काजू
6.10.18	हण्डपम्प रिबोर करवाई, 1—कल्लूपटेल 2— राजे सिंह 3—श्री लाल	63000	763	मनीशा देवी 01/5693काजू
16.11.	हण्डपम्प रिबोर करवाई, शंकर पासी व उमेश दशरथ	42000	723	मनीशा देवी

18	के दरवाजे			01 / 5693काजू
	योग—	500625		

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — मलाक नागर

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 11 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 ग्राम निधि प्रथम के बैंक आफ बडौदा खाता सं0 13090100015575 की जॉच में प्रकाश में आया की निम्नलिखित धनराशि को प्रधान श्री दशरथ के व्यक्तिगत खाता संख्या 01/111 में अनियमित रूप से स्थानान्तरित किया गया एवं कोश पंजिका में उसके सापेक्ष मिट्टी भराई मजदूरी का व्यय दिखाया गया है।, अर्थात् सम्बन्धित पक्षों को भुगतान न कर प्रधान द्वारा चेक अपने खाते में जमाकर उसके सापेक्ष फर्जी प्रमाणक लगाकर अपहरण को छिपाने का प्रयास किया गया है। अतः निम्न विवरणानुसार अपहरित धनराशि कुल रु0 24101.00 मात्र की वसूली प्रधान श्री दशरथ एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द सिंह से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।—

विवरण निम्नवत है—

कोश पंजिका के अनुसार			बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	
दिनांक	भुतान का विवरण	धनराशि	चेक सं0	भुगतान प्राप्त कर्ता
15.5.18	काजू रोड से अर्जुन के घर तक इन्टरलाकिंग में मिट्टी भराई का भुगतान	1326	142	दशरथ 01/111
17.7.18	रामबहादुर के घर से बच्चू के घर तक इन्टरलाकिंग में मजदूरी भुगतान	20375	185	दशरथ 01/111
13.12.18	रेलवेलाइन से राप्रसाद के घर तक खण्डन्जा निर्माण में मजदूरी भुगतान	2400	213	दशरथ 01/111
	योग—	24101		

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — बसेढी

विकास खण्ड— मूरतगंज

प्रस्तर — 12 :- कोश पंजिका/प्रमाणक में दिनांक 1.10.18 को चेक संख्या 348 द्वारा प्रधान मानदेय अगस्त 2018 से सितम्बर 2018 तक रु0 7000.00 एवं दिनांक 02.11.18 को चेक संख्या 350 द्वारा माह सितम्बर 2018 अक्टूबर 2018 तक रु0 7000.00 का भुगतान प्रधान श्री सुधीर सिंह को किया जाना दर्शित है। इस प्रकार सितम्बर 2018 का भुगतान कर रु0 3500.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल से बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — रामपुर धमावों

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर — 13 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवां वित्त में होली पक्की रोड से राजू पासी के घर से इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया।

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	19.04.18	दीपू ट्रेडर्स को होली पक्की रोड से राजू पासी के घर से इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण हेतु सीमेंट, सरिया, गिट्टी भुगतान	19685.00	सामग्री	टीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			19685.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 19685.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 19685.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 19685.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 19685.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 19685.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 9842.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 9842.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -14 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में शिव सिंह के घर से रमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	19.04.18	दीपू ट्रेडर्स को शिव सिंह के घरसे रमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट भुगतान	19800.00	समग्री	टीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			19800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 19800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 19800.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 19800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 19800.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 19800.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 9900.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 9900.00 रूपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 15 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हीरालाल के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	15.05.18	रजनी ट्रेडर्स को हीरालाल के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	87840.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	16.05.18	माँ वैष्णो उपर्युक्त कार्य हेतु ईट का भुगतान	28800.00	सामग्री	माँ वैष्णो	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	22.06.18	दीपू ट्रेडर्स को हीरालाल के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट व बालू भुगतान	19600.00	सामग्री	टीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	14.05.18	प्रधान व्यय हेतु हीरालाल के घर से हरिश्चन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	21900.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			158140.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 158140.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 158140.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 158140.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 158140.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 158140.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 79070.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 79070.00 रूपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 16 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में रमेश के घर से वीरेन्द्र के घर तक

नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	15.05.18	रजनी ट्रेडर्स को रमेश के घर से वीरेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	103200.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	16.05.18	मां वैष्णो ईट जोग को रमेश के घर से वीरेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	40200.00	सामग्री	मां वैष्णो	व्यय प्रमाणक
3	22.06.18	दीपू ट्रेडर्स को रमेश के घर से वीरेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट बालू भुगतान	22385.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक
4	14.05.18	प्रधान व्यय द्वारा रमेश के घर से वीरेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	28350.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक
		योग	197135.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 197135.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019—20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 197135.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 197135.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 197135.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 197135.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 98567.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 98567.50 रूपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 17 :—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में राम भवन के घर से दीवान के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	15.05.18	रजनी ट्रेडर्स को राम भवन के घर से दीवान के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	102720.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	16.05.18	मां वैष्णो ईट जोग को राम भवन के घर से दीवान के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट बालू का भुगतान	41575.00	सामग्री	मां वैष्णो	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	16.05.18	बालाजी कांस्ट्रक्शन एवं सप्लाय को उपरोक्त कार्य हेतु सीमेंट बालू का भुगतान	25840.00	सामग्री	बाला जी कांस्ट्रक्शन	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	14.05.18	प्रधान व्यय द्वारा राम भवन के घर से दीवाल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी	28725.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

		भुगतान				
		योग	198860.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 198860.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 198860.00 सामग्री में व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 198860.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 198860.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 99430.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 99430.00 रूपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 18 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में लालू के घर से राम नेवाज पाल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	05.07.18	रजनी ट्रेडर्स को लालू के घर से राम नेवाज पाल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट, सरिया भुगतान	18750.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.07.18	मां वैष्णो ईट उोग को लालू के घर से राम नेवाज पाल के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	3350.00	सामग्री	मां वैष्णो	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	28.12.18	दीपू ट्रेडर्स को लालू के घर से राम नेवाज पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट बालू भुगतान	3245.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	04.07.18	प्रधान व्यय द्वारा लालू के घर से राम नेवाज पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	3775.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक
		योग	29120.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 29120.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 29120.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 29120.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 29120.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 29120.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 14560.00 एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री सुशील कुमार से 14560.00 रुपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 19 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में राज कुमार के घर से रमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	05.07.18	रजनी ट्रेडर्स को राज कुमार के घर से रमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट, ईट का भुगतान	106560.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.07.18	मां वैष्णो ईट जोग को राज कुमार के घर से रमेश के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	38170.00	सामग्री	मां वैष्णो	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	28.12.18	दीपू ट्रेडर्स को लालू के घर से राज कुमार के घर से रमेश के घर तक तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट बालू भुगतान	15000.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	04.07.18	प्रधान व्यय द्वारा राज कुमार के घर से राम नेवाज पाल के घर तक नाली इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	28350.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	188080.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 188080.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 188080.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 188080.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 188080.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 188080.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 94040.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 94040.00 रुपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 20 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में श्याम लाल के घर से रोशन लाल के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	06.07.18	मां वैष्णो ईट जोग को श्याम लाल के घर से रोशन लाल खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	41212.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	04.07.18	प्रधान द्वारा व्यय श्याम लाल के घर से रोशन लाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी	25000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	66212.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 66212.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 66212.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 66212.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 66212.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 66212.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 33106.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 33106.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 21 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में दुर्गा पाल के घर से राम रानायण पाल के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	06.07.18	मॉ वैष्णो ईट ओग को दुर्गा पाल के घर से राम रानायण पाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	24412.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	04.07.18	प्रधान द्वारा व्यय दुर्गा पाल के घर से राम रानायण पाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी	14300.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	38712.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 38712.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 38712.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 38712.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 38712.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 38712.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 19356.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 19356.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 22 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में देव नाथ के घर से मुनेश के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						

क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	06.07.18	माँ वैष्णो ईट ओग को देव नाथ के घर से मुनेश के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	44100.00	सामग्री	माँ वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.07.18	प्रधान द्वारा व्यय देव नाथ के घर से मुनेश के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी	25925.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	70025.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 70025.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 70025.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 70025.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 70025.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 70025.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 35012.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 35012.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 23 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में बोधे पाल के घर से गोवर्धन पाल के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	06.07.18	माँ वैष्णो ईट ओग को बोधे पाल के घर से गोवर्धन पाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	27562.00	सामग्री	माँ वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.07.18	प्रधान द्वारा व्यय बोधे पाल के घर से गोवर्धन पाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी	16750.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	44312.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 44312.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 44312.00 सामग्री में व्यय की

गयी धनराशि रु0 44312.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 44312.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 44312.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 22156.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 22156.00 रुपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 24 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में राम नरेश के घर से बृज लाल के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	07.07.18	राम नरेश के घर से बृज लाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	43630.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	07.07.18	राम नरेश के घर से बृज लाल के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	80000.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	07.07.18	राम नरेश के घर से बृज लाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान	28000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	07.07.18	राम नरेश के घर से वृजलाल के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	26500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	178130.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 178130.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 178130.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 178130.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 178130.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 178130.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 89065.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 89065.00 रुपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 25 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में अब्दुल कादिर के घर से अली हसन के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	16.07.18	मां वैष्णो ईट उोग को अब्दुल कादिर के घर से अली हसन के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट का भुगतान	33000.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

2	12.07.18	प्रधान द्वारा व्यय अब्दुल कादिर के घर से अली हसन के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	19600.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	52600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 52600.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 52600.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 52600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 52600.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 52600.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 26300.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 26300.00 रुपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 26 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में बिलनी पासी के घर से राम नरेश पासी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	17.07.18	रजनी ट्रेडर्स को बिजली पासी के घर से राम नरेश पासी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	51370.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.07.18	मां वैष्णो ईट डोंग को बिजली पासी के घर से राम नरेश पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	6500.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट डोंग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	21.08.18	दीपू ट्रेडर्स को बिजली पासी के घर से रामनरेशपासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	8900.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	13.07.18	प्रधान द्वारा व्यय बिजली पासी के घर से राम नरेश पासी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य की मजदूरी	10775.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	77545.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 77545.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि

उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 77545.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 77545.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 77545.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 77545.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 38772.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 38772.50 रूपया बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 27 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में दशरथ के घर से करन के घर तक खड़जा निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	16.07.18	मां वैष्णो ईट जोग को दशरथ के घर से करन के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	52500.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.07.18	प्रधान द्वारा व्यय दशरथ के घर से करन के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	21250.0	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	21.08.18	प्रधान द्वारा व्यय दशरथ के घर से करन के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	18550.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	92300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 92300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 92300.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 92300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 92300.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 92300.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 46150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 46150.00 रूपया बराबर बराबर व्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 28 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	17.07.18	रजनी ट्रेडर्स को अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट भुगतान	135000.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

2	20.07.18	मां वैष्णौ ईट उोग को अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट भुगतान	34100.00	सामग्री	मां वैष्णौ ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	27.07.18	मां शीतला इण्टरप्राइजेज को अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु बालू भुगतान	12940.00	सामग्री	मां शीतला इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	30.08.18	दीपू ट्रेडर्स को अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट बालू भुगतान	18560.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	16.07.18	प्रधान द्वारा व्यय अजय के घर से टी0टी0 के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	36075.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	236675.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 236675.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 236675.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 236675.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 236675.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 236675.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 118337.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 118337.50 रुपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 29 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में राजेन्द्र के घर से खड़जा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.08.18	दीपू ट्रेडर्स को राजेन्द्र के घर से खड़जा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट भुगतान	17600.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.07.18	रजनी ट्रेडर्स को राजेन्द्र के घर से खड़जा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु	112800.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

		सीमेंट ईट भुगतान				
3	19.07.18	रजनी ट्रेडर्स को राजेन्द्र के घर से खड़जा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु बालू भुगतान	11750.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	20.07.18	मां वैष्णो ईट ओग को राजेन्द्र के घर से खड़जा तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट गिट्टी भुगतान	32400.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	12.07.18	प्रधान द्वारा व्यय राजेन्द्र के घर से खड़जा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	32125.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	206675.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 206675.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 206675.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 206675.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 206675.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 206675.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 103337.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 103337.50 रुपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 30 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में किशोरी पासी के घर से लूटा पासी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	16.08.18	मां वैष्णो ईट ओग को किशोरी पासी के घर से लूटा पासी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु गिट्टी ईट का भुगतान	19050.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.08.18	सिंह इण्टरप्राइजेज को किशोरी पासी के घर से लूटा पासी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	51120.00	सामग्री	सिंह इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	20.08.18	रजनी ट्रेडर्स को किशोरी पासी के घर से लूटा पासी	16300.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक

		के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट बालू का भुगतान				अप्राप्त
4	01.08.18	प्रधान द्वारा व्यय किशोरी पासी के घर से लूटा पासी के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	17400.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	103870.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 103870.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 103870.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 103870.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 103870.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारीश्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 103870.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 51935.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 51935.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 31 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में कक्षाओं में टाईल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	20.08.18	रजनी ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में कक्षाओं में टाईल्स निर्माण कार्य हेतु बालू गिट्टी का भुगतान	55850.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	21.08.18	निशान मार्बल एवं टाइल्स को जू0वि0 धमावां में कक्षाओं में टाईल्स निर्माण कार्य हेतु टाइल्स का भुगतान	64640.00	सामग्री	निशान मार्बल्स एवं टाइल्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	01.08.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में कक्षाओं में टाईल्स निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	36500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	13.08.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में कक्षाओं में टाईल्स निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	20875.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	177865.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 177865.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 177865.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 177865.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 177865.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 177865.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 88932.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 88932.50 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 32 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां से रनिंग वाटर सप्लाई की मजदूरी व सामग्री कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	20.08.18	पंकज मशीनरी स्टोर को जू0वि0 धमावां में रनिंग वाटर सप्लाई की मजदूरी व सामग्री का भुगतान	52500.00	सामग्री/मजदूरी	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	52500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 52500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 52500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 52500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 52500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 52500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 26250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 26250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 33 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	20.08.18	रजनी ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु बालू का भुगतान	12800.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

2	20.08.18	रजनी ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट का भुगतान	18900.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	20.08.18	रजनी ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	124200.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	21.08.18	मां वैष्णो ईट उोग को जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट गिट्टी का भुगतान	35000.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	20.08.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान	38225.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	229125.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 229125.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 229125.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 229125.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 229125.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 229125.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 114562.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 114562.50 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 34 :- आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	21.08.18	मां वैष्णो ईट उोग को जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य हेतु ईट गिट्टी का भुगतान	39000.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	23.08.18	गणेश ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य हेतु गेट का भुगतान	15500.00	सामग्री	गणेश ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	24.08.18	गणेश ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का भुगतान	30000.00	सामग्री	गणेश ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	29.08.18	भैरो बाबा ब्रिक फील्ड को जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण हेतु ईट का भुगतान	81000.00	सामग्री	भैरो बाबा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	20.08.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान	55025.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	220525.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 220525.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी

स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 220525.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 220525.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 220525.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 220525.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 110262.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 110262.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 35 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	15.09.18	मालवीय ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण हेतु बालू सरिया सीमेंट गिट्टी का भुगतान	31750.00	सामग्री	मालवीय ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.09.18	राजा ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण कार्य हेतु दरवाजा का भुगतान	28900.00	सामग्री	राजा ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	19.08.18	राजा ट्रेडर्स को जू0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण हेतु ईट गिट्टी का भुगतान	21034.00	सामग्री	राजा ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.09.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	28900.00	सामग्री	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	110584.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 110584.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 110584.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 110584.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 110584.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 110584.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 55292.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 55292.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 36 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त	अन्य टिप्पणी

					कर्ता	
1	25.09.18	जू0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु पेण्ट, पुट्टी का भुगतान	100264.00	सामग्री	राजा ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	24.09.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	52250.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	24.09.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	51150.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	203664.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 203664.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 203664.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 203664.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 203664.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 203664.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 101832.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 101832.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 37 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में ग्राम पंचायत धमावां में डस्ट विन लगाने हेतु कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	28.09.18	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत धमावां में डस्ट विन लगाने हेतु 20 नग डस्ट विन का भुगतान	164000.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	164000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 164000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 164000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 164000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 164000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 164000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 82000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 82000.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 38 :-आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य कैश बुक में

निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	13.11.18	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज को ग्राम पंचायत धमावां में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु 24 नग स्ट्री लाईट का भुगतान	194400.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	194400.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 194400.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 194400.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 194400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 194400.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 194400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 97200.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 97200.00 रुपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 39 :-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	17.11.18	प्रा0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु मजदूरी	50750.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	17.11.18	प्रा0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु अवशेष मजदूरी का भुगतान	58300.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	19.11.18	राज ट्रेडर्स को प्रा0वि धमावां में रंगाई पुताई कार्य हेतु आवश्यक सामग्री पेण्ट, प्राइमर, पुट्टी का भुगतान	97750.00	सामग्री	राज ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	22.11.18	इन्द्र नारायण प्रा0वि0 धमावां में रंगाई पुताई कार्य की अवशेष मजदूरी	20750.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	227550.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 227550.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि

उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 227550.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 227550.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 227550.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 227550.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 113775.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 113775.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 40:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.01.19	प्रा0वि0 धमावां परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य मजदूरी	28350.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.02.19	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान	27605.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	25.02.19	मां वैष्णों ईट जोग को प्रा0वि0 परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	23388.00	सामग्री	मां वैष्णों ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	07.03.19	रजनी ट्रेडर्स को प्रा0वि0 परिसर में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु ईट का भुगतान	116337.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	195680.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 195680.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 195680.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 195680.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 195680.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 195680.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 97840.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 97840.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 41:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में गुड्डू सिंह के घर से दीपक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.02.19	मां वैष्णों ईट जोग को गुड्डू सिंह के घर से दीपक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु	10133.00	सामग्री	मां वैष्णों ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.02.19	यादव ट्रेडर्स को गुड्डू सिंह	17000.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय

		के घर से दीपक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट, बालू				प्रमाणक अप्राप्त
3	20.02.19	सिंह इण्टरप्राइजेज को गुड़डू सिंह के घर से दीपक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य सीमेंट ईट का भुगतान	100035.00	सामग्री	सिंह इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.02.19	प्रधान द्वारा व्यय गुड़डू सिंह के घर से दीपक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	19025.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	146193.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 146193.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 146193.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 146193.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 146193.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 146193.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 73096.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 73096.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 42:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जयकरन के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	20.02.19	सिंह इण्टरप्राइजेज को जयकरन के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	88673.00	सामग्री	सिंह इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.02.19	प्रधान द्वारा व्यय जयकरन के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	18650.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	25.02.19	यादव ट्रेडर्स को जयकरन के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	15655.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	25.02.19	मां वैष्णो ईट जोग को जयकरन के घर से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	10013.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	132991.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 132991.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 132991.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 132991.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 132991.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 132991.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 66495.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 66495.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 43:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में पां0वि0 धमावां में आगनबड़ी शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.02.19	यादव ट्रेडर्स को पां0वि0 धमावां में आगनवाणी शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	17555.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.02.19	मां वैष्णो ईट उोग को पां0वि0 धमावां में आगनवाणी शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	20799.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट उोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	07.03.19	रजनी ट्रेडर्स को पां0वि0 धमावां में आगनवाणी की ओर और शौचालय की ओर इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	55945.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.02.19	प्रधान द्वारा व्यय पां0वि0 रामपुर धमावां में आगनवाणी केन्द्र में शौचालय तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	20275.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	114574.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 114574.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 114574.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 114574.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 114574.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 114574.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 57287.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 57287.00 रुपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 44:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट कार्य केश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.02.19	मसूरी इलेक्ट्रिकल को 20 नग ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट कार्य हेतु भुगतान	106000.00	सामग्री	मसूरी इलेक्ट्रिकल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	106000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 106000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 106000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 106000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 106000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 106000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 53000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 53000.00 रुपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 45:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में रजनीश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	08.03.19	प्रधान द्वारा व्यय रजनीश के घर से गुड्डू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	29033.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	08.03.19	रजनी ट्रेडर्स को रजनीश के घर से गुड्डू के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	102240.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	16.03.19	दीपू ट्रेडर्स को रजनीश के घर से गुड्डू यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	20068.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	16.03.19	मां वैष्णो ईट जोग को उपरोक्त कार्य हेतु ईट	23633.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट जोग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	174974.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 174974.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 174974.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 174974.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 174974.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 174974.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 87487.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 87487.00 रुपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 46:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में बच्ची लाल के घर से कृष्णा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	08.03.19	प्रधान द्वारा व्यय बच्ची लाल के घर से कृष्णा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	33272.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	08.03.19	रजनी ट्रेडर्स को बच्ची लाल के घर से कृष्णा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	84720.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	16.03.19	दीपू ट्रेडर्स को बच्ची लाल के घर से कृष्णा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	21978.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	16.03.19	मां वैष्णो ईट डोंग को बच्ची लाल के घर से कृष्णा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट गिट्टी का भुगतान	23748.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट डोंग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	163718.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 163718.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रुपया 163718.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 163718.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 163718.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 163718.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 81859.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 81859.00 रुपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 47:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के	अन्य टिप्पणी

					अनुसार प्राप्त कर्ता	
1	16.03.19	मां वैष्णो ईट ओग को पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	19507.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	16.03.19	मां वैष्णो ईट ओग को पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट का भुगतान	19507.00	सामग्री	मां वैष्णो ईट ओग	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	16.03.19	दीपू ट्रेडर्स को मां वैष्णो ईट ओग को पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	18398.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	11.03.19	रजनी ट्रेडर्स को मां वैष्णो ईट ओग को पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	98880.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	11.03.19	प्रधान द्वारा व्यय पप्पू के घर से राम मिलन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी	30945.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	187237.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 187237.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 187237.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 187237.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 187237.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 187237.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रु0 93618.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 93618.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 48:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में पुलिया से राजू विश्वकर्मा के घर तक खड़जा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	06.03.19	दीपू ट्रेडर्स को पुलिया से राजू विश्वकर्मा के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का भुगतान	18398.00	सामग्री	दीपू ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	11.03.19	रजनी ट्रेडर्स को पुलिया से राजू विश्वकर्मा के घर तक खड़जा निर्माण कार्य सीमेंट, ईट का भुगतान	98880.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	11.03.19	प्रधान द्वारा व्यय पुलिया से राजू विश्वकर्मा के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु	31920.00`	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

		मजदूरी				
		योग	149198.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 149198.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 149198.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 149198.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 149198.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 149198.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 74599.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 74599.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 49:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	12.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 धमावां में शौचालय निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	37875.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37875.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 37875.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37875.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 37875.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 37875.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 37875.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 18937.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 18937.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 50:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 सरैया में मरम्मतकीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग–1 कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	29.03.19	केशरवानी पेण्ट हार्डवेयर को प्रा0वि0 सरैया में मरम्मतकीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग–1 कार्य हेतु सामग्री का भुगतान	79527.00`	सामग्री	केशरवानी पेण्ट हार्डवेयर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया	37500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय

		में मरम्मतीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग-1 कार्य हेतु मजदूरी				प्रमाणक अप्राप्त
			117027.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 117027.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 117027.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 117027.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 117027.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 117027.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 58513.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 58513.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 51:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 सरैया में मरम्मतीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग-2 कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	28.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया में मरम्मतीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग-2 कार्य हेतु मजदूरी	20625.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	29.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया में मरम्मतीकरण, सौंदर्यीकरण, भाग-2 कार्य हेतु मजदूरी	19875.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	40500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 40500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 40500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 40500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 40500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 40500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 20250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 20250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 52:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 सरैया में बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण व मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	18.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया	25000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय

		में बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण व मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी भुगतान				प्रमाणक अप्राप्त
2	19.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया में बाउण्ड्रीवाल उच्चीकरण व मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	25000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	50000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 50000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 50000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 50000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 50000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 50000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 25000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 25000.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 53:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 सरैया में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	29.03.19	रजनी ट्रेडर्स को प्रा0वि0 सरैया में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सीमेंट ईट का भुगतान	133302.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	29.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 सरैया में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान	43000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	176302.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 176302.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 176302.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 176302.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 176302.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 176302.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 88151.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 88151.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 54:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में अशोक यादव के घर से नरेश के घर

तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.03.19	रजनी ट्रेडर्स का अशोक यादव के घर से नरेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान	23354.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.03.19	रजनी ट्रेडर्स का अशोक यादव के घर से नरेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान	97792.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	30.03.19	प्रधान द्वारा व्यय अशोक यादव के घर से नरेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	32125.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	155271.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 155271.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019—20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 155271.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 155271.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 155271.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 155271.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 77635.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 77635.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर — 55:—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां के तीन कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.03.19	केशरवानी पेंट हार्डवेयर को प्रा0वि0 धमावां के तीन कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु सामग्री	65216.00	सामग्री	केशरवानी पेंट हार्डवेयर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 धमावां के तीन कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	31875.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	97091.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 97091.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं

जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 97091.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 97091.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 97091.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 97091.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 48545.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 48545.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 56:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां मे दो कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.03.19	केशरवानी पेंट हार्डवेयर को प्रा0वि0 धमावां के दो कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु सामग्री	61465.00	सामग्री	केशरवानी पेंट हार्डवेयर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	61465.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 61465.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 61465.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 61465.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 61465.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 61465.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 30732.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 30732.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 57:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर शारदा महारानी के पास कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्ययअंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	26.04.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	27674.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	24.04.18	हैण्ड पम्प रीबोर मजदूरी	17278.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	44952.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 44952.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,

परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 44952.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 44952.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 44952.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 44952.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 22476.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 22476.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 58:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर फूल चन्द्र के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	26.04.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	27509.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.04.18	ग्राम प्रधान को हैण्ड पम्प रीबोर मजदूरी	17278.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	44787.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 44787.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 44787.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 44787.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 44787.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 44787.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 22393.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 22393.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 59:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर दशरथ मौर्य के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	26.04.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	27509.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.04.18	ग्राम प्रधान को हैण्ड पम्प रीबोर मजदूरी	21398.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	48907.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 48907.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 48907.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 48907.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 48907.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 48907.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 24453.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 24453.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 60:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर किशोरी लाल के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	26.04.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	27509.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.04.18	ग्राम प्रधान को हैण्ड पम्प रीबोर मजदूरी	17278.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	44787.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 44787.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 44787.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 44787.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 44787.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 44787.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 22393.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 22393.50 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 61:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर रईस पासी के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	26.04.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	26674.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	26.04.18	ग्राम प्रधान को हैण्ड पम्प	21398.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय

		रिबोर मजदूरी				प्रमाणक अप्राप्त
		योग	49072.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 49072.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 49072.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 49072.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 49072.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 49072.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 24536.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 24536.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 62:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर शंकर जी के मंदिर पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	16.07.18	कृषि सेवा केन्द्र को शिव मंदिर स्थल पर रीबोर सामग्री का भुगतान	24500.00	सामग्री	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	07.07.18	शंकर जी मंदिर पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	41000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 41000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 41000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 41000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 41000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 41000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 20500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 20500.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 63:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर शिव बाबू के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी

1	13.07.18	कृषि सेवा केन्द्र को रीबोर सामग्री खरीद का भुगतान	24500.00	सामग्री	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	07.07.18	शिव बाबू के दरवाजे पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	41000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 41000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 41000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 41000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 41000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 41000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 20500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 20500.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 64:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर संतोश मौर्या के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.07.18	कृषि सेवा केन्द्र को सन्तोश मौर्य के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.07.18	सन्तोश मौर्य के दरवाजे पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37710.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 37710.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37710.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 37710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 18855.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -65:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर बीरन के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.07.18	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री खरीद का भुगतान	21210.00	सामग्री	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.07.18	बीरन के दरवाजे पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37710.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 37710.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37710.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 37710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 18855.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -66:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर शंकर के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	17.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को शंकर के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	17.11.18	शंकर के दरवाजे पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	30.01.19	प्रधान द्वारा व्यय शंकरलाल के दरवाजे पर हैण्ड रिबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	54210.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 54210.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 54210.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 54210.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है।

वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 54210.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 54210.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 27105.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 एवं विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -67:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर बउवा पंडित के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	17.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को बउवा पंडित के दरवाले पर हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	17.11.18	बउवा पंडित के दरवाजे पर हैण्ड रीबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37710.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 37710.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासापट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37710.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 37710.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 37710.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 37710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 18855.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -68:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर मटरू के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	22.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को मटरू के दरवाले पर हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	22.11.18	राघवेन्द्र सिंह को मटरू के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रीबोर मजदूरी का भुगतान	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	30.01.19	प्रधान द्वारा व्यय मटरू पाण्डे के घर हैण्ड पम्प रीबोर हेतु मजदूरी	16500.00			
		योग	54210.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 54210.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी

स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 54210.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 354210.00 .00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 54210.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रू0 54210.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 27105.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 एवं विष्णू कुमार पाण्डेय 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –69:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रीबोर बच्चा पासी के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	22.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को बच्चा पासी के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	22.11.18	बच्चा पासी के दरवाजे पर हैण्ड रीबोर मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37710.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 37710.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37710.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 37710.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 37710.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रू0 37710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 18855.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –70:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प प्रा0वि0 धमावां पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	22.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को प्रा0वि0 धमावां पर हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री का भुगतान	21210.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	22.11.18	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय

		का भुगतान				प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37710.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 37710.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 37710.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 37710.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 37710.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 18855.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 18855.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –71:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रंजीत के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.01.19	प्रधान द्वारा रंजीत के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	16500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 16500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 16500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 8250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –72:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प दरोगा के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	30.01.19	प्रधान द्वारा दरोगा के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	16500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 16500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 16500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 8250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -73:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प बुद्धन के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.02.19	प्रधान द्वारा नगद भुगतान बुद्धन पासी चकिया रामपुर धमावां के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	16500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 16500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 16500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 16500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 8250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -74-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प तुलसीराम के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.02.19	प्रधान द्वारा नगद भुगतान तुलसीराम चकिया रामपुर धमावां के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	16500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 16500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 16500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 16500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 16500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 8250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -75:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प बाबू लाल के दरवाजे पर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.02.19	प्रधान द्वारा नगद भुगतान बाबूलाल चकिया रामपुर धमावां के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	16500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 16500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 16500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 16500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 16500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 16500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 8250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 8250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -76:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प रिबोर का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.02.19	पंकज मशीनरी स्टोर को चार हैण्ड रिबोर सामग्री का भुगतान	84840.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.02.19	पंकज मशीनरी स्टोर को तीन हैण्ड रिबोर सामग्री का भुगतान	63630.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	148470.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 148470.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 148470.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 148470.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 148470.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 148470.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹074235.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 74235.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –77:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.08.18	जू0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई कार्य हेतु ढुलाई खर्च भुगतान	27900.00	सामग्री	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.08.18	प्रधान द्वारा व्यय जू0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई कार्य हेतु मजदूरी	19075.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	46975.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 46975.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 46975.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 46975.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 46975.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विष्णू कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 46975.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 23487.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 23487.50 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –78:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रशासनिक व्यय कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	25.04.18	ग्राम प्रधान को आडिट की फीस भुगतान	1800.00	—	राघवेन्द्र सिंह	आडिट फीस का चालान अप्राप्त

2	24.05.18	लक्ष्मी नारायण को चेक संख्या 401 द्वारा टेण्डर हेतु भुगतान	2970.00	—	लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	12.06.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को ग्राम स्वरोजगार अभियान हेतु पलैक्स बोर्ड का भुगतान	900.00	—	अर्ष इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	17.11.18	विपिन केशरवानी को स्टेशनरी खर्च	2000.00	—	विपिन केशरवानी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	18.12.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छता सर्वेक्षण का होलिंग खर्च कार्य	4950.00	—	अर्ष इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			12620.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 12620.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणकप्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019—20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 12620.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 12620.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 12620.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 6310.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 6310.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —79:—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रधान का मानदेय कार्य बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	14.05.18	प्रधान द्वारा मानदेय का भुगतान	21000.00	—	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			21000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 21000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणकप्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019—20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 21000.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 21000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 21000.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹0 21000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹0 10500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 10500.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —80:—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:—

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको	धनराशि	सामग्री/	बैंक स्टेटमेंट के	अन्य

		विवरण सहित		मजदूरी	अनुसार प्राप्त कर्ता	टिप्पणी
1	29.05.18	महेन्द्र कुमार को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान	2500.00	—	महेन्द्र कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	16.07.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मशीनरी का भुगतान	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	16.07.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मशीनरी का भुगतान	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	16.07.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मशीनरी का भुगतान	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	30.08.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मशीनरी का भुगतान	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	30.8.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मशीनरी का भुगतान	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	31.08.18	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	7000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	24.09.18	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	20000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
9	05.11.18	इन्द्र नारायण को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	16500.00	मजदूरी	इन्द्र नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
10	06.11.18	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	17500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
11	06.11.18	कृषि सेवा केन्द्र को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	20000.00	मजदूरी	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
12	17.11.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री	20000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
13	22.11.18	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	17500.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
14	22.11.18	आस्था साईं ट्रस्ट को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	14900.00	मजदूरी	आस्था साईं ट्रस्ट	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
15	07.12.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री	24450.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
16	07.12.18	इन्द्र नारायण को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	7000.00	मजदूरी	इन्द्र नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
17	25.02.19	प्रधान द्वारा व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	18000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	285350.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 285350.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. एवं हैण्ड पम्प मरम्मत करने

हेतु उपभोक्ताओं के प्रार्थना पत्र प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 285350.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 285350.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 285350.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार एवं विश्नु कुमार पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 285350.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 142675.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 133675.00 एवं श्री विष्णू कुमार पाण्डेय से 9000.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -81:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में जू0हा0 धमावां में मिट्टी पुराई का कार्य बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.01.19	उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई खर्च भुगतान	27900.00	सामग्री	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.01.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई कार्य हेतु मजदूरी	19075.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	46975.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 46975.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 46975.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 46975.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 46975.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रू0 46975.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से रू0 23487.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 23487.50 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -82:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्य वित्त/चौदहवां वित्त में प्रा0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई का कार्य बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया:-

कैश बुक में व्यय अंकित किया गया विवरण						
क्र0	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
1	01.01.19	प्रा0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई कार्य हेतु ट्रैक्टर भाड़ा	27500.00	सामग्री	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.01.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 धमावां में मिट्टी पुराई	21000.00	मजदूरी	राघवेन्द्र सिंह	व्यय प्रमाणक

	कार्य हेतु मजदूरी				अप्राप्त
	योग	48500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹ 48500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोड सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई.डी. स्टेटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, निविदा की पत्रावली, कार्यपूति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका/प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्डकापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020, 26.07.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019-20, दिनांक 10.12.19 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश करने के आदेश करने के उपरान्त भी अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रूपया 48500.00 सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹ 48500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल 8क विन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹ 48500.00 की ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि ₹ 48500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राघवेन्द्र सिंह से ₹ 24250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील कुमार से 24250.00 रूपया बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —चलौली

विकास खण्ड— चायल

प्रस्तर -83:—हैण्डपम्प मजदूरी व्यय कोशबही के आयपक्ष के अनुसार दिनांक 15.09.18 को चेक संख्या 127 धनराशि 10000.00 आहरित किया गया है एवं कोशबही के व्यय पक्ष में मजदूरी भुगतान दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान मजदूरी से सम्बन्धित व्यय नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे मजदूरी में लगे श्रमिकों की संख्या, नाम, देय धनराशि की जानकारी नहीं हो सकी है जिससे स्पष्ट है कि व्यय की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती ऊशा देवी और सचिव श्री राधेश्याम से पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं जिसकी बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली श्रीमती ऊशा देवी और सचिव श्री राधेश्याम से अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
15.11.18	127	10000.00	1— ग्राम प्रधान श्रीमती ऊशा देवी 2— सचिव श्री राधेश्याम

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —हरदुआ

विकास खण्ड— चायल

प्रस्तर -84:—दिनांक 16.11.18 को कोशबही के व्यय पक्ष में चेक संख्या 233 ₹ 5500.00 ट्राली मरम्मत कार्य दो नग अंकित किया गया है जिसका भुगतान ग्राम प्रधान श्री बेनी सिंह द्वारा किया गया है किन्तु भुगतान प्राप्तकर्ता से रसीद नहीं लिया गया है, न ही लेखा परीक्षा के दौरान कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है जिससे उपरोक्त व्यय अपुष्ट रहा अतः धनराशि को अपहरित मानते हुए ग्राम प्रधान श्री बेनी सिंह और सचिव श्री धनराज से सामूहिक रूप से ₹ 5500.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है:—

विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
16.11.18	233	5500.00	1— ग्राम प्रधान श्री बेनी सिंह 2— सचिव श्री धनराज

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —कमालपुर

विकास खण्ड— चायल

प्रस्तर – 85:—स्टेशनरी क्रय दिनांक 21.01.19 को कोशबही के अनुसार चेक संख्या 190 से रूपया 7000.00 का स्टेशनरी क्रय करना दर्शाया गया है, परन्तु स्टेशनरी में कौन कौन सी वस्तुयें क्रय की गयी हैं इसका उल्लेख नहीं किया गया है न ही स्टेशनरी सम्बन्धी कोई पंजिका तैयार की गयी है जिससे पता चल सके कि किस प्रकार की स्टेशनरी कितनी मात्रा में क्रय की गयी है और कहां उपभोग किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान स्टेशनरी व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाण प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि धन का अपहरण किया गया है, जिसकी बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली श्री बुध नारायण त्रिपाठी एवं सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
21.01.19	190	7000.00	1— ग्राम प्रधान बुध नारायण त्रिपाठी 2— सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —उखैयाखास

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— मंझनपुर

प्रस्तर —86:—ग्राम निधि “6” शौचालय निर्माण में दिनांक 20.08.18 को कोशबही के अनुसार चेक संख्या 65 के द्वारा रू0 15000.00 अपहरित किया गया किन्तु व्यय पक्ष में दिनांक 20.08.18 को ही शौचालय निर्माण भुगतान रू0 15000.00 अंकित है, किन्तु इस भुगतान से स्पष्ट नहीं है कि भुगतान किस पक्ष को किस प्रयोजन से किया गया है न ही लेखा परीक्षा के दौरान कोई बाउचर प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कल्पित व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की गयी धनराशि की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार यादव एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से 1/2 1/2 भाग की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
20.08.18	65	15000.00	1— ग्राम प्रधान अशोक कुमार यादव 2— सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —मण्डुकी

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— मंझनपुर

प्रस्तर — 87:—ग्राम निधि“6” स्वच्छ शौचालय निर्माण कार्य योजना में शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किस्त रू0 6000.00 एवं द्वितीय किस्त रू0 6000.00 देने का प्राविधान है एवं निर्माण कार्य लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा किन्तु यह नियमों की अनदेखी कर ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार एवं सचिव श्री मो0 नसर द्वारा दिनांक 13.07.18 को चेक संख्या 116 रू0 12000.00 बैंक से नकद आहरित कर लिया गया जिसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
13.07.18	116	12000.00	1— ग्राम प्रधान बृजेश कुमार 2— सचिव मो0 नसर

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —गुबारा तैयबपुर

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— मंझनपुर

प्रस्तर —88:—ग्राम निधि“6” स्वच्छ शौचालय — निर्माण कार्य हेतु कोशबही के अनुसार दिनांक 24.08.18 को चेक संख्या 661 के द्वारा लाभार्थी श्री पप्पू को रू0 24000.00 का भुगतान किया गया है जबकि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक लाभार्थी को रू0 6000.00 की प्रथम किस्त एवं रू0 6000.00 की द्वितीय किस्त अर्थात् कुल 12000.00 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। किन्तु यह शासनादेशों की अनदेखी करते हुए ग्राम प्रधान श्री मो0नसीम एवं सचिव श्री बुध प्रकाश द्वारा लाभार्थी श्री पप्पू को रू0 24000.00 का एक ही बार में भुगतान कर अनियमितता बरती गयी है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सामूहिक रूप से अनियमित भुगतान हेतु ग्राम प्रधान एवं सचिव की है उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है—

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी

24.08.18	661	24000.00	1- ग्राम प्रधान मो0नसीम 2- सचिव श्री बुध प्रकाश

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -अगियौना

विकास खण्ड- मंझनपुर

प्रस्तर :89:-ग्राम निधि“6” स्वच्छ शौचालय - शौचालय निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान दिनांक 27.4.18 को कोशबही के व्यय पक्ष में रु0 25000.00 मात्र शौचालय निर्माण की मजदूरी में व्यय भुगतान दर्शाया गया है किन्तु कोशबही लेखे से स्पष्ट नहीं है कि शौचालय निर्माण की मजदूरी में व्यय की गयी धनराशि के कितने शौचालय का निर्माण किया गया एवं प्रत्येक शौचालय पर कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया तथा प्रति शौचालय कितने मजदूर कितने दिन कार्य किए हैं इसका कोई मस्टर रोल/बाउचर लेखा परीक्षा के दौरान नहीं प्रस्तुत किया गया जबकि रु0 25000.00 की धनराशि चेक संख्या 610243 दिनांक 27.04.18 को बैंक आफ बड़ौदा शाखा मंझनपुर कौशाम्बी से नकद प्राप्त किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कल्पित व्यय दर्शाकर उपरोक्त धनराशि का अपहरण किया गया। अपहरित धनराशि की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से मानते हुए ग्राम प्रधान श्री शब्बीर हसन एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है।-

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
27.4.18	610243	25000.00	1- ग्राम प्रधान श्री शब्बीर हसन 2- सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -तैयत मंगरौरा

विकास खण्ड- मंझनपुर

प्रस्तर -90:-ग्राम निधि“6” स्वच्छ शौचालय - शौचालय निर्माण कोश बही के अनुसार दिनांक 25.06.2018 को चेक संख्या 283 रु0 16400.00 आयपक्ष में अंकित किया गया किन्तु व्यय पक्ष में लाभार्थी श्री गुलाब सिंह को रु0 6000.00 की प्रथम किस्त का भुगतान दर्शाया गया है शेष रु0 10400.00 का कोई भुगतान दर्शित है। न ही लेखा परीक्षा के दौरान कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी एवं सचिव श्री अतुल गुप्ता द्वारा शेष धनराशि रु0 10400.00 का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है।-

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
25.06.18	283	10400.00	1- ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना देवी 2- सचिव श्री अतुल गुप्ता

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -कोतारी पश्चिम

विकास खण्ड- मंझनपुर

प्रस्तर -91:-ग्राम निधि“6” स्वच्छ शौचालय - शौचालय निर्माण कार्य हेतु कोशबही के आय पक्ष में दिनांक 17.9.18 को चेक संख्या 110 धनराशि 25000.00 अंकित है किन्तु व्यय पक्ष में धनराशि तो अंकित है परन्तु विवरण में धनराशि किस मद में खर्च किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही लेखा परीक्षा दौरान व्यय की गयी धनराशि का कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया है अतः अपुष्टि धनराशि अपहरण मानते हुए उपरोक्त धनराशि का आधा भाग ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र एवं आधा भाग सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

विवरण निम्नवत है-

दिनांक	चेक संख्या	अपहरित धनराशि	जिम्मेवारी
17.09.18	110	25000.00	1- ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र 2- सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -मेंडरहा

विकास खण्ड- कौशाम्बी

प्रस्तर - 92:-पंचायत मेंडरहा के वर्ष 18-19 के कोशबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशि पंचायत भवन के मरम्मत सौदर्यीकरण एवं गांव की समस्त नाली कवर निर्माण सामग्री एवं मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है। व्यय की गयी धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

विवरण निम्नवत है-

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मद का नाम	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्तकर्ताओं का नाम
1	22.06.18	100	28430.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स

2	26.07.18	102	34250.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी
3	20.07.18	122	106210.00	सामग्री	अर्पित कान्सट्रक्शन
4	23.08.18	121	48734.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स
5	27.08.18	105	14000.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी
6	01.10.18	125	23050.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी
7	01.10.18	130	9750.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी
8	01.10.18	131	23750.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी
9	03.10.18	127	21835.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स
10	03.10.18	126	25242.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स
11	03.10.18	128	18412.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स
12	03.10.18	123	50522.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स
13	08.10.18	120	8785.00	सामग्री	शिव ब्रिक फील्ड
14	08.10.18	124	3895.00	सामग्री	शिव ब्रिक फील्ड
15	30.10.18	134	29450.00	मजदूरी	गिरीश चन्द्र द्विवेदी / नाली निर्माण
16	31.10.18	135	70000.00	सामग्री	शुभम ट्रेडर्स / नाली निर्माण
			516315.00		

जिसके सम्बन्ध में स्टीमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, एम0बी0 कार्य, पूर्ति प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सामग्री खरीद के व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से किये गए व्यय एवं कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी है अतः बिना व्यय प्रमाणकों एवं मस्टर रोलों के भुगतान की गयी धनराशि रु0 5,16,315.00 के वसूली ग्राम प्रधान श्री गिरीश चन्द्र द्विवेदी एवं सचिव श्री दिलीप कुमार पाण्डेय से वित्तीय एवं लेखा प्रबन्धक मैनुवल के अध्याय 8 के बिन्दु (8-क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि का संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -अवाना आलमपुर

विकास खण्ड- कौशाम्बी

प्रस्तर -93:-ग्राम पंचायत अवाना आलमपुर के वर्ष 2018-19 के कोशबही के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि माह अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक कोशबही के केवल पक्ष में आय पक्ष में आहरण अंकित किया गया है आहरित धनराशियों के सापेक्ष कोशबही के व्यय पक्ष में कोई व्यय विवरण अंकित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि आहरित धनराशियों के सापेक्ष किस मद में कितनी धनराशियां व्यय रही? आहरित धनराशियों से व्यय की गयी धनराशियों के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशियों का अपहरण किया गया है। आहरित की गयी धनराशियों के प्रोजेक्ट स्टीमेंट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, आदि कुछ भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गए हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

माह अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक बैंक स्टेटमेंट के अनुसार व्यय की गयी धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्तकर्ताओं का नाम	अभ्युक्ति
1	16.04.18	162	5,700.00	अनिल कुमार	कोश बही का व्यय पक्ष में विवरण व धनराशि अंकित नहीं है।
2	03.05.18	148	18,600.00	उमेश	
3	05.05.18	145	7,050.00	साकेत ब्रिक फील्ड	
4	05.05.18	146	83,730.00	साकेत ब्रिक फील्ड	
5	07.05.18	147	5,700.00	अनिल कुमार	
6	07.05.18	150	7,200.00	अनिल कुमार	
7	08.06.18	165	7,600.00	सोनिया देवी	
8	08.06.18	164	61,280.00	मे0 होरी लाल केशरवानी	
9	03.07.18	243	37,625.00	सोनिया देवी	
10	03.07.18	245	5,200.00	सोनिया देवी	
11	03.07.18	244	20,710.00	सोनिया देवी	
12	03.07.18	241	66,738.00	मे0 होरी लाल केशरवानी	
13	04.07.18	242	43,594.00	साकेत ब्रिक फील्ड	
14	06.07.18	247	39,210.00	साकेत ब्रिक फील्ड	
15	06.07.18	246	39,210.00	मे0 होरी लाल केशरवानी	

16	09.07.18	248	3,000.00	मथुरा प्रसाद द्विवेदी	
	योग		4,52,147.00		

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत—गुरौली

विकास खण्ड— कौशाम्बी

प्रस्तर —94:—दिनांक 27.08.18 को चेक संख्या 139 से प्रिया साफ्ट की फीडिंग के नाम से भुगतान किया गया है जो स्वयं के कम्प्यूटर से किया जाना चाहिए था न ही बाहर से, तथा रू0 5000.00 भुगतान प्रिया साफ्ट फीडिंग के नाम पर डाला जाना अनुमन्य नहीं है, अतः रू0 5000.00 की वसूली सचिव श्री दिलीप कुमार पाण्डेय से एवं प्रधान श्रीमती मीना सिंह से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —95:—दिनांक 12.11.18 को चेक संख्या 173 एवं 174 क्रमशः धनराशियां रू0 15000.00 एवं 15000.00 की धनराशियां श्री दिलीप कुमार पाण्डेय एवं श्रीमती मीना सिंह द्वारा क्रमशः आहरित रही हैं जिसके सम्बन्ध में कोश में व्यय विवरण अंकित है कि दिलीप कुमार पाण्डेय को भुगतान (पूमा0वि0बाउण्ड्रीवाल) एवं श्रीमती मीना सिंह को भुगतान (पूमा0वि0बाउण्ड्रीवाल) किन्तु विवरण से स्पष्ट नहीं है कि उक्त धनराशियां कुल 30000.00 किस मद से व्यय रही? उक्त धनराशियाँ रू0 30000.00 के व्यय प्रमाणक/ मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे न तो व्यय की पुष्टि की जा सकी, न ही इस बात का संज्ञान हो सका कि उक्त धनराशियाँ किस मद में व्यय किया है।

अतः रू0 15000.00 श्रीमती मीना सिंह ग्राम प्रधान से एवं रू0 15000.00 सचिव श्री दिलीप कुमार पाण्डेय से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —96:—ग्राम पंचायत गुरौली के वर्ष 2018—19 की कोशबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशि पंचायत भवन के मद में व्यय दर्शायी गयी है जिसकी लेखा परीक्षा में स्टीमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, एम0बी0, व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे किए गए व्ययों की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। पंचायत भवन मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा जिसका प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा।

व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	मद का नाम	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्तकर्ताओं का नाम	अभ्युक्ति
1	06.09.18	165	7,887.00	सामग्री/ बालू	शारदा प्रसाद	
2	10.09.18	138	2,500.00	वायरिंग	शुभम ट्रेडर्स	
3	13.09.18	145	75,000.00	टाइल्स कार्य पर मजदूरी	मीना सिंह	
4	13.09.18	140	83,544.00	टाइल्स क्रय पर मजदूरी	अम्बिका टाइल्स	
5	14.09.18	143	41,013.00	सामग्री	स्नेहा हार्डवेयर	
6	14.09.18	141	6,468.00	टाइल्स क्रय	श्याम ट्रेडर्स	
7	15.09.18	146	1,05,151.00	पंचायत भवन मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण पर व्यय	श्याम ट्रेडर्स	व्यय विवरण से स्पष्ट नहीं है कि क्या सामग्री क्रय रही?
8	19.09.18	149	42,875.00	पंचायत भवन मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण पर व्यय	श्री दिलीप कुमार पाण्डेय	
9	08.10.18	170	30,700.00	बाउण्ड्रीवाल	मीना सिंह	
10	12.10.18	169	4,976.00	सामग्री/ बाउण्ड्रीवाल	खाता संख्या 02/198	
11	15.10.18	168	19,110.00	ईट क्रय	श्री बाला जी बी0एफ0	
12	11.12.18	177	32,300.00	शौचालय मजदूरी	श्री दिलीप कुमार पाण्डेय	
13	12.12.18	197	25,713.00	पंचायत भवन मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण पर व्यय	श्याम ट्रेडर्स	
14	12.12.18	179	12,949.00	टाइल्स क्रय	श्याम ट्रेडर्स	
15	12.12.18	180	3,553.00	पंचायत भवन मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण पर व्यय	स्नेहा हार्डवेयर	
16	09.01.19	199	10,750.00	मजदूरी ई0ला0	मीना सिंह	
17	11.02.19	203	1,50,215.00	ईट इण्टरलाकिंग	वैष्णवी इण्टरप्राइजेज	
			6,54,704.00			

जिसके सम्बन्ध में स्टीमेंट, कार्यवाही पुस्तिका, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर, सामग्री खरीद के व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल आदि, अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने से किए गए व्यय एवं कराये गए कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना व्यय प्रमाण के मस्टररोलों के 654704.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनिया देवी एवं सचिव श्री अनिल कुमार त्रिपाठी से वित्तीय लेखा

प्रबन्ध मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु (8-क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि की संयुक्त रूप से बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —देवखरपुर

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —97:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पण्डा के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	9.4.18	गब्बर मिस्त्री को हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	11000.00	मजदूरी	गब्बर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू० 11000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई०डी०, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम०बी०, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं०/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू० 11000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू० 11000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू० 11000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू० 11000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी देवी से रू० 5500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू० 5500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —98:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रधान का मानदेय कार्य कैश में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	13.04.18	प्रधान द्वारा व्यय मानदेय जनवरी 18 से मार्च 18 तक	10500.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	11.07.18	प्रधान द्वारा व्यय मानदेय अप्रैल 18 से जून 18 तक	10500.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	05.02.19	प्रधान द्वारा व्यय मानदेय अगस्त 18 से जनवरी 19 तक	21000.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	42000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू० 42000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई०डी०, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम०बी०, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं०/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू० 42000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये

कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 42000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 42000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 21000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 21000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर – 99:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में पेण्टिंग कार्य कैश में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	30.04.18	अली हुसेन को प्रा0वि0 पे0 लिखाई (वाल राइटिंग)	5000.00	मजदूरी	अली हुसेन	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	5000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 5000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019–20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 5000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 5000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 5000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 2500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 2500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –100:—आलोच्य वर्ष 2018–19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.6.18	गुप्ता मिल स्टोर हैण्ड मरम्मत हेतु सामग्री	14200.00	सामग्री	गुप्ता मिल स्टोर मंज्रा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.09.18	गुप्ता मिल स्टोर हैण्ड मरम्मत हेतु सामग्री	60300.00	सामग्री	गुप्ता मिल स्टोर मंज्रा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	02.05.18	गब्बर मिस्त्री को हैण्डपम्प मम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान	22300.00	मजदूरी	गब्बर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	11.10.18	दरोगा द्वारा कैलाश हैण्ड पम्प मिस्त्री को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	10000.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	12.11.18	दरोगा द्वारा निकासी हैण्ड पम्प मिस्त्री को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	30200.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	19.11.18	प्रधान द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय	12000.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	26.11.18	दरोगा द्वारा हैण्ड पम्प मिस्त्री को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	10000.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	161300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 161300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी

स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 161300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 161300.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 161300.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 80650.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 80650.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -101:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रशासनिक वैनर, सफाई, ट्राली निविदा आदि कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	04.05.18	विपिन कुमार द्वारा प्रशासनिक व्यय	11200.00	सामग्री	विपिन कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	04.05.18	विपिन कुमार द्वारा प्रशासनिक व्यय शेष भुगतान	1000.00	सामग्री	विपिन कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	13.06.18	लक्ष्मी नारायण को निविदा हेतु चेक	2970.00	साग्री	लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.06.18	राजेन्द्र प्रसाद ग्राम सभा सफाई कार्य हेतु सफाई ट्राली का भुगतान	12000.00	सामग्री	राजेन्द्र प्रसाद मंझा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	01.08.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को भारत स्वच्छ वैनर का भुगतान	900.00	सामग्री	ट्रान्सफर टू अर्ष इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	01.02.19	अर्ष इण्टरप्राइजेज को भारत स्वच्छ वैनर का भुगतान	4960.00	सामग्री	ट्रान्सफर टू अर्ष इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	11.03.19	राजेन्द्र प्रसाद को 02 नग सफाई ट्राली हेतु भुगतान	9340.00	सामग्री	राजेन्द्र प्रसाद मंझा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	11.5.19	सन्तोश कुमार को तालाब में पानी भराई हेतु भुगतान	20000.00	किराया/मजदूरी	सन्तोश कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
9	30.07.19	दरोगा द्वारा व्यय ग्राम सभा में सफाई हेतु भुगतान	10400.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	72770.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 72770.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 72770.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 72770.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 72770.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 36385.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 36385.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -102:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	05.05.18	बाला जी को भुगतान प्रा0वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु सामग्री भुगतान	30240.00	सामग्री	जय अमरनाथ	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.06.18	गुप्ता मिल स्टोर को प्रा0वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु सामग्री भुगतान	20560.00	सामग्री	गुप्ता मिल स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	08.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु मजदूरी भुगतान	25300.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	18.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु मजदूरी भुगतान	30500.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	106600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 106600.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 106600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 106600.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 106600.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 53300.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 53300.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -103:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में एमडीएम शेड निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	25.05.18	दरोगा द्वारा व्यय प्रा0वि0 में बालू का भुगतान	42000.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.06.18	दरोगा द्वारा व्यय प्रा0वि0 में बालू का भुगतान	36000.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	78000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 78000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 78000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0

78000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 78000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 39000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 39000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -104:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में जाकिर हुसेन के घर से लल्लू के घर तक खड़जा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	02.06.18	न्यु तेजमती को 14000 ईट 5000 के दर से जाकिर हुसेन के घर से लल्लू के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु भुगतान	70000.00	सामग्री	न्यु तेजमती	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	27.06.18	दरोगा द्वारा व्यय जाकिर हुसेन के घर से लल्लू के घर तक खड़जा निर्माण	10000.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	27.06.18	दरोगा द्वारा व्यय जाकिर हुसेन के घर से लल्लू के घर तक खड़जा निर्माण	26800.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	106800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 106800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 106800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 106800.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 106800.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 53400.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 53400.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -105:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में भग्गू के घर से कमलेश के घर तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.07.18	खान ट्रेडर्स का सीमेंट भाड़ा भुगतान भग्गू के घर से कमलेश के घर तक नाली निर्माण	14820.00	सामग्री	खान ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.07.18	जय अमर नाथ ईट उोग भग्गू के घर से कमलेश के घर तक नाली निर्माण का भुगतान	29600.00	सामग्री	जय अमरनाथ	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	02.07.18	दरोगा को भग्गू के घर से कमलेश के घर तक नाली निर्माण का भुगतान	29600.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	92420.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 92420.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम

से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 92420.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 92420.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 92420.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 46210.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 46210.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -106:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में स्ट्रीट लाइट कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	30.08.18	जय बजरंग बली इण्टरप्राइजेज को स्ट्रीट लाइट का भुगतान	197400.00	सामग्री	जय बजरंग बली इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	197400.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 394200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 197400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 197400.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 197400.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 98700.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 98700.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -107:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में तुलसीदास के घर से लवलेश के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	05.07.18	दरोगा द्वारा व्यय तुलसीदास के घर से लवलेश के घर तक खड़जा मरम्मत हेतु मजदूरी	36600.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	36600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 36600.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 36600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0

36600.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 36600.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 18300.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 18300.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -108:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में श्याम लाल के घर से छोटई मेहतर के घर तक खड़जा निर्माण कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	02.07.18	जय अमरनाथ ईट जोग को भुगतान श्याम लाल के घर से छोटई मेहतर के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	13300.00	सामग्री	जय अमरनाथ	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.07.18	जय अमरनाथ ईट जोग को भुगतान श्याम लाल के घर से छोटई मेहतर के घर तक खड़जा निर्माण कार्य	40500.00	सामग्री	जय अमरनाथ	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	26.07.18	दरोगा द्वारा व्यय श्याम लाल के घर से छोटई मेहतर के घर तक खड़जा निर्माण हेतु मजदूरी	25200.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	79000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 79000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 79000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 79000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 79000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 39500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 39500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -109:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राम चन्द्र पंडित के घर से धोनई के घर तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	12.07.18	दरोगा द्वारा व्यय राम चन्द्र पंडित के घर से धोनई के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	6000.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	6000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 6000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 6000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये

कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 6000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 6000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 3000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 3000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -110:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में हैण्ड पम्प प्लेटफार्म निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	27.07.18	प्रधान द्वारा प्लेटफार्म निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	20300.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	10.06.18	दरोगा द्वारा हैण्डपम्प प्लेटफार्म निर्माण कार्य हेतु मजदूरी मिस्त्री को भुगतान	20300.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	40600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 40600.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 40600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 40600.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 40600.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 20300.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 20300.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -111:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में धोनई के घर से लल्लू तेली के घर तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	30.07.18	फिरोज मिस्त्री को धोनई के घर से लल्लू तेजी के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	15000.00	मजदूरी	फिरोज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	15000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 15000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 15000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 15000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 15000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 7500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 7500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -112:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	31.07.18	रजनी ट्रेडर्स को पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री	96000.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	08.08.18	श्रवण कुमार को पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री	20300.00	सामग्री	श्रवण कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	30.08.18	दरोगा को बालू भुगतान हेतु	10000.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	05.09.18	रजनी ट्रेडर्स को पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री मिट्टी भाड़ा	18680.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	30.08.18	दरोगा द्वारा व्यय पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	30300.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	175280.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 175280.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 175280.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 175280.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 175280.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 87640.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 87640.00 को ब्याजसहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -113:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 में पेटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	16.08.18	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0वि0 में पेटिंग कार्य हेतु मजदूरी	50300.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	50300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 50300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 50300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0

50300.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 50300.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 25150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 25150.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -114:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	20.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य हेतु मजदूरी	15200.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	21.08.18	दरोगा द्वारा व्यय प्रा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य हेतु मजदूरी	32500.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	19.08.09	दरोगा द्वारा व्यय प्रा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य हेतु मजदूरी	20200.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	67900.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 67900.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 67900.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 67900.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 67900.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 33950.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 33950.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -115:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	23.08.18	दरोगा द्वारा प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	20200.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	20200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 20200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 20200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0

20200.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 20200.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 10100.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 10100.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -116:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	01.09.18	अयूब को पू0मा0वि0 प्रांगण में मिट्टी ढुलाई भाड़ा	53000.00	सामग्री	अयूब	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.09.18	उक्त को उपरोक्त कार्य हेतु चेक	36750.00	सामग्री	अयूब	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	89750.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 89750.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 89750.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 89750.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 89750.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 44875.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 44875.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -117:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में काली सड़क से फज्जन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	10.09.18	इहतेसाम हैदर को काली सड़क से फज्जन के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मिट्टी भाड़ा	8664.00	सामग्री	इहतेसाम	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	10.09.18	टिकल उपयुक्त कार्य हेतु बालू	8000.00	सामग्री	टिकल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	12.09.18	शक्ति ब्रिक फील्ड को ईट का भुगतान	108680.00	सामग्री	शक्ति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	14.09.18	जय मां शारदा को ईट का भुगतान	76880.00	सामग्री	जय मां शारदा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	03.10.18	दरोगा को काली सड़क से फज्जन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु बाजू	20370.00	सामग्री	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	05.10.18	शक्ति ब्रिक फील्ड को ईट का भुगतान	153757.00	सामग्री	शक्ति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	10.09.18	दरोगा को उपयुक्त कार्य हेतु मजदूरी	32250.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक

8	15.09.18	दरोगा को उपयुक्त कार्य हेतु मजदूरी	32250.00	मजदूरी	दरोगा	अप्राप्त
9	17.09.18	दरोगा को उपयुक्त कार्य हेतु मजदूरी	32250.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			473101.00			व्यय प्रमाणक अप्राप्त

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 473101.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 473101.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 473101.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 473101.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 236550.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 236550.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -118:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.06.18	गुप्ता मिल स्टोर को करन के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री	48335.00	सामग्री	गुप्ता मिल स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	14.06.18	कमलेश को करन के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	11000.00	मजदूरी	कमलेश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	59335.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 59335.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 59335.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 59335.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 59335.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 29667.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 29667.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -119:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	14.06.18	दरोगा द्वारा व्यय प्रा0वि0 में हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	11500.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	11500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 11500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 11500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 11500.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 11500.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 5750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 5750.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -120:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में बोधी यादव के दरवाजे हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	2.06.18	जय भवानी मील स्टोर को बोधी यादव के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री	26770.00	सामग्री	जय भवानी मील स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	21.06.18	कमलेश मिस्त्री को बोधी यादव के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	11000.00	मजदूरी	कमलेश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	37770.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 37770.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 37770.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 37770.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 37770.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 18885.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 18885.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -121:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में जाकिर हसन के दरवाजे हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	21.06.18	दरोगा द्वारा व्यय जाकिर हसन के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	10500.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	10500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 10500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 10500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 10500.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 10500.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से ₹0 5250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 5250.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -122:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में मुस्ताक के घर से सददाम के घर तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	03.10.18	दरोगा द्वारा व्यय मुस्ताक के घर से सददाम के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	4200.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	4200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 4200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 4200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 4200.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 4200.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से ₹0 2100.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 2100.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -123:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में लल्लू हैण्डपम्प रिबोर कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	19.11.18	कमलेश मिस्त्री को लल्लू हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	11000.00	मजदूरी	कमलेश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	11000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 11000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज

अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं०/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु० 11000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु० 11000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु० 11000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु० 5500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु० 5500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -124:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में पूनी पासी के घर से किशोरी घर तक खड़जा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	19.11.18	इसतेशाम हैदर को पूरी पासी के घर से किशोरी के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई भाड़ा	40000.00	सामग्री	इसतेशाम हैदर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.02.19	न्यु तेजमती ब्रिक फील्ड को खड़जा हेतु ईट भुगतान	30000.00	सामग्री	न्यु तेजमती	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	22.11.18	श्यामलाल मिस्त्री पूरी पासी के घर से किशोरी के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	20300.00	मजदूरी	श्याम लाल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	30.11.18	दरोगा द्वारा व्यय पूनी पासी के घर से किशोरी के घर तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	31200.00	मजदूरी	दरोगा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	121500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु० 121500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई०डी०, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम०बी०, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं०/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु० 121500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु० 121500.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु० 121500.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु० 60750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु० 60750.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -125:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में बाजापुर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	01.02.19	जय मां शीतला ब्रिकफील्ड को बाजापुर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु ईट	132500.00	सामग्री	जय मां शीतला ब्रिकफील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.02.19	उपरोक्त कार्य हेतु मनीश कुमार को बालू भुगतान	30000.00	सामग्री	मनीशकुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	11.02.19	शक्ति ब्रिकफील्ड बाजार को बाजापुर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री	153757.00	शक्ति ब्रिकफील्ड	शक्ति ब्रिकफील्ड	व्यय प्रमाणक

4	31.01.19	प्रधान द्वारा व्यय बाजापुर में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	40000.00	मजदूरी	चन्नी	अप्राप्त व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	356257.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 356257.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 356257.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 356257.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 356257.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 178128.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 178128.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -126:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में कमलेश के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	06.02.19	गुप्ता मिल स्टोर को कमलेश यादव के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री भुगतान	40300.00	सामग्री	गुप्तमिल स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	40300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 40300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 40300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 40300.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 40300.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 20150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 20150.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -127:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में काली सड़क से अहमद हसन के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	08.03.19	गगन ब्रिकफील्ड को ईंट हेतु काली सड़क से अहमद हसन के घर तक खड़जा मरम्मत हेतु	28000.00	सामग्री	गगन ब्रिकफील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	08.02.19	प्रधान द्वारा व्यय मस्टर रोल काली सड़क से अहमद हसन के घर तक खड़जा मरम्मत मजदूरी	9950.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

	योग	37950.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 37950.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 37950.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 37950.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 37950.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 18975.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 18975.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -128:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में कूड़ादान पर व्यय कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	08.02.19	विजन इण्टरप्राइजेज को 15 नगर कूड़ादान हेतु	123000.00	सामग्री	विजन इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	123000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 123000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 123000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 123000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 123000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 61500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 61500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -129:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में जलील के घर से किशोरी के घर तक नाली/खड्जा मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.02.19	प्रधान द्वारा व्यय मस्टर रोल जलील के घर से किशोरी के घर तक नाली खड्जा मरम्मत हेतु मजदूरी	10200.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.02.19	प्रधान द्वारा व्यय किशोरी के घर तक नाली हेतु मजदूरी	22100.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	32300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 32300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु

लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 32300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 32300.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 32300.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 16150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 16150.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -130:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में आंगनबाड़ी में मिट्टी भराई कार्य कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	03.02.19	प्रधान द्वारा नगद भुगतान आंगनबाड़ी केन्द्र में मिट्टी भराई हेतु भाड़ा	13000.00	सामग्री	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.02.19	प्रधान द्वारा नगद भुगतान आंगनबाड़ी केन्द्र में मिट्टी भराई हेतु भाड़ा	50200.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	19.03.19	एल0एम0ओ0, एन0ओ0एन0, एम0आई0सी0आर0, आर0आई0डब्ल्यू0 डी0सी0एल0जी0 आंगनबाड़ी केन्द्र में मिट्टी भराई हेतु भाड़ा	50000.00	सामग्री	एल0एम0ओ0	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	02.03.19	प्रधान द्वारा मास्टर रोल आंगन बाड़ी में मिट्टी भराई हेतु मजदूरी	25200.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	138400.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 138400.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 138400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 138400.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 138400.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 69200.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 69200.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -131:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में रामलखन के दरवाजे के पास खड़्जा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	20.02.19	जय अमरनाथ ब्रिकफील्ड को रामलखन के दरवाजे के पास खड़जा निर्माण कार्य	105000.00	सामग्री	जय अमरनाथ	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	105000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 105000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 105000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 105000.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 105000.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 52500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 52500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -132:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में शरीफ के घर से काली सड़क तक कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	28.02.19	प्रधान द्वारा व्यय मस्टररोल शरीफ के घर से काली सड़क तक मजदूरी का भुगतान	10300.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	10300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 10300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 10300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 10300.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 10300.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रु0 5150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 5150.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -133:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	15.03.18	निशान्त मार्बल/ टाइल्स को प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु	40230.00	सामग्री	निशान्त मार्बल/ टाइल्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	26.03.19	नूर पैराडाइज को प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु चेक	55710.00	सामग्री	नूर पैराडाइज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	06.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0स0 देवखरपुर में टाइल्स निर्माण हेतु	24150.00	मजदूरी	चन्नी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

	योग	120090.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 120090.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 120090.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 120090.00 के लिए प्रधान श्रीमती चन्नी देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 120090.00 की वसूली श्रीमती चन्नी से रू0 60045.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 60045.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -कैनी

विकास खण्ड- सिराथू

प्रस्तर -134:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राम सिंह के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	04.04.18	इण्डिया मशीनरी को राम सिंह के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	15280.00	सामग्री	इण्डिया मशीनरी सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	27.04.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्ट्री को राम सिंह के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11250.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	26530.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 26530.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 26530.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 26530.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 26530.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 26530.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 13265.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 13265.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -135:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राजेश के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	04.04.18	इण्डिया मशीनरी को राजेश के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु	15280.00	सामग्री	इण्डिया मशीनरी सिराथू	व्यय प्रमाणक

		सामग्री				अप्राप्त
2	27.04.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को राम सिंह के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11250.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	26530.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 26530.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 26530.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 26530.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 26530.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 26530.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 13265.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 13265.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -136:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पंचायत भवन में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.04.18	पंकज मशीनरी को पंचायत भवन पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	18800.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	02.05.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को पंचायत भवन पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	29800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 29800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 29800.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 29800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 29800.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 29800.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 14900.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 14900.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -137:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में भीरू के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.04.18	पंकज मशीनरी को भीरू के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	18800.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	02.05.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को पंचायत भवन पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	29800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 29800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 29800.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 29800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 29800.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 29800.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 14900.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 14900.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -138:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूर्व मा0वि0कैनी में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र०	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	31.07.18	पंकज मशीनरी को पुत्ती लाल/पूर्व मा0वि0 पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	18705.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	02.05.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को पंचायत भवन पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	29705.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 29705.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 29705.00 मजदूरी

पर व्यय की गयी धनराशि रु0 29705.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 29800.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 29705.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 14852.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 14852.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -139:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में शिवराज के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	20.06.18	पंकज मशीनरी को शिवराज के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24320.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.05.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को शिवराज के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	35320.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 35320.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 35320.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 35320.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 35320.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 35320.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 17660.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 17660.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -140:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 मलकिया में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	23.08.18	पंकज मशीनरी को आगनबाड़ी कोडर व प्रा0वि0 मलकिया में हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24440.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.05.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को आगनबाड़ी कोडर व प्रा0वि0 मलकिया में हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	35440.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 35440.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत

राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 35440.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 35440.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 35440.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 35440.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 17720.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 17720.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -141:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कोडर में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को प्रा0वि0 कोडर में हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	21850.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.11.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को प्रा0वि0 कोडर में हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	32850.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 32850.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 32850.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 32850.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 32850.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 32850.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 16425.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 16425.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -142:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 तेजवापुर में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को प्रा0वि0 तेजवापुर में हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	21850.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.11.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को प्रा0वि0 तेजवापुर में हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	32850.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 32850.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया

गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 32850.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 32850.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 32850.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 32850.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 16425.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 16425.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -143:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 लोहारपुर में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को प्रा0वि0 लोहारपुर में हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	21850.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	21850.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 21850.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 21850.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 21850.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 21850.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 21850.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 10925.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 10925.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -144:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में माता प्रसाद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को माता प्रसाद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24170.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	24170.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 24170.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया

गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 24170.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 24170.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 24170.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 24170.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 12085.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 12085.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -145:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में नारेन्द्र कुमार के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को नारेन्द्र कुमार के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24120.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	24120.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 24120.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 24120.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 24120.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 24120.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 24120.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 12060.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 12060.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -146:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राजेन्द्र श्रीवास्तव के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.06.18	पंकज मशीनरी को राजेन्द्र श्रीवास्तव के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24120.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	24120.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 24120.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0,

स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 24120.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 24120.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 24120.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 24120.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 12060.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 12060.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -147:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पट्टी पासी के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.05.18	पंकज मशीनरी को पट्टी पासी के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24170.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.06.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को पट्टी पासी के हैण्ड पम्प में रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	35170.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 35170.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 35170.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 35170.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 35170.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 35170.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 17585.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 17585.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -148:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में बच्चीलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	20.06.18	पंकज मशीनरी को बच्चीलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24320.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.06.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को बच्ची लाल के हैण्ड पम्प में रिबोर की	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

	मजदूरी				
	योग	35320.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 35320.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 35170.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 35320.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 35320.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 35320.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 17660.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 17660.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -149:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पुत्ती लाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	31.07.18	पंकज मशीनरी को पुत्ती लाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	18705.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	27.07.18	अभिषेक कुमार रिबोर मिस्त्री को पुत्ती लाल के हैण्ड पम्प में रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	29705.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 29705.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 29705.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 29705.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 29705.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 29705.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 14852.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 14852.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -150:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में बुधराम के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	11.02.19	पंकज मशीनरी को बुधराम के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	22000.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	22000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 22000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 22000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 22000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 22000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 22000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 11000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 11000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -151:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में आगनबाड़ी कोडर पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	23.08.18	पंकज मशीनरी को आगनबाड़ी कोडर पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	24440.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	28.08.18	अभिशोक कुमार रिबोर मिस्त्री को आगनबाड़ी कोडर के हैण्ड पम्प में रिबोर की मजदूरी	11000.00	मजदूरी	अभिशोक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	35440.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 35440.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 35440.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 35440.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 35440.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 35440.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 17720.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 17720.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -152—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राम बली के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.02.19	प्रधान द्वारा राम बली के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री को नगद भुगतान	11000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	11000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 11000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 11000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 11000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 11000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 11000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 5500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 5500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -153—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.02.19	पंकज मशीनरी को हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	139555.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.02.19	पंकज मशीनरी को हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	92160.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	231715.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 231715.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 231715.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 231715.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0231715.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 231715.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 115857.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 115857.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -154:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूर्वमा0वि0 कैनी/विन्देशरी हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	07.03.19	अभिषेक कुमार मिस्त्री को पू0मा0वि0 कैनी/ विन्देशरी के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी	22000.00	मजदूरी	अभिषेक कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.03.19	पंकज मशीनरी को हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री	35525.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	57525.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 57525.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 57525.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 57525.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 57525.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 57525.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 28762.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 28762.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -155:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में केशनलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	27.03.18	दिनेश कुमार को केशनलाल के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु मजदूरी	11000.00	मजदूरी	दिनेश कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	11000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 11000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 11000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 11000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 11000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी

संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 11000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 5500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 5500.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -156:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूर्व मा0वि0कैनी में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	13.06.18	रूपचन्द्र को पू0मा0 वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु बालू	12000.00	सामग्री	रूपचन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.06.18	सुनील कुमार को उपरोक्त कार्य हेतु 58 बोरी सीमेंट	18650.00	सामग्री	सुनील कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	13.06.18	शक्ति ब्रिक फील्ड को ईट का भुगतान पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु	144000.00	सामग्री	शक्ति ब्रिक फील्ड गुलामी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	02.07.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	32500.00	मजदूरी	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	25.07.18	प्रधान द्वारा पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	37000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	18.08.18	रूपचन्द्र को पू0मा0 वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु बालू	13900.00	सामग्री	रूपचन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	257960.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 257960.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 257960.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 257960.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0257960.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 257960.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 128980.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 128980.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -157:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूर्व मा0वि0कैनी में पेण्टिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	06.08.18	लक्ष्मी ट्रेडर्स को पू0मा0कैनी में पेण्टिंग कार्य हेतु सामग्री	50280.00	सामग्री	लक्ष्मी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	23.08.18	लक्ष्मी ट्रेडर्स को पू0मा0कैनी में पेण्टिंग कार्य हेतु सामग्री	60670.00	सामग्री	लक्ष्मी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

3	28.08.18	श्याम मार्बल को पूमा0वि0 कैनी को पेटिंग सामग्री	59030.00	सामग्री	श्याम मार्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	30.06.18	राजेश सिंह को पूमा0वि0 पेटिंग कार्य हेतु मजदूरी	20000.00	मजदूरी	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	06.08.18	प्रधान द्वारा पूमा0वि0 पेटिंग कार्य हेतु मजदूरी	10000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	28.08.18	प्रधान द्वारा पूमा0वि0 कैनी में पेंट लिखाई हेतु मजदूरी	26200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	12.11.18	प्रधान द्वारा व्यय पूमा0वि0 में पेंट मजदूरी	48200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	274380.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 274380.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 274380.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 274380.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0274380.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 274380.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 137190.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 137190.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -158:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0कैनी में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	08.05.18	राजेश कुमार को प्रा0वि0 कैनी में बाउण्ड्रीवाल हेतु बालू	32400.00	सामग्री	राजेश कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	32400.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 32400.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 32400.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 32400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु032400.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 32400.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 16200.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 16200.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -159:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0कैनी में मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.05.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 कैनी में मिट्टी भराई हेतु ढुलाई भाड़ा	35200.00	सामग्री	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.06.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 कैनी में मिट्टी भराई हेतु ढुलाई भाड़ा	49000.00	सामग्री	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	08.06.18	माता प्रसाद को उक्त कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई भाड़ा	65000.00	सामग्री	माता प्रसाद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	08.06.18	माता प्रसाद को उक्त कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई भाड़ा	62000.00	सामग्री	माता प्रसाद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	11.06.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 कैनी में मिट्टी भराई हेतु ढुलाई भाड़ा	55000.00	सामग्री	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	11.06.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 कैनी में मिट्टी भराई हेतु ढुलाई भाड़ा	65000.00	सामग्री	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	03.08.18	राजेश सिंह को पू0मा0वि0 कैनी में मिट्टी भराई हेतु ढुलाई भाड़ा	32500.00	सामग्री	राजेश सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	03.08.18	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0 वि0 में मिट्टी भराई कार्य हेतु मजदूरी	52500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	416200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 416200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 416200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 416200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0416200.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 416200.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 208100.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 208100.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -160:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूमा0वि0कैनी में रनिंग वाटर सप्लाई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	18.05.18	पंकज मशीनरी स्टोर को पूमा0वि0 कैनी में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु सामग्री	36460.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	36460.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 36460.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 36460.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 36460.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू036460.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 36460.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 18230.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 18230.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -161:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रशासनिक व्यय मद हेतु कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.05.18	लक्ष्मी नारायण को निविदा हेतु	2970.00	एडवर टीजमेंट	लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.07.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छ भारत मिशन के तहत वैनर	900.00	सामग्री	अर्ष इण्टर प्राइजेज राजरू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	15.09.18	स्टेशनरी क्रय	3000.00	सामग्री	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	18.12.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छ भारत मिशन के तहत वैनर	4950.00	सामग्री	अर्ष इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	30.07.18	प्रधान द्वारा व्यय मस्टर रोल गांव की सफाई हेतु	16800.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	28.02.19	विपिन केशरवानी सिराथू को प्लान प्लस फीडिंग हेतु भुगतान	6200.00	मजदूरी	विपिन सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	07.03.19	ओडब्ल्यूसीएलजी पर व्यय	13600.00	-	ओडब्ल्यू सीएलजी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	07.03.19	राज कुमार को विज्ञापन हेतु	2610.00	-	राजकुमार मंजा सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
9	28.03.19	पक्की सड़क से प्रा0वि0 कोडर इंजन से पानी निकलवाई	22300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :	73410.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 73410.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 73410.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 73410.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू073410.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 73410.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 36705.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 36705.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -162:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0कैनी में एम0डी0एम0 शेड निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	21.05.18	माता प्रसाद को पू0मा0वि0 कैनी में एमडीएम शेड निर्माण हेतु बालू	54000.00	सामग्री	माता प्रसाद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :	54000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 54000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 54000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 54000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू054000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 54000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 27000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 27000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -163:—आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में हैण्ड पम्पों में मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	18.08.18	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान	54785.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.02.19	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान	37350.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.07.18	प्रधान द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अभिशोक कुमार को मजदूरी का नगद भुगतान	32200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	18.08.18	अभिशोक कुमार मिस्त्री को हैण्ड पम्प	20400.00	मजदूरी	अभिशोक कुमार	व्यय प्रमाणक

		मरम्मत हेतु मजदूरी				अप्राप्त
5	11.10.18	प्रधान द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु अभिशोक कुमार को मजदूरी का नगद भुगतान	7000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	151735.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 151735.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 151735.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 151735.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0151735.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 151735.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 75867.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 75867.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -164:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 तेजुआ में मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	26.07.18	प्रधान द्वारा मस्टर रोल प्रा0वि0 तेजुआपुर में मिट्टी भराई हेतु मजदूरी	52200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	52200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 52200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 52200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 52200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु052200.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 52200.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 26100.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 26100.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -165:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में राम बहोरे के घर से तालाब तक खडंजा मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	30.07.18	जय माँ शारदा ब्रिक फील्ड को ईंट का भुगतान	73500.00	सामग्री	जय माँ शारदा ब्रिक फील्ड मंझा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	73500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹ 73500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹ 73500.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 73500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹ 73500.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹ 73500.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹ 36750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹ 36750.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -166:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 भगौतीपुर में मिट्टी भराई का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	03.08.18	शिवबोध को प्रा0वि0 भगौतीपुर में मिट्टी भराई हेतु मिट्टी ढुलाई भाड़ा	50500.00	सामग्री	शिव बोध	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	05.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 भगौतीपुर में मिट्टी भराई हेतु	30000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			80500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹ 80500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹ 80500.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 80500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹ 80500.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹ 80500.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹ 40250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹ 40250.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -167:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कैनी में फर्ष मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण	धनराशि	सामग्री/	बैंक स्टेटमेंट के	

		सहित		मजदूरी	अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	06.08.18	सुनील कुमार को प्रा0वि0 कैनी में फर्ष मरम्मत हेतु सीमेंट बालू गिट्टी आदि पर व्यय	10140.00	सामग्री	सुनील कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कैनी में फर्ष मरम्मत हेतु मजदूरी	30000.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			16065.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 16065.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 16065.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 16065.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु016065.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 16065.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 8032.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 8032.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -168:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कैनी में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	08.08.18	जय मों शारदा ब्रिक फील्ड को ईंट का भुगतान पू0मा0वि0 कैनी में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु	14616.00	सामग्री	जय मों शारदा ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
			14616.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 14616.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 14616.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 14616.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु014616.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 14616.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 7308.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 7308.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -169:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कोडर में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	09.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में रंगाई पुताई हेतु	45300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	10.08.18	प्रधान द्वारा व्यय उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी	32200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	13.08.18	प्रधान द्वारा व्यय उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी	30200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	107700.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 107700.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 107700.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 107700.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0107700.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 107700.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 53850.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 53850.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -170:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0प्रा0वि0 कैनी में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.08.18	लक्ष्मी ट्रेडर्स को पू0मा0वि0 कैनी में रंगाई पुताई सामग्री पर व्यय	23020.00	सामग्री	लक्ष्मी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	23020.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 23020.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 23020.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 23020.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू023020.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 23020.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 11510.00 एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 11510.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -171:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कोडर में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	16.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में पेंट कार्य हेतु	32500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कैनी में पुताई हेतु कार्य हेतु मजदूरी	20600.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	53100.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 53100.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 53100.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 53100.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु053100.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 53100.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 26550.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 26550.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -172:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कैनी में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	13.11.18	श्याम मार्बल को प्रा0वि0 कैनी में पेंट सामग्री	107900.00	सामग्री	श्याम मार्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कैनी में पेंटिंग कार्य हेतु मजदूरी	52500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	160400.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 160400.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 160400.00 मजदूरी

पर व्यय की गयी धनराशि रु0 160400.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0160400.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 160400.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 80200.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 80200.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -173:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 तेजवापुर में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	20.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 तेजवापुर में पेंट कार्य हेतु	37740.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	27.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कैनी में पुताई हेतु कार्य हेतु मजदूरी	30500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	68240.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 68240.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 68240.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 68240.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु068240.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 68240.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 34120.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 34120.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -174:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 कैनी में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	21.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कैनी में रंगाई पुताई कार्य हेतु	26500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	26500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 26500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है

कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 26500.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 26500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹026500.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 26500.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 13250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 13250.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -175:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 तेजवापुर रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	24.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 तेजवापुर में रंगाई पुताई कार्य हेतु	38100.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 तेजवापुर में पुताई हेतु कार्य हेतु मजदूरी	54950.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	93050.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 93050.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 93050.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 93050.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹093050.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 93050.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 46525.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 46525.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -176:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 मलकिया में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	27.08.18	श्याम मार्बल को प्रा0वि0 मलकिया में पेंट सामग्री	96253.00	सामग्री	श्याम मार्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	96253.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 96253.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की

सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 96253.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 96253.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु096253.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 96253.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 48126.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 48126.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -177:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 कैनी में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	07.2.19	प्रधान द्वारा निकासी पू0मा0वि0 में शौचालय निर्माण हेतु धनराशि	37870.00	सामग्री	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	11.02.19	जय मां शारदा ब्रिक फील्ड को पू0मा0वि0 कैनी में शौचालय निर्माण हेतु ईट का भुगतान	36000.00	सामग्री	जय मां शारदा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	11.02.19	दिव्यांशी ट्रेडर्स में पू0मा0 वि0 कैनी में सामग्री	14200.00	सामग्री	दिव्यांशी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	18.02.19	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0 वि0 कैनी शौचालय निर्माण हेतु मजदूरी	44025.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	132095.0			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 132095.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 132095.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 132095.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0132095.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 132095.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 66047.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 66047.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -178:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 तेजवापुर में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	07.2.19	प्रधान द्वारा निकासी प्रा0वि0 तेजवापुर में शौचालय निर्माण हेतु धनराशि	37870.00	सामग्री	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	11.02.19	जय मां शारदा ब्रिक फील्ड को	36000.00	सामग्री	जय मां शारदा	व्यय

		प्रा0वि0 तेजवापुर में शौचालय निर्माण हेतु ईट का भुगतान				प्रमाणक अप्राप्त
3	20.02.19	शक्ति ब्रिक फील्ड को तेजवापुर में शौचालय निर्माण हेतु	45800.00	सामग्री	शक्ति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	119670.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 119670.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 119670.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 119670.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0119670.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 119670.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 59835.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 59835.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -179:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में कूड़ादान कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	08.02.19	विजन इण्टरप्राइजेज को 20 नग कूड़ेदान का भुगतान	164000.00	सामग्री	विजन इण्टरप्राइजेज आई0डी0बी0 आई0 बैंक	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	164000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 164000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 164000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 164000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0164000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 164000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 82000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 82000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -180:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 तेजवापुर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	

1	12.02.19	पवन ट्रेडर्स को पूमा0वि0 तेजवापुर में सामग्री	50650.00	सामग्री	पवन ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.02.19	रूप चन्द्र को उपयुक्त कार्य हेतु बालू	28000.00	सामग्री	रूप चन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	78650.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 78650.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 78650.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 78650.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू078650.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 78650.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 39325.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 39325.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -181:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पूमा0वि0 कैनी में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	12.02.19	निशान्त मार्बल एवं टाइल्स को पूमा0 वि0 कैनी में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु सामग्री	30000.00	सामग्री	निशान्त मार्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.02.19	प्रधान द्वारा व्यय उपयुक्त कार्य हेतु मजदूरी	42300.00	सामग्री	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	72300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 72300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 72300.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 72300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू072300.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 72300.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रू0 36150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रू0 36150.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -182:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में शौचालय में रनिंग वाटर सप्लाई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	21.02.19	पंकज मशीनरी स्टोर को शौचालय रनिंग वाटर हेतु सामग्री	47330.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	22.02.19	पंकज मशीनरी स्टोर को शौचालय रनिंग वाटर हेतु सामग्री	24200.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	21.02.19	प्रधान द्वारा व्यय रनिंग वाटर सप्लाई हेतु मजदूरी	16200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	07.03.19	प्रधान द्वारा व्यय रनिंग वाटर सप्लाई हेतु मजदूरी	2300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	90030.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 90030.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 90030.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 90030.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹090030.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 90030.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से ₹0 45015.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी ₹0 45015.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -183:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में खड़जा मरम्मत पक्की सड़क से भानचन्द्र के घर तक कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	06.03.19	जय मां शारदा ब्रिक फील्ड को पक्की सड़क से भानचन्द्र के घर तक खड़जा मरम्मत पर सामग्री	69400.00	सामग्री	जय मां शारदा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	28.02.19	प्रधान द्वारा व्यय खड़जा मरम्मत हेतु मजदूरी	41300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	110700.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 110700.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 110700.00 मजदूरी

पर व्यय की गयी धनराशि रु0 110700.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0110700.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 110700.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 55350.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 55350.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -184:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 तेजवापुर में रनिंग वाटर सप्लाई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	26.03.19	रूप चन्द्र को पू0मा0 वि0 तेजवापुर में बालू का भुगतान	18000.00	सामग्री	रूप चन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	27.03.19	पवन ट्रेडर्स को पू0मा0 वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु सामग्री	9560.00	सामग्री	पवन ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	27.03.19	पवन ट्रेडर्स को सामग्री का भुगतान	16500.00	सामग्री	पवन ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	08.03.19	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0 वि0 में रनिंग वाटर सप्लाई हेतु मजदूरी	20200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	64260.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 64260.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 26260.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 64260.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु064260.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 64260.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 32130.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 32130.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -185:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0कोडर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	11.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में मजदूरी	11150.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	11.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में मजदूरी	7500.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में मजदूरी	30200.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

4	18.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 कोडर में मजदूरी	60350.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	109200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 109200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 109200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 109200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0109200.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 109200.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 54600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 54600.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -186:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में काली रोड से प्रा0वि0कोडर तक खड़जा निर्माण दीवाल पक्की बाउण्ड्रीवाल कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	18.03.19	ललित ब्रिक फील्ड को ईट का भुगतान काली रोड से प्रा0वि0 तक दीवाल बाउण्ड्रीवाल हेतु भुगतान	5100.00	सामग्री	ललित ब्रिक फील्ड सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.03.19	प्रधान द्वारा व्यय काली रोड से प्रा0वि0 तक दीवाल बाउण्ड्रीवाल हेतु मजदूरीभुगतान	62300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	28.03.19	प्रधान द्वारा व्यय काली रोड से प्रा0वि0 तक दीवाल बाउण्ड्रीवाल हेतु मजदूरी भुगतान	21400.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	134700.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 134700.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 134700.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 134700.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0134700.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 134700.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 67350.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 67350.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -187:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 मलकिया में रंगाई पुताई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	21.08.18	लक्ष्मी ट्रेडर्स को प्रा0वि0 मलकिया में रंगाई पुताई हेतु पुट्टी आदि पर व्यय	68070.00	सामग्री	लक्ष्मी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	14.08.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 मलकिया में रंगाई पुताई हेतु	36300.00	मजदूरी	विजय श्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	104370.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 104370.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 104370.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 104370.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0104370.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 104370.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 52185.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 52185.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -188:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पंचतारा तालाब खुदाई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	07.03.19	धीरू सिंह को पंचतारा तालाब की खुदाई हेतु मजदूरी	40000.00	मजदूरी	धीरू सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	40000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 40000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 40000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 40000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि

रु040000.00 के लिए प्रधान श्रीमती विजय श्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 40000.00 की वसूली श्रीमती विजय श्री देवी से रु0 20000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 20000.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —सोहिया आमद करारी

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —189:—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0/पू0मा0वि0 में मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	27.02.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में मिट्टी भराई हेतु भुगतान	79800.00	सामग्री	कुसुम देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	12.03.19	संजय कुशवाहा को प्रा0वि0/पू0मा0वि0 में मिट्टी भराई हेतु भुगतान	50000.00	सामग्री	संजय कुशवाहा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	12.03.19	संजय कुशवाहा को प्रा0वि0/पू0मा0वि0 में मिट्टी भराई हेतु भुगतान	60000.00	सामग्री	संजय कुशवाहा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	06.02.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 मिट्टी भराई हेतु मजदूरी भुगतान	12000.00	मजदूरी	कुसुम देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	201800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 201800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019—20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 201800.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 201800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 201800.00 के लिए प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 201800.00 की वसूली श्रीमती कुसुम देवी से रु0 100900.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी रु0 100900.00 से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —190:—आलोच्य वर्ष 2018—19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	14.02.19	ओम शिव शक्ति प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग निर्माण हेतु सामग्री	25971.00	सामग्री	ओम शिव शक्ति	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	25971.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 25971.00 कैश बुक में व्यय अंकित

किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 25971.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 25971.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 25971.00 के लिए प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 25971.00 की वसूली श्रीमती कुसुमा देवी से रू0 12985.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 12985.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -191:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	29.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु तार भुगतान	30500.00	सामग्री	कुसुमा देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु तार भुगतान	30500.00	सामग्री	राजेन्द्र प्रसाद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	14.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	36500.00	मजदूरी	टू कैश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	97500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 97500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 97500.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 97500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 97500.00 के लिए प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 97500.00 की वसूली श्रीमती कुसुमा देवी से रू0 48750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 48750.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -192:-आलोच्य वर्ष 2018-19 राज्यवित्त/चौदहवा वित्त में पू0मा0वि0 में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	दिनांक	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण				अभ्युक्ति
		किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता	
1	05.03.19	पू0मा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु सामग्री भुगतान	41320.00	सामग्री	श्याम अग्रहरी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.03.19	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान	27300.00	मजदूरी	कुसुम देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग:-	68620.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 68620.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 68620.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 68620.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 68620.00 के लिए प्रधान श्रीमती कुसुमा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 68620.00 की वसूली श्रीमती कुसुम देवी से रू0 34310.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 34310.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -कन्थुवा

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -193:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.06.2018 को वाउचर संख्या 20 व दिनांक 26.11.18 को वाउचर संख्या 46 द्वारा स्वच्छता प्रसार प्रचार लेखन कार्य पर रू0 21000.00 व रू0 17500.00 का व्यय दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया, जिसके लिए प्रधान श्री मो0शाहिद एवं आफताब आलम ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। अतः श्री मो0शाहिद ग्राम प्रधान एवं आफताब आलम ग्राम विकास अधिकारी से समान रूपया 38500.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -194:- आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 20.11.18 को व्यय प्रमाणक संख्या 43 द्वारा मे0 सिंह इण्टर प्राइजेज को 12 नग डस्टबिन क्रय करने के लिए रू0 98400.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त क्रय की पुष्टि में क्रय से पूर्व लिए गए कोटेशन, प्रयुक्त किए गए स्थलों की सूची, प्रस्ताव एवं सत्यापन सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि अनियमित रही जिसके लिए प्रधान मो0शाहिद व आफताब आलम ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -तालमल्लाहन

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -195:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.18 को व्यय प्रमाणक का व्यय रू0 10,000.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्रीमती हसीना बेगम प्रधान व आफताब आलम ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से 10,000.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -196:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 12.02.19 को व्यय प्रमाणक 99 द्वारा कृशि पेस्टीसाइड को डस्टविन क्रय के लिए रु0 1,20,000.00 का भुगतान किया गया है किन्तु उक्त की पुष्टि में क्रय से पूर्व लिए गए कोटेशन, प्रयुक्त किए गए स्थलों की सूची, प्रस्ताव एवं सत्यापनसूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि अनियमित रही, जिसके लिए प्रधान श्रीमती हसीना बेगम व आफताब आलम ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गंभीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -नसीरपुर फदीरगंज

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -197:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.09.18 को व्यय प्रमाणक 29 द्वारा प्रशासनिक व्यय रु0 5000.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस प्रकार व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री जगदीश प्रसाद प्रधान व श्री आशीश ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 5000.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -198:- आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 08.03.19 को व्यय प्रमाणक 56 द्वारा उमेश कुमार को सफाई कार्य हेतु रु0 27750.00 का भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री जगदीश प्रसाद व श्री आशीश ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से रु0 27750.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -पथरांवां

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -199:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय एवं मरम्मत मजदूरी पर कुल रु0 205530.00 का उपभोग किया जाना दर्षित है, किन्तु उपभोग की पुष्टि में ग्राम वासियों का आवेदन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टाक रजिस्टर, हैण्ड पम्प मरम्मत कराये गए स्थलों की सूची तथा निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर/विवरण व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्रीमती विमला देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री राम सखा ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं, उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -कानेमई

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -200:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.10.18 को व्यय प्रमाणक 46 द्वारा प्रशासनिक व्यय रु0 10500.00 भुगतान दर्षित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्रीमती अनिता देवी प्रधान व श्री राहुल सिंह ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रु0 10500.00 की बराबर बराबर ब्याजसहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -201:- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मरम्मत मजदूरी पर कुल रु0 139820.00 का उपभोग किया जाना दर्षित है, किन्तु उपभोग की पुष्टि में ग्राम वासियों का आवेदन पत्र, मरम्मत सामग्री का स्टाक रजिस्टर, हैण्ड पम्प मरम्मत कराये गए स्थलों की सूची तथा निस्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर/विवरण व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गंभीर अनियमितता की गयी है जिसके लिए श्रीमती अनिता देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री राहुल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी समान रूप से उत्तरदायी हैं, उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -बूँदा

विकास खण्ड- कड़ा

प्रस्तर -202:- ग्राम पं0 बूँदा द्वारा वर्ष 2018-19 में विलय मरम्मत में सामग्री रु0 81600.00 की चेक संख्या 109 दिनांक 03.04.18 की जय गुरुदेव ब्रिकफील्ड को भुगतान रही किन्तु मजदूरी

में व्यय खारिज न होने से स्पष्ट है कि केवल ईट क्रय से ही विालय मरम्मत कैसे संभव रहा। ईट क्रय रु0 81600.00 का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रु0 81600.00 की सामग्री खरीद सन्देहास्पद है। अतः बिना व्यय प्रमाणक एवं बिना मजदूरी के कार्य कराया जाना संभव नहीं है। अतः रु0 81600.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। वसूली तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -203:- प्रा0विालय में इण्टरलाकिंग कार्य निम्न विवरण के अनुसार केवल सामग्री खरीद में व्यय दर्शाया गया है, मजदूरी में भुगतान दर्शित नहीं है। अतः बिना मजदूरी के कार्य कराया जाना सन्देहास्पद है।:-

सामग्री खरीद निम्न विवरण के अनुसार दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता
1	15.04.18	107	132000.00	दू ट्रान्सफर प्रीतम सिंह एण्ड सन्स
2	03.07.18	116	42750.00	केशरवानी ट्रेडर्स
3	4.7.18	117	15600.00	प्रीतम सिंह एण्ड सन्स
	योग		190350.00	

उक्त सामग्री खरीद के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः रु0 190350.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -204:-दूधनाथ के घर से राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में निम्न विवरणानुसार केवल सामग्री में व्यय दर्शित है, मजदूरी में व्यय दर्शित नहीं है। अतः बिना मजदूरी कार्य कराया जाना कैसे संभव रहा? बिना मजदूरी कार्य कराया जाना सन्देहास्पद है। सामग्री खरीद का विवरण निम्न प्रकार से रहा:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्तकर्ता
1	16.11.18	178	27170.00	जय गुरुदेव इण्टरलाकिंग
2	15.11.18	176	6920.00	दू ट्रान्सफर
3	16.11.18	177	6048.00	जय गुरुदेव ब्रिकफील्ड
4	16.11.18	175	44604.00	जय गुरुदेव इण्टरलाकिंग
	योग		84742.00	

उक्त धनराशि रु0 84742.00 के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः रु0 84742.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री चेतन कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कंचन सिंह से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत -खपरा खन्देवरा

विकास खण्ड-नेवादा

प्रस्तर -205:-ग्राम पंचायत खपराखनदेवरा में वर्ष 17-18 की लेखा परीक्षित कोशबही उपलब्ध रही जिसमें वर्ष 17-18 में कुँआ से बृजेश नारायण के घर तक नाली निर्माण में व्यय धनराशि निम्न विवरण के अनुसार दर्शायी गयी है:-

1	21.04.17	32944.00	सामग्री
2	09.05.17	13000.00	मजदूरी
3	19.06.17	7000.00	सामग्री
4	16.08.17	68210.00	सामग्री

योग :- 121154.00

पुनः वर्ष 2018-19 में कोश बही में भी कुँआ से बृजेश नारायण के घर तक नाली निर्माण में धनराशि निम्न विवरण के अनुसार व्यय की गई दर्शाया गया है:-

1	04.09.18	16525.00	मजदूरी
2	05.09.18	13475.00	मजदूरी
3	11.09.18	9996.00	मजदूरी
4	13.09.18	54663.00	सामग्री
5	14.09.18	28040.00	सामग्री

योग :- 122699.00

अतः स्पष्ट है कि कराये गए कार्य की पुनरावृत्ति दर्शाकर धनराशि रू0 1,22,699.00 का अपहरण किया गया है। इसके लिए तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र नाथ के साथ ग्राम प्रधान श्री संतोश कुमार मिश्रा जिम्मेदार हैं। अतः रू0 1,22,699.00 की वसूली सचिव श्री नरेन्द्र नाथ एवं प्रधान श्री संतोश कुमार मिश्रा से बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —तिलगोड़ी

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड—नेवादा

प्रस्तर —206:—ग्राम पं० तिलगोड़ी की वर्ष 18-19 की कोश बही के अनुसार दिनांक 29.6.18 को चेक संख्या 200 से आहरित धनराशि 23220.00 व्यय पक्ष से खारिज है केवल कोशबही में व्यय विवरण अंकित नहीं है कि धनराशि रू0 23220.00 किस मद में भुगतान रही। स्टेटमेंट के अनुसार धनराशि रू0 23220.00 दिनांक 29.8.18 टू ट्रां० नेवादा अंकित है। विवरण अंकित न होने से इस बात का संज्ञान नहीं हो सका कि उक्त धनराशि किस मद हेतु ट्रान्सफर रही। धनराशि रू0 23220.0 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रू0 23220.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती से बराबर ब्याजसहित संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —207:—दिनांक 06.11.18 को चेक सं० 228 से धनराशि रू0 32621.00 गोलू ट्रेडर्स के नाम ट्रान्सफर रही जिसे कोशबही के आयपक्ष में आहरण दर्ज कर व्यय पक्ष से न तो खारिज किया गया है और न ही विवरण(व्यय का) अंकित किया गया है कि उक्त धनराशि रू0 32621.00 क्यों गोलू ट्रेडर्स को ट्रान्सफर रही। रू0 32621.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः रू0 32621.00 की वसूली सचिव श्री चेतन कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती इन्द्रावती से बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —बरेठी आमदपुर

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड—नेवादा

प्रस्तर —208:— ग्राम पं० बरेठी आलमपुर इण्टरलाकिंग ईट में चेक सं० 49 दिनांक 19.5.18 को धनराशि रू0 151200.00 का भुगतान ओम कान्सट्रक्शन को किया गया है एवं मजदूरी चेक सं० 53 दिनांक 29.5.18 को धनराशि रू0 40075.00 श्री बशीर आलम द्वारा आहरित रही है किन्तु कोशबही में इण्टरलाकिंग का नाम कि कहां से कहां तक बनवाई गई है का विवरण अंकित नहीं रहा। अतः इण्टरलाकिंग कार्य संदेहास्पद है। सामग्री खरीद रू0 151200.00 का व्यय प्रमाण एवं मजदूरी 40075.00 का मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः 151200.00+40075.00 कुल रू0 191275.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं प्रधान श्री बशीर आलम से बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —209:— निम्न विवरण के अनुसार कोशबही से व्यय खारिज है किन्तु कोशबही में विवरण अंकित नहीं पाया गया कि धनराशियाँ किस मद में भुगतान रही। भुगतान की गई धनराशियों के व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराये गए। अतः धनराशि रू0 18900.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं प्रधान श्री बशीर आलम से बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरणहीन व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता
1	135	03.04.18	4900.00	बशीर आलम
2	134	03.04.18	14000.00	बशीर आलम
		योग :-	18900.00	

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —चन्दूपुरअमरायन

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड—नेवादा

प्रस्तर —210:—ग्राम पं० चन्दूपुर अमरायन द्वारा वर्ष 18-19 में निम्न विवरण के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर में मजदूरी का भुगतान सामग्री क्रय वाली फर्म को कर अनियमितता की गई है। ग्राम पं० द्वारा मजदूरी का भुगतान फर्म को किए जाने से स्पष्ट है कि कार्य ठेके पर कराया गया है जबकि ग्राम पं० का उद्देश्य गांव की सीमा में निवास कर रहे मजदूरों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराना है उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है:—

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्त कर्ता	जिम्मेदार व्यक्ति	अभ्युक्ति
1	217	26.07.18	96640.00	मे० होरीलाल केशरवानी	श्री सुनील कुमार यादव सचिव एवं प्रधान श्री कमलेश	मजदूरी एवं सामग्री संयुक्त रूप से

2	215	03.07.18	37890.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
3	275	21.02.18	26009.00	उपरोक्त	सचिव जयसिंह प्रधान कमलेश	उपरोक्त
4	277	21.02.18	26009.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
5	279	21.02.18	26009.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
6	281	21.02.18	25312.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
7	271	21.02.18	24615.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
	273	21.02.18	25312.00	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
		Total	287796.00			

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत—रामपुर

विकास खण्ड—नेवादा

प्रस्तर -211:- दिनांक 16.08.18 को चेक संख्या 155 से धनराशि रु0 36135.00 ग्राम पं0 रामपुर के स्टेटमेंट के अनुसार श्री कृष्ण कुमार द्वारा आहरित रही है जिसके सापेक्ष कोश बही में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है और न ही व्यय पक्ष से व्यय खारित किया गया है। धनराशि रु0 36135.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः रु0 36135.00 का अपहरण हुआ जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जनकसुता से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -212:-दिनांक 30.07.18 को चेक सं0 149 से धनराशि रु0 38740.00 ग्राम पं0 रामपुर के स्टेटमेंट के अनुसार राम ईट उोग को स्थानान्तरित रही है। कोशबही के व्यय पक्ष से रु0 38740.00 खारिज है किन्तु कोशबही में विवरण अंकित नहीं है कि किस कार्य हेतु क्या क्रय किया गया है। धनराशि रु0 38740.00 का व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। अतः रु0 38740.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जनकसुता से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -213:-दिनांक 06.11.18 को चेक सं0 164 धनराशि रु0 30,000.00 ग्राम पं0 रामपुर के स्टेटमेंट के अनुसार श्री कमल सिंह द्वारा आहरित रही है जिसके सापेक्ष कोशबही में केवल व्यय खारिज है किन्तु कोश बही में व्यय विवरण अंकित नहीं है कि धनराशि रु0 30,000.00 किस कार्य हेतु व क्यों भुगतान की गयी। लेखा परीक्षा में रु0 30,000.00 का व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः अपहरण हुआ जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती आरती वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जनकसुता से बराबर बराबर ब्याजसहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -214:-ग्राम पं0 रामपुर द्वारा निम्न विवरण के अनुसार धनराशियां व्यय की गई है किन्तु उनके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु 8(क) के प्राविधानानुसार व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने की दशा में सम्पूर्ण धनराशि को गबन माना जायेगा एवं उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर ब्याजसहित की जायेगी।

बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई धनराशि रु0 485088.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुलीन यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती जनक सुता देवी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र0सं0	चेक सं	दिनांक	धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता
1	114	19.03.19	26223.00	सत्यम ट्रेडर्स
2	112	25.03.19	6300.00	कमल ट्रेडर्स
3	111	19.03.19	27045.00	सत्यम ट्रेडर्स
4	113	19.03.19	23471.00	सत्यम ट्रेडर्स
5	106	25.03.19	1486.00	कुशवाहा हार्डवेयर
6	174	05.03.19	18550.00	जनकसुता देवी
7	175	05.03.19	35875.00	कमल सिंह
8	172	05.03.19	108420.00	अम्बिका टाइल्स
9	173	05.03.19	83956.00	अम्बिका टाइल्स
10	179	18.03.19	19516.00	सत्यम ट्रेडर्स
11	178	18.03.19	22319.00	सत्यम ट्रेडर्स
12	177	18.03.19	62440.00	सत्यम ट्रेडर्स
13	107	19.03.19	20475.00	जनकसुता देवी

14	180	26.03.19	29012.00	बाजपेयी ट्रेडर्स
			485088.00	

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —घनश्यामनगर उर्फ हसनपुर

विकास खण्ड—नेवादा

प्रस्तर -215:—ग्राम पंचायत हसनपुर उर्फ घनश्यामनगर के वर्ष 18-19 के आडिट में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पं. द्वारा पूर्व मा0वि0+प्रा0वि0 में बाउड्रीवाल निर्माण में निम्न विवरण के अनुसार केवल सामग्री क्रय दर्शित है, मजदूरी भुगतान नहीं। अतः बिना मजदूरी भुगतान के बाउड्रीवाल निर्माण किस प्रकार संभव रहा?

क्र0सं0	चेक सं	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	व्यय प्रमाणक की स्थिति
1	217	11.04.18	185230.00	जनकी ईट डोग	प्रस्तुत नहीं
2	216	11.04.18	61286.00	मों वैष्णो ट्रेडर्स	प्रस्तुत नहीं
3	218	02.07.18	59200.00	जनकी ईट डोग	प्रस्तुत नहीं
			305716.00		

अतः बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई धनराशि रु0 305716.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी (तत्कालीन) श्री मखन राम एवं ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — तुलसीपुर

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर -216:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवॉ वित्त में पू0मा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.04.18	आलम ट्रेडर्स को पू0मा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग सामग्री	30560.00	सामग्री	आलम ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.10.18	श्री राधे एसोसिएट को पू0मा0वि0 हेतु पेंटिंग सामग्री	50466.00	सामग्री	टू0टांन्सफर कृशि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	11.04.18	यासिन को पू0मा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग मजदूरी	10000.00	मजदूरी	यासीन	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	29.09.19	प्रधान द्वारा व्यय पू0का0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग हेतु मजदूरी	29362.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	120388.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 120388.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 120388.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 120388.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 120388.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 120388.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 60194.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 60194.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -217:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में आगनवाड़ी निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.05.18	श्री राधे एसोसिएट को आगनवाड़ी निर्माण हेतु सामग्री	44000.00	सामग्री	टूटान्सफर कृषि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	44000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 44000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आईडी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹044000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 44000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 44000.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 44000.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से ₹0 22000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 22000.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -218:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में आगनवाड़ी हैण्डपम्प स्थापना कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.05.18	श्री राधे एसोसिएट को आगनवाड़ी केन्द्र को नया हैण्डपम्प लगवाने हेतु	50000.00	सामग्री	टूटान्सफर कृषि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	50000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 50000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आईडी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹050000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 50000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 50000.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 50000.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से ₹0 25000.00 एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 25000.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -219:- आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	06.07.18	श्री राधे एसोसिएट को 25 नग स्ट्रीट का भुगतान	132000.00	सामग्री	टूटांन्सफर कृषि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	132000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 132000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0132000.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 132000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 132000.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 132000.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रू0 66000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 66000.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -220:- आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में सुन्दर पासी के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	10.07.18	पाण्डेय मशीनरी स्टोर सुन्दरपासी के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर	29200.00	सामग्री	पाण्डेय मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	29200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 29200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू029200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 29200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 29200.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 29200.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रू0 14600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 14600.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना

अपेक्षित है।

प्रस्तर -221:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में एस0एन0आर0 वि0 के दरवाजे में हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	23.08.18	श्री राधे एसोसिएट को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री का भुगतान	29100.00	सामग्री	श्री राधे एसोसिएट्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	23.08.18	दिनेश कुमार को हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	10000.00	मजदूरी	दिनेश कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	39100.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 39100.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू039100.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 39100.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 39100.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 39100.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रू0 19550.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 19550.00 बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -222:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	14.08.18	पाण्डेय मशीनरी को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री	20200.00	सामग्री	पाण्डेय मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	24.09.18	इण्डियन मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	45300.00	सामग्री	इण्डियन मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	07.12.18	इण्डियन मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	24800.00	सामग्री	इण्डियन मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	31.01.19	इण्डियन मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	20800.00	सामग्री	इण्डियन मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	28.03.19	इण्डियन मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री	25060.00	सामग्री	इण्डियन मशीनरी स्टोर सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	19.03.19	प्रधान द्वारा मिस्त्री को नगद भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	15300.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त पाण्डेय	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	151460.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 151460.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला

पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 151460.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 151460.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 151460.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 151460.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 75730.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 75730.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -223:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 तुलसीपुर में तार लगवायी कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	14.12.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 तुलसीपुर में तार लगवायी हेतु मजदूरी	12300.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त मिश्रा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	12300.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु012300.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु012300.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 12300.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 12300.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 12300.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 6150.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 6150.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -224:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में सरस्वती मन्दिर से नहर पुलिया तक मिट्टी भराई कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	24.12.18	प्रधान द्वारा व्यय सरस्वती मंदिर से नहर पुलिया तक मिट्टी भराई हेतु मजदूरी	10200.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त मिश्रा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	10200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु010200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से

स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹010200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 10200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 10200.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 10200.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से ₹0 5100.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 5100.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -225:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवॉ वित्त में प्रा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	01.10.18	श्री राधे एसोसिएट्स प्रा0वि0 तुलसीपुर को पेंटिंग सामग्री	67554.00	सामग्री	कृशी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	29.09.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग मजदूरी	36227.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	17.10.18	संतोश कुमार को प्रा0वि0 तुलसीपुर में पेंटिंग मजदूरी	7500.00	मजदूरी	संतोश कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	111281.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0111281.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0111281.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 111281.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 111281.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 111281.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से ₹0 55640.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 55640.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -226:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवॉ वित्त में प्रशासनिक स्टेशनरी भरत मिशन वैनर ग्राम सभा सफाई स्टेशनरी वैनर निविदा कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	19.05.18	लक्ष्मी नारायण को निविदा	2970.00	-	लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	21.07.18	विपिन कुमार केशरवानी को स्टेशनरी	12500.00	सामग्री	विपिन कुमार केशरवानी सिराथू	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	01.08.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छ भारत मिशन वैनर	900.00	सामग्री	ट्रान्सफर टू अर्ष इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	17.12.18	विपिन कुमार केशरवानी को स्टेशनरी	5150.00	सामग्री	विपिन कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	18.12.18	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छ भारत मिशन वैनर	4950.00	सामग्री	ट्रान्सफर टू अर्ष इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	05.01.19	राजकुमार को हिन्दुस्तान	2000.00	-	राज कुमार	व्यय प्रमाणक

		विज्ञापन				अप्राप्त
7	13.08.18	प्रधान द्वारा व्यय ग्राम सभा में साफ-सफाई	15000.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त मिश्रा	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8		योग :-	43470.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु043470.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु043470.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 43470.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 43470.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 43470.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 21735.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 21735.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -227:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में मूल चन्द्र के घर से कृष्ण कान्त के घर तक नाली मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि		
1	30.07.18 उज्जवला सीमेंट एजेंसी को उपयुक्त कार्य	13800.00	सामग्री	To 136904/528 सरसवां व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	30.07.18 उज्जवला सीमेंट एजेंसी को उपयुक्त कार्य	10900.00	सामग्री	To 136904/528 सरसवां व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	30.07.18 उज्जवला सीमेंट एजेंसी को उपयुक्त कार्य	40000.00	सामग्री	To 136904/528 सरसवां व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	27.07.18 प्रधान द्वारा व्यय मूल चन्द्र के घर से कृष्णकान्त के घर तक नाली मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी	15000.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	27.07.18 प्रधान द्वारा व्यय मूल चन्द्र के घर से कृष्णकान्त के घर तक नाली मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी	6051.00	मजदूरी	कृष्ण कान्त व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	योग :-	85751.00		

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु085751.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु085751.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 85751.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 85751.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश

कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 85751.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 42875.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 42875.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -228:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0स0 शॉकपिट निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि		
1	27.07.18 प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में शॉकपिट निर्माण कार्य	4675.00	मजदूरी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	योग :-	4675.00		

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु04675.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु04675.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 4675.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 4675.00 के लिए प्रधान श्री कृष्ण कान्त मिश्रा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 4675.00 की वसूली श्री कृष्ण कान्त मिश्रा से रु0 2337.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 2337.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

ग्राम पंचायत —मो0पुर वारी

मण्डल— प्रयागराज

विकास खण्ड—सिराथू

प्रस्तर -229:—वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवों वित्त से सम्बन्धित खाते में धनराशि पर मिलने वाले ब्याजको अलग शीर्ष में नहीं दर्शाया गया है जबकि राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवों वित्त के खाते पर पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से ब्याजप्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नवत् है। :-

क्रमांक	पास बुक से ब्याज प्राप्त होने की तिथि	धनराशि	अन्य
1	13.04.2018	6867.00	
2	17.07.2018	6340.00	
3	14.08.2018	2393.00	
4	21.11.2018	8572.00	
5	15.02.2019	1107.00	
	योग :-	25279.00	

सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1 -502/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासनद्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और ब्याज से अर्जित आय को राजकोश में जमा करा दिया जायेगा। ग्राम पंचायत मो0पुर वारी विकास खण्ड—सिराथू द्वारा वर्ष दौरान अर्जित ब्याजरूपये 25279.00 को राजकोश में जमा नहीं किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा 25279.00 को राजकोश में जमा न करके अर्जित ब्याजमें से रु0 4961.00 को निर्माण कार्यों में व्यय करके गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती महजवीं बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केवला प्रसाद उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि 25279.000 को सम्बन्धित को विभाग को वापस किया जाना अथवा राजकीय प्राप्तियों शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत —मो0पुर पईन्सा

विकास खण्ड—सिराथू

प्रस्तर —230:— वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त से सम्बन्धित खाते में धनराशि पर मिलने वाले ब्याजको अलग शीर्ष में नहीं दर्शाया गया है जबकि राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त के खाते पर पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से ब्याजप्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नवत् है। :-

क्रमांक	पास बुक से ब्याज प्राप्त होने की तिथि	धनराशि	अन्य
1	13.04.2018	11271.00	
2	17.07.2018	15384.00	
3	14.08.2018	6198.00	
4	21.11.2018	25449.00	
5	15.02.2019	23939.00	
	योग :-	82241.00	

सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1 -502/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासनद्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और ब्याज से अर्जित आय को राजकोश में जमा करा दिया जायेगा। ग्राम पंचायत मो0पुर पईन्सा विकास खण्ड—सिराथू द्वारा वर्ष दौरान अर्जित ब्याजरूपये 82241.00 को राजकोश में जमा नहीं किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा 82241.00 को राजकोश में जमा न करके अर्जित ब्याजमें से रु0 61106.00 को निर्माण कार्यों में व्यय करके गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री कमला देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री केवला प्रसाद उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि 82241.00 को सम्बन्धित को विभाग को वापस किया जाना अथवा राजकीय प्राप्तियों शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — मलाक सद्दी

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —231:— वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त से सम्बन्धित खाते में धनराशि पर मिलने वाले ब्याजको अलग शीर्ष में नहीं दर्शाया गया है जबकि राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त के खाते पर पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से ब्याजप्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नवत् है। :-

क्रमांक	पास बुक से ब्याज प्राप्त होने की तिथि	धनराशि	अन्य
1	13.04.2018	5813.00	
2	17.07.2018	5450.00	
3	14.08.2018	2081.00	
4	21.11.2018	9544.00	
5	15.02.2019	3598.00	
	योग :-	26486.00	

सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1 -502/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासनद्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और ब्याज से अर्जित आय को राजकोश में जमा करा दिया जायेगा। ग्राम पंचायत मलाक सद्दी विकास खण्ड—सिराथू द्वारा वर्ष दौरान अर्जित ब्याजरूपये 26486.00 को राजकोश में जमा नहीं किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा 26486.00 को राजकोश में जमा न करके अर्जित ब्याजमें से रु0 26740.00 को निर्माण कार्यों में व्यय करके गंभीर अनियमितता किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री संतोश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश कुमार सोनकर उत्तरदायी हैं। उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत - मवाईकेवट

विकास खण्ड- सिराथू

प्रस्तर -232:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.02.19	नूर परडाइस को प्रा0वि0 केवलमई में टाइल्स निर्माण हेतु	22932.00	सामग्री	नूर परडाइस	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	26.01.19	नफीस अहमद को म0रो0 प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण हेतु मजदूरी	8950.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	31882.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 31882.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 31882.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 31882.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 31882.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 31882.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से रु0 15941.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 15941.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -233:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	14.02.19	जय भवनी मिल स्टोर हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री हेतु	40300.00	सामग्री	नूर परडाइस	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.02.19	प्रधान द्वारा व्यय हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	20300.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	60600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 31882.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 60600.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 60600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये

कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 60600.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 60600.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से रु0 30300.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 30300.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -234:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में प्रा0वि0 केवल में कांटीली तार बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	12.02.19	आर्यमान ट्रेडर्स का प्रा0वि0 में बाउण्ड्रीवाल हेतु बालू का भुगतान	5240.00	सामग्री	आर्यमान ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	5240.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 5240.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना का स्टीमेंट 1.49 काथा और पूर्व में सामग्री में रु0 212555.00 और मजदूरी में रु0 35200.00 कुल 247755.00 की धनराशि व्यय करके कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्रावली में देखने को मिला था जिससे स्पष्ट है कि स्टीमेंट से रु0 5240.00 अधिक आहरित किया गया है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 5240.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 5240.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 5240.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से रु0 2620.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रु0 2620.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -235:- आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में अली हुसेन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	12.02.19	साई ट्रेडर्स को अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण सामग्री का भुगतान	50500.00	सामग्री	साई ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	13.02.19	प्रधान द्वारा व्यय साई ट्रेडर्स को अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण सामग्री/मजदूरी का भुगतान	56600.00	सामग्री/मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	22.02.19	शक्ति ब्रिक फील्ड अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट	56600.00	सामग्री	शक्ति ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	25.02.19	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट	56600.00	सामग्री	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	25.02.19	अरमान ट्रेडर्स को उपयुक्त कार्य हेतु सीमेंट	27100.00	सामग्री	अरमान ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक

						अप्राप्त
6	27.02.19	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण हेतु ईट	1500.00	सामग्री	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	26.02.19	प्रधान द्वारा व्यय अली हुसैन के घर से भुइयन तालाब तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी	52927.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	301827.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 301827.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 301827.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 301827.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 307827.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से ₹0 150913.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 150913.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -236:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में निरजर अहमद के दरवाले शॉकपिट निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	26.03.19	जय अमरनाथ ब्रिक को निरजर अहमद के दरवाजे शॉकपिट निर्माण हेतु ईट	8550.00	सामग्री	जय अमरनाथ ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	8550.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 8550.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 8550.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 8550.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 8550.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से ₹0 4275.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 4275.00 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -237:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 में रंगाई पुताई लेखन कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			

1	11.03.19	आलम ट्रेडर्स को प्रा0वि0 मवई में सामग्री भुगतान	83165.00	सामग्री	आलम ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	29.03.19	आलम ट्रेडर्स को प्रा0वि0 मवई में सामग्री भुगतान	5180.00	सामग्री	अरमान ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	26.03.19	प्रधान द्वारा व्यय उपयुक्त कार्य हेतु मजदूरी	4351.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	29.03.19	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 में लेखन कार्य हेतु मजदूरी	16000.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	108695.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 108695.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 108695.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 108695.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 108695.00 की वसूली श्री नफीस अहमद मिश्रा से रू0 54347.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से रू0 54347.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -238:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 में रंगाई पुताई लेखन कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/ मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	02.01.19	अर्ष इण्टरप्राइजेज को स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत वैनर हेतु भुगतान	4950.00	सामग्री	अर्ष इण्टरप्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	01.02.19	प्रशासनिक व्यय	5000.00	-	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	06.02.19	लक्ष्मी नारायण को दैनिक जागरण विज्ञापन हेतु भुगतान	2970.00	सामग्री	लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	12920.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 12920.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 12920.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 12920.00 के लिए प्रधान श्री नफीस

अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 12920.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से ₹0 6460.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 6460.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -239:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 कक्ष में टाईल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.02.19	नूर परडाईस को प्रा0वि0 कक्ष में टाईल्स निर्माण हेतु सामग्री भुगतानसप	22932.00	सामग्री	नूर परडाईस	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	25.01.19	नफीस अहमद को प्रा0वि0 कक्ष टाईल्स निर्माण हेतु मजदूरी	8950.00	मजदूरी	नफीस अहमद	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	31882.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 31882.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि ₹0 31882.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 31882.00 के लिए प्रधान श्री नफीस अहमद व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 31882.00 की वसूली श्री नफीस अहमद से ₹0 15941.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार चौधरी से ₹0 15941.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत - बम्हरोली

विकास खण्ड- सिराथू

प्रस्तर -240:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवों वित्त से सम्बन्धित खाते में धनराशि पर मिलने वाले ब्याजको अलग शीर्ष में नहीं दर्शाया गया है जबकि राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवों वित्त के खाते पर पास बुक के अनुसार निम्न प्रकार से ब्याजप्राप्त हुआ है। जिसका विवरण निम्नवत् है। :-

क्रमांक	पास बुक से ब्याज प्राप्त होने की तिथि	धनराशि	अन्य
1	13.04.2018	16741.00	
2	17.07.2018	11767.00	
3	14.08.2018	4018.00	
4	21.11.2018	15297.00	
5	15.02.2019	990.00	
	योग :-	48813.00	

सचिव वित्त उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-10/2015/ए-1 -502/दस-2015-10 (33)/2010, दिनांक 29.05.2015 के अनुसार यदि शासनद्वारा अवमुक्त धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है तो ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और ब्याज से अर्जित आय को राजकोश में जमा करा दिया जायेगा। ग्राम पंचायत बम्हरोली विकास खण्ड-सिराथू द्वारा वर्ष दौरान अर्जित ब्याजरूपये 48813.00 को राजकोश में जमा नहीं किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा 48813.00 को राजकोश में जमा न करके अर्जित ब्याजमें से ₹0 6949.00 को निर्माण कार्यों में व्यय करके गंभीर अनियमितता किया गया है

जिसके लिए प्रधान श्रीमती सबीना बीबी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमा पति यादव उत्तरदायी हैं। उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — असकरनपुर मगरौहनी

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —241:— आलोच्य वर्ष 2018—19 (01.04.2018 से 30.06.2018 तक) प्रशासनिक मद में कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.04.2018 को वर्ष 2017—18 के टेण्डर प्रकाशन का भुगतान यूनाईटेड भारत को रू0 2500.00 और दिनांक 15.06.18 को स्वराज अभियान अन्तर्गत चैपाल की व्यवस्था पर व्यय रू0 16000.00 एवं दिनांक 15.06.18 को चेक सं0. 77 द्वारा टेण्डर प्रकाशन का भुगतान महेन्द्र कुमार को भुगतान 2500.00 अर्थात कुल रू0 21000.00 कैश बुक में प्रशासनिक व्यय में दर्शित किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0 अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 को करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 21000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 21000.00 की प्रधान श्री शारदा प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 21000.00 की वसूली प्रधान श्री शारदा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —242:— आलोच्य वर्ष 2018—19 (01.04.2018 से 30.06.2018तक) की कैश बुक में प्रधान का मानदेय मद में कैश बुक के अनुसार दिनांक 15.05.2018 को ग्राम प्रधान शारदा प्रसाद का मानदेय अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक 3500.00 की दर से कुल रू0 42000.00 कैश बुक में व्यय में दर्शित किया गया परन्तु लेखापरीक्षा में व्यय प्रमाणक, उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0 अप्राप्त रहा। वर्ष 2017—18 की कैश बुक एवं मानदेय रजि0 प्रस्तुत नहीं किये जाने से भुगतान की पुनरावृत्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 को करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 42000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 42000.00 की प्रधान श्री शारदा प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 42000.00 की वसूली प्रधान श्री शारदा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —243:—आलोच्य वर्ष 2018—19 (01.04.2018 से 30.06.2018तक) की कैश बुक में रामराज के घर से नहर तक खड़जा मरम्मत कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 15.05.18 को ओम शिव शक्ति ईट जोग से ईट क्रय रू0 121680.00 एवं उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी क्रय का भुगतान रू0 23200.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय रू0 144880.00 एवं उपरोक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रू0 51350.00 उपरोक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रू0 51350.00 अर्थात कुल मजदूरी 102700.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रू0 247580.00 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0 स्टीमेट तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र, एम0बी0 निविदा की पत्रावली अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 को करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 247580.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 247580.

00 की प्रधान श्री शारदा प्रसाद ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 247580.00 की वसूली प्रधान श्री शारदा प्रसाद एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — भडैसर

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —244:—आलोच्य वर्ष 2018—19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में रामदास के घर से रोशन के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य की मजदूरी रु0 19100.00 दिनांक 03.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी रु0 4000.00 और दिनांक 04.04.18 उपरोक्त कार्य हेतु ईट व गिट्टी क्रय गंगा ब्रिक फील्ड से रु0 64800.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रु0 87900.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 87900.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 87900.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 87900.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —245:—आलोच्य वर्ष 2018—19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रा0वि0 विछोरा में इण्टरलाकिंग कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य की मजदूरी रु0 10250.00 दिनांक 03.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु सिमेंट बालू क्रय रु0 6800.00 और दिनांक 04.04.18 उपरोक्त कार्य हेतु सीमेंट ईट क्रय का भुगतान यूनाइटेड इण्टरप्राइजेज को रु0 43200.00 दिनांक 04.04.18 उक्त कार्य हेतु ईट क्रय गंगा ब्रिक फील्ड को भुगतान रु0 14475.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रु0 74725.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 74725.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 74725.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 74725.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —246:—आलोच्य वर्ष 2018—19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में गुरु प्रसाद के घर से गुलाब पासी के घर तक खड़जा मरम्मत कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य की मजदूरी रु0 8950.00 दिनांक 05.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी रु0 2000.00 और दिनांक 04.09.18 उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय का गंगा ब्रिक फील्ड को भुगतान रु0 28800.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रु0 39750.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 39750.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 39750.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 39750.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -247:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में राम भवन के घर से महेश पटेल के घर तक नाली निर्माण एवं खडंजा मरम्मत कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य की मजदूरी रु0 19100.00 दिनांक 03.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु सिमेंट क्रय रु0 11400.00 और दिनांक 04.04.18 उपरोक्त कार्य हेतु ईट गिट्टी क्रय गंगा ब्रिक फील्ड को भुगतान रु0 74250.00 अर्थात् कुल व्यय धनराशि रु0 104750.00 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 104750.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 104750.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 104750.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -248:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रा0वि0 विछौरा में टाइल्स लगाने के कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय आर0के0ट्रेडर्स रु0 31038.00 और उक्त कार्य करने में मजदूरी के मद धनराशि व्यय नहीं किया गया है। इसलिए उक्त कार्य में व्यय धनराशि रु0 31038.00 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया और बिना मजदूरी के उक्त सामग्री का उपयोग किया जाना ही प्रथम दृष्टया काल्पनिक है। साथ ही साथ लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 31038.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 31038.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रु0 31038.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -249:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में एम0डी0एम0 शेड निर्माण कार्य प्रा0वि0 मुराईटोला में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय आर0के0 ट्रेडर्स रु0 88332.00 और दिनांक 14.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु ईट गिट्टी गंगा ब्रिक फील्ड से क्रय का भुगतान रु0 47045.00, उक्त कार्य करने में मजदूरी के मद में धनराशि व्यय नहीं किया गया है, इसलिए उक्त कार्य में व्यय धनराशि रु0 135377.00 कैश बुक में दर्शित किया गया, बिना मजदूरी के उक्त व्यय दर्शित किया जाना प्रथम

दृष्ट्या काल्पनिक है। साथ ही साथ लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 135377.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 135377.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 135377.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -250:—आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रा0वि0 विछौरा से दुजई पटेल के घर तक नाली निर्माण कार्य में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य हेतु सीमेंट क्रय रू0 19500.00 और दिनांक 04.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु ईट व ईट गिट्टी गंगा ब्रिक फील्ड से क्रय का भुगतान रू0 104400.00, उक्त कार्य करने में मजदूरी के मद में धनराशि व्यय नहीं किया गया है, इसलिए उक्त कार्य में व्यय धनराशि रू0 123900.00 कैश बुक में दर्षित किया गया, बिना मजदूरी के उक्त व्यय दर्षित किया जाना प्रथम दृष्ट्या काल्पनिक है। साथ ही साथ लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 123900.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 123900.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 123900.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -251:—आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रा0वि0 विछौरा में बाउण्डीवाल खिड़की दरवाजा आदि निर्माण में कैश बुक के अनुसार दिनांक 03.04.18 को उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय आर0के0 ट्रेडर्स रू0 142790.00 और दिनांक 04.04.18 को उपरोक्त कार्य हेतु ईट गिट्टी गंगा ब्रिक फील्ड से क्रय का भुगतान रू0 18500.00, उक्त कार्य करने में मजदूरी के मद में धनराशि व्यय नहीं किया गया है, इसलिए उक्त कार्य में व्यय धनराशि रू0 161290.00 कैश बुक में दर्षित किया गया, बिना मजदूरी के उक्त व्यय दर्षित किया जाना प्रथम दृष्ट्या काल्पनिक है। साथ ही साथ लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 161290.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 161290.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 161290.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -252:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रधान का मानदेय मद में कैश बुक के अनुसार दिनांक 16.06.18 को ग्राम प्रधान शारदा प्रसाद को मानदेय जनवरी 2017 से फरवरी 2018 तक रू0 3500.00 की दर से कुल रू0 49000.00 व दिसम्बर 18 का अवशेष 1000.00 कुल रू0 50000.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 50000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। एवं कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 50000.00 की प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 50000.00 की वसूली प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत - कोरौ

विकास खण्ड- सिराथू

प्रस्तर -253:- आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में वोदे के घर से चुन्नीपंडा के घर तक नाली निर्माण हेतु कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.04.18 को गंगा ब्रिक फील्ड को ईट क्रय का भुगतान रू0 52920.00 एवं दिनांक 17.4.18 को उक्त कार्य हेतु बालू क्रय का भुगतान साईट्रेडर्स को रू0 25394.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय रू0 78314.00 एवं दिनांक 17.04.18 उक्त कार्य की मजदूरी रू0 22800.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रू0 101114.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 101114.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 101114.00 की प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 101114.00 की वसूली प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से 12, 12 प्रतिशत ब्याजसहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -254:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में वोदे के घर से चुन्नीपंडा के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.04.18 को गंगा ब्रिकफील्ड से ईट क्रय का भुगतान 63917.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय रू0 63917.00 एवं उक्त कार्य की मजदूरी रू0 22975.00 अर्थात कुल व्यय धनराशि रू0 86892.00 कैश बुक में व्यय दर्षित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 86892.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 86892.00 की प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 86892.00 की वसूली प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -255:-आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में दो हैण्डपम्प रिबोर कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.04.18 को दो हैण्डपम्पों की रिबोर की सामग्री का भुगतान जय भवानी मिल स्टोर को रू0 57000.00 एवं दिनांक 17.04.18 को उपरोक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान रू0 33260.00 अर्थात् कुल व्यय रू0 90260.00 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित उक्त अवधि की कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0, स्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0 निविदा की पत्रावली कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 90260.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 90260.00 की प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 90260.00 की वसूली प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -256:- आलोच्य वर्ष 2018-19(01.04.2018 से 30.06.2018 तक) की कैश बुक में प्रशासनिक मद में कैश बुक के अनुसार दिनांक 17.04.18 को स्टेशनरी में व्यय, पेपर फाइल क्रय का भुगतान रू0 25.00 एवं दिनांक 17.04.18 को विमलेश शुक्ला को भुगतान हेतु न्यूज पेपर को भुगतान रू0 2500.00 अर्थात् कुल व्यय रू0 2525.00 कैश बुक में व्यय दर्शित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका, वक आई0डी0 आदि अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 14.03.2020 एवं मौखिक रूप से मांग करने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रू0 2525.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी है। व्यय वित्तीय एवं लेखा मैनुवल के अध्याय 8 के विन्दु(8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि के बाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रू0 2525.00 की प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा, ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

अतः धनराशि रू0 2525.00 की वसूली प्रधान श्री कुलदीप मिश्रा एवं ग्राम प्रचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र शुक्ला से बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- कौशाम्बी

मण्डल- प्रयागराज

ग्राम पंचायत - अफजलपुरवारी

विकास खण्ड- सिराथू

प्रस्तर -257:-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवों वित्त प्रा0वि0 अफजलपुरवारी में एम0डी0एम0 शेड निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमिक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	
1	07.04.17	सोमनाथ को अफजलपुरवारी में एम0डी0एम0शेड सामग्री	24000.00	समग्री
				सोमनाथ
				व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग-	24000.00	

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 24000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्मपत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019

दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के ₹0 24000.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 24000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 24000.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि ₹0 24000.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से ₹0 12000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से ₹0 12000.00 को ब्याजसहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -258:-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त प्रा0वि0 अफजलपुरवारी में एम0डी0एम0 शेड निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमिक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	07.04.17	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0वि0 अफजलपुर वारी में एम0डी0एम0 शेड सामग्री	24000.00	समग्री	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	07.04.17	प्रधान द्वारा व्यय पू0मा0वि0 अफजलपुर वारी में एम0डी0एम0 शेड निर्माण हेतु सामग्री	24000.00	समग्री	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग-			48000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 48000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वरीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के ₹0 48000.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 48000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 48000.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि ₹0 48000.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से ₹0 24000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से ₹0 24000.00 से बराबर बराबर ब्याजसहित से बराबर बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -259:-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त प्रधान का मानदेय कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमिक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	07.04.17	प्रधान का मानदेय अक्टूबर 2017	3500.00	-	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

2	07.04.17	प्रधान का मानदेय नवम्बर और दिसम्बर 2017 तक	7000.00	—	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग—			10500.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 10500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक वर्क आई0डी0 प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के ₹0 10500.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 10500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 10500.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि ₹0 10500.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से ₹0 5250.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से ₹0 5250.00 से बराबर बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —260:—आलोच्य वर्ष 2017—18 राज्यवित्त/चौदहवें वित्त अवधेश के घर से विनोद के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया—

क्रमिक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	11.01.18	प्रधान द्वारा व्यय अवधेश के घर से विनोद के घर तक इण्टर लाकिंग निर्माण हेतु मजदूरी	26875.00	मजदूरी	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग—			26875.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 26875.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक —5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के ₹0 26875.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि ₹0 26875.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 26875.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि ₹0 26875.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से ₹0 13437.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से ₹0 13437.50 से बराबर बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर —261—आलोच्य वर्ष 2017—18 राज्यवित्त/चौदहवें वित्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया—

क्रमिक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण	सामग्री/	बैंक	अन्य

	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	मजदूरी	स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	टिप्पणी
1	11.01.18	प्रधान द्वारा व्यय म0से0 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी	26875.00	मजदूरी	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग—			26875.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 26875.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रू0 26875.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 26875.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 26875.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रू0 26875.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रू0 13437.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रू0 13437.50 से बराबर बराबरब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –262—आलोच्य वर्ष 2017–18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त पू0मा0वि0 बली का पूरा एम0डी0एम0 निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया—

क्रमीक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण	सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि	
1	12.01.18	कौशल ट्रेडर्स को पू0मा0वि0 बली का पूरा एम0डी0एम0 निर्माण हेतु सामग्री	28000.00	सामग्री
योग—			28000.00	

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 28000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रू0 28000.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 28000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 28000.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रू0 28000.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रू0 14000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रू0 14000.00 से बराबर बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -263-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त सोलर लाईट कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमोंक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/म जदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनोंक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	18.01.18	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज सोलर लाईट का भुगतान	196000.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.02.18	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज सोलर लाईट का भुगतान	196800.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग-			392800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 392800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वरीकृत पत्रोंक/दिनोंक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनोंक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रोंक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनोंक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रू0 392800.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रू0 392800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 392800.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रू0 392800.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रू0 196400.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रू0 196400.00 से बराबर बराबरव्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -264-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त सन्तोश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक खण्डन्जा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमोंक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/म जदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनोंक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	17.02.18	टारसन ब्रिक फील्ड उपयुक्त कार्य हेतु ईट भुगतान संतोश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक खण्डन्जा निर्माण	93600.00	सामग्री	टारसन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.02.18	टारसन ब्रिक फील्ड उपयुक्त कार्य हेतु ईट भुगतान संतोश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक खण्डन्जा निर्माण	93600.00	सामग्री	टारसन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	20.02.18	ओगचन्द्र को संतोश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक मिट्टी ढुलाई भाड़ा	9120.00	सामग्री	ओगचन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	17.02.18	प्रधान द्वारा व्यय संतोश के घर से धर्मेन्द्र के घर तक खण्डन्जा निर्माण हेतु मजदूरी	39500.00	मजदूरी	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग-			235820.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 235820.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वरीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 235820.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 235820.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 235820.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु0 235820.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रु0 117910.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रु0 117910.00 से बराबर बराबरब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -265-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त खण्डजा मार्ग से सिपाही के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया-

कर्मोक्त	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	17.02.18	टारसन ब्रिक फील्ड उपयुक्त कार्य हेतु ईट भुगतान खण्डजा मार्ग से नकुल सिपाही के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य	97200.00	सामग्री	टारसन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	17.02.18	टारसन ब्रिक फील्ड उपयुक्त कार्य हेतु ईट भुगतान खण्डजा मार्ग से नकुल सिपाही के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य	93600.00	सामग्री	टारसन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	20.02.18	ओगचन्द्र खण्डजा मार्ग से नकुल सिपाही के घर तक मिट्टी ढुलाई भाड़ा	9120.00	सामग्री	ओगचन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	17.02.18	प्रधान द्वारा व्यय खण्डजा मार्ग से नकुल सिपाही के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु मजदूरी	39500.00	मजदूरी	सावित्री देवी	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग-			239420.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 239420.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वरीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 239420.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 239420.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 239420.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु0 239420.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रु0 119710.00 एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रु0 119710.00 से बराबर बराबरब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -266—आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त प्रा0वि0 माडल में टाइल्स निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया—

क्रमोंक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनोंक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	28.02.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल में टाइल्स निर्माण हेतु सामग्री	26260.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	06.03.18	श्याम मर्बल को प्रा0वि0 माडल टाइल्स निर्माण कार्य हेतु भुगतान	48750.00	सामग्री	श्याम मर्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	06.03.18	श्याम मर्बल को प्रा0वि0 माडल टाइल्स निर्माण कार्य हेतु भुगतान	48750.00	सामग्री	श्याम मर्बल	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग—	123760.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 123760.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वरीकृत पत्रोंक/दिनोंक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनोंक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रोंक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनोंक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 123760.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 123760.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 123760.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु0 123760.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रु0 61880.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रु0 61880.00 से बराबर बराबरब्याजसहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -267—आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त प्रा0वि0 माडल प्लाट

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, तक में इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया—

क्रमोंक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनोंक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	28.02.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 1 में इण्टर लाकिंग निर्माण हेतु ईट भुगतान	96000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 2 में इण्टर लाकिंग निर्माण हेतु ईट भुगतान	120000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	15.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 2 में इण्टर लाकिंग निर्माण हेतु ईट भुगतान	120000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 1 में इण्टर लाकिंग निर्माण हेतु भुगतान	36000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त

5	15.03.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 1 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु सीमेन्ट भुगतान	17700.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	15.03.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 3 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु सीमेन्ट एवं बालू भुगतान	17700.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
7	15.03.18	टारसन को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु ईट एवं गिट्टी भुगतान	51000.00	सामग्री	टारसन	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
8	16.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 9 और 10 में इण्टर लाकिंग हेतु भुगतान	60000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
9	16.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 6, 7, 8 में इण्टर लाकिंग हेतु भुगतान	120000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
10	16.03.18	सिंह इण्टर प्राईजेज को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 4, 5 में इण्टर लाकिंग हेतु भुगतान	120000.00	सामग्री	सिंह इण्टर प्राईजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
11	17.03.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 4, 5, 6 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु सीमेन्ट 50 बोरी एवं बालू भुगतान	18200.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
12	17.03.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 9, 10 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु सीमेन्ट एवं बालू भुगतान	8850.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
13	17.03.18	मालवीया ट्रेडर्स को प्रा0वि0 माडल प्लाट नं0 6, 7, 8 में इण्टर लाकिंग निमाण हेतु सीमेन्ट एवं बालू भुगतान	18200.00	सामग्री	मालवीया ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग-			803650.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 803650.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आईडी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त -

1. उपरोक्त कार्य में कैश बुक में भुगतान पट्टा में प्रा0वि0 माडल प्लाट 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 में सामग्री का भुगतान अंकित किया परन्तु कैश बुक में प्रा0 वि0 का नाम अंकित नहीं है जिससे स्थान पूर्णतः काल्पनिक है।
2. उपरोक्त कार्य के प्रा0वि0 माडल प्लाट 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 में सामग्री का भुगतान अंकित किया है जबकि विालय का नाम लिखते हुए गेट से कक्षा 1, के सामने तक या गेट से कक्षा 2, के सामने तक या गेट से कक्षा 3, के सामने तक या गेट से कक्षा 4, के सामने तक या गेट से कक्षा 5, के सामने तक या गेट से रसोई घर तक के परियोजना के नामकरण करके परियोजना तैयार किया जाना माडल प्लाटों का काल्पनिक नामकरण किया गया है जो भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है।
3. उपरोक्त परियोजना का स्थान एक ही जगह है तो परियोजना प्लाटों का नामकरण संख्या में बदलकर रु0 803650.00 सामग्री का भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है।
4. लेखा परीक्षा में स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया है और उक्त परियोजना लगभग 9.00 लाख से अधिक है यह परियोजना जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए यदि जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी द्वारा स्वीकृत नहीं तो स्पष्ट है कि परियोजना की काल्पनिक पत्रावली तैयार कर भुगतान किया गया तो भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है।

अतः उपरोक्त आधार पर व्यय की गयी धनराशि रु0 803650.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 803650.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु0 803650.00 की वसूली श्रीमती सावित्री देवी से रु0 401825.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रु0 401825.00 से बराबर बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -268-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त प्रशासनिक मद कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमांक	कैश बुक में विवरण अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / म जदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	30.01.18	श्री लक्ष्मी नारायण को निविदा हेतु भुगतान	2500.00	सामग्री	श्री लक्ष्मी नारायण	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	20.02.18	महेन्द्र कुमार को निविदा हेतु भुगतान	2500.00	सामग्री	महेन्द्र कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग—			5000.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 5000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी0 प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनोंक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रोंक -5013/पं0/लेखा/2019 दिनोंक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः कात्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 5000.00 के सामग्री में व्यय की गयी धनराशि रु0 5000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्या की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 5000.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि रु0 5000.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से रु0 2500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से रु0 2500.00 से बराबर बराबरब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -269-आलोच्य वर्ष 2017-18 राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य कैश बुक में निम्नोक्त विवरणानुसार अंकित किया-

क्रमोंक	कैश बुक में दिनांक	विवरण अंकित किया गया का विवरण	सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी	
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.1.17	कृषि सेवा केन्द्र को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री	189775.00	सामग्री	कृषि सेवा केन्द्र	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	21.11.17	पंकज मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री	151500.00	सामग्री	पंकज मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	05.02.18	गुप्ता मशीनरी स्टोर को बृजेश के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री	20000.00	सामग्री	गुप्ता मशीनरी स्टोर	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	18.09.17	राजकिशोर मिश्री को हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु मजदूरी	12000	मजदूरी	राजकिशोर मिश्री	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
योग—			373275.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 373275.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक/दिनांक, एम0बी0बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.2020, 14.03.2020 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक –5013/पं0/लेखा/2019 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के ₹0 373275.00 के सामग्री में 12000.00 की मजदूरी व्यय किया और साथ ही साथ कैश बुक में यह अंकित भी नहीं किया है किन-किन जगहों पर सामग्री और मजदूरी का भुगतान किया गया है व्यय की गयी धनराशि ₹0 373275.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराए गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि ₹0 373275.00 की प्रधान श्रीमती सावित्री देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः धनराशि ₹0 373275.00 की वसूली श्री मती सावित्री देवी से ₹0 186637.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजकिशोर भारतीय से ₹0 186637.50 से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर –270:—आलोच्य वर्ष 2018–19 में राज्यवित्त/चौदहवें वित्त में प्रा0वि0 खूंझा बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूंझा बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	7000.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूंझा बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	17100.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	02.07.18	गंगन ब्रिक फील्ड को प्रा0वि0 खूंझा बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	55500.00	सामग्री	गंगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.06.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 खूंझा बाउण्डीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	33600.00	मजदूरी	अनुरुद्ध सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	113200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल ₹0 113200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/2019–20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के ₹0 113200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि ₹0 113200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि ₹0 113200.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः ₹0 113200.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से ₹0 56600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से ₹0 56600.00 को बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना

अपेक्षित है।

प्रस्तर -271:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में पक्की सड़क प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	7350.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	ओम प्रकाश को पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	740.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	15900.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	19.06.18	रजनी ट्रेडर्स को पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	124800.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	02.07.18	गगन ब्रिक फील्ड पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	17020.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	02.07.18	गगन ब्रिक फील्ड पक्की सड़क से प्रा0वि0 गेट तक एवं तीन कक्षीय भवन के पीछे इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	13875.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्ययप्रमाणक अप्राप्त
		योग	179685.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 179685.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आईडी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 179685.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 179685.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 179685.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 179685.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 89842.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 89842.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -272:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 खूंझा प्रांगण में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूंझा प्रांगण में इण्टरलाकिंग निर्माण	5950.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक

		कार्य हेतु भुगतान				अप्राप्त
2	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूंझा प्रांगण में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	12900.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	19.06.18	रजनी ट्रेडर्स प्रा0वि0 खूंझा प्रांगण में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	132000.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	02.07.18	गगन ब्रिक फील्ड प्रा0वि0 खूंझा में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु भुगतान	13125.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	27.06.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 खूंझा प्रांगण में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य हेतु मजदूरी	25250.00	मजदूरी	अनुरुद्ध सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	189225.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 189225.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 189225.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 189225.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 189225.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 189225.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 94612.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 94612.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -273:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में प्रा0वि0 खूंझा में तीन कक्षीय भवन में टाइल्स लगाने का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूंझा में टाइल्स लगाने हेतु भुगतान	20400.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूंझा टाइल्स लगाने कार्य हेतु भुगतान	2600.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूंझा में टाइल्स लगाने हेतु भुगतान	5203.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	20.06.18	श्याम अग्रहरि को प्रा0वि0 खूंझा में टाइल्स लगाने हेतु भुगतान	87750.00	सामग्री	श्याम अग्रहरि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	05.07.18	आदित्य कुमार को प्रा0वि0 खूंझा में तीन कक्षीय भवन में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु भुगतान	30375.00	मजदूरी	आदित्य कुमार	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	146328.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 146328.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0,

प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 146328.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 146328.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 146328.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 146328.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 73164.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 73164.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -274:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	05.07.18	यादव ट्रेडर्स को एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	23000.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	ओम प्रकाश को एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	140.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	16590.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	20.06.18	श्याम अग्रहरि को एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	19500.00	सामग्री	श्याम अग्रहरि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	29.06.18	यादव ट्रेडर्स को एक कक्षीय भवन मरम्मत कार्य हेतु भुगतान	11750.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	70980.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 70980.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 70980.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 70980.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0 70980.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 70980.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 35490.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 35490.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -275:—आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवों वित्त में प्रा0वि0 खूँझा में पानी की टंकी निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण	धनराशि			

		सहित			प्राप्त कर्ता	
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा में पानी की टंकी निर्माण कार्य हेतु भुगतान	2800.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा में पानी की टंकी निर्माण कार्य हेतु भुगतान	2500.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	02.06.18	गगन ब्रिक फील्ड को प्रा0वि0 खूँझा में पानी की टंकी निर्माण कार्य हेतु भुगतान	24420.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	29.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूँझा में पानी की टंकी निर्माण कार्य हेतु भुगतान	39850.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	69570.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 69570.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 69570.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 69570.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 69570.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 69570.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रु0 34785.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रु0 34785.00 बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -276:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	4200.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	1500.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	20.06.18	श्याम अग्रहरि को आदर्ष शौचालय निर्माण हेतु सामग्री भुगतान	42900.00	सामग्री	श्याम अग्रहरि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	02.07.18	गगन ब्रिक फील्ड को प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	1725.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	05.07.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	43875.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	29.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूँझा में आदर्ष शौचालय निर्माण कार्य हेतु भुगतान	600.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	94800.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 94800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट

फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 94800.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 94800.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु094800.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 94800.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रु0 47400.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रु0 47400.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -277:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में प्रा0वि0 खूँझा में रसोई घर में टाइल्स लगाने का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा में रसोई घर में टाइल्स लगाने के कार्य हेतु भुगतान	1120.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य	726.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य	1181.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	20.06.18	श्याम अग्रहरि को उपरोक्त कार्य	26000.00	सामग्री	श्याम अग्रहरि	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5	29.06.18	यादव ट्रेडर्स को उपरोक्त कार्य	7800.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
6	27.06.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 खूँझा रसोई घर में टाइल्स लगाने का कार्य मजदूरी	19750.00	मजदूरी	अनुरुद्ध सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	56577.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 56577.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासापट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 56577.0 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 56577.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु056577.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 56577.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रु0 28288.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रु0 28288.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -278:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवॉ वित्त में अरविन्द के घर से किशोर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	05.07.18	रजनी ट्रेडर्स को अरविन्द के घर से किशोर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु भुगतान	120000.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	15.06.18	प्रधान द्वारा व्यय उपरोक्त कार्य मजदूरी	20475.00	मजदूरी	अनुरुद्ध सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	140475.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 140475.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 140475.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 140475.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0140475.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 140475.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 70237.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 70237.50 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -279:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवॉ वित्त में किशोर के घर से रोशन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	02.07.18	गगन ब्रिक फील्ड को किशोर के घर से रोशन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु भुगतान	4335.00	सामग्री	गगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	4335.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 4335.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 4335.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 4335.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू04335.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 4335.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 2167.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 2167.50 को बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -280:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में नहर पुल से अरविन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	04.07.18	रजनी ट्रेडर्स को नहर पुल से अरविन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु भुगतान	45390.00	सामग्री	रजनी ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग :-	45390.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 45390.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 45390.0 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 45390.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू045390.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 45390.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 22695.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रू0 22695.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -281:-आलोच्य वर्ष 2018-19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में सोलर लाइट लगाने का कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:-

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री/मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	19.07.18	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज को सोलर लाइट हेतु भुगतान	196800.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	19.07.18	जे0पी0 इण्टरप्राइजेज को सोलर लाइट हेतु भुगतान	196800.00	सामग्री	जे0पी0 इण्टर प्राइजेज	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	393600.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रू0 393600.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टीमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाप्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019-20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त सोलर लाइट का क्रय राजकीय संस्थान नेडा से किया जाना चाहिए जिसका पालन नहीं किया गया है। साथ ही साथ कैश बुक में स्थान अंकित नहीं किया गया कि किस किस के दरवाजे पर लगवाया गया है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रू0 393600.0 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रू0 393600.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रू0393600.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रू0 393600.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रू0 196800.00 एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रु0 196800.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद— कौशाम्बी

मण्डल— प्रयागराज

ग्राम पंचायत — अफजलपुरवारी

विकास खण्ड— सिराथू

प्रस्तर —282:—आलोच्य वर्ष 2018—19 में राज्यवित्त/चौदहवाँ वित्त में प्रा0वि0 खूँझा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण कार्य कैश बुक में निम्नांकित विवरणानुसार अंकित किया गया है:—

क्र0	कैश बुक में व्यय अंकित किया गया का विवरण			सामग्री / मजदूरी	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्त कर्ता	अन्य टिप्पणी
	दिनांक	किस सम्बन्ध में किसको विवरण सहित	धनराशि			
1	15.06.18	ओम प्रकाश को प्रा0वि0 खूँझा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	7000.00	सामग्री	ओम प्रकाश	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2	18.06.18	यादव ट्रेडर्स को प्रा0वि0 खूँझा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	17100.00	सामग्री	यादव ट्रेडर्स	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3	02.07.18	गंगन ब्रिक फील्ड को प्रा0वि0 खूँझा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	55500.00	सामग्री	गंगन ब्रिक फील्ड	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
4	15.06.18	प्रधान द्वारा व्यय प्रा0वि0 खूँझा बाउण्ड्रीवाल गेट निर्माण कार्य हेतु भुगतान	33600.00	मजदूरी	अनुरुद्ध सिंह	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
		योग	113200.00			

उपरोक्त विवरणानुसार उक्त परियोजना में कुल रु0 113200.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका, वर्क आई0डी0, स्टैटमेंट/तकनीकी स्वीकृति सहित एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक/ दिनांक, एम0बी0, प्रियासाफ्ट फीडिंग की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांग दिनांक 11.06.2019, 09.12.2019, 11.01.20, 14.03.20 एवं जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी ने अपने कार्यालय पत्रांक 5013/पं0/लेखा/ 2019—20, दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से ग्राम पंचायत के अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 1 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने का आदेश करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु0 113200.00 मजदूरी पर व्यय की गयी धनराशि रु0 113200.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय लेखा मैनुवल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की धनराशि रु0 113200.00 के लिए प्रधान श्री अनुरुद्ध सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः रु0 113200.00 की वसूली श्री अनुरुद्ध सिंह से रु0 56600.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राज किशोर भारतीय से रु0 56600.00 बराबर बराबर ब्याजसहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप—4

ग्राम पंचायतों की अधिभार सम्बन्धी प्रस्तरवार वर्ष —2018—19

जनपद—प्रतापगढ़

सम्भाग—प्रयागराज

प्रस्तर—1— ग्राम पंचायत—कौलापुर

विकास खण्ड—गौरा

ग्राम पंचायत में वित्तत एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत कौलापुर द्वारा वर्ष 2017—2018 में प्राप्त धनराशि से रु0 1721908.15 व्यय किया गया। व्यय क सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री मती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोश पासवान से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 – ग्राम पंचायत गरीबपुर

विकास खण्ड-बिहार

आलोच्य वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा के व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा जिससे व्यय की गयी धनराशियों की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत के आहरित धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी लक्ष्मी नारायण एवं ग्राम प्रधान शान्ती देवी से बराबर संयुक्त जिम्मेदारी के साथ किया जाना अपेक्षित रहा है।

प्रस्तर-3 – ग्राम पंचायत-अन्तपुर

विकास खण्ड-पट्टी

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुये ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत अन्तपुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु01184907.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्ततीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री रमेश प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4- ग्राम पंचायत-महमदपुर चारपुरा

विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-

क्र० सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान का विवरण कोशबही में
1	174	5.2.2019	31125.00	धनराज यादव को चेक द्वारा (बैंक स्टेटमेंट भुगतान किया गया परन्तु कैश बुक में चेक का विवरण नहीं है।)
2	शून्य	30.3.2019	43430.00	शुभम ट्रेडर्स को भुगतान किया गया परन्तु किस कार्य हेतु किया गया है विवरण कैशबुक में अंकित नहीं है।
3	शून्य	30.3.2019	12350.00	विनीत कुमार शुक्ला को भुगतान किया परन्तु किस कार्य हेतु किया गया है विवरण कैशबुक में नहीं है।
		योग	86905.00	

निम्न कमियों को दृष्टिगत करते हुए प्रतीत होता है कि उक्त धनराशियों का अपहरण किया गया है जिसे ब्याज सहित प्रधान-श्रीमती विमला व सचिव-श्रीमती वंदना मिश्रा द्वारा वसूल किया जाना अपेक्षित रहा है।

प्रस्तर-5- ग्राम पंचायत-रंगौली

विकास खण्ड-मान्धाता

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 26.11.2018 को खाता संख्या 18958/- से रु0 14000/- का डस्टबिन क्य दर्शित किया गया है किन्तु उक्त व्यय के सापेक्ष मांगोपरान्त कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत के आहरित धनराशि का अपहरण किया गया। अतः श्री यू0पी0 सिंह (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं मो0 शाहिद अली (ग्राम प्रधान) से व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करने पर बराबर संयुक्त जिम्मेदारी के साथ ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-6- ग्राम पंचायत-मिश्रपुर

विकास खण्ड-मान्धाता

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिसका विवरण निम्नांकित है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	खाता संख्या/ चेक सं०/ पक्ष में भुगतान
1	7.4.2018	30000	बीओबी/35610100001334/115/ गुलहसन (प्रधान)
2	2.6.2018	20000	बीओबी /35610100001334/122/ गुलहसन (प्रधान)
3	2.6.2018	20000	बीओबी /35610100001334/121/ गुलहसन (प्रधान)
4	18.3.2019	21000	बीओबी /35610100001334/103/ गुलहसन (प्रधान)
5	18.3.2019	18000	बीओबी /35610100001334/102/ गुलहसन (प्रधान)

इस प्रकार उपर्युक्त कुल धनराशि रु0 109000/- व्यय के सापेक्ष कैश बुक में कोई भी कार्य का व्यय दर्शित ही नहीं किया गया और न ही संबंधित व्यय के बाउचर, पत्रावली में संलग्न किया गया है। जिससे यह प्रतीत

होता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान की मिली भगत से प्रधान के नाम चेक काट कर नकद आहरण करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 8(क) के अनुसार कैश बुक से उक्त नकद धनराशि आहरित कर अपहरण किया गया है। अतः श्री अखिलेश यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) एवं श्री गुलहसन से संयुक्त जिम्मेदारी के साथ बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-7- ग्राम पंचायत-गोलापुर

विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत गोलापुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 809951/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री मती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविंद सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8- ग्राम पंचायत-राजापुर मुफरिद

विकास खण्ड-बाबा बेलखरनाथ धाम

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत राजापुर मुफरीद द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 4271136/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री नौशादशाह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश/अरविंद/फरीद अहमद से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9- ग्राम पंचायत-भाटी खुर्द

विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत भाटी खुर्द द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1460673/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती लखपत्ती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- ग्राम पंचायत-पीपरी मुतकरपुर

विकास खण्ड-आसपुर देवसरा

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत पीपरी मुतकरपुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1226910/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री लालती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन कुमार से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-11- ग्राम पंचायत-बल्ला

विकास खण्ड-बाबागंज

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं जिनका विवरण इस प्रकार है-

- वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत पर निम्नवत् व्यय दर्शित है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	कार्य स्थल का विवरण	अन्य
1	21.5.2018	15000/-		इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत की सामग्री क्रय व मजदूरी भुगतान
2	30.7.2018	15200/-		"
3	01.8.2018	5000/-		"
4	01.03.2019	6000/-		"
		41200/-		

उपरोक्त की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयी।

- मरम्मत पूर्व तकनीकी अधिकारी से रिपोर्ट नहीं ली गयी।
- मरम्मत हेतु किसी ग्रामीण का प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा।
- कोशबही में हैण्ड पम्प मरम्मत कराये जाने का स्थान दर्शित नहीं है।
- हैण्ड पम्प मरम्मत में निकले खराब पुर्जों का कोई विवरण अथवा स्टॉक रजिस्टर न तो लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा ओर न ही उनकी बिक्री से कोई धनराशि कोशबही में ली गयी है।
- कार्य का इस्टीमेट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
- कोशबही में दर्शित विवरण से स्पष्ट होता है कि धन का भुगतान नकद किया गया।

उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि मनमाना व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अनिल कुमार यादव एवं ग्राम पं० अ० श्री नरेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12- ग्राम पंचायत-मछेहा हर्दोपट्टी

विकास खण्ड-बाबागंज

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं जिनका विवरण इस प्रकार है-

- वर्ष में हैण्ड पम्प रिबोर पर निम्नवत् व्यय दर्शित है-

क्र०	दिनांक	धनराशि	कार्य स्थल का विवरण	अन्य
1	18.5.2018	28049.00		1 हैण्ड पम्प
2	18.5.2018	28097.00		1 हैण्ड पम्प
3	18.5.2018	28427.00		1 हैण्ड पम्प
4	18.7.2018	54950.00		2 हैण्ड पम्प
5	14.8.2018	58500.00		2 हैण्ड पम्प
6	24.9.2018	23790.00	मालती के घर के पास	1 हैण्ड पम्प
7	24.9.2018	28260.00	रामचन्द्र गौतम के घर के पास	1 हैण्ड पम्प
8	24.9.2018	23860.00	भैरवपुर प्रा०वि० में	1 हैण्ड पम्प
9	24.9.2018	23916.00	मछेहा हरदोपट्टी प्रा०वि० में	1 हैण्ड पम्प
10	24.9.2018	23400.00	राय साहब सिंह के घर के पास	1 हैण्ड पम्प
11	24.9.2018	23890.00	सचिन मिश्रा के घर के पास	1 हैण्ड पम्प
		345229.00		

उपरोक्त की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयी-

- क्र० 1 से 5 तक में हैण्ड पम्प रिबोर का स्थल नहीं दर्शाया गया।
- हैण्ड पम्प रिबोर से पूर्व तकनीकी अधिकारी से रिपोर्ट नहीं ली गयी।
- हैण्ड पम्प रिबोर हेतु किसी भी ग्रामीण का प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा।
- हैण्ड पम्प रिबोर हेतु कोई कोटेशन नहीं लिया गया।
- हैण्ड पम्प रिबोर अथवा मरम्मत में निकले पुर्जों का कोई विवरण अथवा स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प रिबोर मनमाने ढंग से दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है जिसे प्रधान श्रीमती मझली देवी व ग्रा०पं०अ० श्री काशीनाथ वर्मा सेब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत-किधौली

विकास खण्ड-बाबागंज

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयीं जिनका विवरण इस प्रकार है-

- वर्ष 2018-2019 में हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर पर रु० 3,04,570.00 का भुगतान निम्नवत् मोनू मशीनरी स्टोर को किया गया-

क्र०	दिनांक	धनराशि	कार्य स्थल का विवरण
1	16.4.2018	30000.00	मोनू मशीनरी स्टोर को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु 5 नग हैण्ड पम्प रिबोर
2	01.6.2018	138000.00	1. प्रा० वि० किधौली 2. राम राज 3. कंधई गौतम 4. माधव लाल शर्मा 5. वीरेन्द्र कुमार पटेल के घर के पास।
3	08.3.2019	27355.00	दिनेश सिंह के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर।
4	28.3.2019	27325.00	छेदी लाल के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर।
5	28.3.2019	27210.00	दयाराम के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर।
6	28.3.2019	27325.00	मेतीलाल के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर।
7	28.3.2019	27355.00	प्रेम पटेल के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर।
		304570.00	

उपरोक्त की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयीं-

- हैण्ड पम्प मरम्मत अथवा रिबोर से पूर्व तकनीकी अधिकारी से रिपोर्ट नहीं ली गयी।
- कार्य हेतु कोई कोटेशन नहीं लिया गया।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा मरम्मत अथवा रिबोर हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है।
- मरम्मत में निकले खराब पुर्जों के विवरण अथवा स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि रु० 304570.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसे प्रधान श्रीमती देवाहिनिया तथा ग्रा०पं०अ० श्री कुलदीप त्रिपाठी से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-14- ग्राम पंचायत-संग्रामपुर

विकास खण्ड-सण्डवा चन्द्रिका

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत संग्रामपुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु० 1534671.08/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री अंजली सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15- ग्राम पंचायत-गौराडाड़

विकास खण्ड-सण्डवा चन्द्रिका

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत गौराडाड़ द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु० 1712514.80/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मीना सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभात कुमार मिश्रा से कमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-16- ग्राम पंचायत-बरहूपुर

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2012-13) से (2018-19) की लेखा परीक्षा में वर्ष (2012-13) से वर्ष (2015-16) के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार वर्ष (2012-13) से (2015-16) तक के कार्यकाल में भूतपूर्व प्रधान अनुज कुमार द्वारा रु0 3470865.00 की धनराशि आहरित की गयी। उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं किये गये, जिससे सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली, भू0पू0 प्रधान अनुज कुमार उपाध्याय एवं तत्कालीन कार्यरत ग्रा0प0वि0अ0 से रमाकांत शर्मा से ब्याज सहित वसूली, दोनों से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर-17- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर के की वर्ष (2016-17) की लेखा परीक्षा में दिनांक 08.04.2016 को रु0 30480.00 का नगद भुगतान सर्वेश सिंह को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार किया गया है। किन्तु कैशबुक में वा0स0-4 दिनांक 08.04.2016 को आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड को ईट क्रय हेतु भुगतान दर्षित है। इस प्रकार आर0बी0एस0 ब्रिक फील्ड को भुगतान का काल्पनिक रूप से समायोजन करते हुये रु0 30480.00 का अपहरण प्रधान राजकुमार एवं त्कालीन ग्रा0प0वि0अ0 रमाकान्त शर्मा द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजकुमार एवं तत्कालीन ग्रा0प0वि0 आ0 रमाकांत शर्मा दोनों से बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर-18- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2016-17) की लेखा परीक्षा में दिनांक 29.04.2016 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार, रु0 36700.00 का भुगतान अज्ञात को किया गया है। जबकि कैशबुक में उक्त भुगतान को पटेल सीमेंट ऐजेंसी को काल्पनिक रूप से भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजकुमार एवं तत्कालीन ग्रा0प0वि0अ0 रमाकांत शर्मा दोनों से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर-19- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर के की वर्ष (2016-17) की लेखा परीक्षा में दिनांक 05.08.2016 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रु0 60000.00 का भुगतान सोनू कन्स्ट्रक्शन को किया गया है। जबकि कैशबुक में दिनांक 05.08.2016 को काल्पनिक रूप से 15 स्ट्रीट लाइट क्रय में समायोजन करते हुये धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान राजकुमार एवं तत्कालीन ग्रा0प0वि0अ0 दोनों से बराबर-बराबर अपेक्षित है।

प्रस्तर-20- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2017-2018) की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, दिनांक 21.08.2017 को रु0 81736.00 का अन्तरण किसी अज्ञात खाते में किया गया है, जबकि कैश बुक में उक्त अन्तरण की धनराशि को, आर0बी0एस0 ब्रिकफील्ड ईट उोग को ईट क्रय हेतु भुगतान दिखाया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजकुमार एवं तत्कालीन ग्राम पं0 वि0अ0 विजय कुमार दोनों से अपेक्षित है।

प्रस्तर-21- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2017-2018) की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, दिनांक 28.09.2017 को रु0 45000.00 का इनवार्ड सी0एल0जी0 करते हुये अन्तरण किसी अज्ञात खाते में किया गया है, जबकि कैश बुक में उक्त धनराशि को 10 स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु भुगतान दर्शाकर धन का दुरुपयोग किया गया है। प्रधान-राजकुमार एवं तत्कालीन ग्रा0प0वि0अ0 विजय कुमार दोनों से बराबर-बराबर की ब्याज सहित वसूली, विभागीय कार्यवाही करते हुये अपेक्षित है।

प्रस्तर-22- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2018-2019) की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 28.11.2018 को रु0 90000.00 का अन्तरण टाटासुल को किया गया है। जबकि कैश बुक में उक्त भुगतान को, 20 नग स्ट्रीट लाइट समायोजन करते हुये धन का दुरुपयोग किया गया है। प्रधान राजकुमार एवं तत्कालीन

ग्रा0पं0वि0अ0 विजय कुमार दोनो से बराबर-बराबर की ब्याज सहित वसूली, विभागीय कार्यवाही करते हुये अपेक्षित है।

प्रस्तर-23- ग्राम पंचायत- बरहूपुर

विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत बरहूपुर की वर्ष (2017-2018) की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, दिनांक 10.01.2019 को रु0 21793.00 का अन्तरण खाता संख्या 02/232 में किया गया है। जबकि कैश बुक में उक्त धनराशि को पक्की नाली निर्माण हेतु मनोज को भुगतान दिखाया गया है। इस प्रकार रु0 21793.00 की धनराशि अनियमित रूप से दुरुपयोगित की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान-राजकुमार एवं तत्कालीन ग्रा0पं0वि0अ0 विजय कुमार दोनो से बराबर- बराबर ब्याज सहित वसूली, विभागीय कार्यवाही करते हुये अपेक्षित है।

प्रस्तर-24- ग्राम पंचायत-रामापुर

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत रामापुर की वर्ष (2018-2019) की लेखा परीक्षा में दिनांक 30.03.2019 को रु0 91700.00 का अन्तरण हुआ है। जबकि कैशबुक में उक्त अन्तरण को प्रशासनिक मद में दर्शाया गया है। जबकि प्रशासनिक एवं तकनीकी खाता डी0पी0आर0ओ0 का होता है। इस प्रकार अन्तरण की धनराशि को, प्रशासनिक मद में दर्शाकर धन का अपहरण कर दुरुपयोग किये जाने की पूर्ण आशंका है अतः उक्त धनराशि रु0 91700.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री मिथलेश कुमार एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री कमलाशंकर दोनो से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-25- ग्राम पंचायत-रामापुर

विकास खण्ड- मंगरौरा

ग्राम पंचायत रामापुर की वर्ष (2018-2019) की लेखा परीक्षा में दिनांक 29.05.2019 को रु0 55250.00 का भुगतान जय माँ वैष्णव ईट उोग को किया गया है। कैशबुक में उक्त क्य किये ईटों का उपयोग जे0पी0आर0एन0डी0 इण्टर कालेज प्रांगण में खडन्जा हेतु दर्शाया गया है। इस प्रकार जो ईट ग्राम पंचायत के विकास में प्रयुक्त होनी चाहिए थी उसका प्रयोग किसी प्राइवेट इण्टर कालेज के प्रांगण में खडंजा निर्माण हेतु प्रदान किया गया। उक्त खडंजा लगवायी की मजदूरी कैश बुक में कही नहीं दिया जाना दर्शित है। इस प्रकार धनराशि रु0 55250.00 का दुरुपयोग किया गया है। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर, धनराशि रु0 55250.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान- श्री मिथलेश कुमार एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री कमलाशंकर दोनो से बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-26- ग्राम पंचायत-साहलीपुर कजास

विकास खण्ड-मंगरौरा

ग्राम पंचायत साहलीपुर कजास की वर्ष (2015-2016) से (2018-19) की लेखा परीक्षा में, वर्ष (2015-16) के कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। वर्ष (2016-17) से (2018-19) के समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार वर्ष (2015-16) में तत्कालीन प्रधान श्री रामदयाल सरोज द्वारा स्वयं एवं अन्य सहयोगियों द्वारा कुल धनराशि रु0 732200.00 का नगद आहरण, अपने कार्यकाल के अन्तिम चुनावी वर्ष में किया गया। उक्त आहरित समस्त धनराशि प्रधान एवं तत्कालीन ग्रा0पं0वि0अ0 दोनो के द्वारा दुरुपयोग करते हुये, अपहरण किया गया। अतः दोनो प्रधान श्री रामदयाल सरोज एवं तत्कालीन ग्रा0पं0वि0अ0 से ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-27- ग्राम पंचायत-कुटिलिया साड़देई

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत कुटिलिया साड़देई द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु0 1526637.00/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री इस्तियाक एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवराज पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28- ग्राम पंचायत-डोमीपुर

विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत डोमीपुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु0 1084053.10/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना,

आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री हनुमान बक्स सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री देवराज मिश्रा से कमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29-ग्राम पंचायत-विजयीमऊ

विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत विजयीमऊ द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु0 3026146.00/- व्यय किया गया। व्यय क सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री हरिश्चन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद मिश्रा से कमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30-ग्राम पंचायत-पूरेबीरबल

विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिनका विवरण इस प्रकार है-

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान का विवरण कोशबही में
1	175	2.8.2018	26934.00	अजय शुक्ला घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
2	176	02.08.2018	26829.00	सूर्य नारायण घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
3	178	21.08.2018	26691.00	सूर्य नारायण घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
4	179	05.9.2018	26861.00	हनुमान मंदिर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी ट्रेडर्स को किया गया।
5	178	05.09.2018	26691.00	सूर्य नारायण घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
6	198	05.02.2018	27329.00	अर्जुन शुक्ला घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
7	200	05.02.2018	27855.00	पारस नाथ घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान
8	199	05.02.2018	28346.00	रामकिशुन वर्मा घर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी को भुगतान किया गया।
9	201	05.02.2019	27057.00	हनुमान मंदिर के पास हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान श्रीमती अनीता त्रिपाठी ट्रेडर्स को किया गया।
		योग	244593.00	

उपरोक्त जाँच में निम्न कमियाँ पाई गई हैं कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान एक ही फर्म को किया गया है जबकि कार्य तो एक ही प्रकार का है। उपरोक्त कार्यों के लिए लेखा परीक्षा में प्रार्थना पत्र अप्राप्त रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि कुल धनराशि रु0 244593.00 का अपहरण किया गया है जिसे ब्याज सहित प्रधान-श्रीमती अनुराधा ग्रा० पं० अधि० श्री कृष्ण मुरारी जायसवाल से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31-ग्राम पंचायत-कामापट्टी

विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिनका विवरण इस प्रकार है-

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	भुगतान का विवरण कोशबही में
1	614505	4.9.2018	2000.00	इतनी राशि आहरित स्टेटमेंट में दर्ज है परन्तु भुगतान जिसे किया गया है कोशबही में अंकित नहीं है।
2	588384	26.11.2018	42227.00	इतनी राशि को आहरित दिया गया है परन्तु कोशबही में भुगतान ए०एन० सेन्टर मरम्मत कार्य में पेन्ट का भुगतान

				सुखदेव प्लाईवुड सेन्टर एण्ड ग्लास हाउस को किया गया परन्तु चेक द्वारा किया गया है या नगद भुगतान किया गया है कोशबही में अंकित नहीं है।
3	588383	26.11.2018	49510.00	इतनी राशि आहरित है भुगतान सुखदेव प्लाईवुड सेन्टर व क्लास हाउस को किया गया है कोशबही में अंकित नहीं है कि यह राशि नगद दी गई है या चेक द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु लिखा गया है कार्य स्पष्ट नहीं है।
4	588377	28.11.2018	29750.00	इतनी राशि आहरित है भुगतान खंडजा निर्माण मजदूरी हेतु राम प्रकाश के घर से छोटे लाल के घर तक 170×175 की दर से किया गया परन्तु किया किसने है यह अंकित नहीं है।
5	588376	28.11.2018	24752.00	इतनी राशि आहरित है भुगतान खंडजा कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर मिट्टी का भुगतान किया है (27.59 घन मी / 194 की दर से) परन्तु किसको किया गया कोशबही में अंकित नहीं है। (रामप्रकाश के घर से छोटे लाल के घर तक)
6	588386	19.12.2018	23510.00	इतनी राशि आहरित है भुगतान किसे किया गया है अंकित नहीं है। रामप्रकाश के घर से बाबूलाल सरोज के घर तक खंडजा निर्माण में ट्रैक्टर मिट्टी का भुगतान है 121.19 घनमी / 194 की दर से
7	58838	19.12.2018	40075.00	भुगतान किसे किया गया है अंकित नहीं है (कार्य राम नाथ के घर से बाबूलाल सरोज के घर तक मजदूरी 229×175 की दर से)
8	588397	15.02.2019	18500.00	कार्य ग्राम पंचायत में न्यू हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान किया गया है अंकित नहीं है।
		योग	230324.00	

वर्ष 2018-2019 की लेखा- परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा कृत कार्य में धनराशि का भुगतान एकाउण्ट पेई चेक द्वारा किया गया है या नगद यह स्पष्ट नहीं है जिसे यह स्पष्ट है कि ग्राम निधि खाता से धनराशि आहरित कर ली गई है और भुगतान किया गया है जिसका विवरण अपूर्ण रहा जिससे यह धनराशि अपहरण की हुई प्रतीत हो रही है। जिसे ब्याज सहित प्रधान- श्रीमती सुनीता देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आत्माराम मोर्य से वसूल किया जाना है।

प्रस्तर-32- ग्राम पंचायत-जनवामऊ

विकास खण्ड-कालाकाकर

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत जनवामऊ द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 3298692.50/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार अहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ल से कमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-33- ग्राम पंचायत-अतौलिया

विकास खण्ड-कालाकाकर

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत अतौलिया द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से ₹0 1931470.50/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नागेन्द्र कुमार से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34- ग्राम पंचायत-दशरथपुर

विकास खण्ड-पट्टी

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत दशरथपुर द्वारा वर्ष 2018-2019 में प्राप्त धनराशि से रु0 899064.00/- व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाये गए।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रुबीना बानो एवं ग्राम पंचायत सचिव अब्दुल खॉ से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35- ग्राम पंचायत-पुरनेमऊ

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिनका विवरण इस प्रकार है:-

1. श्री राम आसरे के नाम निम्नवत रु0 1011889.00 का आहरण किया गया।

क्र०	दिनांक	धनराशि	भुगतान मद का विवरण कोशवही में
1	21.4.2018	25550.00	मजदूरी इण्टरलाकिंग
2	27.4.2018	3850.00	मजदूरी नल मरम्मत
3	27.4.2018	3850.00	मजदूरी नल मरम्मत
4	1.5.2018	25550.00	मजदूरी सी0सी0 रोड निर्माण
5	1.5.2018	12075.00	मजदूरी खडंजा मरम्मत
6	4.5.2018	28000.00	मजदूरी पक्की खडंजा मरम्मत
7	7.6.2018	37800.00	मजदूरी नाली निर्माण बसन्त के घर से प्रा0 वि0 तक
8	6.8.2018	1505.00	मजदूरी खडंजा निर्माण
9	6.8.2018	17150.00	मजदूरी खडंजा निर्माण
10	4.9.2018	17325.00	मजदूरी नाली निर्माण
11	11.9.2018	26600.00	मजदूरी नाली निर्माण
12	24.9.2018	30800.00	मजदूरी खडंजा मरम्मत
13	24.9.2018	18900.00	मजदूरी खडंजा निर्माण
14	8.10.2018	26250.00	मजदूरी खडंजा मरम्मत
15	15.10.2018	31500.00	मजदूरी पक्की नाली निर्माण बसन्त के घर से प्रा0वि0 तक
16	17.10.2018	61659.00	ए टू जेड डेवलपर्स को सामग्री का भुगतान
17	17.10.2018	61659.00	ए टू जेड डेवलपर्स को सामग्री का भुगतान
18	26.10.2018	32160.00	न्यू0के0जी0एन0ईट डोग को पुरनेमऊ खास में कमला मौर्य के घर से राजकुमार सिंह कं घर तक ख0म0
19	30.10.2018	5250.00	मजदूरी
20	16.1.2019	102170.00	न्यू0के0जी0एन0ईट डोग को हियातनगर में दुर्गा के घर से आशाराम के घर तक मिट्टी एवं खडंजा कार्य।
21	31.1.2019	23100.00	मजदूरी
22	31.01.2019	42000.00	मजदूरी
23	12.2.2019	28000.00	मजदूरी पक्की नाली निर्माण बसन्त के घर से प्रा0वि0तक
24	14.2.2019	31325.00	मजदूरी मिट्टी व खडंजा कार्य।
25	18.2.2019	11900.00	गौशाला के लिए बालू आपूर्ति हेतु
26	25.2.2019	91728.00	न्यू0के0जी0एन0ईट डोग को ईट हेतु।
27	2.3.2019	37800.00	मजदूरी खडंजा कार्य।
28	8.3.2019	39900.00	मजदूरी गौशाला में मिट्टी भराई।
29	11.3.2019	17325.00	मजदूरी कमरा निर्माण
30	18.3.2019	35551.00	न्यू0के0जी0एन0ईट डोग
31	18.3.2019	23975.00	मजदूरी भूसा रखने का कमरा निर्माण
32	28.3.2019	14637.00	एम/एस शिव स्टील्स को गौशाला में ग्रेट हेतु
33	29.3.2019	31500.00	मानदेय प्रधान

		1011889.00	

उपरोक्त प्रमाणपत्रों की जांच से निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी:-

1. सम्पूर्ण धनराशि रामआसरे के नाम आहरित है जो न तो प्रधान है, न किसी फर्म के स्वामी है और न ही साप्लायर है।
2. बसन्तू के घर से प्रा0वि0 तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी रू0 97300.00 व सामग्री रू0 123318.00 का सम्पूर्ण भुगतान राम आसरे को किया गया।
3. हियातनगर में दुर्गा के घर से आशाराम के घर तक मिट्टी व खडंजा निर्माण कार्य पर सामग्री रू0 102170.00 व मजदूरी रू0 23100.00 का भुगतान राम आसरे को किया गया।
4. फर्म को रामआसरे के माध्यम से रू0 411464.00 फर्म को नकद भुगतान दर्षित है जो विक्री कर की चोरी रही।
5. दिनांक 29.03.2019 को प्रधान का मानदेय रू0 31500.00 श्री राम आसरे को भुगतान किया गया।

उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि श्री राम आसरे को रू0 1011889.00 का अनाधिकृत भुगतान करते हुए धन का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित प्रधान श्रीमती रामपति एवं ग्रा0पं0अ0 श्री शोभनाथ उर्फ नायर से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36- ग्राम पंचायत-मौली

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी जिनका विवरण इस प्रकार है-

1. प्रधान द्वारा निम्नवत स्वयं द्वारा अथवा अन्य द्वारा धन का आहरण कर सम्मुख अंकित मदों पर व्यय किया गया।

क्र0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	आहरणकर्ता	व्यय विवरण
1	25.05.2018	151	18000.00	सत्येन्द्र प्रसाद	इ0 मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी
2	15.6.2018	161	20000.00	अनुज कुमार पाण्डेय	इ0 मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी
3	8.6.2018	170	31050.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री व मजदूरी
4	28.6.2018	169	31100.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री व मजदूरी
5	28.6.2018	167	31000.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री व मजदूरी
6	28.6.2018	168	31050.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री व मजदूरी
7	20.7.2018	191	18025.00	संजय कुमार	मजदूरी नाली निर्माण
8	6.8.2018	194	40000.00	सौरभ पाण्डेय	पुलिया निर्माण सामग्री
9	6.8.2018	193	18000.00	सौरभ पाण्डेय	हैण्ड पम्प मरम्मत
10	10.9.2018	204	18000.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प मरम्मत
11	24.9.2018	216	54977.00	सत्येन्द्र प्रसाद	ईट बालू सीमेण्ट क्रय
12	24.9.2018	215	49262.00	सत्येन्द्र प्रसाद	पक्की नाली निर्माण
13	24.9.2018	202	43476.00	सत्येन्द्र प्रसाद	ईट क्रय व मजदूरी
14	26.9.2018	224	35630.00	सत्येन्द्र प्रसाद	ईट सीमेन्ट बालू क्रय
15	20.10.2018	230	23700.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर
16	24.10.2018	229	58486.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प रिबोर
17	2.11.2018	231	107301.00	सत्येन्द्र प्रसाद	ईट गिट्टी व सीमेण्ट क्रय
18	15.11.2018	233	62240.00	सत्येन्द्र प्रसाद	सीमेण्ट व बालू क्रय
19	20.11.18	237	19500.00	सत्येन्द्र प्रसाद	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री व मजदूरी
20	10.01.2018	259	24855.00	सत्येन्द्र प्रसाद	बालू व सीमेण्ट क्रय
21	02.02.2018	265	53434.00	सत्येन्द्र प्रसाद	सीमेण्ट व गिट्टी क्रय
22	20.7.2018	188	50089.00	संजय कुमार	मजदूरी नाली निर्माण
23	30.10.2018	234	42350.00	सत्येन्द्र प्रसाद	सामग्री नाली निर्माण
		योग	881525.00		

उपरोक्त प्रमाणपत्रों में निम्न कमियां रही-

1. सामग्री का भुगतान नकद किया गया है जो बिक्री कर की चोरी रही।
2. रिबोर सामग्री व मजदूरी का भुगतान नकद किया गया है।
3. क्रमांक 7 व 22 पर मजदूरी का भुगतान संजय कुमार को किया गया है।
4. प्रायः धन का आहरण कर स्वयं प्रधान द्वारा नकद सामग्री क्रय की गयी हैं

उपरोक्त के प्रकाश में भारी अनियमितता दृष्टिगत होती है जिसके लिए प्रधान श्री सत्येन्द्र प्रसाद व ग्रा० पं० अ० श्रीमती सरिता पाण्डेय उत्तरदायी है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37- ग्राम पंचायत-बरई

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी जिनका विवरण इस प्रकार है-

आलोच्य वर्ष में निम्नवत रु० 4,58,650.00 का भुगतान खुशीद अहमद को किया गया है जो न तो किसी फर्म के स्वामी है और न ही सामग्री सप्लायर। फर्म अथवा प्रधान के अतिरिक्त अन्य के नाम भुगतान सर्वथा अनियमित व आपत्तिजनक रहा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.6.2018 को हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय के अतिरिक्त अन्य धनराशि मजदूरी भुगतान पर व्यय दर्शाया गया है। रु० 20000.00 अपहरण स्वरूप रहा। शेष रु० 438650.00 की अनियमितता के लिए प्रधान श्रीमती फहमतदा बानो व ग्रा० पं० अ० श्री शोभनाथ नायर उत्तरदायी है जिनके प्रति ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है-

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	टिप्पणी
1	20.4.2018	022889	25025.00	मजदूरी भुगतान
2	20.4.2018	022887	35035.00	मजदूरी भुगतान
3	25.4.2018	022892	44100.00	मजदूरी भुगतान
4	01.5.2018	0228908	25725.00	मजदूरी भुगतान
5	25.6.2018	022913	20000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय
6	14.9.2018	022925	29400.00	मजदूरी भुगतान
7	19.9.2018	022933	35000.00	मजदूरी भुगतान
8	22.9.2018	022938	20125.00	मजदूरी भुगतान
9	22.9.2018	022939	59115.00	मजदूरी भुगतान
10	17.10.2018	022943	29400.00	मजदूरी भुगतान
11	17.12.2018	022950	22050.00	मजदूरी भुगतान
12	11.3.2019	053166	29400.00	मजदूरी भुगतान
13	14.3.2019	053170	29400.00	मजदूरी भुगतान
14	14.3.2019	053169	5000.00	मजदूरी भुगतान
15	16.3.2019	053174	43750.00	मजदूरी भुगतान
16	27.3.2019	053177	6125.00	मजदूरी भुगतान (सा० आ० सं० 24)
			योग 458650.00	

प्रस्तर-38- ग्राम पंचायत-शेखपुर आशिक

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां पायी गयी जिनका विवरण इस प्रकार है-

1. समीक्ष्य वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत पर रु० 296200.00 निम्नवत व्यय दर्शित है-

क्र०	दिनांक	चेक नं०	व्यय प्रभा० सं०	विवरण	नामव्यक्ति/ फर्म भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
1	3.4.2018	105	2	1 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	मोहमद जफर	31500.00
2	17.5.2018	111	5	4 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	संजय कुमार	15000.00
3	19.7.2018	113	7	4 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	अनुज कुमार	4000.00
4	25.7.2018	114	8	4 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	राजू कुमार	19000.00
5	3.8.2018	119	12	उपरोक्त	मोहमद जफर	19500.00
6	26.9.2018	137	23	2 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	"	60000.00
7	26.9.2018	136	24	उपरोक्त	"	60000.00
8	26.9.2018	90	25	शेखपुर पर 1 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	"	30000.00
9	27.12.2018		25	4 नग इण्डिया मार्का है०प० रिबोर	नकद	19000.00
10	26.2.2019			उपरोक्त	नकद	19200.00
11	18.3.2019			उपरोक्त	अनुज कुमार	19000.00

					पाण्डेय	
					योग	296200.00

प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियां पायी गयी:-

1. भुगतान नकद अथवा कैश चेक से किये गये है। जो अनियमित रहा।
2. कोई भी भुगतान फर्म के नाम से नहीं किया गया है।
3. दिनांक 19.7.2018 को अनुज कुमार के नाम रु0 5000.00 आहरित कर 64000.00 मजदूरी दी गयी।
4. दिनांक 26.9.2018 को 3 चेक के माध्यम से 150000.00 दिया गया जो अनियमित रहा एक ही कार्य के लिये तीनों भुगतान एक चेक के माध्यम से होना चाहिए।
5. किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हैण्ड पम्प के खराब होने की रिपोर्ट नहीं लगी है।
6. किसी ग्रामीण द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत की मांग नहीं की गयी है।
7. मरम्मत में निकले पार्ट्स का कोई विवरण तैयार नहीं किया गया है।
8. व्यय प्रमाणकों के क्रमांक में तारतम्य नहीं है।
9. एम0 बी नहीं कराई गयी है।
10. विगत वर्षों के हैण्ड पम्प मरम्मत में निकले खराब पुर्जों की बिक्री से कोई आय नहीं दर्शायी गयी है।

11. फर्म के नाम एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान न करके व्यापार कर की चोरी की गयी है। उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणकों के आधार पर हैण्ड पम्प मरम्मत अथवा रिबोर दर्शाकर, जिसकी एम0 बी0 भी नहीं कराई गयी है रु0 296200.00 का आहरण किया गया है जिसे ब्याज सहित प्रधान श्री इन्द्र कुमार व ग्रा0 पं0 अ0 श्री लवकुश भार्गव से यथाशीघ्र वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39- ग्राम पंचायत-गयासपुर

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नत है-

1-वर्ष 2018-19 में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु0 269915.00 का भुगतान निम्नवत् किया गया दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	वाद संख्या	विवरण	धन प्राप्तकर्ता व्यक्ति	धनराशि
1	03.04.2018	1	4 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	भारत इन्जीनियरिंग स्टोर	18500.00
2	22.05.2018	5	1 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर	टांसफर क्ली0	31580.00
3	04.05.2018	6	4 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत	नगद	20050.00
4	04.06.2018	7	उपरोक्त	नगद	20100.00
5	13.06.2018	8	उपरोक्त	वीरेन्द्र कुमार	19500.00
6	13.06.2018	9	उपरोक्त	राजू कुमार	19500.00
7	12.09.2018	27	उपरोक्त	क्लीरिंग	19500.00
8	20.09.2018	30	उपरोक्त	मुदस्सिर फारुकी	19200.00
9	20.09.2018	31	उपरोक्त	मनोज कुमार	19200.00
10	13.12.2018	46	उपरोक्त	वीरेन्द्र कुमार	19000.00
11	14.01.2019	60	1 नगर हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी (राजेश के घर के पास)	वीरेन्द्र कुमार	16507.00
12	18.01.2019	62	1 नग हैण्ड पम्प रिबोर समग्री	क्लीरिंग	14157.00
13	18.01.2019	63	मंगरू के घर के पास हैण्ड रिबोर समग्री	क्लीरिंग	13921.00
14	26.02.2019	70	4 नग हैण्ड पम्प मरम्मत	नगद	19200.00
			योग		269915.00

व्यय प्रमाणकों की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी:-

(क) क्रमांक 3,4,8 व 14 द्वारा 78550.00 प्रधान द्वारा नगद भुगतान किया गया है जो सर्वथा अनियमित व आपत्तिजनक रहा।

(ख) क्रमांक 5,6,9,10,11 द्वारा रु0 93707.00 का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों को कैश चेक द्वारा दिया गया है जो न तो सप्लायर है और न ही किसी फर्म के स्वामी।

(ग) क्रमांक 13 पर दर्शित हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री का उपभोग न तो 31.03.2019 तक किया गया और न ही स्टॉक रजिस्टर तैयार कर अवशेष दर्शाया गया।

(घ) हैण्ड पम्प के खराब होने की रिपोर्ट किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा नहीं लगायी गयी है। हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किसी ग्रामीण द्वारा आवेदन भी नहीं किया गया है।

(ड.) हैण्ड पम्प की मरम्मत में निकले खराब पुर्जों का न तो कोई विवरण तैयार किया गया है और न ही उनकी बिक्री से कोई धनराशि प्राप्त की गयी है।

उपरोक्त कामियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि रु 172257.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मुदस्सिर फारुकी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सरिता पाण्डेय से करते हुए रु 13921.00 की सामग्री प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-40- ग्राम पंचायत-गयासपुर

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष में निम्नवत रु 816883.00 के चेक श्री वीरेन्द्र कुमार को निर्गत किये गये जो न तो सप्लायर है और न ही किसी फर्म के स्वामी। श्री वीरेन्द्र कुमार को निर्गत चेकों की धनराशि से कभी निर्माण सामग्री कय तो कभी मजदूरी भुगतान दर्शित है जो संदिग्ध स्थिति का घोटक है। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा रु 816888.88 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्री मुदस्सिर फारुकी तथा ग्रामपंचायत श्रीमती पाण्डेय से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

विवरण इस प्रकार है:-

क्र०	दिनांक	धन प्राप्तकर्ता	धनराशि	कार्य जो किया गया
1	10.04.2018	श्री वीरेन्द्र कुमार	35000.00	मजदूरी भुगतान
2	02.07.2018	उपरोक्त	72761.00	सामग्री रु 60314+मजदूरी 24252.72739.00
3	16.07.2018	उपरोक्त	9657.00	मजदूरी
4	21.07.2018	उपरोक्त	28612.00	मजदूरी रु 28525.00
5	02.08.2018	उपरोक्त	26900.00	सामग्री रु 11717+मिट्टी 2758+मजदूरी 12425.26900
6	02.08.2018	उपरोक्त	44557.00	सामग्री कम
7	07.08.2018	उपरोक्त	29454.00	शौचालय सामग्री कम
8	14.08.2018	उपरोक्त	61500.00	प्रा०वि० में रंगाई पोताई आदि मजदूरी
9	15.09.2018	उपरोक्त	18892.00	नाली निर्माण मजदूरी
10	03.10.2018	उपरोक्त	38683.00	सामग्री रु 31562+मजदूरी 700 ईट कय
11	17.10.2018	उपरोक्त	72179.00	ईट कय
12	17.10.2018	उपरोक्त	19978.00	खंडजा निर्माण मजदूरी भुगतान
13	17.10.2018	उपरोक्त	58215.00	ईट, गिट्टी सीमेंट व बालू कय
14	22.11.2018	उपरोक्त	72316.00	ईट मिट्टी कय
15	29.11.2018	उपरोक्त	11228.00	खंडजा मरम्मत मजदूरी रु 11200.00
16	13.12.2018	उपरोक्त	44770.00	सामग्री नाली निर्माण कय
17	21.12.2018	उपरोक्त	10825.00	मजदूरी नाली निर्माण रु 10675.00
18	21.12.2018	उपरोक्त	5746.00	मजदूरी नाली निर्माण रु 5600.00
19	24.12.2018	उपरोक्त	18000.00	मजदूरी नाली निर्माण रु 18025.00
20	13.06.2018	उपरोक्त	19500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री कम
21	08.01.2019	उपरोक्त	14334.00	मजदूरी घ०नि० व मिट्टी रु 14135.00
22	08.01.2019	उपरोक्त	11154.00	मजदूरी घ०नि० व मिट्टी रु 11025.00
23	24.01.2019	उपरोक्त	16507.00	हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी भुगतान
24	27.01.2019	उपरोक्त	22115.00	मजदूरी नाली निर्माण
25	13.12.2018	उपरोक्त	35000.00	मजदूरी नाली निर्माण
26			19000.00	हैण्ड पम्प सामग्री कय
		योग	रु 816883.00	

प्रस्तर-41- ग्राम पंचायत-जमेठी

विकास खण्ड-कुण्डा

वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नवत है-

- वर्ष के दौरान सामग्री कय कतिपय तिथियों में नकद भुगतान करते हुए किया गया जो भारी अनियमितता का परिचायक है। नियमानुसार एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से भुगतान करके ही सामग्री कय किया जाना अपेक्षित है। अतः दर्शित नकद भुगतान रु 200129.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान व ग्रामपंचायत से किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है-

क्र०	व०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण प्राप्तकर्ता

1	129	20.2.2019	15657.00	प्रधान श्री सूर्यभान द्वारा हैण्ड पम्प सामग्री
2	134	5.3.2019	52568.00	नकद गौशाला हेतु सीमेण्ट व बालू कय
3	139	16.3.2019	79175.00	प्रधान श्री सूर्यभान द्वारा सीमेण्ट व बालू कय
4	142	19.3.2019	17882.00	प्रधान श्री सूर्यभान द्वारा बाउन्ड्रीगेट
5	143	19.3.2019	9000.00	नकद दरवाजा व खिड़की कय
6	144	19.3.2019	6000.00	नकद दरवाजा कय
7	151	19.3.2019	19847.00	प्रधान सूर्यभान द्वारा सीमेण्ट व सरिया कय
		योग	200129.00	

प्रस्तर-42-ग्राम पंचायत-डडौली

(वि0ख0- कुण्डा)

वर्ष 2017-2018 व 2018-19 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नवत् है-

वर्ष 2017-2018 व 2018-19 के दौरान कैश चेक के माध्यम से निम्नवत् विभिन्न व्यक्तियों के नाम धन का आहरण कर अपहरण किया गया क्योंकि इन व्यक्तियों के नाम न तो कोई फर्म है और न ही ये सप्लायर है।

क्र0 सं0	दिनांक	चेक सं0	आहरणकर्ता	धनराशि रू0
1	16.5.2017	008530	विनीत सिंह	70200.00
2	01.7.2017	008531	राकेश	22100.00
3	08.8.2017	008533	बबन सिंह	42000.00
4	5.5.2018	008543	आदित्य प्रताप	49750.00
5	17.5.2018	008546	विवेक प्रताप	30670.00
6	21.6.2018	008549	विष्णु प्रताप	29790.00
7	03.7.2018	008550	बबन सिंह	29640.00
8	03.7.2018	008551	बबन सिंह	29430.00
9	7.9.2018	008555	बबन सिंह	40795.00
10	13.9.2018	025835	बबन सिंह	225000.00
11	26.10.2018	02536	बबन सिंह	100000.00
12	07.12.2018	008556	अनुज चौरसिया	90000.00
13	7.12.2018	008558	डालचन्द्र	30000.00
14	7.12.2018	008557	टबरार अहमद	30000.00
15	14.12.2018	008559	बबन सिंह	24500.00
16	17.1.2019	008560	अभिनव सिंह	15000.00
		योग		858875.00

किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को नकद भुगतान सर्वथा अनियमिता व आपत्तिजनक है। नकद भुगतान से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है। प्रधान श्रीमती रेखा देवी व ग्रा0पं0अ0 श्री अशोक सचान से रू0 858875.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 -गोतनी-(वि0ख0 -कुण्डा)

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नवत् है-

1.दिनांक 15.02.2019 को ग्राम निधि खाता सं0-07160100032841 से चेक सं0 172 द्वारा रू0 60000.00 का आहरण किया गया। आहरित की गयी धनराशि को न तो कोशबही के आयपक्ष में अंकित किया गया और न ही इसके सापेक्ष कोई धनराशि व्यय पक्ष में दर्शाया गया। रू0 60000.00 बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार विनोद कुमार विश्वकर्मा के नाम से आहरित की गयी है जो कोई फर्म नहीं है। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के रू0 60000.00 का अपहरण किया गया है जिसे ब्याज सहित प्रधान श्रीमती ममता व ग्रा0 पं0 अधिकारी श्री अरविन्द यादव से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-44-ग्राम पंचायत-कुशाहिल डीह

वि0 ख0 कुण्डा

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नवत् है-

दिनांक 16.03.2019 को ग्राम निधि खाता सं0-0716010032788 से रू0 32425.00 का आहरण किया गया। आहरित की गयी धनराशि को न तो कोशबही के आयपक्ष में अंकित किया गया और न ही इसके सापेक्ष कोई धनराशि व्यय पक्ष में दर्शाया गया। इस प्रकार बैंक से आहरित धनराशि को कोशबही के आय पक्ष व व्यय पक्ष में न अंकित कर रू0 32425.00 का अपहरण किया गया जिसे ब्याज सहित प्रधान श्रीमती रजवन्ती व ग्रा0 पं0 अधिकारी श्री धीरेन्द्र तिवारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम-आधिया

वि0ख0 - कुण्डा

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिनका विवरण निम्नवत् है-

1. वर्ष 2018-19 में हैण्ड पम्प मरम्मत पर निम्नवत व्यय दर्शित है:-

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	आहरणकर्ता	धनराशि रू०
1	17.5.2018	4	4 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान	19400.00
2	1.6.2018	5	4 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया	19640.00
3	8.10.2018	15	4 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु भुगतान किया गया	19640.00
4	26.3.2018	23	2 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर का भुगतान किया गया	61750.00
				120430.00

व्यय प्रमाणको की जाँच में निम्न कमियाँ पायी गयी:-

1. किसी भी ग्रामीण द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु आवेदन नहीं दिया गया है।
2. मरम्मत पूर्व अथवा मरम्मत उपरान्त किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी की हैण्ड पम्प खराब होने एवं ठीक होने की रिपोर्ट नहीं लगी है।
3. हैण्ड पम्प मरम्मत की एम०बी० नहीं कराई गयी है।
4. बाउचर क्रमांक 4,5 व 15 पर मजदूरी व्यय नहीं दर्शाया गया है।

उपरोक्त कमियों के प्रकाश में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के रू० 120430.00 का दुरुपयोग किया गया है जिसे प्रधान मो० उस्मान खॉ एवं ग्रा०पं०अ० श्रीमती पूनम शुक्ला से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46-पूरे इच्छाराम

वि०ख०- लालगंज

क्र०सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या
1	हैण्डपम्प रिबोर	3.4.2018	83050.00	135
2	हैण्डपम्प मरम्मत	27.7.2018	42150.00	136
3	हैण्डपम्प मरम्मत	4.8.2018	85130.00	138
4	हैण्डपम्प मजदूरी	12.2.2019	50517.00	162
5	हैण्डपम्प रिबोर	12.02.2019	90806.00	163
		योग	351653.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत पर किए गए व्यय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत पूरे इच्छाराम विकास खण्ड लालगंज में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय की गई कुल धनराशि रू० 351653/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम अवध से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-47- ग्राम-डगरारा

वि० ख०-लालगंज

क्र०सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या
1	हैण्डपम्प मरम्मत	13.6.2018	48500.00	149
2	हैण्डपम्प मरम्मत	18.9.2018	20750.00	154
3	हैण्डपम्प मजदूरी	18.9.2018	17000.00	155
4	हैण्डपम्प रिबोर	18.9.2018	91190.00	156
5	हैण्डपम्प रिबोर	28.03.2019	18650.00	179
6	हैण्डपम्प रिबोर	28.03.2019	95680.00	172
		योग	291770.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत पर किए गए व्यय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत डगरारा विकास खण्ड लालगंज में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 291770/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री चन्द्र प्रकाश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश तिवारी से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-48- ग्राम-तारापुर

वि0ख0- लालगंज

क्र0सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या
1	हैण्डपम्प मरम्मत	5.6.2018	23397.00	167
2	हैण्डपम्प मरम्मत	27.6.2018	70000.00	171
3	हैण्डपम्प रिबोर	05.7.2018	27637.00	174
4	हैण्डपम्प रिबोर	9.7.2018	27610.00	176
5	हैण्डपम्प मरम्मत	11.7.2018	27655.00	175
6	हैण्डपम्प मरम्मत	23.8.2018	35656.00	179
7	हैण्डपम्प मरम्मत	12.9.2018	28944.00	185
	योग		240899.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत पर किए गए व्यय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत तारापुर विकास खण्ड लालगंज में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय की गई कुल धनराशि रु0 2,40,899/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राम नारायण पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49-ग्राम-इटौरी

वि0ख0 -लक्ष्मणपुर

ग्राम पंचायत इटौरी के वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा में दिनांक 05.01.2019 को ग्राम पंचायत इटौरी के खाता संख्या-35788112391 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सगरा सुन्दरपुर चेक संख्या- 298996 से रु0 39400/- का अन्तरण बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार खाता संख्या- 0011650524716, शाखा सगरा सुन्दरपुर को किया गया है। कैशबुक में उक्त धनराशि प्राथमिक विालय इटौरी के मरम्मत हेतु खिड़की, दरवाजा आदि पर व्यय दर्शित है। किन्तु इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध होने के कारण उक्त धनराशि के उचित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत इटौरी विकास खण्ड लक्ष्मणपुर प्राथमिक विालय के मरम्मत हेतु व्यय की गई कुल धनराशि रु0 39400.00/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर शुक्ला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार श्रीवास्तव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50- ग्राम-नौबस्ता

वि0ख0-लक्ष्मणपुर

क्र0सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या

1	हैण्डपम्प रिबोर	14.6.2018	199500.00	17
2	हैण्डपम्प रिबोर	27.7.2018	114000.00	47
3	हैण्डपम्प रिबोर	27.7.2018	85500.00	48
	योग		399000.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत पर किए गए व्यय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत नौबस्ता विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 3,99,000/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्री अजय सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ध्रुव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51- गाँव-रंगौली

वि०ख०-लालगंज

क्र०सं	कार्य	दिनांक	धनराशि	चेकसंख्या
1	हैण्डपम्प मरम्मत	14.6.2018	33220.00	152
2	हैण्डपम्प मरम्मत	16.7.2018	34350.00	166
3	हैण्डपम्प मरम्मत	07.9.2018	40230.00	169
	योग		1,07,800.00	

उपरोक्त विवरण में दर्शित हैण्डपम्प मरम्मत पर किए गए व्यय से सम्बन्धित बाउचर लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।

ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेन्युअल के अध्याय- 8 के खण्ड- 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए तथा अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से की जाएगी।

उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत रंगौली विकास खण्ड लालगंज में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय की गई कुल धनराशि ₹0 1,07,800/- जिसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे की ब्याज सहित वसूली नियमानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जू वर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रवीण शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

आपत्तियों का विवरण वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत -माण्डा खास, विकास खण्ड -माण्डा, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर-1.आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार माह अप्रैल 2018 में धनराशियां बैंक से अनधिकृत रूप से आहरित की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	04.03.2018	953696	5000	अज्ञात
2	04.03.2018	953695	5000	अज्ञात
3	04.05.2018	953691	10000	राम धनी कुशवाहा
4	04.10.2018	953697	10000	करुणा देवी
5	04.10.2018	953698	10000	करुणा देवी
6	04.10.2018	953699	10000	करुणा देवी
7	04.10.2018	953700	10000	करुणा देवी
8	04.10.2018	953701	10000	करुणा देवी
9	04.11.2018	953702	40000	मिश्रा विल्डिंग मटेरियल
			110000	

उपरोक्त धनराशियां प्रधान सहित अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा एव मिश्रा विल्डिंग मटेरियल द्वारा आहरित की गयी हैं , जब कि व्यय एक मुस्त रु. 88350.00 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर एवं रु. 19000.00 हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया, कुल रु. 107350.00 एवं रु. 2650.00 का अन्तिम अवशेष नकद कैश बुक में अवशेष दर्शाया गया। जो पुरी तरह नियम के विपरीत एवं अवैध भुगतान रहा । यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि रु.20000.00 का आहरण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एवं रु.50000 का आहरण प्रधान श्रीमती करुणा देवी द्वारा एवं रु. 40000.00 का भुगतान मिश्रा विल्डिंग मटेरियल को कर किस प्रकार हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं मस्टररोल का भुगतान किया गया । एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेके सभी आदेशों नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं स्वयं ग्राम प्रधान के द्वारा आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। स्थल की सूची, स्टॉक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टॉक रजिस्टर, एम.बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे । सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टॉकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि रु. 110000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम सकल गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 110000.00 (मूल आपत्ति संख्या – 26)

प्रस्तर-2 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार माह मई 2018 से माह मार्च 2019 तक निम्न धनराशियां बैंक से अनधिकृत रूप से आहरित की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	05-05-2018	953705	29000	करुणा देवी
2	05-05-2018	953704	30000	करुणा देवी
3	05-11-2018	953712	11810	संजय कुमार
4	18/5/2018	953706	14000	राम धनी कुशवाहा
5	28-6-2018	953730	14000	करुणा देवी
6	28-6-2018	953729	50000	करुणा देवी
7	30/7/2018	949825	50000	करुणा देवी
8	30/7/2018	949823	5000	करुणा देवी
9	13/8/2018	949828	50000	करुणा देवी
10	13/8/2018	949829	50000	करुणा देवी
11	24/8/2018	949841	10000	करुणा देवी
12	09-10-2018	949845	50000	करुणा देवी
13	09-12-2018	949833	175000	योगेश प्रताप सिंह
14	15/9/2018	949846	59400	करुणा देवी
15	10-08-2018	949850	50000	करुणा देवी
16	16/10/2018	949865	100000	योगेश प्रताप सिंह
17	22-10-2018	949854	40500	करुणा देवी
18	22-10-2018	949856	52000	करुणा देवी
19	22-10-2018	949858	10228	करुणा देवी
20	22-10-2018	949848	45000	योगेश प्रताप सिंह
21	23-10-2018	949852	14800	राम धनी कुशवाहा

22	01-11-2019	949874	88000	दयाशंकर
23	18-1-2019	949875	20000	राम धनी कुशवाहा
24	22-1-2019	949871	8000	करुणा देवी
25	22-1-2019	949869	4200	करुणा देवी
26	31-1-2019	949877	49500	करुणा देवी
27	02-12-2019	949882	50000	करुणा देवी
28	02-12-2019	949881	50000	करुणा देवी
29	22-2-2019	949887	50000	करुणा देवी
30	22-2-2019	949888	50000	करुणा देवी
31	28-2-2019	949889	30000	अजय कुमार
32	03-08-2019	949895	50000	करुणा देवी
33	13-3-2019	949897	26000	करुणा देवी
34	19-3-2019	949893	40000	करुणा देवी
35	26-3-2019	427803	50000	करुणा देवी
1476438				

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि अधिकांश भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा देवी द्वारा स्वयं नियम विरुद्ध प्राप्त किए गए हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 1476438.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम सकल गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 1476438.00

(मूल आपत्ति संख्या – 27)

प्रस्तर-3 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत रूप से आहरित की गयी हैं, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	07.03.2018	953723	99960	देवांश इण्टर प्राइज
2	07.03.2018	953724	99960	देवांश इण्टर प्राइज
3	07.03.2018	953725	99960	देवांश इण्टर प्राइज
4	07.03.2018	953726	99960	देवांश इण्टर प्राइज
5	07.03.2018	953727	99960	देवांश इण्टर प्राइज
6	07.03.2018	953728	99960	देवांश इण्टर प्राइज
			599760	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इतनी मात्रा में हयूम पाइप खरीद का औचित्य क्या रहा। इनकी स्थापन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कि इनकी स्थापना किन स्थानों पर की गयी है। उपरोक्त व्यय में किसी भी प्रकार की मजदूरी एवं अन्य आवश्यक स्थापना सामग्री का भुगतान न किया जाना आश्चर्यजनक रहा एवं धनराशि के गबन का प्रमाण प्रस्तुत करता है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर,

परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र एवं उच्चाधिकारियों का दो लाख से अधिक खरीद की स्वीकृति आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचाई गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 599760.00 (पांच लाख निन्यानवे हजार सात सौ साठ)की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती करुण देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम सकल गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 599760.00

(मूल आपत्ति संख्या – 28)

प्रस्तर – 4 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत रूप से आहरित की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	21.8.2018	949836	50000	शशी इण्टर प्राइजेज
2	21.8.2018	949834	52000	चिराग ईट उोग
3	30.8.2018	949840	28000	विक्रम विल्डिंग मटेरियल
			130000	

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	10.08.2018	949850	50000	करुणा देवी
2	10.09.2018	949849	26000	शशी इण्टर प्राइजेज
3	10.09.2018	949851	35000	शशी इण्टर प्राइजेज
4	16.10.2018	949864	100000	शशी इण्टर प्राइजेज
5	16.10.2018	949865	100000	योगेश प्रताप सिंह
			311000	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त (1) व्ययों में से कैशबुक के अनुसार दिनांक 30.8.2018को रु.120000.00 सोलर लाइट पर व्यय किया गया है जो कि पूर्णतया फर्जी पाया गया क्योंकि किसी सोलर लाइट आपूर्ति एजेन्सी को कोई भुगतान नहीं किया गया सभी भुगतान विल्डिंग मटेरियल एवं ईट उोग को किया गया है एवं व्यय के सापेक्ष भुगतान रु. 130000.00 (एकलाख तीस हजार) का किया गया है जो धनराशि का अपहरण है। उपरोक्त की भांति ही (2) व्ययों में से कैशबुक के अनुसार दिनांक 16.10.2018 को भी रु.264000.00 सोलर लाइट पर व्यय किया गया है जो कि पूर्णतया फर्जी पाया गया क्योंकि किसी सोलर लाइट आपूर्ति एजेन्सी को कोई भुगतान नहीं किया गया सभी भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा देवी, शशी इण्टर प्राइज, एवं योगेश प्रताप सिंह का व्यक्तिगत रूप से किया गया है एवं व्यय रु. 264000.00 के सापेक्ष भुगतान रु. 311000.00 (तीन लाख ग्यारह हजार) का किया गया है जो धनराशि का अपहरण है। इनकी स्थापन से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया कि इनकी स्थापना किन स्थानों पर की गयी है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र एवं उच्चाधिकारियों का दो लाख से अधिक खरीद की स्वीकृति आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचाई गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 384000.00 (तीन लाख चौरासी हजार)की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती करुण देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राम सकल गौड़ से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 384000.00

मूल आपत्ति संख्या – 28

ग्राम पंचायत – हाटा जागीर, विकास खण्ड – माण्डा, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर-5 आलोच्य वर्ष में पाया गया कि दिनांक 25.01.2019 को रु. 75000.00 का भुगतान कुशलपुर इन्जीनियरिंग को किया गया है। परन्तु उक्त का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया, न ही व्यय से सम्बन्धित

कोई पत्रावली प्रस्तुत की गयी । प्रिया साफ्ट की कैशबुक में भी मात्र अन्य व्यय में दर्शित किया गया है, पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, धनराशि रु. 75000.00(रु. पचहत्तर हजार) की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गौड़ एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चन्द से किया जाना अपेक्षित है। **धनराशि:- 75000.00**

मूल आपत्ति संख्या – 26

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत के अर्न्तगत हैण्ड पम्प मरम्मत पर धनराशि रु. 92000.00 व्यय दर्शित है परन्तु स्थल की सूची, स्टॉक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टॉक रजिस्टर, एम.बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, धनराशि रु. 92000.00(रु. बानवे हजार) की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गौड़ एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चन्द से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 92000.00

मूल आपत्ति संख्या – 27

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत के अर्न्तगत हैण्ड पम्प रीबोर पर व्यय किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	अन्य
1	04/06/2018	686686	70000	कृष्ण इण्टरप्राइजेज
2	04/06/2018	987603	70000	कृष्ण इण्टरप्राइजेज
3	22/06/2018	987604	20000	कृष्ण इण्टरप्राइजेज
4	22/06/2018	987605	80000	कृष्ण इण्टरप्राइजेज
5	22/06/2018	987606	80000	कृष्ण इण्टरप्राइजेज
योग			320000	

परन्तु उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित स्थल की सूची, स्टॉक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टॉक रजिस्टर, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, एस्टीमेट एवं एम.बी. , कार्यप्रस्ताव, कार्य स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र, ग्राम पंचायत जल समिति का अनुमोदन, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे एवं एक ही माह में इतने हैण्ड पम्प का रीबोर कराया जाना भी आश्चर्यजनक है, प्रत्येक हैण्ड पम्प के लिए लगभग दोगुना से अधिक की धनराशि समान रूप से खर्च होना असम्भव एवं अत्यधिक है, लगभग इतनी धनराशि में नए हैण्डपम्प की स्थापना की जा सकती है, किसी भी हैण्ड पम्प का उपरोक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं एक ही माह में इतना रीबोर कराया जाना आश्चर्यजनक है एवं अनियमितता का तैतक है, ग्राम पंचायत को दो लाख से अधिक किसी प्रोजेक्ट के व्यय हेतु शीर्ष अधिकारियों की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है परन्तु कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी एक ही एजेन्सी को एक ही दिनांक में एक से अधिक चेकों को निर्गत किया जाना गबन का तैतक है। उपरोक्त व्यय में किसी भी प्रकार की मजदूरी का भुगतान न किया जाना अपहरण को सिद्ध करता है। उक्त व्यय धनराशि से , टी.डी.एस. की कटौती न कर अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, धनराशि रु. 320000.00(रु. तीन लाख बीस हजार) की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गौड़ एवं ग्राम प्रधान श्री कृष्ण चन्द से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 320000.00

मूल आपत्ति संख्या – 28

ग्राम पंचायत – उल्दा, विकास खण्ड – माण्डा, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-8 निम्नलिखित आहरित धनराशियों से सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण करने वाले व्यक्ति का नाम

1	1/24/2019	305818	2500	श्री हरी प्रसाद पाण्डेय
2	1/23/2019	305816	2500	श्री दीन दयाल द्विवेदी
3	9/13/2019	0	8900	श्री संजय कुमार
4	9/13/2019	0	25500	श्री संजय कुमार
			39400	

उपरोक्त व्यय धनराशियों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, व्यय बाउचर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, धनराशि रु. 39400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव कुमारी एवं सचिव श्री बलवन्त कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **धनराशि:- 39400.00**

मूल आपत्ति संख्या – 26

प्रस्तर:-9 दिनांक 05.02.2019 को तालाग खुदायी हेतु 30 नग तगाड़ी एवं 33 नग फावड़ा पर रु. 23240.00 का व्यय किया गया है, जब कि तालाब खुदायी की कोई कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की गयी न ही तालाब खुदायी का कार्य वर्ष के दौरान कराया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य योजना, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, मस्टर रोल, एम.बी. प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 23240.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव कुमारी एवं सचिव श्री बलवन्त कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:-23240.00 मूल आपत्ति संख्या – 27

ग्राम पंचायत –बेदौली, विकास खण्ड – माण्डा, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-10 निम्न लिखित धनराशियां कमलेश कुमार के नाम से अनधिकृत रूप से आहरित की गयी है। सभी धनराशियां वियरर चेक द्वारा आहरित की गयी है।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	कार्य का नाम
1	5/25/2018	373082	5000	हैण्ड पम्प मजदूरी का भुगतान
2	5/26/2018	373083	5000	हैण्ड पम्प मजदूरी का भुगतान
3	9/29/2018	373099	5000	खड़न्जा मजदूरी
4	9/29/2018	373090	5000	खड़न्जा मजदूरी
5	10/3/2018	373106	3400	इण्टर लाकिंग मजदूरी
6	10/3/2018	373107	1290	आर.टी.आई फोटो कापी
7	10/3/2018	373105	4800	इण्टर लाकिंग मजदूरी
8	10/3/2018	373100	3850	इण्टर लाकिंग मजदूरी
9	10/3/2018	373089	5000	इण्टर लाकिंग मजदूरी
10	10/3/2018	373094	4800	इण्टर लाकिंग मजदूरी
11	10/3/2018	373095	5000	इण्टर लाकिंग मजदूरी
12	10/3/2018	373096	3400	इण्टर लाकिंग मजदूरी
13	10/3/2018	373104	5000	इण्टर लाकिंग मजदूरी
14	10/3/2018	373091	4875	इण्टर लाकिंग मजदूरी
			61415	

उपरोक्त धनराशियों को अनधिकृत रूप से कमलेश कुमार के नाम से आहरित कर विभिन्न प्रकार के व्यय में दर्शित किया गया है जिनका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा। व्यय धनराशियों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, व्यय बाउचर, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के विपरीत कार्य किया गया, अतः धनराशि रु. 61415.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल मणि एवं तत्कालीन सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:-61415.00 मूल आपत्ति संख्या-29

ग्राम पंचायत –दोहथा, विकास खण्ड – माण्डा, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-11 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से आहरण की गयी है परन्तु आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	27/4/2018	653713	25000	कृष्णा इण्टरप्राइजेज
2	27/4/2018	653714	25000	कृष्णा इण्टरप्राइजेज
3	27/4/2018	653715	25000	कृष्णा इण्टरप्राइजेज

हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय रु. 52500.00 मजदूरी पर व्यय रु 7500.00 एवं प्रशासनिक व्यय रु. 5000.00 एवं कैश अवशेष रु. 10000.00 दर्शित है। जो अनियमित है। जब किसी एजेन्सी को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें से मजदूरी एवं प्रशासनिक व्यय किस प्रकार किया जा सकता है एवं एवं नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा, जब कि सभी भुगतान कृष्णा इण्टर प्राइज को किया गया है। व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली एम.बी. मस्टररोल स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 75000.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि :- 75000.00

मूल आपत्ति संख्या - 29

प्रस्तर:-12

4	5/1/2018	653716	5000	वासू
5	5/4/2018	653717	45400	छत्रधारी तिवारी
6	5/8/2018	653718	113000	सुदृष्ट कृश
7	5/11/2018	653720	27000	योगेश इण्टर प्राइजेज
8	5/19/2018	653721	15000	"
9	5/23/2018	653722	5000	बासू
10	5/29/2018	653719	17000	ग्लोब रेडियो
			227400	

उपरोक्तानुसार माह मई 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 10000 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 15500 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री में रु. 2500 मजदूरी में, रु. 113580 वाटर टैंक निर्माण रु. 85200 हैण्ड पम्प रीबोर, रु. 17500 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री में व्यय दर्शित की गयी हैं। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। एवं नगद भी रु. 1120.00 अवशेष रहा जो नियम विरुद्ध है। ग्लोब रेडियो जैसी एजेन्सियां कोई सप्लायर नहीं है। न ही विकास खण्ड में सप्लाय हेतु रजिस्टर्ड है। व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली एम.बी. मस्टररोल स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 227400.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 227400.00

मूल आपत्ति संख्या - 30

प्रस्तर:-13

11	6/5/2018	653726	4800	नन्दलाल
12	6/5/2018	653724	45000	कृष्णा इण्टरप्राइजेज
13	6/6/2018	653725	15200	छत्रधारी तिवारी
14	6/19/2018	653729	5000	अजय कुमार
15	6/19/2018	653730	20000	योगेश इण्टर प्राइजेज
16	6/19/2018	653728	15000	ट्रान्सफर
17	6/19/2018	653731	6350	अजय कुमार
18	6/27/2018	653727	10000	योगेश इण्टर प्राइजेज
19	6/27/2018	653732	5000	मनोज कुमार
20	6/29/2018	653734	5000	नन्दलाल
			131350	

उपरोक्तानुसार माह जून 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 1120.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 85200 हैण्ड पम्प रीबोर कार्य में, रु. 2500 मजदूरी में, रु. 32700.00 कूप सफाई कार्य में व्यय दर्शित किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई समानता नहीं है। एवं नगद भी माह के अन्त में रु. 12070.00 अवशेष रहा जा नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी / व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें, नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा, अर्थात् सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एवं नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख, व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली एम.बी. मस्टररोल स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 131350.00की वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:-131350.00

मूल आपत्ति संख्या – 31

प्रस्तर:-14

21	7/2/2018	653736	5000	राजेश कुमार
22	7/5/2018	653735	28000	बसू
23	7/5/2018	653737	5000	अजय कुमार
24	7/12/2018	353733	32500	विश्वकर्मा सेल्स कार्पोरेशन
25	7/17/2018	653738	100000	योगेश इण्टर प्राइजेज
26	7/21/2018	653740	28000	योगेश प्रताप सिंह
27	7/21/2018	653739	90000	शशी इण्टर प्राइजेज
28	7/23/2018	653741	12500	शशी इण्टर प्राइजेज
			301000	

उपरोक्तानुसार माह जुलाई 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 12070.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 241715.00 प्राथमिक विालय दोहथा मे सामग्री पर व्यय, एवं रु.49800.00 मजदूरी पर व्यय, एवं रु. 11200.00 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री में रु. 2000 मजदूरी में व्यय किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। एवं नगद भी माह के अन्त में रु. 8355.00 अवशेष रहा जा नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी / व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें, नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा। अर्थात् सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एवं नियम विरुद्ध कार्य कराया गया, पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिसका कोई अभिलेख, व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 301000.00की विरुद्ध वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि:- 301000.00**

मूल आपत्ति संख्या – 32

प्रस्तर:-15

29	8/6/2018	65744	50000	सावित्री इण्टरप्राइजेज
30	8/6/2018	65742	15000	शशी इण्टरप्राइजेज
31	8/7/2018	65743	5000	बसू
32				
33	8/18/2018	65746	35000	शशी इण्टरप्राइजेज
34	8/31/2018	65748	18000	बसू
35	8/31/2018	65747	20000	अजय कुमार
			143000	

उपरोक्तानुसार माह अगस्त 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 8355.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 116095.00 प्राथमिक विालय दोहथा मे सामग्री पर व्यय, एवं रु.33750.00 प्रशासनिक व्यय, किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। एवं नगद भी माह के अन्त में रु. 1510.00 अवशेष रहा जा नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी /व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें , नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा। अर्थात सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों/व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एव नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख , व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम. बी., मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर,, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 143000.00की वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 143000.00

मूल आपत्ति संख्या – 33

प्रस्तर:-16

36	9/14/2018	33750	33750	राम जियावन सिंह
37	9/25/2018	49801	100000	शशी इण्टरप्राइजेज
			133750	

उपरोक्तानुसार माह सितम्बर 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 1510.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 16940.00 प्राथमिक विालय दोहथा मे इण्टर लाकिंग सामग्री पर व्यय, एवं रु. 17525.00 मजदूरी पर व्यय, रु. 99750.00 इण्टर लाकिंग सामग्री पर व्यय, एवं रु. 445.00 प्रशासनिक मद में व्यय किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। जब किसी एजेन्सी /व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उनसे किस प्रकार प्राप्त कर अलग-अलग कार्य कराया गया। अर्थात सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों/व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एव नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख , व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 133750.00 की विरुद्ध वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:-133750.00

मूल आपत्ति संख्या – 34

प्रस्तर:-17

38	10/4/2018	49803	10000	बसू
39	10/6/2018	49805	89400	गंगे नामामि ट्रेडर्स
			99400	

उपरोक्तानुसार माह अक्टूबर 2018 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह में रु. 89400.00 हयूम पाइप कय पर में व्यय किया गया है एवं रु 9060.00 इण्टर लाकिंग सामग्री पर व्यय किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। हयूम पाइप का उपयोग कहीं पर किया गया एवं उनके लगाने कर मजदूरी एवं अन्य व्ययों का कोई विवरण नहीं दिया गया है जिससे हयूम पाइप के उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकी , एवं नगद भी माह के अन्त में रु. 940.00 अवशेष रहा जो नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी /व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें , नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा अर्थात सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों/व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एव नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख , व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 99400.00 कीब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 99400.00

मूल आपत्ति संख्या - 35

प्रस्तर:-18

40	1/18/2019	49810	25000	योगेश इण्टरप्राइजेज
41	1/21/2019	49809	25000	रमेश हार्ड वेयर
			50000	

उपरोक्तानुसार माह जनवरी 2019 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 940.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 24805.00 एवं रु. 21000.00 इण्टरलाकिंग कार्य ओंकार नाथ सिंह के घर से पूर्व काली सड़के तक में सामग्री पर व्यय, एवं रु. 4800.00 मजदूरी पर व्यय, किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। एवं नगद भी माह के अन्त में रु. 335.00 अवशेष रहा जा नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी /व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें, नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा। अर्थात् सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों/व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एवं नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख, व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 50000.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है। सन्निहित धनराशि:- 50000.00 मूल आपत्ति संख्या - 36

प्रस्तर:-19

43	2/2/2019	49812	5000	योगेश इण्टरप्राइजेज
44	2/4/2019	49813	10000	कुंवर नीतेश
45	2/8/2019	49814	62500	योगेश इण्टरप्राइजेज
46	2/21/2019	49815	25000	रमेश हार्ड वेयर
47	2/21/2019	49816	25000	रमेश हार्ड वेयर
48	2/28/2019	49821	14000	कुंवर नीतेश
			141500	

उपरोक्तानुसार माह फरवरी 2019 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 335.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 18725.00 इण्टरलाकिंग कार्य ओंकार नाथ सिंह के घर से पूर्व काली सड़के तक मजदूरी पर व्यय, रु. 43620.00 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय पर व्यय, रु. 7500.00 हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय एवं रु. 69716.00 प्राथमिक विालय उसकी कला में टाइल्स कार्य पर व्यय किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। नगद भी माह के अन्त में रु. 1774.00 अवशेष रहा जा नियम विरुद्ध है। जब किसी एजेन्सी /व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उसमें, नगद अवशेष किस प्रकार बचेगा। अर्थात् सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों/व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एवं नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख, व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टॉक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु.141500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है। सन्निहित धनराशि:- 141500.00

मूल आपत्ति संख्या - 37

प्रस्तर:-20

49	3/7/2019	49824	5000	बसू
50	3/11/2019	49825	32000	सावित्री इण्टरप्राइजेज
51	3/11/2019	49827	20000	अजय कुमार
53	3/12/2019	49826	5000	लाल बहादुर
54	3/15/2019	49817	20000	कुंवर नीतेश

55	3/19/2019	49820	136200	शशी इण्टरप्राइजेज
56	3/19/2019	49818	90000	शशी इण्टरप्राइजेज
57	3/19/2019	49819	17500	योगेश इण्टरप्राइजेज
58	3/29/2019	49827	70000	योगेश इण्टरप्राइजेज
			395700	

उपरोक्तानुसार माह मार्च 2019 में धनराशियां व्यक्ति / एजेन्सी के नाम से आहरित की गयी है। माह के प्रारम्भ में भी रु. 1774.00 अवशेष था जो नियम विरुद्ध था। माह में रु. 130473.00 प्राथमिक विालय उसकी कला में टाइल्स कार्य पर व्यय एवं मजदूरी पर व्यय, रु. 35400.00 किया गया है। रु. 80350 हैण्ड पम्प रीबोर सामग्री कय पर व्यय, रु. 5000.00 प्रशासनिक व्यय, रु. 87240.00 हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय एवं रु. 17500.00 मजदूरी पर व्यय तथा रु. 41500.00 पानी की टंकी हतु व्यय किया गया है। जिनका आहरित की गयी धनराशि से कोई मेल नहीं है। जब किसी एजेन्सी / व्यक्ति को धनराशि का भुगतान किया गया है तो उनसे किस प्रकार प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के अलग-अलग कार्यों में व्यय किया गया। अर्थात् सभी भुगतान फर्जी किए गए, एवं एजेन्सियों / व्यक्तियों को अधिक भुगतान कर अनुचित लाभ लिया गया। एव नियम विरुद्ध कार्य कराया गया जिसका कोई अभिलेख, व्यय से सम्बन्धित कोई बाउचर, कार्य पत्रावली, एम.बी., मस्टररोल, स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय कीजिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त धनराशि रु. 395700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वासु एवं सचिव श्री राघव प्रसाद यादव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 395700.00

मूल आपत्ति संख्या - 38

ग्राम पंचायत - गेरूआडीह, विकास खण्ड - माण्डा, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-21 आलोच्य वर्ष में पाया गया कि दिनांक 19.04.2018 को चेक संख्या 210645 के द्वारा रु. 106000.00 का भुगतान विन्ध्यवासिनी कन्सट्रक्सन को किया खड़जा मरम्मत (शिवकरन के घर से शिवनाथ के घर तक) की सामग्री के लिये किया गया है। परन्तु उक्त धनराशि में से मात्र 57000.00 का व्यय सामग्री हेतु एवं रु. 49000.00 का भुगतान मजदूरी हेतु किया गया है। उक्त भुगतान फर्जी कार्य दिखा कर किया गया है। क्योंकि कार्य से सम्बन्धित बाउचर, कार्य पत्रावली एम.बी. मस्टररोल स्टाक रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। किसी एजेन्सी को भुगतान कर उससे नगद धनराशि प्राप्त करना एजेन्सी का भ्रष्टाचार में संलिप्तता एवं धनराशि के अपहरण को दर्शित करता है। अतः धनराशि रु. 106000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नरेश एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकार श्री जितेन्द्र गौड़ से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 106000.00

संख्या - 29

ग्राम पंचायत - चक इमामअली, विकास खण्ड - चाका, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-22 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	10/8/2018	339474	5000	योगेश सिंह
2	10/8/2018	339473	5000	योगेश सिंह
3	10/8/2018	339475	25000	योगेश सिंह
4	10/8/2018	339476	25000	योगेश सिंह
5	10/8/2018	339472	74000	योगेश सिंह
6	10/8/2018	339471	5000	योगेश सिंह
7	10/8/2018	339469	5000	योगेश सिंह
8	10/8/2018	339465	74000	योगेश सिंह
9	6/10/2018	63344	36000	योगेश सिंह
10	6/10/2018	63351	36000	योगेश सिंह
11	2/11/2018	63361	28000	महेश कुमार

12	6/11/2018	63380	5000	योगेश सिंह
13	6/11/2018	63363	5000	योगेश सिंह
14	2/11/2018	63360	32000	महेश कुमार
15	31/12/2018	63408	40000	महेश कुमार
16	22-1-2019	63423	5000	योगेश सिंह
17	23-1-2019	63424	18000	अखिलेन्द्र सिंह
18	8/2/2019	63433	24000	अभिषेक सिंह
13	26-2-2019	197116	36000	अभिषेक सिंह
14	1/3/2019	63440	24000	अभिषेक सिंह
15	7/3/2019	197120	10000	राधेश्याम पाण्डेय
16	19/3/2019	197142	5000	जितलाल
17	19/3/2019	197141	5000	जितलाल
18	19/3/2019	197138	5000	जितलाल
19	1/3/2019	197140	5000	योगेश सिंह
			537000	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 537000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लता दीक्षित एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोहित भारतीया से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 537000.00**

00 मूल आपत्ति संख्या – 29

प्रस्तर:-23 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	6/4/2018	339443	5000	लता दीक्षित
2	6/4/2018	339442	5000	लता दीक्षित
3	1/5/2018	339458	5000	रोहित भारतीया
4	1/5/2018	339457	5000	रोहित भारतीया
5	4/10/2018	63347	5000	लता दीक्षित
6	4/10/2018	63345	5000	लता दीक्षित
7	4/10/2018	63349	5000	लता दीक्षित
8	4/10/2018	63348	5000	लता दीक्षित
9	4/10/2018	339479	5000	लता दीक्षित
10	5/10/2018	63346	5000	रोहित भारतीया
11	5/10/2018	63350	5000	रोहित भारतीया
12	1/11/2018	63362	5000	रोहित भारतीया
13	6/11/2018	63378	5000	रोहित भारतीया
14	6/11/2018	63372	5000	लता दीक्षित
15	6/11/2018	63374	5000	लता दीक्षित
16	6/11/2018	63376	5000	लता दीक्षित
17	6/11/2018	63375	5000	लता दीक्षित
18	6/11/2018	63377	5000	लता दीक्षित
19	6/11/2018	63379	5000	लता दीक्षित

16	6/11/2018	63369	5000	लता दीक्षित
17	6/11/2018	63373	5000	लता दीक्षित
18	20/11/2018	63384	5000	रोहित भारतीया
19	10/12/2018	63394	5000	रोहित भारतीया
20	10/12/2018	63392	5000	रोहित भारतीया
21	10/12/2018	63401	5000	रोहित भारतीया
22	10/12/2018	63396	5000	लता दीक्षित
23	10/12/2018	63397	5000	लता दीक्षित
24	11/12/2018	63398	5000	लता दीक्षित
25	11/12/2018	63395	5000	लता दीक्षित
26	11/12/2018	63393	5000	लता दीक्षित
26	11/12/2018	63391	5000	लता दीक्षित
21	13/12/2018	63402	5000	लता दीक्षित
22	27-12-2018	63412	5000	रोहित भारतीया
23	27-12-2018	63411	5000	रोहित भारतीया
24	27-12-2018	63409	5000	लता दीक्षित
25	27-12-2018	63410	5000	लता दीक्षित
26	22-1-2019	63428	5000	लता दीक्षित
27	22-1-2019	63427	5000	रोहित भारतीया
28	22-1-2019	63425	5000	लता दीक्षित
29	7/2/2019	64336	5000	रोहित भारतीया
30	7/2/2019	64337	5000	रोहित भारतीया
31	8/2/2019	63438	5000	लता दीक्षित
32	8/2/2019	63434	5000	लता दीक्षित
33	8/2/2019	63435	5000	लता दीक्षित
34	25-2-2019	197119	5000	रोहित भारतीया
35	25-2-2019	197122	5000	रोहित भारतीया
36	25-2-2019	197117	5000	लता दीक्षित
37	25-2-2019	197118	5000	लता दीक्षित
38	12/3/2019	197133	5000	लता दीक्षित
39	12/3/2019	197132	5000	लता दीक्षित
40	12/3/2019	197134	5000	रोहित भारतीया
41	12/3/2019	197131	5000	लता दीक्षित
42	12/3/2019	197130	5000	रोहित भारतीया
43	15-3-2019	197135	42000	लता दीक्षित

307000

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती लता दीक्षित एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री रोहित भारतीया द्वारा नियम विरुद्ध आहरित किए गए हैं। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेक सभी आदेशों नियमों को उल्लंघन करते हुए एवं स्वयं के द्वारा आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. / टी.टी. / आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 307000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लता दीक्षित एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोहित भारतीया से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 307000.00

मूल आपत्ति संख्या - 30

ग्राम पंचायत – लवायन कला, विकास खण्ड – चाका, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-24 पंचायतराज अनुभाग के के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट/सोलर लाइट, मरम्मत/खरीद पर कुल रु.780000.00 व्यय दर्षित है। परन्तु उपरोक्त आदेश का पालन नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। पत्रावली के साथ ही इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नहीं रही। इनसे सम्बन्धित फोटोग्राफ अप्राप्त रहे कि किस स्थान पर कौन सी फोटो वाली लाइट लगवाई गयी है। जिससे यह पता नहीं चल सका कि राज्य वित्त/चौदहवाँ वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहीं। लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य रहा। उपरोक्त व्ययों में रु.585000.00 सोलर लाइट हेतु वी. इण्टरप्राइजेज को एवं रु.195000.00 इपिक्शन पावर सोल्युशन को भुगतान किया गया है, एक ही समय समान मूल्य पर दो एजेन्सियों को भुगतान करने का औचित्य अपहरण एवं अनियमितता की तरफ इंगित करते है। उपरोक्त खरीद में किसी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई प्रमाणक एवं स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यय से सम्बन्धित उच्चाधिकारियों की अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है। जिस कारण व्यय अनियमित रहा अतः धनराशि रु. 780000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंगलावती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री पंकज सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 780000.00

मूल

आपत्ति संख्या – 28

प्रस्तर:-25 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अंकित आटोमोबाइल को दिनोंक 10.9.2018 को रु. 29000.00 एवं दिनांक 27.11.2018 को रु.20000.00 एवं दिनांक 18.02.2019 को रु. 30000.00 कुल रु. 79000.00 का भुगतान किया गया है। जो आटोमोबाइल सम्बन्धी वस्तुओं की विक्रेता है, उक्त एजेन्सी से हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री की आपूर्ति दर्षित है एवं यह एजेन्सी विकास खण्ड में सामग्री आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड भी नहीं है। उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की कटौती न कर राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 79000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंगलावती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि:- 79000.00

मूल आपत्ति संख्या – 29

प्रस्तर:-26 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	23.4.2018	423090	20000	श्रीमती मंगलावती
2	23.4.2018	423091	20000	मंगलावती
3	24.9.2018	423101	17500	मंगलावती
4	24.10.2018	423107	5000	मंगलावती
5	23.01.2019	423110	31500	मंगलावती
6	28.2.2019	286792	7000	मंगलावती
7	28.2.2019	286794	9800	मंगलावती
8	2.3.2019	286788	5000	मंगलावती
			115800	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती मंगलावती द्वारा नियम विरुद्ध आहरित किए गए है ग्राम प्रधान द्वारा नियमतः अधिकतम रु. 5000.00 विशेष परिस्थितियों में आहरित किया जा सकता है। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेके सभी आदेशों नियमों को उल्लंघन करते हुए एवं स्वयं के द्वारा आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। भुगतान से सम्बन्धित

कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 115800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंगलावती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 115800.00**

मूल आपत्ति संख्या – 30

ग्राम पंचायत – मड़ौका उपरहार, विकास खण्ड – चाका, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-27 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया –

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	3/4/2018	43091	21000	गंगा प्रसाद
2	3/4/2018	43089	6000	बृजलाल
3	19-4-2018	43096	10000	रोहित
4	19-4-2018	43095	9700	गंगा प्रसाद
5	20-4-2018	43097	30000	आर. पटेल
6	1/5/2018	43093	2400	बृजलाल
7	18-5-2018	43100	10000	रोहित
8	18-5-2015	43098	50000	जी पी. पटेल
9	19-5-2018	43099	10000	सचिन
10	23-5-2018	43104	60000	जी पी. पटेल
11	23-5-2018	43105	40000	आर. पटेल
12	4/6/2018	43106	50000	जी पी. पटेल
13	13-6-2018	43107	50000	जी पी. पटेल
14	30-6-2018	43108	38000	आर. पटेल
15	4/7/2018	43116	50000	आर. पटेल
16	6/7/2018	43115	50000	बलराज
17	10/7/2018	43114	100000	बलराज
18	19-7-2018	43117	50000	आर. पटेल
19	1/8/2018	43122	50000	रोहित पटेल
20	1/8/2018	43119	31514	जी पी. पटेल
21	1/8/2018	43120	31514	आर. पटेल
22	9/8/2018	43125	28700	ए. के. सिंह
23	14/8/2018	43126	31514	गंगा प्रसाद
24	20-8-2018	43129	50000	जी पी. पटेल
25	20-8-2018	43127	50000	जी पी. पटेल
26	20-8-2018	43131	13000	एस. के. पाण्डेय
27	27-8-2018	43130	33000	आर. पटेल
28	17-9-2018	43128	50000	जी पी. पटेल
29	17-9-2018	43132	50000	जी पी. पटेल
30	20-9-2018	43134	42000	जी पी. पटेल
31	20-9-2018	43135	48000	जी पी. पटेल
32	1/10/2018	43137	31514	गंगा प्रसाद
33	1/10/2018	43138	40000	रोहित पटेल
34	1/10/2018	43139	48000	घनश्याम
35	17-10-2018	43140	25000	आर. पटेल
36	5/11/2018	43142	54458	आर. पटेल
37	6/2/2019	43143	35000	बलराज

38	6/2/2019	43147	30000	जी. पटेल
39	6/2/2019	43148	100000	आर. पटेल
40	21-2-2019	43155	66825	रोहित पटेल
41	22-2-2019	43150	50000	गंगा प्रसाद
42	22-2-2019	43152	24158	रोहित पटेल
43	22-2-2019	43156	12495	रोहित पटेल
44	26-2-2019	43157	31514	आर. पटेल
45	28-2-2019	43151	52266	जी पी. पटेल
46	1/3/2019	43154	100000	आर. पटेल
47	11/3/2019	43168	25000	जी पी. पटेल
48	11/3/2019	43169	30000	आर. पटेल
49	19-3-2019	43173	22400	आर. पटेल
			1924972	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 1924972.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बलिराज एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोहित भारतीया से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 1924972.00

मूल आपत्ति संख्या - 28

ग्राम पंचायत- महवा पट्टी पश्चिम उपरहार, विकास खण्ड - चाका, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-28 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, (उपलब्ध अभिलेखों में चेक संख्या अप्राप्त) एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

क्र.सं.	दिनांक	भुगतान संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	07/04/2018	931	40000	सतीश
2	07/04/2018	928	40000	ज्ञान सिंह
3	07/04/2018	929	40000	ज्ञान सिंह
4	07/04/2018	933	40000	सत्येन्द्र प्रताप
5	07/04/2018	932	40000	सत्येन्द्र प्रताप
6	13/04/2018	934	40000	राहुल
7	13/04/2018	935	60000	राहुल
8	19/04/2018	938	60000	सतीश कुमार
9	19/04/2018	937	50000	ज्ञान सिंह
10	19/04/2018	936	50000	ज्ञान सिंह
11	21/04/2018	940	50000	सत्येन्द्र प्रताप
12	21/04/2018	941	30000	अज्ञात
13	23/04/2018	939	25000	सचिन कुमार
14	24/04/2018	944	30000	सत्येन्द्र प्रताप
15	24/04/2018	945	30000	सत्येन्द्र प्रताप
16	24/04/2018	943	80000	ज्ञान सिंह
17	24/04/2018	942	80000	सतीश कुमार
18	27/04/2018	956	20000	ज्ञान सिंह
19	27/04/2018	955	50000	ज्ञान सिंह
20	27/04/2018	957	50000	राहुल कुमार

21	02/05/2018	954	50000	अज्ञात
22	02/05/2018	953	50000	अज्ञात
23	02/05/2018	952	50000	अज्ञात
24	02/05/2018	961	40000	राहुल देव यादव
25	02/05/2018	960	10000	राहुल देव यादव
26	03/05/2018	965	40000	मनोज कुमार
27	03/05/2018	964	40000	मनोज कुमार
28	03/05/2018	963	50000	ज्ञान सिंह पटेल
29	03/05/2018	962	50000	सत्येन्द्र प्रताप
30	08/05/2018	946	50000	सत्येन्द्र प्रताप
31	09/05/2018	947	40000	सत्येन्द्र प्रताप
32	10/05/2018	948	30000	सत्येन्द्र प्रताप
33	10/05/2018	949	15000	सत्येन्द्र प्रताप
34	05/06/2018	973	50000	सत्येन्द्र प्रताप
35	05/06/2018	972	50000	सत्येन्द्र प्रताप
36	05/06/2018	975	20000	सत्येन्द्र प्रताप
37	05/06/2018	974	40000	ज्ञान सिंह
38	13/06/2018	998	80000	तीर्थराज
39	13/06/2018	997	21000	ज्ञान सिंह
40	13/06/2018	996	26000	तीर्थराज
41	13/06/2018	1002	80000	ज्ञान सिंह
42	13/06/2018	1003	40800	तीर्थराज
43	13/06/2018	1000	26800	सत्येन्द्र प्रताप
44	13/06/2018	999	39200	सत्येन्द्र प्रताप
45	13/06/2018	1001	21600	ज्ञान सिंह
46	14/06/2018	1010	80000	तीर्थराज
47	14/06/2018	1006	80000	ज्ञान सिंह पटेल
48	14/06/2018	1004	27300	सत्येन्द्र प्रताप
49	14/06/2018	1008	26775	सत्येन्द्र प्रताप
50	14/06/2018	1009	22200	तीर्थराज
51	14/06/2018	1005	22200	ज्ञान सिंह
52	15/06/2018	976	46094	ज्ञान सिंह पटेल
53	27-7-2018	1007	46094	ज्ञान सिंह पटेल
54	30-7-2018	977	40000	ज्ञान सिंह पटेल
55	30-7-2018	980	15000	ज्ञान सिंह पटेल
56	30-7-2018	978	30000	सत्येन्द्र प्रताप
57	30-7-2018	979	25000	सत्येन्द्र प्रताप
58	06/08/2018	983	10000	सत्येन्द्र प्रताप
59	08/08/2018	993	35000	ज्ञान सिंह
60	08/08/2018	994	40000	ज्ञान सिंह पटेल
61	08/08/2018	992	25000	ज्ञान सिंह
62	08/08/2018	984	30500	ज्ञान सिंह
63	08/08/2018	988	12000	सत्येन्द्र प्रताप
64	08/08/2018	985	72827	सत्येन्द्र प्रताप
65	08/08/2018	995	51200	सत्येन्द्र प्रताप
66	08/08/2018	987	51872	तीर्थराज
67	08/08/2018	986	43066	तीर्थराज
68	08/08/2018	989	60613	तीर्थराज
69	08/08/2018	990	25400	सोनू अली
70	08/08/2018	991	63656	सोनू अली
71	08/08/2018	903	45000	अज्ञात
72	09/08/2018	981	36000	अज्ञात
73	09/08/2018	982	36000	अज्ञात
74	21/08/2018	1013	31000	ज्ञान सिंह

75	21/08/2018	1014	25000	सत्येन्द्र प्रताप
76	21/08/2018	1011	42500	ज्ञान सिंह
77	21/08/2018	1016	30000	सत्येन्द्र प्रताप
78	21/08/2018	1012	42500	ज्ञान सिंह
79	21/08/2018	1015	48000	सत्येन्द्र प्रताप
80	21/08/2018	1017	25000	आनन्द कुमार
81	21/08/2018	1020	9000	आनन्द कुमार
82	21/08/2018	1018	18000	सत्येन्द्र प्रताप
83	21/08/2018	1019	38000	सत्येन्द्र प्रताप
84	24/08/2018	1021	40000	ज्ञान सिंह
85	31/08/2018	1023	25500	ज्ञान सिंह
86	31/08/2018	1022	42500	ज्ञान सिंह
87	31/08/2018	1025	30000	सत्येन्द्र प्रताप
88	31/08/2018	1024	5000	सत्येन्द्र प्रताप
89	11/09/2018	1027	42500	ज्ञान सिंह
90	11/09/2018	1030	24500	ज्ञान सिंह
91	11/09/2018	1028	30000	ज्ञान सिंह
92	11/09/2018	1031	15000	सत्येन्द्र प्रताप
93	11/09/2018	1032	28000	सत्येन्द्र प्रताप
94	11/09/2018	1035	30000	सत्येन्द्र प्रताप
95	11/09/2018	1034	42500	सत्येन्द्र प्रताप
96	12/09/2018	1036	24000	ज्ञान सिंह
97	12/09/2018	1033	5000	ज्ञान सिंह
98	12/09/2018	1039	40000	सत्येन्द्र प्रताप
99	13/09/2018	1038	5000	सत्येन्द्र प्रताप
100	13/09/2018	1037	18500	ज्ञान सिंह
101	25/09/2018	1048	42500	ज्ञान सिंह
102	25/09/2018	1049	36000	ज्ञान सिंह
103	25/09/2018	1041	42500	नागेन्द्र कुमार पटेल
104	25/09/2018	1042	30000	नागेन्द्र कुमार पटेल
105	26/09/2018	1045	5000	नागेन्द्र कुमार पटेल
106	26/09/2018	1044	24800	नागेन्द्र कुमार पटेल
107	26/09/2018	1043	18500	नागेन्द्र कुमार पटेल
108	26/09/2018	1046	5000	सत्येन्द्र प्रताप
109	26/09/2018	1047	5000	सत्येन्द्र प्रताप
110	26/09/2018	1050	24500	सत्येन्द्र प्रताप
111	05/10/2018	1051	25000	नागेन्द्र कुमार
112	29/10/2018	1053	50000	ज्ञान सिंह
113	29/10/2018	1052	50000	नागेन्द्र कुमार
114	29/10/2018	1040	50000	नागेन्द्र कुमार
115	29/10/2018	1054	50000	ज्ञान सिंह
116	30/10/2018	1055	50000	नागेन्द्र कुमार
117	01/11/2018	1057	30000	नागेन्द्र कुमार
118	01/11/2018	1058	20000	नागेन्द्र कुमार
119	01/11/2018	1056	50000	नागेन्द्र कुमार पटेल
120	01/11/2018	1060	25000	ज्ञान सिंह
121	01/11/2018	1061	25000	ज्ञान सिंह
122	01/11/2018	1059	50000	ज्ञान सिंह
123	04/01/2019	1062	41500	राजेश कुमार
124	06/02/2019	845	50000	कल्याण कुमार
125	11/02/2019	1070	65800	ज्ञान सिंह पटेल
126	11/02/2019	1068	58600	सत्येन्द्र प्रताप
127	11/02/2019	1067	61800	सत्येन्द्र प्रताप
128	11/02/2019	1065	72800	सत्येन्द्र प्रताप

129	11/02/2019	1063	42500	ज्ञान सिंह पटेल
130	11/02/2019	1066	62500	ज्ञान सिंह पटेल
131	12/02/2019	1069	71000	राकेश कुमार वर्मा
132	18/02/2019	1064	65000	अज्ञात
133	18/02/2019	1084	32000	ज्ञान सिंह
134	18/02/2019	1082	38000	ज्ञान सिंह
135	18/02/2019	1087	30000	अज्ञात
136	18/02/2019	1073	28000	सत्येन्द्र प्रताप
137	18/02/2019	1092	22000	सत्येन्द्र प्रताप
138	18/02/2019	1094	5000	सत्येन्द्र प्रताप
139	20/02/2019	1089	5000	सत्येन्द्र प्रताप
140	20/02/2019	1090	5000	सत्येन्द्र प्रताप
141	20/02/2019	1091	5000	सत्येन्द्र प्रताप
142	20/02/2019	1095	5000	सत्येन्द्र प्रताप
143	20/02/2019	1077	25000	ज्ञान सिंह
144	20/02/2019	1076	5000	ज्ञान सिंह
145	20/02/2019	1075	5000	ज्ञान सिंह
146	01/03/2019	1192	20000	अखिलेश
147		0	0	0
148	02/03/2019	1154	20000	सत्येन्द्र प्रताप
149	02/03/2019	1193	30000	सत्येन्द्र प्रताप
150	02/03/2019	1147	25000	सत्येन्द्र प्रताप
151	02/03/2019	1197	13200	ज्ञान सिंह
152	02/03/2019	1156	35000	ज्ञान सिंह
153	02/03/2019	1195	41800	ज्ञान सिंह
154	05/03/2019	1152	20000	सत्येन्द्र प्रताप
155	05/03/2019	1153	20000	सत्येन्द्र प्रताप
156	05/03/2019	1155	20000	सत्येन्द्र प्रताप
157	05/03/2019	1150	5000	ज्ञान सिंह
158	05/03/2019	1196	20000	ज्ञान सिंह
159	05/03/2019	1194	25000	ज्ञान सिंह
160	07/03/2019	1201	5000	ज्ञान सिंह
161	07/03/2019	1205	5000	ज्ञान सिंह
162	07/03/2019	1146	5000	ज्ञान सिंह
163	07/03/2019	1149	5000	सत्येन्द्र प्रताप
164	07/03/2019	1200	5000	सत्येन्द्र प्रताप
165	13/03/2019	1160	20000	ज्ञान सिंह
166	13/03/2019	1157	25000	सत्येन्द्र प्रताप
167	13/03/2019	1158	25000	सत्येन्द्र प्रताप
168	13/03/2019	1159	30000	ज्ञान सिंह पटेल
169	14/03/2019	1132	15500	सत्येन्द्र प्रताप
170	14/03/2019	1133	18500	सत्येन्द्र प्रताप
171	14/03/2019	1131	30000	सत्येन्द्र प्रताप
172	18/03/2019	1134	30000	सत्येन्द्र प्रताप
173	18/03/2019	1135	41500	सत्येन्द्र प्रताप
174	18/03/2019	1137	48500	सत्येन्द्र प्रताप
175	18/03/2019	1136	25000	ज्ञान सिंह पटेल
176	18/03/2019	1139	42500	ज्ञान सिंह पटेल
177	18/03/2019	1141	33500	ज्ञान सिंह पटेल
178	19/03/2019	1143	30000	सत्येन्द्र प्रताप
179	19/03/2019	1168	34500	सत्येन्द्र प्रताप

180	19/03/2019	1162	42500	ज्ञान सिंह पटेल
181	19/03/2019	1163	38000	ज्ञान सिंह पटेल
182	19/03/2019	1166	41500	ज्ञान सिंह पटेल
183	19/03/2019	1144	41500	सत्येन्द्र प्रताप
184	19/03/2019	1161	24500	राजेश कुमार
185	19/03/2019	1165	25000	राजेश कुमार
186	19/03/2019	1167	30000	राजेश कुमार
187	19/03/2019	1140	24000	समीर
188	19/03/2019	1159	25000	समीर
189	28/03/2019	1138	15000	सत्येन्द्र प्रताप
190	28/03/2019	1142	5000	सत्येन्द्र प्रताप
191	28/03/2019	1145	17500	सत्येन्द्र प्रताप
192	28/03/2019	1164	5000	सत्येन्द्र प्रताप
			6385497	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेके सभी आदेशों नियमों का उल्लंघन करते हुए आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष भर धनराशि का अपहरण होता रहा परन्तु तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया जब कि प्रत्येक माह /तीन माह में अनिवार्य रूप से रोकड़ बही एवं भुगतान का निरीक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा अपेक्षित है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 6385497.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कल्याण कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रविशंकर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 6385497.00

मूल आपत्ति संख्या – 28

ग्राम पंचायत – मोहबत गंज उपरहार, विकास खण्ड – चाका, जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर:-29 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से आहरण की गयी है परन्तु आहरण के सापेक्ष व्यय नहीं दर्शित किया गया है, प्रिया साफ्ट में भी निम्न आहरित धनराशियों के सापेक्ष माह अप्रैल 2018 माह मई 2018 एवं माह जून 2018 में कोई व्यय का अंकन नहीं किया गया है। माह के अनुसार आहरित धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	माह	आहरित धनराशि	विवरण
1	अप्रैल-18	375324	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी।
2	मई-18	406600	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी।
3	जून-18	569100	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी।
4	जुलाई-18	458730	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी।
5	अगस्त-18	482500	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में की गई प्रविष्टियों से बैंक पासबुक की प्रविष्टियां मिलान नहीं करती
6	सितम्बर-18	91800	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी।
7	अक्टूबर-18	0	0

8	नवम्बर-18	0	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में की गई प्रविष्टियों से बैंक पासबुक से किसी प्रकार का आहरण नहीं किया गया है।
9	दिसम्बर-18	0	0
10	जनवरी-19	492162	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में की गई प्रविष्टियों से बैंक पासबुक की प्रविष्टियां मिलान नहीं करती
11	फरवरी-19	468000	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में की गई प्रविष्टियों से बैंक पासबुक की प्रविष्टियां मिलान नहीं करती
12	मार्च-19	0	कैश बुक/प्रिया साफ्ट में की गई प्रविष्टियों से बैंक पासबुक से किसी प्रकार का आहरण नहीं किया गया है।

3344216

आलोच्य वर्ष में कुल रु. 3344216.00 व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय बाउचर, मस्टर रोल, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, एम.बी., स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, हैण्ड पम्प स्थापना रजिस्टर, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी, अतः धनराशि रु.3344216.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अब्दुल रज्जाक एवं सचिव श्री रोहित भारतीया से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 3344216.00

मूल आपत्ति संख्या - 29

ग्राम पंचायत - पिपरांव, विकास खण्ड - चाका, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-30 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसेका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

1	4/4/2018	696151	2000	अजय कुमार सिंह
2	9/4/2018	696150	19000	सुरेश कुमार तिवारी
3	16-5-2018	696161	5000	धर्मेन्द्र सिंह
4	25-5-2018	696160	22265	सुरेश कुमार तिवारी
5	30-8-2018	966178	4000	धर्मेन्द्र सिंह
6	30-8-2018	966176	5000	रोहित भारतीया
7	30-8-2018	966175	5000	धर्मेन्द्र सिंह
8	30-8-2018	966177	5000	धर्मेन्द्र सिंह
9	3/9/2018	966171	32000	किसन
10	25-2-2019	961008	5000	कृष्ण कुमार सिंह
11	7/3/2019	961019	5000	रोहित भारतीया
12	8/3/2019	961015	15000	धर्मेन्द्र सिंह
13	12/3/2019	961009	35000	सुरेश कुमार तिवारी
14	19-3-2019	961023	5000	धर्मेन्द्र सिंह
15	19-3-2019	961024	5000	कृष्ण कुमार सिंह
			169265	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टॉकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./व्यापारकर/आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 169265.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रोहित भारतीया से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-

169265.00 मूल आपत्ति संख्या - 26

ग्राम पंचायत - तेंदुआवन, विकास खण्ड - चाका, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-31 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है:-

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	21-4-2018	362336	5000	महेन्द्र कुमार
2	24-4-2018	362340	5000	विशाल
3	24-4-2018	362337	5000	योगेश
4	24-4-2018	362338	5000	आकाश कुमार
5	24-4-2018	362339	5000	महेन्द्र कुमार
6	24-4-2018	362335	5000	नवीन कुमार
7	28-5-2018	362344	5000	आकाश कुमार
8	11/6/2018	362347	5000	महेन्द्र कुमार
9	11/6/2018	362348	5000	विशाल
10	15-6-2018	362346	43200	मो. इदलीश
11	30-6-2018	362349	5000	राहुल पाण्डेय
12	26-7-2018	362353	5000	आकाश कुमार
13	30-7-2018	362354	5000	आकाश कुमार
14	3/8/2018	362359	5000	आकाश यादव
15	13/8/2018	362360	5000	नरेन्द्र कुमार
16	13/8/2018	362361	5000	महेन्द्र कुमार
17	1/9/2018	362362	15000	महेन्द्र कुमार
18	3/9/2018	362363	17500	देश दीपक
13	10/9/2018	362365	5000	राहुल
14	11/9/2018	362366	5000	राहुल सिंह
15	11/9/2018	362367	5000	सुधीर कुमार
16	11/3/2019	362382	5000	आकाश यादव
			170700	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य के भुगतान से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 170700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्याम लाल से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-170700.00

मूल आपत्ति संख्या - 32

ग्राम पंचायत - नेवादा समोहर, विकास खण्ड - चाका, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-32 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	11/4/2018	329728	24500	श्रीमती मधू देवी
2	18-4-2018	329733	33000	श्रीमती मधू देवी

3	18-4-2018	329734	16000	श्रीमती मधू देवी
4	18-4-2018	329735	20000	श्रीमती मधू देवी
5	18-4-2018	329737	5000	श्रीमती मधू देवी
6	20-4-2018	329736	5000	श्रीमती मधू देवी
7	24-4-2018	329741	5000	श्रीमती मधू देवी
8	24-4-2018	329740	5000	श्रीमती मधू देवी
9	24-4-2018	329739	5000	श्रीमती मधू देवी
10	10/10/2018	329773	9800	श्रीमती मधू देवी
11	5/11/2018	329775	21000	श्रीमती मधू देवी
12	1/1/2019	329781	10000	श्रीमती मधू देवी
13	1/1/2019	329784	5000	श्रीमती मधू देवी
			164300	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त समस्त भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी द्वारा नियम विरुद्ध आहरित किए गए हैं ग्राम प्रधान द्वारा नियमतः अधिकतम रु. 5000.00 विशेष परिस्थितियों में आहरित किया जा सकता है। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेके सभी आदेशों नियमों को उल्लंघन करते हुए एवं स्वयं के द्वारा आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 164300.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 164300.00 मूल आपत्ति संख्या - 28**

प्रस्तर:-33 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 16.4.2018 को सिंह इण्टरप्राइजेज को रु. 29008.00 का भुगतान किया गया है जब कि कैशबुक में उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष इण्टरलाकिंग सामग्री हेतु रु.29000.00 का भुगतान दर्शाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 18.04.2018 को एम.एस. इण्टर प्राइजेज को रु. 27318.00 का भुगतान किया गया है जब कि कैशबुक में उपरोक्त भुगतान के सापेक्ष नाली निर्माण हेतु रु. 27310.00 का व्यय दर्शित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि भुगतान फर्जी एवं एजेन्सी से सांठ-गांठ कर किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। भुगतान पर टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 56326.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 56326.00 मूल आपत्ति संख्या - 29

प्रस्तर:-34 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24.5.2018 को रु. 48000.00 एम.एस. इण्टर प्राइजेज का भुगतान किया गया है। जब कि कैशबुक के अनुसार यह धनराशि ग्राम प्रधान को भुगतान की हुयी दर्शित की गयी है। एव समस्त व्यय विभिन्न कार्यों की मजदूरी के भुगतान में दर्शित किया गया है। किसी एजेन्सी को भुगतान कर मजदूरी में किस प्रकार व्यय किया गया सिद्ध नहीं किया जा सका एवं व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल,

एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे सिद्ध होता है कि भुगतान फर्जी एवं एजेन्सी से साठ-गांठ कर किया गया है। भुगतान पर टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति/एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 48000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 48000.00 मूल आपत्ति संख्या - 30

प्रस्तर:-35 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26.03.2019 को चक संख्या रु. 702455 के द्वारा रु. 35000.00 एवं 702456 के द्वारा रु. 35000.00 कुल रु. 70000.00 भुगतान अज्ञात को किया गया है जिसका कोई उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया है। केवल हैण्ड पम्प रीबोर हेतु व्यय किया गया दर्शित है। व्यय से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिससे सिद्ध होता है कि भुगतान फर्जी एवं एजेन्सी से साठ-गांठ कर किया गया है। भुगतान पर टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति/एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 70000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधू देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 70000.00 मूल आपत्ति संख्या - 31

ग्राम पंचायत -सेन्धुवारविकास खण्ड -जसरा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-36 ग्राम पंचायत सेन्धुवार, विकास क्षेत्र-जसरा, तहसील-बारा, जनपद-प्रयागराज के उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं:-

क्र. सं०	दिनांक	कृत कार्य का विवरण	अपहरण (सन्निहित धनराशि)	दुरुपयोग	गंभीर अनियमितता
1	24.08.18	प्राथमिक विालय, सेन्धुवार में डस्टबीन क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।	12,200/-	-	-
2	24.08.18	पूर्व माध्यमिक विालय, सेन्धुवार में डस्टबीन (कुड़ेदान) क्रय हेतु भुगतान की गयी धनराशि का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।	12,000/-		
		योग-	24,400/-		

नियम- पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष 2018-19 के कोश-बही में दिनांक 24.08.18 को क्रमशः प्राथमिक विालय तथा पूर्व माध्यमिक विालय, सेन्धुवार, विकास क्षेत्र- जसरा, प्रयागराज में डस्टबीन (कुड़ेदान) हेतु रु0 12,200/- तथा रु0 12,200/- भुगतान किया गया परन्तु उपरोक्त से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पायी कि उक्त भुगतान किसको तथा किस आधार पर किया गया। अतः उपरोक्त कुल व्यय रु0 24,400/- को कोश-बही में फर्जी दर्शाकर अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामाकान्त तथा ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री अंशुमान सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 24400.00

मूल आपत्ति संख्या - 5

ग्राम पंचायत -गौहनिया

विकास खण्ड -जसरा

जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-37 ग्राम पंचायत गौहनिया, विकास क्षेत्र-जसरा, तहसील-बारा, जनपद-प्रयागराज के उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं:-

क्रम सं०	दिनांक	कृत कार्य का विवरण	अपहरण (सन्निहित धनराशि)	दुरुपयोग	गंभीर अनियमितता
1	06.04.18	बिना व्यय प्रमाणक के एम/एस मौर्या हार्डवेयर फर्म को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री के लिये भुगतान	10000/-	-	-
2	07.07.18	बिना व्यय प्रमाणक के एम/एस मौर्या हार्डवेयर फर्म को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री के लिये भुगतान	10,000/-	-	-
3.	19.01.18	बिना व्यय प्रमाणक के एम/एस मौर्या हार्डवेयर फर्म को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री के लिये भुगतान	37,200/-	-	-
		योग-	57,200/-		

नियम- पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष 2018-19 के कोश-बही के अनुसार क्रमशः दिनांक- 06.04.18, दिनांक 07.07.18 एवं दिनांक 19.01.19 को फर्म मौर्या हार्डवेयर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु रु० 10,000/-, रु० 10,000/- एवं रु० 37,200/- का भुगतान दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त कुल व्यय 57,200/- फर्जी प्रतीत होता है और सम्भवतः रु० 57,200/- का अपहरण किया गया। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कालिका प्रसाद एवं ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री अमरेश सिंह से ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 57200.00**

मूल आपत्ति संख्या - 5

ग्राम पंचायत - बीकर, विकास खण्ड - जसरा, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-38 ग्राम पंचायत-बीकर, विकास क्षेत्र-जसरा, तहसील-बारा, जनपद-प्रयागराज के उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये हैं:-

क्रम सं०	दिनांक	कृत कार्य का विवरण	अपहरण (सन्निहित धनराशि)	दुरुपयोग	गंभीर अनियमितता
1	02.06.18	प्राथमिक विालय बीकर के कैम्पस में इंटरलाकिंग हेतु श्रमांश (मजदूरी भुगतान)	22,900/-	-	-
2	02.06.18	प्राथमिक विालय बीकर में इंटरलाकिंग हेतु श्रमांश (मजदूरी भुगतान)	5700/-	-	-
3.	10.07.18	प्राथमिक विालय बीकर में इंटरलाकिंग हेतु श्रमांश (मजदूरी भुगतान)	17711/-	-	-
4	25.01.19	कन्हैया के घर से रोशनलाल के घर तक इंटरलाकिंग हेतु श्रमांश (मजदूरी भुगतान)	16100/-	-	-
		योग-	62411/-		

नियम- पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष के कोश-बही में उपरोक्त दर्शित कार्य के सापेक्ष मस्टर रोल अप्राप्त रहा जिससे उक्त व्यय रु० 62411/- की पुष्टि नहीं की जा सकी। मस्टर रोल की उपलब्धता न होने पर उपरोक्त व्यय फर्जी प्रतीत होती है। अतः यह स्पष्ट है कि कोश-बही में फर्जी व्यय कुल रु० 62411/- दर्शाकर ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं ग्रा०पं०वि० अधि० श्री मनोज कुमार द्वारा राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 62411.00**

मूल आपत्ति संख्या - 5

ग्राम पंचायत - अकोढ़ी, विकास खण्ड - होलागढ़, जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर:-39 की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

ग्राम पंचायत अकोढ़ी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि रूपया- 1558301.80 के आधार पर की गयी है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई

भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये। इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया साफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी, आफ वार्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति निर्माण समिति व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/अनुमोदन, प्रिया साफ्ट के आठ प्रपत्र-प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गये कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु क प्रावधान के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं है कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0- 1558301.80 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-2 धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री संजय एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-1558301.00

मूल आपत्ति संख्या.....01

ग्राम पंचायत - सरायबाजू

विकास खण्ड - होलागढ़

जनपद - प्रयागराज

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-40 आलोच्य वर्ष के कोशबही में दिनांक 18-05-2018 को रु0- 48150.00 तथा दिनांक 21-05-2018 को रु0- 94950.00 का भुगतान क्रमशः बारात घर/लोक-शिक्षा केन्द्र की मरम्मत कार्य एवं रंगाई पुताई की मजदूरी एवं सामग्री हेतु कार्य दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य हेतु किये गये कुल व्यय रु0- 143100.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों तथा कार्य योजना की खुली बैठक का प्रस्ताव कार्य बाउचरर्स, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, परिसंपत्ति रजिस्टर एवं स्टाक रजि0 कृत कार्य का फोटो, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण सम्पूर्ण व्यय को गबन/अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क बिन्दु 8 क के तहत इस धनराशि कुल रु0- 143100.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम/वि0 पंचायत अधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 143100.00**

मूल आपत्ति संख्या.....18

प्रस्तर- 41 आलोच्य वर्ष के कोशबही में सोलर लाइट लगवाकर किये गये भुगतान का विवरण निम्न है।

चेक संख्या	-	तिथि	-	भुगतान की धनराशि	-	भुगतान किसे हुआ
170794	-	25-06-2018	-	1,85,375.00	-	सनरेक्स पावर
170793	-	25-06-2018	-	1,85,375.00	-	सनरेक्स पावर

योग . रुपया- 3,70,750.00 (रु0- तीन लाख सत्तर हजार सात सौ पचास मात्र)

सोलर लाइट की स्थापना अधिकृत नोडल एजेन्सी यूपीनेडा से कराये जाने शासनादेश की अवहेलना कर सनरेक्स पावर से सोलर लाइट स्थापित कराया गया जो आपत्तिजनक है। उक्त व्यय राशि रु0- 3,75,750.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों तथा समक्ष अधिकारी का अनुमति पत्र, एक प्रोजेक्ट के स्थान पर टुकड़े में किये गये कार्य का स्पष्टीकरण पत्र, टेंडर की पत्रावली, यूपीनेडा द्वारा निर्धारित रेट की पत्रावली एवं पूर्व में स्थापित सोलर लाइटों की जांच हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण समस्त व्यय रु0 - 370750.00 (रु0- तीन लाख सत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) का गबन/अपहरण किया गया। उक्त व्यय को गबन अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय के 8 क बिन्दु संख्या 8 क के तहत ग्राम पंचायत की धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पं0/वि0 अधिकारी श्री सत्येन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :-370750.00**

ग्राम पंचायत — देवापुर

विकास खण्ड — होलागढ़

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत देवापुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट व अंकित व्यय धनराशि रु0- 1,87,8187.00 के आधार पर की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक एवं लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया साफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेंट, बिल/बाउचर, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी, आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति निर्माण समिति व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/अनुमोदन, प्रिया साफ्ट के आठ प्रपत्र-प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गये कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु क प्रावधान के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा वसूली के साथ-2 जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0- 1,87,8187.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली ब्याज सहित आधी-2 धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री रणजीत सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :- 1878187.00**

मूल आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत — बहादुरपुर

विकास खण्ड — होलागढ़

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-43 आलोच्य वर्ष के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न चेकों के माध्यम से ग्राम पंचायत निधि के प्रथम खाता संख्या- 12660100024346 से विभिन्न तिथियों को धनराशि आहरित किया गया है। परन्तु इस आहरित धनराशियों का कोशवही में अंकन नहीं किया गया है। इन चेकों द्वारा आहरित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है।

चेक संख्या	—	आहरण तिथि	—	धनराशि रु0	—	देय पक्ष का नाम
91	—	11.10.2018	—	1,19,025.00	—	शान्ती ब्रिक फील्ड
92	—	10.10.2018	—	5,000.00	—	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान)
93	—	10.10.2018	—	5,000.00	—	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान)
94	—	10.10.2018	—	5,000.00	—	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान)
95	—	10.10.2018	—	5,000.00	—	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान)
96	—	10.10.2018	—	4,700.00	—	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान)
97	—	11.10.2018	—	7,44,00.00	—	सोनी इण्टर प्राइजेज
कुल योग :- रुपया 2,18,125.00 (रु0- दो लाख अठ्ठाह हजार एक सौ पच्चीस मात्र)						

इस प्रकार कुल धनराशि रु0 218125.00 के आहरण को कोशवही में दर्शित नहीं किया गया है। जिस कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कराये जाने वाले कार्यों खुली बैठक में पारित प्रस्ताव पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, एवं भौतिक सत्यापन पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः कुल आहरित धनराशिरूपया **2,18,125.00** को अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, मानते हुये ग्राम पंचायत हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

बिन्दु क प्रावधान के तहत उपयुक्त कुल धनराशि **रुपया 2,18,125.00** धनराशि की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्राम/विकास पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री कमला शंकर सिंह से बराबर-2 किया जाना अपेक्षित है। **सन्निहित धनराशि रु. :-218125.00**

मूल आपत्ति संख्या-18

प्रस्तर- 44 आलोच्य वर्ष के कोशबही में दिनांक 02-08-2018 को चेक संख्या 52,53 एवं 54 से क्रमशः रु0 5,000.00 रु0-5,000.00 तथा रु0 4,980.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत हेतु श्री अनिल कुमार को देय दर्षित है। इस प्रकार कुल रु0- 14980.00 का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत हेतु किया गया लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान रजिस्टर्ड फर्म एवं मिस्त्री को किया जाना चाहिए न कि व्यक्तिगत उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक एवं मरम्मत हैण्डपम्पों की सूची के साथ ही साथ कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर स्टाफ एवं डिस्पोजल रजिस्टर भी लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः कुल रु0-14980.00 का आहरण फर्जी तरीके से किया गया। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के तहत उक्त धनराशि रु0- 14980.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कमला शंकर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-14980.00

मूल आपत्ति संख्या-19

प्रस्तर- 45

आलोच्य वर्ष में कोशबही में दिनांक 01-08-2018 को पक्की सड़क से बजरहिन के बाग तक खण्डजा मरम्मत हेतु निम्न प्रकार के व्यय दर्षित है।

चेक संख्या	-	आहरण तिथि	-	धनराशि रु0	-	देय पक्ष का नाम
47	-	01.07.2018	-	52500.00	-	शान्ती ब्रिक फील्ड
48	-	01.07.2018	-	4500.00	-	श्री ओम प्रकाश शुक्ला (ईट हेतु)
49	-	01.07.2018	-	5000.00	-	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान) मजदूरी हेतु
50	-	01.07.2018	-	5000.00	-	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान) मजदूरी हेतु
51	-	01.07.2018	-	4050.00	-	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान) मजदूरी हेतु
76	-	12.08.2018	-	3425.00	-	श्री कमला शंकर सिंह (ग्राम प्रधान) मजदूरी हेतु

कुल योग :- रुपया 74,475.00 (रु0- चौहत्तर हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)

इस प्रकार पक्की सड़क से बजरहिन के बाग तक खण्डजा मरम्मत कार्य हेतु कुल रु0 74,475.00 का व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत की खुली बैठक में कराये जाने वाले कार्यों का पारित प्रस्ताव पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, एम0बी0, कार्यपति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, एवं भौतिक सत्यापन पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट है कि उक्त भुगतान गलत तरीके से कोशबही में दर्षित किया गया। अतः व्यय धनराशि रु0- 74,475.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के तहत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कमला शंकर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-74475.00

मूल आपत्ति संख्या-20

प्रस्तर- 46 आलोच्य वर्ष के कोशबही में दिनांक 31.03.2019 को चेक संख्या 173 तथा 174 से क्रमशः रु0- 5000.00 एवं रु0 5000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्री कमला शंकर सिंह, को हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु किया गया दर्षित है। उक्त कुल भुगतान रु0 10000.00 को रजिस्टर्ड फर्म एवं मिस्त्री को न कर ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं किया गया है। जो कि फर्जी भुगतान है। उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, एवं डिस्पोजल रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः उक्त व्यय की धनराशि रु0 10000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क तहत ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री कमला शंकर सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-10000.00

मूल आपत्ति संख्या-21

ग्राम पंचायत - अरूआंव

विकास खण्ड - होलागढ़

जनपद - प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर- 47 आलोच्य वर्ष में कोशबही में ग्राम पंचायत में खण्डला से श्री मुन्ना यादव के कुंआ तक खण्डजा निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु निम्न व्यय दर्षित है।

चेक संख्या	-	आहरण तिथि	-	धनराशि रु0	-	देय पक्ष का नाम

351	—	27.04.2018	—	66960.00	—	स्टार ईट उोग
355	—	27.04.2018	—	5000.00	—	श्री रामू यादव को (मिट्टी हेतु भुगतान)
356	—	27.04.2018	—	2500.00	—	श्री रामू यादव को (मिट्टी हेतु भुगतान)
कुल योग :- रूपया 74460.00 (रू0- चौहत्तर हजार चार सौ साठ मात्र)						

उक्त कार्य की मजदूरी हेतु आलोच्य वर्ष के कोशबही में कोई भुगतान दर्शित नहीं है। साथ ही साथ उक्त क्य की गयी ईट का स्टोक रजिस्टर में अंकन नहीं किया गया खुली बैठक में कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टोक रजिस्टर, परिसम्पत्ति सत्यापन पत्र, आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः सम्पूर्ण व्यय धनराशि रू0- 74,460.00 को गबन/अपहरण मानते हुये ग्राम प्रधान श्री माताफेर एवं ग्राम/पंचवि0 अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-74460.00

मूल आपत्ति संख्या18

प्रस्तर- 48 आलोच्य वर्ष के कोशबही में श्री मुन्ना यादव के घर से सगरा तालाब तक पक्की नाली निर्माण हेतु निम्न व्यय दर्शित है।

चेक संख्या	—	आहरण तिथि	—	धनराशि रू0	—	देय पक्ष का नाम
349	—	27.04.2018	—	74000.00	—	एम0एस0 राहुल इण्टर प्राइजेज सामग्री हेतु
350	—	27.04.2018	—	65500.00	—	एम0एस0 राहुल इण्टर प्राइजेज सामग्री हेतु
436	—	27.04.2018	—	35350.00	—	गनेश मजदूरी हेतु
435	—	27.04.2018	—	19400.00	—	एम0एस0 राहुल इण्टर प्राइजेज सामग्री हेतु
कुल योग :- रूपया 1,94,250.00						

लेखा परीक्षा के दौरान उक्त कार्य पर किये गये कुछ व्यय रू0- 1,94,250.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों यथा कार्य योजना, पशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत पत्र, वाउचर्स क्य, स्टोक रजिस्टर, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, कृत कार्य का फोटो तीन, परिसम्पत्ति रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण सम्पूर्ण व्यय को गबन/अपहरण मानते हुये ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 क के तहत कृत कार्य पर कुल व्यय धनराशि रू0- 194250.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान माताफेर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-194250.00

मूल आपत्ति संख्या-19

प्रस्तर- 49 आलोच्य वर्ष के कोश बही में सोलर लाइट हेतु बिम्ब भुगतान दर्शित है।

चेक संख्या	—	आहरण तिथि	—	धनराशि रू0	—	देय पक्ष का नाम
000376	—	21.06.2018	—	1,83,960.00	—	एम0एस0 राहुल इण्टर प्राइजेज 8 नग सामग्री हेतु
000377	—	26.06.2018	—	1,83,960.00	—	एम0एस0 राहुल इण्टर प्राइजेज 8 नग सामग्री हेतु
कुल योग :- रूपया 3,67,920.00 (रू0- तीन लाख सरसठ हजार नौ सौ बीस मात्र) (16 नग हेतु)						

उक्त व्यय के सापेक्ष निम्न गम्भीर आपत्तियां हैं।

1. सोलर लाईट की स्थापना की अधिकृत सरकारी नोडल एजेन्सी यूपीनेडा से सोलर लाईट क्य न करके प्राइवेट फर्म से क्य किया गया है। यूपीनेडा द्वारा निर्धारित रेट पर पत्रावली लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. सोलर लाइट स्थापित करने के कार्य को टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया है। जिससे कि समक्ष उच्चाधिकारियों के अनुमति पत्र से बचा जा सके।
3. लेखा परीक्षा के दौरान कुल व्यय 3,67,920.00 (रू0- तीन लाख सरसठ हजार नौ सौ बीस मात्र) के सापेक्ष व्यय प्रमाणक टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली स्थान, चयन की प्रक्रिया की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एवं भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, एवं पूर्व में स्थापित सोलर लाईट की जांच हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस कारण उक्त व्यय 3,67,920.00 (रू0- तीन लाख सरसठ हजार नौ सौ बीस मात्र) को गबन/अपहरण मानते हुये सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री माताफेर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-367920.00

मूल आपत्ति संख्या-19

प्रस्तर- 50 आलोच्य वर्ष के कोशबही में दिनांक 25.03.2019 को 75 ह्यूमपाइप, हेतु राहुल इण्टर प्राइजेज को चेक संख्या 441 द्वारा 54,363.00 का व्यय एवं उपर्युक्त कार्य हेतु दिनांक 25.03.2019 की चेक संख्या 442द्वारा श्री गणेश को रू0 16980.00 का व्यय मजदूरी हेतु दर्शित है। उक्त मजदूरी श्री गणेश को क्यो दी तथा उक्त

ह्यूम पाइप का उपयोग किन कार्यों/स्थान पर किया गया है। इसकी सूचना लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं की गयी। ग्राम पंचायत खुली बैठक में कराये जाने वाले कार्यों का पारित प्रस्ताव पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, माप पुस्तिका, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, एवं भौतिक सत्यापन पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट है कि उक्त भुगतान गलत तरीके से कोशबही में दर्शित किया गया।

अतः कुल व्यय धनराशि रू0— 71,343.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री माताफेर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती रचना श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 71343.00

मूल आपत्ति संख्या 02

ग्राम पंचायत — गोडरी

विकास खण्ड — हण्डिया

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर— 51

आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत गोडरी द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0— 563950.00 (रू0— पांच लाख तिरसठ हजार पांच सौ नब्बे मात्र) बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय राज पाण्डेय व ग्राम पंचायत सचि श्री वासुदेवा नन्द दूबे से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित हैं।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	ईट पर व्यय	147300.00
2	मजदूरी पर व्यय	42250.00
3	ह्यूम पम्प मरम्मत पर व्यय	79800.00
4	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	117900.00
5	विज्ञापन पर व्यय	2100.00
6	मिट्टी पर व्यय	15600.00
7	प्रा0वि0 शौचालय निर्माण पर व्यय	132000.00
8	स्टेशनरी पर व्यय	2000.00
9	स्ट्रीट लाइट पर व्यय	25000.00
योग :- 563950.00 (रू0— पांच लाख तिरसठ हजार पांच सौ नब्बे मात्र)		

सन्निहित धनराशि रू. :-563590.00

मूल आपत्ति संख्या25

ग्राम पंचायत — बाला

विकास खण्ड — हण्डिया

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर— 52 आलोच्य वर्ष 2017—18 में ग्राम पंचायत बाला द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0— 1011660.00 (रू0— दस लाख ग्यारह हजार छः सौ साठ मात्र) बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अशोक कुमार व ग्राम

पंचायत सचिव श्री विरेन्द्र सोनकर से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	नाली निर्माण पर व्यय	153845.00
2	वाल पेंटिंग पर व्यय	5000.00
3	खडजा निर्माण पर व्यय	279105.00
4	मजदूरी पर व्यय	33950.00
5	सोलर लाइट पर व्यय	145600.00
6	स्ट्रीट लाइट पर व्यय	144000.00
7	मानदेय पर व्यय	39000.00
8	कूप सफाई पर व्यय	41500.00
9	प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण पर व्यय	81744.00
10	टेण्डर पर व्यय	2100.00
11	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	25516.00
12	मिट्टी पर व्यय	60300.00
योग :- 1011660.00 (रु०- दस लाख ग्यारह हजार छः सौ साठ मात्र)		

सन्निहित धनराशि रु. :-1111660.00

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर- 53 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत बाला द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु०- 981136.00 (रु०- नौ लाख इक्कासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र) बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री भागीरथी से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	प्रा0वि0 शौचालय निर्माण पर व्यय	10000.00
2	ईट पर व्यय	459321.00
3	मजदूरी पर व्यय	135177.00
4	टेण्डर पर व्यय	2100.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय	175066.00
6	मानदेय पर व्यय	84000.00
7	सफाईकर्म किट	14000.00
8	प्रा0वि0 बाउन्ड्री निर्माण पर व्यय	25844.00
9	डोंगल शुल्क	1708.00
10	इण्टर लाकिंग पर व्यय	73920.00
योग :- 981136.00 (रु०- नौ लाख इक्कासी हजार एक सौ छत्तीस मात्र)		

सन्निहित धनराशि रु. :-981936.00

मूल आपत्ति संख्या 25

ग्राम पंचायत - पूरे गोबई

विकास खण्ड - हण्डिया

जनपद - प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर- 54 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पूरे गोबईद्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्टीमेट,

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री कय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन , स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0— 1241153.00 (रू0— बारह लाख इकतालीस हजार एक सौ तिरपन मात्र) बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री जवाहर लाल यादव व ग्राम पंचायत सचिव श्री वासुदेवा नन्द दूबे से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अम में लाया जाना अपेक्षित हैं।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	मानदेय पर व्यय	63000.00
2	प्रा0वि0 शौचालय निर्माण पर व्यय	291800.00
3	विज्ञापन पर व्यय	3808.00
4	स्ट्रीट लाईट पर व्यय	275000.00
5	ह्यूम पाईप पर व्यय	37900.00
6	सफाई किट पर व्यय	10150.00
7	प्रा0वि0 बाउन्ड्री निर्माण पर व्यय	44290.00
8	खड्डजा मरम्मत पर व्यय	119000.00
9	डस्टबिन कय पर व्यय	21980.00
10	हैण्ड पम्प व्यय पर व्यय	92500.00
11	प्रा0 वि0 में टाइलस पर व्यय	255925.00
12	मजदूरी पर व्यय	25800.00
योग :- 1241153.00 (रू0— बारह लाख इकतालीस हजार एक सौ तिरपन मात्र)		

सन्निहित धनराशि रू. :-1241153.00

मूल आपत्ति संख्या25

ग्राम पंचायत — हरचन्दपुर

विकास खण्ड — हण्डिया

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर—55 आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत **हरचन्दपुर** द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्तीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री कय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन , स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू0— 1455475.00(रू0— चौदह लाख पचपन हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री काली प्रसाद व ग्राम पंचायत सचिव श्री धर्मराज पाण्डेय से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित हैं।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	ईट पर व्यय	255600.00
2	मजदूरी पर व्यय	136275.00
3	सीमेन्ट/बालू/गिट्टी पर व्यय	92150.00
4	मिट्टी पर व्यय	20100.00
5	स्ट्रीट लाईट पर व्यय	432000.00
6	ह्यूम पाईप पर व्यय	50900.00
7	हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय	50550.00
8	प्रा0वि0 की बाउन्ड्री निर्माण पर व्यय	417900.00
योग :- 1455475.00 (रू0— चौदह लाख पचपन हजार चार सौ पचहत्तर मात्र)		

सन्निहित धनराशि रू. :-1455475.00

मूल आपत्ति संख्या25

ग्राम पंचायत — इटिहा इब्राहिमपुर

विकास खण्ड — हण्डिया

जनपद — प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर- 56 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत **इटिहा इब्राहिमपुर** द्वारा निम्न विवरणानुसार अनुदान की धनराशि का व्यय कोशबही में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में व्यवस्था दी गयी है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुये सम्बन्धित धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि व्यय के सापेक्ष स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत, इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर/कुटेशन, स्टाक रजिस्टर, भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कारायी गयी है।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि **रु0- 649879.00 (रु0- छः लाख उनचास हजार आठ सौ उन्यासी मात्र)** बिना बिल/बाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकीब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय राज पाण्डेय व ग्राम पंचायत सचिव श्री वासुदेवा नन्द दूबे से करते हुये प्रधान व सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक व बैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित हैं।

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1	मानदेय पर व्यय	49000.00
2	हैण्ड पम्प पर व्यय	230788.00
3	मजदूरी पर व्यय	88400.00
4	मिट्टी पर व्यय	25000.00
5	वाल पेंटिंग पर व्यय	4800.00
6	टेण्डर पर व्यय	2100.00
7	ईट/बालू/सीमेन्ट पर व्यय	238323.00
8	ट्राली सफाई पर व्यय	9850.00
9	डोंगल शुल्क पर व्यय	1708.00
योग :- 649879.00 (रु0- छः लाख उनचास हजार आठ सौ उन्यासी मात्र)		

सन्निहित धनराशि रु. :-649879.00

मूल आपत्ति संख्या 25

ग्राम पंचायत - शिवराजपुर

विकास खण्ड - शंकरगढ़

जनपद - प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर- 57 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है।

क्र0स0	सा0आ0 स0	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	1	15.04.2018	109251	मोती लाल के घर के सामने इण्डिया मार्का द्वितीय हैण्ड पम्प रिबोर	64973.00
2		18.04.2018	109252	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15400.00
3		18.04.2018	109253	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15500.00
4		24.04.2018	109254	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	4600.00
5		24.04.2018	109255	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	4500.00
6		10.05.2018	109256 शेष 109257 से	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15968.00
7		11.05.2018	109257 शेष 109262 से	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15979.00

8		11.05.2018	109262	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15979.00
9		11.05.2018	109262	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15979.00
10		11.05.2018	109262 शेष 109261 से	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15979.00
11		11.05.2018	109261	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	15870.00
12		11.05.2018	109261	इण्डिया मार्का ।। हैण्ड पम्प मरम्मत मिस्त्री को मजदूरी (कैश बुक में स्थान अंकित नहीं)	23200.00
13		02.11.2018	109286 शेष 109284 से	राम अभिलाख तिवारी के घर से शीला प्रसाद के घर तक इण्टर लाकिंग सामग्री	118787.00
14		02.11.2018	109284 व 109285 शेष 109286 से	गायत्री श्रीवास्तव के घर से मोहन धोबी के घर तक इण्टर लाकिंग सामग्री	75264.00
15		07.12.2018	109287	गायत्री श्रीवास्तव के घर से मोहन धोबी के घर तक इण्टर लाकिंग सामग्री	51514.00
16		26.12.2018	109289	गायत्री श्रीवास्तव के घर से मोहन धोबी के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य की मजदूरी	19500.00
कुल - 488992.00 (रु०- चार लाख अठ्ठासी हजार नौ सो बान्बे मात्र)					

उपरोक्त दर्शित कार्य कैश बुक में प्रमाणक विहीन फर्जी व्यय दर्शाकर रु०- 488992.00 (रु०- चार लाख अठ्ठासी हजार नौ सो बान्बे मात्र) राजकीय अनुदान का आहरण कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री जमुना व ग्रा०प०अ/ग्रा०वि०अ० श्री प्रेम चन्द्र द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली बराबर बराबर व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। यह भी उल्लेखित है कि विवरण में क्रमांक 1 से 12 तक हैण्ड पम्प रिबोर मरम्मत सामग्री क्रय की तिथि के दि नहीं मरम्मत कार्य दर्शाया गया है जो कि सम्भव ही नहीं है तथा आडिट में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी० कार्यवाही रजिस्टर, जल प्रबंधन समिति का कार्यवाही रजि० एवं बोरिंग टेक्सीनियन की रिपोर्ट एवं लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र कोटेशन टेण्डर एवं स्टाक रजिस्टर एवं उपभोग रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।

सन्निहित धनराशि रु. :-488992.00

ग्राम पंचायत - बेनीपुर

विकास खण्ड -शंकरगढ़

जनपद - प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-58 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है।

क्र०स०	सा०आ० स०	दिनांक	चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	1	09.08.2018	434509	हैण्ड पम्प सामग्री भुगतान	19500.00
2		09.08.2018	434508	हैण्ड पम्प सामग्री भुगतान	19500.00
3		31.08.2018	434513	प्रभात कुमार को हयूमपाइप का भुगतान	35250.00
4		26.09.2018	434517	मे०अभिलाश सिंह को भुगतान (विवरण रहित)	82700.00
5		12.03.2019	434532	सुरेश द्विवेदी को बोरिंग एवं समरशेबुल का भुगतान	49000.00
6		12.03.2019	434533	सुरेश द्विवेदी को बोरिंग एवं समरशेबुल का भुगतान	49000.00
7		16.0.2019	434534	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय	30000.00
8		16.03.2019	434534	हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय	20000.00
9		19.03.2019	434535	साधन सहकारी समिति बेनीपुर में समरशेबुल पम्प पर व्यय	30000.00
10		20.03.2019	434535	आदिवासी बस्ती कटहा में बोरिंग एवं समरशेबुल पम्प पर व्यय	34500.00

11		20.03.2019	434535 व नगद शेष	अनुसूचित बस्ती में बोरिंग एवं समरसेबुल पम्प पर व्यय	34500.00
कुल -403950.00 (रु०- चार लाख तीन हजार नौ सौ पचास मात्र)					

उपरोक्त दर्शित कार्य कैश बुक में प्रमाणक विहीन फर्जी व्यय दर्शाकर रु०- 403950.00 (रु०- चार लाख तीन हजार नौ सौ पचास मात्र) के सापेक्ष आडिट में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एम०बी० कार्यवाही रजिस्टर, जल प्रबंधन समिति का कार्यवाही रजि० एवं बोरिंग टेक्सीनियन की रिपोर्ट एवं लाभाधियों का प्रार्थना पत्र कोटेशन टेण्डर एवं स्टाक रजिस्टर एवं उपभोग रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध होने से स्पष्ट है कि कैशबुक में फर्जी एवं काल्पनिक व्यय कैशबुक में दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती बेला कली व ग्रा०प०अ/ग्रा०वि०अ० श्री दिनेश चौरसिया द्वारा राजकीय अनुदान का आहरण कर अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली बराबर बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-409350.00

विकास खण्ड - उरुवा **ग्राम पंचायत- बेदौली** **जिला- प्रयागराज**

प्रस्तर 59-कैश बुक माह दिसम्बर 2018 में दिनांक 15.12.2018 के चेक संख्या 221 से रु० 11250.00 का भुगतान में० रमेश बिल्डर्स मेजा रोड को किया गया है परन्तु धनराशि को कैश बुक आय पक्ष में दर्ज नहीं करके घन का अपहरण किया गया है। माह की कुल आय रु० 309608.00 होनी चाहिए परन्तु कुल आय मा रु० 298358.00 दर्ज करके उसी के सापेक्ष व्यय भी किया गया है। अतः अपहरण की गयी धनराशि रु० 11250.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

सन्निहित धनराशि रु. :- 11250.00

मूल आपत्ति संख्या-11

प्रस्तर 60-कैश बुक माह जनवरी 2019 में दिनांक 14.01.2019 को चेक संख्या 140 से मे० रूपेन्द्र सिंह कटौली को इण्टरलाकिंग ईट 4500/24 रु० 108000.00 का भुगतान किया गया है। उपरोक्त कार्य को मे० रूपेन्द्र सिंह कटौली को माह दिसम्बर 2018 दिनांक 11.12.2018 को चेक संख्या 2 से कुल 5700 ईट/21रु० 119700.00 का भुगतान किया गया है। एक ही कार्य को इण्टरलाकिंग ईट हेतु भिन्न-भिन्न दर से भुगतान करके राजकीय धन की क्षति की गयी है। अतः 4500 इण्टरलाकिंग ईट के लिए कय दर रु० 3.00 बढ़ाकर कय किया जाना कुल रु० 13500.00 (4500×3.13500.00) का दुरुपयोग किया गया है। अतः उक्त दुरुपयोग धन रु० 13500.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-13500.00

मूल आपत्ति संख्या-12

विकास खण्ड - उरुवा **ग्राम पंचायत- नीबी** **जिला- प्रयागराज**

प्रस्तर 61-आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपप रिबोर मद में भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न चेकों के माध्यम से सामग्री मद में रु० 564918.00 एवं मजदूरी मद में रु० 69845.00 कुल रु० 634757.00 भुगतान किया गया है। परन्तु कैश बुक में स्थलवार विवरण दर्ज नहीं है कि किन-किन स्थलों पर रिबोर कार्य कराया गया है। कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में जल प्रबंधन समिति का अनुमोदन/संस्तुति का पता नहीं चल सका। संबंधित रिबोर कार्य के पूरा हो जाने तथा कय सामग्री के उपभोग कर लिए जाने की दशा में उक्त से संबंधित कार्यपूर्ति में प्रमाणपत्र एवं उपयोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक बुक में अभाव में कय सामग्री के आमद प्रयुक्त एवं अवशेष क स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। उक्त कय सामग्री एवं मजदूरी के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र कैश बुक में धन खरिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः उक्त धन रु० 634757.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
11.04.2018	269	95962.00	पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
18.06.2018	196	151200.00	पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
14.01.2019	238	100000.00	पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
19.01.2019	239	13500.00	श्री विरेन्द्र कुमार पटेल
05.03.2019	234	20000.00	श्री नागर प्रसाद पटेल
07.03.2019	333	37885.00	पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
18.03.2019	337	36345.00	श्री दशरथ लाल पटेल
18.03.2019	236	179865.00	पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
	योग	634757.00	

सन्निहित धनराशि रु. :- 634757.00

मूल आपत्ति संख्या11

प्रस्तर 62- कैश बुक माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 06.10.2018 एवं दिनांक 10.10.2018 तक विष्णु के घर से उदयशंकर के कुंआ तक खड़जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी सहित कुल रु० 211537.00 का

भुगतान किया गया है। दिनांक 06.10.2018 को चेक संख्या 2030 से ईट रु0 147000.00 दिनांक 06.10.2018 को ही चेक संख्या 232 से रु0 30000.00+200.00(नकद) मजदूरी एवं दिनांक 10.10.2018 को चेक संख्या 231 से रु0 34337.00 सामग्री वास्ते भुगतान किया गया है। परन्तु एक भी बाउचर मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, कैश बुक में खड़जा की माप का भी उल्लेख नहीं है। उक्त कार्य से संबंधित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा। स्टॉक बुक में उक्त क्रय सामग्री का अंकन आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। अतः बाउचर/मस्टररोल विहीन धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-211537.00

मूल आपत्ति संख्या18

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– टुड़िहार जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 63—कैश बुक माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 04.10.2018 को चेक संख्या 322 से बैंक खाते से रु0 520000.00 श्री मथूरा प्रसाद प्रधान द्वारा आहरण किया गया है। जिसे कैश बुक में मात्र रु0 52000.00 ही दर्ज किया गया है। जो रु0 468000.00 से कम दर्ज दर्शित रहा। उक्त व्यय रु0 52000.00 एल0पी0एस0 ट्रेडर्स को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री एवं श्रम हेतु भुगतान किया गया है। उक्त धनराशि रु0 468000.00 दिनांक 04.10.2018 से दिनांक 21.11.2018 तक 46 दिन रोककर राजकीय राजस्व की क्षति की गयी है। अतः ब्याज सहित 468000×8×46/36500. रु0 4718.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से आवधि ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-4718.00

मूल आपत्ति संख्या 24

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– रैपुरा जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 64 कैशबुक माह मई दिनांक 05.05.2018 को चेक संख्या 072822 से आहरित रु0 20000.00 (शिवम हार्डवेयर) एवं दिनांक 15.05.2018 को चेक संख्या 072825 से आहरित रु0 5000.00 (मनीश कुमार) बैंक खाते से आहरित किया गया है जिसकी प्रविष्टि कैशबुक में नहीं करके कुल रु0 25000.00 का अपहरण किया गया है। सम्बन्धित भुगतान किन प्रयोजनों हेतु किया जाना है बताया नहीं जा सका। उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल बाउचर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया अतः अपहरण की धनराशि रु0 25000.00 की वसूली प्रधान श्री शैलेन्द्र कुमार एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 25000.00

मूल आपत्ति संख्या –11

प्रस्तर 65— कैश बुक दिनांक 04.04.2018 को बैंक खाते से चेक संख्या 072817 से रु0 20000.00 प्रधान द्वारा स्वयं आहरण करके कैशबुक में हैण्डपम्प मजदूरी दर्ज कर भुगतान प्राप्त किया गया है परन्तु इसके पूर्व हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धित कोई सामग्री क्रय नहीं की गयी है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में पूर्व में क्रय सामग्री की जानकारी नहीं हो सकी। संबंधित कार्यस्थल एवं उपभोग प्रमाण पत्र तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। भुगतान प्राप्त मजदूरी रु0 20000.00 के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः बाउचर विहीन, बिना सामग्री क्रय के मजदूरी भुगतान प्रधान द्वारा स्वयं आहरण करके फर्जी व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-20000.00

मूल आपत्ति संख्या-17

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– समहन जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 66—कैश बुक माह नवम्बर 2018 में कुल आय योग रु0 501350.00 (प्रा0 शेष-शून्य +आहरण रु0 108000.00+5000.00+15000.00+29000.00+40400.00+26950.00+48000.00+67000.00+162000.00. कुल रु0 501350.00) होता है परन्तु कैशबुक में आय योग मात्र रु0 404150.00 ही दर्ज किया गया है जो रु0 97200.00 से कम दर्ज किया गया है। इसी के सापेक्ष अर्थात् रु0 404150.00 के अनुसार व्यय दर्ज करके रु0 97200.00 का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की गयी धनराशि रु0 97200.00 की वसूली तत्कालीन सचिव एवं प्रधान से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-97200.00

मूल आपत्ति संख्या-10

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– बरी जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 67—कैशबुक माह मई 2018 का कुल आय योग रु0 40000.00+37500.00+25000.00.रु0 102500.00 होती है तथा व्यय योग बाउचर संख्या 2,3,4 एवं 5 क्रमशः रु0 40000.00+35000.00+2000.00+25000.00. 102000.00 होती है जबकि कैशबुक में कुल योग को रु0 500.00 से बढ़ाकर रु0 102500.00 दर्ज किया गया

है। इस प्रकार व्यय योग बढ़ाकर धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं प्रधान श्री अखिलेश चन्द्र से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 500.00

मूल आपत्ति संख्या10

प्रस्तर 68—कैश बुक माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 15.10.2018 को चेक संख्या 132 से रु0 37500.00 का आहरण बैंक खाते से किया गया है, परन्तु कैश बुक में आहरित धनराशि मात्र रु0 37000.00 ही दर्ज की गयी है। इस प्रकार रु0 500.00 कम आहरण दर्ज करके धन का अपहरण किया गया है माह की आय-व्यय रु0 72500.00 होना चाहिए। परन्तु मात्र रु0 72000.00 ही दर्ज किया गया है इस प्रकार रु0 500.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-500.00

मूल आपत्ति संख्या16

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— छतवा

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 69—कैश बुक माह नवम्बर 2018 में दिनांक 19.11.2018 को चेक संख्या 967126 एवं 967128 से क्रमशः रु0 30000.00 एवं रु0 10000.00 आहरित कर अमरावती के घर से हरिष्यन्द्र के घर तक खड़जा निर्माण में मजदूरी का भुगतान एवं अवशेष मजदूरी का भुगतान कुल रु0 40000.00 का भुगतान दो बाउचरो के माध्यम से कैश बुक में खारिज किया गया है। परन्तु उक्त स्थल हेतु खड़जा निर्माण के लिए माह अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 तक कोई भी सामग्री क्रय नहीं की गयी है। बिना सामग्री क्रय किये मजदूरी का भुगतान औचित्यपूर्ण नहीं है। मजदूरी भुगतान किये जाने संबंधी कोई भी बाउचर /मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि रु0 40000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-40000.00

मूल आपत्ति संख्या 7

प्रस्तर 70—कैश बुक दिनांक 13.02.2019 को चेक संख्या 967147 से रु0 110000.00 का भुगतान ग्राम सभा में हैण्डपम्प रिबोर में मटेरियल भुगतान 5 नग खारिज किया गया है भुगतान किस फर्म को किया गया है, इसका उल्लेख कैश बुक एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेंट में दर्ज नहीं है। कैश बुक में यह भी उल्लेख नहीं है कि किन-किन स्थलों हेतु सामग्री क्रय की गयी है। क्रय सामग्री के वास्ते किन्हीं पंजीकृत फर्म से प्राप्त व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया उक्त क्रय सामग्री से मात्र एक स्थल (नन्दलाल के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय) पर दिनांक 27.02.2019 को चेक संख्या 967160 से रु031000.00 का भुगतान किया गया है। यह व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः बाउचर विहीन स्थल विहीन व्यय पूर्ण रूपेण फर्जी प्रतीत होता है। अतः दोनों बाउचरों के संयुक्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-141000.00

मूल आपत्ति संख्या 14

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— सिकटी

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 71—बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 23.05.2018 को आहरित दो चेकों क्रमांक 57 एवं 58 से क्रमशः रु0 5000.00 एवं रु0 5000.00 का आहरण किया गया है। परन्तु कैश बुक में मात्र एक ही चेक की धनराशि रु0 5000.00 का आहरण दर्ज है। इस प्रकार रु0 5000.00 का आहरण नहीं दर्ज करके अपहरण कर लिया गया है। माह की कुल आय रु0 35000.00 होनी चाहिए परन्तु मात्र रु0 30000.00 ही दर्ज करके उसी के सापेक्ष व्यय किया गया है। अतः रु0 5000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

सन्निहित धनराशि रु. :- 5000.00

मूल आपत्ति संख्या29

प्रस्तर 72—कैश बुक माह अगस्त 2018 में माह की कुल आय रु0 79190.00 होती है दर्ज किया गया है। कुल आय के सापेक्ष माह में व्यय मात्र रु0 69190.00 का दर्ज है। (5760.00+43500.00+19930.00) इस प्रकार रु0 79190.00—69190.00.10000.00 नकद रोकड़ शेष नहीं दर्ज कर धन का अपहरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि माह सितम्बर 2018 में नकद शेष शून्य दर्ज है। अतः अपहरण की धनराशि रु0 10000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-10000.00

मूल आपत्ति संख्या25

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— बकचून्दा

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 73—कैश बुक माह अक्टूबर 2018 में प्रधान के पास नकद शेष रु0 12596.00 था जिसे माह नवम्बर 2018 में दिनांक 01.11.2018 को दर्ज किया गया है। परन्तु माह में बिना प्रकार के व्यय दर्ज किये ही माह के अन्त में अवशेष शून्य दिखाकर रु0 12596.00 का अपहरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि माह में अन्य कोई भी आहरण नहीं किया गया है। मात्र रु0 10038.00 ब्याज से प्राप्त आय-व्यय दर्शित है। अतः अपहरण की गयी धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-12596.00

मूल आपत्ति संख्या 24

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– मदरामुकुन्दपुर जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 74—कैश बुक दिनांक 18.03.2019 को चेक संख्या 147 एवं 148 से क्रमशः रु0 171000.00(प्रा0वि0द्वितीय शौचालय निर्माण सामग्री शक्ति इण्टरप्राइजेज) रु0114691.00(सामग्री इण्टरलाकिंग अंकित ईट जोग) भुगतान किया गया है। परन्तु संबंधित फर्मों का बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त क्रय सामग्री से संबंधित मजदूरी दिनांक 30.03.2019 को चेक संख्या 149 एवं 146 से क्रमशः रु0 14504.00(मुख्य मार्ग से जटाशंकर तिवारी के घर तक मजदूरी इण्टरलाकिंग) रु0 50150.00(प्रा0वि0द्वितीय शौचालय निर्माण मजदूरी) भुगतान की गयी है। जो हस्ताक्षर भिन्न होने के कारण पुनः खाते में जमा हो गयी है। जिसका भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 25.11.2019 तक नहीं हुआ है। दोनों मजदूरियों से संबंधित व्यय प्रमाणक मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र एवं संबंधित क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक बुक के अभाव में नहीं देखा जा सका अतः उक्त धनराशियां सामग्री एवं मजदूरी (360615.00+64654) रु0 415269.00 बिना व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल के ही कैश बुक में दर्ज कर अपहरण कर ली गयी है। जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-415269.00

मूल आपत्ति संख्या10

प्रस्तर 75—कैश बुक माह अप्रैल 2018 में दिनांक 05.04.2018 को चेक संख्या 124 से रु0 68000.00 आहरित कर प्रधान द्वारा एवं रु0 500.00 स्टेशनरी पर व्यय दर्ज किया गया है। मानदेय माह जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 तक 06 माह/ 2500.00.रु0 15000.00 तथा माह जनवरी 2017 से माह मार्च 2018 तक 15 माह/ 3500.00. रु0 52500.00 कुल रु0 67500.00 प्राप्त किया गया है परन्तु मानदेय पंजिका अथवा गत वर्षों की लेखा परीक्षा कोश बही पुष्टि हेतु उपलब्ध नहीं करायी गयी है भुगतान की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः विगत वर्षों की 02 माह की प्राप्त की गयी धनराशि रु0 67500.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-67500.00

मूल आपत्ति संख्या 17

विकास खण्ड – उरुवा ग्राम पंचायत– लेहड़ी

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 76—कैशबुक माह फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 में दिनांक 12.02.2019 से 14.03.2019 तक विभिन्न चेकों/बाउचरों के माध्यम से कुल रु0 321431.00 का व्यय खड़जा निर्माण कार्य काली रोड से मुंशी के घर तक के लिए किया गया है। कैशबुक में उक्त खड़जे की माप दर्ज नहीं है। ईट क्रय के अतिरिक्त अन्य भुगतान स्वयं प्रधान द्वारा प्राप्त किये गये हैं। मजदूरी पर व्यय रु0 57650.00 बालू क्रय पर रु0 25952.00 एवं मिट्टी कार्य पर रु0 26929.00 स्वयं प्रधान द्वारा भिन्न-भिन्न चेकों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। जबकि भुगतान संबंधित व्यक्तियों को करना चाहिए था। उक्त व्यय से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त कार्य के पूर्ण होने संबंधित उपभोग एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी अप्राप्त रहा। अतः प्रमाणक विहीन समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण	टिप्पणी
1	12.02.2019	454	20000.00	मजदूरी	प्रधान द्वारा आहरण
2	13.02.2019	453	100000.00	श्रीराम ईट जोग समोगरा	फर्म द्वारा आहरण
3	26.02.2019	457	19812.00	बालू क्रय	प्रधान द्वारा आहरण
4	26.02.2019	458	20561.00	मिट्टी कार्य	प्रधान द्वारा आहरण
5	26.02.2019	461	23050.00	मजदूरी	प्रधान द्वारा आहरण
6	01.03.2019	459	57400.00	कमल ईट जोग	फर्म द्वारा आहरण
7	12.03.2019	469	6140.00	बालू क्रय	प्रधान द्वारा आहरण
8	12.03.2019	468	14600.00	मजदूरी	प्रधान द्वारा आहरण
9	12.03.2019	470	6368.00	मिट्टी कार्य	प्रधान द्वारा आहरण
10	14.03.2019	466	53500.00	श्रीराम ईट जोग समोगरा	फर्म द्वारा आहरण
		योग	321431.00		

सन्निहित धनराशि रु. :-321431.00

मूल आपत्ति संख्या 11

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत– चिलबिला

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 77—बैंक पासबुक/स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत के खाता एस0बी0आई0 मेजारोड के अकाउण्ट नंबर 10686533262 से दिनांक 13.02.2019 को चेक संख्या 488006, 488011 एवं 488014 से क्रमशः रु0 13000.00+19410.00+26480.00 रु0 58890.00 तथा दिनांक 05.03.2019 को चेक संख्या 488027 से रु0 26187.00 का आहरण किया गया है। इस प्रकार कुल रु0 58890+26187. 85077.00 का आहरण किया गया है परन्तु धनराशियों को कैशबुक आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया है इस प्रकार आहरित धन को कैशबुक

आय पक्ष में आय न दिखाकर कुल धन रु0 85077.00 का अपहरण किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशियां विथड्राल एवं ट्राजेक्शन के माध्यम से अन्य खातों में प्रेषित है जिनका विवरण नहीं मिल सका अतः उक्त अपहरण की धनराशि रु0 85077.00 की वसूली सचिव एवं प्रधान से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-85077.00

मूल आपत्ति संख्या 19

प्रस्तर 78—ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि कैश बुक में नीचे दी गयी तालिका के अनुसार दर्ज बाउचरों की धनराशियों के लिये कोई भी व्यय प्रमाणक मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र संख्या उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि सभी धनराशियां एक ही खाता संख्या एस0बी0आई0 0010686654787 में ट्रांसफर की गयी है। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस खाते में धनराशि ट्रांसफर की गयी वह किसका है सचिव के द्वारा सम्बन्धित खाते के विवरण फोटो कापी एवं चेक इष्यू रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसे में ट्रांसफर की गयी सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही अतः कुल धनराशि रु0 214418.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	दिनांक	बाउचर सं०	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
1	03.04.2018	02	370331	25000.00	प्रा0वि0बसेनपुर में फर्ष मरम्मत मजदूरी
2	23.08.2018	13	370342	45000.00	27 नग फाउण्डेशन निर्माण मजदूरी
3	01.01.2019	18	370359	88423.00	प्रा0वि0बसेनपुर में फर्ष एवं बाउण्ड्री निर्माण मजदूरी
4	19.01.2019	23	487994	43395.00	खड़जा मजदूरी
5	28.01.2019	26	487999	12600.00	बालू एवं गिट्टी पर व्यय
			योग	214418.00	

सन्निहित धनराशि रु. :-214418.00 मूल आपत्ति संख्या 23

प्रस्तर 79 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से विभिन्न तिथियों में चेकों के माध्यम से सामग्री खरीद एवं मजदूरी भुगतान किया गया है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अनुसार यह धनराशि एस0बी0आई0 के खाता संख्या 0030773453684 में ट्रांसफर की गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	दिनांक	बाउचर सं०	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
1	16.08.2018	10	370341	20500.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
2	23.08.2018	14	370344	12000.00	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी संदीप सिंह
3	01.01.2019	17	370355	22266.00	प्रा0वि0बसेनपुर में फर्ष एवं बाउण्ड्री निर्माण मजदूरी
4	11.01.2019	20	370364	17908.00	बालू एवं गिट्टी पर व्यय
5	19.01.2019	24	487993	28580.00	बालू एवं गिट्टी पर व्यय
6	28.01.2019	27	487996	3864.00	फाउण्डेशन गिट्टी
7	28.01.2019	29	487998	25947.00	प्रा0वि0 चिलबिला में फर्ष एवं बाउण्ड्री निर्माण मजदूरी
8	13.02.2019	36	488013	31400.00	प्रा0वि0बसेनपुर में टाइल्स निर्माण मजदूरी
9	14.02.2019	40	488004	5000.00	प्रिया साफ्ट पर व्यय
10	14.02.2019	41	488017	72000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
11	01.03.2019	47	488024	13855.00	चबूतरा निर्माण मजदूरी
			योग	253320.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार समस्त धनराशि कोशबही में भुगतान अंकित है लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस खाते में धनराशि ट्रांसफर किया गया है वह किसका है सचिव के द्वारा संबंधित खाते के विवरण/फोटोकापी उपलब्ध नहीं कराया गया, चेक इष्यू रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे समस्त ट्रांसफर की गयी धनराशि अपुष्ट रही। यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित कोई भी बाउचर/ मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। इस प्रकार समस्त धनराशि अन्य खाते में ट्रांसफर करके बिना व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराये कुल धनराशि रु0 253320.00 का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-253320.00

मूल आपत्ति संख्या-24

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— सोनाई

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 80कैशबुक माह जून 2018 में दिनांक 21.06.2018 एवं 27.06.2018 को क्रमशः रु0 80000.00 एवं रु0 30000.00 का भुगतान श्री जी0 आई0 इण्टरप्राइजेज को 04 नग हैण्डपम्प रिबोर सामग्री के वास्ते तथा दिनांक 21.07.2018 को रु0 80000.00 श्री जी0आई0 इण्टरप्राइजेज को 04 नग हैण्डपाइप रिबोर के लिए सामग्री के लिए भुगतान किया गया है। कैश बुक में दर्ज तीनों बाउचरों की संख्या क्रमशः 9,10 एवं 13 है जिनमें मात्र

सामग्री क्रय ही दर्ज है हैण्डपाइप रिबोर मजदूरी नहीं दी गयी है तथा संबंधित व्यय प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं कराये गये। स्थलवार विवरण भी नहीं दर्ज है और नहीं बताया जा सका। उक्त कार्य से संबंधित उपभोग एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं कराया गया। स्टॉक बुक के अभाव में प्राप्त प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी/ अतः व्यय प्रमाणक विहीन समस्त धनराशि रु0 190000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-190000मूल आपत्ति संख्या12

प्रस्तर 81—

क्र0	कार्य का विवरण	दिनांक	बाउचर सं0	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	जनार्दन प्रसाद शुक्ला के घर से त्रिभुवन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	08.03.2019 28.03.2019 29.03.2019 29.03.2019	125 127 169 172	21 33 35 37	50000. 00 25800. 00 16000. 00 111150. 00	भारद्वाज ईट उोग मेजा मां दुर्गा हार्डवेयर मां दुर्गा ईट उोग मेजा मां दुर्गा ईट उोग मेजा
2	स्टेशन रोड से शिवनारायण शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	15.03.2019 16.03.2019 16.03.2019	122 330 329	26 30 38	94600. 00 18636. 00 33800. 00	श्री राम सीमेंट एजेंसी मां शीतला ईट उोग मां दुर्गा हार्डवेयर
3	पिच रोड से श्यामलाल शुक्ल व गिरजा शुक्ल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	16.03.2019 29.03.2019	326 175	28 40	31548. 00 104123. 00	मां शीतला ईट उोग मां दुर्गा ईट उोग मेजा
4	प्रा0वि0 सोनाई में बाउण्ड्री वाल एवं टाइल्स निर्माण कार्य	16.03.2019 16.03.2019	322 121	29 31	26370. 00 35000. 00	मां शीतला ईट उोग मां दुर्गा हार्डवेयर
				योग	537027. 00	

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न बाउचरों की समस्त धनराशियां मात्र सामग्री क्रय हेतु फर्मों को भुगतान की गयी हैं। संबंधित ार्यों हेतु मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। कार्यों के पूर्ण किये जाने संबंधी कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टॉक पंजी के अभाव में प्राप्त प्रयुक्त एवं अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी एवं अवशेष स्टॉक की पुष्टि नहीं की जा सकी। संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य मात्र को पूर्ण किया गया है। समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-537027.00

मूल आपत्ति संख्या17

प्रस्तर 82 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दिनांक 29.03.2019 एवं दिनांक 30.03.2019 को बाउचर संख्या 30,41 एवं 42 से क्रमशः रु0 142500.00(चेक संख्या 174) रु0 112500.00(चेक संख्या 177) एवं रु0 25000.00(चेक संख्या 181) का भुगतान मां दुर्गा ईट उोग मेजा रोड को भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये ईट क्रय के लिए किया गया है। परन्तु कोई भी कार्य नहीं कराया गया है और न ही संबंधित कार्यों की मजदूरी का भुगतान की गयी है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त क्रय स्टॉक की स्थिति अज्ञात रही। उक्त क्रय स्टॉक से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक उपभोग, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, मात्र धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रु0 280000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-280000.00

मूल आपत्ति संख्या24

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— उपरौड़ा

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 83कैश बुक माह अगस्त 2018 में माह का कुल आय योग रु0 —435548.00 होता है जिसे मात्र 434948.00 दर्ज किया गया है। इसी के सापेक्ष व्यय भी दर्शाया गया है संपूर्ण आय योग को रुपया 600.00 से कम दर्ज करके धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. :-600.00मूल आपत्ति संख्या11

प्रस्तर 84 आलोच्य वर्ष में कुल रू0 76000.00 प्रधान का मानदेय भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 का मानदेय माह अप्रैल, 2018 से फरवरी, 2019 कुल 11 माह / 3500.00 रू0 38500.00 लिया गया है तथा रू0 37500.00 मानदेय गत वर्ष (मई का 2500.00 एवं जून, 2017 से मार्च, 2018 तक / 3500.00) का मानदेय भुगतान की पुष्टि गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोशबही अथवा मानदेय पंजिका के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी। दोबारा भुगतान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अतः धन की वसूली प्रधान एवं सचिव से का ब्याज सहित अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रू. :-37500.00

मूल आपत्ति संख्या14

प्रस्तर 85 कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट की जांच में पाया गया कि निम्न धन राशियां भिन्न-भिन्न बाउचरों चेकों के माध्यम से फर्म /संस्था को नहीं भुगतान करके व्यक्ति विशेष श्री राम प्यारे जी (हैंडपंप मरम्मत रिबोर का कार्य कराते हैं) को भुगतान कर के बिना व्यय प्रमाणक के अपहरण कर ली गई है। सामग्रियों का क्रय फर्म/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए ना की व्यक्ति विशेष को भुगतान करके। अतः वित्तीय नियमों का पालन ना करके धन के अपहरण को अंजाम दिया गया है जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
1	23.07.2018	228	3000.00	स्टेशनरी
2	09.08.2018	238	5000.00	स्टेशनरी पत्रावली
3	25.01.2019	330	30000.00	हैंडपंप मरम्मत सामग्री
4	12.03.2019	362	7600.00	हैंडपंप मरम्मत सामग्री
5	12.03.2019	375	4500.00	इण्टरलाकिंग कार्य में बोर्ड पर भुगतान
			योग	50100.00

सन्निहित धनराशि रू. :- 50100.00

मूल आपत्ति संख्या16

प्रस्तर 86 कैश बुक माह मार्च 2019 में इण्टरलाकिंग कार्य (दूधनाथ तिवारी के घर के पीछे से महेश के घर तक) हेतु दिनांक 12.03.2019 को चेक संख्या 370 एवं 372 से क्रमशः बाउचर सं0 120 एवं 122 से रू0 65200.00 इण्टरलाकिंग मजदूरी तथा रू0 38151.00 की सीमेंट, बालू तथा दिनांक 13.03.2019 को चेक सं0 373 एवं 374 से क्रमशः बाउचर सं0 123 एवं 124 से ईट इण्टरलाकिंग रू0 269304.00 एवं रू0 269304.00 तथा दि0 14.03.2019 को चेक सं0 371 से बाउचर सं0 126 से रू0 11025.00 की इण्टरलाकिंग ईट को भुगतान किया गया है। इस प्रकार इण्टरलाकिंग ईट पर रू0 549633.00 सीमेंट, बालू पर रू0 38151.00 एवं मजदूरी पर रू0 65200.00 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल भुगतान रू0 549633.00+38151.00+65200.00.रू0652984.00 किया गया है। परन्तु कैश बुक में उक्त कार्य की माप, कुल ईटों की मात्रा आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल, कार्यपूर्ति एवं उपभोग आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टाक पंजी के अभाव में उक्त सामग्री के आमद, प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। अतः मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0 652984.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज के साथ अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-652984.00

मूल आपत्ति संख्या-24

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत- उरुवा

जिला- प्रयागराज

प्रस्तर 87 कैश बुक माह जनवरी 2019 में दि0 29.01.2019 को चेक संख्या 55 से रू0 184008.00 एल0बी0एस0 ट्रेडर्स को इण्टरलाक ब्रिक सोलिंग कार्य हेतु सीमेंटेड ईट के लिए भुगतान किया गया है। कैश बुक में कुल 8120 नग ईट/20.4 का विवरण दर्ज किया गया है। परन्तु वास्तव में कुल 8120 ईट/20.4 की दर से मात्र रू0 165648.00 ही होता है। इस प्रकार कुल रू0 184008.00-165648.00 रू018360.00 अधिक भुगतान कर धन का अपहरण किया गया है। अतः अपहरण की धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-18360.00 मूल आपत्ति संख्या18

प्रस्तर 88 कैश बुक माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2018 में पसियान बस्ती के सामने नहर पर आरसीसी पुलिया निर्माण कार्य अवशेष सामग्री एवं अवशेष मजदूरी क्रमशः दिनांक 29.09.2018 को चेक सं048 से रू0 30000.00 एल0पी0एस0 ट्रेडर्स एवं दि0 06.10.2018 को चेक सं0 82 से रू0 36150.00 हौसला प्रसाद को भुगतान किया गया है। परन्तु इन अवशेष भुगतानों के पूर्व(दि0 01.04.2018 से दिनांक 28.09.2018 तक) कोई आहरण एवं व्यय कैश बुक में दर्ज नहीं है दिनांक 06.10.2018 को भुगतान अवशेष मजदूरी रू0 36150.00 के पूर्व एवं बाद में भी उक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान नहीं की गयी है। उक्त दोनों भुगतानों के लिए कोई भी व्यय प्रमाणक मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। कार्यवाही पुस्तिका एवं स्टाक बुक के अभाव में कार्य के प्रस्ताव की स्थिति एवं सामग्री के आमद

की प्रविष्टि आदि की जानकारी नहीं की जा सकी। अतः कैशबुक में अवशेष सामग्री एवं मजदूरी दर्ज कर बिना बाउचर एवं मस्टर रोल प्रस्तुत किये ही धन का अपहरण किया गया है। अतः धनराशि रु0 66150.00 की वसूल प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-66150.00

मूल आपत्ति संख्या 23

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत– खानपुर

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर-89 शासनादेश सं0 ए-1/1450/दस-96-10(11)-93 दिनांक 23.07.1996 के अनुसार निजी संस्थाओं व्यक्तियों तथा पार्टियों को रु0 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं लिया जाना है परंतु ग्राम प्रधान द्वारा उक्त नियम का पालन नहीं किया गया है। इसके विरुद्ध स्वयं प्रधान द्वारा सामग्री तथा श्रमांश की धनराशि का आहरण किया गया है जबकि भुगतान संबंधित फर्म को श्रमांश संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए था। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
1	27.04.2018	195	10000.00	प्रशासनिक मद स्टेशनरी एवं बस्ते पर व्यय
2	13.06.2018	196	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
3	04.07.2018	199	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत श्रम एवं सामग्री
4	01.11.2018	289	10000.00	सफाई कर्मी टूल्स एवं अन्य सामग्री
5	05.11.2018	272	10000.00	हयूम पाइप कय एलपीएस टैंडर्स को रु0 30000.00 में शामिल
6	20.11.2018	274	10000.00	ढक्कन युक्त नाली निर्माण कार्य में मजदूरी
7	20.11.2018	275	10000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय
8	19.12.2018	291	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत श्रम एवं सामग्री
9	01.01.2019	224	10000.00	प्रा0वि0 खानपुर में फर्ष मरम्मत एवं टाइल्स मजदूरी
10	18.01.2019	230	15000.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य में मजदूरी
11	25.01.2019	365	40000.00	प्रा0वि0 खानपुर में पुट्टी, वाल पेंटिंग, इलेक्ट्रिकेशन
12	12.02.2019	241	10000.00	प्रशासनिक मद पर व्यय
13	22.02.2019	367	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत श्रम एवं सामग्री राज टैंडर्स को
14	07.03.2019	374	12100.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य में मजदूरी
15	19.03.2019	244	15000.00	हैण्डपम्प मरम्मत श्रम एवं सामग्री
		योग	212100.00	

उपरोक्त विवरण के अनुसार समस्त धन राशियों का भुगतान प्रधान द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त किया गया है जो कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार विवरण दर्ज है यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः नियम विरुद्ध कार्य करते हुए बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत समस्त धनराशि रुपया 212100.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-212100.00

मूल आपत्ति संख्या 28

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत– परानीपुर

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 90 कैश बुक माह मार्च 2019 में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दि0 26.03.2019 को चेक सं 117 से रु0 145000.00 का का भुगतान मनकामेश्वर कंस्ट्रक्शन को खड़जा निर्माण सामग्री (श्याम मिलन के घर) के वास्ते किया गया है परंतु पूरे वित्तीय वर्ष में कहीं भी मजदूरी भुगतान नहीं दर्ज है और ना ही उक्त सामग्री का व्यय प्रमाणक ही प्रस्तुत किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में उक्त सामग्री के आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उक्त कार्य से संबंधित कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में उक्त कार्य के प्रस्ताव एवं अनुमोदन की स्थिति अज्ञात रही। अतः प्रमाणक विहीन व्यय धन की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-145000.00

मूल आपत्ति संख्या13

प्रस्तर 91— वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अतिथियों एवं सिक्कों के माध्यम से सामग्री एवं मजदूरी दोनों के लिए मनकामेश्वर कंस्ट्रक्शन को भुगतान किया गया है। मजदूरी और सामग्री का भुगतान फर्म को ही किए जाने से प्रतीत होता है कि कार्य ठेका पद्धति से कराया गया है। जो शासन की मंशा के विपरीत है। कैशबुक में दर्ज विवरण में कार्यस्थल की माप एवं कार्य विवरण यथा खड़जा अथवा इंटरलॉकिंग कार्य आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। भुगतान से संबंधित सूक्ष्म विवरण ही दर्ज किया गया है। दिनांक 26.03.2019 चेक संख्या 140 से रु0 161000.00 सामग्री (पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से बैजनाथ के खेत तक) दिनांक 30.03.2019 चेक संख्या 141 से रु0 63000.00 (पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से बैजनाथ के खेत तक) दिनांक 30.03.2019 को ही चेक सं0 115 एवं 116 से क्रमशः रु0 185000.00 सामग्री (शेष प्रताप से भगवान सिंह तक इण्टरलाकिंग) तथा रु0 24000.00 मजदूरी उक्त स्थल के लिए। इसी प्रकार दिनांक 26.03.2019 को चेक संख्या 139 से रु0 60000.00 मजदूरी उपरोक्त स्थल के लिए किया गया है। इस प्रकार तीनों कार्य

स्थलों के लिए कुल ₹0 665000.00 मजदूरी मनकामेश्वर कंस्ट्रक्शन को मजदूरी एवं सामग्री के लिए भुगतान है परंतु कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, टेंडर प्रक्रिया संबंधी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संबंधित कार्यों का ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन एवं प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में अज्ञात रहा। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में उक्त कार्य स्थलों के लिए गए सामग्री की आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। संबंधित कार्यों की कार्य पूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बाउचर विहीन समस्त धनराशि रुपये 665000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-665000.00

मूल आपत्ति संख्या18

प्रस्तर 92— कैश बुक माह मार्च 2019 में हैण्डपम्प रिबोर मद में विभिन्न तिथियों एवं चेकों के माध्यम से कुल ₹0 1520000.00 व्यय किया गया है। भुगतान भिन्न-भिन्न फर्मों को किया गया है। परन्तु कैश बुक में स्थलवार विवरण नहीं दिया गया है। यह भी विवरण नहीं दिया गया है कि भुगतान सामग्री कय के दिया गया है अथवा मजदूरी के लिए कैश बुक में मात्र हैण्ड रिबोर 06 नग ही लिखा गया है। ऐसी स्थिति में समस्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया एवं संबंधित टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र भी अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत में उक्त कार्य से संबंधित प्रस्ताव एवं अनुमोदन तथा कार्ययोजना में कार्यों का स्थलीय विवरण तत्पश्चात स्टाक बुक में कय सामग्रियों का अंकन यथा आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति का विवरण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया और नहीं कराए गये किसी भी कार्य से संबंधित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किये गये। ऐसी दशा में यह प्रतीत होता है कि मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। उतः बाउचर विहीन समस्त धनराशि ₹0 1520000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
1	01.03.2019	164	122000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
2	01.03.2019	162	122000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
3	01.03.2019	163	122000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
4	06.03.2019	161	122000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर अंजली पेन्ट हाउस समोगरा
5	06.03.2019	159	120000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर श्री गंगा समरसिबल पम्प
6	06.03.2019	156	49500.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर श्री गंगा समरसिबल पम्प
7	07.03.2019	106	122000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
8	08.03.2019	113	193000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
9	08.03.2019	108	71000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
10	08.03.2019	109	71000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
11	08.03.2019	110	71000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
12	08.03.2019	111	71000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर मनकामेश्वर कांसद्रक्शन
13	22.03.2019	112	71000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर कार्तिक कांसद्रक्शन
14	28.03.2019	142	193000.00	06 नग हैण्डपम्प रिबोर श्री गंगा समरसिबल पम्प
		योग	1520000.00	

सन्निहित धनराशि रु. :-1520000.00

मूल आपत्ति संख्या25

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत— चौकठा नरवर

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 93 कैश बुक माह दिसम्बर, 2018 से दिनांक 05.12.2018 से माह मार्च, 2019 तक इण्टरलाकिंग ब्रिक सोलिंग कार्य(शारदा पाण्डेय के घर के आगे से श्यामरही के घर के पास तक) हेतु सामग्री पर ₹0 319827.00 एवं मजदूरी ₹0 40770.00 कुल ₹0 360597.00 का व्यय किया गया है। परन्तु उक्त कार्य हेतु कय सामग्री एवं भुगतान मजदूरी के लिए एक भी व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित कार्य स्थल की माप, कार्यवाही रजिस्टर में कार्य कराये जाने का प्रस्ताव कार्य के पूर्ण होने की दशा में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं सामग्री के प्रयुक्त होने संबंधी उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, स्टाक बुक के अभाव में कय सामग्रियों के आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। अतः सम्पूर्ण धन ₹0 360597.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्नवत है:-

दिनांक	बाउचर सं०	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम

05.12.2018	51	114	20025.00	सोलिंग कार्य सामग्री पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
05.12.2018	52	115	11032.00	उक्त कार्य पर अर्थ फिलिंग
06.12.2018	53	116,117	10000.00	मजदूरी रामपति
29.12.2018	57	178	5000.00	मजदूरी रामपति
12.02.2019	66	391	35174.00	सोलिंग कार्य सामग्री पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
14.02.2019	67	393	147000.00	इण्टरलाकिंग ब्रिक 7000/21.00 श्री माधव ट्रेडर्स
20.02.2019	71	392	26000.00	ईट 5000/5.20 कृष्णा ईट ओग
15.03.2019	74	300	22402.00	सोलिंग कार्य सामग्री पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
15.03.2019	75	355	18504.00	सोलिंग कार्य सामग्री पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
15.03.2019	77	375	36960.00	सोलिंग कार्य सामग्री पाण्डेय इण्टरप्राइजेज
18.03.2019	79		5000.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
18.03.2019			770.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
18.03.2019			5000.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
18.03.2019			5000.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
18.03.2019			5000.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
28.03.2019	80		5000.00	मजदूरी प्रधान द्वारा
		योग	360597.00	

सन्निहित धनराशि रु. :-360597.00

मूल आपत्ति संख्या 24

विकास खण्ड – उरुवा

ग्राम पंचायत– सोरांवपाती

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 94 कैश बुक माह मार्च 2019 में मुखी के घर से सुरेश के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य पर दि० 27.03.2019 को चेक सं० 230 से ईट रु० 15382.00 दि० 27.03.2019 को ही रु० 27050.00 उक्त कार्य की मजदूरी चेक सं० 231 से तथा दि० 28.03.2019 को चेक सं० 229 से रु० 170885.00 बालू, सीमेंट, पाइप आदि पर भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रु० 213317.00 का भुगतान किया गया है। परंतु एक भी बाउचर मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं रहा, स्टाक बुक के अभाव में उक्त कय सामग्री के आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः बाउचर विहीन धनराशि रु० 213317.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-213317.00

मूल आपत्ति संख्या 18

प्रस्तर 95 कैश बुक माह जून 2018 में दिनांक 30.06.2018 को चेक सं० 137 से रु० 125000.00 का ग्राम सभी में जल पूर्ति हेतु टैंकर का निर्माण पर भुगतान किया गया है। किस फर्म को टैंकर निर्माण का आर्डर दिया गया है उल्लेख नहीं किया गया है। संबंधित निर्माण कार्य के लिए ग्राम पंचायत की कर्यवाही में प्रस्ताव की जानकारी कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में नहीं की जा सकी संबंधित कार्य के लिये टेण्डर/कोटेशन भी प्राप्त नहीं किया गया है। स्टाक बुक के अभाव में संबंधित सामग्री के अंकन की पुष्टि नहीं की जा सकी। संबंधित व्यय प्रमाणक की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बाउचर विहीन धनराशि रु० 125000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-125000.00

मूल आपत्ति संख्या 19

प्रस्तर 96 पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 के बिंदु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय रु० 2500.00 से बढ़ाकर रु० 3500.00 मासिक किया गया। जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है। लेकिन मासिक भुगतान पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी। आलोच्य वर्ष में कुल रु० 42000.00 मानदेय मद में भुगतान किया गया है। जो वर्ष 2017-18 का बकाया मानदेय है। लेखा परीक्षित कोशबही/मानदेय पंजिका के अभाव में बकाया भुगतान मानदेय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार मानदेय के संबंध में दुहराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रधान एवं सचिव से वसूली अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-42000.00

मूल आपत्ति संख्या 22

विकास खण्ड – बहादुरपुर

ग्राम पंचायत – डुडुही

जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर 97 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	विवरण
1	04.04.2018	135396.00	261	राम सुमेर के घर से गंगाराम के घर तक खडंजा निर्माण पर ईट कय
2	27.08.2018	73500.00	268	राम सजीवन के घर से छोटेलाल के घर तक खडंजा निर्माण पर सामग्री कय
3	07.09.2018	68250.00	266	राजाराम के घर से राजेन्द्र के घर तक खडंजा निर्माण

				पर सामग्री कय
4	28.12.2018	100000.00	371	प्रा0वि0 नसीरपुर में दो कक्षीय भवन की सामग्री कय
5	29.12.2018	68520.00	387	हैण्डपम्प की मरम्मत सामग्री कय सिंह हार्डवेयर से
6	10.01.2019	30000.00	502	आहरण कोशबही में कार्य का विवरण अंकित नहीं
7	18.01.2019	44396.00	372	प्रा0वि0 नसीरपुर में दो कक्षीय भवन की मरम्मत सामग्री कय
8	16.01.2019	10431.00		प्रा0वि0 के गेट निर्माण पर व्यय सामग्री कय
9	28.02.2019	27628.00	501	प्रा0वि0 नसीरपुर में टाइल्स लगवाने पर व्यय
10	08.03.2019	49228.00	374	प्रा0वि0 नसीरपुर में टाइल्स लगवाने पर व्यय
11	08.03.2019	100000.00	266	सरकारी नाली से रामसुख के घर तक खडंजा निर्माण की सामग्री कय
योग		707349.00		

उपरोक्त समस्त दर्षित कार्यो का न ही व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी0 एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी0 तथा स्टाक पंजी0 प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढन्त व्यय कोशबही में दर्ज कर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामसूरत एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती शिवांजली दूबे द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

सन्निहित धनराशि रु. :-707349.00

मूल आपत्ति संख्या 2

विकास खण्ड – बहादुरपुर

ग्राम पंचायत –महेशपुर

जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर 98लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	विवरण
1	25.05.2018	14475.00		बचई के घर से इण्टर लाकिंग तक नयी इण्टर लाकिंग की सामग्री कय
2	09.07.2018	19880.00	81	02 नग डस्टबिन कय शिवशक्ति टेक्नालाजी से
3	12.09.2018	18665.00	49	हैण्डपम्प रिबोर की सामग्री
4	12.09.2018	12654.00	59	हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी, कोशबही एवं प्रिया साफ्ट पर हैण्डपम्प मरम्मत
5	14.11.2018	17364.00	84	खडंजा से गुड्डू के घर तक नाली निर्माण की सामग्री
6	14.11.2018	33640.00 5000.00	85	न्तलाल के घर से तालाब तक नाली निर्माण हेतु सामग्री कय जबकि प्रिया साफ्ट पर स्ट्रीट लाइट लगवाने पर व्यय
7	30.03.2019	21850.00	41	मन्नाराम के घर से नन्हे के घर तक खडंजा मरम्मत का कार्य हेतु मजदूरी
8	30.03.2019	21850.00	45	मन्नाराम के घर से नन्हे के घर तक ह्यूम पाइप वाली नाली निर्माण पर मजदूरी जबकि प्रिया साफ्ट पर मरम्मत की सामग्री कय दर्षित है
9	25.04.2018	23250.00	11	05 नग स्ट्रीट लाइट कय किया जाना फिटिंग सहित
योग		188628.00		

उपरोक्त समस्त दर्षित कार्यो का न ही व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी0 एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी0 तथा स्टाक पंजी0 प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढन्त व्यय कोशबही में दर्ज कर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती शिवदेवी रामसूरत एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती शिवांजली दूबे द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

सन्निहित धनराशि रु. :-188628.00

मूल आपत्ति संख्या 1

विकास खण्ड – कौड़िहार

ग्राम पंचायत –मुबारकपुर पूरन कछार

जनपद–प्रयागराज

प्रस्तर 99आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मुबारकपुर पूरन कछार में राज्य चौदहवा वित्त के खाता सं.

07060100024359 बैंक आफ बड़ौदा से निम्नलिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैशबुक में व्यय दर्षित किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	विवरण
1	19-07-2018	40000.00	150	पक्की रोड से सुभाश के घर तक खडंजा निर्माण पर मजदूरी
2	02-08-2018	18000.00	153	पक्की रोड से सुभाश के घर तक मिट्टी,साइन बोर्ड पर भुगतान
3	02-08-2018	45000.00	152	पक्की रोड से सुभाश के घर तक मिट्टी और मजदूरी पर व्यय

4	14-08-2018	91350.00	156	पक्की रोड से सुभाष के घर तक ईट पर भुगतान
योग		194350.00		

उपरोक्त धनराशि को अनाधिकृत रूप से आहरित कर व्यय में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, व्यय बाउचर, मस्टर रोल परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र, टेडर/कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज अधिनियमनियमावली 1947 के नियम 198,204,205,209 एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपये 194350.00 की वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क के तहत ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति पटेल एवं सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से के जानी अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. :-194350.00

मूल आपत्ति संख्या24

प्रस्तर 100

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	विवरण
1	16-08-2018	183960.00	154	उचित जगह पर सोलर लाइट लगाना
2	18-09-2018	87600.00	162	सेलर लाइट क्रय शिवांश को भुगतान
योग		271560.00		

उपरोक्त धनराशि को अनाधिकृत रूप से आहरित कर व्यय में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, व्यय बाउचर, मस्टर रोल परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली कार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र, टेडर/कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज अधिनियमनियमावली 1947 के नियम 198,204,205,209 एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपये 271560.00 की वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क के तहत ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति पटेल एवं सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से के जानी अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. :- 271560.00

मूल आपत्ति संख्या25

प्रस्तर 101

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	विवरण
1	11-07-2018	30467.00	147	पू०मा०वि० पर रिबोर हेतु भुगतान
2	11-07-2018	30500.00	146	प्रा०वि० रिबोर
3	23-08-2018	30500.00	157	छेदी चमार के घर रिबोर
4	23-08-2018	30467.00	158	फूलचन्द्र चमार के घर रिबोर
योग		121924.00		

उपरोक्त भुगतान वित्तीय नियमों के विरुद्ध अज्ञात को किया जाना दर्शित है एक ही तिथियों पर क्रमशः 11-07-2018 व 23-08-2018 भिन्न-भिन्न चेकों द्वारा सामाग्री क्रय करने का कोई तार्किक औचित्य नहीं है और क्रय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य स्थल का अभिलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त से स्पष्ट है कि रिबोर से सम्बन्धित व्यय पूर्णतः काल्पनिक और फर्जी है और अज्ञात व्यक्ति जिसके खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई उससे मिली भगत कर प्रधान और ग्राम सचिव उपरोक्त धनराशि रु. 121924.00 का अपहरण कर लिया गया अतः रु. 121924.00 की वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मती प्रीति पटेल और ग्राम सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से संयुक्त रूप से बराबर बराबर वसूली की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 121924.00

मूल आपत्ति संख्या26

प्रस्तर 102

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	विवरण
1	31-10-2018	10000.00	165	हैण्डपम्प मरम्मत
2	27-12-2018	5000.00	168	हैण्डपम्प मरम्मत
योग		15000.00		

उपरोक्त विवरणानुसार यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में हैण्डपम्प मरम्मत पर कार्य हुआ या नहीं इससे सम्बन्धित कोई भी वांछित अभिलेख अप्राप्त रहे है इससे यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य के ही धनराशि का आहरण कर केशबुक में फर्जी व्यय दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु. 15000 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति पटेल और ग्राम सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 15000.00

मूल आपत्ति संख्या27

प्रस्तर 103

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	विवरण
1	27.02.2019	50183.00	175	मुख्य खड्डा से तालाब तक इण्टरलाकिंग सामग्री पर भुगतान
2	02.03.2019	8925.00	176	उक्त कार्य की मजदूरी
3	27.02.2019	115970.00	171	पूर्व मा0वि0 में इण्टरलाकिंग में सामग्री पर भुगतान
4	27.02.2019	119851.00	173	प्रा0वि0 इण्टर लाकिंग सामग्री पर व्यय
5	27.02.2019	22575.00	174	मजदूरी पर व्यय
6	27.02.2019	21875.00	172	मजदूरी पर व्यय
7	11.03.2019	16000.00	177	विालय में मिट्टी और मरम्मत पर व्यय
	योग	355379.00		

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख कोई भी अभिलेख तथा-कार्यवाही रजि0, परिसम्पत्ति रजि0, स्टीमेट, निर्माण कार्य पत्रावली,सामग्री स्टाक रजिस्टर,कोटेशनधटेंडर पत्रावली,मस्टर रोल, एम. बी. बुक,उक्त फर्म का ग्राम सभा में पंजीयन संख्या, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र टी.डी.एस. कटौती की इनवाइस रशीद,बिल बाऊचर आदि। अभिलेखों के अभाव में यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये ही उक्त सभी धनराशि को खारिज/आहरण कर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ले लिये अतः सयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति पटेल और ग्राम सचिव श्रीमती अंकिता सिंह से रु. 355779 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत बराबर बराबर वसूल की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 28)

सन्निहित धनराशि रु. 355379.00

मूल आपत्ति संख्या28

प्रस्तर 104

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	विवरण
1	27.08.2018	42000.00	159	मानदेय(अप्रैल 2017-मार्च 2018)
2	28.08.2018	17500.00	160	कूड़ेदान क्रय पर व्यय
3	28.08.2018	14500.00	161	सफाई किट पर भुगतान
4	17.10.2018	10000.00	163 व 164	स्टेशनरी पर भुगतान
5	27.12.2018	10000.00	169	प्रा0वि0 में शौचालय मरम्मत व्यय
6	17.01.2019	36000.00	170	कूड़ेदान पर व्यय
7	18.03.2019	14400.00	179	कूड़ेदान पर व्यय
	योग	144400.00		

उपरोक्त धनराशियां दिनांक 27-08-2018 को रु. 42000 व दिनांक 28-08-2018 को रु. 17500 एवं दिनांक 28-08-2018 को रु. 14500 एवं दिनांक 27-12-2018 को रु. 10000 का ट्रांसफर किसी अज्ञात खाते में हुआ है जिसे कैशबुक में क्रमशः प्रीति पटेल, अल्का इण्टरप्राइजेज ,अल्का इण्टरप्राइजेज एवं अजीस कुमार पटेल को भुगतान किया जाना दर्शित है यहाँ उल्लेखनीय है कि दूसरे के खाते से नकद प्रधान को कैसे मिलेगा यह चिन्ताजनक बात है पुनः एक ही तिथि 28-08-2018 को दो चेकों के द्वारा एक ही जगह से सामग्री क्रय करने का कोई तार्किक औचित्य नहीं है। साथ ही क्रय की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपभोग स्थल का विवरण दिया गया लेखा परीक्षा में मानदेय रजिटर भी अप्राप्त रहा अतः उक्त से स्पष्ट है कि सामग्री क्रय पर दर्शित व्यय पूर्णतः फर्जी है अतः रु. 144400 की ब्याज सहित वसूली सुयुक्त रूप से ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 144400.00

मूल आपत्ति संख्या 29

विकास खण्ड – कौड़िहार

ग्राम पंचायत –कुरेसर

जनपद – प्रयागराज

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कुरेसर में राज्य चौदहवां वित्त के खाता सं. 07060100024363 बैंक आफ बड़ौदा से निम्नलिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैशबुक में व्यय दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है :-

प्रस्तर 105

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक सं0	विवरण
1	15.11.2018	23465.00	249	प्रा0वि0 में टाइल्स निर्माण कार्य पर व्यय
2	16.11.2018	9450.00	251	उक्त कार्य की मजदूरी
3	01.12.2018	27625.00	252	जगरूप के घर से अमरनाथ के घर तक खड्डा मरम्मत में मिट्टी
4	06.12.2018	51318.00	254	उक्त कार्य हेतु ईंट क्रय
5	06.12.2018	26300.00	255	उक्त कार्य की मजदूरी
6	29.12.2018	29225.00	258	स्कूल शौचालय में टाइल्स रनिंग वाटर मजदूरी
7	15.01.2019	91778.00	263	उक्त कार्य की मजदूरी
8	02.03.2019	128617.00	272	मुरली के घर से श्याम लाल के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य
9	26.02.2019	21350.00	268	उक्त कार्य की मजदूरी
10	02.03.2019	37057.00	273	राममिलन के घर से चन्द्रिका के घर तक नाली निर्माण

11	26.02.2019	11375.00	267	उक्त कार्य की मजदूरी
12	13.03.2019	157178.00	273	सुदर्शन के घर से लक्ष्मी के घर तक इण्टरलाकिंग सामग्री
13	13.03.2019	26450.00	277	उक्त काय की मजदूरी
	योग	641188.00		

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय यथा कार्यवाही रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर,स्टीमेट,निर्माण कार्य पत्रावली,सामग्री, स्टॉक रजिस्टर, कोटेशन टेडर पत्रावली, मस्टर रोल,उक्त फर्म का ग्राम सभा में पंजीयन,कोटेशन मनी,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,टी.डी.एस.कटौती,इन वाइस रशीद,बिल बाऊचर,आदि के अभाव में यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये ही उक्त धनराशियों को खारिज आहरण कर ग्राम प्रधान और सचिव ले लिये हैं अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से रु. 641188 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. 641188.00

मूल आपत्ति संख्या 24

प्रस्तर-106

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु0)	कार्य का विवरण
1	25-07-2018	221	189603	09 नग सोलर लाइट क्रय
2	25-07-2018	222	147469	07 नग सोलर लाइट
3	23-08-2018	227	195300	09 नग सोलर लाइट
4	07-03-2019	274	10000	08 नग स्ट्रीट लाइट
	योग		632372.00	

उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख ले0 प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपभोग स्थल का पता एवं उससे संबंधित पत्रावली प्रस्तुत की गई फर्म जिससे क्रय की गई उसकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध है क्या फर्म ग्राम सभा में पंजीकृत है इसकी भी जानकारी अज्ञात रही सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया कोटेशन टेडर नियमों का पालन नहीं किया गया जी.एस.टी. इनवाइस रशीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही उक्त कार्य से संबंधित कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, स्टीमेट,एम.बी. बुक, सक्षम अधिकारी की सहमति आदि भी संदिग्ध है अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से रु.632372 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 25)

सन्निहित धनराशि-632372.00

प्रस्तर -107

क्र. सं.	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	12-04-2018	201	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
2	19-06-2018	200	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
3	13-04-2018	202	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
4	19-06-2018	206	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
5	25-04-2018	203	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
6	19-06-2018	207	11590	उक्त कार्य की मजदूरी
7	28-05-2018	205	12200	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
8	25-06-2018	209	12200	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
9	29-06-2018	213	38700	कार्य अस्पष्ट
10	29-06-2018	211	31253	समरसेबुल सामग्री
11	29-06-2018	210	80600	कुरेसर घाट पर बोरिंग समरसेबुल सामग्री
12	23-07-2018	217	22360	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
13	23-07-2018	216	10800	उपरोक्त कार्य की मजदूरी
14	23-07-2018	218	10800	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
15	24-07-2018	219	22094	उपरोक्त हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
16	25-07-2018	220	29975	कुरेसर घाट पर पानी टंकी निर्माण सामग्री
17	08-08-2018	224	12370	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
18	27-08-2018	228	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
19	24-08-2018	229	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
20	27-08-2018	230	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
21	24-08-2018	231	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
22	17-10-2018	234	22367	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
23	16-10-2018	239	11500	उक्त कार्य की मजदूरी
24	17-10-2018	238	22633	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
25	16-10-2018	235	11500	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
26	16-10-2018	237	11500	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
27	17-10-2018	236	22633	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री

28	20-10-2018	240	20640	पानी टंकी निर्माण सामग्री
29	24-10-2018	242	4900	उक्त कार्य की मजदूरी
30	24-10-2018	241	4900	उक्त कार्य की मजदूरी
31	24-10-2018	243	3150	उक्त कार्य की मजदूरी
32	24-10-2018	245	3500	हैण्डपम्प मजदूरी
33	25-10-2018	246	8450	हैण्डपम्प सामग्री
34	01-11-2018	247	3000	हैण्डपम्प मरम्मत
35	01-11-2018	248	7850	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
36	14-12-2018	256	7500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
37	14-12-2018	257	2500	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी
38	03-01-2019	260	11550	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
39	15-01-2019	264	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
40	03-01-2019	261	6000	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
41	03-01-2019	262	2000	उक्त कार्य की मजदूरी
42	13-03-2019	275	12500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
43	13-03-2019	278	7500	उक्त कार्य की मजदूरी
44	30-03-2019	281	7500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री
45	29-03-2019	282	2500	उक्त कार्य की मजदूरी
			696013.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा एम.बी.बुक,स्टीमेट, कार्य योजना,कार्यवाही रजिस्टर,कार्यस्थल की सूचना ,लाभार्थी का प्रार्थनापत्र,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,उपभोग प्रमाणपत्र,फर्म का जिससे सामग्री क्रय की गई का ग्राम सभा में रजिस्ट्रेशन की तिथि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की वित्तीय,प्रशासनिक स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक दृआदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये ही ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर धनराशि का आहरण कर अपने पास रख लिये अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल की अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत रू. 696013 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. 696013.00

मूल आपत्ति संख्या 26

विकास खण्ड -कौड़िहार

ग्राम पंचायत -टिकरी

जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-108

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रू0)	कार्य का विवरण
1-	23-08-2018	271	118440	स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय
2-	21-08-2018	274	59226	स्ट्रीट लाइट क्रय पर व्यय
3-	30-08-2018	275	197100	सोलर लाइट पर व्यय
4-	30-08-2018	276	197100	सोलर लाइट पर व्यय
5-	06-09-2018	277	27000	डस्टबिन क्रय पर व्यय
		योग	598866.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपभोग स्थल का पता चल सका और उससे सम्बन्धित पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गई फर्म की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है फर्म जिससे सामग्री क्रय की गई क्या वह उक्त ग्राम सभा में रजिस्टर्ड है इसकी भी जानकारी अज्ञात रही सामग्री क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया कोटेशनटेंडर नियमों का भी पालन नहीं किया गया जी.एस.टी. इनवाइस रसीद लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा साथ ही उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र स्टीमेट एम. बी बुक,सक्षम अधिकारी की सहमति आदि भी संदिग्ध है अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में रू 598866 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. 598866.00

मूल आपत्ति संख्या 24

प्रस्तर-109

क्र.सं0	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	21-08-2018	270	161086	बद्रीपासी के घर से नोखेलाल के घर तक इंटरलाकिंग सामग्री
2	28-08-2018	272	28700	उक्त कार्य की मजदूरी
3	11-12-2018	283	141517	रंजीत गौतम के घर के पास इंटरलाकिंग कार्य सामग्री
4	11-12-2018	284	23450	उक्त कार्य की मजदूरी
5	11-12-2018	285	12976	सालिकराम के घर के पास इंटरलाकिंग सामग्री
6	11-12-2018	286	21700	उक्त कार्य की मजदूरी
		योग	506213.00	

उपरोक्त व्यय से संबन्धित कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टीमेट,निर्माण कार्य पत्रावली,सामग्री स्टाक रजिस्टर,कोटेशन टेंडर पत्रावली,मस्टर रोल,उक्त फर्म का ग्राम सभा में पंजीयन,कोटेशन मनी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,टी.डी.एस. कटौती की इनवाइस रसीद,बिल बाऊचर,आदि के अभाव में यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये हि उक्त धनराशि को खारिज कर ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव ले लिये अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से रु. 506213 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 506213.00

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर-110

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु0)	कार्य का विवरण
1-	03-07-2018	251	68138	महरानी के घर से प्रहलादी के घर तक खडंन्जा निर्माण
2-	03-07-2018	253	10850	उक्त कार्य की मजदूरी
3-	03-07-2018	252	159480	बनवारी के घर से लखनऊ राजमार्ग तक खडंन्जा निर्माण सामग्री
4-	03-4-2018	254	22925	उक्त कार्य की मजदूरी
5-	15-03-2019	294	40041	पक्की रोड से रामदास के घर तक खडंन्जा मरम्मत सामग्री
6-	15-03-2019	293	35700	उक्त कार्य की मजदूरी
			337134.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा-कार्यवाही रजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर,स्टीमेट,निर्माण कार्य पत्रावली,सामग्री स्टाक रजिस्टर,कोटेशनटेंडर, पत्रावली ,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य किये ही ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने धनराशि का आहरण कर स्वयं ले लिया अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से रु. 337134 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 337134.00

मूल आपत्ति संख्या 26

प्रस्तर-111

क्र. सं.	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	11-12-2018	282	72100	रामकुमार के घर से लउनऊ राजमार्ग पर मुन्नापाल टेन्ट तक नाली निर्माण मजदूरी
2	25-07-2018	255	25516	प्रा. वि. से पक्की सड़क तक नाली निर्माण सामग्री
3	30-07-2018	256	8400	उक्त कार्य की मजदूरी
4	21-08-2018	268	39614	सुरेश मौर्य के घर से तालाब तक नाली निर्माण सामग्री
5	20-08-2018	269	13125	उक्त कार्य की मजदूरी
6	11-12-2018	281	238800	रामकुमार के घर से लखनऊ राजमार्ग पर मुन्ना पाल टेन्ट तक नाली निर्माण सामग्री
			397555.00	

उपरोक्त व्यय से संबन्धित कोई भी अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टीमेट,निर्माण कार्य पत्रावली,सामग्री स्टाक रजिस्टर,कोटेशन टेंडर पत्रावली,मस्टर रोल,उक्त फर्म का ग्राम सभा में पंजीयन,कोटेशन मनी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,टी.डी.एस. कटौती की इनवाइस रसीद,बिल बाऊचर,आदि के अभाव में यह सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये हि उक्त धनराशि को खारिज कर ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव ले लिये अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से रु. 397555 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 397555.00

मूल आपत्ति संख्या 27

प्रस्तर-112

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु0)	कार्य का विवरण
1-	14-08-2018	258	22933	हैण्डपम्प रिबोर पर भुगतान
2-	14-08-2018	259	11500	उक्त कार्य की मजदूरी
3-	14-08-2018	260	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
4-	14-08-2018	261	11500	उक्त कार्य की मजदूरी
5-	14-08-2018	262	22933	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
6	14-08-2018	263	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
7	14-08-2018	264	22667	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
8	14-08-2018	266	22667	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
9	14-08-2018	265	11600	उक्त कार्य की मजदूरी
10	06-03-2019	290	68156	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
11	07-03-2019	291	33582	उक्त कार्य की मजदूरी
			262071.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा एम.बी. बुक,स्टीमेट,कार्य योजना,कार्यवाही रजिस्टर,कार्यस्थल की सूचना,लाभार्थी का प्रार्थनापत्र,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,उपभोग प्रमाणपत्र,फर्म का ग्राम सभा में रजिस्ट्रेशन तिथि,सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः सिद्ध होता है कि बिना कार्य कराये ही ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम सचिव धन का आहरण कर अपने पास रख लिया अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत संयुक्त रूप से 262071.00 की वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. 262071.00

मूल आपत्ति संख्या 28

विकास खण्ड – कौड़िहार

ग्राम पंचायत –मंसूराबाद

जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर-113

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु०)	कार्य का विवरण
1-	10-07-2018	266	186000	स्ट्रीट लाइट क्रय पर भुगतान
2-	17-07-2018	267	86800	सोलर लाइट क्रय पर भुगतान
3-	28-09-2018	270	105861	सोलर लाइट क्रय
			378661.00	

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय में दर्शित किया गये हैं जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से सम्बन्धित कार्य पत्रावली,व्यय बाऊचर,मस्टर रोल,परिसम्पत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य पत्रावली,कार्ययोजना,कार्यवाही रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,उपभोग प्रमाणपत्र,सक्षम अधिकारी की स्वीकृति,टेंडर कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज अधिनियमधनियमावली 1947 के नियम 198,204,205,209 एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपये 378661 की वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क के तहत ब्याज सहित बराबर-बराबर ग्राम प्रधान-श्री सैफ अली खान सचिव-श्री अनिल सिंह से की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या 24)

सन्निहित धनराशि रु. 378661.00

मूल आपत्ति संख्या 24

प्रस्तर-114

क्र. सं.	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	16-10-2018	271	84673.00	दीन मो० के घर से मेहदी के घर तक इंटरलाकिंग सामग्री
2	31-10-2018	272	32200.00	उपरोक्त कार्य पर अज्ञात को मजदूरी
3	05-11-2018	273	47537.00	अज्ञात को सामग्री क्रय हेतु भुगतान
4	16-10-2018	274	82320	गुड्डू के घर से मस्जिद तक इंटरलाकिंग सामग्री
5	05-11-2018	275	29575.00	उपरोक्त कार्य पर प्रधान सैफअली खान को मजदूरी
6	05-11-2018	276	41372.00	उपरोक्त कार्य पर अज्ञात को सामग्री क्रय पर भुगतान
7	15-12-2018	278	87555.00	प्रा० वि० में इंटरलाकिंग कार्य पर सामग्री भुगतान
8	15-12-2018	277	51744.00	उपरोक्त कार्य पर शिवांश इंटरप्राइजेज को भुगतान
9	27-12-2018	279	36750.00	प्रधान श्री सैफअली खान को उक्त कार्य की मजदूरी
			493526.00	

दिनांक 31-10-2018 को रु. 32200, दिनांक 05-11-2018 को रु. 47537 एवं दिनांक 05-11-2018 को रु. 41372 का ट्रांसफर किसी खाते में हुआ है जिसे कैशबुक में क्रमशः दीन मो० के घर से मेहदी के घर तक इंटरलाकिंग मजदूरी पुनः उसी कार्य पर सामग्री एवं गुड्डू के घर से मस्जिद तक इंटरलाकिंग सामग्री पर व्यय दर्शित है यहां यह पुष्टि नहीं हो पाया कि जब धनराशि अज्ञात के खाते में है तो प्रधान उसे कैसे प्राप्त कर सकता है पुनः एक ही कार्य के लिये दो फर्मों ज्योति इं० प्रा० और शिवांश इं० प्रा० से एक ही तिथि (15-12-2018) को क्रय करने का क्या औचित्य है साथ ही उक्त फर्मों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख ऑडिट के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया फर्म की विश्वसनीयता भी संदिग्ध है क्या यह फर्म ग्राम सभा में ग्राम सभा में रजिस्टर्ड है क्या आयकर नियमों का पालन हुआ है आदि अपुष्ट रहा पुनः प्रधान द्वारा चेक संख्या 275 और 279 द्वारा मजदूरी के रूप में पैसे का आहरण किया गया है यह पंचायती राज नियमावली के विरुद्ध है अतः रु.493526.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान और ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 493526.00

मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर-115

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु०)	कार्य का विवरण
1-	21-08-018	268	119500	डस्टबिन क्रय हेतु अज्ञात को भुगतान
2-	07-09-2018	269	14550	नारा लेखन पर व्यय
			134050.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए की आवश्यकता व स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गई कि नहीं यह अज्ञात रहा कार्य योजना, बिल बाऊचर किस फर्म से सामग्री क्रय की गई अज्ञात रहा नारा लेखन से सम्बन्धित कार्य पर व्यय की पुष्टि भी नहीं हो सकी अज्ञात खाते में धनराशि जाने से गबन होने की पूर्ण संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्रय से सम्बन्धित टेंडर/कोटेशन नियमों का भी पालन नहीं किया गया । अतः उक्त धनराशि रु.134050 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सैफअली खान और तत्कालीन ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है

सन्निहित धनराशि रु. 134050.00

मूल आपति संख्या 26

प्रस्तर-116

क्र. सं.	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	05-04-2018	258	72000	शमशाद के घर से मलियाने की नाला तक ईट क्रय पर व्यय
2	07-01-2019	280	81900	विमलेश की दुकान से पूरब की तरफ नदी तक नाली निर्माण सामग्री व्यय
3	16-04-2019	281	61644	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय पर भुगतान
4	17-01-2019	282	35350	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान
5	05-02-2019	283	79303	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय पर भुगतान
6	05-02-2019	284	112736	उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय पर व्यय
7	05-02-2019	285	19000	उपरोक्त कार्य पर मिट्टी हटवाने की मजदूरी
8	05-023-2019	286	68950	उपरोक्त कार्य की मजदूरी
			530883.00	

दिनांक 01-07-2019 को रु. 81900 का ट्रांसफर किसी खाते में हुआ है जिसे कैशबुक में बिमलेश की दुकान से पूरब की तरफ नदी तक नाली निर्माण सामग्री पर व्यय दर्शित है यहाँ यह पुष्टि नहीं हो सका कि वास्तव में सामग्री क्रय कि गई है कि नहीं यह संदिग्ध है पुनश्च दिनांक 05-04-2018 को मेसर्स खुशींद ब्रिक्स फील्ड से रु. 72000 का ईट क्रय कर शमशाद के घर से मलियाने की नाला तक अज्ञात कार्य कर दर्शाया गया है कैशबुक में कही पर मजदूरी का उल्लेख नहीं है इससे स्पष्ट है कि मेसर्स ब्रिक्स फील्ड से मिली भगत कर रु. 72000 का गबन किया गया है साथ ही उक्त से सम्बन्धित कोई भी वांछित अभिलेख यथा एम.बी. बुक, मस्टर रोल, परिसम्पत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, टेंडर/कोटेशन, आदि अप्राप्त रहा यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एक ही दिनांक 05-02-2019 को दो भिन्न चेकों (285, 286) से रु. 87950 का प्रधान श्री सैफअली द्वारा धनराशि का आहरण किया गया है जो कि पंचायतीराज नियमावली के विरुद्ध है अतः रु. 530883 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सैफअली खान और तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 530883.00

मूल आपति संख्या 27

प्रस्तर-117

क्र. सं.	दिनांक	चेक सं.	धनराशि (रु0)	कार्य का विवरण
1-	14-06-2018	263	11550	हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी
2-	14-06-2018	264	11550	हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी
3-	21-06-2018	261	22933	हैण्डपम्प रिबोर पर अज्ञात को सामग्री क्रय पर व्यय
4-	29-03-2019	288	24500	हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी प्रधान को
5-	30-03-2019	292	21840	हैण्डपम्प सामग्री पर व्यय
6-	30-03-2019	294	21840	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री व्यय
			114213.00	

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख यथा एम.बी.बुक, स्टीमेट, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यस्थल की सूची, लाभार्थी का प्रार्थनापत्र, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, फर्म की ग्रामसभा में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण, आदी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा साथ ही दिनांक 29-03-2019 को रु.24500 का आहरण प्रधान द्वारा किया गया जो विधि विरुद्ध है अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत रु. 114213 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान सैफअली खान और तत्कालीन ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित होती है।

सन्निहित धनराशि रु. 114213.00.00

मूल आपति संख्या 28

प्रस्तर-118

क्र. सं.	दिनांक	चेकसंख्या	धनराशि	कार्य विवरण
1	30-03-2019	289	5460.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान
2	30-03-2019	290	5460.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान
3	30-03-2019	291	5460.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान
4	30-03-2019	293	10920.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर भुगतान
			27300.00	

एक ही दिनांक 30-03-2019 को विभिन्न चेकों द्वारा शिवांश इंटरप्राइजेज को हैण्डपम्प मरम्मत हेतु आहरण का कोई औचित्य नहीं था, इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि फर्म द्वारा कार्य क्या किया गया यदि कार्य किया गया होता तो मजदूरी मजदूर के खाते में जानी चाहिये थी किन्तु ऐसा नहीं हुआ प्रधान और सचिव मिलकर बिना कार्य के ही 27300 का गबन कर लिये पुनश्च उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के तहत रु. 27300 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 29)

सन्निहित धनराशि रु. 27300.00

मूल आपत्ति संख्या 29

विकास खण्ड – कोरांव

ग्राम पंचायत– दुधरा

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 119–आलोच्य वर्ष में मरम्मत/रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है :–

क्र०	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	विवरण
1	07.06.2018	12	16200.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
2	12.06.2018	14	50000.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री
3	12.06.2018	15	50000.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री
4	12.06.2018	19	13422.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री
		योग	129622.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं:–

(क) जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कौन-कौन हैण्डपम्प खराब है ज्ञात न हो सका।

(ख) वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया। जिससे वर्ष में कय सामग्री प्रस्तुत व अवशेष की जानकारी न हो सकी। जो अपेक्षित रहा।

(ग) निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया। जिससे मरम्मत के दौरान खराब सामग्री की जांच न की जा सकी और इसके नीलामी आदि की प्रक्रिया अज्ञात रही।

(घ) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैण्डपम्प के स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

(ङ) हैण्डपम्प के मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं कराया गया है। जो आपत्तिजनक है।

रु० 129622.00 आहरण के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती अरुणा एवं सचिव श्री मुकेश मौर्या से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :-129622.00

मूल आपत्ति सं० 18

विकास खण्ड – कोरांव

ग्राम पंचायत– लखनपुर

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 120–वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु दिनांक 26.10.2018 को बाउचर सं० 04 से रु०143892.00

हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री कय कैशबुक में दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां पायी गयीं :–

(क) जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया जिससे कहां-कहां रिबोर कराया गया ज्ञात न हो सका।

(ख) वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष में कुल सामग्री प्रयुक्त व अवशेष स्टॉक की जानकारी न हो सकी जा आपत्तिजनक है।

(ग) आलोच्य वर्ष में डिस्पोजन सामग्री का स्टॉक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मरम्मत के दौरान निकली खराब व अच्छी सामग्री की जांच ज्ञात न हो सकी तथा इसकी नीलामी आदि प्रक्रिया अज्ञात रही।

(घ) हैण्डपम्पों के मरम्मत/रिबोर में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं कराया गया है। जो आपत्तिजनक है।

(ङ) रिबोर कराये गये हैण्डपम्प के स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया। जो आपत्तिजनक है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु०143892.00 आहरण के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्री हरि प्रताप सिंह एवं सचिव श्री चन्द्रशेखर सिंह से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-143892.00मूल आपत्ति सं० 17

विकास खण्ड – कोरांव

ग्राम पंचायत– खिवली कला

जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 121—वर्ष 2018-19 में दिनांक 13.04.2018 को बाउचर संख्या 02 के अनुसार रु047000.00 सोलर लाइट पर कोशबही में व्यय दर्षित है। शासनादेश सं0 977/451/वि0/अति अ0सो0वि0/2017 दि0 29.08.2017 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इस प्रकार सोलर लाइट मनमाफिक एजेंसियों द्वारा कय की गयी है, जबकि ग्राम पंचायतें सोलर लाइट सिर्फ यू0पी0नेडा से ही कय कर सकती है। यू0पी0नेडा को पूरी तरह नजरअंदाज करके भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट कय बिना वारंटी/गारंटी कार्ड लिये रु047000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्याम लाल व सचिव श्री वृजेन्द्र शुक्ला से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-47000.00 मूल आपत्ति सं0 16

प्रस्तर 122— आलोच्य वर्ष में दिनांक 02.08.2018 को बाउचर संख्या 19 के अनुसार स्ट्रीट लाइट पर रु0 89200.00 कोशबही में व्यय किया जाना दर्षित है। शासना देश संख्या 51/2018/1701/33-03-2018-40/2018 दिनांक 03.06.2018 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आलोच्य वर्ष में भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक फर्मों से प्रतिस्पर्धा पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी हैं। कय दर न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है और न तो कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ही ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय की गयी है। उसका न तो स्ट्रीट लाइट कय करने का आदेश ही लिया गया है। और न तो उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा वारंटी/गारंटी कार्ड लिया गया है। इस प्रकार उक्त मद में रु089200.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्याम लाल व सचिव श्री वृजेन्द्र शुक्ला संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-89200.00

मूल आपत्ति सं0 17

विकास खण्ड – कोरांव

ग्राम पंचायत— माडो

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 123—आलोच्य वर्ष 2018-19 में सोलर लाइट पर ग्राम पंचायत द्वारा कोशबही में व्यय किया जाना दर्षित है:-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05.07.2018	120000.00	सोलर लाइट कय निर्माण हेतु सामग्री
2	25.07.2018	120000.00	सोलर लाइट कय निर्माण हेतु सामग्री
3	29.08.2018	72000.00	सोलर लाइट कय निर्माण हेतु सामग्री
4	29.08.2018	96000.00	सोलर लाइट कय निर्माण हेतु सामग्री
	योग	408000.00	

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या977/45/पि0/अतिअ0सो/वि02017 दिनांक 29.08.2017 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और न ही एक लाख से अधिक मूल्य के (वर्ष भर में सोलर लाइट कय एवं मरम्मत हेतु मरम्मत टेंडर ही आमंत्रित किये गये हैं। इस प्रकार सोलर लाइट मनमाफिक एजेंसियों द्वारा कय की गयी है, जबकि ग्राम पंचायतें सोलर लाइट सिर्फ यू0पी0नेडा से ही कय कर सकती है। यू0पी0नेडा को पूरी तरह नजरअंदाज करके भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट कय बिना वारंटी/गारंटी कार्ड लिये रु0408000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली प्रधान श्री नागेश्वर एवं सचिव श्री खेमराज से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-408000.00

मूल आपत्ति सं0 17

विकास खण्ड – कोरांव

ग्राम पंचायत— कुकरहटा

जिला— प्रयागराज

प्रस्तर 124—आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्षित है :-

क्र0	दिनांक	बाउचर संख्या	धनराशि	विवरण
1	07.04.2018	01	20600.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री
2	02.05.2018	02	38360.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
3	01.06.2018	08	48750.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
	योग		107710.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं:-

(क) जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कौन-कौन हैण्डपम्प खराब है ज्ञात न हो सका।

(ख) वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया। जिससे वर्ष में कय सामग्री प्रस्तुत व अवशेष की जानकारी न हो सकी। जो अपेक्षित रहा।

(ग) निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया। जिससे मरम्मत के दौरान खराब सामग्री की जांच न की जा सकी और इसके नीलामी आदि की प्रक्रिया अज्ञात रही।

(घ) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैण्डपम्प के स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

(ङ) हैण्डपम्प के मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु ₹0107710.00 आहरण के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्री सन्तोश कुमार एवं सचिव श्री सत्यराम यादव से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-107710.00

मूल आपत्ति सं0 16

विकास खण्ड – कोरांव ग्राम पंचायत– खजुरी कला जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 125—आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है :-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11.04.2018	30000.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
2	03.07.2018	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
3	04.07.2018	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
4	06.07.2018	20000.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
5	08.02.2019	14000.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
	योग	104000.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं:-

(क) जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कौन-कौन हैण्डपम्प खराब है ज्ञात न हो सका।

(ख) वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया। जिससे वर्ष में कय सामग्री प्रस्तुत व अवशेष की जानकारी न हो सकी। जो अपेक्षित रहा।

(ग) निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया। जिससे मरम्मत के दौरान खराब सामग्री की जांच न की जा सकी और इसके नीलामी आदि की प्रक्रिया अज्ञात रही।

(घ) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैण्डपम्प के स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

(ङ) हैण्डपम्प के मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु ₹0104000.00 आहरण के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्री अनुज कुमार एवं सचिव श्री खेमराज से ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि :-104000.00

मूल आपत्ति सं0 17

विकास खण्ड – कोरांव ग्राम पंचायत– पसना जिला– प्रयागराज

प्रस्तर 126—आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु व्यय कैशबुक में निम्न विवरणानुसार दर्शित है :-

क्र0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	21.04.2018	49605.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
2	10.04.2018	26170.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कय सामग्री
3	11.05.2018	60500.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु कय सामग्री
	योग	136275.00	

उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयीं:-

(क) जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे कौन-कौन हैण्डपम्प खराब है ज्ञात न हो सका।

(ख) वर्ष 2018-19 में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर हेतु कय सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कराया गया। जिससे वर्ष में कय सामग्री प्रस्तुत व अवशेष की जानकारी न हो सकी। जो अपेक्षित रहा।

(ग) निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया। जिससे मरम्मत के दौरान खराब सामग्री की जांच न की जा सकी और इसके नीलामी आदि की प्रक्रिया अज्ञात रही।

(घ) मरम्मत/रिबोर कराये गये हैण्डपम्प के स्थलों की सूची एवं लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

(ड) हैण्डपम्प के मरम्मत में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन शीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से भी तैयार नहीं कराया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु0 136275.00 आहरण के सापेक्ष नियम विरुद्ध व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितता की गयी है। जिसकी वसूली प्रधान श्री राम कृष्ण एवं सचिव श्री कमल कुमार से ब्याज सहित अपेक्षित है।

धनराशि :- रु. 136275.00

मूल आपत्ति सं0 17

विकास खण्ड— कौड़िहार ग्राम पंचायत— डगुआ काठगांव जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर —127 ग्राम पंचायत गुवा काठगाँव की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी है लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता प्रकृति की आपत्तियाँ पाई गयी है—

ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान (व्यय) बिना व्यय प्रमाणको के दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है—

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1	07.06.18	237	हैण्डपम्प सामग्री एवं मजदूरी सोनू खाभण्डार को भुगतान (स्थलविहीन)	23600.00
2	25.06.18	238	गौसे के घर से आबिद के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण हेतु सीमेन्ट, ईट हेतु दुडे एसोसिएट को भुगतान	125000.00
3	16.07.18	247	गौसे के घर से आबिद के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण हेतु	30,000.00
4	16.7.18	252	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान दिलदार सिंह को उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान दिलदार सिंह को	16200.00
5	16.7.18	246	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान दिलदार सिंह को उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान दिलदार सिंह को	45000.00
6	16.7.18	251	उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट ईट सामग्री का भुगतान मोहकाऊ ट्रेडर्स को	118600.00
7	17.7.18	249	उपरोक्त कार्य हेतु सीमेन्ट सरिया क्रय हेतु कुशवाहा ट्रेडर्स को भुगतान	73914.00
8	20.07.18	254	उपरोक्त कार्य हेतु गिट्टी ईट क्रय का भुगतान मधुसूदन ब्रिक फील्ड को	67200.00
9	15.10.18	271	कंचन के घर के पास रिबोर सामग्री हेतु प्रतीक ट्रेडर्स को भुगतान	50,100.00
10	15.10.18	272	अशर्फी के घर के पास रिबोर हेतु लाभग्रा का प्रतीक ट्रेडर्स को भुगतान	50,000.00
11	15.10.18	273	महोपन सिंह के घरपास रिबोर हेतु सामग्री का प्रतीक ट्रेडर्स को भुगतान	50,000.00
12	15.10.18	274	सोनू के घर के पास रिबोर हैण्डपम्प हेतु प्रतीक ट्रेडर्स को भुगतान	51,400.00
13	03.11.18	276	स्थलविहीन रिबोर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान दिलदार सिंह का	54,000—00
14	05.11.18	275	स्थलविहीन चार हैण्डपम्प रिबोर सामग्री का भुगतान	50,400—00
			योग	806814.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजि० निर्माण कार्य रजि० एम.वी. कार्यवाही रजि. स्वीकृत कार्य योजना, समितियों की कार्यवाही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री दिरंगज सिंह ग्रा. वि. अ. श्री अतुल शंकर द्वारा कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर—बराबर (403407.00+ 403407.00) किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि :- रु. 806814.00

मूल आपत्ति सं0 2

विकास खण्ड— कौड़िहार

ग्राम पंचायत— बक्शी मोढ़ा

जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर —128 ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान (व्यय) बिना व्यय प्रमाणको के दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1	15.10.18	238	रामचन्द्र और मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय का	19950—00

			भुगतान प्रधान द्वारा	
2	15.10.18	237	रामचन्द्र और मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय प्रधान द्वारा	30995-00
3	17.10.18	225	रामचन्द्र और मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय गाँधी इण्टरप्राइजेस से	50000-00
4	17.10.18	235	रामचन्द्र और मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस.एस. बिल्डिंग मैटेरियल	44000.00
5	17.10.18	233	रामचन्द्र और मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण हेतु सामग्री क्रय एस. एस. बिल्डिंग मैटेरियल	94975.00
6	17.10.18	233	हैण्डपम्प मरम्मत व्यय (स्थलविहिन)	9025.00
7	27.12.18	278	प्राथमिक विालय में फर्ष मरम्मत एवं सामग्री क्रय राजस्थान मार्बल से।	124656.00
8	29.12.18	277	पूर्व माध्यमिक विालय में फर्ष मरम्मत एवं सामग्री क्रय कृष्णा इण्टरप्राइजेस से	124510.00
9	07.01.19	280	प्राथमिक विालय में फर्ष मरम्मत एवं टाइल्स कार्य में मजदूरी व्यय का भुगतान प्रधान द्वारा।	34825.00
10	01.02.19	282	पूर्व माध्यमिक विालय में फर्ष मरम्मत एवं टाइल्स कार्य में मजदूरी व्यय का भुगतान प्रधान द्वारा।	34825.00
11	08.02.19	243	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत व्यय का भुगतान प्रधान द्वारा	12625-00
12	20.02.19	246	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत व्यय का भुगतान प्रधान द्वारा	2225-00
13	12.02.19	254	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत व्यय का भुगतान प्रधान द्वारा	15342-00
			योग	597953-00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजि० निर्माण कार्य रजि० एम.वी. कार्यवाही रजि. स्वीकृत कार्य योजना, समितियों की कार्यवाही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री मुबारक ग्रा.वि.अ. श्री इन्द्रजीत यादव द्वारा कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर (298976.50+298976.50) किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि :- रु. 597953.00

मूल आपत्ति सं० 2

विकास खण्ड- कौड़िहार

ग्राम पंचायत- मैनापुर

जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -129 ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान (व्यय) बिना व्यय प्रमाणको के दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1	27.08.18	0057	चेक सं०- 0057 से श्री अवधराज सिंह द्वारा रुपये 11,000.00 का आहरण किया गया है, किन्तु कैशबुक में आहरित धनराशि को आय पक्ष में दर्शित कर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम विध्य अधिकारी सीमा कुशवाहा एवं ग्राम प्रधान श्री दिगज सिंह द्वारा किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।	11000-00
2	07.05.18	0051	कैश बुक में ग्राम प्रधान का मानदेय माह नवम्बर, दिसम्बर 2018 एवं जनवरी फरवरी 2019 का. मानदेय, देय तिथि से पूर्व फर्जी ढंग से भुगतान दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली बराबर-बराबर ब्याज के साथ की जानी अपेक्षित है।	
			कैश बुक में विभिन्न तिथियों में प्रमाणकविहिन फर्जी मय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है	
	18.09.18	63	राजेन्द्र के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर सामग्री व्यय	51258-00
	23.07.18	56	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी व्यय	4900.00
	04.10.18	64	राजेन्द्र के घर पास हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी व्यय	14894.00
	08.11.18	68	कार्यालय हेतु प्रिन्टर क्रय पर व्यय	10500.00
	20.11.18	70	ग्रामसभा में स्वच्छता हेतु कूड़ेदान क्रय पर व्यय	62500.00
	10.12.18	73	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी व्यय	1500.00
	17.12.18	74	स्थलविहिन हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी पर व्यय	11000.00
	18.12.18	7312	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय	5000.00
	20.12.18	71	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय	6000-00
	20.12.18	7314	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय	8000-00
	28.12.18	7318	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर व्यय	5000-00
	01.01.19	7316	धर्मेन्द्र के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय	22000.00
	13.01.19	77	पंचू के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर सामग्री पर व्यय	22510.00
	28.01.19	76	स्कूल में हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी पर व्यय	11000.00
	01.03.19	78	धर्मेन्द्र, राजेश एवं स्कूल के पास हैण्डपम्प रिबोर सामग्री व्यय	10200.00

			योग	361062.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजि० निर्माण कार्य रजि० एम.वी. कार्यवाही रजि. स्वीकृत कार्य योजना, समितियों की कार्यवाही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री दिसगज सिंह ग्रा. वि.अ. श्रीमती सीमा कुशवाहा द्वारा कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर (180531+180531) किया जाना है।

धनराशि :- रु. 361062.00

मूल आपत्ति सं० 2

विकास खण्ड— कौड़िहार

ग्राम पंचायत— सैदपुर

जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर —130 ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी भुगतान (व्यय) बिना व्यय प्रमाणको के दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	विवरण	धनराशि
1	16.04.18	316	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री मजदूरी व्यय प्रधान के द्वारा	14,200.00
2	18.07.18	335	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	24060.00
3	16.08.18		स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा।	1325.00
4	18.08.18		स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी ध्याय प्रधान	2760.00
5	05.11.18	362	स्वच्छता हेतु डस्टबिन क्रय सहसन प्रयागराज द्वारा	50400.00
6	11.12.18	372	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	11700.00
7	29.12.18	373	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	6750.00
8	02.01.18	375	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	10000.00
9	19.01.19	381	स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	10000.00
10	18.03.19		स्थलविहिन हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी व्यय प्रधान द्वारा	2550.00
			योग	133745.00

उपरोक्त दर्शित कार्यों का लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टॉक रजि० निर्माण कार्य रजि० एम.वी. कार्यवाही रजि. स्वीकृत कार्य योजना, समितियों की कार्यवाही आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री केशव बाबू ग्रा.वि. अ. श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि :- रु. 133745.00

मूल आपत्ति सं० 2

विकास खण्ड — प्रतापपुर

ग्राम पंचायत — सिरसा

जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर—131 ग्राम पंचायत कैश बुक में फर्जी व्यय बिना व्यय प्रमाणकों के दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	विवरण
1	20.08.2018	17500.00	248	प्रा०वि० सिरसा में ट्रैक्टर से मिट्टी गिरवाने पर व्यय
2	16.03.2019	55000.00	270	10 नग स्ट्रीट लाइट का भुगतान
	योग	72500.00		

उपरोक्त समस्त दर्शित कार्यों का न तो कोई व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी० एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी० तथा स्टॉक पंजी० प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढ़न्त व्यय कोशबही में दर्जकर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रविन्द्र यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

सन्निहित धनराशि—72500.00

मूल आपत्ति संख्या—01

विकास खण्ड — प्रतापपुर

ग्राम पंचायत — बेलाखास

जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर—132

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	विवरण

1	04.04.2018	2250.00	616	कैश बुक पर कोई विवरण नहीं।
2	27.04.2018	93250.00	622	ह्यूम पाइप कय।
3	01.05.2018	14500.00	625	ह्यूम पाइप विभिन्न स्थलों पर लगवाने की मजदूरी।
4	11.05.2018	28782.00	422	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री कय।
5	11.05.2018	35784.00	421	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री कय।
6	11.05.2018	27750.00	423	सोकपिट निर्माण हेतु मजदूरी।
7	19.05.2018	47779.00	425	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री कय।
8	24.05.2018	30182.00	426	सोकपिट निर्माण हेतु सामग्री कय।
9	28.05.2018	23125.00	427	सोकपिट निर्माण हेतु मजदूरी।
10	09.05.2018	33335.00	628	यादव मशीनरी (कोशबही में विवरण नहीं)
11	29.05.2018	15500.00	430	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री यादव मशीनरी।
12	02.08.2018	33100.00	460	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
13	10.08.2018	33100.00	463	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
14	01.02.2019	36290.00	783	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
15	02.02.2019	36290.00	751	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
16	08.02.2019	34800.00	759	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
17	08.02.2019	34850.00	758	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
18	12.02.2019	34800.00	762	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
19	14.02.2019	34770.00	763	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
20	28.02.2019	33900.00	787	हैण्डपम्प रिबोर यादव मशीनरी।
21	31.07.2018	12418.00	455	खड़जा निर्माण पक्की सड़क से प्यारे लाल यादव के घर तक मिट्टी ढुलाई।
22	31.07.2018	13225.00	457	खड़जा निर्माण पक्की सड़क से प्यारे लाल यादव के घर तक मिट्टी ढुलाई पर मजदूरी।
23	26.11.2018	3500.00	467	कैश बुक पर कोई विवरण नहीं।
24	10.12.2018	2676.00	468	कैश बुक पर कोई विवरण नहीं।
	योग	695956.00		

उपरोक्त समस्त दशित कार्यों का न तो कोई व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी0 एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी0 तथा स्टाक पंजी0 प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढ़न्त व्यय कोशबही में दर्जकर राकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण यादव द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

सन्निहित धनराशि—695956.00

मूल आपत्ति संख्या—01

विकास खण्ड — प्रतापपुर ग्राम पंचायत — पिलखिनी जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर—133

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे विवरण निम्नलिखित है:—

क्र0	दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	विवरण
1	16.05.2018	17890.00	252	राजकिशोर के घर के हैण्डपम्प के रिबोर की मजदूरी का भुगतान
2	30.06.2018	100000.00	262	जोखन यादव के घर से बाग तक खड़जा निर्माण में ईट कय इंडिया ब्रिक फील्ड का भुगतान
3	04.07.2018	30000.00	261	जोखन यादव के घर से बाग तक खड़जा निर्माण में मजदूरी पर व्यय
4	10.09.2018	12000.00	325	फर्ष मरम्मत, दरवाजा, खिड़की आदि में मजदूरी पर व्यय
5	25.09.2018	32000.00		मिश्रा सीमेन्ट एजेंसी
6	16.10.2018	12000.00	459	प्रा0वि0 नया पुरवा में चहारदीवारी निर्माण सामग्री
7	16.10.2018	9000.00	460	फर्ष मरम्मत, दरवाजा, खिड़की आदि के लिये सीमेन्ट कय मिश्रा सीमेन्ट एजेंसी
8	10.12.2018	10000.00	293	प्रा0वि0 चहारदीवारी की मजदूरी स्वयं
9	27.02.2019	28500.00	336	प्रा0वि0 नया पुरवा में मिट्टी भरने का भुगतान
10	08.03.2019	12000.00	342	प्रा0वि0 नया पुरवा में मिट्टी समतलीकरण
11	08.03.2019	39000.00	338	प्रा0वि0 नया पुरवा में मिट्टी भरने का भुगतान रमेश को
12	20.02.2019	18000.00	381	मां इण्टरप्राइजेज को सीमेन्ट, बालू कय
13	25.02.2019	12500.00	383	प्रा0वि0 नया पुरवा में मजदूरी का भुगतान
	योग	332890.00		

उपरोक्त समस्त दशित कार्यों का न तो कोई व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी0 एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी0 तथा स्टाक पंजी0 प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढ़न्त व्यय कोशबही में दर्जकर राकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती नगीना देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शिव बहादुर द्वारा किया गया है। जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

सन्निहित धनराशि—332890.00

मूल आपत्ति संख्या—01

विकास खण्ड — प्रतापपुर

ग्राम पंचायत —सैदहासाथर

जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर —134 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे, विवरण निम्नलिखित है :—

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	विवरण
1	11.03.2019	22400.00	237	खडंजा मरम्मत पक्की रोड से छोटेलाल के घर तक मिट्टी गिरवाने पर व्यय धनराशि
2	12.03.2019	21850.00	239	उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय
3	12.03.2019	25650.00	238	उक्त कार्य पर मजदूरी पर व्यय
	योग	69900.00		

उपरोक्त समस्त दर्शित कार्यों का न ही व्यय प्रमाणक है और न ही मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, कोटेशन, कार्यवाही पंजी० एवं समितियों की कार्यवाही से सम्बन्धित पंजी० तथा स्टॉक पंजी० प्रस्तुत की गयी है।

अतः स्पष्ट है कि फर्जी एवं मनगढ़न्त व्यय कोशबही में दर्ज कर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रवीन्द्र यादव द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ किया जाय।

धनराशि :— रु. 69900.00

मूल आपत्ति सं० 1

विकास खण्ड — मऊआइमा

ग्राम पंचायत —पसियापुर

जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर—135कैशबुक माह अगस्त 2018 में दिनांक 27.08.2018 को चेक संख्या 313 से रु0130536.00 की ईट 22200/5.25 वास्ते खडंजा निर्माण अलगू राम के घर से जगलाल के घर तक वाउचर संख्या 25 से भुगतान दर्ज है परंतु ईट का वास्तविक मूल्य रु0116550 होता है जो दर्ज मूल्य से रु013986.00 अधिक दर्ज कर धन का अपहरण किया गया है अतः अपहरण की धनराशि रु013986.00की वसूली प्रधान एवं सचिव से आधा आधा ब्याज सहित की जानी चाहिये।

सन्निहित धनराशि रु. :— 13986.00

मूल आपत्ति संख्या24

प्रस्तर—136कैशबुक माह मार्च 2019 में दिनांक 11 मार्च 2019 को चेक संख्या 343 से बाउचर संख्या 55ए से रुपया 14800.00 प्राथमिक विालय देवरिया(शौचालय मरम्मत मजदूरी) दिनांक 12 मार्च 2019 को चेक संख्या 344 से बाउचर संख्या 55बी से रु025600.00 प्राथमिक विालय देवरिया शौचालय मरम्मत मजदूरी एवं दिनांक 19.03.2019 को ही चेक संख्या 345 से वाउचर संख्या 56 से रुपया 134900.00 शौचालय मरम्मत सामग्री धुवनारायण को भुगतान किया गया है। इस प्रकार तीनों बाउचरों से कुल रु0175300.00 का भुगतान कैशबुक व्यय पक्ष में दर्ज किया गया है। परंतु एक भी बाउचर मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। स्टॉक बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी। अतः बाउचर विहीन समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी चाहिए।

सन्निहित धनराशि रु. :— 175300.00

मूल आपत्ति संख्या29

प्रस्तर—137कैशबुक माह अगस्त 2018 में एवं सितंबर 2018 में बाउचर संख्या 28 एवं 30 से दिनांक क्रमशः 28.09.2018 एवं 08.10.2018 से रुपया 157446.00 प्राथमिक विालय पसियापुर कैपस इंटरलॉकिंग सामग्री एवं रुपया 33000.00 मजदूरी एवं दिनांक 09.10.2018 को बाउचर संख्या 31 एवं 32 से क्रमशः रुपया 140090.00 प्राथमिक विालय पसियापुर टाइल्स कार्य सामग्री एवं रु0 36950.00 मजदूरी भुगतान की गई है परंतु लेखा परीक्षा में कोई भी बाउचर एवं मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया स्टॉक बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में उक्त सामग्रियों के क्रय संबंधी अंकन आमद प्रयुक्त अवशेष तथा उक्त कार्य कराए जाने संबंधी प्रस्ताव एवं अनुमोदन की जानकारी नहीं हो सकी। संबंधित कार्यों के लिए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः मात्र कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूर्ण किया गया है। उक्त कुल धनराशि 367486.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी विवरण निम्न प्रकार है

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	बा०सं०	विवरण
1	28.09.2018	157446.00	316	28	मे० गंगाराम एण्ड सन्स/सामग्री
2	08.10.2018	33000.00	318	30	मजदूरी

3	09.10.2018	140090.00	319	31	मे0 गंगाराम एण्ड सन्स/सामग्री
4	09.10.2018	36950.00	320	32	मजदूरी
	योग	367486.00			

सन्निहित धनराशि रु. :- 367486.00 मूल आपत्ति संख्या30

विकास खण्ड —मऊआइमा **ग्राम पंचायत —सकरामऊ** **जनपद — प्रयागराज**

प्रस्तर—138कैश बुक माह अगस्त 2018 में दिनांक 13 अगस्त 2018 को चेक संख्या 289 एवं 290 से क्रमशः रु0 197550.00 एवं रु0197550.00 कुल 18 नग सोलर लाइट क्रय का भुगतान आर्यन इंटरप्राइजेज को किया गया है। संबंधित वाउचर एवं टेंडर पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। कुल 18 नग सोलर लाइट का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया गया है तथा सोलर लाइट लगवाई मजदूरी भी नहीं दी गई है। स्टॉक बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में उक्त सामग्री के आमद प्रयुक्त एवं शेष तथा अनुमोदन एवं प्रस्ताव की जानकारी नहीं की जा सकी अतः स्थल विहीन बाउचर विहीन एवं मजदूरी विहीन व्यय दर्ज कर धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 395100.00 मूल आपत्ति संख्या18

प्रस्तर—139कैश बुक माह सितंबर 2018 में दिनांक 6 सितंबर 2018 को चेक संख्या 298 से रुपया 18725.00 आत्माराम के घर से राकेश के घर तक खरंजा निर्माण मजदूरी बाउचर संख्या 18 से निलेश कुमार ददौली को भुगतान किया गया है। पूरे वित्तीय वर्ष में उक्त स्थल हेतु कोई सामग्री क्रय नहीं की गई है। उक्त स्थल का मास्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः कैशबुक में फर्जी व्यय दर्ज कर के धन का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली प्रधान एवं सचिव से ब्याज सहित बराबर बराबर अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 18725.00 मूल आपत्ति संख्या23

प्रस्तर—140कैश बुक माह मार्च 2019 में दिनांक 30 मार्च 2019 को चेक संख्या 357 एवं 358 से क्रमशः रुपया 37800.00 मजदूरी गौतम मौर्या के घर से मंदिर तक इंटरलॉकिंग तथा रुपया 207164.00 सामग्री उक्त स्थल हेतु दोनों का भुगतान में श्री सुरेंद्र कुमार ददौली मऊआइमा को किया गया है जबकि श्री सुरेंद्र कुमार सप्लायर हैं। सामग्री एवं मजदूरी सप्लायर को ही भुगतान करना कार्य को ठेका पद्धति से कराया जाना प्रतीत होता है जो शासन की मंशा के प्रतिकूल है। यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित बाउचर एवं मास्टर रोल क्रमांक क्रमशः 60 एवं 61 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। स्टाक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री के आमद प्रयुक्त एवं शेष की स्थिति अज्ञात रही। कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण उक्त कार्य के प्रस्ताव एवं अनुमोदन की जानकारी नहीं हो सकी। कार्य से संबंधित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा तथा शासन की मंशा के प्रतिकूल वाउचर विहीन धनराशि रु0244964.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 244964.00 मूल आपत्ति संख्या24

विकास खण्ड — मऊआइमा **ग्राम पंचायत —कटरादयाराम** **जनपद — प्रयागराज**

प्रस्तर 141कैश बुक माह अक्टूबर 2018 में दिनांक 04.10.2018 को चेक सं0 318 से रु0 67375.00 प्रधान द्वारा आहरित वास्ते मजदूरी पूर्व मा0वि0 में टाईल्स कार्य दिनांक 06.10.2018 को चेक सं0 319 से रु045470.00 शाहू ट्रेडर्स द्वारा एवं चेक सं0 320 से रु060727.00 का आहरण में0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा पू0मा0वि0 टाईल्स कार्य की सामग्री पर व्यय दर्ज किया गया है। इस प्रकार दोनों फर्मों से सामग्री पर रु0106197.00 तथा मजदूरी पर रु0 67375.00 कुल रु0173572.00 का भुगतान दर्ज किया गया है। परंतु कोई भी बाउचर एवं मास्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यवाही पुस्तिका, स्टाक बुक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा उपभोग प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त कार्य के अनुमोदन प्रस्ताव एवं क्रय सामग्री आदि की जानकारी नहीं की जा सकी। प्रधान द्वारा स्वयं मजदूरी आहरित करना वित्तीय नियमों के विरुद्ध रहा। अतः बाउचर/मास्टर रोल विहीन धनराशि की वसूल प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 173572.00 मूल आपत्ति संख्या27

प्रस्तर 142—कैश बुक माह सितम्बर में दिनांक 17.09.2018 को चेक सं0 313 से रु04350.00 प्रधान द्वारा आहरित वास्ते हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री तथा माह नवम्बर 018 में दि0 03.11.2018 को चेक सं0 325 से रु0 11070.00 का आहरण प्रधान द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री के वास्ते भुगतान प्राप्त किया गया है। जबकि सामग्री का भुगतान फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधान द्वारा स्वयं धनराशियां आहरित कर बिना बाउचर प्रस्तुत किये ही धन का अपहरण कर लिया गया है। किन-किन स्थलों हेतु सामग्री क्रय की गयी है, इसका उल्लेख भी कैश बुक में नहीं किया गया है। स्टाक पंजिका में उक्त क्रय सामग्री का अंकन भी स्टाक पंजी के अभाव में नहीं हो सका। अतः बाउचर विहीन स्वयं प्रधान द्वारा आहरित धन रु0 15420.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 173572.00

मूल आपत्ति संख्या25

प्रस्तर 143—कैश बुक माह फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 में पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य एवं प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग काय हेतु सामग्री एवं मजदूरी पर कुल रु0396500.00 का व्यय कैश बुक में दर्ज किया गया है। संबंधित कार्यों की माप, सामग्री कय दर व मात्रा आदि का उल्लेख कैश बुक में नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में सामग्री कय का अंकन यथा— आमद, प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही, कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में उक्त कार्यों के अनुमोदन एवं प्रस्ताव की स्थिति का पता नहीं चल सका। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे। संबंधित कार्यों के बाउचर एवं मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः स्पष्ट होता है कि मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा करते हुए कुल धनराशि रु039650.00 का अपहरण कर लिया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	फर्म	विवरण
1	28.02.2019	80000.00	348	सौरभ ट्रेडिंग कं०	पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य सामग्री
2	02.03.2019	87950.00	352	सौरभ ट्रेडिंग कं०	पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य सामग्री
3	02.03.2019	30525.00	353	इंद्रकैश कुमार	पू0मा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य मजदूरी
4	05.03.2019	167500.00	354	सौरभ ट्रेडिंग कं०	प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री
5	05.03.2019	396500.00	355	इंद्रकैश कुमार	प्रा0वि0 में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी

सन्निहित धनराशि रु. :- 39650.00

मूल आपत्ति संख्या26

प्रस्तर 144—ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु दि० 05.11.2018 को चेक सं० 326 से रु० 43900.00 का भुगतान आर्यन इण्टरप्राइजेज तथा दि० 20.02.2019 को चेक सं० 346 से रु० 16875.00 पाण्डेय इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है। संबंधित बाउचर एवं टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। कैश बुक में यह भी उल्लेख नहीं है कि किन-किन स्थलों पर कितनी-कितनी स्ट्रीट लाइट का प्रयोग किया गया है। कय स्ट्रीट लाइट की दर एवं मात्रा का भी उल्लेख नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में सामग्री कय संबंधी कार्य का प्रस्ताव एवं अनुमोदन भी अज्ञात रहा। अतः बाउचर विहीन धनराशि रु० 212650.00 का प्रधान एवं सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली दोनों व्यक्तियों से संयुक्त रूप से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 212650.00

मूल आपत्ति संख्या27

विकास खण्ड – मऊआइमा ग्राम पंचायत –मलाकपयागी जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर 145आलोच्य वर्ष में प्रधान का मानदेय रु० 104500.00 भुगतान किया गया है। जिसमें गत वर्ष का भुगतान रु० 83500.00 है। तथा आलोच्य वर्ष का भुगतान मात्र रु०21000.00 है। गत वर्षके लिए भुगतान रु०83500.00 की लेखा परीक्षित कोशबही अथवा मानदेय पंजिका उपलब्ध नहीं कराए जाने से पुष्टि नहीं हो सकी। मानदेय के दुहराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आहरण विवरण इस प्रकार है:- दि०21.06.2018 को चेक सं० 118015 एवं 118016 से क्रमशः रु० 27500.00(जनवरी 2016 से नवम्बर 2016/2500.00) रु०45500.00(दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2017/3500.00)। इस प्रकार माह जनवरी 2016 से मार्च 2018 तक कुल 27 माह का मानदेय जिसमें 11 माह/2500.00 रु०27500.00, 16 माह/5500.00 रु०83500.00 कुल रु०83500.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर ब्याज सहित अपेक्षित है। **सन्निहित**

धनराशि रु. :- 83500.00

मूल आपत्ति संख्या11

प्रस्तर 146कैश बुक दि० 07.02.2019 को चेक संख्या 118056 से रु०99000.00 इण्टरलाकिंग सामग्री, दिनांक 12.02.2019 को चेक सं० 118057 से 70000.00 ह्यूम पाइप एवं दिनांक 28.02.2019 को चेक सं० 118058 से रु०53500.00 आंगनवाड़ी केन्द्र सामग्री तथा दि० 05.03.2019 को चेक सं० 118060 से 22075.00 इण्टरलाकिंग श्रमांश पर व्यय किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय रु० 244575.00 किया गया है। परन्तु एक भी बाउचर तथा मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ह्यूमपाइप एवं आंगनवाड़ी केन्द्र संबंधी कोई भी श्रमांश दि० 31.03.2019 तक नहीं भुगतान किया गया है। मात्र धन खारिज करने के उद्देश्य को पूरा किया गया है। स्टॉक बुक में अभाव में उक्त सामग्री कय संबंधी अंकन ज्ञात नहीं हो सका। कार्यवाही रजि० के अभाव में उक्त कार्यों का प्रस्ताव एवं अनुमोदन अज्ञात रहा। संबंधित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त धन की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम से चेक सं० 118023 से दि० 01.08.2018 को रु०44550.00, चेक सं० 118024 से दि० 16.08.2018 को रु०49000.00, चेक सं० 118026 से दि० 20.08.2018 को रु०49984.00, चेक सं० 118028 से दि० 01.09.2018 को रु०49984.00, चेक सं० 118030 से दि० 11.09.2018 को रु०99968.00, चेक सं० 118055 से दि० 07.01.2019 को रु०99000.00 इस प्रकार कुल रु० 393386.00 सामग्री खरीद हेतु भुगतान

किया गया है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार सभी धनराशि खाता सं० 30809252221 में ट्रांसफर की गयी है जो एस०बी०आई० शाखा ममफोर्डगंज प्रयागराज से आहरित की गयी है। कोशबही के अनुसार यह भुगतान अंकित रहा। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस खाते में धनराशि को ट्रांसफर किया गया है, वह किसका खाता है। सचिव के द्वारा संबंधित खाते के [विवरण/फोटोकॉपी](#) उपलब्ध नहीं कराया गया। चेक इश्यू रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में ट्रांसफर की गयी धनराशि अपुष्ट रही। संबंधित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः कुल धनराशि ₹0393386.00 वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 393386.00 मूल आपत्ति संख्या12

ग्राम पंचायत – मरखामऊ विकास खण्ड – मउआइमा जनपद – प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-147 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है।

कैश बुक माह- दिसम्बर 2018 में दिनांक 27-12-2018 को चेक संख्या 188 एवं 189 से क्रमशः रूपया 88000.00 एवं 45000.00 का आहरण किया गया है। इस प्रकार कुल आय (प्रा० शेष शून्य+आहरण

रूपया-13300.00) = 13300.00 है जिसके सापेक्ष व्यय (80000+30000+15000) मात्र रूपया 125000.00 दर्ज करके व्यय योग की ₹0 13300.00 अंकित किया गया है एवं प्रधान के पास नकद शून्य दर्शाया गया है।

इस प्रकार व्यय योग ₹0 8000.00 से बढ़ाकर अपहरण किया गया है। जिसकी सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 8000.00 मूल आपत्ति संख्या13

प्रस्तर-148 कैश बुक माह मई 2018 एवं जून 2018 में प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 02-05-2018 को चेक संख्या 115 से 67740.00 एवं दिनांक 22-06-2018 को चेक संख्या 118 से ₹0 87800.00 इस प्रकार कुल रूपया 155540.00 व्यय किया गया है। सम्बन्धित कोई भी बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कैश बुक में यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रकाश व्यवस्था स्ट्रीट लाईट की है अथवा सोलर लाईट की। प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धित स्थलीय विवरण भी नहीं दिया गया है। स्टाक बुक एवं कार्यवाही पंजिका के अभाव में सम्बन्धित प्रस्तावा एवं सामग्री क्रय की जानकारी नहीं की जा सकी। अतः बाउचर विहीन धनराशि की वसूली सम्बन्धित प्रधान श्रीमती सोहाना बानो एवं सचिव श्री विनोद कुमार से बराबर बराबर अंश में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 155540.00 मूल आपत्ति संख्या20

प्रस्तर-149 कैश बुक माह फरवरी 2019 में दिनांक 01-02-2019 से दिनांक 26-02-2019 तक कुल आहरण आय योग रूपया 723478.00 होता है। परन्तु कैश बुक में आय योग अंकित नहीं किया गया है। कुल आय के सापेक्ष व्यय मात्र रूपया 679578.00 दर्ज किया गया है। जबकि वास्तविक व्यय योग मात्र 679878.00 दर्ज किया गया है। जबकि वास्तविक व्यय योग मात्र ₹0 660388.00 होता है। इस प्रकार ₹0 723478-660388 =63090.00 अवशेष दर्ज किया जाना चाहिए। परन्तु अवशेष शून्य दर्ज करके ₹0 63090.00 का अपहरण किया गया है।

कैश बुक के अनुसार दर्ज व्यय विवरण दिनांक 01-02-2019 को ₹0 99000.00 (प्रा०वि० एवं जू०हा० बाउन्ड्रीवाल मरम्मत रंगाई) दिनांक 06-02-2019 को ₹0 79124.00 (प्रा०वि० इण्टर लांकिंग कार्य) दिनांक 06-02-2019 को ₹0 26400.00 (हबीब उल्ला के घर से सरवर के घर तक इण्टर लांकिंग कार्य) दिनांक 06-02-2019 को ₹0 24000.00 (प्रा०वि० इण्टर लांकिंग कार्य) दिनांक 06-02-2019 को ₹0 28814.00 (जू०हा० की बाउन्ड्रीवाल मरम्मत एवं रंगाई पुताई पर व्यय) दिनांक 19-02-2019 को ₹0 32286.00 (जू०हा० के कमरो में टाइल्स मजदूरी पर व्यय) दिनांक 20-02-2019 को ₹0 70201.00 (जू०हा० के कमरो में टाइल्स व्यय) दिनांक 20-02-2019 को ₹0 111300.00 (प्रा०वि० बाउन्ड्री एवं जू०हा० शौचालय इण्टर लांकिंग कार्य पर व्यय) दिनांक 20-02-2019 को ₹0 134342.00 (जू०हा० के बराम्बदे में टाइल्स कार्य पर व्यय) दिनांक 20-02-2019 को ₹0 7021.00 (जू०हा० के कमरो में टाइल्स पर व्यय)

दिनांक 16-02-2019 को रू0 15500.00 (मेसर्स सुरेन्द्र कुमार सफाई कार्या किट) एवं दिनांक 26-02-2019 को रू0 32400.00 (जू0हा0 बरामदे में टाइल्स कार्य मजदूरी व्यय) उपरोक्त विवरण के अनुसार सम्पूर्ण व्यय योग रू0 660388.00 होता है परन्तु कोई भी बाउचर एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त व्यय सम्बन्धित कय सामग्री का अंकन स्टॉक बुक के अभाव में ज्ञात नहीं हो सका। कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण कार्यों के अनुमोदन एवं प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो सकी। सम्बन्धित टेण्डर (कोटेशन पत्रावली एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र तथा उपभोग प्रमाण पत्र) अप्राप्त रहा। अतः अपहरण की धनराशि एवं बाउचर/मास्टर रोल विहीन धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर भाग ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 723478.00 मूल आपत्ति संख्या29

ग्राम पंचायत – धीनपुर विकास खण्ड – मउआइमा जनपद – प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-150 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है

कैश बुक पृष्ठांक 4 माह जुलाई 2018 में कुल आहरण आय योग रू0 680570.00 है जिसके सापेक्ष व्यय 87870.00+49500.00+49900.00+32200.00+32200.00+34400.00+49750.00+49750.00+3220.00+32200.00+35400.00+94000.00+99800.00=679170.00 दर्ज कर अवशेष रू0 680570.00-679170.00=1400.00 नकद शेष नहीं दिखाकर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली व्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 1400.00 मूल आपत्ति संख्या23

प्रस्तर-151 कैश बुक माह अगस्त 2018 में दिनांक 23-08-2018 को चेक संख्या 377 से आहरित रू0 99900.00 दिनांक 30-08-2018 को चेक संख्या 379 से आहरित रू0 53850.00 दिनांक 31-08-2018 को चेक संख्या 380 एवं 381 से क्रमशः रू0 99950.00 एवं रू0 99950.00 इस प्रकार कुल रू0 99900+53850+99950+99950=353650.00 बैंक खाते से आहरित करके कैशबुक आय पक्ष में आय दर्ज करके व्यय पक्ष में विना व्यय दर्शित किये ही धन का अपहरण किया गया है। माह की कुल आय आहरण रू0 1237700.00 दर्शित है। परन्तु व्यय पक्ष में माह रू0 884050.00 का विवरण दर्ज है। इस प्रकार कुल आय रू0 1237700.00 व्यय रूपया 884050.00= 353650.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली व्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 353650.00 मूल आपत्ति संख्या24

प्रस्तर-152 कैश बुक माह मार्च 2019 में दिनांक 01-03-2019 से दिनांक 30-03-2019 तक कुल आहरण रू0 1374700.00 किया गया है। परन्तु व्यय विवरण मात्र रू0 789700.00 का ही दिया गया है। जो इस प्रकार है।

रू0-24970+24975+49950+49975+49975+199850+96000+96000+49500+49500+24750+24750+24750+24750=789700.00 दिनांक 11-03-2019 से 30-03-2019 तक आहरित धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है। दिनांक 11-03-2019 चेक संख्या 335 रू0 99000.00, दिनांक 13-03-2019 चेक संख्या 338 रू0 96000.00, दिनांक 28-03-2019 चेक संख्या 338 रू0 96000.00, दिनांक 28-03-2019 चेक संख्या 338 रू0 96000.00, दिनांक 28-03-2019 चेक संख्या 338 रू0 99000.00, दिनांक 28-03-2019 चेक संख्या 338 रू0 99000.00,= 585000.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल आहरण रू0 585000.00 विवरण कैश बुक आय पक्ष में दर्ज किया गया है। परन्तु व्यय पक्ष में इनका विवरण मदवार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कुल आहरण रू0 1374700.00 किया गया है जिसके व्यय मात्र रू0 789700.00 का दर्ज करके अवशेष रू0 585000.00 का आहरण कर दिया गया है। जबकि कैश बुक आय एवं व्यय पक्ष में अनुदान प्राप्त किस्त सहित कुल आय रू0 1822700.00 तथा कुल व्यय रू0 1822700.00 दिखाया गया है। जो वास्तव में त्रुटिपूर्ण है अतः अपहरण की धनराशि रू0 585000.00 की वसूली जिसकी सम्बन्धित प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली व्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :-585000.00 मूल आपत्ति संख्या24

ग्राम पंचायत – खरगापुर विकास खण्ड – मउआइमा जनपद – प्रयागराज

की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश में आये जिसकी ओर विभागीय अधिकारी वर्ग एवं प्रबन्ध तन्त्र का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है :-

प्रस्तर-153 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है।

प्रा०वि० कैम्पस इण्टर लाकिंग कार्य हेतु दिनांक 30-01-2019 को चेक संख्या 571079 से रू० 94617.00 दिनांक 04-02-2019 को चेक संख्या 571085 से रू० 47400.0 एवं दिनांक 15-02-2019 को चेक संख्या 672283 से रू० 13521.00 क्रमशः का भुगतान किया गया है। इस प्रकार सामग्री एवं क्रमशः पर कुल रू० 155538.00 व्यय किया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है लेखा परीक्षा में स्टाक बुक कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से सम्पूर्ण व्यय संदिग्ध रहा अतः प्रमाणक विहीन समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 1555380.00 मूल आपत्ति संख्या 18

प्रस्तर-154 आलोच्य में दिनांक 16-04-2018 को चेक संख्या 672281 से रू० 42000.00 मानदेय प्रधान को भुगतान प्रधान को दर्ज है। जो गतवर्ष 2017-18 का भुगतान है। गत वर्ष की लेखा परीक्षा कोशवही में माह जून 2017 में दिनांक 22-06-2017 को चेक संख्या 133597 से रू० 42000.00 का भुगतान लिया गया है। जो मई 2016 से नवम्बर 2016 तक प्रतिमाह 2500.00 एवं माह दिसम्बर 16 से जून 17 तक प्रतिमाह 3500.00 की दर से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार पुनः माह अप्रैल 17 से जून 17 तक 3 माह प्रतिमाह 3500 = 10500.00 का भुगतान दुबारा प्राप्त किया गया है। दुबारा भुगतान प्राप्त धन रू० 10500.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रू. :- 10500.00 मूल आपत्ति संख्या 25

प्रस्तर-155 आलोच्य वर्ष में दिनांक 24-07-2018 से दिनांक 05-03-2019 तक प्राथमिक विालय में टाइल्स कार्य हेतु विभिन्न तिथियों एवं विभिन्न चेकों के माध्यम से सामग्री एवं श्रमांश पर क्रमशः रू० 346461.00 एवं रू० 43597.00 कुल रू० 390058.00 व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में एक भी व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टाक बुक एवं कार्यवाही रजिस्टर के आभाव में सामग्री क्रय सम्बन्धित अंकन आमद प्रयुक्त एवं अवशेष तथा कार्य के अनुमोदन एवं प्रस्ताव की जानकारी नहीं की जा सकी उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। अतः प्रमाण विहीन समस्त धनराशि रू० 390058.00 की प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर अंश में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

- 1- दिनांक 24-07-2018 चेक संख्या 571059 धनराशि- 96800.00 (प्रा०वि० में टाइल्स कार्य 2 कमरों का व्यय)
- 2- दिनांक 24-07-2018 चेक संख्या 571060 एवं 571061 धनराशि- 145200.00 (प्रा०वि० में टाइल्स कार्य 3 कमरों का एवं निर्माण कार्य का व्यय)
- 3- दिनांक 14-01-2019 चेक संख्या 571072 धनराशि- 25000.00 (प्रा०वि० में निर्माण कार्य का व्यय)
- 3- दिनांक 14-01-2019 चेक संख्या 571073 धनराशि- 19800.00 (प्रा०वि० में मजदूरी का व्यय)
- 4- दिनांक 02-02-2019 चेक संख्या 571082 धनराशि- 51461.00 (प्रा०वि० में निर्माण कार्य का व्यय)
- 5- दिनांक 05-03-2019 चेक संख्या 571070 धनराशि- 23797.00 (प्रा०वि० में मजदूरी का व्यय)

सन्निहित धनराशि रू. :- 390058.00 मूल आपत्ति संख्या 29

ग्राम पंचायत - देवगलपुर विकास खण्ड - मउआइमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर- 156 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमाणक विहीन व्यय को गबन मानते हुये अधिभार की कार्यवाही किया जाना चाहिए विवरण निम्नवत् है।

कैश बुक में दर्ज विवरण पक्की सड़क से विनोद पासी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु दिनांक 24-08-2018 को चेक संख्या 262 से रू० 99968.00 चेक संख्या 261 से रू० 49984.00 चेक संख्या 270 से दिनांक 17-12-2018 को सामग्री हेतु कुल रू० 170052.00 तथा श्रमांश हेतु दिनांक 02-11-18 को चेक संख्या 265 से रू० 20000.00 एवं दिनांक 17-12-2018 को चेक संख्या 268 से रू० 5000.00 भुगतान है। इस प्रकार सामग्री एवं श्रमांश पर क्रमशः रू० 179952.00 एवं रू० 25000.00 कुल रू० 204952.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी व्यय प्रमाणक तथा मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया

है। सम्बन्धित स्टॉक बुक अंकन कार्यवाही पुस्तिका में अनुमोदन एवं प्रस्ताव एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र आदि के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः बाउचर बिहीन समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर भाग में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. :- 204952.00 मूल आपत्ति संख्या 15

प्रस्तर-157 वित्तीय वर्ष की समाप्ति में माह मार्च 19 में दिनांक 05-03-2019 को चेक संख्या 300 से रु0 99000.00 एवं दिनांक 18-03-19 को चेक संख्या 242 से रु0 40000.00 कुल भुगतान रु0 139000.00 सामग्री पर बाग से लाल जी के खेत तक इण्टर लाकिंग कार्य भुगतान है। कैश बुक में श्रमांश पर भुगतान नहीं दर्ज है। उपरोक्त दोना बाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्य कराये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव एवं अनुमोदन अप्राप्त रहा। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में सामग्री के अवशेष होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी।

अतः उक्त कार्य हेतु कय सामग्री का बाउचर नहीं प्रस्तुत किये गये। श्रमांश नहीं दिया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि कैशबुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूर्ण किया गया है। बाउचर बिहीन समस्त धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर भाग में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 139000.00 मूल आपत्ति संख्या 21

प्रस्तर-158 कैश बुक माह फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 में भुल्लन के घर से नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य सामग्री हेतु कुल भुगतान रु0 169000.00 तथा राम दुलारे के घर से बाग तक इण्टर लाकिंग कार्य सामग्री रु0 169000.00 भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल भुगतान रु0 338000.00 किया गया है। जिसमें श्रमांश का विवरण नहीं है। उक्त दोना कार्यों के कय की गयी सामग्री के वास्ते कोई भी व्यय प्रमाणक मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टॉक बुक के अभाव में कय सामग्री का अंकन आमद प्रयुक्त एवं अवशेष की स्थिति अज्ञात रही। कार्यवाही रजिस्टर की अनुपलब्धता के कारण उक्त कार्यों के अनुमोदन एवं प्रस्ताव की जानकारी नहीं की जा सकी। सम्बन्धित कार्यपूर्ति एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहे।

अतः स्पष्ट है कि मात्र कैश बुक में धन खारिज करने के उद्देश्य को पूर्ण करते हुये धन का अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1- दिनांक 14-02-2019 चेक संख्या 291 धनराशि- 99000.00 (भुल्लन के घर से नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

2- दिनांक 16-02-2019 चेक संख्या 295 धनराशि- 50000.00 (भुल्लन के घर से नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

3- दिनांक 28-02-2019 चेक संख्या 298 धनराशि- 20000.00 (भुल्लन के घर से नहर तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

कुल योग - 169000.00

1- दिनांक 21-02-2019 चेक संख्या 296 धनराशि 99000.00 (राम दुलारे के घर से बाग तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

2- दिनांक 27-02-2019 चेक संख्या 299 धनराशि- 30000.00 (राम दुलारे के घर से बाग तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

3- दिनांक 18-03-2019 चेक संख्या 242 धनराशि- 40000.00 (राम दुलारे के घर से बाग तक इण्टर लाकिंग कार्य पर व्यय)

कुल योग- 169000.00

उपरोक्त दोना कार्यों में व्यय धनराशि रु0 338000.00 की वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर भाग में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

सन्निहित धनराशि रु. 338000.00 मूल आपत्ति संख्या 25

ग्राम पंचायत बबुरा विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-159 ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड-करछना जनपद-प्रयागराज वर्ष 2018-19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यों का विवरण:-

क्र० सं०	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि (रु०)
1	04-04-18/167481	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	41310.00
2	05-04-18/167482	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	29600.00
3	05-04-18/167483	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	29600.00
4	09-04-18/167484	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	29600.00

5	02-06-18 / 168878	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	4000.00
6	12-06-18 / 168879	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	16000.00
7	30-06-18 / 168880	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	8000.00
8	03-07-18 / 214161	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	10500.00
9	04-07-18 / 214162	पूर्व मा0 विालय में इण्टरलॉकिंग निर्माण।	132000.00
10	06-07-18 / 214187	ओम प्रकाश के घर से झल्लर के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	102401.00
11	18-07-18 / 167485 से 167487 तक	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	88815.00
12	20-07-18 / 214163	प्रा0 विालय में इण्टरलॉकिंग निर्माण।	102401.00
13	27-07-18 / 214164	पूर्व मा0 विालय में इण्टरलॉकिंग निर्माण।	76000.00
14	02-08-18 / 214184	पूर्व मा0 विालय में इण्टरलॉकिंग निर्माण।	64000.00
15	02-08-18 / 167488	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	19075.00
16	02-08-18 / 168837	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	19075.00
17	02-08-18 / 168849	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	18900.00
18	13-08-18 / 214190	झल्लर के घर से माधी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	18025.00
19	20-08-18 / 214193	बजरंगी के घर से गुरु के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	91590.00
20	20-08-18 / 214199	झल्लर के घर से माधों के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	42109.00
21	20-08-18 / 214201	किशोर के घर से जगतनारायण के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	81893.00
22	27-08-18 / 620918	बैधनाथ के घर से अनुज के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	17675.00
23	29-08-18 / 620920	बैधनाथ के घर से अनुज के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	34133.00
24	29-08-18 / 620919	लक्ष्मण के घर से केदारनाथ के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	825.00
25	06-09-18 / 620921	बैधनाथ के घर से अनुज के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	34138.00
26	06-09-18 / 620922	लक्ष्मण के घर से केदारनाथ के घर तक इण्टरलॉकिंग।	62830.00
27	12-10-18 / 168864	हैण्डपंप रिबोर का व्यय।	59410.00
	12-10-18 / 168876		
28	12-10-18 / 673029	प्राथमिक विालय में शौचालय निर्माण।	126000.00
29	12-10-18 / 673045	प्राथमिक विालय में बाउण्ड्री वाल निर्माण।	128500.00
30	03-11-18 / 620924	कृष्णा के घर से रमाशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग।	29925.00
31	03-11-18 / 673015	रंगलाल के घर से अवधराज के घर तक इण्टरलॉकिंग।	148017.00
32	03-11-18 / 673016	प्राथमिक विालय में शौचालय निर्माण।	26966.00
33	06-11-18 / 673025	कृष्णा के घर से रमाशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग।	14800.00
34	06-11-18 / 673032	कृष्णा के घर से रमाशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग।	25000.00
35	16-11-18 / 673036	रंगलाल के घर से अभयराज के घर तक इण्टरलॉकिंग।	26950.00
36	16-11-18 / 673039	रमेश के घर से ब्रह्मराज के घर तक नाली निर्माण।	9975.00
37	17-11-18 / 673040	रमेश के घर से ब्रह्मराज के घर तक नाली निर्माण।	30000.00
38	07-12-18 / 673078	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	20005.00
39	07-12-18 / 673084	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	31505.00
40	07-12-18 / 673053	प्राथमिक विालय में शौचालय निर्माण।	48005.00
41	15-12-18 / 673079	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	12000.00
42	15-12-18 / 673080	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	10505.00
43	28-12-18 / 673081	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	7500.00
44	31-01-19 / 673054	प्राथमिक विालय में इण्टरलॉकिंग निर्माण।	8025.00
45	02-02-19 / 673085	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	31200.00
46	25-02-19 / 673086	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	32000.00
47	07-03-19 / 673060	पक्की रोड से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग।	85645.00
48	08-03-19 / 673061	रमेश के घर से रामबाबू के घर तक इण्टरलॉकिंग।	59250.00
49	08-03-19 / 673062	पक्की रोड से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग।	59250.00

50	18-03-19/673063	पक्की रोड से नन्हे के घर तक इण्टरलॉकिंग।	23000.00
51	27-03-19/673072	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	10600.00
52	27-03-19/673064	पक्की रोड से किशनलाल के घर तक खडन्जा।	9800.00
53	28-03-19/673073	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	29000.00
	/673074		
	/673075	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	19500.00
54	28-03-19/673065	प्राथमिक विालय में बाउण्ड्री वाल निर्माण।	14000.00
55	28-03-19/673066	रमेश के घर से ब्रहमराज के घर तक नाली निर्माण।	2800.00
56	28-03-19/673067	प्राथमिक विालय में शौचालय निर्माण।	37975.00
57	29-03-19/673076	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	10150.00
58	29-03-19/673068	प्राथमिक विालय में शौचालय निर्माण।	4725.00
59	29-03-19/673069	पूर्व मा0 विालय में बाउण्ड्री वाल निर्माण।	8750.00
60	29-03-19/673070	पक्की रोड से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिंग।	12775.00
61	29-03-19/673071	बबुरा पक्की रोड से नन्हे के घर तक इण्टरलॉकिंग।	7175.00
	योग		2457178.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 2457178.00 में से सामग्री पर व्यय रू0 2457178.00 एवं मजदूरी पर व्यय रू (अंकित नहीं) किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2457178.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी हुमा परवीन से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि 2457178.00

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत भडेवरा विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-160 ग्राम पंचायत भडेवरा विकासखण्ड-करछना जनपद-प्रयागराज वर्ष 2018-19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यों का विवरण:-

क्र0 स0	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि (रू0)
1	28-11-18/000037	50 नग एल0ई0डी0 लाईट का भुगतान।	275000.00
2	26-12-18/000028	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी।	55000.00
3	13-02-19/000080	प्राथमिक विालय में मरम्मत कार्य।	199000.00
4	27-03-19/000011	हैण्डपंप रिबोर की सामग्री एवं मजदूरी।	924000.00
		योग	1453000.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 1453000.00 में से सामग्री पर व्यय रू0 1453000.00 एवं मजदूरी पर व्यय रू (अंकित नहीं) किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1453000.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज सिंह से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि-1453000.0

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत- भरहा विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-161 नवम्बर 2018 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आहरण एवं कोशवही में माह- नवम्बर में आय पक्ष में दर्ज आहरण का विवरण निम्नानुसार है-

माह- नवम्बर 2018 में अनुदान आहरण का विवरण:-

क्र0 स0	दिनांक/चैक संख्या	आहरण कोशवही के अनुसार (रू0)	आहरण बैंक स्टेटमेंट के अनुसार (रू0)
1	02-11-18/000139	11327.00	11327.00
2	02-11-18/000141	25500.00	25500.00
3	03-11-18/000142	95680.00	95680.00
4	03-11-18/	89.00	89.00

5	03-11-18 / 000140	88084.00	88084.00
6	03-11-18 / 000138	14621.00	14621.00
7	17-11-18 / 000143	00.00	2160.00
8	20-11-18 / 000144	00.00	31912.00
9	20-11-18 / 000145	22610.00	22610.00
10	26-11-18 / 000147	58200.00	58200.00
11	26-11-18 / 000148	17800.00	17800.00
	योग	333911.00	367983.00

उपरोक्त विवरण के अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार आहरण एवं कोशवही के अनुसार आहरण में अन्तर 34072.00 है जो दिनांक 17-11-18 चैक नं० 000143 द्वारा बैंक से आहरित धनराशि रु० 2160.00 एवं दिनांक 20-11-18 चैक नं० 000144 द्वारा बैंक से आहरित धनराशि रु० 31912.00 को कोशवही में न लिए जाने के कारण हुआ है। इस प्रकार 34072.00 कोशवही में न लेकर लेखा परीक्षक के अनुसार धन का अपहरण किया गया है, जिसकी वसूली मय ब्याज बराबर रूप से ग्राम प्रधान श्री लाल पुष्पराज सिंह एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि- 34072

(मूल आप० संख्या 24)

ग्राम पंचायत हरई विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-162 ग्राम पंचायत हरई विकासखण्ड-करछना जनपद-प्रयागराज वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० स०	कार्य का स्थलीय विवरण	सामग्री व्यय (रु०)	मजदूरी व्यय (रु०)	योग (रु०)
1	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय।	195000.00	50750.00	245750.00
2	हैण्डपंप रिबोर पर व्यय।	306235.00	9950.00	396185.00
3	खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय	---	---	---
4	इण्टरलॉकिंग पर व्यय।	971209.00	144900.00	1116109.00
5	ग्रा०वि० एवं पूर्व मा० विलय में कार्यालय पर व्यय	949909.00	110775.00	1060684.00
6	अन्य विविध खर्च	---	---	---
	योग	2502353.00	316375.00	2818728.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 2818728.00 में से सामग्री पर व्यय रु० 2502353.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु० 316375.00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2818728.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित कुमार से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि- 2818278.00

(मूल आप० संख्या 24)

ग्राम पंचायत - जगौती विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-163 ग्राम पंचायत जगौती विकासखण्ड-करछना जनपद-प्रयागराज वर्ष 2018-19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यों का विवरण:-

क्र० स०	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि (रु०)
1	17-04-18 / 000035	पूर्व मा० विलय में शौचालय मरम्मत कार्य।	25200.00
2	15-05-18 / 000036	शिवनारायण के द्वार से तालाब तक नाली निर्माण।।	26800.00
	15-05-18 / 000037 से 000040 तक	शिवनारायण के द्वार से तालाब तक नाली निर्माण।।	101190.00
3	16-05-18 / 000041 से 000042 तक	रामसिंह के घर से बबऊ यादव के घर तक खडन्जा ।	50000.00
4	26-06-18 / 000043	शोभानाथ के घर के पास हैण्डपंप फाउण्डेशन निर्माण।	17732.00

5	05-09-18/000046	पूर्व मा0 विालय में हैण्डपंप रिबोर।	29965.00
6	07-09-18/000049	पूर्व मा0 विालय में शौचालय मरम्मत कार्य।	31635.00
7	05-11-18/000050	प्रेमचन्द्र पटेल के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	29750.00
8	05-11-18/000051	रघुराज के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	29850.00
9	22-11-18/000053	माधवेन्द्र कुमार के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	15300.00
10	01-03-19/000056	धर्मराज के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	27850.00
11	01-03-19/000054	माधवेन्द्र कुमार के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	12950.00
12	01-03-19/000055	शिवशंकर के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	27950.00
13	05-03-19/000057	पूर्व मा0 विालय में शौचालय मरम्मत कार्य।	54802.00
14	05-03-19/000058	पूर्व मा0 विालय में शौचालय मरम्मत कार्य।	8325.00
15	12-03-19/000060	हरिलाल के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	28250.00
16	14-03-19/000108	हैण्डपंप मरम्मत (चिन्हांकन नहीं है।)	19750.00
17	14-03-19/000107	हैण्डपंप मरम्मत (चिन्हांकन नहीं है।)	6500.00
18	28-03-19/000106	आगम लाल के घर के पास हैण्डपंप रिबोर।	28750.00
	योग		572549.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 572549.00 में से सामग्री पर व्यय रू0 572549.00 एवं मजदूरी पर व्यय रू (अप्राप्त) किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 572549.00 .00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन पटेल एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है। **धनराशि— 572549.00**

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत कौवा विकास खण्ड— करछना जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर—164 ग्राम पंचायत कौवा विकासखण्ड—करछना जनपद—प्रयागराज वर्ष 2018—19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यों का विवरण:—

क्र0 स0	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि (रू0)
1	06-04-18/000091	हैण्डपंप रिबोर सामग्री क्रय।	27800.00
2	26-04-18/000096 /000097	उपरोक्त पर व्यय।	29850.00 29750.00
3	02-11-18/000099	इण्टरलॉकिंग व्यय।	41275.00
4	12-11-18/000101	उपरोक्त पर व्यय।	140800.00
5	12-11-18/000103	इण्टरलॉकिंग भुगतान।	142900.00
6	12-11-18/000102	इण्टरलॉकिंग भुगतान।	26300.00
7	12-11-18/000100	इण्टरलॉकिंग भुगतान।	25881.00
8	25-12-18/000104	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	21471.00
9	28-12-18/000105	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	94484.00
10	28-12-18/000109	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	46662.00
11	28-12-18/000108	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	173152.00
12	28-12-18/000107	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	35150.00
13	28-12-18/000106	प्राथमिक विालय में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण।	139734.00
	योग		975209.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 975209.00 में से सामग्री पर व्यय रू0 572549.00 एवं मजदूरी पर व्यय रू (अप्राप्त) किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 572549.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:—572549.00

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत – नौवा विकास खण्ड– करछना जनपद– प्रयागराज
प्रस्तर–165 वर्ष 2018–19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यों का विवरण:-

क्र० स०	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यों का विवरण	धनराशि (रु०)
1	14-05-18/000121	प्रधान खडन्जा से गिरजा के घर तक मार्ग निर्माण (सामग्री + मजदूरी)	92000.00
2	08-06-18/000119	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	21000.00
3	03-04-18/000115	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	32000.00
4	10-04-18/000116	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	25000.00
5	10-07-18/000123	पक्की सडक से असलम के घर तक खडन्जा निर्माण।	52500.00
6	10-07-18/000124	पक्की सडक से असलम के घर तक खडन्जा निर्माण मजदूरी।	10150.00
7	10-08-18/000128	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी का भुगतान।	14500.00
8	20-08-18/000133	हैण्डपंप रिबोर सामग्री का भुगतान।	20750.00
9	20-08-18/000132	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी का भुगतान।	35700.00
10	30-08-18/000130	सन्दीप पाण्डेय के घर अखिलेश के घर तक खडन्जा निर्माण सामग्री।	57710.00
11	30-08-18/000152	उपरोक्त निर्माण की सामग्री एवं मजदूरी।	40000.00
12	06-09-18/000131	हैण्डपंप सामग्री का भुगतान।	21000.00
13	28-09-18/000134	हैण्डपंप रिबोर सामग्री का भुगतान।	90000.00
14	28-09-18/000135	पक्की नाली से तेलियानी बस्ती तक खडन्जा निर्माण सामग्री एवं मजदूरी।	35000.00
15	03-12-18/000153	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री।	32000.00
16	04-01-19/000156	संजय के घर से अभयराज के घर तक खडन्जा सामग्री।	30000.00
17	18-01-19/000158	सजल सडक से प्राथमिक विालय सजल तक खडन्जा सामग्री।	34000.00
18	21-01-19/000159	उपरोक्त कार्य की सामग्री क्रय।	10500.00
19	21-01-19/000160	उपरोक्त कार्य की मजदूरी।	20600.00
20	21-01-19/000162	प्राथमिक विालय की बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री।	83000.00
21	30-01-19/000155	हैण्डपंप सामग्री क्रय।	20500.00
22	08-02-19/000166	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी।	55300.00
23	02-03-19/000168	खडन्जा निर्माण मजदूरी।	8900.00
24	02-03-19/000165	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री।	20200.00
25	12-03-19/000189	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी।	36000.00
26	15-03-19/000174	हैण्डपंप सामग्री क्रय।	24000.00
27	18-03-19/000170	हैण्डपंप सामग्री क्रय।	45000.00
28	19-03-19/000176	प्राथमिक विालय संजल में फर्ष निर्माण।	10000.00
29	27-03-19/000177	उपरोक्त कार्य में व्यय।	20000.00
30	27-03-19/000179	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री।	45000.00
31	27-03-19/000186	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी।	24000.00
32	27-03-19/000182	हैण्डपंप रिबोर सामग्री।	34500.00
33	29-03-19/000193	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री।	10200.00
34	29-03-19/000190	प्राथमिक विालय संजल में फर्ष मरम्मत।	50500.00
35	30-03-19/000184	कछियान बस्ती में पक्की नाली निर्माण सामग्री एवं मजदूरी।	34500.00
36	30-03-19/000195	प्राथमिक विालय प्राणन में इण्टरलॉकिंग।	95100.00
	योग		1291110.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 1291110.00 में से सामग्री पर व्यय रु० 1121660.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु 169450.00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाय आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1291110.00 को गबन निर्धारित

किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है। धनराशि:— 1291110.00

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत — टकटैया विकास खण्ड— करछना जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर—166 वर्ष 2018—19 के कोशवही प्रथम से कराये गये कार्यो का विवरण:—

क्र0 स0	दिनांक/चैक संख्या	कराये गये कार्यो का विवरण	धनराशि (रू0)
1	03-05-18/000072	प्राथमिक विालय गोजहिया में मरम्मत कार्य।	32500.00
2	06-05-18/000168	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	40000.00
3	07-05-18/000166	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	29800.00
4	07-05-18/000167	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	29650.00
5	10-05-18/000169	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	34500.00
6	10-05-18/000173	प्राथमिक विालय गोजैहा में मरम्मत कार्य।	29500.00
7	10-05-18/000170	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	69100.00
8	13-05-18/000171	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	32000.00
9	20-05-18/000175	प्राथमिक विालय गोजैहा में मरम्मत कार्य।	30500.00
10	25-05-18/000176	चन्देल को जाने वाली पक्की सडक से लाल बहादुर के घर तक खडन्जा कार्य।	15000.00
11	01-06-18/000178	प्राथमिक विालय गोजैहा में मरम्मत कार्य।	62000.00
12	01-06-18/000177	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	70000.00
13	06-06-18/000179	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	50000.00
14	07-06-18/000180	इण्टरलॉकिंग का भुगतान।	135000.00
15	12-06-18/000045	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री का भुगतान।	35000.00
16	14-06-18/000047	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री का भुगतान।	15000.00
17	26-07-18/000049	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	30000.00
18	31-07-18/000048	प्राथमिक विालय गोजैहा में मरम्मत कार्य।	75500.00
19	31-07-18/000056	प्राथमिक विालय गोजैहा में छत निर्माण।	40000.00
20	04-08-18/000053	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	50000.00
21	05-08-18/000186	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	60000.00
22	05-08-18/000185	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	60000.00
23	10-08-18/000052	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	12000.00
24	13-08-18/000050	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	47000.00
25	14-08-18/000051	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री क्रय।	15000.00
26	18-08-18/000059	श्याम प्रभाकर के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण।	30000.00
27	21-08-18/000058	अभय के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण।	15000.00
28	24-08-18/000060	हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।	25000.00
29	28-08-18/000182	बाल किशन के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण।	98000.00
30	29-08-18/000155	बाल किशन के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण।	20000.00
31	31-08-18/000184	बाल किशन के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण।	30000.00
32	30-08-18/000183	प्राथमिक विालय गोजैहा में छत निर्माण।	50000.00
33	31-08-18/000085	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय।	15000.00
34	14-01-19/000192	प्राथमिक विालय से तालाब तक नाली निर्माण।	24000.00
35	14-01-19/000189	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	48000.00
36	14-01-19/000188	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	44000.00
37	14-01-19/000191	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	38000.00
38	14-01-19/000190	इण्टरलॉकिंग कार्य।	46000.00
39	16-01-19/000193	हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय।	3000.00
40	31-01-19/000194	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	19000.00
41	05-02-19/000195	हैण्डपंप मरम्मत का भुगतान।	8000.00
42	05-02-19/000121	हैण्डपंप रिबोर का भुगतान।	6000.00
43	08-02-19/000122	प्राथमिक विालय टकटैया में इण्टरलॉकिंग	12000.00
44	15-02-19/000123	धोबियान बस्ती मार्ग का खडन्जा निर्माण।	48000.00

45	25-02-19/000124	लोहारी से धोबियान मार्ग का खडन्जा निर्माण।	24000.00
46	05-03-19/000126	प्राथमिक विालय टकटैया में व्यय	35000.00
47	07-03-19/000127	प्राथमिक विालय से तालाब तक नाली निर्माण।	36000.00
48	07-03-19/000128	शंकर तिवारी के घर से तालाब तक नाली निर्माण।	35000.00
49	16-03-19/000134	प्राथमिक विालय गोजैहा के पीछे से तालाब तक नाली निर्माण।	20000.00
50	24-03-19/000125	हैण्डपंप मरम्मत हेतु।	24000.00
51	25-03-19/000133	हैण्डपंप मरम्मत हेतु।	8000.00
52	26-03-19/000037	कार्य का कोई विवरण नहीं दर्शाया गया है।	16000.00
53	27-03-19/000131	कृष्ण मुरारी के घर से तालाब तक नाली निर्माण।	48000.00
54	27-03-19/000135	नाली निर्माण।	20000.00
	27-03-19/00038	नाली निर्माण।	48000.00
	27-03-19/00046		
	27-03-19/00055		
55	27-03-19/00054	प्राथमिक विालय में मरम्मत कार्य।	32000.00
	योग		2024050.00

व्यय की गयी कुल धनराशि 2024050.00 में से सामग्री पर व्यय रु0 2024050.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु (अप्राप्त) किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, सप्लाई आदेश, बिलइनवाईस, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2024050.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंकिता देवी एवं ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री बृजेश कुमार से मय ब्याज बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 2024050.00

(मूल आप0 संख्या 24)

ग्राम पंचायत - भटेरवा

विकास खण्ड- करछना

जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-167 ग्राम पंचायत भटेरवा की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा कोश बही प्रथम के अनुसार व्यय का विवरण-

क्र0 सं0	दिनांक/चेक नं0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु0)
1	19-12-2018/000021	हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान	200000.00
2	25-12-2018/000026	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	200000.00
3	13-12-2019/000046	प्राइमरी विद्यालय में पेयजल टवाइलेट निर्माण में भुगतान	100000.00
4	13-02-2019/000041	प्रशासनिक मद् में भुगतान	25000.000
5	13-02-2019/000047	भवानीदीन के कुआ से नहर तक पक्की नाली निर्माण का भुगतान	200000.00
6	13-02-2019/000042	स्नारी का भुगतान	20000.00
		योग-	745000.00
		कुल योग शब्दों में- सात लाख पैतालिस हजार मात्र	

व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 745000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, बिल इनवाइस सप्लाई आदेश एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत भटेरवा द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 745000.00 को गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री फूलचन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार से मय ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 745000.00

मूल आप0 संख्या:- 6

ग्राम पंचायत - बसही

विकास खण्ड- करछना

जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-168 ग्राम पंचायत बसही की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा कोश बही प्रथम के अनुसार व्यय का विवरण-

क्र0 सं0	दिनांक/चेक नं0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु0)
1	03-04-2018/अज्ञात	कृपा शंकर तिवारी के घर के सामने हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय	21010.00

2	06-04-2018/अज्ञात	सभा बहादूर यादव के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य	21010.00
3	06-04-2018/अज्ञात	सभा बहादूर यादव के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य	13500.00
4	06-04-2018/अज्ञात	हरेन्द्र शर्मा के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर व्यय	21860.00
5	06-04-2018/अज्ञात	हरेन्द्र शर्मा के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर कार्य	14250.00
6	07-04-2018/अज्ञात	प्रेम कुमार यादव के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर कार्य	21860.00
7	08-04-2018/अज्ञात	प्रेम कुमार यादव के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर कार्य	14250.00
8	08-04-2018/अज्ञात	जूनियर हाईस्कूल में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	13500.00
9	08-04-2018/अज्ञात	जूनियर हाईस्कूल में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	22900.00
10	10-04-2018/अज्ञात	जूनियर हाईस्कूल में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	14500.00
11	11-04-2018/अज्ञात	दिलीप कुमार के घर से राघवेन्द्र कुमार के घर तक खडजा निर्माण पर व्यय	120120.00
12	16-04-2018/अज्ञात	दिलीप कुमार के घर से राघवेन्द्र कुमार के घर तक खडजा निर्माण पर व्यय	27300.00
13	23-04-2018/अज्ञात	दिलीप कुमार के घर से राघवेन्द्र कुमार के घर तक खडजा निर्माण पर व्यय	29100.00
14	23-04-2018/अज्ञात	राम अनिल यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर का कार्य	37400.00
15	24-04-2018/अज्ञात	हरिशंकर के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर का कार्य	37110.00
16	24-04-2018/अज्ञात	विनोद कुमार पटेल बसही चौराहा पर रिबोर कार्य पर व्यय	35510.00
17	24-04-2018/अज्ञात	यशोदा नन्द यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य	37110.00
18	25-04-2018/अज्ञात	सोमचन्द्र के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य	37110.00
19	25-04-2018/अज्ञात	राघवेन्द्र के खेत के कैशव के घर तक खडजा निर्माण	147420.00
20	26-04-2018/अज्ञात	बुजेश के सामने से सेपधी के घर तक खडजा कार्य	98280.00
21	27-04-2018/अज्ञात	रीता के घर के सामने से शिल्पी के खेत तक खडजा	147420.00
22	30-04-2018/अज्ञात	राघवेन्द्र के खेत के कैशव के घर तक खडजा व्यय	29100.00
		योग-	961620.00
कुल योग शब्दों में- नौ लाख इकसठ हजार छः सौ बीस मात्र			

व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 961620.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, बिल इनवाइस सप्लाई आदेश एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत बसही द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 961620.00 को गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अलका त्रिपाठी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र गौड से मय ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 961620.00

1

मूल आप0 संख्या:- 6

ग्राम पंचायत -कैथी विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-169 ग्राम पंचायत कैथी की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा कोश बही प्रथम के अनुसार व्यय का विवरण-

क्र0 सं0	दिनांक/चेक नं0	कार्य का विवरण	धनराशि (रु0)
1	01-04-2018/000092	पक्की नाली निर्माण का भुगतान	78000.00
2	26-04-2018/000047	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	97000.00
3	05-05-2018/000019	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	97000.00
4	22-05-2018/000060	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	97000.00
5	22-05-2018/000091	हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान	75900.00
6	22-05-2018/000123	प्राथमिक विद्यालय में इण्टरलाकिंग	23400.00
7	05-06-2018/000111	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी भरायी का भुगतान	200000.00
8	15-06-2018/000096	पक्की नाली निर्माण का भुगतान	97500.00
9	18-06-2018/000110	पक्की नाली निर्माण का भुगतान	93600.00
		योग-	859400.00
कुल योग शब्दों में- आठ लाख उनसठ हजार चार सौ मात्र			

व्यय की गयी कुल धनराशि रु0 859400.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, बिल इनवाइस सप्लाई आदेश एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा

पंचायतीराज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत कैथी द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 859400.00 को गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र प्रताप एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कान्त चन्दन से मय ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 859400.00

मूल आप० संख्या:- 6

ग्राम पंचायत -तरौलविकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-170 ग्राम पंचायत तरौल की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा कोश बही उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखा परीक्षा बैकस्टेटमेण्ट एवं कार्य विवरण पत्र के आधार पर की गयी है। कार्य विवरण पत्र के अनुसार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का स्थलीय विवरण	व्यय धनराशि (रु०)		योग
		सामग्री	मजदूरी	
1	गोकुल के घर से जीवन लाल पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग	325000.00	42000.00	367000.00
2	कुसुम देवी के घर से रामराज पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग	295000.00	38000.00	333000.00
3	आलमशाह के घर से जाबिर के घर तक पक्की नाली निर्माण	85000.00	20000.00	105000.00
4	जीवनलाल के घर से बैजनाथ के घर तक पक्की नाली निर्माण	50000.00	15000.00	65000.00
5	पूर्व मा० वि० रपुरकापुरा में 4 कमरे 1 बरामदा में फर्ष का निर्माण	132000.00	40000.00	172000.00
6	04 हैण्डपम्प रिबोर	60000.00	72000.00	132000.00
7	20 हैण्डपम्प मरम्मत	24577.00	12000.00	36577.00
8	नहर पुलिया से ठाकुर के घर तक खड़जा निर्माण	100000.00	12000.00	112000.00
9	पक्की सड़क से नीरज के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	206500.00	26600.00	233100.00
योग-		1278077.00	277600.00	1555677.00
कुल योग शब्दों में- पन्द्रह लाख पचपन हजार छः सौ सत्तहतर मात्र				

व्यय की कुल धनराशि में सामग्री पर व्यय रु० 1278077.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु० 277600.00 है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रामाणिक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार मजदूरी व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत तरौल द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु० 1555677.00 गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज सिंह से ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:- 1555677.00

मूल आप० संख्या:- 6

ग्राम पंचायत -कबराविकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-171 ग्राम पंचायत कबरा की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	कार्य का स्थलीय विवरण	व्यय धनराशि (रु०)		योग
		सामग्री	मजदूरी	
1	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय	64015.00	14875.00	78890.00
2	हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	77719.00	..	77719.00
3	खड़जा एवं नाली निर्माण पर व्यय	302494.00	151786.00	454280.00
4	इण्टरलाकिंग पर व्यय	...	...	...
5	प्रा० वि० एवं पू० मा० वि० में कायाकल्प पर व्यय	830613.00	120163.00	950776.00
योग-		1274841.00	286824.00	1561665.00
कुल योग शब्दों में- पन्द्रह लाख इकसठ हजार छः सौ पैसठ मात्र				

व्यय की कुल धनराशि में सामग्री पर व्यय रु० 1274841.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु० 286824.00 है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रामाणिक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार मजदूरी व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ० प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत कबरा द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु० 1561665.00 गबन निर्धारित किया

जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री लवकुश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय बहादुर यादव से ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:-1561665.00

मूल आप0 संख्या:- 6

ग्राम पंचायत – लिंगदहिया विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-172 ग्राम पंचायत लिंगदहिया की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	कार्य का स्थलीय विवरण	व्यय धनराशि (रु0)		योग
		सामग्री	मजदूरी	
1	हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय	169000.00	15000.00	184000.00
2	हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय	154500.00	78500.00..	233000.00
3	खड़जा एवं नाली निर्माण पर व्यय	184500.00	70525.00	255025.00
4	इण्टरलाकिंग पर व्यय	344000.00	51000.00	395000.00
5	प्रा0 वि0 एवं पू0 मा0 वि0 में कायाकल्प पर व्यय	55000.00	8500.00	63500.00
	योग-	907000.00	223525.00	1130525.00

कुल योग शब्दों में- ग्यारह लाख तीस हजार पाँच सौ पचीस मात्र

व्यय की कुल धनराशि में सामग्री पर व्यय रु0 907000.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु0 223525.00 है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रामाणिक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार मजदूरी व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत लिंगदहिया द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 1130525.00 गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री इम्तियाज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दरबारी लाल से ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:-1130525.00

मूल आप0 संख्या:- 6

ग्राम पंचायत -झीरीलच्छीपुर विकास खण्ड- करछना जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-173 ग्राम पंचायत झीरी लच्छीपुर की वर्ष 2018-2019 की लेखा परीक्षा कोश बही उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेण्ट एवं कार्य विवरण पत्र उपलब्ध कराया गया। कार्य विवरण पत्र के अनुसार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0 सं0	कार्य का स्थलीय विवरण	व्यय धनराशि (रु0)		योग
		सामग्री	मजदूरी	
1	22 हैण्डपम्प रिबोर	358000.00	298000.00	656000.00
2	65 हैण्डपम्प मरम्मत	115000.00	33000.00	148000.00
3	मुख्य सड़क से कमलनाथ के घर तक खड़जा मरम्मत	15000.00	5000.00	20000.00
4	श्याम बाबू के घर से श्याम नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग	32000.00	00.00	32000.000
5	प्रा0 वि0 झीरी लच्छीपुर में फर्ष निर्माण शौचालय मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर	175000.00	25000.00	200000.00
6	प्रा0 वि0 झीरी लच्छीपुर में फर्ष निर्माण बाऊझी बाल एवं इण्टरलाकिंग	195000.00	35000.00	230000.00
7	पूर्व मा0 वि0 झीरी लच्छीपुर में इण्टरलाकिंग कार्य	180000.00	26000.00	206000.00
8	पूर्व मा0 वि0 झीरी लच्छीपुर में फर्ष, शौचालय, बाऊझी बाल मरम्मत	198000.00	36000.00	234000.00
	योग-	1268000.00	458000.00	1726000.00

कुल योग शब्दों में- सत्रह लाख छब्बीस हजार मात्र

व्यय की कुल धनराशि में सामग्री पर व्यय रु0 1268000.00 एवं मजदूरी पर व्यय रु0 458000.00 है। लेखा परीक्षा में व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रामाणिक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार मजदूरी व्यय के सापेक्ष मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायतीराज विभाग उ0 प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त व लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 'क' में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत लिंगदहिया द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 1726000.00 गबन निर्धारित किया जाता है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पंकज सिंह से ब्याज सहित बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

धनराशि:-1726000.00

मूल आप0 संख्या:- 6

ग्राम पंचायत- छरिबना

विकाया खण्ड-

चाका

जनपद-

प्रयागराज

प्रस्तर 174

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 83000.00 व्यय दर्शित किया गया है परन्तु मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी की हैण्डपम्प खराब होने की रिपोर्ट नहीं लगी थी। स्थल की सूची, स्टाक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टाक रजिस्टर, एम.बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे। सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 83000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुधाकर मिश्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 25**प्रस्तर 175**

आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प रीबोर में कुल रु. 189600.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51/2017/2011/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैण्ड पम्प रीबोर की अलग-अलग वर्क आई.डी. जनरेट कर कार्य किया जाना था परन्तु ऐसा न कर एक ही वर्क आई.डी. में समस्त रीबोर का कार्य किया जाना दर्शाया गया है, एवं रीबोर से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्थल की सूची, स्टाक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टाक रजिस्टर, एम.बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे। सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ के साथ राजकीय क्षति पहुँचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 189600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुधाकर मिश्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 29**प्रस्तर 176**

अलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.09.2018 को रु. 105871.00 का आहरण चेक संख्या 285 के द्वारा किया गया है। परन्तु किस कार्य हेतु आहरण किया गया का उल्लेख कोश बही में नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुँचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं

8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि रु. 105871.00 (एक लाख पांच हजार आठ सौ इकहत्तर)की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सुधाकर मिश्र एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 30

ग्राम पंचायत— देवरी विकाया खण्ड— चाका जनपद—प्रयागराज
प्रस्तर 177 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया

क्र.सं.	दिनांक	भुगतान संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	03/04/2018	819341	5000	कैश विज्ञाल
2	09/04/2018	819345	5000	कैश विज्ञाल
3	09/04/2018	819343	5000	कैश विज्ञाल
4	09/04/2018	819344	5000	कैश विज्ञाल
5	17/04/2018	819346	5000	कैश विज्ञाल
6	17/04/2018	819347	5000	कैश विज्ञाल
7	24/04/2018	819350	5000	कैश विज्ञाल
8	24/04/2018	819351	5000	कैश विज्ञाल
9	02/05/2018	819354	70000	आशा सिंह
10	07/05/2018	819360	20000	कैश विज्ञाल
11	07/05/2018	819363	5000	कैश विज्ञाल
12	08/05/2018	819359	19357	कैश विज्ञाल
13	16/06/2018	819367	5000	ज्ञान सिंह पटेल
14	28/06/2018	819373	32805	सत्येन्द्र प्रताप
15	28/06/2018	819375	8000	सत्येन्द्र प्रताप
16	28/06/2018	819376	30000	ज्ञान सिंह पटेल
17	28/06/2018	819377	18750	ज्ञान सिंह पटेल
18	06/07/2018	819348	30000	आर कुमार
19	07/07/2018	819379	13600	ज्ञान सिंह पटेल
20	07/07/2018	819384	7600	ज्ञान सिंह पटेल
21	07/07/2018	819383	15300	ज्ञान सिंह पटेल
22	09/07/2018	819378	5200	राजेश कुमार
23	23/07/2018	819392	6900	ज्ञान सिंह पटेल
24	23/07/2018	819393	5100	ज्ञान सिंह पटेल
25	23/07/2018	819394	16000	ज्ञान सिंह पटेल
26	24/07/2018	819396	24500	ज्ञान सिंह पटेल
27	16/02/2019	819407	35000	राजेन्द्र
28	15/03/2019	154102	5000	कैश विज्ञाल
29	16/03/2019	32303	2000	कैश विज्ञाल
30	16/03/2019	154101	30500	राजेन्द्र
31	16/03/2019	32304	4900	कैश विज्ञाल
32	16/03/2019	32302	5000	कैश विज्ञाल
33	16/03/2019	32305	4900	कैश विज्ञाल
34	18/03/2019	32301	25000	ट्रांसफर
			485412	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही दिन में एक ही व्यक्ति के नाम से दो या दो से अधिक चेके सभी आदेशों नियमों का उल्लंघन करते हुए आहरित किए गए जो घोर अनियमितता का परिचायक है। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। इस प्रकार पूरे वर्ष भर धनराशि का अपहरण होता रहा परन्तु तत्कालीन उच्चाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया गया जब कि प्रत्येक माह /तीन माह में अनिवार्य रूप से रोकड़ बही एवं भुगतान का निरीक्षण उच्चाधिकारियों के द्वारा अपेक्षित है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 485412.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राकेश वाष्णीय एवं श्री रविशंकर पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या 31**

ग्राम पंचायत— धनुहा विकाया खण्ड— चाका जनपद— प्रयागराज

प्रस्तर —178 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके सं व्यय किया गया जिसका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

क्र.सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	15/6/2018	819316	60000	संजीव सिंह
2	22-6-2018	819322	5000	कैश विज्ञाल
3	26-6-2018	819317	5000	कैश विज्ञाल
4	26-6-2018	819320	21000	सरोज तिवारी
5	26-6-2018	819319	21000	सरोज तिवारी
6	28-6-2018	819323	5000	कैश विज्ञाल
7	28-6-2018	819321	5000	कैश विज्ञाल
8	9-7-018	819326	5000	कैश विज्ञाल
9	9-7-018	819329	5000	कैश विज्ञाल
10	23-7-018	819328	5000	कैश विज्ञाल
11	23-7-018	819329	5000	कैश विज्ञाल
12	24-7-018	285304	5000	कैश विज्ञाल
13	24-7-018	285307	5000	कैश विज्ञाल
14	30-7-018	285305	5000	कैश विज्ञाल
15	30-7-018	285312	10500	सरोज तिवारी
16	30-7-018	285321	5000	कैश विज्ञाल
17	30-7-018	285319	5000	कैश विज्ञाल
18	30-7-018	285323	5000	कैश विज्ञाल
19	30-7-018	285320	5000	कैश विज्ञाल
19	31-7-018	285334	5000	कैश विज्ञाल
21	1/8/2018	285349	5000	कैश विज्ञाल
22	1/8/2018	285345	5000	कैश विज्ञाल
23	1/8/2018	285347	5000	कैश विज्ञाल

24	1/8/2018	285344	5000	कैश विज्ञाल
25	1/8/2018	285325	5000	कैश विज्ञाल
26	1/8/2018	285340	5000	कैश विज्ञाल
27	1/8/2018	285348	5000	कैश विज्ञाल
28	1/8/2018	285338	5000	कैश विज्ञाल
29	1/8/2018	285329	5000	कैश विज्ञाल
30	1/8/2018	285327	5000	कैश विज्ञाल
31	1/8/2018	285341	5000	कैश विज्ञाल
32	2/8/2018	285316	5000	कैश विज्ञाल
33	2/8/2018	285315	5000	कैश विज्ञाल
34	2/8/2018	285350	5000	कैश विज्ञाल
35	2/8/2018	285337	5000	कैश विज्ञाल
36	2/8/2018	285333	5000	कैश विज्ञाल
37	2/8/2018	285332	5000	कैश विज्ञाल
38	6/8/2018	285356	5000	कैश विज्ञाल
39	7/8/2018	285355	5000	कैश विज्ञाल
40	7/8/2018	285317	5000	कैश विज्ञाल
41	13/8/2018	285318	5000	कैश विज्ञाल
42	13/8/2018	285342	5000	कैश विज्ञाल
43	20/8/2018	285308	5000	कैश विज्ञाल
44	23/8/2018	285363	5000	कैश विज्ञाल
45	23/8/2018	285365	5000	कैश विज्ञाल
46	23/8/2018	285366	5000	कैश विज्ञाल
47	23/8/2018	285361	5000	कैश विज्ञाल
48	23/8/2018	285367	5000	कैश विज्ञाल
49	28-8-2018	285374	5000	कैश विज्ञाल
50	28-8-2018	285373	5000	कैश विज्ञाल
51	28-8-2018	285372	5000	कैश विज्ञाल
52	28-8-2018	285371	5000	कैश विज्ञाल
53	29-8-2018	285370	5000	कैश विज्ञाल
54	29-8-2018	285368	5000	कैश विज्ञाल
55	31-8-2018	285357	5000	कैश विज्ञाल
56	14-9-2018	285377	10000	पुष्पराज सिंह
57	14-9-2018	285379	3000	पुष्पराज सिंह
58	20-9-2018	285378	5000	कैश विज्ञाल
59	29-9-2018	285380	5000	कैश विज्ञाल
60	29-9-2018	285394	5000	कैश विज्ञाल
61	29-9-2018	285396	7000	पंकज प्रताप सिंह
62	1/10/2018	285392	5000	कैश विज्ञाल
63	4/10/2018	285395	5000	कैश विज्ञाल
64	17-10-2018	690803	10000	पंकज प्रताप सिंह
65	17-10-2018	690800	5000	कैश विज्ञाल
66	17-10-2018	690802	5000	कैश विज्ञाल
67	18-10-2018	690797	49800	वारिस
68	18-10-2018	690795	50200	वारिस
69	20-10-2018	690799	25000	पुष्पराज सिंह
70	20-10-2018	690801	5000	पुष्पराज सिंह
71	1/11/2018	69805	5000	कैश विज्ञाल
72	2/11/2018	690814	5000	कैश विज्ञाल
73	2/11/2018	690813	5000	कैश विज्ञाल

74	2/11/2018	690817	5000	कैश विज्ञाल
75	2/11/2018	690815	5000	कैश विज्ञाल
76	3/11/2018	690816	5000	कैश विज्ञाल
77	3/11/2018	690804	5000	कैश विज्ञाल
78	13/11/2018	690823	5000	कैश विज्ञाल
79	13/11/2018	690821	5000	कैश विज्ञाल
80	14/11/2018	690826	5000	कैश विज्ञाल
81	14/11/2018	690831	5000	कैश विज्ञाल
82	14/11/2018	690825	5000	कैश विज्ञाल
83	14/11/2018	690822	5000	कैश विज्ञाल
84	14/11/2018	690824	5000	कैश विज्ञाल
85	17/11/2018	690827	49500	वारिस अली
86	28/11/2018	690837	3000	कैश विज्ञाल
87	28/11/2018	690836	5000	कैश विज्ञाल
88	7/12/2018	690839	8000	पंकज प्रताप सिंह
89	10/12/2018	690838	4000	कैश विज्ञाल
90	23-01-2019	690845	10000	धर्मेन्द्र कुमार सिंह
91	23-01-2019	690847	5000	धर्मेन्द्र कुमार सिंह
92	6/2/2019	690861	18900	सरोज तिवारी
93	6/2/2019	690862	14000	पुष्पराज सिंह
94	6/2/2019	690859	12500	पुष्पराज सिंह
			762400	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, एवं एक ही दिवस में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक चेंकों का भुगतान किया गया जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी. डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी. टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 762400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज तिवारी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती रुबी सिंह एवं श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या-28**

ग्राम पंचायत- हथिगन विकाया खण्ड-चाका जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर179 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से अनधिकृत आहरण की गयी है, एवं आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके सं व्यय किया गया जिसेका व्यय सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया -

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
	12/9/2018	370896	9387.00	श्री/ श्रीमती प्रीति
	12/9/2018	370900	20176.00	प्रीति
	12/9/2018	370902	18800.00	प्रीति
	12/9/2018	370897	149000.00	प्रीति
	14-9-2018	370901	40000.00	देवमती
	27-9-2018	370904	20000.00	पुष्पराज सिंह

	11/10/2018	370908	25000.00	देवमती
	17-10-2018	370912	20000.00	प्रीति
	17-10-2018	370915	28000.00	प्रीति
	17-10-2018	370906	35000.00	प्रीति
	18-10-2018	370913	15000.00	देवमती
	18-10-2018	370914	20000.00	देवमती
	23-10-2018	370916	71500.00	अशोक कुमार विश्वकर्मा
	25-10-2018	370911	52800.00	परी
	16-11-2018	370918	40000.00	प्रीति
	21-11-2018	370926	20000.00	अली
	24-11-2018	370923	18000.00	देवमती
	30-11-2018	370930	15000.00	प्रीति
	30-11-2018	370929	22000.00	प्रीति
	30-11-2018	370928	20000.00	प्रीति
	30-11-2018	370931	8700.00	प्रीति
	1/12/2018	370927	10500.00	देवमती
	1/12/2018	370932	7300.00	देवमती
	12/12/2018	370938	35000.00	देवमती
	12/12/2018	370939	5000.00	देवमती
	14-12-2018	263440	9000.00	प्रीति
	14-12-2018	263437	15000.00	प्रीति
	14-12-2018	263439	23000.00	प्रीति
	14-12-2018	263432	18000.00	प्रीति
	14-12-2018	263434	5000.00	प्रीति
	10/1/2019	263445	15000.00	प्रीति
	11/1/2019	263441	13000.00	प्रीति
	8/2/2019	326346	30000.00	प्रीति
	12/2/2019	263447	20000.00	प्रीति
			874163.00	

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। सभी भुगतान वियरर चेक के द्वारा किया गया है, एवं एक ही दिवस में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक चेंकों का भुगतान किया गया जो कि नियम विरुद्ध है, चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुंचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 874163.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीति एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कमल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या-28

ग्रामपंचायत-

महुआरी

विकाया खण्ड-

चाका

जनपद-

प्रयागराज

प्रस्तर 180

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में बेकस्टेट/पासबुक के अनुसार कुल रु. 2455817.50 का व्यय किया गया है परन्तु उक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 2455817.50 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री राकेश वार्ष्णेय से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या – 15**

ग्राम पंचायत— संड़वाकला विकाया खण्ड—चाका जनपद— प्रयागराज
प्रस्तर.181 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशियां बैंक से आहरण की गयी है परन्तु आहरण के सापेक्ष व्यय न कर अनियमित तरीके से नियमों का उल्लंघन कर धनराशियों का व्यय किया गया —

क्र. सं.	दिनांक	चेक संख्या	आहरित धनराशि	आहरण कर्ता का नाम
1	15-4-2018	726910	50000	अज्ञात
2	"	726917	100000	"
3	"	726920	50000	"
4	25-4-2018	726921	50000	"
5	"	726919	50000	"
6	24-9-2018	726937	5000	"
7	25-9-2018	726933	28000	"
8	"	726934	39000	"
9	26-12-2018	726945	5000	"
10	"	726945	5000	"

382000

अलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि 360 नं. तालाब खुदायी हेतु रु. 382000.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष किसी प्रकार के मजदूरी के भुगतान का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं भुगतान वित्तीय वर्ष में अनियमित रूप से होता रहा जिस कारण से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तालाब खुदायी का आदेश एवं कार्य पत्रावली उच्चाधिकारियों का आदेश अप्राप्त रहा, उक्त कार्य मनरेगा से कराया जाना था परन्तु राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के व्यय की गाइड लाइन के विपरीत भुगतान किया गया एवं फर्जी किया गया क्योंकि भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित, मस्टररोल, एम.बी., परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। धनराशि रु. 382000.00 (तीन लाख बयासी हजार) की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री प्रेम शंकर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री श्यामलाल तिवारी से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या –29

ग्राम पंचायत— तिलखवार विकास खण्ड—चाका जनपद— प्रयागराज
प्रस्तर—182 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत पर रु. 139500.00 व्यय दर्शित किया गया है परन्तु मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी की हैण्डपम्प खराब होने की रिपोर्ट नहीं लगी थी। स्थल की सूची, स्टाक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टाक रजिस्टर, एम. बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे। सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की

जा सकी । पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि रु. 139500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 28

प्रस्तर183 आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प रीबोर में कुल रु. 745000.00 का व्यय किया गया है। पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51/2017/2011/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैण्ड पम्प रीबोर की अलग-अलग वर्क आई.डी. जनरेट कर कार्य किया जाना था परन्तु ऐसा न कर एक ही वर्क आई.डी. में समस्त रीबोर का कार्य किया जाना दर्शाया गया है, एवं रीबोर से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी स्थल की सूची, स्टाक रजिस्टर, विल/बाउचर, डेड स्टाक रजिस्टर, एम.बी. मस्टररोल, ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, तथा हैण्ड पम्प लाभार्थियों द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना या उनके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, उक्त सूचनाओं के अभाव में यह जांच न की जा सकी कि कौन-कौन से हैण्ड पम्प खराब थे । सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । चेको को रेखांकित / एकाउन्ट पेयी कर भुगतान किया जाना था परन्तु ऐसा न कर अनियमितता की गयी, टी. डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ के साथ राजकीय क्षति पहुँचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि रु. 745000.00(सात लाख पैंतालीस हजार)की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है। **मूल आपत्ति संख्या – 29**

प्रस्तर184 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु रु.46000.00 का व्यय किया गया है जिसके सापेक्ष किसी प्रकार के मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। आंगन बाड़ी का निर्माण का आदेश एवं कार्य पत्रावली उच्चाधिकारियों का आदेश अप्राप्त रहा, उक्त भुगतान राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के व्यय की गाइड लाइन के विपरीत किया गया एवं फर्जी किया गया क्यों कि भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल बाउचर, मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान एवं व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी । टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त एजेन्सी को अनुचित लाभ पहुँचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुँचायी गयी। पंचायत राज नियमावली /अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । धनराशि रु. 46000.00(छियालीस हजार) (एक लाख पांच हजार आठ सौ इकहत्तर)की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 30

प्रस्तर185 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रधान के मानदेया के रूप में कुल रु. 840000.00 का व्यय किया गया है यह भुगतान कब से कब तक का किया गया है का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जब कि नियमानुसार एक वर्ष में अधिकतम मानदेय रु. 42000.00 का ही देय होता है। अतः रु. 42000.00 के अधिक का भुगतान कर धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत राज नियमावली /अधिनियम के नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

मूल आपत्ति संख्या – 31

ग्राम पंचायत – घोरहा

विकास खण्ड – मेजा

जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर-186 आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर निम्न विवरण के अनुसार व्यय किये गये हैं।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
04.07.2018	560163	10080.00	राम सिंह के घर के सामने हैण्ड पम्प के रिबोर पर सामग्री भुगतान
04.07.2018	560164	7775.00	मजदूरी का भुगतान रामबरन को।
12.07.2018	560160	35795.00	एम0आर0 इण्टर प्राइजेज राम सिंह यादव के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर सामग्री का भुगतान।
12.7.2018	560161	4704.00	तदैव
योग-		58354.00	

उक्त लेखा परीक्षा में उक्त व्यय रूपया 58354.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मस्टररोल हैण्डपम्प रिबोर हेतु सक्षम तकनीकी समिति की प्राथमिक की सूची रिबोर की आवश्यकता का प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति पंजी जनप्रबंधन समिति का प्रस्ताव मांग पत्र डिस्पोजल सामग्री पंजी हैण्डपम्प में प्रयुक्त होने वाली आंगणन शीट एसेसमेंट आदि अप्रस्तुत रहें।

अतः उक्त दूर्विनियोग की धनराशि रु0 58354.00 प्रधान रामबरन एवं श्री सुधीर जयशेखर ग्रा0प0अ0 से बराबर बराबर भाग में वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 14)

ग्राम पंचायत – सिरहिर विकास खण्ड – मेजा जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर-187 दिनांक 26-06-2018 को रु0 55000.00 (चेक संख्या 577178) ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय को मानदेय भुगतान माह- अप्रैल 2017 से सितम्बर 2018 तक किया जाना दर्शित है, अप्रैल 2018 में ही सितम्बर 2018 तक आगामी छः माह का भुगतान कर दिया गया है, दिनांक 27-03-2019 को चेक संख्या 867 से रु0 28000 मानदेय भुगतान किया गया है इस प्रकार कुल 83000.00 मानदेय दो किस्तों में किया गया है, नियमतः छः माह से अधिक का भुगतान नियमानुसार उचित कारण बताकर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा सक्षम अधिकारी से मानदेय पंजी संत्यापन करवा कर ही प्राप्त किया जाना चाहिए, लेखा परीक्षा में अप्रैल 2017 से मानदेय लिये जाने की पुष्टि हेतु मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं रही।

अतः उक्त रु0 83000.00 के अपहरण की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, और ग्राम पंचायत अधिकारी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -188 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत सिरहिर में हैण्डपम्प रिबोर पर निम्न विवरण अनुसार व्यय हुआ।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
03.07.2018	577181	42900.00	कोईली बस्ती में मेसर्स शरद कुमार पाण्डेय, सोसाइटी कय हैण्डपम्प रिबोर
03.07.2018	570179	86350.00	कोईली बस्ती में मेसर्स शरद कुमार पाण्डेय, सोसाइटी कय हैण्डपम्प रिबोर
03.07.2018	577180	46200.00	कोईली बस्ती में मेसर्स शरद कुमार पाण्डेय, सोसाइटी कय हैण्डपम्प रिबोर
17.07.2018	577183	57200.00	यादवबस्ती/एल0पी0एस0 टेडर्स
17.07.2018	577184	16172.00	यादवबस्ती/एल0पी0एस0 टेडर्स
20.07.2018	577186	15120.00	यादवबस्ती/एल0पी0एस0 टेडर्स
20.07.2018	577187	15120.00	यादवबस्ती/एल0पी0एस0 टेडर्स
20.07.2018	577188	15120.00	यादवबस्ती/एल0पी0एस0 टेडर्स
योग :-		298292.00	

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय रूपया 298292.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मास्टर रोल हैण्ड पम्प रिबोर सक्षम तकनीकी समिति की प्राथमिकता की सूची रिबोर की आवश्यकता का प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति पंजी जल प्रबंध

समिति का प्रस्ताव मां पत्र डिस्पोजल पंजी हैण्डपम्प में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का आगणन शीट एसेसमेन्ट आदि अर्पित रहे।

अतः उक्त दुर्विनियोग की धनराशि रु0 298292.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, व ग्राम वि0 अधिकारी श्री रविकान्त शुक्ल, से बराबर-2 मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत — हरगढ़ विकास खण्ड — मेजा जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर-189 आलोच्य वर्ष दिनांक 14.09.2018 को शीरडी साई इण्टर प्राइजेज को चेक संख्या 179 से रु0 198000.00 का भुगतान 09 नग सोलर लाइट स्थापना के लिए भुगतान किया गया है। उक्त के कम में शासनादेश संख्या 977/451/वि00/असो/वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। और न ही वर्ष भर रु0 100000.00 से अधिक मूल्य के सोलर लाइट के क्रय एवं मरम्मत हेतु टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं। सोलर लाइट यू0पी0नेडा से ही क्रय किया जाना था, जिसे अनदेखा कर मनमर्जी की फर्म से सोलर लाइट क्रय कर भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया है। उक्त धनराशि रु0 198000.00 के व्यय के सापेक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्ययोजना ग्राम पंचायत की रोड मैप स्थापना स्थलों की फोटो युक्त विवरण सूची तथा परिसम्पत्ति पंजी लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणकों में साथ प्रस्तुत नहीं रही। अतः उक्त धनराशि की दुर्विनियोग मानकर ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीरामनाथ और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर जय शेखर से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या 08)

प्रस्तर 190—आलोच्य वर्ष दिनांक 16-07-2018 को चेक संख्या 171 द्वारा ओम इण्टर प्राइजेज को ह्यूम पाइप क्रय हेतु रु0 57810.00 तथा चेक संख्या 172 से रु0 4250.00 मजदूरी का भुगतान प्रधान श्री राजनाथ को दिया गया है। लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप लगाने की कार्य योजना मात्रा विवरण व्यय प्रमाणक मस्टर रोल परिसम्पत्ति पंजी में प्रस्तुत नहीं रही।

अतः उक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनाथ एवं ग्रा0प0अ0 श्री सुधीर जय शेखर से बराबर-2 मात्रा में किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 16)

ग्राम पंचायत — ढेरहन विकास खण्ड — मेजा जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर-191 आलोच्य वर्ष दिनांक 21-08-2018 को चेक संख्या 985144 द्वारा रु0 179197.00 तथा दिनांक 23.08.2018 को रु0 44800.00 का भुगतान कुसुम देवी इण्टर प्राइजेज को 50 नग स्टीट लाइट 36 वाट हेतु रु0 4500.00 प्रतिनग की दर से किया गया है। कुल रु0 223997.00 ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु स्टीट लाइट पर व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत की रोड मैप व्यवस्था वित्त संयोजन हेतु वित्त विभाग से करार पत्र कार्यवाही पंजी सम्बन्धित स्थलों की फोटो युक्त विवरण सूची परिसम्पत्ति पंजी, व्यय प्रमाणक, प्रस्तुत नहीं रही। अतः उक्त व्यय रु0 223997.00 को दुर्विनियोग मानते हुये, धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह तथा श्री सुधीर जय शेखर से बराबर-2 भागों में किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या 08)

ग्राम पंचायत — पिपरांव विकास खण्ड — मेजा जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर- 192 आलोच्य वर्ष दिनांक 14.08.2018 को चेक संख्या 391 से बघेल इण्टर प्राइजेज को रु0 73500.00 ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु तीन नग सोलर लाइट क्रय का भुगतान दर्शाया गया है। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 997/45/बि/अ0सो0/बि 2017/दिनांक 29.08.2017 के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सोलर लाइट क्रय यू0पी0 नेडा से ही की जानी थी। उक्त व्यय के सापेक्ष प्रकाश व्यवस्था कार्ययोजना ग्राम पंचायतों की रोड मैप, स्थापना स्थलों की फोटो युक्त विवरण सूची, परिसम्पत्ति पंजी तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अर्पित रहे। अतः उक्त व्यय का दुर्विनियोग मानते हुये रु0 73500.00 की वसूली ग्रा0 प्रधान एवं ग्राम वि0 अधिकारी से की जानी अपेक्षित रही। ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल कुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज से बराबर बराबर भाग में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या 5-09)**

प्रस्तर-193 आलोच्य वर्ष चेक संख्या 282 (15100.00) चेक संख्या 281 रु0 (15100.00) चेक संख्या 284 रु0 (4900.00) चेक संख्या 282 (4900.00) चेक संख्या 255 रु0 (14000.00) तथा चेक संख्या (28000.00) सिग्नेचर में अन्तर होने के कारण बाउन्स हुये हैं। जिससे रु0 1770 बैंक द्वारा ग्राम निधि खाते से काट लिया गया है। अतः उक्त रु0 1770.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौशलकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मनोज केसरी से की जानी अपेक्षित रही। साथ ही भविष्य में तकनीकी त्रुटियों को न किये जाने का सुझाव दिया जाता है। **(मूल आपत्ति संख्या 15)**

ग्राम पंचायत — पथरा विकास खण्ड — मेजा जनपद — प्रयागराज

प्रस्तर-194 आलोच्य वर्ष दिनांक 15.09.2018 को रू0 64540.00 को तथा रू0 54577.00 का भुगतान दिनांक 01.01.2019 चेक संख्या 506 कमशः ओम प्रकाश इण्टर प्राइजेज तथा एल0 पी0एस0 ट्रेडर्स का ह्यूम कय हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप लगाने की कार्य योजना मात्रा तथा विवरण व्यय प्रमाणक मास्टर रोल परिसम्पत्ति पंजी आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यदि ह्यूम पाइल दुरुपयोग हुआ तो किस मात्रा में कहां प्रयोग हुआ और कितना शेष बचा जानकारी नहीं मिल सकी।

अतः उक्त धनराशि की फर्जी व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान सुचिता और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बृजेश कुमार एवं श्री रविकान्त शुक्ला से की जानी अपेक्षित रही।

(मूल आपत्ति संख्या 13)

ग्राम पंचायत – पटेहरा विकास खण्ड – मेजा

जनपद – प्रयागराज

प्रस्तर-195 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत पटेहरा में निम्न लिखित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	विवरण
06.12.2018	165	96844.00	तौलन राम के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर व्यय एल0पी0एस0 ट्रेडर्स भुगतान
06.12.2018	211	91850.00	भाई लाल पुत्र सत्यदेव के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर एल0पी0एस0 ट्रेडर्स भुगतान
योग		188694.00	

लेखा परीक्षा में उक्त व्यय रू0 188694.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक मास्टर रोल, हैण्ड पम्प रिबोर हेतु, समक्षम तकनीकी समिति की प्राथमिकता सूची रिबोर की आवश्यकता का प्रमाण पत्र परिसम्पत्ति पंजी, जल प्रबंध समिति का प्रस्ताव मांग पत्र डिस्पोजल सामग्री की पंजी हैण्ड पम्प में प्रयुक्त होने वाली का आगणन शीट एसेसमेंट आदि प्रस्तुत रही, अतः उक्त दुर्विनियोग की धनराशि रू0 188694.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सीताराम ग्राम पं अधिकारी श्री रविकान्त शुक्ला से आधा-2 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या)

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

जनपद मुजफ्फरनगर

सम्भाग – सहारनपुर।

ग्राम पंचायत रसूलपुर जाटान वर्ष 17-18 विकास खण्ड शाहपुर

प्रस्तर-1. कोशबही अनुसार रू0 247205.00 का निम्नांकित तिथियों में हैण्डपम्प सामग्री क्रय/रिबोर करायी के भुगतान की पुष्टि में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, कार्य का पूर्व आकलन, तकनीकी रिपोर्ट, सामग्री क्रय की पुष्टि में स्टाक पंजिका, दरो की पुष्टि हेतु टेन्डर, हैण्ड पम्प कि-किन स्थानों के रिबोर कराये गये हैं तथा हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित स्थानीय रिपोर्ट, पुराने पार्ट की पुष्टि में स्क्रेप रजिस्टर पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। इस प्रकार उचित पुष्टि एवं बिना स्वीकृति के भुगतान कर गम्भीर अनियमितता की गयी है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

तिथि	चैक सं0	राशि	विवरण
17.07.2017	966964	30500 / -	हैण्डपम्प सामग्री
18.07.2017	966967	38400 / -	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
19.07.2017	966965	93456 / -	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी
20.07.2017	344975	41075 / -	हैण्डपम्प रिबोर भुगतान
20.07.2017	344974	1681 / -	मजदूरी भुगतान
02.02.2018	344993	19886 / -	हैण्डपम्प रिबोर
02.02.2018	344994	22207 / -	सामग्री क्रय

247205 / -

प्रस्तर-2. कोशबही के अनुसार रू0 72535 / - निम्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट हेतु सामग्री क्रय एवं एल0ई0डी0 खरीद के भुगतान में निम्न तथ्य अस्पष्ट रहे। ग्राम प्रधान द्वारा बिजली कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं। गाँव में कुल कितने खम्बे हैं? भुगतान में जी0एस0टी0 भुगतान किया गया अथवा नहीं? उक्त की जांच में आपत्ति निम्न रही। स्ट्रीट लाईट एवं एल0ई0डी0 क्रय की पुष्टि में कोटेशन एवं उपयोग तथा अवशेष की पुष्टि में स्टाक पंजिका अप्राप्त रही। क्रय एल0ई0डी0 ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर लगायी गयी? किन-किन लाईटों की मरम्मत करायी गयी? पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्यपूर्ति मास्टर रोल, बिल आदि अप्राप्त रहे। कार्य जिसके संरक्षण में कराया गया। कार्य पूर्ण तथा पुराने बदले गये पार्ट की पुष्टि में स्क्रेप पंजिका

अनुपलब्ध रही। अतः उचित पुष्टि एवं स्वीकृति के बिना कार्य किया गया। कार्य पर व्यय अनियमितता एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। अतः रुपये 72535/- की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

तिथि	चैक सं0/विवरण	राशि	अभियुक्ति
23.10.2017	344978	अग्रवाल इलैक्ट्रिकल्स	9345/- सामग्री क्रय
23.10.2017	344979	अग्रवाल इलैक्ट्रिकल्स	33820/- एल0ई0डी0 खरीद
24.10.2017	344980	मोनू को भुगतान	8280/- मजदूरी भुगतान
25.10.2017	344977	कोनार्क को भुगतान	21090/- एल0ई0डी0 लगायी मजदूरी
			<u>72535/-</u>

प्रस्तर-3. कोशबही अनुसार रू0 193342/- का निम्न तिथियों में सी0सी0रोड/मजदूरी/मैटरियल क्रय पर अनियमित व्यय किया गया है। उक्त कार्य कराये जाने से पूर्व स्वीकृति, कार्य की माप, दरो की पुष्टि में कोटेशन अनुपलब्ध रहे। कार्य पूर्णतया: की स्थिति, स्वीकृत कार्यपूर्ति, सामग्री उपयोग एवं अवशेष की पुष्टि हेतु पंजिका अनुपलब्ध रही। अतः बिना उचित पुष्टि एवं स्वीकृति के कराये गये कार्य पर होने वाला व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शाहजुडडी वर्ष 17-18 विकास खण्ड-शाहपुर

प्रस्तर-4. कोशबही अनुसार रू0 27700/- का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत व सामान क्रय एवं मजदूरी भुगतान किया गया। दर्शाया गया उक्त व्यय राशि की जांच में निम्न आपत्तियां रही।

1. उक्त क्रय सामान की पुष्टि में कोटेशन एवं स्टाक उपयोग एवं अवशेष स्टाक की पुष्टि में स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहे।
2. मिस्त्री को किया गया भुगतान किन-किन हैण्डपम्पों की मरम्मत का किया गया पुष्टि हेतु हैण्डपम्प पंजिका अनुपलब्ध रही।

अतः उक्त दर्शित राशि रुपये 27700/- का व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-5. कोशबही अनुसार रू0 317100/- सोलर लाईट क्रय तथा मजदूरी पर व्यय दर्शित है। उक्त राशि व्यय पर निम्न आपत्तियां रही।

1. प्रधान द्वारा सोलर लाईट नेडा से क्रय नहीं की गयी जबकि पहली प्राथमिकता राजकीय विभाग ही होना चाहिये था।
2. प्रधान द्वारा राजकीय विभाग (नेडा) से न क्रय कर बाहरी दुकान से बिना टैन्डर के मनमाने ढंग एवं मनमानी दरो से खरीदारी की गयी। क्रय सोलर लाईट कितने वाट की क्रय गयी, अस्पष्ट रहा।
3. सोलर लाईटों के क्रय से पूर्व ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृत एवं दरो की पुष्टि में टैन्डर अप्राप्त रहे।
4. क्रय सोलर लाईट किन-किन स्थानों पर एवं कब लगवायी गयी? प्रयुक्त एवं अवशेष की पुष्टि में स्टाक अप्राप्त रहा।

अतः बिना उचित पुष्टि एवं स्वीकृति के व्यय धनराशि अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-6. दिनांक 02.01.2018 को चैक सं0 184346 द्वारा नन्द सेवा समिति को रू0 30890/- का भुगतान वाल पेन्टिंग करायी एवं नारे लिखवायी के लिये किया गया। उक्त कार्य की माप, कार्य दर/प्रतिवर्ग फुट अथवा वर्ग मीटर क्या रही पुष्टि नहीं करायी गयी? कार्य किन-किन तिथियों में एवं किसकी देखरेख में किया गया स्वीकृत कार्यपूर्ति अनुपलब्ध रही। अतः बिना उचित पुष्टि के उक्त कार्य पर किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-7. कोशबही अनुसार दिनांक 06.04.2017 को चैक सं0 184317 से अंकन रू0 9100/- का भुगतान 10 कुर्सी एवं 1 मेज में क्रय पर व्यय किया गया दर्शित है। उक्त राशि सीधे फर्म को न करके चैक की राशि प्रधान द्वारा बैंक से आहित कर भुगतान की गयी है। उचित पुष्टि हेतु स्टाक पंजिका अनुपलब्ध रही। बिना पुष्टि के उक्त खरीद पर किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-शकरपुर वर्ष 17-18 विकास खण्ड-पुरकाजी

प्रस्तर-8. वर्ष 2017-18 की कोशबही अनुसार रू0 137897/- का विभिन्न तिथियों में वाल पेन्टिंग मद में भुगतान दर्शित है। उक्त की जांच में आपत्ति निम्न रही।

1. वाल पेन्टिंग कार्य से पूर्व व्ययों का आंकलन एवं दरो की पुष्टि, पुष्टि हेतु दिये गये टेण्डर की पुष्टि नहीं करायी गयी।

2. कार्य से पूर्व स्थान की माप सम्बन्धी विवरण पत्र लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
3. कार्य किन-किन तिथियों में तथा और कहां-कहां कराया गया। स्वीकृति कार्यपूर्ति अनुपलब्ध रही।

अतः उचित पुष्टि/स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय गम्भीर अनियमितता एवं आपत्तिजनक है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-9. कोशबही के अनुसार रु0 156698/- का विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर करायी का व्यय दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां रही।

1. हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृति, व्ययों का पूर्ण आंकलन एवं विभागीय स्तर से तकनीकी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुयी।
2. हैण्ड पम्प रिबोर से पूर्व हैण्डपम्प खराबी की स्थानीय रिपोर्ट कार्य की दरो की पुष्टि में उचित कोटेशन प्राप्त किये जाने की पुष्टि नहीं करयी गयी।
3. कार्य किन-किन तिथियों में हुआ, किसकी देख-रेख में सम्पन्न किया गया। उक्त की स्वीकृति कार्यपूर्ति अनुपलब्ध रही।

अतः उचित पुष्टि एवं स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय गम्भीर अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-10. आलोच्य वर्ष में कोशबही अनुसार दिनांक 17.01.2018 को रामा ट्रेडर्स को बैंच लगवायी का भुगतान रु0 112950/- किया गया। जिसकी जांच में आपत्तियां निम्न प्रकार रही।

1. उक्त कार्य की ग्राम सभा की बैठक में ली गयी स्वीकृति, कार्य से पूर्ण व्यय का आंकलन, तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. कार्य की दरो की पुष्टि उचित टैन्डर एवं स्वीकृत कार्यपूर्ति पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रही।

अतः बिना पूर्व स्वीकृति एवं बिना टैन्डर के किया गया भुगतान अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-11. आलोच्य वर्ष की कोशबही अनुसार दिनांक 03.08.2017 को कय्यूम मिस्त्री को हैण्ड पम्प ठीक करायी बिल का भुगतान रु0 31200/- चैक सं0 441066 द्वारा किया गया। पुष्टि में किन-किन हैण्ड पम्पों की खराबी की मरम्मत करायी से सम्बन्धित है तथा क्या-क्या खराबी रही। उक्त की स्थानीय रिपोर्ट ली गयी अथवा नहीं। पुष्टि नहीं करायी गयी, जिसके अभाव में उक्त हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के किन-किन हैण्डपम्पों से सम्बन्धित है, उचित पुष्टि के बिना किया गया भुगतान अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-धमात वर्ष 2017-18 विकास खण्ड-पुरकाजी।

प्रस्तर-12. कोशबही अनुसार दिनांक 31.07.2017 को चैक सं0 697133 द्वारा अंकन रु0 217140/- का भुगतान साइन एन्टरप्राइजेज को एल0ई0डी0 लाईट क्रय की मद का किया गया। जिसकी जांच में निम्न आपत्ति रही।

1. एल0ई0डी0 लाईट क्रय से पूर्व ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृत एवं दरो की उचित पुष्टि हेतु ली गई टैन्डर आदि अनुपलब्ध रहे।
2. क्रय एल0ई0डी0 लाईट ग्राम पंचायत में किन-किन स्थानों पर लगायी गयी, कितनी लाईट अवशेष रही, स्टॉक पंजिका जांच हेतु अनुपलब्ध रही।
3. एल0ई0डी0 लाईट किन-किन तिथियों में लगायी गयी पुष्टि में मस्टर रोल, मजदूरी, बिल अनुपलब्ध रहे।

अतः उक्त एल0ई0डी0लाईट पर किया गया व्यय अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-13. कोशबही अनुसार दिनांक 25.01.2018 को शिव कान्द्रेक्टर, मुजफ्फरनगर को अंकन रु0 70000/- भुगतान हैण्डपम्प रिबोर करायी का दिया जाना दर्शाया गया है। जिसमें आपत्ति निम्न प्रकार रही।

1. हैण्डपम्प रिबोर कराने से पूर्व कार्य की स्वीकृति, व्यय का पूर्व आंकलन एवं तकनीकी रिपोर्ट आदि पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. ग्राम पंचायत में किस-किस स्थान के हैण्डपम्प रिबोर कराये गये, स्थानीय रिपोर्ट एवं कार्य अवधि तथा कार्यपूर्ति की पुष्टि नहीं करायी गयी।
3. कार्य की दरो से सम्बन्धित कोटेशन आदि उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः उक्त हैण्डपम्प रिबोर करायी पर किया गया व्यय अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-14. आलोच्य वर्ष में कन्या जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशाला में वाल पेन्टिंग करायी का भुगतान रु0 142468/- हरी कान्ट्रेक्टर को किया गया। जिसमें निम्न आपत्तियां पायी गयी।

1. कार्य की दरो के लिये गये टैन्डर, वाल पेन्टिंग एरिया की माप एवं प्रति वर्ग मीटर/प्रतिफुट की दर तथा कार्य अवधि की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः बिना पुष्टि के कराया गया वाल पेन्टिंग का कार्य अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-15. कोशबही के अनुसार दिनांक 30.01.2018 को चैक सं0 697142 द्वारा रु0 75300/- का भुगतान रामा ट्रेडर्स को बैंच बनवायी के लिये किया गया। जिसमें निम्न आपत्तियां रही।

1. उक्त कार्य से पूर्व ली गयी स्वीकृति, व्यय का पूर्व आंकलन, दरो की पुष्टि हेतु लिये गये टैन्डर आदि की पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. विभागीय निर्देशानुसार सीमेन्टिड बैंच पंचायत उोग के माध्यम से ही क्रय किये जाने के निर्देश है। प्राइवेट फर्म से क्रय करके निर्देशों/आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
3. क्रय की गयी सीमेन्ट की बैंच कितनी थी? कहाँ-कहाँ लगायी गयी? स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। जिस कारण बैंच क्रय की पुष्टि नहीं होती।

अतः बैंच क्रय पर किया गया भुगतान बिना पुष्टि के अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-बरला वर्ष 2017-18 विकास खण्ड-पुरकाजी।

प्रस्तर-16. आलोच्य वर्ष की कोशबही अनुसार कीटनाशक दवाईयों के छिडकाव एवं खरीद पर रु0 43056/- व्यय किया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियां रही है।

1. उक्त कार्य कराने से पूर्व कार्य योजना, कार्य की पूर्व स्वीकृति, कार्य का तकनीकी आंकलन एवं उचित दरो की पुष्टि में कोटेशन अप्राप्त रहे।
2. कीटनाशक क्रय हेतु राजकीय औषधि विभाग से खरीद एवं क्रय पुष्टि नहीं करायी गयी। उक्त दवाईयो का छिडकाव कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर कराया गया पुष्टि नहीं करायी गयी?
3. पानी के टैंकर का भुगतान गुलशेर को रु0 18000/- एवं मजदूरी भुगतान रु0 3600/- कुल रुपये 21600/- का भुगतान कोशबही में दर्षित है। जबकि उक्त राशि रु0 21600/- बैंक से श्री संजीव कुमार द्वारा आहरण किया गया है।

अतः बिना उचित पुष्टि/स्वीकृति के किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17. कोशबही अनुसार निम्न तिथियों में फर्नीचर क्रय एवं बैंच क्रय का भुगतान रु0 693537/- दर्षित है। जिसमें निम्न आपत्तियां रही।

1. फर्नीचर क्रय से पूर्व कार्य की स्वीकृति एवं दरो की पुष्टि में टैन्डर लिये जाने की पुष्टि नहीं होती।
2. यदि विालय में फर्नीचर नहीं था तो प्रधानाचार्य द्वारा अपने-अपने विालय का मांग पत्र प्रधान को दिया गया, फर्नीचर प्राप्त होने का प्रमाण पत्र (फर्नीचर की संख्या सहित) लिया गया अपुष्ट रहा। अंकन रु0 693537/- का फर्नीचर खरीदने से पूर्व कम से कम 03 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिये था। जो कि नहीं दिया गया तथा प्राप्त टैन्डरों के आधार पर न्यूनतम टैन्डर वाली फर्म से फर्नीचर क्रय करना चाहिये था।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपनी मर्जी के अनुसार अनियमित रूप से खरीदारी की गयी है। जिसके लिये प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-18. कोशबही अनुसार रु0 363450/- एल0ई0डी0 लाईट का भुगतान दर्षित है। जिसमें निम्न आपत्तियां है।

1. उक्त एल0ई0डी0 क्रय से पूर्व ग्राम सभा प्रस्ताव स्वीकृति दरो की पुष्टि हेतु उचित कोटेशन की पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. एल0ई0डी0 लाईटों के क्रय उपयोग एवं अवशेष की पुष्टि के स्टॉक पंजिका अनुपलब्ध रही।
3. एल0ई0डी0 लाईट ग्राम पंचायत क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर लगायी गयी, किसकी देखरेख में कार्य कराया गया, स्वीकृत कार्य पूर्ति अनुपलब्ध रही।

अतः उचित पुष्टि एवं स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-19. आलोच्य वर्ष में कोशबही अनुसार सांई कारपोरेशन, मैसर्स ए0पी0डवलपर्स एवं मुबारक अली कान्द्रेक्टर को हैण्ड पम्पों की रिबोर करायी एवं सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान रु0 498549/- दर्शित है। जिसमें निम्न आपत्तियां रही।

1. उक्त हैण्ड पम्पों की खराबी एवं रिबोर कराये जाने की स्थिति एवं ग्राम पंचायत प्रस्ताव स्वीकृत, सर्वे रिपोर्ट एवं तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति की पुष्टि नहीं करायी गयी।
2. हैण्ड पम्प रिबोर कराने एवं सामान डलवायी आदि व्यय का पूर्व आंकलन एवं उचित दरो की पुष्टि में कोटेशन प्राप्त किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी।
3. मुबारक अली कान्द्रेक्टर द्वारा 5 हैण्ड पम्प रिबोर करायी एवं सामग्री डलवायी आदि का भुगतान एक ही तिथि में दर्शित है। पुष्टि नहीं होती की कार्य किस-किस तिथि को एवं किस अधिकारी की देख-रेख में किया गया।

4. हैण्ड पम्पों से निकले पुराने सामान, पार्ट्स की पुष्टि में स्क्रेप पंजिका पुष्टि में अनुपलब्ध रही।
अतः उक्त पुष्टि/स्वीकृति के अभाव में किया गया व्यय अनियमित एवं आपत्तिजनक रहा। उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत साल्हाखेडी वर्ष 2017-18 विकास खण्ड-बघरा।

प्रस्तर-20. चैक सं0 483436 दिनांक 04.05.2017 अंकन रु0 24000/-, चैक सं0 483437 दिनांक 19.05.2017 अंकन रु0 12000/-, चैक सं0 483441 दिनांक 02.08.2017 अंकन रु0 14000/- कुल योग अंकन रु0 50000/- बैंक से आहरित कर कोशबही में प्रविष्टि न करके अपहरण किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सिद्धार्थ राज से की जाने अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम :- सहारनपुर

मण्डल का नाम:- सहारनपुर

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

1, ग्राम पंचायत- बीरा खेडी विकासखण्ड- गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-01 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि खाता सं0 31670361768 से रु0 1201700.00 आहरित कर व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिससे किया गया व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु- 1201700.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सोनू एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश मोहन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 32)**

2, ग्राम पंचायत- बाडी माजरा विकासखण्ड- गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-02 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि खाता सं0 0679000100110214 से रु0 3062590.00 आहरित कर व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिससे किया गया व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु- 3062590.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री महमूद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश मोहन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **(आपत्ति संख्या 32)**

3, ग्राम पंचायत— बुढडाखेडा विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—03 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि खाता सं० 31670348103 से ₹0 2426900.00. आहरित कर व्यय किया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, कैशबुक स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जिससे किया गया व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय —8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः ₹— 2426900.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हारिस एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश मोहन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 32)

4, ग्राम पंचायत— कैण्डल विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—04 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 31670333718 से दिनांक 24.12.18 को चैक सं० 309775 द्वारा ₹0 55000.00 आहरित कर कैश बुक में मात्र ₹0 50,000.00 का अंकन किया गया है। अन्तर ₹0 5000.00 कम अंकन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि पर कुल ₹0 5600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 33)

5, ग्राम पंचायत— नैनखेडी विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—05 वर्ष आलोच्य की कैश बुक में माह सितम्बर 2018 के आय पक्ष का योग ₹0 124024.39 दर्शित है जबकि आय पक्ष का योग ₹0 134024.00 है अन्तर ₹0 10000.00 कम अंकन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि पर कुल ₹0 11200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आकाश कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 33)

प्रस्तर—06, वर्ष आलोच्य की कैश बुक में दिनांक 30.03.2019 को ₹0 45500.0 आहरित कर मात्र ₹0 45000.00 का अंकन किया गया है। अन्तर ₹0 500.00 कम अंकन दर्शा कर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि पर कुल ₹0 560.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आकाश कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 33)

प्रस्तर—07, वर्ष आलोच्य की कैश बुक में दिनांक 30.03.2019 को ₹0 45500.0 आहरित कर मात्र ₹0 45000.00 का अंकन किया गया है। अन्तर ₹0 500.00 कम अंकन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि पर कुल ₹0 560.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आकाश कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 33)

6, ग्राम पंचायत— मोहनपुरा विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—08 वर्ष आलोच्य की कैश बुक में माह दिसम्बर 2018 के व्यय पक्ष का योग ₹0 232710.00 दर्शित है जबकि योग ₹0 232650.00 है। इस प्रकार ₹0 60.00 अधिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। इसी प्रकार माह फरवरी 2019 में आय पक्ष का योग 446636.00 दर्शित है जबकि ₹0 447136.00 है अन्तर ₹0 500.00 कम अंकन दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि पर कुल ₹0 627.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मती सुनीता एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीटू से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 33)

7, ग्राम पंचायत— राजूपुर लतीफपुर विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—09 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 31670346343 से ₹0 2459300.00 आहरित कर कैश बुक में निम्न व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, कैशबुक स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, साथ ही ईट, सीमेन्ट, रेत, कोरसेण्ड, बजरी आदि का कोई खरीद बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है। मिट्टी मजदूरी एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल एवं भुगतान बाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया है। बिना खरीद बाउचर एवं मस्टर रोल के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय —8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः ₹— 2459300.00 में से ₹0 1218100.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कलाशो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित कुमार से तथा ₹0 1241200.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान

श्रीमती कलाशो एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आकाश कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 32)

8.ग्राम पंचायत— जगरौली विकासखण्ड— रामपुर मनिहारन अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर— 10वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 634802010005748 से चैक सं० 33005937 द्वारा ग्राम प्रधान श्री बृजपाल ने रु० 49500.00 आहरित किया परन्तु उक्त धनराशि को कैश बुक में अंकन न करके सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रु० 49500.00 पर कुल रु० 58410.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री बृजपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अभिशेक से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 33)

9.ग्राम पंचायत— भाटोल विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—11वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में केवल ग्राम निधि —1 की कैश बुक एवं पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। अतः व्यय प्रमाणको आदि अन्य अभिलेखों के अभाव में कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 2728527.00 अप्रमाणित रही। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में रु० 2728527.00 का कैश बुक व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक (जैसे कि माल क्रय पर व्यय, हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय, सफाई कार्य मजदूरी आदि पर व्यय) मस्टर रोल एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिना भुगतान प्रमाणक एवं मस्टर रोल आदि के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय —8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु— 2728527.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 32)

10.ग्राम पंचायत— सलेमपुर विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—12 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में केवल ग्राम निधि —1 की कैश बुक एवं पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। अतः व्यय प्रमाणको आदि अन्य अभिलेखों के अभाव में कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 2741061.00 अप्रमाणित रही। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में रु० 2741061.00 का कैश बुक व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक (जैसे कि माल क्रय पर व्यय, हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय, सफाई कार्य मजदूरी आदि पर व्यय) मस्टर रोल एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिना भुगतान प्रमाणक एवं मस्टर रोल आदि के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय —8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु— 2741061.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सतीश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं० 31)

11.ग्राम पंचायत— बचीटी विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—13वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में केवल ग्राम निधि —1 की कैश बुक एवं पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। अतः व्यय प्रमाणको आदि अन्य अभिलेखों के अभाव में कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु० 4565724.00 अप्रमाणित रही। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में रु० 4565724.00 का कैश बुक व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक (जैसे कि माल क्रय पर व्यय, हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय, सफाई कार्य मजदूरी आदि पर व्यय) मस्टर रोल एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिना भुगतान प्रमाणक एवं मस्टर रोल आदि के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। जो

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः रु- 4565724.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अकलिमा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रविन्द्र से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 31)

12.ग्राम पंचायत- रणमलपुर विकासखण्ड- नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-14 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत को रु0 967602.00 की धनराशि प्राप्त हुई है और रु0 960805.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रु0 960805.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रु0 960805.00 को अपहरण मानते हुए सचिव श्री आदित्य कुमार व श्री आनन्द प्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्री दीप कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 -2)

13.ग्राम पंचायत- भारापुर विकासखण्ड- नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-15 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत को रु0 2082189.00 की धनराशि प्राप्त हुई है और रु0 2110791.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रु0 2110791.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका, कैश बुक, बैंक पास बुक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रु0 2110791.00 को अपहरण मानते हुए सचिव श्री बालेश वं ग्राम प्रधान श्री मेध पाल से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 -2)

14.ग्राम पंचायत- सहजवा विकासखण्ड- नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-16 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में दिनोंक 01.04.18 से 18.8.18 तक आय व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार इस दौरान ग्राम पंचायत में रु0 1406522.00 की आय एवं रु0 720567.00 का व्यय/आहरण किया गया है। उपरोक्त व्यय/आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे कि कैशबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0 स्टाक रजि0, कार्य योजना, कार्यवाही पंजिका, मस्टररोल आदि अप्राप्त रहे हैं जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः समस्त वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। अन्यथा पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय आहरित धनराशि रु0 720567.00 (बैंक चार्ज एवं कॉन्ट्रि को छोड़ने के बाद) को अपहरण / दुरुपयोग मानते हुए पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री नीरज कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 -2)

15.ग्राम पंचायत- सुन्हेटी खरखडी विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-17 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत को रु0 3399475.00 की धनराशि प्राप्त हुई है और रु0 4196685.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रु0 4196685.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में

आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका ,प्रस्ताव पुस्तिका ,कैश बुक , बैंक पास बुक निर्माण रजि0 ,स्टाक रजि0 , कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रु0 4196685.00 को अपहरण मानते हुए सचिव श्री कुशल पाल वं ग्राम प्रधान श्री जोधा सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 -1)

16,ग्राम पंचायत- मढकी विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-18 लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों से मालूम हुआ कि वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत को रु0 1543571.00 की धनराशि प्राप्त हुई है और रु0 1608640.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि वर्ष में व्यय धनराशि अंकन रु0 1608640.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका ,प्रस्ताव पुस्तिका ,कैश बुक , बैंक पास बुक निर्माण रजि0 ,स्टाक रजि0 , कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जाए अन्यथा अभिलेखों के अभाव में व्यय अंकन रु0 1608640.00 को अपहरण मानते हुए सचिव श्री बालेश वं ग्राम प्रधान श्री अशोक से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति सं0 -2)

17,ग्राम पंचायत- शरबतपुर विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-19 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में केवल ग्राम निधि -1 की कैश बुक एवं पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। अतः व्यय प्रमाणको आदि अन्य अभिलेखों के अभाव में कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 1545420.00 अप्रमाणित रही। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में रु0 1545420.00 आहरित कर कैश बुक व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना ,एस्टीमेट, कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0, व्यय प्रमाणक (जैसे कि माल क्रय पर व्यय ,हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय ,सफाई कार्य मजदूरी आदि पर व्यय) मस्टर रोल एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिना भुगतान प्रमाणक एवं मस्टर रोल आदि के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु- 1545420.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अजना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुशल पाल से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 31)

18,ग्राम पंचायत- आभा विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-20 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में केवल ग्राम निधि -1 की कैश बुक एवं पास बुक / बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध कराया गया है। अतः व्यय प्रमाणको आदि अन्य अभिलेखों के अभाव में कैश बुक में दर्शित व्यय धनराशि रु0 1643390.00 अप्रमाणित रही। वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में रु0 1643390.00 का कैश बुक व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना ,एस्टीमेट, कैशबुक स्टॉक रजि0 निर्माण रजि0, व्यय प्रमाणक (जैसे कि माल क्रय पर व्यय ,हैण्ड पम्प मरम्मत व्यय ,सफाई कार्य मजदूरी आदि पर व्यय) मस्टर रोल एवं प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बिना भुगतान प्रमाणक एवं मस्टर रोल आदि के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु- 1643390.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुशल पाल से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0 31)

19,ग्राम पंचायत- माल्ली विकासखण्ड- बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत माल्ली की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अभिलेख जैसे कि,मस्टर रोल ,ग्राम पंचायत बैठक एजेण्डा रजिस्टर व कार्यवाही पुस्तिका,टेण्डर पत्रावली ,ग्राम पंचायत का वार्षिक कार्य

योजना,स्टॉक रजि0,सोलर लाइट/एल0ई0डी लाइट खरीद टैंडर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, नलो की मरम्मत एवं रिबोर का विवरण व उनकी संख्या, स्थान आदि सफाई कार्य व निर्माण कार्य पर व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव,स्वीकृति आदि यो तो अप्राप्त रहे या अपूर्ण पाए गए जिनके अभाव मे समस्त व्यय रू0 2398047.50 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा है। जो गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित हे। ग्राम पंचायत के मैन्नुयल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार व्यय के बाउचर व नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किये जाने के लिए पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनो सयुक्त रूप से जिम्मेदार है। सार्वजनिक निर्माण रजि0 भी अपूर्ण पाया गया है। उपरोक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव मे समस्त व्यय धनराशि रू0 2398047.50 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री बालेश एवं ग्राम प्रधान श्री गिरधारी से की जानी अपेक्षित है।

20,ग्राम पंचायत— बडूली विकासखण्ड— बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—22 ग्राम पंचायत बडूली की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा मे निम्न अभिलेख जैसे कि, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक, ग्राम सभा की 06 समितियों की कार्यवाही पुस्तिका ,अचल सम्पत्ति रजि0, मस्टर रोल ,ग्राम पंचायत बैठक एजेण्डा रजिस्टर व कार्यवाही पुस्तिका,टेण्डर पत्रावली ,ग्राम पंचायत का वार्षिक कार्य योजना,स्टॉक रजि0,सोलर लाइट/एल0ई0डी लाइट खरीद टैंडर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, नलो की मरम्मत एवं रिबोर का विवरण व उनकी संख्या, स्थान आदि सफाई कार्य व निर्माण कार्य पर व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव,स्वीकृति आदि यो तो अप्राप्त रहे या अपूर्ण पाए गए जिनके अभाव मे समस्त व्यय रू0 1761584.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा है। जो गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित है। ग्राम पंचायत के मैन्नुयल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार व्यय के बाउचर व नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किये जाने के लिए पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनो सयुक्त रूप से जिम्मेदार है। सार्वजनिक निर्माण रजि0 भी अपूर्ण पाया गया है। उपरोक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव मे समस्त व्यय धनराशि रू0 1761584.80 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री कुशल पाल एवं ग्राम प्रधान श्री मुन्नी से की जानी अपेक्षित है।

21,ग्राम पंचायत— नन्दनपुर विकासखण्ड— बलियाखेडी अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—23 ग्राम पंचायत नन्दनपुर की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा मे निम्न अभिलेख जैसे कि गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक, ग्राम सभा की 06 समितियों की कार्यवाही पुस्तिका, अचल सम्पत्ति रजि0,मस्टर रोल ,ग्राम पंचायत बैठक एजेण्डा रजिस्टर व कार्यवाही पुस्तिका,टेण्डर पत्रावली ,ग्राम पंचायत का वार्षिक कार्य योजना,स्टॉक रजि0,सोलर लाइट/एल0ई0डी लाइट खरीद टैंडर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, नलो की मरम्मत एवं रिबोर का विवरण व उनकी संख्या, स्थान आदि सफाई कार्य व निर्माण कार्य पर व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव,स्वीकृति आदि यो तो अप्राप्त रहे या अपूर्ण पाए गए जिनके अभाव मे समस्त व्यय रू0 834097.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा है। जो गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित हे। ग्राम पंचायत के मैन्नुयल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार व्यय के बाउचर व नियमो मे अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत किये जाने के लिए पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनो सयुक्त रूप से जिम्मेदार है। सार्वजनिक निर्माण रजि0 भी अपूर्ण पाया गया है। उपरोक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव मे समस्त व्यय धनराशि रू0 834097.80 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य कुमार व श्री आनन्द प्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्री अमर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

22,ग्राम पंचायत— सरकडी शेख विकासखण्ड— नागल अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—24 ग्राम पंचायत सरकडी शेख की वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा मे निम्न अभिलेख जैसे कि गत वर्ष की लेखा परीक्षित कैशबुक, ग्राम सभा की 06 समितियों की कार्यवाही पुस्तिका ,अचल सम्पत्ति रजि0,मस्टर रोल ,ग्राम पंचायत बैठक एजेण्डा रजिस्टर व कार्यवाही पुस्तिका,टेण्डर पत्रावली ,ग्राम पंचायत का वार्षिक कार्य योजना,स्टॉक रजि0,सोलर लाइट/एल0ई0डी लाइट खरीद टैंडर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, नलो की मरम्मत एवं रिबोर का विवरण व उनकी संख्या, स्थान आदि सफाई कार्य व निर्माण कार्य पर व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव,स्वीकृति आदि यो तो अप्राप्त रहे या अपूर्ण पाए गए जिनके अभाव मे समस्त व्यय रू0 490662.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा है। जो गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित हे। ग्राम पंचायत के मैन्नुयल के अध्याय

8 के बिन्दु 7 के अनुसार व्यय के बाउचर व नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक निर्माण रजि० भी अपूर्ण पाया गया है। उपरोक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय धनराशि रु० 490662.80 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री आदित्य कुमार व श्री आनन्द प्रकाश एवं ग्राम प्रधान श्री दुष्यन्त कुमार से की जानी अपेक्षित है।

23.ग्राम पंचायत— हलवाना विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—25 वर्ष आलोच्य में माह मई 18 में कैशबुक के व्यय पक्ष का योग रु० 84846.00 दर्शित है। जबकि योग रु० 83946.00 ही है। अन्तर रु० 900.00 अधिक व्यय दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है इस प्रति ग्रा० प्रधान श्रीमती जमई फात्मा एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री योगेश मोहन संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रुपये 900.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा० प्रधान श्रीमती जमई फात्मा एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री योगेश मोहन से की जानी अपेक्षित है।
(आ० स०—33)

प्रस्तर— 26 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 31670367873 से रु० 1236688.50. आहरित कर कैश बुक में निम्न व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, साथ ही ईट, सीमेन्ट, रेत, कोरसेण्ड, बजरी आदि का कोई खरीद बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है। मिट्टी मजदूरी एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल एवं भुगतान बाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया है। बिना खरीद बाउचर एवं मस्टर रोल के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु— 1236688.50 की व्यय की पुष्टि न होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती जमई फात्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश मोहन से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 32)

24.ग्राम पंचायत— सुखेडी विकासखण्ड— गंगोह अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—27 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 31983648577 से रु० 1540500.00. आहरित कर कैश बुक में निम्न व्यय दर्शाया गया है किन्तु व्यय की पुष्टि में प्रस्ताव, कार्ययोजना, स्टीमेट, स्टाक रजि० निर्माण रजि०, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, साथ ही ईट, सीमेन्ट, रेत, कोरसेण्ड, बजरी आदि का कोई खरीद बाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है। मिट्टी मजदूरी एवं हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी से सम्बन्धित मस्टर रोल एवं भुगतान बाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया है। बिना खरीद बाउचर एवं मस्टर रोल के भुगतान दिखाया जाना अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 की धारा 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अत रु— 1540500.00 की व्यय की पुष्टि न होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रमन देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश मोहन से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 32)

25.ग्राम पंचायत— जाजवा विकासखण्ड— नकुड अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—28 वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 2334000100070097 से दिनांक 11.02.19 को चैक सं० 144957 द्वारा रु० 40000.00. आहरित कर कैशबुक में कोशांकित न करके सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असलम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिराज से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 33)

प्रस्तर—29 ग्राम पंचायत लेख मैनुअल के अध्याय -8 के बिन्दु 7 के बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये। परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण रजि० स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री कग्र हेतु कोटेशन टेण्डर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, कराये गये कार्यों का स्वीकृत मानचित्र, प्रगति रिपोर्ट, मापपुस्तिका, हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर का विवरण व उनकी संख्या स्थान आदि। मानदेय पंजिका, रूपपत्र -7 आदि अप्राप्त रहे हैं। जिसे अभाव में समस्त व्यय धनराशि रु० 2022532.

00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा जो आपत्ति जनक है एवं व्यय कि गई समस्त धनराशि रुपये 2022532.00 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री असलम खॉ एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री शिराज से की जानी अपेक्षित है।

26.ग्राम पंचायत— सहजवी विकासखण्ड— नकुड अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—30वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम खाता सं० 233400010070088 से दिनांक 06.3.19 को चैक सं० 368718 द्वारा रु० 98700.00. आहरित कर कौशबुक में कोशांकित न करके सीधे अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीनावती देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिराज से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 33)

प्रस्तर—31ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के बिन्दु 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सैकेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।' परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण रजि० स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री कग्र हेतु कोटेशन टेण्डर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, कराये गये कार्यों का स्वीकृत मानचित्र, प्रगति रिपोर्ट, मापपुस्तिका , हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर का विवरण व उनकी संख्या स्थान आदि। मानदेय पंजिका ,रूपपत्र -7 आदि अप्राप्त रहे हैं। जिसके अभाव में समस्त व्यय धनराशि रु० 2514214.00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा जो आपत्ति जनक एवं गम्भीर अनियमितता है। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच व पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में व्यय कि गई समस्त धनराशि रुपये 2514214.00 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मीनावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री शिराज से की जानी अपेक्षित है।

27.ग्राम पंचायत— नसरतपुर विकासखण्ड— रामपुर मनिहारन अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—32ग्राम पंचायत लेख मैनुअल के अध्याय -8 के बिन्दु 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सैकेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।' परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण रजि० स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री कग्र हेतु कोटेशन टेण्डर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, कराये गये कार्यों का स्वीकृत मानचित्र, प्रगति रिपोर्ट, मापपुस्तिका , हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर का विवरण व उनकी संख्या स्थान आदि। मानदेय पंजिका ,रूपपत्र -7 आदि अप्राप्त रहे हैं। जिसके अभाव में समस्त व्यय धनराशि रु० 795144.00 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा जो आपत्ति जनक एवं गम्भीर अनियमितता है। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच व पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में व्यय कि गई समस्त धनराशि रुपये 795144.00 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विशाल कुमार एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री मनोज शर्मा से की जानी अपेक्षित है।

28.ग्राम पंचायत— बहादुरपुर/ सकतपुर विकासखण्ड— रामपुर मनिहारन अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर— 33ग्राम पंचायत लेख मैनुअल के अध्याय -8 के बिन्दु 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सैकेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।' परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा में सार्वजनिक निर्माण रजि० स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सामग्री कग्र हेतु कोटेशन टेण्डर पत्रावली एवं सम्बन्धित प्रस्ताव, कराये गये कार्यों का स्वीकृत मानचित्र, प्रगति रिपोर्ट, मापपुस्तिका , हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर का विवरण व उनकी संख्या स्थान आदि। मानदेय पंजिका ,रूपपत्र -7 आदि अप्राप्त रहे हैं। जिसके अभाव में समस्त व्यय धनराशि रु० 1135535.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा जो आपत्ति जनक एवं गम्भीर अनियमितता है। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच व पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। पुष्टि के अभाव में व्यय कि गई समस्त धनराशि रुपये 1135535.800 को अनियमित /दुरुपयोग मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधि० श्री संजीव कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 34दिनांक 19.04.18 को चैक सं० 359360 द्वारा शर्मा इण्टर कालेज को रु० 59500.00 कर भुगतान बैंक पास बुक में दर्शित है परन्तु उक्त भुगतान को कौश बुक में अंकन नहीं किया गया है। और न ही उक्त फर्म से खरीद की गयी सामग्री का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया है। जिससे किया गया भुगतान अपुष्ट रहा। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये

गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान एवं सैवेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

29.ग्राम पंचायत- तिडफवा विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-35, वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से ₹0 1962953.10 (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक, व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि०, कार्य योजना, कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वाछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि ₹0 1962953.00 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि ₹0 1962953.10 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि ₹0 1962953.10 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री भंवर सिंह तथा प्रधान श्री तुफैल से की जानी अपेक्षित है।

30.ग्राम पंचायत- नानौली विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की प्रमुख आपत्तियाँ-

प्रस्तर-36, वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से ₹0 3770014.20 (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक, व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि०, कार्य योजना, कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वाछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि ₹0 3770014.20 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि ₹0 3770014.20 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि ₹0 3770014.20 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक राणा एवं श्री विकास कुमार तथा प्रधान श्री जब्बार से की जानी अपेक्षित है।

31.ग्राम पंचायत- सिकन्दरपुर विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-37 वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से ₹0 1533336.00 (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक, व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि०, कार्य योजना, कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वाछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि ₹0 1533336.00 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि ₹0 1533336.00 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि ₹0 1533336.00 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप काम्बोज तथा प्रधान श्री ललितेश से की जानी अपेक्षित है।

32.ग्राम पंचायत- महमूद माजरा विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-38 वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से ₹0 3375620.90. (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि

आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर ,सार्वजनिक निर्माण रजि० ,कार्य योजना ,कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। अतः वाछित अभिलेख आडिट मे अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रू० 3375620.90 की जाच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रू० 3375620.90. के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे आहरित की गयी धनराशि रू० 3375620.90 को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप काम्बोज तथा प्रधान श्री मोमिना से की जानी अपेक्षित है।

33.ग्राम पंचायत- मलकपुर विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-39, वर्ष 2018-19 मे ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रू० 1496611.04 (बैंक चार्जज व कौंट्रा एण्ट्री को छोडकर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) मे केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर ,सार्वजनिक निर्माण रजि० ,कार्य योजना ,कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। अतः वाछित अभिलेख आडिट मे अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रू० 1496611.04 की जाँच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रू० 1496611.04 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे आहरित की गयी धनराशि रू० 1496611.04 को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप काम्बोज तथा प्रधान श्री अर्जुन सिंह से की जानी अपेक्षित है।

34.ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर माली विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-40 वर्ष 2018-19 मे ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रू० 2001653.16 (बैंक चार्जज व कौंट्रा एण्ट्री को छोडकर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) मे केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर ,सार्वजनिक निर्माण रजि० ,कार्य योजना ,कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। अतः वाछित अभिलेख आडिट मे अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रू० 2001653.16 की जाच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रू० 2001653.16 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे आहरित की गयी धनराशि रू० 2001653.16 को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कश्यप तथा प्रधान श्री यशराज से की जानी अपेक्षित है।

35.ग्राम पंचायत- चकखिरजपुर विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-41 वर्ष 2018-19 मे ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रू० 2905970.80 (बैंक चार्जज व कौंट्रा एण्ट्री को छोडकर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) मे केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक ,व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर ,सार्वजनिक निर्माण रजि० ,कार्य योजना ,कार्यवाही रजि० मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। अतः वाछित अभिलेख आडिट मे अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रू० 2905970.80 की जाच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रू० 2905970.80 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे आहरित की गयी धनराशि रू० 2905970.80 को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैन्यूअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री भंवर सिंह तथा प्रधान श्री कुलदीप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

36.ग्राम पंचायत- शेखपुरा विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-42 वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रु0 3747083.78 (बैंक चार्ज व कौट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख-कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि0, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वांछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु0 3747083.78 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रु0 3747083.78 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि रु0 3747083.78 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री भंवर सिंह तथा प्रधान श्री सोमपाल से की जानी अपेक्षित है।

37, ग्राम पंचायत- दबकौरा विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-43 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु0 3581532.00	3583604.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि 3583604.00 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप कुमार तथा प्रधान श्रीमती रफीजा से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-1)

38, ग्राम पंचायत- रुहालका विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-44 मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु0 1982612.00	1983186.20

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर, कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप कुमार तथा प्रधान श्री बिलाल से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-1)

39, ग्राम पंचायत- कासमपुर माजरा पाडली विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-45 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु0 4398835.00	4373346.80

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक ,व्यय प्रमाणक , सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका,मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री अमर सिंह तथा प्रधान श्रीमती गुरु देवी से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-1)

40,ग्राम पंचायत- फैजाबाद विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-46 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेन्ट /पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।

ग्राम निधि-

आय	व्यय/आहरण
रु० 6184684.00	7184821.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक ,व्यय प्रमाणक , सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका,मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री अमर सिंह तथा प्रधान श्रीमती सांवला बेगम से की जानी अपेक्षित है।(आपत्ति सं०-1)

41,ग्राम पंचायत- टोडरपुर विकासखण्ड- सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-47 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेन्ट /पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।

ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु 3424990.00	3447137.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक ,व्यय प्रमाणक , सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका,मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम पंचायत सचिव श्री सन्दीप कुमार तथा प्रधान श्रीमती नुसरत से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-1)

42,ग्राम पंचायत- जदौडा जट्ट विकासखण्ड- देवबन्द अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-48 वर्ष 2018-19 में दि० 01.11.18 को चैक सं० 782058 एवं सं० 57632 द्वारा क्रमशः रु० 24900.00 एवं 38345.00 का आहरण किया गया है। परन्तु कैश बुक में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त धनराशि का आहरण कर कोई व्यय ना कर कुल धनराशि रु० 63245.00 का अपहरण कर दुरुपयोग किया गया है। अतः ग्र०प० अधि० यशपाल सिंह व ललित बालियान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कविता से वसूली ब्याज सहित की कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति सं० 32)

प्रस्तर-49 वर्ष आलोच्य में माह अक्टूबर 19 में कैशबुक में अनुसार आय रु० 544722.00 है, जिसके सापेक्ष व्यय रु० 537750.00 है जिसके अनुसार अन्तिम शेष रु० 6972.00 अंकित ना कर रु० 2363.00 कम कर रु० 4609.

00 का अंकन किया गया है अतः रु0 2363.00 का अपहरण कर दुरुपयोग किया गया है। अतः रु0 2363.00 की वसूली ब्याज सहित ग्र0प0 अधि0 यशपाल सिंह व ललित बालियान एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कविता से जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति सं0 33)

43.ग्राम पंचायत— तिगरी विकासखण्ड— देवबन्द अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—50वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रु0 2599437.80 (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख—कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि0, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वांछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु0 2599437.80 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रु0 2599437.80 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि रु0 2599437.80 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव राठी एवं ग्राम प्रधान श्री रईस से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

44.ग्राम पंचायत— थामना विकासखण्ड— देवबन्द अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—51वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम निधि प्रथम से रु0 2173589.00 (बैंक चार्ज व कौंट्रा एण्ट्री को छोड़कर) का आहरण किया गया है, परन्तु आहरित धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा (आडिट) में केवल ग्राम निधि प्रथम की पास बुक/बैंक स्टेटमेन्ट ही उपलब्ध करायी गयी है। जबकि आडिट हेतु अभिलेख—कैशबुक, व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण रजि0, कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, मस्टर रोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। अतः वांछित अभिलेख आडिट में अप्राप्त रहने से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि रु0 2173589.00 की जाच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि रु0 2173589.00 के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जाये, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में आहरित की गयी धनराशि रु0 2173589.00 को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण शर्मा एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सीता से पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार वसूली ब्याज सहित अपेक्षित हैं।

45.ग्राम पंचायत— पाण्डोखेडी विकासखण्ड— नानौता अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—52ग्राम पंचायत पाण्डोखेडी के वर्ष 2018—19 में आडिट नोट में सलग्न प्रारूप 1 निर्माण कार्यों का विवरण के अनुसार रुपये 175346.00 के निर्माण कार्य कराये गये जिनके सापेक्ष ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृति का दिनांक प्रस्ताव संख्या, कार्य आई0डी0, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति का क्रमंक व दिनांक आदि अप्राप्त रहे जिससे कार्यों पर हुए व्यय की पुष्टि न हो सकी एवं उक्त कार्य सदिग्ध प्रतीत होने के कारण पुष्टि करायी जाए अन्यथा की दशा में व्यय रुपये 175346.00 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री रितीक मलिक एवं प्रधान श्री मन्जीत से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 15)

46.ग्राम पंचायत— बहेडा विकासखण्ड— नानौता अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—53वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत में प्रिया साफ्ट पर निम्नलिखित आय एवं व्यय का उल्लेख किया जाय।

आय	व्यय
रु0 2776256.00	रु0 3441753.00

इस प्रकार प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आकड़ों के सापेक्ष ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा कोई भी अभिलेख जैसे कैशबुक, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाणक, स्टॉक पजिका, बैंक पासबुक, स्था0पत्रावली, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति पंजी आदि अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण समस्त धनराशि रुपये 3441753.00 की पुष्टि न हो सकी, जिसके लिए सचिव व प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री विनय कुमार एवं प्रधान श्री नीरज से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 2)

47. ग्राम पंचायत— धौलापाडा विकासखण्ड— सरसावा अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—54दिनांक 19.5.2018 को ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 3113987372 में से एक चैक सं0 027767 के द्वारा अंकन रु0 25000.00 कैश आहरण किये गये हैं। परन्तु उक्त चैक की धनराशि कैश बुक में कोशांकित नहीं की गयी है। इस प्रकार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद सैनी ने अंकन रुपये 25000.00 का अपहरण किया गया है। अंकन रु0 25000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी एवं श्री राजीव पुण्डीर से अपहरण की धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 55 ग्राम निधि प्रथम व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व 14 वे वित्त आयोग की धनराशि प्राप्त व उपभोग का पृथक—2 विवरण अंकित न करके , बैठक एजेण्डा व कार्यवाही पुस्तिका अप्राप्त, चल अचल सम्पत्ति रजि0 अप्राप्त, मानदेय रजि0, शौचालय से सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त, तथा सार्वजनिक निर्माण रजि0 अपूर्ण व अप्राप्त रहने के कारण, उक्त व्यय की गयी धनराशि 2499037.20 की गम्भीर अनियमितता की गयी है। उक्त की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी एवं श्री राजीव पुण्डीर से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 56 आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर व उच्चीकरण पर अंकन रु0 192226.00 व्यय किया गया है परन्तु हैण्ड पम्प रिबारे कराने से पूर्व विभागीय स्वीकृति ली गयी अथवा नहीं लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका तथा ग्राम पंचायत में कुल कितने हैण्ड पम्प हैं, और कौन-कौन से हैण्डपम्प की मरम्मत की गई है। अस्पष्ट रहा। हैण्ड पम्प मरम्मत के अधिकांश व्यय नकद ही किया गया है। कण्डम पार्ट को स्टॉक पंजिका में नहीं दर्शाया गया है स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त कार्य की स्वीकृति व समान क्रय के बिल भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उक्त व्यय धनराशि की गम्भीर अनियमितता की गयी है। अंकन रु0 192226.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी एवं श्री राजीव पुण्डीर से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर —57दिनांक 26.06.2018 को ग्राम प्रधान जी द्वारा ग्राम विकास कार्य हेतु अंकन रु0 60890.00 की अमानत ली गयी है। अमानत लेने से पूर्व रूप पत्र —7 भी नहीं काटा गया है। तथा दिनांक 26.7.2018 को अंकन रुपये 14941.00 रुपये कैशबुक अनुसार अमानत वापिस की जानी दर्शित है तथा दिनांक 14.08.2018 को अंकन रुपये 34420.00 रुपये कैश बुक अनुसार दर्शित है। इस प्रकार कुल अमानत साल दौरान रु0 49361.00 रुपये अमानत वापिस कैशबुक अनुसार दर्शित हैं तथा शेष अमानत रु0 11529.00 रुपये दिनांक 31.03.2019 वापिस नहीं की गयी है किस कारण से उक्त अमानत ग्राम प्रधान जी द्वारा ली गयी लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका। उक्त अमानत लेकर गम्भीर अनियमितता की गयी है। अंकन रु0 11529.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी एवं श्री राजीव पुण्डीर से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर— 58दिनांक 18.04.2019 को प्रधान जी का मानदेय रु0 42000.00 कैश बुक अनुसार दिया जाना दर्शित है जो अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक का है। यह मानदेय वर्ष 2017—18 में क्यों नहीं दिया गया है। किस कारण से यह मानदेय वर्ष 2018—19 में दिया गया है। स्थिति स्पष्ट रही। उक्त व्यय की गम्भीर अनियमितता की जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंकन रु0 42000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी एवं श्री राजीव पुण्डीर से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—59वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत में जगह—जगह बैठने के लिये सीमेंट की बैच अंकन रु0 133000.00 रुपये की क्रय की जानी दर्शित है। उक्त क्रय करने से पूर्व रेटस कुटेशन ली गयी अथवा नहीं लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका क्रय करने से पूर्व रेटस कुटेशन लेनी आवश्यक है। तथा उक्त क्रय से पूर्व विभागीय अनुमति भी ली गयी अथवा नहीं लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका। उक्त व्यय की गम्भीर अनियमितता की जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अंकन रु0 133000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद सैनी से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—60दिनांक 31.03.2019 को अनुदान अवशेष रु0 741652.30 शेष रहा। जो दिनांक 31.03.2019 तक वापिस सम्बन्धित संस्था को वापिस नहीं किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुदेश देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री विनादे सैनी व श्री राजीव पुण्डीर से की जानी अपेक्षित है।

48, ग्राम पंचायत— संगमौर विकासखण्ड— सरसावा अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—61ग्राम निधि प्रथम व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग व 14 वे वित्त आयोग की धनराशि प्राप्त व उपभोग का पृथक—पृथक विवरण अंकित न करके, बैठक एजेण्डा व कार्यवाही पुस्तिका, अप्राप्त, चल अचल सम्पत्ति रजि0

अप्राप्त, मानदेय रजि० अप्राप्त,, मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त ,तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य मे प्रयुक्त उप खनिजो पर रायल्टी भुगतान नही किया गया तथा सार्वजनिक निर्माण रजि० अर्पण व अप्राप्त रहने के कारण ,व्यय की धनराशि अंकन रू० 1596338.60 का गम्भीर अनियमितता से इन्कार नही किया जा सकता है। अंकन रू० 1596338.60 की ग्राम प्रधान श्री सलीम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर— 62आलोच्य वर्ष मे हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर व उच्चीकरण पर अंकन रू० 50400.00 व्यय किया गया है। परन्तु हैण्डपम्प रिबोर कराने से पूर्व विभागीय स्वीकृति ली गयी अथवा नही लेखा परीक्षा मे ज्ञात न हो सका तथा ग्राम पंचायत मे कुल कितने हैण्डपम्प है, और कौन-कौन से हैण्ड पम्प की मरम्मत की गई है। अस्पष्ट रहा। हैण्डपम्प के अधिकांश व्यय नकद ही किया गया है। कण्डम पार्ट को स्टाक पंजिका प्रस्तुत नही की गयी है। स्वीकृति व सामान क्रय के बिल व मजदूरी मस्टर रोल अप्राप्त रहें उक्त व्यय की गयी धनराशि की गम्भीर अनियमितता की गयी है। अंकन रू० 50400.00. की ग्राम प्रधान श्री सलीम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर— 63दिनांक 31.03.2019 को रू० 388638.36 अप्रयुक्त अनुदान शेष रहा। जो दि० 31.03.2019 तक सम्बन्धित संस्था को वापिस नही किया गया। जो गम्भीर अनियमितता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सलीम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द कुमार उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

49 ग्राम पंचायत— भटपुरा विकासखण्ड— मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—64अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018—19 मे ग्राम पंचायत मे आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेन्ट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।ग्राम निधि—1

आय	व्यय/आहरण
रू० 2147018.55	2145947.85

उपरोक्त ग्राम निधि मे से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक ,व्यय प्रमाणक , सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका,मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री फरमान अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार से वसूली ब्याज सहित की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०—1)

50 ग्राम पंचायत— मिरगपुर पांजूवाला विकासखण्ड— मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर—65अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018—19 मे ग्राम पंचायत मे आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेन्ट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।ग्राम निधि—1

आय	व्यय/आहरण
रू० 2787647.17	2410220.00

उपरोक्त ग्राम निधि मे से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक ,व्यय प्रमाणक , सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका,मस्टर रोल ,कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे है। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नही की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखो से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखो के अभाव मे ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री सुमेर चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री गौरव कुमार से वसूली ब्याज सहित की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०—1)

51 ग्राम पंचायत— कलसिया विकासखण्ड— मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018—19 की आपत्तियाँ—

प्रस्तर-66 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु 4854410.69	4779602.50

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैश बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री वीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी विक्रम सिंह एवं श्री रजनीश कुमार से वसूली ब्याज सहित की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-1)

52 ग्राम पंचायत- पजराना विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-67 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।

ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु 753820.25	741820.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैश बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री नवाब एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार से वसूली ब्याज सहित की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-1)

53, ग्राम पंचायत- कबीरपुर विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-68 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु 1814572.47	1785560.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैश बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को अपहरण/दुरुपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री अश्वनी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार एवं श्री विक्रम सिंह से वसूली ब्याज सहित की कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं०-1)

54, ग्राम पंचायत- भाकरोड विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-69 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है।

ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु0 1002017.90	999200.00

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतीश कुमार एवं श्री प्रमोद कुमार से वसूली ब्याज सहित की कार्यवाई की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-1)

55, ग्राम पंचायत- रायपुर विकासखण्ड- मुजफ्फराबाद अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-70 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में आय व व्यय के सापेक्ष केवल ग्राम निधि प्रथम का बैंक स्टेटमेंट / पास बुक ही उपलब्ध करायी है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत की आय व व्यय का विवरण निम्न है। ग्राम निधि-1

आय	व्यय/आहरण
रु0 1922433.40	1921794.10

उपरोक्त ग्राम निधि में से आहरित धनराशि की पुष्टि हेतु अभिलेख जैसे कैशस बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य योजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे हैं। उपरोक्त वांछित अभिलेख अप्राप्त होने के कारण ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अभिलेखों से ग्राम निधि प्रथम से आहरित धनराशि के व्यय के सापेक्ष पुष्टि करायी जानी अपेक्षित हैं, अन्यथा अभिलेखों के अभाव में ग्राम निधि प्रथम से आहरण धनराशि को [अपहरण/दुरुपयोग](#) मानते हुए ग्राम प्रधान श्री महमूद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी जितेन्द्र कुमार एवं श्री अनुज विशनोई से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-1)

56, ग्राम पंचायत- माडला विकासखण्ड- पुवारका अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-71 ग्राम सभा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आयी हैं। ग्राम सभा पर कुल रु 18,05,590.80 का व्यय किया गया है साधारण आपत्ति सं0 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38, में उठायी गयी आपत्तियों के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव संतोषपद नहीं था तथा व्यय की गई धनराशि में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरती गई है इस प्रति ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 दिनांक 31.03.2019 को रुपये/ 21,46,974.79 का अनुदान शेष रहा जिसे न तो उपभोग किया गया और न ही शासन को वापिस किया गया। इस प्रति ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीश उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

56, ग्राम पंचायत- मालाहेडी विकासखण्ड- पुवारका अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 की आपत्तियाँ-

प्रस्तर-73 ग्राम सभा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आयी हैं। ग्राम सभा पर कुल रु 18,83,783.20 का व्यय किया गया है साधारण आपत्ति सं0 02,03,04,05,07,08,09,10,12,15,16,19,20,22,23,25,26,27,31,32,33,34,35,36,37, में उठायी गयी आपत्तियों के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव संतोषपद नहीं था तथा व्यय की गई धनराशि में गम्भीर वित्तीय अनियमितता

बरती गई है इस प्रति ग्राम प्रधान मौ० याहिया एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कटारिया जिम्मेदार है जिसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर - 74 दिनांक 31.03.2019 को रुपये 2049.72 का अनुदान शेष रहा। जिसे न तो उपभोग किया गया और न ही शासन को वापिस किया गया। इस प्रति ग्राम प्रधान मौ० याहिया एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कटारिया उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

जनपद का नाम— शामली

सम्भाग—सहारनपुर

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाः—

प्रस्तर 1— ग्रामपंचायत—काबडौत, विकास खण्ड— शामली, दिनांक 18-11-21को चौक संख्या 3045343द्वारा

21840का आहरण किया गया है उक्त धनराशि को कोशबही में कोशांकित न कर धनराशि का आहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुबोध तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री बिजेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रस्तर 2—ग्रामपंचायत— चूनसा, विकास खण्ड— शामली, दिनांक 19-03-07को चौक संख्या 1001303द्वारा रु. 28400 का आहरण किया गया है उक्त धनराशि को कोशबही में कोशांकित न कर धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमनदेवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री बिजेन्द्र से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रस्तर 3— ग्रामपंचायत—नागल, विकास खण्ड—थानाभवन, दिनांक 18-04-30को चौक संख्या 106107 द्वारा अंकन रु -20000 का बैंक पासबुक अनुसार आहरण किया गया है। जिसे कोशबही में कोशांकित न कर अपहरण किया गया है। अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफल व ग्रा०पं०अ०श्री अक्षय कुमार से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रस्तर 4— ग्रामपंचायत—बिडौली , विकास खण्ड—ऊन, आलोच्य वर्ष में माह दिसम्बर 2018को कोशबही के व्यय पक्ष का योग रु. 545600लगाया गया है। जबकि गणना करने पर व्यय पक्ष का योग रु -645600 आता है। जिस प्रकार अंकन रु -100000से अधिक व्यय किया जाना दर्शित है। इसी प्रकार माह मार्च 2019में बैंक पासबुक अनुसार चौक संख्या 005382दिनांक 19-03-06में श्री रामभूल को रु-2000 का दिया जाना दर्शित है। जिसे कैशबुक के आय पक्ष में रु-20000 अंकित किया गया है व दिनांक 19-03-06को चौक संख्या 005369जो बैंक द्वारा कैसिल कर दिया गया था। की धनराशि वापस ग्रामनिधि खाते में आ गयी उसको भी कोशबही की आय पक्ष में अंकित कर जोड़ दिया गया है। इस प्रकार वास्तविक व्यय रु-38000 से आय से अधिक व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त के अनुसार कुल रु -138000 आय से अधिक फर्जी व्यय दर्शाकर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रिहाना एवं ग्रा०वि०अ० 0भारतभूशण से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रस्तर 5— ग्रामपंचायत— खेडाभाउ, विकास खण्ड—ऊन, आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान को रु -45500मानदेय दिया जाना कोशांकित है, जबकि लेखा परीक्षा अनुसार रु -42000 दिया जाना था, रु -3500 का अधिक भुगतान कर अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व ग्रा०वि०अ०श्रीअनुज गौतम से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रस्तर 6— ग्राम पंचायत—हसनपुर, विकास खण्ड—ऊन ,दिनांक 18-11-30को लेखा परीक्षा अनुसार अंतिम रोकड शेष रु 29400 आती उक्त धनराशि को कोशबही में कोशांकित न कर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कासिफ व ग्रा०वि०अ० 0श्री अनुज गौतम से की जानी अपेक्षित है।
(आ०स०—02)

प्रारूप—4

ग्राम पंचायत

**1-ग्राम पंचायत- हेतिमपुर,
क्षेत्र पंचायत - धानापुर
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत की कोश बही के अनुसार दिनांक 27.07.2018 को प्राथमिक विालय हेतिमपुर के प्रांगण में रु0 125000.00 एवं पूर्व माध्यमिक विालय हेतिमपुर के प्रांगण में रु0 125000.00 कुल रु0 250000.00 मिट्टी भराई पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। मिट्टी की मात्रा, तकनीकी रिपोर्ट, विालय के इंचार्ज की रिपोर्ट, एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं रहे। मिट्टी कितनी दूर से मंगाई गयी अथवा कहां से लायी गयी इसका भी उल्लेख नहीं मिला तथा रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया है। रु0 100000.00 से अधिक के कार्य हेतु टेण्डर आमन्त्रित नहीं किया गया है। साथ ही भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं ली गयी है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 "ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण" के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।"

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि विालयों में मिट्टी भराई दर्शाकर रु0 250000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गुलाब पाण्डेय द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

**2-ग्राम पंचायत- कोहड़ा
क्षेत्र पंचायत - धानापुर
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत की कोश बही निम्न विवरण के अनुसार प्राथमिक विालय में माडल शौचालय के निर्माण पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा-

दिनांक	मद	भुगतान जिसे किया गया	धनराशि
20.03.2019	सेनेटरी फिटिंग्स	धर्मदेव मा0 स्टोर्स	32389
23.03.2019	सेनेटरी फिटिंग्स	मौर्या इण्टरप्राइजेज	70732
23.03.2019	ईट कय	काका ब्रिक फील्ड	63604
23.03.2019	सेनेटरी फिटिंग्स	धर्मदेव मा0 स्टोर्स	30736
योग			197461

उपरोक्त कय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। कय की गयी सामग्री का उपयोग न किये जाने एवं वर्षान्त में अवशेष न दर्शाये जाने के कारण कय की पुष्टि नहीं होती है। तकनीकी रिपोर्ट, व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की स्वीकृति, विालय के इंचार्ज की रिपोर्ट, एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं रहे। रु0 20000.00 से अधिक के कार्य हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं किया गया है। साथ ही भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं ली गयी है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 "ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण" के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।"

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि विालय में माडल शौचालय निर्माण दर्शाकर रु0 197461.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गणेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्थामह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

**3-ग्राम पंचायत- शान्तिपुर तोरवां
क्षेत्र पंचायत-धानापुर
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत की कोश बही निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न कार्यों पर निर्माण हेतु सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा—

दिनांक	कार्य का नाम जिस हेतु सामग्री क्रय दर्शित है	धनराशि
06.03.2019	संजय के घर से रामजी के घर तक ढक्कनदार नाली	32299
29.03.2019	रवीन्द्र के घर से फरगन के घर तक ढक्कनदार नाली	77015
29.03.2019	बैताल के घर से भगड के घर तक ढक्कनदार नाली	39035
29.03.2019	मीना के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली	54346
29.03.2019	लुधुर के घर से भोला के घर तक ढक्कनदार नाली	116889
29.03.2019	संजय के घर से अघस्त के घर तक ढक्कनदार नाली	86584
29.03.2019	भोला के घर से पांचू के घर आबादी तक नाली खड़न्जा	54842
29.03.2019	चुन्ना के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली खड़न्जा	109023
29.03.2019	रामबचन के घर से रामजीन के घर तक ढक्कनदार नाली खड़न्जा	96961
योग		666994

उपरोक्त क्रय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। क्रय की गयी सामग्री का उपयोग न किये जाने एवं वर्षान्त में अवशेष न दर्शाये जाने के कारण क्रय की पुष्टि नहीं होती है। तकनीकी रिपोर्ट, व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की स्वीकृति, एवं कार्यपूति प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं रहे। रु0 20000.00/100000.00 से अधिक के क्रय हेतु कोटेशन/टेण्डर आमन्त्रित नहीं किया गया है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।”

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव से स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यों हेतु सामग्री क्रय दर्शाकर रु0 666994.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्थामह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 14.08.2018 को स्ट्रीट लाइट क्रय पर रु0 246960.00 का व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैं—

- 1—उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर एवं क्रय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2— उक्त क्रय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि0/अति0उ0स्त्रो0वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टॉक लेखा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु0 246960.00 के क्रय में वित्तीय अनियमिता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

4—ग्राम पंचायत— सरयां

क्षेत्र पंचायत—धानापुर,

वर्ष — 2018-19

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत की कोश बही निम्न विवरण के अनुसार स्वच्छता किट एवं स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा—

दिनांक	मद	भुगतान जिसे किया गया	धनराशि
28.11.2018	स्वच्छता किट 2 नग	न्यू सिंह ट्रेडर्स	31800
11.01.2019	स्ट्रीट लाइट 6 नग	—	30040
योग			61840

उपरोक्त क्रय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है। स्वच्छता किट की मांग एवं क्रय की स्वीकृति और क्रय आदेश नहीं उपलब्ध रहा तथा सफाई कर्मी को दिये जाने का कोई प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्ट्रीट लाइट की स्थापना कहां कहां करायी गयी कोई उल्लेख नहीं है। इन कारणों से क्रय की पुष्टि नहीं होती है। रु0 20000.00 से अधिक के कार्य हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं किया गया है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।”

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 61840.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदर्शन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्थामह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत की कोश बही निम्न विवरण के अनुसार निर्माण हेतु सामग्री कय पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा—

दिनांक	कार्य का नाम जिस हेतु सामग्री कय दर्शित है	धनराशि
16.03.2019	चन्द्रमा विश्वकर्मा के घर से मुरली के घर तक खड़ण्जा हेतु ईट	21078
16.03.2019	उक्त कार्य हेतु मिट्टी कय	2108
	योग	23182

उपरोक्त कय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है तथा मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। कय की गयी सामग्री का उपयोग न किये जाने एवं वर्षान्त में अवशेष न दर्शाये जाने के कारण कय की पुष्टि नहीं होती है। तकनीकी रिपोर्ट, व्यय प्रमाणक ग्राम पंचायत की स्वीकृति, एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं रहे। रु0 20000.00 से अधिक के कय हेतु कोटेशन आमन्त्रित नहीं किया गया है। व्यय की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति द्वारा नहीं ली गयी है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।”

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव से स्पष्ट है कि विभिन्न कार्यों हेतु सामग्री कय दर्शाकर रु0 23182.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदर्शन एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्थामह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित से की जानी अपेक्षित है।

5-ग्रामपंचायत- जिगना

क्षेत्र पंचायत-धानापुर,

वर्ष -2018-19

प्रस्तर-7ग्राम पंचायत की कोश बही में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा—

दिनांक		आई0डी0	धनराशि
12.04.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	4329244	14171
16.08.2018	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	—	4550
14.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	—	20000
	योग		38721

ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थलों पर में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर हेतु व्यय किया गया है किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है। हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प खराब होने अथवा मरम्मत/रिबोर के बाद ठीक होने का कोई तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रहा। जल प्रबन्धन समिति/निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति भी नहीं रही इसलिये हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कराये जाने की पुष्टि किसी भी स्तर से न की जा सकी।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 38721.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामू बिन्द एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संतोश केशरी से की जानी चाहिये तथा ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

6-ग्राम पंचायत- प्रहलादपुर

क्षेत्र पंचायत-धानापुर

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत की कोश बही निम्न विवरण के अनुसार धनराज के घर से लोरिक के घर तक ह्यूम पाइप स्थापना पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा-

दिनांक	मद	धनराशि
26.10.2018	मजदूरी	47600
21.11.2018	ह्यूम पाइप कय	88136
27.11.2018	ईट कय	89000
20.12.2018	समग्री (मद अंकित नहीं)	19369
	योग	244105

उक्त कय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

- 1- कय हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है।
- 2- कय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है।
- 3- कय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल उपलब्ध नहीं रहा।
- 4- कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है। निर्माण कार्य समिति से भुगतान की स्वीकृति भी नहीं है।
- 5- सामग्री कय हेतु कोटेशन नहीं लिया गया है।
- 6- मजदूरी का भुगतान पहले ही दर्शित कर दिया गया जबकि सामग्री कय दो माह बाद तक दर्शित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से दर्शित कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। जिससे स्पष्ट है कि रु0 244105.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चिन्ता एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संतोश केशरी से की जानी चाहिये। तथा वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना चाहिये।

प्रस्तर-9 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
01.02.2019	सफाई किट	15900
13.02.2019	फर्नीचर	29300
	योग	45200.00

उपरोक्त कय हेतु कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय का स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। स्वच्छता किट की मांग एवं कय की स्वीकृति और कय आदेश नहीं उपलब्ध रहा तथा सफाई कर्मी को दिये जाने का कोई प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 45200.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चिन्ता एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री संतोश केशरी से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-10 वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 16.02.2019 को स्ट्रीट लाइट कय पर रु0 136090.00 का व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

- 1- उपरोक्त कय से सम्बन्धित टेण्डर एवं कय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- उक्त कय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि0/अति0उ0स्त्रो0वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टॉक लेखा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु0 136090.00 के कय में वित्तीय अनियमिता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

7-ग्राम पंचायत- पंचगंगापुर

क्षेत्र पंचायत-धानापुर,

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-11 वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 02.10.2018 को 24 नग स्ट्रीट लाइट कय पर रु0 120960.00 एवं 23 नग स्ट्रीट लाइट कय पर रु0 115920.00 कुल रु0 236880.00 का भुगतान थर्ड आई सिस्टम को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसके संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

1-उपरोक्त कय से सम्बन्धित टेण्डर एवं कय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2- उक्त कय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि0/अति0उ0स्त्रो0वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टाक लेखा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रु0 236880.00 के कय में वित्तीय अनियमिता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री स्थामह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दि0 18.03.2019 को फर्नीचर कय पर रु0 44000.00 व्यय निम्न बिना व्यय प्रमाणक के दर्शित रहा, जिसके कय हेतु कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय का स्टाक रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 44000.00 का दर्शित व्यय प्रमाणक और स्टाक प्रविष्टि के अभाव में लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 के आलोक में व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत श्री स्थामह से की जानी चाहिये।

8-ग्राम पंचायत- दरियापुर

क्षेत्र पंचायत - चहनियां

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-13 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
07.03.2019	डस्टबिन कय	246500.00
06.10.2018	हैण्डपम्प मरम्मत रिबोर	37600.00 (शीला यादव के घर के पास)
	योग	284100.00

उपरोक्त कय हेतु टेण्डर सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि है या नहीं इसकी पुष्टि न की जा सकी क्योंकि स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर सामग्री एवं मजदूरी दोनों का भुगतान पाण्डेय इण्टरप्राइजेज को दिया जाना कैशबुक में दर्शित है किन्तु प्रमाणक अप्राप्त रहा। मरम्मत से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। सामग्री एवं मजदूरी अलग-अलग नहीं दर्शित है। रोजगार सृजन ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य है जिससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके। दिनांक 07.03.2019 को डस्टबिन कय रु0 246500.00 का दर्शित है। प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। साथ ही किस स्थल पर रखा गया था अथवा गांव सभा में निःशुल्क वितरण किया गया इसका उल्लेख नहीं है। अतः दर्शित कुल व्यय रु0 284100.00 लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 "ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण" के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।" इस प्रकार रु0 284100.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-14

दिनांक 31.12.2018 को 11 नग सोलर लाइट का रु0 228800.00 का भुगतान उमरावती इण्टरप्राइजेज को एवं दिनांक 01.09.2018 को थर्ड आई सिस्टम को स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्य पर व्यय हेतु भुगतान रु0 244540.00 का किया जाना दर्शाया जा रहा है। किन्तु उक्त व्यय की गयी धनराशि के कय आदेश, टेण्डर/कोटेशन आदि पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं कय सामग्री का स्टाक रजिस्टर में लेखा है या

नहीं, स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट कहां/किस स्थल पर लगायी गयी का भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार किया गया क्रय वित्तीय नियमों का पालन न करते हुये किया गया है। जो अनियमित रहा। जिस हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सेक्रेटरी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**9-ग्राम पंचायत- सराय
क्षेत्र पंचायत - चहनियां
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-15

वर्ष 2018-19 दिनांक 06.03.2019 के कोशबही में स्ट्रीट लाइट क्रय का रु० 246000.00 भुगतान दर्शाया गया है। उक्त सामग्री क्रय से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावली व क्रय पत्रावली जिसमें क्रय आदेश एवं आपूर्ति सामग्री की प्राप्ति रसीद सम्मिलित हो व स्थापित स्थल का नाम व फोटोग्राफ उपलब्ध हो, लेखा परीक्षा में मांगे जाने के फलस्वरूप भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में अनियमित है। जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री सचानू व श्री आनन्द ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**10-ग्राम पंचायत- पक्खोपुर
क्षेत्र पंचायत - चहनियां
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-16 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
08.03.2019	हैण्डपम्प रिबोर	30000.00

ग्राम पंचायत में मुसहर बस्ती में हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्यय किया गया है किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे सम्बन्धित सामग्री व मजदूरी पर कितना व्यय किया गया है की पुष्टि किसी भी स्तर से न की जा सकी।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु० 30000.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 "ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण" के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।" इस प्रकार रु० 30000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**11-ग्राम पंचायत-कल्यानपुर कला
क्षेत्र पंचायत - चहनियां
वर्ष - 2018-19**

प्रस्तर-17

वर्ष में क्रय किये गये सोलर लाइट क्रय के संबन्ध में निम्न आपत्तियां हैं-

1. चेक संख्या 034621 दिनांक 30.03.2019 द्वारा 07 नग सोलर लाइट रु० 145600.00 में ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किया गया है। सम्बन्धित क्रय से सम्बन्धित टेण्डर पत्रावली व प्रक्रिया रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांगे जाने के पश्चात् भी प्रस्तुत नहीं रहा।
2. सोलर लाइट क्रय में शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि०/अति०उ०स्त्रो०वि० /2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा या उसके द्वारा निर्देशित नियम व मानक के अनुसार क्रय नहीं किया गया है। इस प्रकार रु० 145600.00 का क्रय अनियमित है जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री मनोज चन्द एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुमन्तलाल उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**12-ग्राम पंचायत- चकिया भूपौली
क्षेत्र पंचायत -चहनियां**

वर्ष – 2018–19

प्रस्तर-18 वर्ष 2018–19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
18.03.2019	डस्टबिन कय	246000.00
28.03.2019	स्ट्रीट लाइट	197714.00
31.03.2019	ग्रा0पंचा0 हेतु फर्नीचर	29000.00(डेड स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध)
	योग	472714.00

उपरोक्त कय हेतु टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय का स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। क्रम सं0 1 व 2 पर अंकित सामग्री का स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 472714.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु0 472714.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

13-ग्राम पंचायत- बैराठ

क्षेत्र पंचायत – चहनियां

वर्ष – 2018–19

प्रस्तर-19 वर्ष 2018–19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
15.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	37995.00
22.03.2019	डस्टबिन	246632.00
28.03.2019	स्टेशनरी	19445.00
28.03.2019	प्रशासनिक व्यय	23900.00
	योग	327972.00

उपरोक्त कय हेतु टेण्डर कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय का स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा। क्रम सं0 1 एवं 2 से सम्बन्धित स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है। रोजगार सृजन ग्रामसभा का मुख्य उद्देश्य है जिससे मजदूरों का उचित मजदूरी मिल सके। उपरोक्त सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 327972.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु0 327972.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधान को 07 माह का मानदेय विभिन्न तिथियों में अवधि के पूर्व ही (अग्रिम) दिया गया है जो वित्तीय अनियमितता है। विवरण निम्न प्रकार है—

दिनांक	माह मानदेय	धनराशि
01.08.2018	अगस्त 2018	3500.00
11.09.2018	सितम्बर 2018	3500.00

11.09.2018	अक्टूबर 2018	3500.00
08.10.2018	नवम्बर 2018	3500.00
01.11.2018	दिसम्बर 2018	3500.00
04.12.2018	जनवरी 2019	3500.00
11.01.2019	फरवरी 2019	3500.00
	योग	24500.00

इस प्रकार रु0 24500.00 अग्रिम भुगतान कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 वित्तीय वर्ष 2018-19 में कई सामग्रियों का क्रय वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- 24.01.20019 - सोलर लाइट - 249600.00
- 24.01.20019 - स्ट्रीट लाइट - 246960.00
- 30.03.20019 - सोलर लाइट - 249600.00

योग- 746160.00

उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

- 1-उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर एवं क्रय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 2- उक्त क्रय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि0/अति0उ0स्त्रो0वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टाक लेखा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार रु0 746160.00 के क्रय में वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। तथा उनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

14-ग्राम पंचायत- बछौली

क्षेत्र पंचायत - चहनियां

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-22 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
01.03.2019	डस्टबिन	184997.00
30.03.2019	स्टेशनरी	22890.00
	योग	207887.00

उपरोक्त क्रय हेतु टेण्डर कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त क्रय का स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। क्रम सं0 1 पर सम्बन्धित स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः 207887.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 207887.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 "ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण" के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।" इस प्रकार रु0 207887.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 वित्तीय वर्ष 2018-19 में कई सामग्री का क्रय वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- 09.10.2018 - स्ट्रीट लाइट - 234135.00

10.10.2018 – सोलर लाइट – 249600.00

10.10.2018 – सोलर लाइट – 249600.00

योग— 733335.00

उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं—

- 1—उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर एवं क्रय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2— उक्त क्रय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि०/अति०उ०स्त्रो०वि०/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टाक लेखा रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस प्रकार रु० 733335.00 के क्रय में वित्तीय अनियमिता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिसके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

15—ग्राम पंचायत— सेमरा

क्षेत्र पंचायत – चहनियां

वर्ष – 2018—19

प्रस्तर—24 वर्ष 2018—19 की कोशबही में दर्षित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

क्र.सं.	दिनांक	मद	धनराशि		
1	12.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	19548.00	(5) नग, (4) नग	स्थल नाम रिक्त (1) (2) (3) कर रखा गया है।
2	31.10.2018	हैण्डपम्प मरम्मत	19400.00	सूची नहीं है।	
3	30.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	19500.00	सूची नहीं है।	
4	30.03.2019	स्टेशनरी	8945.00		
5	21.02.2019	डस्टबिन	38541.00		
		योग	105934.00		

उपरोक्त क्रय हेतु टेण्डर कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उपरोक्त क्रय का स्टाक रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। क्रम सं० 1, 2, 3 एवं 5 का स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। मजदूरी व्यय दर्षित नहीं है। रोजगार सृजन ग्रामसभा का मुख्य उद्देश्य है जिससे मजदूरों का उचित मजदूरी मिल सके। उपरोक्त सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः रु० 105934 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु० 105934.00 का दर्षित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु० 105934.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसकी ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—25 वित्तीय वर्ष 2018—19 में माह अप्रैल 2018 का प्रधान मानदेय भुगतान दो बार किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है—

10.05.2018 – प्रधान मानदेय फरवरी 2018 से अप्रैल 2018

12.09.2018 – प्रधान मानदेय अप्रैल 2018 से अगस्त 2018

इस प्रकार माह अप्रैल 2018 का दो बार मानदेय भुगतान कर रु० 3500.00 का अपहरण किया गया है जिसके प्रति प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बचाऊ एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

16—ग्राम पंचायत— खोनपुर

क्षेत्र पंचायत – चहनियां

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-26

वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि	
11.01.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	19000.00	स्थल नाम अंकित नहीं है।
11.01.2019	हैण्डपम्प रिबोर	38700.00	
11.01.2019	हैण्डपम्प रिबोर	38700.00	
	योग	96400.00	

उपरोक्त व्यय का आई0डी0 संख्या कोश बही पर रिक्त रखा गया है। स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा। मजदूरी व्यय नहीं दर्शाया गया है जबकि ग्रामसभा में रोजगार सृजन करना भी मुख्य उद्देश्य है जिससे उचित मजदूरी मजदूरों को मिल सके। साथ ही रु0 96400.00 व्यय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। अतः रु0 96400.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 96400.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु0 96400.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

17-ग्राम पंचायत- लक्ष्मणगढ़

क्षेत्र पंचायत – चहनियां

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-27 वर्ष 2018-19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
04.08.2018	चौदहवां वित्त से	10500.00 (भुगतान क्यों किया गया स्पष्ट नहीं)
22.02.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	51420.00
16.03.2019	प्रशासनिक व्यय	19800.00
	योग	81720.00

क0सं0 1 पर अंकित व्यय का मद अंकित नहीं है। हैण्डपम्प मरम्मत के स्थल का नाम, फोटोग्राफ एवं मजदूरी व्यय नहीं है। ग्राम सभा में रोजगार सृजन भी इसका उद्देश्य है जिससे उचित मजदूरी मजदूरों को मिल सके। स्टाक रजिस्टर एवं अनुपयुक्त हुए सामग्री का विवरण भी अप्राप्त रहा। क्रमांक 3 से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा। रु0 81720.00 के व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः रु0 81720.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। अतः दर्शित कुल व्यय रु0 81720.00 लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु0 284100.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

18-ग्राम पंचायत- रूपेठा

क्षेत्र पंचायत – चहनियां

3487

वर्ष – 2018–19

प्रस्तर-28 वर्ष 2018–19 की कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
26.11.2018	स्टेशनरी	14250.00
21.01.2019	फर्नीचर	24000.00
25.03.2019	डस्टबिन	192500
	योग	230750.00

— डेड स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध

उपरोक्त कय हेतु टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त कय का स्टॉक रजिस्टर/डेड स्टॉक रजिस्टर सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। क्रम सं० 3 पर अंकित सामग्री का स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः 230750.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु० 327972.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु० 230750.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 दिनांक 06.11.2018 को रु० 249600.00 का सोलर लाइट कय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं—

1—उक्त कय में टेण्डर एवं कय प्रक्रिया सम्बन्धी रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

2— उक्त कय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि०/अति० उ० स्त्रो० वि०/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा या उसके द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः रु० 733335.00 के कय में वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

19—ग्राम पंचायत— फूलपुर

क्षेत्र पंचायत — चहनियाँ

वर्ष – 2018–19

प्रस्तर-30

वर्ष 2018–19 में कोशबही में दर्शित निम्न व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा, जो आपत्ति जनक रहा।

दिनांक	मद	धनराशि
10.08.2018	मद रिक्त है।	2800.00 मद अंकित नहीं है।
14.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	18800.00
14.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	13750.00
14.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	30300.00
14.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत	15530.00
18.03.2019	स्टेशनरी	246400.00
30.03.2019	डस्टबिन	20000.00
31.03.2019	योग	347580.00

उपरोक्त कय हेतु टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। उपरोक्त कय का स्टॉक रजिस्टर रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। क्रम सं० 2, 3, 4 एवं 5 का स्थल नाम व फोटोग्राफ लेखा

परीक्षा में अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प मरम्मत से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। मजदूरी व्यय दर्शित नहीं है। रोजगार सृजन ग्रामसभा का मुख्य उद्देश्य है जिससे मजदूरों का उचित मजदूरी मिल सके। उपरोक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः रु0 347580.00 के व्यय की पुष्टि किसी भी स्तर से नहीं होती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि रु0 347580.00 का दर्शित व्यय लेखा परीक्षा की दृष्टि में वास्तविक न होकर फर्जी है। पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रूप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।” इस प्रकार रु0 347580.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त द्वय संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 वर्ष 2018-19 में कई सामग्री का क्रय वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

29.11.2018 — सोलर लाइट — 249600.00

30.03.2019 — स्ट्रीट लाइट — 244541.00

योग — 494141.00

उपरोक्त के संबंध में निम्न आपत्तियां हैं-

1-उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर एवं क्रय प्रक्रिया रजिस्टर/प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2- उक्त क्रय शासनादेश संख्या 33/2017/977/45 वि0/अति0उ0स्त्रो0वि0/2017 दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा या उसके द्वारा स्थापित नियम व मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार रु0 494141.00 के क्रय में वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

20-ग्राम पंचायत- जेवरियाबाद

विकास खण्ड — बरहनी

वर्ष — 2018-19

प्रस्तर-32 कार्य का नाम :- ग्राम पंचायत में गणपति इन्टरप्राइजेज, उत्तरी बाजार, सैयदराजा से

हवील चेयर- 4300

कुर्सी- 12 1000- 12000

आलमारी- 11800

योग :- 28100

- उक्त प्रस्तुत दिनांक 05.10.18,ट-31 प्रमाणक पर कोई बिल/जीएसटी संख्या अंकित नहीं है जो पूरी तरह फर्जी है एवं लेखा परीक्षा में मान्य नहीं है।
- नियमानुसार ग्राम पंचायत में 20000.00 से अधिक क्रय हेतु कोटेशन की आवश्यकता होती, जो प्रस्तुत नहीं किया। क्रय में वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन नहीं किया गया।
- क्रय सामग्री का स्टाक रजिस्टर नियम 202 के अनुसार दर्ज होना चाहिये जो नहीं किया गया।

इस प्रकार उक्त धनराशि को प्रधान/सचिव द्वारा फर्जी बिल दर्शाकर अपहरण कर लिया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

21-ग्राम पंचायत- डिग्घी,

विकास खण्ड — बरहनी,

वर्ष — 2018-19

प्रस्तर-33 रोकड़बही के अनुसार दिनांक 08.02.2019 को चेक संख्या 12033946 राम दुलार राम को भुगतान किया गया-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक	अन्य

08.02.2019	87800.00	रोकड़बही में सामग्री का नाम, मात्रा, संख्या अंकित नहीं	बिना प्रमाणक	बैंक पासबुक में राम दुलार राम दर्शित है।

उक्त पर निम्न आपत्तियां दर्ज हैं :-

1. रोकड़बही में उक्त भुगतान किस कार्य के लिए दिया गया है अंकित नहीं है।
2. भुगतान का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. उक्त भुगतान के सन्दर्भ में कार्य योजना, इस्टीमेट, टेण्डर, कोटेशन आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
4. स्टाक रजिस्टर, निरीक्षण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
5. उक्त भुगतान में वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन नहीं किया गया है। धनराशि रु0 87800.00 का भुगतान रामदुलार को नियम विरुद्ध किया गया है। भुगतान सीधे फर्म को किया जाना चाहिये।

इस प्रकार उपरोक्त व्यय रु0 87800 प्रमाणक के अभाव में पंचायत राज लंखा मैनुअल के अध्याय 8 के विन्दु 8 के क्रम में प्रधान/सचिव द्वारा अपहरण/गबन की श्रेणी में आता है जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

रोकड़बही के अनुसार दिनांक 20.11.2018 को चेक संख्या 12029349 के द्वारा रु0 24000.00 अन्तरित किया गया है। बैंक पासबुक से मिलान करने पर भी उक्त भुगतान की पुष्टि होती है पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गई हैं :-

1. रोकड़बही में किसके पक्ष में एकाउन्ट पेई चेक प्रदान की गई है अंकित नहीं है।
2. रोकड़बही में किस मद अथवा कार्य पर भुगतान किया गया है, दर्शित नहीं है स्थान को खाली रखा गया है।
3. लेखा परीक्षा में उक्त धनराशि का कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. उक्त के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा बैंक पासबुक छोड़कर कोई भी सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

इससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त धनराशि राजकीय कार्य में व्यय न करके प्रधान सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

रोकड़बही के अनुसार दिनांक 19.03.2019 को चेक संख्या 12033952 द्वारा रु0 16000.00 का भुगतान प्रेमशंकर को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च हेतु किया गया है जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की गयी हैं :-

1. उक्त भुगतान का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. नियमानुसार ग्राम पंचायत में 10000.00 से उपर सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन लेना आवश्यक है। उपरोक्त भुगतान का कोई क्रय आदेश कोटेशन आदि लेखा परीक्षा में नहीं रखा गया।
3. उपरोक्त भुगतान में वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन न करते हुए भुगतान प्रेमशंकर को नियम विरुद्ध किया गया है जबकि भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिये।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त व्यय 16000 का प्रधान/सचिव द्वारा अपहरण/गबन कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत- तेन्दुहान विकास खण्ड - बरहनी, वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-36 रोकड़बही के अनुसार प्रा0वि0तेन्दूहान के गेट के बाहर सकलडीहा मार्ग व गेट के बीच फील्ड का सुन्दरीकरण, माटी व इण्टरलाकिंग कार्य पर दिनांक 07.08.2018 को चेक संख्या 02002499 द्वारा मिटटी का भुगतान श्री त्रिपुरारी प्रजापति को रु0 89998.00 एवं दिनांक 14.08.18 को चेक संख्या 02002500 से श्री सोमारु मौर्या को रु0 49311 मिटटी का भुगतान। जिस पर निम्न आपत्तियां दर्ज की गई हैं :-

दिनांक	धनराशि	सामग्री	प्रमाणक	अन्य
07.08.2018	89998.00	मिटटी(367.34 घन मी0 ×245)×	प्रमाणक विहीन	श्री जपुशरी प्रजापति
14.08.2018	79311.00	मिटटी(323.72 घन मी0 ×245)	प्रमाणक विहीन	श्री सोमारु मौर्या
	169309.00			

- प्रथमतः उपरोक्त कुल व्यय धनराशि का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य का कार्य योजना, एम0बी0, इस्टीमेट, आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।
- उक्त कार्य की आपूर्ति/क्रय आदेश, कोटेशन, टेण्डर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये।
- स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गये।
- उपरोक्त का वर्षान्त तक कोई मजदूरी नहीं दी गई।
- उपरोक्त कार्य के अनुसार मिट्टी के अतिरिक्त सुन्दरीकरण एवं इण्टरलाकिंग का भी कार्य होना था जिससे सम्बन्धी कोई सामग्री रोकड़ बही में क्रय नहीं की गई है।

उक्त आपत्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रधान/सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशियों का अपहरण/गबन किया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-37 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर आपत्तियां :-

दिनांक	धनराशि	समग्री, मात्रा, दर, मजदूरी	प्रमाणक	अन्य
04.01.2019	63140.00	कोशबही में सामग्री का नाम व दर अंकित नहीं 20	प्रमाणक विहीन	जालान इण्टरप्राइजेज
17.01.2019	9888.00	कोशबही में सामग्री का नाम व दर अंकित नहीं 04	प्रमाणक विहीन	महादेव इण्टरप्राइजेज
योग	73028.00			

- रोकड़बही के अनुसार दिनांक 04.01.2019 एवं दिनांक 17.01.2019 को क्रमशः चेक संख्या 12024226 तथा 12024235 द्वारा रु0 63140.00 एवं 9888.00 कुल रु073028.00 का भुगतान (प्रमाणक विहीन) किया गया।
- उपरोक्त रु0 73028.00 द्वारा कुल 24 नग हैण्ड पम्प क्रय सामग्री का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में, जल प्रबंधन समिति का अनुमोदन, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- मजदूरी कितनी दी गई इस सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (एम0आर0) नहीं रखा गया।
- मरम्मत के दरम्यान जो निष्प्रयोज्य सामग्री प्राप्त हुई, उसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त आपत्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रधान/सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशियों का अपहरण/गबन किया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

प्रस्तर-38

प्रधान का मानदेय पर आपत्तियां :-

दिनांक	मानदेय का माह / धनराशि	प्रमाणक	अन्य
26.04.2018	दिसम्बर-2017 से मार्च-2018 (4 माह) 3500×4= कुल धनराशि 14000.00	प्रमाणक विहीन	सदानंद मौर्या
16.10.2018	दिसम्बर-2017 से सितम्बर-2018 (10 माह) 3500×10 = 35000	प्रमाणक विहीन	

- उपरोक्त मानदेय में दिनांक 26.04.18 को दिसम्बर-2017 से मार्च-2018 का मानदेय 14000.00 रोकड़बही के अनुसार पुनः 16.10.2018 को दिसम्बर-2017 से सितम्बर-2018 का मानदेय 35000.00 दिया गया है। जिसमें दूसरे मानदेय में पूर्व के चार माह वाले माह(दिसम्बर-2017 से मार्च-2018) तक दुबारा दे दिया गया है।
- इस प्रकार 14000.00 मानदेय अतिरिक्त भुगतान प्रधान/सचिव द्वारा किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

उक्त आपत्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रधान/सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशियों का अपहरण/गबन किया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

23-ग्राम पंचायत- इमिलिया,

विकास खण्ड – बरहनी,

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-39 रोकड़बही के अनुसार दिनांक 16.01.2019 को चेक संख्या 12019563 द्वारा हरिनारायन के किशान सिंह के पक्की नाली कार्य पर मे० प्रदीप कुमार सिंह को मजदूरी रु० 106347.00 का भुगतान पुनः इसी कार्य पर दिनांक 25.01.2019 को चेक संख्या 12019564 द्वारा मजदूरी रु० 28175.00 का भुगतान सूची के अनुसार किया गया है परन्तु उक्त पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गई है।

दिनांक	धनराशि	समग्री, दर, मात्रा	मजदूरी	प्रमाणक	अन्य
16.01.2019	106347.00	—	एम०आर० अप्राप्त	प्रमाणक विहीन	प्रदीप कुमार सिंह
25.01.2019	28175.00	—	एम०आर० अप्राप्त	प्रमाणक विहीन	सूची के अनुसार बैंक खाते में
योग	134522.00				

- रोकड़बही में कार्य का पूरा नाम लिखा जाना चाहिये, जबकि उक्त में आधा अधूरा लिखा है।
- रोकड़बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार उक्त कार्य की मजदूरी प्रदीप कुमार सिंह को दिया गया है जो नियम विरुद्ध है।
- उक्त भुगतान का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा परीक्षा में रु० 106347.00 एवं 28175.00 का कोई मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य की कार्य योजना, एम०बी०, इस्टीमेट आदि अनुपलब्ध रहा।
- उक्त कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाण, स्टॉक रजिस्टर, निरीक्षण प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर आदि प्रमुख अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार नियम विरुद्ध तरीके से रु० 134522.00 का भुगतान करके प्रधान सचिव द्वारा उपरोक्त धनराशि का अपहरण/गबन कर लिया गया जिसे धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

24-ग्राम पंचायत- भतीजा

विकास खण्ड – बरहनी,

वर्ष – 2018-19

प्रस्तर-40 कार्य का नाम :-

ग्राम पंचायत “भतीजा” में कैशबुक के अनुसार “निबुल के घर से भरत के घर तक सी०सी०रोड नाली चौका” कार्य पर निम्नांकित आपत्तियां अग्रलिखित है।

दिनांक	धनराशि	मजदूरी/सामग्री	प्रमाणक	अन्य
21.04.2018	29725.00	मजदूरी— मिस्त्री 42 × 300 = 12600.00 मजदूर 48 × 175 = 17150.00 योग :- 29750.00	बिना प्रमाणक / मस्टररोल	बैंक स्टेटमेंट पर / कैशबुक में मास्टर इ०प्रा०
07.05.2018	112624.00	सीमेन्ट, मोटा बालू, महीन बालू, छड़, गिटटी	बिना प्रमाणक	मास्टर इ०प्रा०
07.05.2018	46190.00	ईट एवं ईट टुकड़ा	बिना प्रमाणक	उत्सव ईट
योग	188539.00			

उपरोक्त व्यय पर निम्नांकित आपत्तियां दर्ज की गई है :-

मजदूरी पर :- कैशबुक के अनुसार मजदूरी का भुगतान रु० 29750.00 किया गया है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रु० 29725.00 का ही भुगतान है।

- कैशबुक में मजदूरों की मजदूरी $48 \times 175 = 17150.00$ अंकित है वास्तव में $48 \times 175 = 8400.00$ होता है इस प्रकार $8400.00 + 12600.00 = 21000.00$ ही कुल मजदूरी हुयी जबकि 29725.00 का भुगतान किया गया है।
- लेखा परीक्षा में मस्टररोल, बैंक एनवायस, चेक की फोटो कापी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

सामग्री :-

कैशबुक के अनुसार सामग्री पर कुल $112624 + 46190 = 158814$ रुपये व्यय किये गये हैं।

- उपरोक्त व्यय धनराशि का लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य का कार्य योजना, एम०बी०, इस्टीमेट आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

- स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण पत्र, निविदा पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उक्त कार्य में वित्तीय औचित्य के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

इस प्रकार मजदूरी तथा सामग्री की कुल धनराशि रु0 188539.00 उक्त आपत्तियों के आधार पर प्रतीत होता है प्रधान तथा सचिव द्वारा मिल कर अपहरण कर लिया गया है जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित रहा।

25-ग्राम पंचायत- किड़ीहरा

विकास खण्ड- शहाबगंज

वर्ष - 2018-19

प्रस्तर-41 वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
14.05.18	12001335	59000.00
31.12.18	12005140	2500.00
	योग	84000.00

उपरोक्त व्यय पर निम्न विवरणानुसार आपत्तियां हैं :-

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं श्रमांश की कितनी है प्रमाणकों पर स्पष्ट विवरण अंकन नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल अलग-अलग होना चाहिए था।
- हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब हैं इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्डपम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 84000.00 लेखा परीक्षा में अनियमितता आंकलित की जाती है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह एवं श्री चन्द्रबली सिंह, सचिव उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 दिनांक 10.07.18 को चेक संख्या 12015123 से आफिस कार्य हेतु आलमारी, कुर्सी टेबल रु0 21500.00, दिनांक 19.07.18 को चेक संख्या 12015124, रु0 15500.00 सफाई कर्मी हेतु सामग्री क्रय, व दिनांक 28.03.19 को चेक संख्या 7170 से रु0 10000.00 का कैमरा क्रय, कुल रु0 47000.00 का भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- खरीद स्टाक का अंकन डेड स्टाक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
- क्रय सामग्री का वर्षान्त में किसी विभागीय अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन न किये जाने का रिपोर्ट नहीं है।
- उपरोक्त सामग्री विगत वर्षों में क्रय नहीं किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व किसी विभागीय अधिकारी से क्रय की स्वीकृति नहीं ली गयी है।
- सामग्री क्रय की आवश्यकता का प्रस्ताव ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृत नहीं है।
- व्यय की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 47000.00 लेखा परीक्षा में दुरुपयोग आंकलित की जाती है। उपरोक्त के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती इन्दू सिंह एवं सचिव श्री चन्द्रबली सिंह उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

26-ग्राम पंचायत- सरैया**विकास खण्ड- शहाबगंज****वर्ष - 2018-19****प्रस्तर-43** वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
20.6.18	1513	32000
25.1.19	4984	30000
2.2.19	4986	15000
18.3.19	4991	20000
	योग	97000

उपरोक्त व्यय पर निम्न विवरणानुसार आपत्तियां हैं :-

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं श्रमांश की कितनी है प्रमाणकों पर स्पष्ट विवरण अंकन नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल अलग-अलग होना चाहिए था।
- हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब हैं इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्डपम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्षित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्षित व्यय रु0 97000.00 लेखा परीक्षा में अनियमितता आंकलित की जाती है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार जायसवाल एवं सचिव श्री अनिल कुमार सिंह उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

27-ग्राम पंचायत- भूसीकृत पुरवा**विकास खण्ड- शहाबगंज****वर्ष - 2018-19****प्रस्तर-44** वर्ष आलोच्य में निम्न विवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है :-

दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
13.08.18	12010014	18623
25.09.18	12018382	49500
29.09.18	12018384	75100
29.09.18	12018383	74900
03.05.18	12010008	40500
	योग	258623

उपरोक्त व्यय पर निम्न विवरणानुसार आपत्तियां हैं :-

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं कमांश की कितनी है प्रमाणकों पर स्पष्ट विवरण अंकन नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल अलग-अलग होना चाहिए।
- हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब हैं इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्डपम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्षित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 258623.00 लेखा परीक्षा में अनियमितता आंकलित की जाती है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं सचिव श्री मुरलीश्याम उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

28—ग्राम पंचायत—ढोढनपुर

विकास खण्ड— शहाबगंज

वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—45 ग्राम निधि प्रथम से हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है :—

क्र०सं०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि
1	17.04.18	12000166	24850.00
2	29.05.18	12000167	62500.00
		योग	87350.00

उपरोक्त व्यय आपत्तियां निम्नानुसार हैं :—

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं श्रमांश की कितनी है प्रमाणकों पर स्पष्ट विवरण अंकन नहीं है। सामग्री कय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल अलग-अलग होना चाहिए था।
- हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब हैं इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्डपम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री कय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे सामग्री कय एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 87350.00 लेखा परीक्षा में अनियमितता आंकलित की जाती है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री हरदेव प्रसाद एवं सचिव श्री जैनेन्द्र राव उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

29—ग्राम पंचायत— जिगना

विकास खण्ड— शहाबगंज

वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—46 चेक संख्या 002001508 दिनांक 16.08.17 एवं चेक संख्या 12015811 दिनांक 30.01.19 द्वारा क्रमशः रु0 5000.00+5000.00, कुल रु0 10000.00 ग्रा0पं0 जिगना में प्रा0पा0 एवं जू0हा0स्कूल पर मिष्ठान वितरण पर 15 अगस्त व 26 जनवरी को व्यय कर राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद एवं सचिव श्री मुरली श्याम रहे। इस सम्बन्ध में उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

30—ग्राम पंचायत— करनौल

विकास खण्ड— शहाबगंज

वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—47 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 1222545.04, वर्ष में प्राप्त रु0 1400383.00, कुल रु0 2622928.04 के सापेक्ष दिनांक 14.05.18 को रु0 200000.00 चेक संख्या 02003124 द्वारा विकास खण्ड चकिया के ग्राम पंचायत बीकापुर को बाल विकास परियोजना की धनराशि वापस की गयी है। लेखा परीक्षा में धन वापसी से सम्बन्धित कोई आदेश/निर्देश आदि प्रस्तुत नहीं रहा। शेष धनराशि रु0 2422928.04 अनुदान की धनराशि पूरे वर्ष पर्यन्त व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुनीराम यादव, सचिव श्री कुंजबिहारी लाल एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

31—ग्राम पंचायत—पचपरा
विकास खण्ड— शहाबगंज
वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—48

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 2672094.71, वर्ष में प्राप्त रु0 1052496.00, कुल रु0 3724590.71 विकास कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु विकास कार्यों पर पूरे वर्ष पर्यन्त कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री आनन्द सिंह, सचिव श्री अनिल कुमार पटेल एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

32—ग्राम पंचायत—हाटा
विकास खण्ड— शहाबगंज
वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—49 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 683568.00 वर्ष में प्राप्त रु0 1601813.00, कुल रु0 2285381.00 विकास कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु विकास कार्यों पर पूरे वर्ष पर्यन्त कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री ओम प्रकाश चौबे, सचिव श्री मुरली श्याम एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

33—ग्राम पंचायत—कलानी
विकास खण्ड— शहाबगंज
वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—50 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 3353285.00 वर्ष में प्राप्त रु0 1178965.00, कुल रु0 4532250.00 विकास कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु विकास कार्यों पर पूरे वर्ष पर्यन्त कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री कुलदीप सिंह, सचिव श्री राजकुमार सिंह एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

34—ग्राम पंचायत—खिलची रजडीहा
विकास खण्ड— शहाबगंज
वर्ष — 2018—19

प्रस्तर—51 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 2033376.00 वर्ष में प्राप्त रु0 892860.00, कुल रु0 2926236.00 विकास कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु विकास कार्यों पर पूरे वर्ष पर्यन्त कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री विजय शंकर सिंह, सचिव श्री अनिल कुमार पटेल एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

35—ग्राम पंचायत—रोहाखी
विकास खण्ड— शहाबगंज
वर्ष — 2018—19

प्रस्तर-52 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग से सम्बन्धित कोशबही के अनुसार प्रारंभिक अवशेष रु0 1023376.34 वर्ष में प्राप्त रु0 1209026.00, कुल रु0 2232402.34 विकास कार्यों हेतु अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु विकास कार्यों पर पूरे वर्ष पर्यन्त कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत को विकास कार्यों से वंचित रखा गया है जो शासन की मंशा के विपरीत है। इस प्रकार विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान का उपभोग न कर अनियमितता की गयी है जिसके लिए प्रधान श्री विक्रमा सिंह, सचिव श्री अनिल कुमार पटेल एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री अखिलेश कुमार तिवारी समान रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

36-ग्राम पंचायत नईकोट

विकासखण्ड- नियमताबाद

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-53 ग्राम निधि प्रथम के कैश-बुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/ हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	02.06.2018	61300.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
2	03.08.2018	74900.00	हैण्ड पम्प रिबोर
3	16.08.2018	74900.00	हैण्ड पम्प रिबोर
4	11.02.2019	19000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
	योग	230100.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1. दर्शित कार्य का क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है।
2. उपरोक्त दर्शित भुगतान में सामग्री की धनराशि कितनी है, एवं मजदूरी कितना है यह स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है।
3. हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब है, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
4. हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
5. सामग्री क्रय का कोटेशन आमंत्रित नहीं हैं
6. स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय और निष्प्रयोज्य सामग्री(स्कैप) के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।
7. दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
8. कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य संतोशप्रद होने की भी रिपोर्ट नहीं हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय के पुष्टिकारक अभिलेख नहीं हैं। अतएव दर्शित समस्त भुगतान रु0 230100.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती रीना देवी एवं सचिव श्री राम जी यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 कैशबुक ग्राम निधि प्रथम में दिनांक 29.03.2019 को गोविन्द गुप्ता के घर से हनुमान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर रु0 25200.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

1. दर्शित मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है।
2. कैश बुक में मात्र मजदूरी भुगतान दर्शित है। कार्य हेतु इण्टरलाकिंग ईट का क्रय कैश बुक में दर्शित नहीं है। बिना सामग्री के कार्य संभव नहीं है।
3. इण्टरलाकिंग कार्य की लम्बाई, चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है, एवं न ही इस कार्य का एम0बी0 कराया गया है।
4. उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।
5. दर्शित कार्य का धन उपभोग प्रमाण-पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि पुष्टीकरण अभिलेख अनुपलब्ध रहे।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 25200.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। अतः इस धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती रीना देवी एवं सचिव श्री राम जी यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

37—ग्राम पंचायत मन्नापुर
विकासखण्ड— नियमताबाद
वर्ष—2018—19

प्रस्तर—55 दिनांक 29.03.2019 को ग्राम निधि प्रथम से लोकसभा निर्वाचन हेतु रु0 22500.00 में अमन इण्टरप्राइजेज से कैमरा क्रय किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नानुसार है :-

- क्रय से पूर्व कोटेशन नहीं लिया गया है।
- खरीद सामग्री का अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
- क्रय सामग्री का वर्षान्त में किसी विभागीय अधिकारी का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
- कैमरा क्रय हेतु विभागीय अधिकारी का आदेश पत्र उपलब्ध नहीं है।
- उक्त सामग्री के क्रय का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत नहीं है।

इस प्रकार क्रय किए गये कैमरा की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन न हो पाने एवं स्टॉक रजिस्टर में अंकित नहीं होने के कारण स्टॉक अपहरण कर लिया गया है। अतः रु0 22500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं सचिव श्री सतीश कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—56

दिनांक 27.06.2018 को कूप जगत निर्माण हेतु रु0 17750.00 चेक संख्या 02005425 द्वारा मजदूरी का भुगतान किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- कैश बुक में कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री क्रय दर्शाया गया है, जबकि वास्तव में भुगतान मजदूरी पर किया गया है।
- मस्टर रोल पेड एण्ड कैसिल्ड नहीं है। उक्त कार्य हेतु सामग्री किस तिथि को क्रय की गयी, कैश बुक एवं पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
- उपभोग प्रमाण—पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण रिपोर्ट अनुपलब्ध रहा।
- उपरोक्त कार्य का स्टीमेट, निर्माण कार्य समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 17750.00 संप्रेक्षण में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके लिए प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं सचिव श्री सतीश कुमार जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

38—ग्राम पंचायत कबीरपुर
विकासखण्ड— नियमताबाद
वर्ष—2018—19

प्रस्तर—57 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 03.04.2018 को नत्थू के घर से रेमई के घर तक रिटरनिंग वाल एवं इन्टर लाकिंग कार्य हेतु रु0 47900.00 मजदूरी का भुगतान किया गया है। उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री किससे एवं किस तिथि को क्रय की गयी, कैशबुक एवं पत्रावली से स्पष्ट नहीं है।
- मस्टर रोल को “भुगतान एवं रद्द किया” (पेड एंड कैसिल्ड) नहीं किया गया है।
- रिटरनिंग वाल एवं इन्टर लाकिंग कार्य की लम्बाई—चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है।
- उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण प्रमाण—पत्र अनुपलब्ध है।
- उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, स्टीमेट एवं निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 47900.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके लिए प्रधान श्री राजकुमार एवं सचिव श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

39—ग्राम पंचायत रोहड़ा
विकासखण्ड— नियमताबाद
वर्ष—2018—19

प्रस्तर-58

1- ग्राम निधि प्रथम में निम्नांकित विवरण के अनुसार भुगतान कैशबुक में दर्शित है :-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	11.04.18	94975.00	टप्पू के दुकान से तालाब तक नाली निर्माण हेतु सामग्री
2	02.06.18	363000.00	काशी के घर से राजू के कुआं तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग हेतु सामग्री
योग		457975.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों पर आपत्तियां निम्नवत् है :-

- सामग्री क्रय का प्रमाणक नहीं है। भुगतान प्रमाणक के अभाव में क्रय की पुष्टि संभव नहीं है।
- क्रय सामग्री का विवरण कैश-बुक में अंकित नहीं है।
- दिनांक 31.03.19 तक कार्य की मजदूरी कैश-बुक में दर्शित नहीं है।
- उपरोक्त सामग्री क्रय का टेन्डर/कोटेशन, स्टीमेट, निर्माण समिति से संस्तुति /स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।
- नाली की लम्बाई, चौड़ाई व गहराई का एवं इण्टरलाकिंग की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है एवं इस कार्य का एम0बी0 भी नहीं कराया गया है।
- क्रय सामग्री का अंकन स्टाक रजिस्टर पर नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रमाण-पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, धन उपभोग प्रमाण-पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। ऐसे में कार्य की एवं सामग्री क्रय पर व्यय आदि किसी की भी पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय की धनराशि रु0 457975.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती सीमा एवं सचिव श्री राम जी यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-59

दिनांक 02.06.2018 को कैश-बुक में विभिन्न स्थलों पर हैण्ड-पम्प मरम्मत पर सामग्री व श्रमांश एवं सफाई सम्बन्धित सामग्री पर कुल रु0 60400.00 भुगतान किया गया दर्शाया गया है। उपरोक्त दर्शित भुगतान में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रु0 40400.00 व्यय कैश-बुक में अंकित है, जिस पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- हैण्ड पम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय का सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है।
- हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब है, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध रहा।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।
- कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य के संतोशप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 40400.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी मय ब्याज वसूली प्रधान श्रीमती सीमा एवं श्री राम जी यादव से की जानी अपेक्षित है।

40-ग्राम पंचायत हसनपुर**विकासखण्ड- नियमताबाद**

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-60

1- कैश-बुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	03.08.18	19425.00	सदगुरु इण्टरप्राइजेज से सामग्री एवं मजदूरी
2	18.03.18	24000.00	गुडविल इण्टरप्राइजेज से सामग्री एवं मजदूरी
3	18.03.19	25000.00	गुडविल इण्टरप्राइजेज से सामग्री एवं मजदूरी
योग		68425.00	

उपरोक्त दर्शित व्ययों पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- दर्शित क़य का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है। भुगतान प्रमाणक के अभाव में क़य एवं कार्य की पुष्टि संभव नहीं है।
- हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब है, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क़य का कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं धन उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध है।
- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क़य एवं निष्प्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।
- कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य के संतोषप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय की धनराशि रु0 68425.00 को फर्जी मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं सचिव श्री राम जी यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-61

ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 28.01.2019 को हसनपुर में श्री नारायण के घर से सीताराम के घर तक ढक्कनदार नाली निर्माण पर मजदूरी भुगतान रु0 23775.00 दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् है :-

- कैश-बुक में मात्र मजदूरी भुगतान दर्शित है। नाली निर्माण हेतु ईट, सीमेंट, बालू आदि का क़य कैश-बुक में दर्शित नहीं है। बिना सामग्री के कार्य संभव नहीं है।
- मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है।
- नाली की लम्बाई, चौड़ाई व गहराई का विवरण अंकित नहीं है एवं इस कार्य का एम0बी0 भी नहीं कराया गया है।
- उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाण नहीं हैं
- दर्शित कार्य का धन उपभोग प्रमाण पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, निरीक्षण प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति पंजिका, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि पुष्टिकारक अभिलेख अनुपलब्ध रहे।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 23775.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। अतः उपरोक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्रीमती शीला देवी एवं सचिव श्री राम जी यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

41-ग्राम पंचायत गुवास विकासखण्ड- नियमताबाद वर्ष-2018-19

प्रस्तर-62 कैश-बुक एवं व्यय प्रमाणकों के अनुसार प्रा0पा0 एवं पू0मा0पा0 में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है :-

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	14.08.18	142800.00	8500 नग इण्टरलाकिंग ईट / 16.8/नग मेसर्स राजन इण्टरप्राइजेज
2	12.09.18	28800.00	मजदूरी
	योग	171600.00	

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- सामग्री क़य प्रमाणक पर स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है। संप्रेक्षण में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा जिससे क़य स्टॉक के लेखांकन की भी पुष्टि नहीं होती।
- दर्शित कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
- भुगतान प्रमाणकों को 'पेड एण्ड कैसिल्ड' नहीं किया गया है।
- इण्टरलाकिंग कार्य की लम्बाई-चौड़ाई अंकित नहीं है।
- उपरोक्त कार्यों का स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 171600.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती हैं। जिसके लिए प्रधान श्री बिहारी एवं सचिव श्री श्रीकांत पाण्डेय उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

42—ग्राम पंचायत लौंदा
विकासखण्ड— नियमताबाद
वर्ष—2018—19

प्रस्तर—63

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	05.04.18	84000.00	रामपती के घर से अरविन्द के घर तक सी०सी०रोड निर्माण की मजदूरी
2	05.04.18	78750.00	सोनू के घर से मुन्नी यादव के घर तक सी०सी०रोड निर्माण की मजदूरी
3	19.06.18	54075.00	लौंदा में नंदू के घर से संजय के घर तक हयूम पाइप सीवर, रिटर्निंग वाल एवं सी०सी०रोड निर्माण की मजदूरी
4	19.06.18	54850.00	लौंदा में हरिद्वार के खेत से बेचन के खेत तक हयूम पाइप सीवर नाली, रिटर्निंग वाल एवं सी०सी०रोड निर्माण की मजदूरी
	योग	271675.00	

उपरोक्त दर्शित भुगतान पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- मस्टर रोल 'पेड एण्ड कैंसिल्ड' नहीं है।
- सी०सी० रोड की लम्बाई चौड़ाई एवं सीवर नाली की लम्बाई, चौड़ाई व गहराई का विवरण अंकित नहीं है।
- धन उपभोग प्रमाण—पत्र एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
- उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है।
- कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।

उक्त अनियमितता के प्रति ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तरदायी रहे जिसके प्रति विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

43—ग्राम पंचायत बुधवार
विकासखण्ड— नियमताबाद
वर्ष—2018—19

प्रस्तर—64 ग्राम निधि प्रथम से ग्राम स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2018/27.08.2018 को निम्नांकित विवरण के अनुसार सामग्री क्रय पर एवं मजदूरी पर भुगतान कैश—बुक में दर्शाया गया है :-

क्र०सं०	धनराशि	विवरण
1	18000.00	डस्टबिन 30 नग / 600.00
2	4050.00	झाड़ू 18 नग / 225.00
3	14364.00	बैनर
4	4410.00	6 कुंटल चूना / 735.00
5	2394.00	ब्लीचिंग पाउडर 60 ठह / 39.90
6	4725.00	स्वच्छता कार्य की मजदूरी
7	31350.00	पेंटिंग कार्य 100 वर्ग फुट / 28.50
योग	79293.00	

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- सामग्री क्रय का प्रमाणक, स्वच्छता कार्य की एवं पेंटिंग कार्य पर मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल नहीं है। भुगतान प्रमाणक के अभाव में सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान की पुष्टि संभव नहीं है।
- डस्टबिन क्रय हेतु प्रस्ताव, स्टीमेट एवं सम्बन्धित सामग्री खरीदने हेतु निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाण नहीं है।
- डस्टबिन क्रय का लेखांकन डेड स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया गया है।
- डस्टबिन की स्थापना कहां—कहां की गयी है, की सूची भी नहीं रखी गयी है।
- सफाई एवं पेंटिंग कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रमाण पत्र, धन उपभोग प्रमाण—पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे। ऐसे में कार्य की, सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर व्यय आदि किसी की भी पुष्टि नहीं होती।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय की धनराशि रु0 79293.00 को फर्जी मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली प्रधान श्री गुलाबचन्द एवं सचिव श्री राम जी यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 कैश-बुक ग्राम निधि प्रथम में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत/ हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	27.07.18	22000.00	हैण्ड पम्प रिबोर
2	16.08.18	45740.00	हैण्ड पम्प रिबोर
3	01.02.19	39900.00	हैण्ड पम्प मरम्मत
4	19.03.19	68000.00	हैण्ड पम्प रिबोर
5	19.03.19	68000.00	हैण्ड पम्प रिबोर
	योग	243640.00	

उपरोक्त दर्शाये गये व्ययों पर आपत्तियां निम्नवत् है :-

- दर्शित क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल नहीं है।
- हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब है, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि के सन्दर्भ में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/ सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है।
- कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य संतोशप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।
- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय और निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय के पुष्टिकारक अभिलेख नहीं है। अतएव दर्शित समस्त भुगतान रु0 243640.00 लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री गुलाबचन्द एवं सचिव श्री राम जी यादव से की जानी अपेक्षित है।

44-ग्राम पंचायत शिवनाथपुर विकासखण्ड- नियमताबाद वर्ष-2018-19

प्रस्तर-66 ग्राम निधि प्रथम से हैण्ड पम्पों के मरम्मत पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र०सं०	दिनांक	धनराशि
1	13.08.18	19120.00
2	25.02.19	17170.00
3	30.03.19	19500.00
योग		55790.00

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं मजदूरी की कितनी है प्रमाणकों पर स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल पृथक-पृथक होना चाहिये था।
- हैण्ड पम्प कौन-कौन से खराब है, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/ सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध है।
- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय और अप्रयोज्य(स्कैप) सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 55790.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके लिए प्रधान श्रीमती कंचन यादव एवं श्री श्रीकांत पाण्डेय उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-67 दिनांक 25.02.2019 को कुर्सी, मेज, दरी एवं स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री क्रय हेतु रु0 41890.00 एवं दिनांक 30.03.2019 को कैमरा खरीद हेतु रु0 9500.00 भुगतान किया गया है, जिसके संबंध में आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- खरीद स्टॉक का अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
- क्रय सामग्री का वार्षिक में किसी विभागीय अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने का रिपोर्ट नहीं है।
- ग्राम पंचायत की बैठक में उपरोक्त सामग्री के क्रय के सम्बन्ध में आवश्यकता का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं है।
- उपरोक्त सामग्री क्रय से पूर्व किसी विभागीय अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गयी है।
- उपरोक्त सामग्री विगत वर्षों में क्रय नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 51390.00(41890.00+9500.00) लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है। उपरोक्त के लिये प्रधान श्रीमती कंचन यादव एवं श्रीकांत पाण्डेय जिम्मेदार हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

45-ग्राम पंचायत सरने विकासखण्ड- नियमताबाद वर्ष-2018-19

प्रस्तर-68 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 13.07.2018 को कुर्सी, मेज, दरी एवं अलमारी क्रय हेतु रु0 53860.00 मेसर्स भारत इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित आपत्तियां हैं :-

- खरीद सामग्री का अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है।
- क्रय स्टॉक का वार्षिक में किसी विभागीय अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किए जाने का रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
- उपरोक्त सामग्री विगत वर्षों में क्रय नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
- सामग्री क्रय से पूर्व किसी विभागीय अधिकारी से क्रय की स्वीकृति नहीं ली गयी है।
- सामग्री क्रय की आवश्यकता का प्रस्ताव ग्राम पंचायत की बैठक में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 53860.00 लेखा परीक्षा में दुरुपयोगित आंकलित की जाती है। उपरोक्त के लिये प्रधान श्री शरदा प्रसाद एवं सचिव श्रीकांत पाण्डेय उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत व्यासपुर विकासखण्ड- नियमताबाद वर्ष-2018-19

प्रस्तर-69 हैण्डपम्पों के मरम्मत पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है :-

क्र.सं०	दिनांक	धनराशि	विवरण
1	16.08.2018	5500.00	मेसर्स भारत इंटरप्राइजेज को
2	30.03.2019	7800.00	मेसर्स भारत इंटरप्राइजेज को
	योग :-	13300.00	

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार हैं :-

- उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में सामग्री की धनराशि कितनी है एवं मजदूरी की कितनी प्रमाणकों पर स्पष्ट विभेद अंकन नहीं है। सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी हेतु मस्टर रोल पृथक पृथक होना चाहिये था।
- भुगतान प्रमाणक 'पेड एण्ड कैसिल्ड' नहीं है।

- हैण्डपम्प कौन कौन से खराब हैं, इससे सम्बन्धित जांच रिपोर्ट नहीं है।
- हैण्डपम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है।
- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है जिससे सामग्री कय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री (स्कैप) के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए दर्शित व्यय रु0 13300.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आंकलित की जाती है, जिसके लिए प्रधान श्री प्रेम कुमार एवं सचिव श्री संजय शर्मा उत्तरदायी हैं। समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-70 दिनांक 25.09.2018 को राजू खां के घर के पास कूप मरम्मत हेतु रु0 14925.00 मजदूरी भुगतान किया गया है। इस कार्य पर आपत्तियां निम्नवत् हैं :-

- कूप मरम्मत की आवश्यकता के संबंध में जांच रिपोर्ट नहीं है।
- दर्शित कार्य का निरीक्षण रिपोर्ट, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है।
- कूप मरम्मत से पूर्व का कार्य करते हुए श्रमिक/मिस्त्री का एवं कार्य सम्पन्न होने के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है।
- मस्टर रोल 'पेड एंड कैसिल्ड' नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 14925.00 लेखा परीक्षा में अनियमितता आंकलित की जाती है जिसके लिए प्रधान श्री प्रेम कुमार एवं सचिव श्री संजय शर्मा जिम्मेदार हैं। समुचित कार्यवाही अपेक्षित है।

47- ग्राम पंचायत परसहवा

विकासखण्ड- नौगढ़

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-71 विभिन्न तिथियों में टैंकर द्वारा पानी सप्लाई पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत् है :-

1. पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2ब के अनिसर राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है। कार्यांतर स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गयी है।
2. लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. इसके लिये अलग टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया नहीं किया गया है।
4. वाटर सप्लाई के स्थान के चयन का कार्य कैसे और किस प्रकार किया गया है अस्पष्ट रहा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
17.07.2018	टैंकर द्वारा वाटर सप्लाई	120000.00
10.08.2018	टैंकर द्वारा वाटर सप्लाई	130000.00
29.01.2019	टैंकर द्वारा वाटर सप्लाई	118000.00
07.02.2019	टैंकर द्वारा वाटर सप्लाई	55000.00
	योग :-	423000.00

उक्त काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि प्रधान व सचिव द्वारा धनराशि का अपहरण कर मिला गया जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प के मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत् है :-

1. उ0प्र0 पंचायती राज लेख मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच कि जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
2. पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
3. रु0 2.50 लाख से उपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।
4. कार्य प्रारंभ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।
5. मरम्मत के पश्चात हैण्डपम्प जो भी निष्प्रयोज्य सामग्री निकली उसका क्या किया गया लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा।
6. लेखा परीक्षा में लाभार्थियों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा जिससे स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित हैण्डपम्प पर मरम्मत की आवश्यकता है।
7. लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों पर जी0एस0टी0 क्रमांक अंकित नहीं किया गया।
8. सम्बन्धित कार्य के अन्तिम भुगतान के पूर्व जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट भी अनुपलब्ध रहा जिसमें की यह उल्लेख हो कि मरम्मत किए गये हैण्डपम्प ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं।
9. रु0 100000 से अधिक काम पर टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया।
10. निर्माण कार्य समिति द्वारा व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
21.04.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	60430.00
11.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	59600.00
08.05.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	60430.00
18.05.2018	हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी	9460.00
13.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	70000.00
14.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	65650.00
14.09.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	65500.00
29.01.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	90000.00
07.02.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	45000.00
07.02.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	55000.00
07.02.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	52500.00
16.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	55000.00
योग :-		688570.00

उक्त काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का गबन प्रधान व सचिव द्वारा किया गया जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

48- ग्राम पंचायत मझगांवा

विकासखण्ड- नौगढ़

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-73 विभिन्न तिथियों में टैंकर द्वारा पानी सप्लाई पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत् है :-

1. पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
2. लेखा परीक्षा में व्यय धनराशि से संबंधित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. इसके लिये अलग से टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया नहीं किया गया है।
4. वाटर सप्लाई के स्थान के चयन का कार्य कैसे और किस प्रकार किया गया है अस्पष्ट रहा।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि

26.04.2018	टैकर द्वारा वाटर सप्लाई	35500.00
05.05.2018	टैकर द्वारा वाटर सप्लाई	15500.00
14.06.2018	टैकर द्वारा वाटर सप्लाई	115500.00
20.06.2018	टैकर द्वारा वाटर सप्लाई	20000.00
09.08.2018	टैकर द्वारा वाटर सप्लाई	40700.00
	योग	227200.00

उक्त काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का गबन प्रधान व सचिव द्वारा किया गया जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-74 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प के मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमियां प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है :-

1. उ0प्र0 पंचायती राज लेख मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रुप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु कि प्रविष्टि कर छमाही जांच कि जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
2. पंचायत अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016, दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
3. रु0 2.50 लाख से उपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।
4. कार्य प्रारंभ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।
5. मरम्मत के पश्चात हैण्डपम्प जो भी निष्प्रयोज्य सामग्री निकली उसका क्या किया गया लेखा परीक्षा में अस्पष्ट रहा।
6. लेखा परीक्षा में लाभार्थियों द्वारा कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं रहा जिससे स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित हैण्डपम्प पर मरम्मत की आवश्यकता है।
7. लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणकों पर जी0एस0टी0 क्रमांक अंकित नहीं किया गया।
8. सम्बन्धित कार्य के अन्तिम भुगतान के पूर्व जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट भी अनुपलब्ध रहा जिसमें की यह उल्लेख हो कि मरम्मत किए गये हैण्डपम्प ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं।
9. निर्माण कार्य समिति द्वारा व्यय की स्वीकृति नहीं ली गयी है।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
05.05.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	29500.00
05.06.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	25000.00
19.07.2018	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	100700.00
13.03.2019	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	105000.00
	योग	260200.00

उक्त काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का गबन प्रधान व सचिव द्वारा किया गया जिनसे धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्यों पर सामग्री कय करना कोशबही में दर्षित किया गया है किन्तु सम्बन्धित कार्यों पर कोई मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है एवं कय सामग्री की पुष्टि में स्टाक पंजिका भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत एवं फर्म में आपसी साठ-गाठ कर राजकीय धन का अपहरण किया है। सामग्री का स्टाक रजिस्टर नहीं रखा गया है, वर्शान्त में स्टाक अवशेष भी नहीं दर्शाया गया है। अपहरित धनराशि के प्रति प्रधान व सचिव उत्तरदायी रहे। जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	कय सामग्री की धनराशि
1	प्रा0पा0 का दीवाल निर्माण कार्य हेतु सामग्री	30.10.2018	85100.00

2	उच्च प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री	30.10.2018	85100.00
3	उच्च प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री	30.10.2018	85100.00
4	प्रा0वि0 का दीवाल निर्माण कार्य हेतु सामग्री	30.01.2019	70100.00
5	प्रा0वि0 मांझी बस्ती में शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री	07.03.2019	105000.00
6	प्रा0वि0 नई बस्ती में स्कूल के फर्ष मरम्मत हेतु सामग्री	18.03.2019	45100.00
	योग :-		475500.00

**49— ग्राम पंचायत सरायपकवान
विकासखण्ड— सकलडीहा
वर्ष—2018—19**

प्रस्तर-76 अ—कार्य योजना—“शिवधनी के घर से जवाहिर के घर तक सीवर नाली निर्माण” पर निम्न व्यय किए गए हैं

क्रम सं०	दिनांक	रोकड में विवरण	धनराशि
1	20.7.18	ईट व ईट गिट्टी का भुगतान मां काली ईट उोग को।	54530
2	27.7.18	निर्माण कार्य पर हयूम पाइप का भुगतान जय मां वैशणों ब्रिक्स इण्टरलाकिंग को	57693
3	30.7.18	कय सामग्री का भुगतान बाबा काल भैरव इण्टरप्राइजेज को।	46842
4	6.9.18	नाली निर्माण पर मजदूरी।	30940
		योग	190005

उक्त व्यय पर पर निम्न आपत्तियां रहीं—

- कार्य का प्रस्ताव प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति व कार्य का कोड प्रस्तुत नहीं की गयी।
- सम्बंधित व्यय का कय प्रमाणक यथा बिल/ वाउचर / चालान प्रस्तुत नहीं है।
- मजदूरी का मस्टर रोल (नियम 210) प्राप्त नहीं है।
- शासनादेश सं० ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार 100,000 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर व 20000 से अधिक कय पर कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य है। नियमानुसार कय का कोटेशन/टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
- नियम 202 के अनुसार स्टॉक रजि० पर कीत सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं है।
- कार्य के भुगतान पूर्व की गयी एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी न ही निर्माण कार्य की स्वीकृति ही ली गयी है।
- नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
- निरीक्षण पत्र/सत्यापन प्रमाणपत्र व कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
- परिसम्पत्ति रजि० व उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं रहा। उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि व्यय काल्पनिक है।

उ०प्र०पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशिरु 190005 की वसूली सचिव श्री शिवाजी सिंह व प्रधान श्रीमती चिंता देवी से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

ब—“ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी की सामग्री पर व्यय धन का भुगतान जय प्रकाश को।’ रु 18400 दर्ज है।
इस पर निम्न आपत्तियां हैं—

- कय प्रमाणक नहीं है।
- कार्य की वित्तीय प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति व आईडी प्राप्त नहीं है।
- भुगतान सम्बंधित फर्म को न करके किसी जय प्रकाश को किया गया है जो भुगतान वास्तविक नहीं होने के कारण भी अपुष्ट है।

उ0प्र0पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 18400 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री शिवाजी सिंह व प्रधान श्रीमती चिंता देवी से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

50— ग्राम पंचायत पंचदेउरा

विकासखण्ड— सकलडीहा

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—77 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा रोकडवही (प्रिया सॉफ्ट) के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा वर्ष में लगातार मौखिक और लिखित रूप से अभिलेख की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

1. दिनांक 5.9.2019 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को मौखिक रूप से व संलग्न पत्र द्वारा गोश्टी में सचिवों को समस्त सुसंगत अभिलेखों उपलब्ध कराने की मांग की गयी।
2. दिनांक 18.11.2019 को व्यय धनराशिके सापेक्ष बाकायदा लिखित कार्यक्रम देकर अभिलेखों की मांग की गयी।
3. दिनांक 19.12.2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित पत्र जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से सम्बंधित अभिलेखों व उन सचिवों की सूची दी गयी जो कार्यक्रम के सापेक्ष उस माह तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये थे।
4. इस पत्र दिनांक 19.12.2019 की प्रतिलिपि देते हुए फिर अभिलेखों के प्राप्त न होने की सूचना स0वि0अ0 को दी गयी। किंतु अभिलेख प्राप्त न हो सका।
5. पुनः दिनांक 6.2.2018 को स0वि0अ0 (पंचायत) से मिलकर मौखिक व लिखित रूप से संलग्न पत्र द्वारा अभिलेख की मांग की गयी।
6. फिर दिनांक 19.3.2020 को सहायक विकास अधिकारी से मौखिक व संलग्न पत्र द्वारा अभिलेखों की अनुपलब्धता की सूचना दी गयी। किंतु सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. इसी दिन जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली से मौखिक व संलग्न पत्र के माध्यम से अभिलेखों के अनुपलब्धता की बात की गयी साथ इसी पत्र के प्रतिलिपि लेकर खण्ड विकास अधिकारी से मौखिक व लिखित शिकायत की गयी। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी चन्दौली द्वारा दिनांक 19.3.2020 के प्रतिलिपि के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी से बात करने पर उन्होंने सम्बंधित सचिवों को पत्र भी लिखा जिसमें स0वि0अ0 पंचायत को कार्रवाई करने का स्पष्ट आदेश दिया गया फिर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि —

क—शासनादेश संख्या—ऑडिट 2953/2009—101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख—कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची स0वि0अ0 पं0 के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग—आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेशित पत्रांक 269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08—09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

ध—वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक वि0 आ0 प्र0(सि0रे0) दस—10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेशित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध

को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय उक्त का अनुपालन न किए जाने पर कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

उपयुक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। ऐसे में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशिका अपहरण कर लिया गया है। इसी कारण अभिलेख नहीं हैं।

ग्राम पंचायत पंचदेउरा में वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण प्रकाश में आया। जिस पर कार्रवाई हेतु सक्षम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक	चेक सं०	रोकड वही मे विवरण	धनराशि
1.6.18	113200	टेडर का भुगतान	3589
12.7.18	011842	ग्राम पं० में कार्यों की सामग्री हेतु हिन्दुस्तान मीडिया चन्दौली को भुगतान	3600
12.7.18	011841	प्रधान का मानदेय	5000
30.7.18	011843	ग्राम पं० में मिट्टी भराई हेतु भुगतान	22000
30.7.18	011844	ग्राम पंचायत में मि० ख० कार्य पर भुगतान	23100
3.10.18	011846	स्टेशनरी व फोटोग्राफी का भुगतान।	19650
3.10.18	011845	ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान।	14500
6.11.18	011847 48	प्रा० वि० में इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	308945
12.11.18	11449 50	प्रा० वि० में इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	41610
20.12.18	11851 52	मोहन के घर से काली जी के मंदिर तक मि०ख० कार्य पर भुगतान	166897
1.1.19	11853	मोहन के घर से काली जी के मंदिर तक मि०ख० कार्य पर भुगतान	46460
6.1.19	11856 -58	छोटू के घर से प्रा०पाठशाला तक ख०म० कार्य का भुगतान।	159739
17.1.19	11859-60	किशोर के घर से रामकृत के खेत तक नाली और साइडवाल कार्य पर भुगतान	83544
21.1.19	11855	प्रधान का मानदेय	24500
4.3.19	021722	किशोर के घर से रामकृत के खेत तक नाली और साइडवाल कार्य पर भुगतान	14525
14.3.19	021723 24 25	प्रभु के घर से पारस के घर तक ढक्कनदार नाली और खडंजा कार्य पर भुगतान	150062
15.3.19	21726	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट कार्य पर भुगतान	179200
16.3.19	21731-34	अमेरिका के घर से मेवा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	99695
16.3.19	2172728 30	छांगुर के घर से सुदामा के घर तक ढक्कनदार नाली कार्य पर भुगतान	100749
16.3.19	35	प्रशासनिक मद	15009
16.3.19	21738	अशोक के घर से डीह बाबा तक ढक्कनदार नाली कार्य पर भुगतान	22925
16.3.19	21736 37	अशोक के घर से डीह बाबा तक ढक्कनदार नाली कार्य पर भुगतान	98080
19.3.19	22721 22 29 40	भोला सिंह के घर से लल्लू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	362756
19.3.19	22724 25	भोला सिंह के घर से लल्लू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	60525
30.3.19	102727-29	प्रा०वि० में कमरों पर फर्ष मरम्मत व टाइल्स कार्य पर भुगतान	95729
30.3.19	22726	प्रा०वि० में कमरों पर फर्ष मरम्मत व टाइल्स कार्य पर भुगतान	81775
31.3.19	22736	प्रधान का मानदेय	17500
31.3.19	22730	अमेरिका के घर से मेवा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	68113
31.3.19	22731 व 32	प्रा०वि० में शौचालय मूत्रालय सबमर्सिबल व टंकी कार्य पर भुगतान	121432
31.3.19	22733	प्रा०वि० में शौचालय मूत्रालय सबमर्सिबल व टंकी कार्य पर भुगतान	72702
31.3.19	22734	प्रा०वि० में शौचालय मूत्रालय सबमर्सिबल व टंकी कार्य पर भुगतान	39200
31.3.19	22735	छांगुर के घर से सुदामा के घर तक पक्की नाली ढक्कन निर्माण कार्य पर भुगतान।	16800
		योग-	2539911

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही ; बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (धारा-32) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्य की आईडी ; प्रशासनिक; वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. सामग्री कय का कोटेशन /टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. सामग्री कय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालन व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं० 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति ए नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० प्ररूप सं०-25 पर नहीं बनाया गया है।
12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम -152
13. प्रधान का मानदेय रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया।
14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र (नियम 79/138/158) प्रस्तुत नहीं किया गया।
16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
17. उपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशिका अपहरण ; अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए धनराशिकी वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। ” उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 2539911 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्रीमती शीला से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

51- ग्राम पंचायत नारायनपुर विकासखण्ड- सकलडीहा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। अभिलेख एवं प्रमाणक बार-बार मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जिसका विवरण अधोलिखित है—

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम मौखिक/ लिखित तथा मोबाइल पर वार्ता से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग किए जाने के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्बंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्न लिखित है—

1. सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 5.9.2019 03.02.2020 29.02.2020 को इस सम्बंध में पत्र के माध्यम से (कापी संलग्न) आडिट की प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय हैं कि—

क-शासनादेश सं० आडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख-शासनादेश सं० -1838/33-3-2015 -03/2015 दिनांक 31 जुलाई के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से होने वाली धनराशिके उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्या योजना की एक प्रति एडीओ पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को दिनांक 19.3.2020 को पत्र के माध्यम से आडिट की प्रगति और सहयोग न किए जाने की सूचना दी गयी और मीटिंग में पूर्व की भांति मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा /आ.रि./09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों सहित सभी सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित सुसंगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं

पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिए गए हैं।

3. जिला पंचायत राज अधिकारी भी दिनांक 20.3.2021 को उपर्युक्त प्रकरण की सूचना मिलकर व पत्र के माध्यम से दी गयी। किंतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायती राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 1/शा0/140/2016-1/272/2018 दिनांक 5 मई 2017 में ए जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को सन्दर्भित किया गया है निर्देश दिया गया है कि समस्त अभिलेख प्रस्तुत करके ऑडिट न कराने वाले समस्त अधीनस्थों का वेतन रोक दिया जाए।
5. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ सिविल/रेवेन्यू के पत्रांक वि0आ0प्र0 सि0/रे0 दस-10(45) /12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किए गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर धीमता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसका तात्पर्य है कि प्रधान/सचिव द्वारा बिना गाइडलाइन का पालन किए/बिना प्रमाणक धन का आहरण कर अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत नरायनपुर में वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट पर रोकड वही (संलग्न) के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

दिनांक	चेक सं०	रोकड वही में विवरण	धनराशि
4.4.18	100151	रामफल के घर से राम परवेश के घर तक शिवानन्द के घर से लोचन सुरेश पासवान	97230
4.4.18	000029	प्रा 0वि0 नरायनपुर दीना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	525
4.4.18	000047	प्रा 0वि0 नरायनपुर दीना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	9112
7.4.18	000045	प्रधान का मानदेय	21000
18.4.18	000050	प्रा 0 वि0 नरायनपुर दीना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	3505
9.5.18	100052	रामफल के घर से राम परवेश के घर तक शिवानन्द के घर से लोचन सुरेश पासवान	6125
1.6.18	000054	प्रशासनिक व्यय व स्टेशनरी	3589
1.6.18	000048	प्रा 0वि0 नरायनपुर दीना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	12672
4.6.18	100055	रामफल के घर से राम परवेश के घर तक शिवानन्द के घर से लोचन सुरेश पासवान	18375
6.6.18	100056	रामफल के घर से राम परवेश के घर तक शिवानन्द के घर से लोचन सुरेश पासवान	31396
3.7.18	000053	प्रशासनिक व्यय स्टेशनरी	3600
7.7.18	000057	सफाइकमी सामग्री	5000
27.7.18	000058	प्रधान का मानदेय	3500
27.7.18	000059	प्रधान का मानदेय	3500
28.8.18	000035	मास्टर इण्टरप्राइजेज	10200
28.8.18	100060	हैंडपम्प रीबोर कार्य	10220
1.9.18	100061	प्रा 0 वि0 में शौचालय और टाइल्स निर्माण कार्य।	75636
1.9.18	100062	प्रा 0 वि0 में शौचालय और टाइल्स निर्माण कार्य।	61195
1.9.18	100063	प्रा 0 वि0 में शौचालय और टाइल्स निर्माण कार्य।	61500
2.9.18	100054	स्टीट लाइट	112000
7.9.18	100065	प्रा 0 वि0 में शौचालय और टाइल्स निर्माण कार्य।	26390
1.11.18	00036	हैंडपम्प रीबोर कार्य	14997
6.11.18	00037	हैंडपम्प रीबोर कार्य	15755
6.11.18	00038	सोलर लाइट	49500
9.2.19	00060	राइस मिल से जनता उच्चतर मा0 वि0 तक मि0 ख0 कार्य।	107940
9.2.19	00061	राइस मिल से जनता उच्चतर मा0 वि0 तक मि0 ख0 कार्य।	20685
9.2.19	00062	राइस मिल से जनता उच्चतर मा0 वि0 तक मि0 ख0 कार्य।	24150
9.2.19	00046	राइस मिल से जनता उच्चतर मा0 वि0 तक मि0 ख0 कार्य।	14000
16.3.19	00003	प्रधान का मानदेय।	21000
		योग	844297

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं-

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही ; बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (धारा-32) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्य की आईडी ; प्रशासनिक; वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. सामग्री कय का कोटेशन/टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. सामग्री कय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालन व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं० 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० प्ररूप सं०-25 पर नहीं बनाया गया है।
12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम -152
13. सार्वजनिक हैडपम्प की सत्यापित सूची ; खराब होने की शिकायती पत्र ; रीबोर की जांच रिपोर्ट ; जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति व निश्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक में अंकन कर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र (नियम 79/138/158) प्रस्तुत नहीं किया गया।
16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
17. उपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि० व मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार- " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। "उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 844297 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्री साहब राजभर से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

52- ग्राम पंचायत कटसिल

विकासखण्ड- सकलडीहा

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-79 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा रोकडवही (प्रिया सॉफ्ट) के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा वर्ष में लगातार मौखिक और लिखित रूप से अभिलेख की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

1. दिनांक 5.9.2019 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को मौखिक रूप से व संलग्न पत्र द्वारा गोश्टी में सचिवों को समस्त सुसंगत अभिलेखों उपलब्ध कराने की मांग की गयी।
2. दिनांक 18.11.2019 को व्यय धनराशिके सापेक्ष लिखित कार्यक्रम देकर अभिलेखों की मांग की गयी।
3. दिनांक 19.12.2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित पत्र जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से सम्बंधित अभिलेखों व उन सचिवों की सूची दी गयी जो कार्यक्रम के सापेक्ष उस माह तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये थे।
4. इस पत्र दिनांक 19.12.2019 की प्रतिलिपि देते हुए फिर अभिलेखों के प्राप्त न होने की सूचना स०वि०अ० को दी गयी। किंतु अभिलेख प्राप्त न हो सका।
5. पुनः दिनांक 6.2.2018 को स०वि०अ० पंचायत से मिलकर मौखिक व लिखित रूप से संलग्न पत्र द्वारा अभिलेख की मांग की गयी।
6. फिर दिनांक 19.3.2020 को सहायक विकास अधिकारी से मौखिक व संलग्न पत्र द्वारा अभिलेखों की अनुपलब्धता की सूचना दी गयी। किंतु सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. उक्त तिथि को जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली से मौखिक व संलग्न पत्र के माध्यम से अभिलेखों के अनुपलब्धता की बात की गयी साथ इसी पत्र के प्रतिलिपि लेकर खण्ड विकास अधिकारी से मौखिक व लिखित शिकायत की गयी फिर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि-

क-शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख-कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची स0वि0अ0 पं0 के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग-आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेशित पत्रांक 269/सप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

घ-वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक वि0 आ0 प्र0(सि0रे0) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेशित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर धीमता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय उक्त का अनुपालन न किए जाने पर कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

उपयुक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख/प्रमाणक ही उपलब्ध कराया गया। ऐसे में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। इसी कारण अभिलेख नहीं हैं।

ग्राम पंचायत कटसिल की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध रोकड वही (संलग्न) के अनुसार की गयी।

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	रोकड वही में विवरण	धनराशि
1	20.5.2018	000238	ग्राम पं० में कराये जानेवाले कार्यों पर टेंडर का भुगतान	3600
2	21.5.2018	000239	सामग्री आपूर्ति हेतु विज्ञापन का भुगतान	3589
3	22.5.2018	000240	प्रशासनिक मद पर भुगतान	5000
4	6.11.2018	241 व 242	मेन रोड से प्रा०वि० में रिटर्निंग वाल और मि० ख० कार्य पर भुगतान	202971
5	6.11.2018	248	स्टीट लाइट कार्य पर भुगतान	44800
6	16.11.2018	243	मेन रोड से प्रा०वि० में रिटर्निंग वाल और मि० ख० कार्य पर भुगतान एवं चेक बुक चार्ज।	2115
7	27.11.2018	244	मेन पिच रोड से प्रा०वि० कटसिल तक साइडवाल और मि० ख० कार्य का भुगतान	30625
8	1.1.2019	245	अकलू के घर से देवानंद के शौचालय तक पक्की नाली और इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	29015
9	30.1.2019	246	मिट्टू के घर से बब्बन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	12250
10	1.2.2019	247	ग्राम पंचायत में स्टीट लाइट का भुगतान	201600
11	1.2.2019	249 से 252	अकलू के घर से देवानंद के शौचालय तक पक्की नाली और इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	203131
12	9.2.2019	211 212 253 254 255	मिट्टू के घर से बब्बन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	232211
13	9.2.2019	213	मिट्टू के घर से बब्बन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान	9080
14	9.2.2019	215 216	हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर भुगतान त्रिलोकी भारत घर्मदेव राजेन्द्र श्यामवती मुन्ना मिट्टू अकलू विमलेश कालीजीके मंदिर के पास।	40071
15	25.2.2019	219 220 221	जमुना के घर से मेन रोड तक पक्की नाली और इण्टरलाकिंग पर भुगतान।	83324
16	25.2.2019	217 218	जमुना के घर से मेन रोड तक पक्की नाली और इण्टरलाकिंग पर भुगतान।	72653
17	5.3.2019	222 से 225	मेन सडक से रामाज्ञा के घर तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	162372
18	12.3.2019	256 58 59 60 61	महगु के घर से अशोक हरिजन के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	246973
19	15.3.2019	262	ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान।	35000

20	25.3.2019	263 264	प्रा० वि० कटसिल में शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान।	118621
21	25.3.2019	265 266	प्रा० वि० कटसिल में शौचालय निर्माण कार्य पर भुगतान।	59380
			योग	1798381

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (धारा-32) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्य की आईडीप्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. सामग्री कय का कोटेशन /टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. सामग्री कय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालन व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं० 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति ए नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० प्ररूप सं०-25 पर नहीं बनाया गया है।
12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम -152
13. सार्वजनिक हैडपम्प की सत्यापित सूची ; खराब होने की शिकायती पत्र ; जांच रिपोर्ट ; जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति व निष्प्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक में अंकन कर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र ;नियम 79/138/158द्ध प्रस्तुत नहीं किया गया।
16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
17. मानदेय रजिस्टर एउपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशिका अपहरण ; अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। ” उक्त तथ्य के आलोक में धनराशिरु 1798381 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्री मती मंजू से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

53— ग्राम पंचायतजमुनीपुर

विकासखण्ड— सकलडीहा

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—80ग्राम पंचायत के वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट पर अंकित व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। अभिलेख एवं प्रमाणक बार—बार मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया जिसका विवरण अधोलिखित है—

1. 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम ए मौखिक/ लिखित तथा मोबादल पर वार्ता से बार—बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग किए जाने के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्बंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसका विवरण निम्न लिखित है—

सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 5.9.2019 06.02.2020 29.02.2020 को इस सम्बंध में पत्र के माध्यम से (कापी संलग्न) आडिट की प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय हैं कि—

क-शासनादेश सं० आडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख-शासनादेश सं० -1838/33-3-2015 -03/2015 दिनांक 31 जुलाई के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से होने वाली धनराशिके उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्या योजना की एक प्रति एडीओ पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी लेकिन अपने कार्यालय से इसे भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

2. खण्ड विकास अधिकारी जो कि विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते हैं को दिनांक 19.3.2020 को पत्र के माध्यम से आडिट की प्रगति और सहयोग न किए जाने की सूचना दी गयी और मीटिंग में पूर्व की भांति मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा /आ.रि./09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खण्ड विकास अधिकारियों सहित सभी सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित सुसंगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियों एवं पंचायतों को सम्प्रेक्षा कार्य हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु कड़े निर्देश दिए गए हैं।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी भी दिनांक 20.3.2021 को उपर्युक्त प्रकरण की सूचना मिलकर व पत्र के माध्यम से दी गयी। किंतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायती राज के द्वारा समस्त जिला अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 1/शा०/140/2016-1/272/2018 दिनांक 5 मई 2017 में ए जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को सन्दर्भित किया गया है ए निर्देश दिया गया है कि समस्त अभिलेख प्रस्तुत करके ऑडिट न कराने वाले समस्त अधीनस्थों का वेतन रोक दिया जाए।
5. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ सिविल/रेवेन्यू के पत्रांक वि०आ०प्र० सि०/रे० दस-10(45) /12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित पत्र के बिंदु-3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल के किए गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा की स्थिति में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेगे।

उपर्युक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसका तात्पर्य है कि प्रधान/सचिव द्वारा बिना गाइडलाइन का पालन किए/बिना प्रमाणक धन का आहरण कर अपहरण किया गया।

ग्राम पंचायत जमुनीपुर में वर्ष 2018-19 में प्रिया साफ्ट पर रोकड वही (संलग्न) के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शित है-

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	रोकड वही मे विवरण	धनराशि
1	16.4.2018	6576 व 6578	सामग्री व मजदूरी	141660
2	21.5.2018	6579 216580	स्टेशनरी	7189
3	22.6.2018	0081 82	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	141992
4	10.7.2018	0088 0089	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	87780
5	22.7.2018	0090 0091	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	74958
6	29.7.2018	0092 0093	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	50346
7	17.9.2018	210086 95 96	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	231141
8	26.9.2018	210087 97 98	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	167433
9	28.9.2018	0099 100	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	55979
10	5.10.2018	501 502	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	230947
11	27.10.2018	503 504	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	239578
12	20.11.2018	505 506	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	458360
13	6.2.2019	083 508 509	पूर्व मा० वि० में शौचालय निर्माण कार्य।	193302
14	10.2.2019	512	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	194600
15	18.2.2019	507	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	31500
16	21.2.2019	510 515 516	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	436163
17	27.2.2019	517 518	सामग्री व मजदूरी पर व्यय।	152985

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (धारा-32) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्य की आईडी ; प्रशासनिक; वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. कार्य का नाम व कार्य किस योजना से कराया गया है स्पष्ट नहीं है।
5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0 भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. सामग्री क्रय का कोटेशन /टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. सामग्री क्रय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. सामग्री क्रय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालन व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति ए नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि0 प्ररूप सं0-25 पर नहीं बनाया गया है।
12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम-152
13. निशप्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक में अंकन कर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र (नियम 79/138/158) प्रस्तुत नहीं किया गया।
16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
17. उपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण ; अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

उ0 प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8 (क) के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। ” उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 2895913 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्री मती रेनू से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

54- ग्राम पंचायत फेसुड़ा विकासखण्ड- सकलडीहा वर्ष-2018-19

प्रस्तर-81 वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा रोकडवही (प्रिया सॉफ्ट) के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा वर्ष में लगातार मौखिक और लिखित रूप से अभिलेख की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

- 1- दिनांक 5.9.2019 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत को मौखिक रूप से व संलग्न पत्र द्वारा गोश्टी में सचिवों को समस्त सुसंगत अभिलेखों उपलब्ध कराने की मांग की गयी।
- 2- दिनांक 10.10.2019 को व्यय धनराशिके सापेक्ष बाकायदा लिखित कार्यक्रम देकर अभिलेखों की मांग की गयी।
- 3- दिनांक 19.12.2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित पत्र जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से सम्बंधित अभिलेखों व उन सचिवों की सूची दी गयी जो कार्यक्रम के सापेक्ष उस माह तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये थे।
- 4- इस पत्र दिनांक 19.12.2019 की प्रतिलिपि देते हुए फिर अभिलेखों के प्राप्त न होने की सूचना स0वि0अ0 को दी गयी। किंतु अभिलेख प्राप्त न हो सका।
- 5- पुनः दिनांक 6.2.2020 को स0वि0अ0 पंचायत से मिलकर मौखिक व लिखित रूप से संलग्न पत्र द्वारा अभिलेख की मांग की गयी।

- 6- फिर दिनांक 19.3.2020 को सहायक विकास अधिकारी से मौखिक व संलग्न पत्र द्वारा अभिलेखों की अनुपलब्धता की सूचना दी गयी। किंतु सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
- 7- इसी दिन जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली से मौखिक व संलग्न पत्र के माध्यम से अभिलेखों के अनुपलब्धता की बात की गयी साथ इसी पत्र के प्रतिलिपि लेकर खण्ड विकास अधिकारी से मौखिक व लिखित शिकायत की गयी। फिर भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि—

क—शासनादेश संख्या-ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख—कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची स0वि0अ0 पं0 के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग—आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेशित पत्रांक 269/संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

घ—वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/रेवेन्यू) के पत्रांक वि0 आ0 प्र0(सि0रे0) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेशित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर धीमता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय उक्त का अनुपालन न किए जाने पर कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

उपयुक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। इससे स्पष्ट है कि कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशिका अपहरण कर लिया गया है। इसी कारण अभिलेख नहीं हैं।

ग्राम पंचायत फेसुडा में वर्ष 2018-19 की प्रिया साफ्ट पर रोकड वही (संलग्न) के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शित है—

क्रम सं0	दिनांक	चेक सं0	रोकड वही में विवरण	धनराशि
1-	23.4.2018	0270	फेसुडा में टेडर प्रकाशन पर भुगतान।	3600
2-	23.4.2018	0272	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	94552
3-	23.4.2018	0273	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	31000
4-	23.4.2018	0271	ग्राम पंचायत में टेडर प्रकाशन का भुगतान।	3589
5-	23.4.2018	0274	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	1591
6-	1.5.2019	0275	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	25725
7-	22.5.2019	0276	दिनेश के घर से तेज बहादुर के घर तक सीसी रोड निर्माण भुगतान।	124564
8-	22.5.2018	0277	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	27723
9-	22.5.2018	0278	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	7120
10	22.5.2018	0279	उधम सिंह के घर से पुष्पा के घर तक सीसी रोड निर्माण का भुगतान।	4200
11	25.5.2018	280	दिनेश के घर से तेज बहादुर के घर तक सीसी रोड निर्माण भुगतान।	3600
12	25.5.2018	281	दिनेश के घर से तेज बहादुर के घर तक सीसी रोड निर्माण भुगतान।	1921
13	29.5.2018	282	दिनेश के घर से तेज बहादुर के घर तक सीसी रोड निर्माण भुगतान।	30625
14	7.6.2018	283	सफाई कर्मी हेतु सामग्री भुगतान।	5000
15	19.6.2018	284	संजय सिंह के घर से डब्लू सिंह के घर तक हयूम पाइप व नाली भुगतान।	17080
16	19.6.2018	285	संजय सिंह के घर से डब्लू सिंह के घर तक हयूम पाइप व नाली भुगतान।	31158
17	19.6.2018	287	संजय सिंह के घर से डब्लू सिंह के घर तक हयूम पाइप व नाली भुगतान।	11025
18	28.6.2018	289	पिचरोड से गुल्लू यादव के घर तक मि0ख0 भुगतान।	30613
19	28.6.2018	290	पिचरोड से गुल्लू यादव के घर तक मि0ख0 भुगतान।	4467
20	28.6.2018	291	पिचरोड से गुल्लू यादव के घर तक मि0ख0 भुगतान।	12250
21	28.6.2018	294	गुलाब यादव के घर से मराछू के घर तक मि0ख0 कार्य।	45911

22	28.6.2018	288	संजय सिंह के घर से डब्लू सिंह के घर तक हयूम पाइप व नाली भुगतान।	21967
23	6.7.2018	292	रामपति के घर से बिहारी के घर तक मि0ख0 व नाली भुगतान।	33110
24	6.7.2018	293	रामपति के घर से बिहारी के घर तक मि0ख0 व नाली भुगतान।	56343
26	6.7.2018	295	गुलाब के घर से मराछू के घर तक मि0ख0 कार्य।	5709
27	14.7.2018	298	गुलाब के घर से मराछू के घर तक मि0ख0 कार्य।	17521
28	14.7.2018	297	रामजीत के घर से बिहारी के घर तक मि0ख0 नाली कार्य का भुगतान।	18375
29	12.10.018	299	इन्द्रदेव के घर से पक्की सड़क उमा के घर तक मि0ख0 भुगतान।	41002
30	12.10.018	301	गुलाब के घर से मराछू के घर तक मि0ख0 कार्य।	2978
31	13.10.018	312	हैडपम्प रीबोर कार्य का भुगतान	41438
32	15.10.018	302	गुलाब के घर से मराछू के घर तक मि0ख0 कार्य भुगतान।	8750
33	15.10.018	303	हनुमानजी के मंदिर से नौमि गिरि के घर तक मि0 रिटैनिंग वाल व इण्टरलाकिंग।	61017
34	15.10.018	305	हनुमानजी के मंदिर से नौमि गिरि के घर तक मि0 रिटैनिंग वाल व इण्टरलाकिंग।	24701
35	15.10.018	304	हनुमानजी के मंदिर से नौमि गिरि के घर तक मि0 ख0 कार्य।	21300
36	15.10.018	306	मुंशी लोहार के घर से पप्पू गोड के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	18560
37	15.10.018	307	हनुमानजी के मंदिर से नौमि गिरि के घर तक मि0 ख0 कार्य।	2233
38	15.10.018	313	हैडपम्प रीबोर कार्य।	56950
39	20.10.018	308	हनुमानजी के मंदिर से नौमि गिरि के घर तक मि0 ख0 कार्य भुगतान व बैंक चार्ज।	14789
40	20.10.018	309	पूर्व मा0 वि0 शौचालय निर्माण भुगतान।	58546
41	20.10.018	310	पूर्व मा0 वि0 शौचालय निर्माण भुगतान।	37642
42	20.10.018	311	पूर्व मा0 वि0 शौचालय निर्माण भुगतान।	20440
43	10.12.018	316	आरती के घर से शिवनाथ मौर्या के घर तक खडंजा नाली भुगतान।	49192
44	10.12.018	317	आरती के घर से शिवनाथ मौर्या के घर तक खडंजा नाली भुगतान।	2044
45	10.12.018	315	आरती के घर से शिवनाथ मौर्या के घर तक खडंजा नाली भुगतान।	26365
46	11.12.018	318	ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने का भुगतान।	107000
47	12.12.018	319	ग्राम पंचायत में सोलर लाइट लगाने का भुगतान व बैंक चार्ज।	107036
48	17.01.019	323	हैडपम्प रीबोर का भुगतान।	16975
49	17.01.019	324	ग्राम पंचायत हैडपम्प मरममत का भुगतान।	39884
50	17.01.2019	325	ग्राम पंचायत हैडपम्प मरममत का भुगतान।	6517
51	18.01.2019	329	महातिम सिंह के घर से पोखरी तक इण्टरलाकिंग व नाली कार्य।	11025
52	18.01.2019	328	सुदर्शन के घर से विश्वकर्मा के घर से माफी विश्वकर्मा के घर तक पक्की नाली निर्माण भुगतान।	5250
53	21.01.2019	332	महातिम सिंह के घर से पोखरी तक इण्टरप्रिसेज व नाली कार्य।	49000
54	23.01.2019	320	आरती के घर से शिवनाथ मौर्या के घर तक खडंजा नाली भुगतान।	24722
55	23.01.2019	326	महातिम सिंह के घर से पोखरी तक इण्टरप्रिसेज व नाली कार्य।	18139
56	23.01.2019	327	महातिम सिंह के घर से पोखरी तक इण्टरप्रिसेज व नाली कार्य।	20255
57	23.10.2018	330	सुदर्शन के घर से विश्वकर्मा के घर से माफी विश्वकर्मा के घर तक पक्की नाली निर्माण भुगतान।	12101
58	23.01.2019	331	सुदर्शन के घर से विश्वकर्मा के घर से माफी विश्वकर्मा के घर तक पक्की नाली निर्माण भुगतान।	9460
59	23.01.2019	333	चंदन के घर से राम के घर से बीच रोड तक मि0 ख0 मरममत कार्य का भुगतान	46200
60	23.10.2019	334	प्रा 0 वि0 के उ0 पूरा साव के बगल के बाउण्डी कार्य का भुगतान।	46200
61	23.01.2019	335	प्रा 0 वि0 के उ0 पूरा साव के बगल के बाउण्डी कार्य का भुगतान।	40425
62	1.02.2019	338	चंदन राम के घर के बगल से बीच रोड तक मि0 ख0 कार्य।	34678
63	1.02.2019	339	चंदन राम के घर के बगल से बीच रोड तक मि0 ख0 कार्य।	24885
64	1.02.2019	341	चंदन राम के घर के बगल से बीच रोड तक मि0 ख0 कार्य।	39200
65	1.02.2019	342	चंदन राम के घर के बगल से बीच रोड तक मि0 ख0 कार्य।	500
66	11.02.019	343	फेसुडा में पूर्व मा0वि0 उपर टूटा साव के बगल से बाउण्डी वाल निर्माण भुगतान।	45171
67	11.02.019	344	पूर्व मा0वि0 उपर टूटा साव के बगल से बाउण्डी वाल निर्माण भुगतान।	50425
68	11.02.019	345	पूर्व मा0वि0 उपर टूटा साव के बगल से बाउण्डी वाल निर्माण भुगतान।	30450
69	11.02.019	346	पूर्व मा0वि0 उपर टूटा साव के बगल से बाउण्डी वाल निर्माण भुगतान।	500
70	18.02.019	321	आरती के घर से शिवनाथ के घर तक मि0ख0 भुगतान।	1400
71	21.02.019	347	प्रा 0वि0 के उत्तरी तरफ घासी राम के बगल से बीच रोड तक बाउण्डी नाल निर्माण पर भुगतान।	131796
72	21.02.019	348	प्रा 0वि0 के उत्तरी तरफ घासी राम के बगल से बीच रोड तक बाउण्डी नाल निर्माण पर भुगतान।	49925
73	21.02.019	349	प्रा 0वि0 के उत्तरी तरफ घासी राम के बगल से बीच रोड तक बाउण्डी नाल निर्माण पर भुगतान।	500

74	21.02.2019	350	प्रा0वि0 के उत्तरी तरफ घासी राम के बगल से बीच रोड तक बाउण्ड्री नाल निर्माण पर भुगतान।	30450
75	28.02.2019	353	संजय सिंह के दरवाजे से जंगबहादुर के घर तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग	42840
76	28.02.2019	354	संजय सिंह के दरवाजे से जंगबहादुर के घर तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग	14875
77	28.02.2019	355	संजय सिंह के दरवाजे से जंगबहादुर के घर तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग	500
78	28.02.2019	356	सोलर लाइट का भुगतान	21400
79	1.03.2019	358	ग्राम सभा में स्टीट लाइट का भुगतान।	246400
80	1.03.2019	362	प्रधान पुष्पा का मानदेय	38500
81	1.03.2019	357	हिदुस्तान विज्ञापन पत्रकार व बैंक चार्ज	3207
82	1.03.2019	361	सफाई कर्मी का भुगतान	7100
83	1.03.2019	360	प्रशासनिक कार्य पर भुगतान	51500
84	1.03.2019	363	विवरणहीन	21000
85	1.03.2019	359	संजय सिंह के दरवाजे से जंग बहादुर के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टर0 भुगतान।	21848
86	2.03.2019	364	रामजीत रणजीत सिंह के घर से खडे सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	39760
87	2.03.2019	365	रामजीत रणजीत सिंह के घर से खडे सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	46134
88	2.03.2019	366	रामजीत रणजीत सिंह के घर से खडे सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	29400
89	3.3.2019	367	वाल रेटिंग का भुगतान।	15000
90	4.3.2019	368	पक्की सडक से गौतमराम के कूप तक खडंजा मि0 कार्य।	44438
91	4.3.2019	369	पक्की सडक से गौतमराम के कूप तक खडंजा मि0 कार्य।	10267
92	4.3.2019	370	पक्की सडक से गौतमराम के कूप तक खडंजा मि0 कार्य भुगतान।	17150
93	4.3.2019	371	पक्की सडक से गौतमराम के कूप तक खडंजा मि0 कार्य भुगतान।	500
94	12.3.2019	372	राम कवल मर्या के घर से लन मर्या के पुल तक ढक्कनदार नाली निर्माण भुगतान।	46700
95	12.3.2019	74	राम कवल मर्या के घर से लन मर्या के पुल तक ढक्कनदार नाली निर्माण भुगतान।	37975
95	12.3.2019	375	राम कवल मर्या के घर से लव मर्या के पुल तक ढक्कनदार नाली।	500
96	12.3.2019	373	राम कवल मर्या के घर से लव मर्या के पुल तक ढक्कनदार नाली निर्माण भुगतान।	49779
97	13.3.2019	376	रामजीत सिंह राणाजीत सिंह के घर से खेदू सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	46206
98	13.3.2019	377	रामजी गोड के घर से वंशनारायण सिंह के घर तक मि0ख0 व नाली व ढक्कनदार नाली भुगतान।	7094
99	13.3.2019	378	रामजी गोड के घर से वंशनारायण सिंह के घर तक मि0ख0 व नाली व ढक्कनदार नाली भुगतान।	43916
100	13.3.2019	379	रामजी गोड के घर से वंशनारायण सिंह के घर तक मि0ख0 व नाली व ढक्कनदार नाली भुगतान।	500
101	13.3.2019	380	रामजी गोड के घर से वंशनारायण सिंह के घर तक मि0ख0 व नाली व ढक्कनदार नाली भुगतान।	22050
102	13.3.2019	381	हनुमान जी के मंदिर पर जमुना मौर्या केदार साव के घर के पास हैंडपम्प रिबोर	115992
103	13.3.2019	382	रविकांत के घर से राजा के घर तक मि0 ख0 मरम्मत कार्य।	14471
104	14.3.2019	383	रविकांत के घर से राजा यादव के घर तक मि0 ख0 मरम्मत कार्य का भुगतान	88548
105	14.3.2019	384	रविकांत के घर से राजा यादव के घर तक मि0 ख0 निर्माण कार्य का भुगतान।	28175
106	17.3.2019	322	हैंडपम्प रिबोर का भुगतान।	15267
107	21.3.2019	385	तेज बहादुर सिंह के घर से नारद सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	51344
108	21.3.2019	386	तेज बहादुर सिंह के घर से नारद सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	50493
109	21.3.2019	387	तेज बहादुर सिंह के घर से नारद सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	64688
110	21.3.2019	388	तेज बहादुर सिंह के घर से नारद सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	31500
111	21.3.2019	389	तेज बहादुर सिंह के घर से नारद सिंह के घर तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	500
112	21.3.2019	390	मुन्नू सिंह के घर से चंदना के घर तक नाली चौका व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	500

113	21.3.2019	391	मुन्नू सिंह के घर से चंदना के घर तक नाली चौका व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	50194
114	21.3.2019	392	मुन्नू सिंह के घर से चंदना के घर तक नाली चौका व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	58081
115	21.3.2019	393	मुन्नू सिंह के घर से चंदना के घर तक नाली चौका व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	64688
116	21.3.2019	394	मुन्नू सिंह के घर से चंदना के घर तक नाली चौका व इण्टरलाकिंग कार्य का भुगतान।	30100
117	26.3.2019	395	पवनी सडक से राचन्द्र यादव के खेत से रामाश्रय के खेत तक मि0ख0 कार्य।	138671
118	28.3.2019	352	सजय सिंह के दरवाजे से जंगबहादुर के घर तक पक्की नाली व इण्टरलाकिंग भुगतान।	14588
119	29.3.2019	400	पंचायत भवन बगल से चबूतरा निर्माण भुगतान।	13144
120	29.3.2019	401	पंचायत भवन बगल से चबूतरा निर्माण भुगतान।	15136
121	29.3.2019	402	पंचायत भवन बगल से चबूतरा निर्माण भुगतान।	33698
122	29.3.2019	403	पंचायत भवन बगल से चबूतरा निर्माण भुगतान।	14000
123	29.3.2019	397	पवनी सडक से राचन्द्र यादव के खेत से रामाश्रय के खेत तक मि0ख0 कार्य भुगतान।	24570
124	29.3.2019	398	पवनी सडक से राचन्द्र यादव के खेत से रामाश्रय के खेत तक मि0ख0 कार्य भुगतान।	500
125	29.3.2019	399	पवनी सडक से राचन्द्र यादव के खेत से रामाश्रय के खेत तक मि0ख0 कार्य।	40950
126	29.3.2019	404	रामजनम मौर्या के घर से जोखन के घर तक मि0ख0 व नाली कार्य का भुगतान।	9342
127	29.3.2019	405	रामजनम मौर्या के घर से जोखन के घर तक मि0ख0 व नाली कार्य का भुगतान।	40487
127	29.3.2019	407	रामजनम मौर्या के घर से जोखन के घर तक मि0ख0 व नाली कार्य का भुगतान।	15225
128	29.3.2019	406	रामजनम मौर्या के घर से जोखन के घर तक मि0ख0 व नाली कार्य का भुगतान।	3660
129	30.3.2019	408	पूर्व मा0 वि0 में शौचालय निर्माण भुगतान।	70053
130	31.3.2019	409	पूर्व मा0 वि0 में शौचालय निर्माण भुगतान।	16170
131	31.3.2019	410	पूर्व मा0 वि0 में शौचालय निर्माण भुगतान।	15050
132	31.3.2019	412	लच्छन हरिजन के खर्त अछैवर मौर्या के खेत तक हयूम पाइप कार्य।	11041
133	31.3.2019	411	लच्छन हरिजन के खर्त अछैवर मौर्या के खेत तक हयूम पाइप कार्य।	58296
134	31.3.2019	412	लच्छन हरिजन के खर्त अछैवर मौर्या के खेत तक हयूम पाइप कार्य।	71139
135	31.3.2019	414	लच्छन हरिजन के खर्त अछैवर मौर्या के खेत तक हयूम पाइप कार्य।	7455
136	31.3.2019	413	लच्छन हरिजन के खर्त अछैवर मौर्या के खेत तक हयूम पाइप कार्य।	27125
			योग	4399735

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियाँ हैं—

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही ; बैंक पासबुक/स्टेटमेंट (धारा-32) प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. कार्य की आईडी ; प्रशासनिक; वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0 भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. सामग्री कय का कोटेशन/टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. सामग्री कय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालान व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि0 प्ररूप सं0-25 पर नहीं बनाया गया है।
12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम -152
13. सार्वजनिक हैडपम्प की सत्यापित सूची खराब होने की शिकायती पत्र जॉच रिपोर्ट जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति व निष्प्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक में अंकन कर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।

15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र (नियम 79/138/158) मानदेय रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।

16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।

17. उपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।

ऐसे में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।” उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 4399735 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्री मती पुष्पा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

55— ग्राम पंचायत बरंगा

विकासखण्ड— सकलडीहा

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—82 लेखा परीक्षा वर्ष में लगातार मौखिक और लिखित रूप से अभिलेख की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विवरण इस प्रकार है—

1. दिनांक 5.9.2019 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत को मौखिक रूप से व संलग्न पत्र द्वारा गोश्टी में सचिवों को समस्त सुसंगत अभिलेखों उपलब्ध कराने की मांग की गयी।
2. दिनांक 18.11.2019 को व्यय धनराशि के सापेक्ष बाकायदा लिखित कार्यक्रम देकर अभिलेखों की मांग की गयी।
3. दिनांक 19.12.2019 को जिला पंचायत राज अधिकारी को सम्बोधित पत्र जिसमें स्वच्छ भारत मिशन से सम्बंधित अभिलेखों व उन सचिवों की सूची दी गयी जो कार्यक्रम के सापेक्ष उस माह तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये थे।
4. इस पत्र दिनांक 19.12.2019 की प्रतिलिपि देते हुए फिर अभिलेखों के प्राप्त न होने की सूचना स०वि०अ० पं० को दी गयी। किंतु अभिलेख प्राप्त न हो सका।
5. पुनः दिनांक 6.2.2018 को स०वि०अ० पंचायत से मिलकर मौखिक व लिखित रूप से संलग्न पत्र द्वारा अभिलेख की मांग की गयी।
6. फिर दिनांक 19.3.2020 को सहायक विकास अधिकारी से मौखिक व संलग्न पत्र द्वारा अभिलेखों की अनुपलब्धता की सूचना दी गयी। किंतु सचिव द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
7. इसी दिन जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली से मौखिक व संलग्न पत्र के माध्यम से अभिलेखों के अनुपलब्धता की बात की गयी साथ इसी पत्र के प्रतिलिपि लेकर खण्ड विकास अधिकारी से मौखिक व लिखित शिकायत की गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि—

क—शासनादेश संख्या—ऑडिट 2953/2009—101(64)/2007 दिनांक 7 अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख—कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाणपत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची स०वि०अ० पं० के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग—आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेशित पत्रांक 269/संप्रेक्षा/आ०रि०/०८—०९ दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

घ—वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ सिविल/रेवेन्यू के पत्रांक वि० आ० प्र०सि०रे० दस—10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेशित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को

पूरे तौर पर षीघ्रता से कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय उक्त का अनुपालन न किए जाने पर कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

उपयुक्त आदेश /निर्देश के बाद भी किसी भी अधिकारी द्वारा सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्रवाई की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख/प्रमाणक ही उपलब्ध कराया गया। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशिका अपहरण कर लिया गया है। इसी कारण अभिलेख नहीं हैं।

प्रिया सांफ्ट पर ग्राम पंचायत बरंगा 2018-19 में निम्नानुसार व्यय किया गया है—

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	रोकड वही मे विवरण	धनराशि
1	21.4.2018	9416 1718 19 20	उच्च प्रा०वि० की बाउण्डीवाल कार्य पर भुगतान।	177153
2	28.4.2018	1341 43	प्रा०वि० की बाउण्डीवाल कार्य पर भुगतान।	37328
3	28.4.2018	1344	उच्च प्रा०वि० से प्रा०वि० मक मि० ख० कार्य पर भुगतान।	12850
4	1.5.2018	1346	ग्राम पंचायत पर विज्ञापन का भुगतान।	3600
5	1.5.2018	345	उच्च प्रा०वि० से प्रा०वि० मक मि० ख० कार्य पर भुगतान।	15575
6	15.5.2018	1347	ग्राम पंचायत में विज्ञापन का भुगतान।	3589
7	6.7.2018	1348	प्रशासनिक मद पर भुगतान।	5000
8	13.7.2018	1349	ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान।	14000
9	21.8.2018	1350	प्रशासनिक मद पर भुगतान।	5000
10	1.9.2018	1351	सफाई कमी हेतु सामग्री क्य का भुगतान।	14500
11	13.9.2018	1353	स्टेशनरी व फोटोस्टेट का भुगतान।	22360
12	20.9.2018	1352	सफाईकमी हेतु सगडी झाडू फावडा आदि कार्य पर भुगतान।	17250
13	16.10.2018	1255 56 57	चन्द्रशेखर खरवार के घर से बजरंगी वकील के घर तक ख०म० और नाली। निर्माण पर भुगतान।	137063
14	16.10.2018	1354	ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान।	10500
15	28.10.2018	1258	चन्द्रशेखर खरवार के घर से बजरंगी वकील के घर तक ख०म० और नाली निर्माण पर भुगतान।	35525
16	28.10.2018	1359 60 61	महेन्द्र यादव के घर से रामलाल के घर तक ख०म० व नाली निर्माण कार्य पर व्यय।	128733
17	1.11.2018	14162	महेन्द्र यादव के घर से रामलाल के घर तक ख०म० व नाली निर्माण कार्य पर व्यय।	32900
18	1.12.2018	163 64	अच्छू के आबादी से छोटू प्रधान के घर तक चौडीकरण के वाल मिटटी व खडंजा म० कार्य पर व्यय व चेक बुक का भुगतान।	157298
19	16.12.2018	14165 67	अच्छू के आबादी से छोटू प्रधान के घर तक चौडीकरण के वाल मिटटी व खडंजा म० कार्य पर व्यय।	37890
20	20.12.2018	168	अच्छू के आबादी से छोटू प्रधान के घर तक चौडीकरण के वाल मिटटी व खडंजा म० कार्य पर व्यय।	10740
21	23.12.2018	169 70	किसुन के घर से औतार के घर तक मि०ख०कार्य पर भुगतान।	75952
22	3.1.2019	171 72	किसुन के घर से औतार के घर तक मि०ख०कार्य पर भुगतान।	27150
23	19.1.2019	173 74 75 76	सिजई के घर से दूधनाथ के घर तक ढक्कनदार नाली म० कार्य पर भुगतान।	75935
24	5.2.2019	177 से 180	सुदर्शन के घर से श्यामलाल के घर तक ढक्कनदार नाली और मि०ख० निर्माण कार्य पर भुगतान।	134403
25	22.2.2019	18542 से 46	घूरलाल के घर से शंकर के घर तक ढक्कनदार नाली और ख० कार्य पर भुगतान।	184349
26	3.3.2019	18547से 51 तक	कैलाश मौर्या के घरसे राम सेवक के घर तक ढक्कनदार नालीऔर ख० म० कार्य पर भुगतान।	93261
27	8.3.2019	1852 से 55	चौलाहन के घर से सुखदास के घर तक ख०म० कार्य	18441
28	21.3.2019	1856 57	बेचन केघर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	210731
29	21.3.2019	18558 से 60	बेचन केघर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली व इण्टरलाकिंग कार्य पर भुगतान।	173267
30	28.3.2019	22701 701 704	प्रा० वि० की बाउण्डीवाल निर्माण कार्य पर भुगतान।	146717
31	9.3.2019		ग्राम प्रधान का मानदेय भुगतान।	21000
32	29.3.2019	22705 से 8 तक	पूर्व मा० वि० पर गेट निर्माण कार्य पर भुगतान।	173648
33	31.3.2019	22710	ग्राम पं० में हैंडपम्प मर० कार्य पूर्व मा० वि० पर प्रा०वि० पर सुनील मार्या पारस यादव कालीचरन दैतरा बाबा आदि पर।	25710

			योग	2239418

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. उक्त व्यय की पुष्टि हेतु रोकड वही बैंक पासबुक/स्टेटमेंट धारा-32 प्रस्तुत नहीं किया गया।
 2. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया।
 3. कार्य की आईडी प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
 4. कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
 5. नियम 152/157-इ के अनुसार कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।
 6. नियम 207 के अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि० भी नहीं प्रस्तुत किया गया।
 7. सामग्री कय का कोटेशन /टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
 8. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
 9. सामग्री कय का प्रमाणक यथा बिल/बाउचर/चालन व नियम 210 और 204 के अनुसार प्ररूप सं० 22 पर मजदूरी का मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।
 10. विभिन्न समितियों से सम्बंधित यथा निर्माण कार्य समिति ए नियोजन समिति आदि से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
 11. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० प्ररूप सं०-25 पर नहीं बनाया गया है।
 12. कार्य की एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी। नियम -152
 13. सार्वजनिक हैडपम्प की सत्यापित सूची खराब होने की शिकायती पत्र जांच रिपोर्ट जल प्रबन्ध समिति की स्वीकृति व निशप्रयोज्य सामग्री का डेड स्टॉक में अंकन कर आडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
 14. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
 15. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रमाणपत्र नियम 79/138/158 प्रस्तुत नहीं किया गया।
 16. कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।
 17. मानदेय रजिस्टर ए उपभोग प्रमाणपत्र व परिसम्पत्ति रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया।
- ऐसे में दर्षित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण ; अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।
- उ० प्र० पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। ” उक्त तथ्य के आलोक में धनराशिरु 2239418 की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री दुर्गेश सिंह व प्रधान श्री बुद्धिराम से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

56- ग्राम पंचायत सैदपुरा

विकासखण्ड- सकलडीहा

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-83 चौदहवें वित्त /राज्य वित्त से निम्नानुसार शौचालय हेतु धनराशियां लाभार्थियों को दी गयी हैं।

जबकि उक्त मद से इस प्रकार का व्यय अनुमन्य नहीं है। इसके लिए अलग से ग्राम निधि-6 का प्रावधान है।

क्रम सं०	दिनांक	विवरण रोकडवही के अनुसार	दर्षित व्यय
1	12.10.2019	फूलमती चेक सं० 127	12000
2	15.10.2019	महेन्द्र चेक सं० 122	12000
3	15.10.2019	सुनील चेक सं० 123	12000
4	15.10.2019	राजेश चेक सं० 125	12000
5	17.10.2019	मंगरू चेक सं० 126	12000
6	20.10.2019	आजाद चेक सं० 124	12000
7	24.10.2019	पनारू चेक सं० 121	12000
		योग	84000

इस प्रकार शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को में 84000 राज्य वित्त/चौदहवें वित्त का धन अनियमित रूप से दिया गया। दिनांक 18.3.2019 को रु 84000 वापस ग्राम निधि-6 से ग्राम निधि प्रथम में वापस प्राप्त किया गया है। इस प्रकार रु 84000 की अनियमितता के लिए सचिव श्री महेन्द्र प्रसाद व प्रधान श्री बाबू लाल उत्तरदायी रहे। विशेषकर सचिव जिस पर राजकीय नियमों के पालन का दायित्व है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

57- ग्राम पंचायत नागनपुर

विकासखण्ड- सकलडीहा

प्रस्तर-84

चौदहवें वित्त /राज्य वित्त मद से निम्नानुसार शौचालय हेतु धनराशियां आहरित की गयी हैं। जबकि उक्त मद से इस प्रकार का व्यय अनुमन्य नहीं है। इसके लिए अलग से ग्राम निधि-6 का प्रावधान है।

क्रम सं०	दिनांक	चेक सं०	दर्शित व्यय	प्राप्तकर्ता
1	20.07.18	0064	10000	छविनाथ
2	20.07.18	0066	10000	बृजेश
3	20.07.18	0065	10000	छविनाथ
4	20.07.18	0067	5000	बृजेश
5	24.07.18	0062	12000	सीमा देवी
		योग	47000	

इस प्रकार शौचालय लाभार्थियों को रु 47000 का चेक राज्य वित्त/चौदहवें वित्त मद से दिया गया। शासनादेश के अनुसार इस प्रकार का व्यय राज्य वित्त /चौदहवें वित्त से अनुमन्य नहीं है। रोकड वही में दिनांक 28.8.18 को रु 47000 वापस खाता-6 से वापस प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार राज्य वित्त/चौदहवें वित्त से रु 47000 का शौचालय मद में व्यय कर अनियमितता की गयी जिसके लिए सचिव श्री विनोद सेठ व प्रधान श्रीमती सविता उत्तरदायी रही। विशेषकर सचिव जिस पर राजकीय नियमों के पालन का दायित्व है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 दिनांक 28.3.2019 को हैडपम्प मरम्मत पर 10500 व्यय किया गया है।

इस पर निम्न आपत्तियां हैं-

- 1- कितना सामग्री पर व्यय है कितना मजदूरी पर स्पष्ट नहीं है।
- 2- उक्त क़य का व्यय प्रमाणक व मजदूरी का मस्टर रोल नियम 210 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 3- हैडपम्प का स्थान ए सूची व सं० का अंकन रोकड वही में नहीं है।
- 4- कार्य का प्रस्ताव ; हैडपंप खराब होने शिकायत पत्र ; जांच रिपोर्ट अनुमानित लागत के सम्बंध में अभिलेख नहीं है।
- 5- जल प्रबंधन समिति की स्वीकृत नहीं ली गयी।
- 6- नियम 202 के अनुसार स्टाक रजि० पर कीत सामग्री व निष्प्रयोज्य सामग्री का अंकन नहीं है।
- 7- भुगतान के पूर्व की गयी एमबी प्रस्तुत नहीं की गयी।
- 8- नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
- 9- निरीक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्पष्ट है कि रोकड वही में काल्पनिक विवरण अंकित कर 10500 का अपहरण किया गया है।

पंचायती राज लेखा मैनुअल का धारा 8क के अनुसार इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री विनोद सेठ व प्रधान श्री मती सरिता से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

58- ग्राम पंचायत महेसुआ

विकासखण्ड- सकलडीहा

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-86 चौदहवें वित्त /राज्य वित्त से निम्नानुसार शौचालय हेतु धनराशियां आहरित की गयी हैं। जबकि उक्त मद से इस प्रकार का व्यय अनुमन्य नहीं है। इसके लिए अलग से ग्राम निधि-6 का प्रावधान है।

क्रम सं०	दिनांक	विवरण रोकडवही के अनुसार	दर्शित व्यय
1	20.11.18	खाता -6 में स्थानान्तरित	31500
2	22.11.18	खाता -6 में स्थानान्तरित	42000
3	26.11.18	खाता -6 में स्थानान्तरित	48000
4	27.11.18	खाता -6 में स्थानान्तरित	12000
5	11.12.18	खाता -6 में स्थानान्तरित	16000
		योग	149500

इस प्रकार शौचालय निर्माण में 149500 राज्य वित्त/चौदहवें वित्त के धन का अनियमित रूप से व्यय किया गया। दिनांक 28.11.18 को रु149500 वापस ग्राम निधि-6 से ग्राम निधि प्रथम में वापस प्राप्त किया गया है।

इस प्रकार रु 149500 की अस्थाई गबन कर अनियमितताकी गई जिसके लिए सचिव श्री विनोद सेठ व प्रधान श्रीमती संतरा उत्तरदायी रहे। विशेषकर सचिव जिस पर राजकीय नियमों के पालन का दायित्व है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 ग्राम निधि प्रथम से दिनांक 17.7.2018 को काल्पनिक प्रमाणक सं0 16 से सगडी मरम्मत का रु 4500 भुगतान किया गया है। जिसका व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। पंचायती राज लेखा मैनुअल का धारा 8 क के अनुसार इसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री विनोद सेठ व प्रधान श्रीमती संतरा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

59- ग्राम पंचायतपदुमनाथपुर

विकासखण्ड- सकलडीहा

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-88 रोकडवही में अंकित प्रमाणक सं0 19 के अनुसार पंचायत भवन पर हैंडपम्प रीबोर निम्न व्यय किए गए हैं-

क्रम सं0	दिनांक	रोकड में विवरण	धनराशि
1	1.11.18	पंचायत भवन पर हैंडपम्प रीबोर पर शिव बजरंग इण्टरप्राइजेज को भुगतान।	58000
		योग	58000

उक्त कार्य योजना की प्रस्ताव सं0 21 / 19.4.18 आईडी 8170166 व वित्तीय स्वीकृत क्रमांक 397 दिनांक 15.10.2018 है। योजना का स्टीमेट रु58000 का है। जिस पर चेक सं0 10006309 से रु 58000 व्यय किया गया है। उक्त व्यय पर पर निम्न आपत्तियां रहीं-

1. सम्बंधित व्यय का कय प्रमाणक/वाउचर प्रस्तुत नहीं है।
2. मजदूरी का मस्टर रोल (नियम 210) प्राप्त नहीं है।
3. बोर की जॉच रिपोर्ट व जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. शासनादेश सं0 ए-1-864(1)/दस-2008-15(1)86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार 100,000 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर व 20000 से अधिक कय पर कोटेशन आमंत्रित करना अनिवार्य है। नियमानुसार कय का कोटेशन /टेंडर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. सामग्री कय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 202 के अनुसार स्टॉक रजि0 पर क्रीत सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं है। न ही निशप्रयोज्य सामग्री का अंकन किया गया है।
7. कार्य के भुगतान पूर्व की गयी एमबी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
8. नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
9. निरीक्षण पत्र/सत्यापन प्रमाणपत्र व कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट होता है दर्शित व्यय काल्पनिक हैं। उ0 प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार- " यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाये गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 58000 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री रमेश सिंह व प्रधान श्रीमती प्रमिला से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

60- ग्राम पंचायतदुधौली

विकासखण्ड- सकलडीहा

वर्ष-2018-19

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत दुधौली के ग्राम निधि - प्रथम की वर्ष 2018-19 की लेखापरीक्षा मे निम्न अपहरण प्रकाश में आया। इस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

क्रम सं0	दिनांक	रोकड में विवरण	धनराशि	भुगतान
1	18.2.2019	विभिन्न स्थानों पर हैंडपम्प मरम्मत।	25100	शिव बजरंग इण्टरप्राइजेज
2	18.2.2019	मुराहू के घर के पास हैंडपम्प मरम्मत।	16707	उक्त
		योग	41807	

उक्त व्यय पर पर निम्न आपत्तियां रहीं-

1. कार्य का प्रस्ताव प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. सम्बंधित व्यय का कय प्रमाणक यथा बिल/ वाउचर /चालान प्रस्तुत नहीं है।

3. सामग्री के उपयोग हेतु मजदूरी नहीं दी गयी है । मस्टर रोल नियम 210 प्राप्त नहीं है।
4. क्रमांक 1 पर हैंडपम्प का स्थान व संख्या का अंकन रोकड वही में नहीं है।
5. हैंडपंप खराब होने शिकायत पत्र जांच रिपोर्ट के सम्बंध में अभिलेख नहीं है।
6. जल प्रबंधन समिति की स्वीकृत नहीं ली गयी।
7. नियम 202 के अनुसार स्टॉक रजि0 पर क्रीत सामग्री का अंकन नहीं है।
8. नियम 209 के अनुसार कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं है।
9. निरीक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
10. डेड स्टॉक रजि0 प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है कि काल्पनिक विवरण अंकित कर फर्म की मदद से 41807 का अपहरण किया गया है।

उ0प्र0पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशिको गबन मानते हुए धनराशिकी वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी।

उक्त तथ्य के आलोक में धनराशिरु 41807 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अरुण कुमार सिंह व प्रधान श्री बजरंगी से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

61— ग्राम पंचायत कटेहरा

विकासखण्ड— सकलडीहा

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—90 ग्राम पंचायत कटेहरा के ग्राम निधि प्रथम की वर्ष 2018—19 की लेखापरीक्षा में निम्न अपहरण प्रकाश में आया। इस पर उचित कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है—

1— परमानन्द पाण्डेय के घर से मेन सडक तक इण्टरलाकिंग खडंजा कार्य पर सामग्री —

क्रम सं0	दिनांक	विवरण रोकड वही के अनुसार	दर्शित व्यय
1	19.4.2018	“सामग्री क्रय”	37500
2	26.4.2018	“सामग्री क्रय”	9450
		योग	46950

2—हिमांशु के खेत के पास कूप मरम्मत कार्य पर दिनांक 26.4.2019 को रु 14753 सामग्री क्रय पर भुगतान किया गया है।

उक्त दोनों सामग्री का विवरण रोकडवही में दर्ज नहीं है। उक्त दोनों व्यय पर निम्न आपत्तियां हैं—

1. कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
2. दिनांक 31 जुलाई 2015 के प्रमुख सचिव पत्र सं0 1838/33-3-2015-03/2015 के अनुसार के अनुसार एक कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य की नियमानुसार फिडिंग पूरी होने के बाद ही दूसरे कार्य की आईडी निर्गत की जानी है। इसका पालन नहीं किया गया। एक साथ दो कार्य पर सामग्री का भुगतान दर्शाया गया है।
3. कार्य की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
4. सामग्री क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं है।
5. सामग्री क्रय का आदेश एवं क्रय के वित्तीय औचित्य की पुष्टि हेतु कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. नियम 202 के अनुसार सामग्री का अंकन स्टॉक रजि0 / प्ररूप सं0-25 पर नहीं बनाया गया है। अप्रैल में क्रीत दर्शित इस सामग्री पर पूरे वर्ष मजदूरी नहीं दी गयी।
7. नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
8. भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/ कार्य का निरीक्षण प्रमाणपत्र ; फोटोग्राफ ; परिसम्पत्ति रजि0 आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फर्जी सामग्री क्रय दर्शाकर रु 61703 का अपहरण किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। “उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 61703 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री शिवाजी व प्रधान श्री अभय कुमार से व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

**62— ग्राम पंचायत इटवां
विकासखण्ड— सकलडीहा
वर्ष—2018—19**

प्रस्तर—91 रोकड वही में निम्नानुसार व्यय दर्षित है—

क्रम सं०	दिनांक	विवरण रोकड वही के अनुसार	दर्षित व्यय
1	27.11.2018	पूर्व मा० विलय इटवां पर हैंडपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री व लेबर भुगतान	35100
2	28.11.2018	ब्लाक परिसर में हैंडपम्प रिबोर कार्य पर कय सामग्री व मजदूरी का भुगतान	32729
3	28.01.2018	राजनाथ के घर के पास हैंडपम्प रिबोर कार्य पर कय सामग्री व मजदूरी का भुगतान	32729
		योग	100558

उक्त व्यय पर निम्न आपत्तियां है—

- कार्य का ग्राम सभा का प्रस्ताव एवं कार्य के उपरांत ग्राम सभा का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य किस योजना से कराया गया स्पष्ट नहीं है।
- पुराने बोरिंग के फेल होने की जांच रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- कार्य योजना की प्रशासनिक; वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति से सम्बंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जल प्रबन्ध समिति के अनुमति से सम्बंधित अभिलेख प्राप्त नहीं है।
- सामग्री कय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्राप्त नहीं है। न ही मजदूरी का मस्टर रोल ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।
- सामग्री कय का आदेश एवं कय के वित्तीय औचित्य की पुष्टि हेतु कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया।
- नियम 202 के अनुसार कीत सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० प्ररूप सं०—25 पर नहीं बनाया गया है न ही निष्प्रयोजय सामग्री का अंकन है।
- भुगतान पूर्व की गयी एम.बी. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
- नियम 209 के अनुपालन में कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्गत कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया।
- भौतिक सत्यापन प्रमाणपत्र/ कार्य का निरीक्षण प्रमाणपत्र ; फोटोग्राफ ; परिसम्पत्ति रजि० आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

उ0 प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 के 8क के अनुसार— “ यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। “उक्त तथ्य के आलोक में धनराशि रु 100558 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री शिवाजी व प्रधान श्री मुसाफिर से व्याज सहित आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

**63— ग्राम पंचायत—कुदरा
विकासखण्ड— चकिया
वर्ष—2018—19**

प्रस्तर—92 ग्राम पंचायत कुदरा, वित्तीय वर्ष 2018—19 दिनांक 02.05.2018 को राकेश इण्टरप्राइजेज को हैंडपम्प मरम्मत हेतु रु० 60,850.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य में अनियमितता से सम्बन्धित निम्नांकित प्रकरण प्रकाश में आये—

1. ग्राम सभा द्वारा उक्त कार्य के प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख अप्राप्त रहे।
2. प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के अभिलेख लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे।
3. क्रय की गयी सामग्री के व्यय प्रमाणक यथा बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है।
4. क्रय की गयी सामग्री का अंकन कर स्टॉक बुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।
5. उक्त कार्य में खराब और निष्प्रयोज्य सामान की सूची अनुपलब्ध रही।
6. उक्त भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त की गयी है।

अतः वित्तीय हस्त-पुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए रु0 60,850.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री प्रेमचन्द एवं प्रधान श्रीमती अनिता देवी उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

64— ग्राम पंचायत—फिरोजपुर

विकासखण्ड— चकिया

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—93 ग्राम पंचायत फिरोजपुर वर्ष 2018—19 में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य परन राकेश इण्टर प्राइजेज को चेक संख्या 21078573 दिनांक 02.05.2018 को रु0 50300.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें निम्नांकित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए—

1. हैण्डपम्प मरम्मत कार्य ग्राम सभा की बैठक में पारित होने की पुष्टि में ग्रामसभा की कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रही।
2. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे।
3. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक यथा बिल/बाउचर अप्राप्त रहे अतः उक्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है।
4. क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक बुक में नहीं किया गया।
5. हैण्डपम्प मरम्मत में पुराने/निष्प्रयोज्य सामान की सूची अनुपलब्ध रही।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।
7. भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त की गयी।

अतः वित्तीय हस्त-पुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व मानकों की अनदेखी कर रु0 50,300.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति सचिव— श्री प्रेमचन्द प्रधान—श्री बब्बन सिंह उत्तरदायी है। जिनके ब्याज सहित धनराशि की वसूली अपेक्षित है।

65— ग्राम पंचायत—नेगुरा

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—94 ग्राम पंचायत—नेगुरा प्रा0वि0 के पश्चिम तरफ के बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य पर कुल 204680.00 कैशबुक में दर्षित है, परन्तु ले0प0 में निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।

1. प्रथमतया ग्राम प्रधान द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना ले0प0 में अनुपलब्ध रही।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति ले0प0 में प्रस्तुत नहीं की गयी।
3. वित्तीय/प्रशासनिक को भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. एम.बी. को भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. क्रय सामग्री का बिल बाउचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः उक्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है।
6. क्रय सामग्री का अंकन कर अतन स्टॉक बुक भी ले0प0 में अप्राप्त रहा।
7. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र को उपलब्ध नहीं कराया गया।
8. टेण्डर प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे। उक्त भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त की गयी।

इस प्रकार प्रा0वि0 के पश्चिम बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पर व्यय की धनराशि रू0 204680.00 का संदेहास्पद व्यय लेखा मैनुअल एवं वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अनुसार अनियमित तथा वसूली योग्य है।

अतः उक्त कार्य पर व्यय रू0 204680.00 की धनराशि तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली कर तत्काल राजकोश में जमा कराया जाय।

66— ग्राम पंचायत—बहेरा

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—95 ग्राम पंचायत—बहेरा, वित्तीय वर्ष 2018—19 में बबलू सिंह के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली निर्माण कार्य पर रू0 62758.00 व्यय दर्षित है। (चेक सं0 000339/16.03.2019) जिसमें लेखा मैनुअल तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका द्वारा प्राविधानित नियमों, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।

1. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।
2. यथा, प्रथम कार्य हेतु कोटेशन/निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
3. तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी के नाम/हस्ताक्षर उक्त अभिलेख पर अंकित नहीं थे।
4. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति भी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर आच्छादित नहीं थे।
5. एम0बी0 को भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. भुगतान हेतु पारित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। अतः उक्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है।
7. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

अतः रू0 62758.00 के अपहरण के लिए सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा ग्राम प्रधान श्रीमती मुनिया देवी उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

67— ग्राम पंचायत—दिघवट

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—96 ग्राम पंचायत दिघवट के पूर्व माध्यमिक विालय में वर्ष 2018—19 में शौचालय मरम्मत हेतु निम्न विवरण के अनुसार सामग्री क्रय किया गया—

क्र.	फर्म	चेक/दिनांक	धनराशि
1.	जायसवाल इण्टरप्राइजेज	000243/09.08.2018	29875.00
2.	जय हनुमान इण्टरप्राइजेज	000245/13.08.2018	14221.00
		कुल	44096.00

उपरोक्त क्रय में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी—

1. प्रथमटेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का पालन न कर क्रय किया गया।
 2. ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
 3. कार्य की तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
 4. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेखों पर ए.डी.ओ. (पी.) के हस्ताक्षर नहीं थे।
 5. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणकों यथा बिल/बाउचर पर जी.एस.टी. नं0 अंकित नहीं था। अतः व्यय प्रमाणक की दृष्टि में अनुमन्य नहीं है।
- वहीं पू0मा0 वि0 शौचालय मरम्मत पर रू0 20270.00 का भुगतान मजदूरों को चेक संख्या 000252/20.08.2018 को किया गया जिसके पुष्टि मे प्रस्तुत मस्टररोल पर कार्य प्रारम्भ/समाप्ति का अंकन नहीं किया गया था।

मस्टर रोल को जारी करने वाले प्राधिकारी का भी पदनाम व दिनांक का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार सामग्री पर ₹0 44096.00 एवं मजदूरी पर ₹0 20270.00 पर कुल 64366.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं ग्राम प्रधान श्री भोलानाथ यादव उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

68— ग्राम पंचायत—हडरिका

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—97 ग्राम पंचायत हडरिका में वर्ष 2018—19 में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में सामग्री क्रय में निम्नांकित भुगतान केसरी ट्यूब कम्पनी को किया गया—

क्र०सं०	चेक/दिनांक	धनराशि
1.	000212 / 23.05.2019	2050.00
2.	000196 / 28.08.2018	14350.00
	कुल	16400.00

उक्त सामग्री क्रय निम्नांकित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये—

1. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विवरण ले०प० में अनुपलब्ध रहा।
2. प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे।
3. क्रय सामग्री के व्यय प्रमाणक पर जी.एस.टी. संख्या नहीं पाई गयी इसलिए प्रमाणक लेखा परीक्षक की दृष्टि में अनुमन्य नहीं है।
4. क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजि० में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. हैण्डपम्प मरम्मत में खराब और निष्प्रयोजन सामग्री का विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

उक्त कार्य में मजदूरी पर ₹0 3800.00 का भुगतान चेक सं० 000197 दिनांक 28.08.2018 को किया गया, परन्तु उसकी पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल पर न तो मजदूरों का हस्ताक्षर था और न ही कार्य प्रभारी द्वारा वह प्रति हस्ताक्षरित था।

अतः सामग्री एवं मजदूरी पर क्रमशः ₹0 16400.00 तथा 3800.00 यथा कुल 20200.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री छविनाथ मौर्य एवं ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित धनराशि की वसूली की जानी अपेक्षित है।

69— ग्राम पंचायत—केशवपुर

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—98 ग्राम पंचायत केशवपुर में वर्ष 2018—19 में रामजानकी मन्दिर पर स्नानघर निर्माण हेतु निम्न विवरण अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान किया गया।

क्र.	फर्म	चेक सं०	धनराशि
1.	महादेव बिल्डिंग मैटेरियल	000263	62788.00
2.	चन्दौली पाइप फिटिंग एवं मशीनरी स्टोर्स	000277	31114.00
3.	हर्ष बिल्डिंग मैटेरियल	000276	15829.00
		कुल	109731.0000

उपरोक्त व्यय में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी—

1. ग्रामसभा द्वारा पारित कार्ययोजना अप्राप्त रही।
2. टेण्डर/कोटेशन नियमों का पालन नहीं किया गया।
3. तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित निर्माण पत्रावली ले०प० में अप्रस्तुत रही।
4. प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से आच्छादित नहीं थी।
5. सामग्री क्रय के व्यय प्रमाणक यथा बिल पर जी.एस.टी.नं. अंकित नहीं पाया गया।

6. क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक बुक में कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में भी तो नहीं कराया गया था।

उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी पर भुगतान ₹0 25400.00 तथा ₹0 2340.00 की पुष्टि में प्रस्तुत मस्टर रोल पर न तो तिथियों का अंकन है और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।

इस प्रकार सामग्री पर व्यय किये गये ₹0 109371.00 तथा मजदूरी पर ₹0 27740.00 का अनियमित व्यय किया गया।

अतः ₹0 137111.00 के अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन सचिव श्री राजेश कुमार वर्मा एवं प्रधान श्री कृष्णचन्द्र उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

70— ग्राम पंचायत—रामलक्ष्मण पुर कलां

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—99 ग्राम पंचायत राम लक्ष्मणपुर कलां में वर्ष 2018—19 में कुलदीप के घर से मेन रोड़ तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय पर ₹0 22506.00, चेक संख्या 004178/28.08.2018 द्वारा भुगतान मीना कन्स्ट्रक्शन को किया गया जिसमें अनियमितता के निम्नांकित प्रकरण प्रकाश में आये—

1. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना ले0प0 में अप्राप्त रही।
2. सामग्री क्रय में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।।
4. वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं पायी गयी।
5. क्रय सामग्री का अंकन कर स्टॉक बुक को ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. कार्य की पूर्णता पर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया।
7. उक्त भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त की गयी।

अतः इस अनियमितता के लिए तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री रविन्द्र सिंह उत्तरदायी है। जिनसे विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

71— ग्राम पंचायत—पिपरिया

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर—100 ग्राम पंचायत पिपरिया में वर्ष 2018—19 में फर्नीचर क्रय पर ₹0 62780.00 का भुगतान वी0के0 इण्टरप्राइजेज को चेक सं0 006062/06.04.2018 द्वारा किया गया।

अनियमितताओं का बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है—

1. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना ले0प0 में अनुपलब्ध रही।
2. कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
3. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया।
4. स्टॉक बुक तथा डेड स्टॉक रजिस्टर की अनुपलब्धता में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पिछले वर्षों में फर्नीचर क्रय कब किया गया था तथा अगर क्रय किया गया था तो उन फर्नीचरों की अतन स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं हो सकी।

अतः वित्तीय हस्त-पुस्तिका के नियमों और उपनियमों की अनदेखी कर वित्तीय अनुशासन का पालन न कर ₹0 62,780.00 के अनियमित व्यय के लिए सचिव श्री प्रेमचन्द्र एवं प्रधान श्री पारसनाथ उत्तरदायी है। जिनसे विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

72— ग्राम पंचायत—जसुरी

विकासखण्ड— चन्दौली

वर्ष—2018—19

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत जसुरी वर्ष 2018-19 में शारदा इण्टरप्राइजेज से डस्टबिन क्रय हेतु चेक संख्या 281 दिनांक 18.03.2019 द्वारा रु0 2,25000.00 का भुगतान किया गया।

उक्त कार्य में निम्नांकित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये-

1. ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विवरण ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. 2 लाख से 2.50 लाख तक के व्यय के लिए डी.पी.आर.ओ. की संस्तुति अनिवार्य है, परन्तु डी.पी.आर.ओ. द्वारा वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी।
3. बिना टेण्डर आमंत्रित किये ही रु0 2,25000.00 का डस्टबिन क्रय कर लिया गया।
4. क्रय सामान का स्टॉक बुक में अंकन अनिवार्य है, परन्तु ले0प0 में स्टॉक बुक अप्राप्त रहा।
5. क्रय-औचित्य को पुष्ट करने हेतु क्रय किये गये डस्टबिन को किन जगहों पर स्थापित किया गया इसकी कोई भी जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गयी।

अतः वित्तीय हस्त-पुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया का पालन न करते हुए रु0 2,25000.00 का अनियमित व्यय किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती डिम्पल सिंह उत्तरदायी है। जिनसे विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद-गाजीपुर (ग्राम पंचायत सम्बन्धित)

आपत्तियाँ

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत - बड़हरा, विकास खण्ड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के विभिन्न तिथियों में रु0 353500.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

1. दिनांक 19.11.2018 को ओम रुद्राक्ष को सोलर लाईट हेतु भुगतान रु0 193500.00
2. दिनांक 27.11.2018 को ओम रुद्राक्ष को स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान रु0 160000.00

योग - रु0 353500.00

लेखा परीक्ष वर्ष में 2018-19 में रु0 353500.00 सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाईट में व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय सामग्री को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गयी। जिससे क्रय की स्थिति अपुष्टित रही। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 353500.00 के सापेक्ष क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही एवं फर्जी व्यय दर्शित कर व्यय प्रमाणक अप्राप्त से व्यय दर्शित करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजित कुमार गोड़ एवं आशा देवी प्रधान पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। संबंधित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत - एकावस पट्टी, विकास खण्ड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के विभिन्न तिथियों में रु0 263980.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

1. दिनांक 01.09.2018 को आर0डी0 स्पून पाईप एजेन्सी से 3 अदद सोलर लाईट रु0 64200.00
2. दिनांक 23.03.2018 को आर0डी0 स्पून पाईप एजेन्सी से 3 अदद स्ट्रीट लाईट का भुगतान रु0 199780.00

योग - रु0 263980.00

लेखा परीक्ष वर्ष में 2018-19 में रु0 263980.00 सोलर लाईट एवं स्ट्रीट लाईट में व्यय दर्शित है। इसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय सामग्री को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गयी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु0 263980.00 के सापेक्ष क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित है एवं फर्जी व्यय दर्शित कर एवं व्यय प्रमाणक अप्राप्त से व्यय दर्शित

करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जय प्रकाश पालन एवं निशा प्रकाश प्रधान पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जिम्मेदार व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत – खानकाह कला, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में पासबुक के अनुसार रू0 74247.00 बैंक से आहरण कर व्यय दर्शित है, लेकिन कही भी कोशबही में व्यय दर्शित नहीं है। जिसका विवरण निम्न है –

20.02.2019 को चेक संख्या 48870 से बैंक से आहरण धनराशि रू0 74247.00

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में रू0 74247.00 बैंक खाते से दिनांक 20.02.2019 को आहरण किया गया है लेकिन वर्ष 2018-19 की कोशबही में कही भी आय एवं व्यय पक्ष में दर्शित नहीं है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रधान/सचिव द्वारा बैंक से उक्त धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं सचिव श्री श्रीकान्त झा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसकी ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत – महमूदपुर हथिनी, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार रू0 195500.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है दिनांक 29.03.2019 आर0डी0 स्पून पाईप एजेन्सी से हयूम पाईप का भुगतान रू0 195500.00 किया गया है, जिसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय सामग्री ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गयी जिससे क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही क्रय सामग्री कहाँ लगा कितना बचा कही भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्ष आलोच्य में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रू0 195500.00 के सापेक्ष क्रय की वस्तु स्थिति अपुष्टित है। बिना क्रय के व्यय दर्शित करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है इसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी जय प्रकाश पाल एवं श्रीमती सुमन यादव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसकी ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत – शिकारपुर, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार दिनांक 16.09.2018 में रू0 21679.00 का आहरण प्रधान द्वारा स्वयं करके संदीप हार्डवेयर को व्यय पक्ष में देय दर्शित है। इसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे क्रय की वस्तुस्थिति पुष्टित नहीं होती है। फर्जी व्यय दर्शित कर बिना क्रय किये व्यय प्रमाणक के बिना व्यय दर्शित करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान राम रतन बिन्द तथा ग्राम पंचायत अधिकारी सुशीला यादव पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसकी ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत – बेलासी, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के विभिन्न तिथियों में रू0 270242.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

1. दिनांक 15.06.2018 आर0डी0 स्पून पाईप एजेन्सी को	रू0 140400.00
2. दिनांक 19.07.2018 ओम इण्टर प्राइजेज को स्ट्रीट लाईट को	रू0 124992.00
3. दिनांक 30.01.2019 शशांक इण्ट प्राइजेजे को वृक्ष को भुगतान	रू0 4850.00

योग –रू0 270242.00

लेखा परीक्षा वर्ष में उपरोक्तानुसार आर0डी0 स्पून पाईप रू0 140400.00 तथा ओम इण्टर प्राइजेज को स्ट्रीट लाईट रू0 124992.00 तथा शशांक इण्टर प्राइजेज को वृक्ष का भुगतान रू0 4850.00 कैशबुक के व्यय पक्ष में दर्शित है। इसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्रय सामग्री ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर पुष्टि नहीं की गयी, जिससे क्रय की वस्तुस्थिति अपुष्टित रही।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रू0 270242.00 के सापेक्ष क्रय अपुष्टित रहा। प्रमाणक अप्राप्त से व्यय दर्शित करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी अनिन्दता कुशवाहा पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत – सिकन्दरा, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार रू0 120000.00 आहरण कर व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है –

28.03.2019 को आर0डी0 स्पून पाईप से 3 स्ट्रीट लाईट को भुगतान रू0 120000.00 किया गया है इसकी पुष्टि में क्रय प्रमाणक, क्रयादेश, कोटेशन पत्रावली एवं धनराशि प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय सामग्री का ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्टॉक रजिस्टर पर अंकित कर पुष्टि नहीं की गयी है।

जिससे क़य की वस्तुस्थिति अपुष्टि रही। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्षित व्यय रू0 120000.00 के सापेक्ष क़य न करके फ़र्जी व्यय दर्षित करते हुए धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिए पूर्ण रूप से प्रधान श्री सिराती राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा यादव जिम्मेदार है। इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8 ग्राम पंचायत – खिजिरपुर, विकास खण्ड – देवकली, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार रू0 882038.00 पूरे वर्ष में व्यय दर्षित है परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त धन के व्यय के सापेक्ष प्रमाणक एम0बी0 पत्रावली आदि प्रस्तुत करने को कहा गया है। परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के समय व्यय के सापेक्ष कोई भी पत्रावली प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किया जिससे व्यय की गयी धनराशि अपुष्टित रहीं। कार्यों की पुष्टि में अनुमानित व्यय पत्रावली माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर सृजित परिसम्पत्तियों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों से पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना संबंधित कुल व्यय रू0 882038.00 के सापेक्ष व्यय की वस्तुस्थिति काल्पनिक है। केवल कैशबुक में आय व व्यय दर्षित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आजाद पाण्डेय एवं प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली योग्य है। इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 ग्राम पंचायत – मनिया, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत मनिया में कुल धनराशि रू. 2582571 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 2582571.00 में से रू. 1291285.50 श्री तेज प्रकाश सिंह कुशवाहा एवं रूपए 1291285.50 श्री मयंक धर राय से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत – तरका, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत तरका में कुल धनराशि रू. 1774985 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 1774985.00 में से रू. 887492.50 श्रीमती विनीता एवं रूपए 887492.50 श्री अखिलेश मिश्रा से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत – आलापुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत आलापुर में कुल धनराशि रू. 1422515 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 1422515.00 में से रू. 711257.50 श्रीमती सावित्री एवं रूपए 711257.50 श्री भोलाराम चौरसिया से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत – निकरोजपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत निकरोजपुर में कुल धनराशि रू. 1223842 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट,

उपरोक्त धनराशि रुपये 3181358.40 में से रु. 1590679.20 श्री कमलेश एवं रुपए 1590679.20 श्री मयंक धर राय से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत – रेडमार, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत रेडमार में कुल धनराशि रु. 1440353.4 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी , बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 1440353.40 में से रु. 720176.70 श्री गणेश चौधरी एवं रुपए 720176.70 श्री अखिलेश मिश्रा से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत – सुखडेहरा, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत सुखडेहरा में कुल धनराशि रु. 4333717 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी , बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 4333717.00 में से रु. 2166858.50 श्री गिरीश एवं रुपए 2166858.50 श्री मयंक धर राय से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत – महेशपुर द्वितीय, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत महेशपुर द्वितीय में कुल धनराशि रु. 371246.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी , बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 371246.00 में से रु. 185623.00 श्री भृगु नाथ एवं रुपए 185623.00 श्री शोभ नाथ शुक्ला से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत – ज्ञानपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत ज्ञानपुर में कुल धनराशि रु. 1509308 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी , बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 1509308.00 में से रु. 754654.00 श्रीमती विवती एवं रुपए 754654.00 श्री अखिलेश मिश्रा से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत – जोगा मुसाहिब, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत जोगा मुसाहिब में कुल धनराशि रु. 2435707 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी , बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परंतु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 2435707.00 में से रु. 1217853.50 श्रीमती श्वेता राय एवं रुपए 1217853.50 श्री अखिलेश मिश्रा से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत – देवरिया, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत देवरिया में कुल धनराशि रु. 2029002 व्यय किया गया है जिसकी

पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 2029002.00 में से रु. 1014501.00 श्री संजय पटेल एवं रूपए 1014501.00 श्री अखिलेश मिश्रा से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत – फिरोजपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत फिरोजपुर में कुल धनराशि रु. 933705 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 933705.00 में से रु. 466852.50 श्री विनोद एवं रूपए 466852.50 श्री अवध नारायण यादव से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत – बलुआ तपेशाहपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत बलुआ तपेशाहपुर में कुल धनराशि रु. 700532 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा व्यय पत्रावली, वर्क आई डी, बैंक स्टेटमेंट, कोशबही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2020, 26.02.2020, एवं 03.03.2020) में मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण सम्भावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि रुपये 700532.00 में से रु. 350266.00 श्रीमती उशा देवी एवं रूपए 350266.00 श्री शोभनाथ शुक्ला से मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत – जगदीशपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत जगदीशपुर में कुल व्यय धनराशि रु0 1213253.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्री राजेन्द्र एवं सचिव श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत – टोडरपुर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत टोडरपुर में कुल व्यय धनराशि रु0 1359930.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्री जय प्रकाश सिंह यादव एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत – अवथही, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत अवथही में कुल व्यय धनराशि रु0 2644349.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्री रमौती देवी एवं सचिव श्री मयंकरधर राय द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो

समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत – गोड़उर, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत गोड़उर में कुल व्यय धनराशि रू0 1966112.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मॉग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्रीमती मिन्तू देवी एवं सचिव श्री मयंकरधर राय द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत – दुढ़िया, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत दुढ़िया में कुल व्यय धनराशि रू0 905993.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मॉग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्री सुशील एवं सचिव श्री मयंकरधर राय द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत – मिर्जाबाद अदाई, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत मिर्जाबाद अदाई में कुल व्यय धनराशि रू0 1582968.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मॉग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान श्री गुंजन सिंह यादव एवं सचिव श्री मयंकरधर राय द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत – गोड़ी खास, विकास खण्ड – भोंवरकोल, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत गोड़ी खास में कुल व्यय धनराशि रू0 744462.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, कोशबही, व्यय प्रमाणक, वर्क आईडी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य, रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0 आदि विभिन्न तिथियों में (01.08.2019, 16.09.2019, 02.12.2019, 08.01.2019, 26.02.2020, 03.03.2020) मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से मॉग की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण प्रधान गीता एवं सचिव श्री अखिलेश मिश्रा द्वारा की गयी जिसके लिए दोनो समान रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त व्यय धनराशि की मय ब्याज वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत – तिलवा, विकास खण्ड – रेवतीपुर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में रोकड़बही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प सामग्री कय एवं मरम्मत मद में धनराशि व्यय दर्षित की गयी है, जिनकी समीक्षा में निम्न न्यूनताएं प्रकाश में आयी –

क्रमांक	परियोजना का नाम	वाउचर सं०/दि०	मद	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	- / 21.06.18	क्रमांश	900
2	हैण्डपम्प मरम्मत	- / 20.12.18	क्रमांश	11500
3	हैण्डपम्प मरम्मत	- / 28.12.18	सामग्री	14675
4	हैण्डपम्प मरम्मत	- / 29.03.19	सामग्री/क्रमांश	24915 (13415+11500)
5	हैण्डपम्प मरम्मत	- / 29.03.1	सामग्री	3675
			योग –	55665.00

क्रमांक 03, 04, 05 पर सामग्री मद में अंकित धनराशि रू0 31765 के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक पर टिन नं० व रजि० नं० अंकित नहीं है तथा भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान करने की पुष्टि में टिप्पणी भी अंकित नहीं है।

क्रमांक 1, 2 व 4 पर श्रमांश मद में व्यय दर्शित धनराशि रु0 23900 से संबंधित संलग्न मस्टर रोल पर मजदूरों की नकद भुगतान प्राप्ति की पुष्टि में न तो हस्ताक्षर अंकित है और न ही अंगूठा निशानी लगाया गया है, साथ ही भुगतान भी प्रमाणित नहीं है। अतः मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इस प्रकार उपरोक्त दर्शित कुल व्यय रु0 55665.00 (31765+23900) की पुष्टि में न हैण्डपम्प मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है, जिससे ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गयी। खराब हैण्डपम्पों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स का विवरण के साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्चा एवं स्वीकृति प्रदान की गयी अथवा नहीं, कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क्रयदेश, क्रय वाउचर्स, स्टॉक आमद एवं मरम्मत के पश्चात् वर्क हैण्ड ओवर, कार्य प्रभारी की नियुक्ति, पुराने सामानों का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है। जलप्रबंधन समिति से हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं करायी गयी। अतः उक्त व्यय अपुष्टित रहा एवं अपहरण किया गया। जिसके लिए सचिव श्री अशोक कुमार राय व प्रधान श्री रामचन्द्र संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। संबंधित से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत – दुल्लहपुर, विकास खण्ड – रेवतीपुर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में रोकड़बही में दर्शित व्यय के सापेक्ष इण्टरलाकिंग कार्य पर रु0 53125.00 व्यय दर्शित किया गया है, जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	मद (कार्य का नाम)	वा0सं0/दि0	व्यय धनराशि
1	इण्टरलाकिंग कार्य पर व्यय (ईट क्रय)	-/01.03.19	53125
		योग –	53125.00

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत व्यय एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व संबंधित सचिव से की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय रु0 53125.00 पूर्णतया अपुष्टित है जिसके लिए सचिव श्री सुरेश प्रसाद एवं प्रधान श्रीमती तेतरी देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत – अक्सहन, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत अक्सहन में प्रिया साफ्ट में दर्शित कुल धनराशि रु0 1906121.80 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार पत्राचार के बाद, दि0 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रु0 1906121.80 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हरिकान्त द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत – कोदई, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत कोदई में प्रिया साफ्ट में दर्शित कुल धनराशि रु0 1889333.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार पत्राचार के बाद, दि0 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह

संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रु0 1889333.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री समाजीत द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत – नरवर, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत नरवर में प्रिया साफ्ट में दर्षित कुल धनराशि रु0 1287247.40 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार पत्राचार के बाद, दि0 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रु0 1287247.40 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राम बचन द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत – बौरी, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत बौरी में प्रिया साफ्ट में दर्षित कुल धनराशि रु0 2400.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार पत्राचार के बाद, दि0 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रु0 2400.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवी द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत – पृथ्वीपुर, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर में प्रिया साफ्ट में दर्षित कुल धनराशि रु0 2537190.70 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार पत्राचार के बाद, दि0 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रु0 2537190.70 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ज्योति सिंह द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत – बेलसड़ी, विकास खण्ड – मरदह, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत बेलसड़ी में प्रिया साफ्ट में दर्षित कुल धनराशि रु0 2235579.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोशबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा, (बार-बार

पत्राचार के बाद, दि० 21.03.20 व 23.03.2020 का अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू० 2235579.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री गोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निशा देवी द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, उक्त धनराशि मय ब्याजवसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत – कोटिसा, विकास खण्ड – सैदपुर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक	मद	धनराशि
20.09.18	हैण्डपम्प मरम्मत	50000
20.02.19	हैण्डपम्प मरम्मत	40000
12.03.19	हैण्डपम्प मरम्मत	50000
27.03.19	प्रिया साफ्ट का भुगतान	15000
	योग –	155000.00

(क) ग्राम पंचायत- कोटिसा की कोशबही में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कुल धनराशि रू० 140000.00 व्यय किया गया है। पत्रावली में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयी हैं।

1. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थियों द्वारा मॉग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का विवरण भी अंकित नहीं है।
3. मरम्मत कराये गये कुल हैण्डपम्पों की संख्या अज्ञात रही।
4. मरम्मत का हैण्डपम्प वार मरम्मत पर व्यय हेतु अनुमानित धनराशि भी पत्रावली में अनुपलब्ध रही।

(ख) दिनांक 27.03.2019 को प्रिया साफ्ट का भुगतान रू० 15000.00 श्री अजीत यादव को भुगतान किया जाना दर्शित है परन्तु प्रिया साफ्ट में क्या-क्या कार्य कराया है। विवरण अप्राप्त रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त मदों पर किया गया व्यय पूर्णतया अनियमित है। जिस हेतु तत्कालीन ग्राम व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अग्रेतर विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत – बहुरा, विकास खण्ड – सैदपुर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में रू० 698120.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

दिनांक	धनराशि
01.06.16	20000.00
05.06.18	30000.00
15.06.18	49500.00
10.07.18	25000.00
21.07.18	17435.00
08.08.18	30000.00
20.08.18	45500.00
24.08.18	17485.00
26.09.18	49500.00
10.10.18	20500.00
10.10.18	40000.00
02.11.18	49500.00
05.11.18	10000.00
19.11.18	45500.00
26.11.18	16000.00
05.12.18	10000.00
16.01.19	45500.00
20.01.19	45200.00
12.02.19	49500.00
12.02.19	49500.00
18.03.19	20500.00
30.03.19	12000.00
योग –	698120.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

(क) हैण्डपम्प मरम्मत हेतु स्थानीय निवासी से प्राप्त आवेदन पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे हैण्डपम्प मरम्मत की आवश्यकता एवं औचित्यता अपुष्ट रही।

(ख) हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का नामधूसची लेखा परीक्षा में अपुष्ट रहा।

(ग) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में मांग करने के बावजूद भी अप्राप्त रहा।

(घ) ₹0 698120.00 के सामग्री मरम्मत से निष्प्रयोज्य सामग्री अवश्य प्राप्त हुई होगी किन्तु वर्ष में निष्प्रयोज्य सामग्री के नीलामी से आय शून्य रही।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी व्यय वर्ष में शून्य है। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को उचित मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना है। स्पष्ट है कि क्रय सामग्री के सापेक्ष मजदूरी व्यय शून्य रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि ₹0 698120.00 का व्यय किसी भी दृष्टि से पुष्टित एवं प्रमाणित नहीं होती है। अपुष्टित एवं अप्रमाणित व्यय होने से स्पष्ट है कि ₹0 698120.00 का हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय— दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। संबंधित से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत – कमसड़ी, विकास खण्ड – बाराचवर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशवही के निम्नांकित विवरणानुसार ₹0 183495= 00 का भुगतान ग्राम निधि-1 खाता से किया गया है।

उपरोक्त भुगतान के संबंध में निम्नांकित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी हैं

1. व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है।
2. हैण्डपम्प खराब होने के संबंध में उपभोक्ताओं से “आवेदन पत्र” मरम्मतधरिबोर उपरान्त जल प्रबन्ध समिति का “मरम्मत/रिबोर का प्रमाण पत्र” तकनीकी अधिकारी से तैयार इस्टीमेट एवं एम0बी0, कार्य दौरान की फोटोग्राफी, किसी सक्षम अधिकारी का भौतिक सत्यापनधकार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराया गया है।
3. हैण्डपम्प संबंधी रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन-कौन से हैण्डपम्प कब-कब खराब एवं कब-कब मरम्मत हुए।
4. कैशबुक पर भी मरम्मत कराये गये हैण्डपम्प का विवरण अंकित नहीं पाया गया है।
5. स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री एवं उनके वितरण/उपभोग की स्थिति प्रमाणित न की जा सकी।
6. रिबोर कार्य में निस्सरित स्क्रेप की स्थिति स्पष्ट नहीं करायी गयी है।
7. सामग्री खरीद में कोटेशन/टेण्डर की प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं वाउचर पत्रावली के अभाव अज्ञात रहा।

इससे स्पष्ट है कि ₹0 183495-00 का भुगतान काल्पनिक रूप से दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं० अधिकारी उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8 क एवं 8ख में विहित व्यवस्थानुसार उपरोक्त धनराशि में से ₹0 91747-50 ग्राम प्रधान श्री चतुरी राम तथा ₹0 91747-50 ग्रा०पं०अधि० श्री अनिल वर्मा से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत – न्यू उर्फ ऊँचाडीह, विकास खण्ड – बाराचवर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशवही के निम्नांकित विवरणानुसार ₹0 1527597.00 का भुगतान किया गया है।

उक्त भुगतान की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्य पत्रावली, भौतिक निरीक्षण आख्या, परिसम्पत्ति रजिस्टर अवलोकनार्थ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि ₹0 1527547-00 का भुगतान काल्पनिक रूप से दर्शित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अशोक सिंह उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख में विहित व्यवस्थानुसार उपरोक्त धनराशि में से ₹0 763798-50 प्रधान एवं ₹0 763798-50 ग्रा०पं०अधि० से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत – खारा, विकास खण्ड – बाराचवर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा पत्रावली में प्रस्तुत कोशबही के निम्नांकित विवरणानुसार रु0 262250=00 का भुगतान ग्राम पंचायत में “मुख्य द्वारा निर्माण हेतु किया गया है।

उपरोक्त भुगतान के संबंध में निम्नांकित त्रुटियाँ प्रकाश में आयीं –

(i) व्यय धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक (वाउचर्स) व कार्य पत्रावली अवलोकनार्थ अनुपलब्ध रही है।

(ii) “मुख्य द्वार का निर्माण” कार्य उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 के अध्याय-4 के धारा-15 में विनिर्दिष्ट कार्यों से परे है।

इसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परमात्मा गोंड एवं ग्रा०पं० वि० अधिकारी श्री अजीत गुप्ता उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क एवं 8ख में विहित व्यवस्थानुसार उपरोक्त धनराशि में से रु0 131125=00 श्री परमात्मा गोंड एवं रु0 131125=00 श्री अजीत गुप्ता से ब्याज सहित वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत – भैरोपुर, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि कोशबही अप्रैल 2018 से 20.11.2018 तक ही लिखी गयी है। इसके आगे की व्यय धनराशियों का विवरण कोशबही में अंकित नहीं है। बैंक खाता सं० 55118 यू०बी०आई० बिरनों के अनुसार दिनांक 26.11.2018 से 31.03.2019 तक कुल रु0 585660 की आय ग्राम पंचायत की हुई तथा रु0 12504424.40 का आहरण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है। इसमें से 94.40 रु0 बैंक चार्ज की कटौती छोड़कर शेष रु0 1250330 आहरित धनराशि का न तो कोशबही में अंकन है और न ही प्रिया साफ्ट में ही इसका कार्यवार अंकन है।

पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई अभिलेख, व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के तहत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि 1250330 अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली ब्याज सहित आधा-आधा ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम देवी व सचिव श्रीमती बिन्दू खरवार से की जानी चाहिये।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत – शेखपुर, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 27.09.2018 को रु0 166400 चेक नं० 12012561 से तथा दिनांक 03.10.2018 को चेक नं० 12012563 से रु0 145600 आहरित कर सोलर लाइट क्रय की गयी है। लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा 3ब शासनादेश सं० 5038/ग-3337/47 पंचा०राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथासंशोधित शासनादेश सं० ए-1-864(1)दस 2008 15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु0 1 लाख से अधिक मूल्य के क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रु0 312000 की सोलर लाइट क्रय हेतु कोई निविदा आमंत्रित की गयी। इसका विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। चूंकि यह व्यय 2.5 लाख से ऊपर है। अतः इसकी तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी से तथा प्रशासनिक स्वीकृति डी०पी०आर०ओ० से ली जानी चाहिये थी, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया गया है। अतः रु0 312000 का व्यय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिये सचिव श्रीराम यादव तथा प्रधान श्री मोहन यादव उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत – सरायबन्दी, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 27.09.2018 को चेक संख्या 12010250 से रु0 129500 की स्ट्रीट लाइट वन्दना इण्टर प्रा० गाजीपुर से क्रय की गयी तथा दिनांक 27.09.2018 को चेक सं० 12010251 से रु0 124800 तथा दिनांक 03.10.2018 को चेक सं० 12010252 से रु० 124300, कुल रु0 249100 की सोलर लाइट वन्दना प्रा० गाजीपुर से क्रय की गयी। इस क्रय पर निम्नवत् आपत्तियाँ हैं –

1. लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा 3ब शासनादेश सं० 5038/ग-3337/47 पंचा०राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथासंशोधित शासनादेश सं० ए-1-864(1)दस 2008 15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रु0 1 लाख से अधिक मूल्य के क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा रु0 129500 की स्ट्रीट लाइट तथा रु0 249100 की सोलर क्रय के पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है।

- 2- ग्राम पंचायत द्वारा सोलर लाइट एवं स्ट्रीट लाइट क्रय के लिये आई0डी0 सं0 7213585 से कुल रु0 378600 का भुगतान दर्षित है। चूंकि यह व्यय रु0 2.5 लाख से ऊपर है। अतः इसकी तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी से तथा प्रशासनिक स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 से ली जानी चाहिये थी, जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया गया है। अतः रु0 378600 का व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके लिये सचिव श्रीराम यादव तथा प्रधान श्री सुनील कुमार उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत – धनेशपुर, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि खाता सं0 546655 यू0बी0आई0 बिरनों से दिनांक 21.05.2018 को चेक सं0 12009621 से 29800 एवं इसी तिथि में चेक सं0 12009622 से रु0 29750 टू सेल्फ आहरित किया गया है। ग्राम निधि खाते से टू सेल्फ धनराशि आहरित किया जाना गबन की श्रेणी में आता है। कैश-बुक में इस आहरित की गयी धनराशि को हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया जाना दर्षित है। किस स्थान पर किसका हैण्डपम्प रिबोर किया गया इसका कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही हैण्डपम्प रिबोर की आई0डी0 ही प्रस्तुत की गयी। आहरित की गयी धनराशि रु0 59550 में कितनी धनराशि की मजदूरी तथा कितनी धनराशि की सामग्री क्रय की गयी इसका कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 59550 का अपहरण सचिव श्री जयप्रकाश पाण्डेय एवं ग्राम प्रधान श्री रामा राम द्वारा कर लिया गया है। सचिव श्री जयप्रकाश पाण्डेय से रु0 29775 एवं प्रधान श्री रामा राम से रु0 29775 की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत – मुस्तफाबाद, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाता सं0 397802010546642 से ग्राम प्रधान श्री उदयनरायण के नाम धनराशि आहरित कर कैशबुक में काल्पनिक एवं फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत किया जाना दर्षित है। इस पर निम्न आपत्तियाँ हैं-

- कैश बुक में कितनी धनराशि की सामग्री क्रय की गयी तथा कितनी धनराशि मजदूरी पर व्यय की गयी। इसका कोई अंकन नहीं है।
- क्रय सामग्री का भुगतान लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा 5 के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म को एकाउण्ट-पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये था जबकि ऐसा नहीं किया गया है।
- क्रय सामग्री का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका उपलब्ध न होने से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पारित प्रस्ताव की जानकारी न हो सकी।
- हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने एवं उसकी मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- मरम्मतोपरान्त ग्रामसभा की जल प्रबंधन समिति का मरम्मत संबंधी पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- हैण्डपम्प मरम्मत के दौरान कितना स्क्रेप निकला इसका विवरण नहीं दिया गया।

अतः निम्न विवरणानुसार धनराशि का खाते से आहरण कर एवं कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर कुल रु0 155685.00 का अपहरण प्रधान श्री उदयनरायण एवं सचिव श्री राजेन्द्र सिंह यादव द्वारा किया गया है। अतः रु0 77842.50 श्री उदयनरायण ग्राम प्रधान एवं रु0 77842.50 सचिव श्री राजेन्द्र सिंह यादव से ब्याज सहित वसूल कर ग्राम निधि खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

क्र0सं0	दिनांक/चेक सं0	नाम	धनराशि
1	22-6-2018 / 12000646	ग्राम प्रधान उदयनरायण	20000.00
2	14-8-2018 / 12000658	ग्राम प्रधान उदयनरायण	25910.00
3	11-9-2018 / 12001963	ग्राम प्रधान उदयनरायण	28675.00
4	12-10-2018 / 12001968	ग्राम प्रधान उदयनरायण	10000.00
5	7-1-19 / सेल्फ	ग्राम प्रधान उदयनरायण	20000.00
6	18-3-19 / 12009967	ग्राम प्रधान उदयनरायण	22000.00
7	22-3-19 / 12009973	ग्राम प्रधान उदयनरायण	29100.00
योग			155685.00

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत – मुस्तफाबाद, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 168456.00 प्रधान के नाम आहरित कर कैश बुक में काल्पनिक रूप से ह्यूम पाइप क्रय किया जाना दर्षित है। लेखा मैनुअल के

अध्याय 5 के पैरा 5 के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय का उक्त भुगतान रजिस्टर्ड फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये था जबकि ऐसा नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा ह्यूम पाइप किस लिये क्रय की गयी, इस प्रति सचिव द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय की गयी, इस उत्तर से लेखा संपरीक्षा में संतुष्ट न हुआ जा सका क्योंकि वर्ष दौरान कहीं भी ह्यूम पाइप स्थापना के लिये मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर न बनाये जाने के कारण ह्यूम पाइप का अंकन स्टॉक रजिस्टर में भी नहीं किया गया है।

अतः रु0 168456.00 खाते से आहरित कर फर्जी तरीके से कैश-बुक में ह्यूम पाइप क्रय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। अस्तु रु0 84228.00 प्रधान श्री उदयनरायण से तथा रु0 84228.00 सचिव श्री राजेन्द्र सिंह यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है—

क्र०सं०	दिनांक/चेक सं०	नाम	धनराशि
1	18-6-18/12000645	ग्राम प्रधान उदयनरायण	48000.00
2	11-12-18/12001972	ग्राम प्रधान उदयनरायण	36806.00
3	27-3-19/12009975	ग्राम प्रधान उदयनरायण	43498.00
4	27-3-19/12009976	ग्राम प्रधान उदयनरायण	40152.00
योग			168456.00

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत – तियरा, विकास खण्ड – बिरनो, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि शासनादेश संख्या 2618/33-3-2015-10 जी0आई0/2015 दिनांक 29 सितम्बर 2015 से जारी ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना के अध्याय 7 (पृष्ठ 33) तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत निर्धारित रूप पत्र (तकनीकी एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति रजि0) का रख-रखाव एवं निर्देशों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है तथा कार्य योजना के स्थानीय स्वीकृति हेतु कार्य योजना को खण्डित कर दिया गया है जो नितान्त आपत्तिजनक है। लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामअवध के घर से श्रीराम जायसवाल के घर तक पक्की नाली निर्माण की कार्य योजना को खण्डित कर इसे तीन भागों में— (1) रामअवध के घर से भिक्खी के घर तक (व्यय रु0 241356.00), (2) भिक्खी के घर से दूधनाथ के घर तक (व्यय रु0 243356.00), (3) दूधनाथ के घर से श्रीराम के घर तक (व्यय रु0 247675.00) बाँट कर कार्य कराया गया है। इस प्रकार इस तीन अलग-अलग कार्य दिखाकर रु0 732387.00 का व्यय किया गया है। नियमानुसार इस पूरे कार्य की एक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए थी तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति जिला पंचायत के सक्षम अधिकारी से तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट (डी0एम0) से ली जानी चाहिए थी जबकि इसकी तकनीकी स्वीकृति जे0ई0आर0ई0एस0 से तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ए0डी0ओ0 पंचायत से लेने के लिये कार्य योजना को तीन भागों में बाँट दिया गया है। अतः रु0 732387.00 के वित्तीय अनियमितता के लिये तत्कालीन तकनीकी स्वीकृतिकर्ता जे0ई0आर0ई0एस0 तथा प्रधान श्री फूलचन्द एवं सचिव श्री रामचेत यादव उत्तरदायी हैं, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत – कमालपुर लोदी, विकास खण्ड – मोहम्मदाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश उपाध्याय द्वारा दिनांक 02.02.2019 को स्वयं के नाम से नकद रु0 110000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री जयराम सिंह यादव द्वारा दिनांक 02.02.2019 को रु0 90000.00 एवं दिनांक 06.02.2019 को रु0 46000.00 स्वयं के नाम से नकद धनराशि आहरित कर कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय रु0 177453.00 एवं ह्यूम पाइप क्रय रु0 68547.00 दर्शित किया गया है जबकि पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार 2000.00 से अधिक के क्रय से सम्बन्धित धनराशि एकाउण्ड पेयी चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में इसका व्यय वाऊचर एवं कार्य पत्रावली भी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि किन-किन स्थानों पर कितने हैण्डपम्प मरम्मत कराये गये एवं क्रय दर्शित ह्यूम पाइप कहाँ प्रयोग की गयी जिससे स्पष्ट है कि रु0 246000.00 नकद आहरित कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश उपाध्याय से रु0 123000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री जयराम सिंह यादव से रु0 123000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत – पहाड़ीपुर, विकास खण्ड – मोहम्मदाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 26.02.2019 को रु0 270000.00 की सोलर लाइट क्रय कैश बुक में दर्शित है परन्तु सोलर लाइट की क्रय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय से पहले टेण्डर किया गया था अथवा नहीं क्योंकि नियमानुसार रु0 100000.00 से अधिक के क्रय का टेण्डर किया जाना चाहिए एवं रु0 250000.00 से अधिक के कार्य/क्रय की अनुमति

जिला पंचायत राज अधिकारी से ली जानी चाहिए, इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री रवि प्रकाश उपाध्याय एवं ग्राम प्रधान श्री धरमचन्द द्वारा रु0 270000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत – हैन्सी, विकास खण्ड – मोहम्मदाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 30.03.2019 को ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राय द्वारा स्वयं के नाम से चेक सं0 10008284 द्वारा नकद रु0 73850.00 बैंक से आहरित किया गया है परन्तु यह धनराशि किस कार्य हेतु आहरित की गयी है। इसका विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है तथा इसका व्यय वाऊचर एवं पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राय एवं ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र कुमार द्वारा रु0 73850.00 नकद आहरित कर अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राय से रु0 36925.00 एवं ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र कुमार से रु0 36925.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत – सुजनीपुर, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह द्वारा दिनांक 18.09.2018 को रु0 100000.00 नकद स्वयं के नाम से आहरित कर कैशबुक में ह्यूम पाइप क्रय दर्शित किया गया है जिसकी क्रय पत्रावली एवं व्यय वाऊचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक का क्रय नकद न कर एकाउण्ट-पेयी चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए एवं रु0 100000.00 या इससे अधिक का क्रय टेण्डर करके भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए। परन्तु रु0 100000.00 नकद आहरित कर कैश बुक में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह से रु0 100000.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत – सुजनीपुर, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 11.01.2019 को ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह द्वारा स्वयं के नाम से नकद रु0 120000.00 आहरित किया गया है। कैशबुक में शेखर के घर से उमाशंकर मास्टर के घर होते हुए उमाशंकर सिंह के खेत तक नाली हेतु ईट क्रय दर्शित है। परन्तु कैशबुक में इस कार्य पर मजदूरी एवं सामग्री (सीमेंट बालू आदि) क्रय का व्यय दर्शित नहीं है। इसकी कार्य पत्रावली एवं ईट क्रय का वाऊचर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना कार्य पत्रावली एवं व्यय वाऊचर के इतनी अधिक धनराशि नकद आहरित करना एवं इस कार्य पर मजदूरी तथा सामग्री का भुगतान दर्शित न होना यह प्रमाणित करता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह द्वारा रु0 120000.00 नकद आहरित कर कैश बुक में काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह से रु0 120000.00 की ब्याज सहित वसूली करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत – बरहट, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 08.06.2018 को रु0 94750.00 आर0एन0 स्पन पाइप फर्म को ट्रांसफर किया गया है। इस धनराशि से क्या क्रय किया गया है? इसका विवरण कैश बुक में दर्शित नहीं है। लेखा परीक्षा में इसकी क्रय पत्रावली एवं व्यय वाऊचर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा रु0 94750.00 राजकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह से रु0 47375.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से रु0 47375.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत – बरहट, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 19.07.2018 को रु0 88000.00 एवं रु0 88000.00 कुल रु0 176000.00 रुद्र इण्टरप्राइजेज को भुगतान कर कैश बुक में सार्वजनिक स्थानों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय दर्शित है। परन्तु लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप की क्रय पत्रावली तथा यह ग्राम पंचायत में कहाँ-कहाँ प्रयोग की गयी, इसका प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ह्यूम पाइप लगवायी मजदूरी भी नहीं दी गयी है। इससे स्पष्ट है कि रु0 176000.00 के राजकीय धन का दुरुपयोग ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह से रु0 88000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से रु0 88000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत – बरहट, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 27.08.2018 को कैशबुक में रु0 176000.00 की स्ट्रीट लाइट का भुगतान दर्शित है जबकि बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 27.08.2018 को रु0 88000.00 जय हनुमान इण्टरप्राइजेज फर्म को ट्रांसफर किया गया है एवं जय हनुमान इण्टरप्राइजेज फर्म का रु0 88000.00 का व्यय वाऊचर भी प्रस्तुत किया गया जबकि कैशबुक में

भुगतान रु0 176000.00 दर्शित है। अतः शेष रु0 88000.00 नकद आहरित कर अपहरण कर लिया गया है (रु0 88000.00 नकद आहरित धनराशि दिनांक 27.08.2018 से पहले आहरित की गयी है परन्तु दिनांक 27.08.2018 को कैशबुक में रु0 176000.00 स्ट्रीट लाइट क्रय दर्शित कर समायोजित कर दी गयी है)। अतः रु0 88000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोपाल सिंह से रु0 44000.00 एवं ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र से रु0 44000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत – मनिहारी, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 14.08.2018 को चेक सं0 12007923 द्वारा ग्राम प्रधान सरस्वती देवी स्वयं के नाम से रु0 40000.00 नकद आहरित कर कैशबुक में सोलर लाइट मरम्मत व्यय दर्शित किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा में सोलर लाइट मरम्मत की कार्य पत्रावली एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि सोलर लाइट कब लगायी गयी थी एवं क्या उसकी गारण्टी/वारण्टी थी अथवा नहीं। अतः ग्राम प्रधान सरस्वती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीन्द्र कुमार द्वारा रु0 40000.00 कैश बुक में काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सरस्वती देवी से रु0 20000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीन्द्र कुमार से रु0 20000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-62ग्राम पंचायत – मनिहारी, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 07.06.2018 को चेक सं0 12004292 द्वारा ग्राम प्रधान सरस्वती देवी स्वयं के नाम से नकद रु0 120000.00 धनराशि बैंक से आहरित कर कैश बुक में हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी एवं सामग्री व्यय दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत की कार्य पत्रावली एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि किन-किन स्थानों पर कितने हैण्डपम्प मरम्मत कराये गये एवं कितने धनराशि की हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय की गयी जबकि पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान सम्बन्धित फर्म को एकाउण्ट-पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। अतः ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रु0 120000.00 नकद अहरित कर कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सरस्वती देवी से रु0 60000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीन्द्र कुमार से रु0 60000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-63ग्राम पंचायत – मनिहारी, विकास खण्ड – मनिहारी, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि दिनांक 03.01.2019 को चेक सं0 12007931 द्वारा रु0 60000.00 एवं दिनांक 10.01.2019 को चेक सं0 12007932 द्वारा रु0 120000.00 ग्राम प्रधान सरस्वती देवी द्वारा स्वयं के नाम से (कुल रु0 180000.00) नकद आहरित कर कैशबुक में डस्टबिन क्रय दर्शित किया गया है परन्तु डस्टबिन क्रय की क्रय पत्रावली एवं व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान एकाउण्ट-पेयी चेक द्वारा सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए था। शासनादेश सं0 ए-1/864 दस स 15(1) 23-9-08 के अनुसार रुपया एक लाख से अधिक का क्रय टेण्डर कर भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए परन्तु यहाँ पर रु0 180000.00 नकद आहरित किया गया है। अतः इतनी अधिक धनराशि नकद आहरित करना, क्रय पत्रावली एवं व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं करना यह प्रमाणित करता है कि रु0 180000.00 ग्राम प्रधान सरस्वती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीन्द्र कुमार द्वारा कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति ग्राम प्रधान सरस्वती देवी से रु0 90000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अवनीन्द्र कुमार से रु0 90000.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत – हुरमुजपुर, विकास खण्ड – सादात, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत हुरमुजपुर में कुल धनराशि रुपये 1908950.00 आहरित कर व्यय किए गए हैं। इसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा निर्माण कार्य पत्रावली, बैंक स्टेटमेंट, वर्क आई डी कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों में मौखिक व पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के पैरा 7 (क) एवं (ख) की व्यवस्था के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है, और उक्त धनराशि रुपये 1908950.00 में से 50 प्रतिशत धनराशि श्रीमती प्रमिला देवी (प्रधान) एवं 50 प्रतिशत श्री अनिल वर्मा (सचिव ग्राम पंचायत) से मय ब्याज वसूलीअपेक्षित है।

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत – ससना, विकास खण्ड – सादात, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत ससना में कुल धनराशि रुपये 1141151.96 आहरित कर व्यय किए गए हैं।

व्यवस्था के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है, और उक्त धनराशि रुपये 700379.40 में से 50 प्रतिशत धनराशि श्रीमती प्रेम शिला (प्रधान) एवं 50 प्रतिशत श्री अशोक कुमार व शमसेर यादव (सचिव ग्राम पंचायत) से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत – उकरांव, विकास खण्ड – सादात, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत उकरांव में कुल धनराशि रुपये 2789294.96 आहरित कर व्यय किए गए हैं। इसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा निर्माण कार्य पत्रावली, बैंक स्टेटमेंट, वर्क आई डी कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों में मौखिक व पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय – 8 के पैरा 7 (क) एवं (ख) की व्यवस्था के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है, और उक्त धनराशि रुपये 2789294.96 में से 50 प्रतिशत धनराशि श्रीमती पुष्पा यादव (प्रधान) एवं 50 प्रतिशत श्रीमती प्रिया यादव (सचिव ग्राम पंचायत) से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत – बबूरा, विकास खण्ड – सादात, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत बबूरा में कुल धनराशि रुपये 1445072.36 आहरित कर व्यय किए गए हैं। इसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख यथा निर्माण कार्य पत्रावली, बैंक स्टेटमेंट, वर्क आई डी कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि विभिन्न तिथियों में मौखिक व पत्राचार के माध्यम से मांग की गयी, किन्तु लेखा परीक्षा में उक्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः व्यय की गयी धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। लेखा मैनुअल के अध्याय दृ 8 के पैरा 7 (क) एवं (ख) की व्यवस्था के अनुसार प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण है, और उक्त धनराशि रुपये 1445072.36 में से 50 प्रतिशत धनराशि श्रीमती बसन्ती देवी (प्रधान) एवं 50 प्रतिशत सुश्री आरती सिंह (सचिव ग्राम पंचायत) से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत – छावनी लाईन, विकास खण्ड – सदर, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 के निम्नांकित तिथियो/वा0स0 से कुल रू0 4611236.00 का भुगतान विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर किया गया दर्शित है। परन्तु किसी भी कार्य की पत्रावली एवं भुगतान वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कैशबुक में काल्पनिक निर्माण एवं मरम्मत कार्य दर्शित कर ग्राम पंचायत में प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री त्रिवेणी उपाध्याय के मिली भगत से किया गया है। जिसकी मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	वाउचर नं0	धनराशि	मद	विवरण
1	16.07.18	5	44340	खडण्जा निर्माण	पिचरोड से चन्द्रदेव के घर तक
2	18.07.18	8	137865	ईट कय	
3	16.07.18	6	56700	खडण्जा निर्माण	तुलसीपुर खडंजा से प्रा0वि0 होते हुए
4	17.07.18	7	173250	ईट कय	सुरेश के खेत तक
5	19.07.18	9	70830	खडण्जा निर्माण	प्रसाद यादव के डेरा से तुलसीपुर तक
6	30.07.18	14	219300	ईट/राविश कय	
7	19.07.18	10	74550	खडण्जा निर्माण	इब्राहिम बाबा स्थान से काली स्थान तक
8	21.07.18	11	107305	ईट कय	
9	23.07.18	12	71880	खडण्जा निर्माण	मंगल के मड़ई से आदर्ष गाँव खडंजा से मारकण्डे के खेत तक
10	23.07.18	13	221422	ईट कय	
11	08.08.18	15	92400	सी0सी0 रोड निर्माण	पिचरोड से अवधेश के डेरा तक
12	09.08.18	16	202819	सामग्री	
13	09.08.18	17	13362	पालीथीन	
14	09.08.18	18	121806	ईट कय	
15	10.08.18	19	10500	मिट्टी+खडण्जा कार्य	पिचरोड से शिव शंकर के घर तक
16	13.08.18	21	32109	ईट कय	
17	14.08.18	22	111780	खडण्जा निर्माण	पिचरोड से मंगल मड़ई आदर्ष गाँव तक
18	21.08.18	27	322030	ईट कय	
19	21.08.18	24	25200	खडण्जा निर्माण	पिचरोड से जग्गी कुशवाहा के घर तक
20	24.08.18	28	78828	ईट कय	
21	03.10.18	31	116790	खडण्जा निर्माण	मुख्य सड़क से नारायण पुर शेष भाग तक
22	03.10.18	32	130720	ईट कय	
23	03.10.18	33	33594	सामग्री	गंगापुर विशुनपुरा में ओम प्रकाश मंदिर से खडंजा तक।
24	04.10.18	34	16470	इण्टर लॉकिंग कार्य	

25	04.10.18	35	62464	इण्टर लॉकिंग ईट कय	
26	05.10.18	36	21114	सामग्री	
27	29.10.18	38	54600	खड्जा मरम्मत	पिचरोड से कुआ तक
28	01.11.18	44	85593	ईट+बालू कय	
29	31.10.18	41	129024	ईट कय	सीसी रोड से सुरेन्द्र के घर तक
30	31.10.18	42	37800	इण्टर लॉकिंग कार्य	
31	31.10.18	43	51797	सामग्री	
32	03.11.18	45	56358	ईट+गिट्टी कय	
33	29.11.18	46	33600	नाली मरम्मत	केदार के घर से सियाराम के घर तक
34	29.11.18	47	48054	सामग्री	
35	30.11.18	48	86125	ईट कय	
36	30.11.18	49	2100	हयूम पाईप	
37	05.12.18	50	40620	सीसी रोड निर्माण	केदार के घर के सामने से पिच रोड तक
38	05.12.18	52	80794	सामग्री	
39	06.12.18	55	139807	ईट+गिट्टी कय	
40	05.12.18	51	103860	सीसी रोड निर्माण	सियाराम के घर से राम लखन के घर तक
41	05.12.18	53	245301	सामग्री	
42	06.12.18	54	105735	ईट+गिट्टी	
43	14.12.18	56	40620	सीसी रोड निर्माण एमआर	रामलखन के घर से पाण्डेयपुर तक
44	15.12.18	57	80794	सामग्री	
45	18.12.18	58	139807	ईट कय	
46	30.01.19	59	489000	सीसी रोड निर्माण एमआर	
47	30.01.19	60	29700	सीसी रोड निर्माण मजदूरी	
48	30.01.19	62	173503	सामग्री	
49	01.02.19	64	45810	नाली+खड्जा निर्माण	युवराजपुर में तिलकू के घर के सामने
50	01.02.19	65	26280	सामग्री	सखरज के घर तक
51	02.02.19	66	93492	ईट कय	
52	08.02.19	67	25680	पंचायत भवन मरम्मत	पंचायत भवन मरम्मत
53	08.02.19	68	36954	सामग्री	
योग -			4611236		

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत - छावनी लाईन, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में ग्रा0पं0 की कैशबुक के व्यय पक्ष के निम्नांकित तिथि/वा0सं0 द्वारा रु0 237369.00 का व्यय हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर किया गया है, परन्तु इससे संबंधित कोई पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं है। तथा डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इनमें क्षतिग्रस्त सामानों का विवरण प्राप्त न हो सका। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिवोर पर काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं ग्रा0पं0अधि0 श्री त्रिवेणी उपाध्याय के मिली भगत ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	वाउचर नं0	धनराशि	मद	विवरण/स्थान
1	10.05.18	3	24750	हैण्डपम्प मरम्मत	विवरण अंकित नहीं
2	10.05.18	4	24750	हैण्डपम्प मरम्मत	विवरण अंकित नहीं
3	21.08.18	25	39180	हैण्डपम्प रिवोर मजदूरी	विवरण अंकित नहीं
4	21.08.18	26	24466	हैण्डपम्प रिवोर सामग्री	विवरण अंकित नहीं
5	06.09.18	29	7110	हैण्डपम्प रिवोर एम0आर	विवरण अंकित नहीं
6	11.09.18	30	39900	हैण्डपम्प रिवोर सामग्री	विवरण अंकित नहीं
7	29.10.18	40	35075	हैण्डपम्प रिवोर सामग्री	विवरण अंकित नहीं
8	29.10.18	37	11790	हैण्डपम्प रिवोर मजदूरी	विवरण अंकित नहीं
9	29.10.18	37/1	17015	हैण्डपम्प रिवोर मजदूरी	विवरण अंकित नहीं
10	29.10.18	39	16333	हैण्डपम्प रिवोर सामग्री	विवरण अंकित नहीं
योग -			237369		

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत - निजामपुर, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं0 एस0बी0आई0 सुसुन्डी 473935 से निम्नांकित तिथियों विभिन्न धनराशियों का आहरण किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त आहरित धनराशियों का अंकन ग्राम पंचायत के कैशबुक में न करके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुरेन्द्र कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री गुल्लु यादव के मिली भगत से कुल रु0 84213.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	विवरण
1	07.08.18	993086	6823	वियरल चेक द्वारा
2	19.05.18	993089	5370	नकद आहरित

3	22.05.18	993091	33000	नकद आहरित
4	22.05.18	993094	5950	नकद आहरित
5	03.04.18	993083	31110	नकद आहरित
6	03.04.18	993082	1960	नकद आहरित
योग -			84213	

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत - नूरपुर मुबारकपुर, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की प्रस्तुत कैशबुक के निम्नांकित तिथियों/माह में अन्तिम नकद अवशेष कम दर्शित कर ग्राम पंचायत के प्राप्त अनुदान राशि रु0 75806.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी संजय सिंह द्वारा कर लिया गया है मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक/माह	दर्शित धनराशि	वास्तविक राशि	अन्त	
				कम	अधिक
1	अगस्त - 31.08.18	शून्य	57806	57806	-
2	सितम्बर - 30.09.18	शून्य	18000	18000	-
योग -			75806.00	75806	

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत - नूरपुर मुबारकपुर, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 26.09.18 को कोशबही के वाउचर नं0 30 से रु0 28000.00 का भुगतान इन्द्र देव के घर से मनोज के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री कय पर किया गया दर्शित है परन्तु उक्त कार्य पर ईट कय एवं मजदूरी का भुगतान वर्षान्त तक कोशबही में नहीं किया गया है। तथा स्टॉक रजिस्टर के अभाव में कय सामग्री की प्राप्ति एवं अवशेष की भी पुष्टि न की जा सकी। अतः इससे स्पष्ट है कोशबही में काल्पनिक सामग्री दर्शित कर ग्राम प्रधान विनय कुमार एवं ग्रा0पं0/वि0अ0 संजय सिंह के मिली भगत से ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग किया गया है जिसकी मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत - नूरपुर मुबारकपुर, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में दिनांक 07.02.19 को ग्राम पंचायत की कोशबही के वा0नं0 42 से रु0 25000.00 का अत्याधिक व्यय प्रशासनिक कार्य पर किया गया दर्शित है। परन्तु इससे क्या कार्य किया गया विवरण अंकित नहीं है। तथा किये गये व्यय की पुष्टि में पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कोशबही में काल्पनिक प्रशासनिक व्यय दर्शित कर ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार सिंह एवं ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री शैलेन्द्र कुमार यादव द्वारा किया गया है। जिसकी मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत - नूरपुर मुबारकपुर, विकास खण्ड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत की कोशबही के व्यय पक्ष में निम्नांकित तिथि/वा0नं0 से रु0 176095.00 का व्यय हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत पर किया गया दर्शित है। परन्तु रिबोर एवं मरम्मत का स्थान कोशबही में दर्शित नहीं पाया गया है। तथा इससे संबंधित कोई पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक भी देखने को नहीं मिला है तथा डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में इनकी क्षतिग्रस्त सामानों का भी विवरण अप्राप्त रहा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कोशबही में काल्पनिक हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर दर्शित कर ग्राम प्रधान विनय कुमार सिंह एवं ग्रा0पं0/वि0अ0 संजय सिंह एवं शैलेन्द्र कुमार यादव के मिली भगत से धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः इसकी ब्याज सहित वसूली संबंधित से करायी जानी अपेक्षित है।

क्रमांक	दिनांक	वाउचर नं0	धनराशि	विवरण
1	11.04.18	1	17000	हैण्डपम्प मरम्मत
2	15.04.18	2	18000	हैण्डपम्प मरम्मत
3	30.06.18	12	28000	हैण्डपम्प मरम्मत
4	20.07.18	16	19000	हैण्डपम्प मरम्मत
5	20.08.18	21	22787	हैण्डपम्प मरम्मत
6	10.08.18	18	14283	हैण्डपम्प रिबोर सामग्री
7	13.08.18	19	17025	हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत
8	14.12.18	34	15000	हैण्डपम्प मरम्मत
9	25.02.19	49	25000	हैण्डपम्प मरम्मत
योग -			176095.00	

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत - गोड़सरा, विकास खण्ड - भदौरा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की कोशबही के व्यय पक्ष में दर्शित व्यय के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल अध्याय 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सम्प्रेक्षण (आडिट) के बिन्दु 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध

में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।”

वर्ष 2018-19 के कोशबही में दर्शित अप्राप्त वाउचरों/प्रमाणकों का विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	प्रमाणक सं०/दिनांक	व्यय का विवरण जिस मद से किया गया	धनराशि
1	2/10.04.18	ईट क़य	8520
2	3/10.04.18	निर्माण सामग्री क़य	22200
		योग –	30720.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू० 30720.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर राजकीय अनुदान की धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली मय ब्याज श्री हुमुलवारा ग्राम प्रधान व श्री राधेश्याम यादव सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत – सुरहां, विकास खण्ड – भदौरा, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में निम्नविवरणानुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर रू० 237362.00 व्यय दर्शित कर कैशबुक में प्रमाणक विहिन लेखा पारित किया गया है। विवरण निम्नवत है –

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रमाणक संख्या/दिनांक	धनराशि
1	इंदिरा मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री क़य	5/18.09.18	55932
2	उक्त कार्य पर मजदूरी	6/18.09.18	57246
3	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि	8/17.10.18	30000
4	हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री क़य	10/15.11.18	36938
5	उक्त कार्य पर मजदूरी	11/16.11.18	38164
6	हैण्डपम्प रिबोर हेतु मजदूरी	41/18.03.18	19082
		योग –	237362.00

उक्त व्यय की पुष्टि में न तो हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन-किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गई। खराब हैण्डपम्पों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स के विवरण के साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्चा एवं स्वीकृति प्रदान की गई अथवा नहीं, कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में यह अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क़यादेश, क़य वाउचर्स, स्टॉक आमद एवं मरम्मत के पश्चात् वर्क हैण्डओवर, कार्य प्रभारी की नियुक्ति एवं पुराने सामान का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। जल प्रबंधन समिति से हैण्डपम्प मरम्मत व व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गई है। उपरोक्त स्थिति में न तो हैण्डपम्पों के खराब होने की पुष्टि हो रही है, न ही सामान क़य एवं मरम्मत की पुष्टि हो रही है। तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि अब तक कितने हैण्डपम्प किन-किन स्थानों पर लगाए गए थे। अतः उक्त व्यय पूर्णतया संदिग्ध एवं अपुष्टित रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री प्रदुमन कुमार एवं सचिव श्री कविन्दर राय संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत – चलनी, विकास खण्ड – जखनियाँ, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत चलनी विकास खण्ड जखनियाँ में कुल धनराशि रू० 380443.00 (रू० तीन लाख अस्सी हजार चार सौ तैतालीस मात्र) व्यय किया गया है, जो कोशबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः व्यय धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्रा०पं०/वि०अ० श्री लालजी राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि की ब्याजमय वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत – मुड़ियारी, विकास खण्ड – जखनियाँ, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत मुड़ियारी विकास खण्ड जखनियाँ में कुल धनराशि रू० 2217203.40 (रू० बाइस लाख सत्रह हजार दो सौ तीन रू० चालिस पैसा मात्र) व्यय किया गया है, जो कोशबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है।

जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः व्यय धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री धर्मदेई देवी एवं ग्रा०पं०/वि०अ० श्री लालजी राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि की ब्याजमय वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत – रायपुर, विकास खण्ड – जखनियाँ, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्राम पंचायत रायपुर विकास खण्ड जखनियाँ में कुल धनराशि रु० 366802.56 (रु० तीन लाख छह हजार आठ सौ दो रु० छप्पन पैसा मात्र) व्यय किया गया है, जो कोशबही एवं बैंक स्टेटमेन्ट में दर्शित है।

जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख व्यय पत्रावली, व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः व्यय धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कमलेश सिंह यादव एवं ग्रा०पं०/वि०अ० श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि की ब्याजमय वसूली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत – देवरिया, विकास खण्ड – जमानियाँ, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 की कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7 नग सोलर लाईट की स्थापना करायी गयी है। जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से चेक सं० 015257/13.03.2019 से ओजस्व इण्टरप्राइजेज को किया गया है। इस संबंध में निम्न आपत्तियाँ हैं –

क. ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रक्षेपण दल को समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8 के अनुसार यदि कराए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी।

ख. अतिरिक्त उर्जा स्रोत वि.के.शा.स. 33/2017/977/45-दि/2017 दिनांक 22 अगस्त 2017 के गाइड लाईन के अनुसार सोलर लाईटों की मानक एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने के लिए इसकी स्थापना कार्य एक मात्र उचित नोडल एजेंसी यू०पी० नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है, लेकिन इससे संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग. सोलर लाईटों की स्थापना से संबंधित त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जिससे कार्य का होना संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक विहीन भुगतान एवं शासनादेश का उल्लंघन करके रु० 134400.00 का गबन कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी चाहिए।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत – नरियांव, विकास खण्ड – जमानियाँ, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में रु० 61000.00 की ह्यूम पाईप कय किया गया है, जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से चेक सं० 10020745 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा टीएस स्पून पाईप को भुगतान किया गया है। इस संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं –

क. ह्यूम पाईप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

ख. किन स्थानों पर किन-किन कार्यों में इस ह्यूम पाईप की स्थापना की गई, यह भी उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है। कार्य की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

ग. पूरे वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत में कहीं भी खडंजा कार्य या सीसी रोड निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिसमें पानी के निकास हेतु ह्यूम पाईप के प्रयोग की आवश्यकता पड़े।

घ. ग्रा०पं० के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुयल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेपण दल को समस्त वाउचर एवं अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8 के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि रु० 61000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव ग्रा०पं० तथा प्रधान से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत – पाली, विकास खण्ड – कासिमाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही /पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में रुपए 2653537.00 दर्शित है—

जिसका विवरण निम्न है –

1. सामग्री क्रय (ईट, गिट्टी, बालू, सीमेंट)	1494484.00
2. मजदूरी	347200.00
3. हैंडपंप मरम्मत कार्य	397088.00
4. ह्यूम पाइप	223965.00

5. स्ट्रीट लाइट	126000.00
6. अन्य कार्य (प्रधान मानदेय। सफाई कीट व स्टेशनरी आदि)	64800.00
योग –	2653537.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में संपर्क मार्ग निर्माण खड़जा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु. 1494484.00 व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। क्रय संबंधी क्रयादेश की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, मैप पुस्तिका, सृजित स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित कार्यवाही अपेक्षित है।
2. मजदूरी पर भुगतान रु. 347200 .00 दर्शित है। लेखा परीक्षा वर्ष में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक रहा।
3. हैंडपंप मरम्मत संबंधी व्यय पर रु. 397088.00 की पुष्टि में न तो हैंडपंप मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य संबंधी व्यय अपुष्ट रहा।
4. आलोच्य वर्ष में रु. 223965.00 ह्यूम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय किए गए हैं लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये/कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की यह भी अस्पष्ट रहा। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।
5. स्ट्रीट लाइट मद संबंधी व्यय रु. 126000.00 दर्शित है, परंतु उन स्थानों का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गयी है एवं कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। क्रय किए जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है। क्रय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।
6. अन्य व्यय के अंतर्गत मानदेय, सफाई किट एवं स्टेशनरी पर कुल व्यय रु. 64800.00 है। जिसका विवरण निम्न है —

(क) रु. 35000.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए भुगतान, अनियमित रहा। लेखा परीक्षा में मानदेय संबंधी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। मानदेय रजिस्टर के अभाव में मानदेय अवधि की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

(ख) रु. 16300.00 सफाई कर्मियों के समान पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) रु. 13500.00 स्टेशनरी क्रय पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु. 2653537.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहरित धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आशा राय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दयाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8—क एवं 7—ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि में से रु. 1326768.50 श्रीमती आशा राय एवं रु. 1326768.50 श्री राम दयाल शर्मा समय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत — महमूदपुर कुसुम, विकास खण्ड — कासिमाबाद, जनपद — गाजीपुर के वर्ष

2018-19 में कोशबही/पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में रुपए 3735273.00 व्यय दर्शित है जिसमें से रुपए 94.40 बैंक चार्ज के रूप में काटा गया है शेष रुपए 3735179 का विवरण निम्न है —

1. सामग्री क्रय (ईट, गिट्टी, बालू, सीमेंट)	2503421.00
2. मजदूरी	892208.00
3. हैंडपंप मरम्मत कार्य	144300.00
4. अन्य कार्य (प्रधान मानदेय डस्टबिन टेंडर फोटोग्राफी व स्टेशनरी आदि)	195250.00

योग — 3735179.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में संपर्क मार्ग निर्माण खड़जा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु. 2503421 की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, मॅप पुस्तिका, सृजित स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित कार्यवाही अपेक्षित है।
2. मजदूरी पर भुगतान रु. 892208.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा वर्ष में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक रहा।
3. हैंडपंप मरम्मत संबंधी व्यय पर रु. 144300.00 की पुष्टि में न तो हैंडपंप मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य संबंधी व्यय अपुष्ट रहा।
4. अन्य व्यय के अंतर्गत मानदेय, डस्टबिन, फोटोग्राफी एवं टेंडर प्रियासाफ्ट तथा स्टेशनरी पर कुल रु. 195250.00 निम्नानुसार क्रमशः रु. 35000.00, रु. 135000.00, रु. 5000.00, रु. 20250.00 दर्शित है —

(क) रु. 35000.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए भुगतान, अनियमित रहा। लेखा परीक्षा में मानदेय संबंधी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। मानदेय रजिस्टर के अभाव में मानदेय अवधि की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

(ख) रु. 135000.00 मात्र 15 डस्टबिन क्रय पर दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) रु. 5000.00 फोटोग्राफी पर व्यय दर्शित है, लेकिन कार्य से संबंधित न तो फोटोग्राफ दिखाए गए और न ही उस पर व्यय से संबंधित प्रमाणक। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(घ) रु. 20250.00 टेंडर प्रियासाफ्ट एवं स्टेशनरी क्रय पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु. 3735179.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहरित धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दयाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि में से रु. 1867589.50 श्रीमती अनीता देवी एवं रु. 1867589.50 श्री राम दयाल शर्मा से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत — महमूदपुर टड़वा, विकास खण्ड — कासिमाबाद, जनपद — गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही/पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में रुपए 2013590.40 व्यय दर्शित है जिसमें से रुपए 94.40 बैंक चार्ज के रूप में काटा गया है शेष रुपए 2013496.00 का विवरण निम्न है —

1. सामग्री क्रय (ईट, गिट्टी, बालू, सीमेंट)	1126731.00
2. मजदूरी	249460.00
3. हैंडपंप मरम्मत कार्य	231115.00
4. ह्यूम पाइप	182140.00
5. अन्य कार्य (प्रधान मानदेय डस्टबिन टेंडर फोटोग्राफी व स्टेशनरी आदि)	224050.00
योग —	2013496.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में संपर्क मार्ग निर्माण खड़जा आदि कार्यों पर ईट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु. 1126731.00 व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। क्रय संबंधी क्रयादेश की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, माप पुस्तिका, सृजित स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी संबंधित कार्यवाही अपेक्षित है।

2. मजदूरी पर भुगतान रु. 249460.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा वर्ष में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक रहा।

3. हैंडपंप मरम्मत संबंधी व्यय पर रु. 231115.00 की पुष्टि में न तो हैंडपंप मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य संबंधी व्यय अपुष्ट रहा।

4. आलोच्य वर्ष में रु.182140.00 ह्यूम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय किए गए हैं लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये/ कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासांगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की यह भी अस्पष्ट रहा। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

5. अन्य व्यय के अंतर्गत मानदेय, डस्टबिन, सफाई किट स्टेशनरी एवं टेंडर पर कुल रु. 224050.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्न है –

(क) रु. 84000.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए भुगतान, अनियमित रहा। लेखा परीक्षा में मानदेय संबंधी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। मानदेय रजिस्टर के अभाव में मानदेय अवधि की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

(ख) रु. 90000.00 डस्टबिन क्रय पर दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) रु. 37800.00 सफाई कर्मों के सामान क्रय पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में ऑडिट में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(घ) रु. 5250.00 टेंडर पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु. 2013496.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहरित धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम अवतार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दयाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि में से रु. 1006748.00 श्री राम अवतार एवं रु. 1006748.00 श्री राम दयाल शर्मा से मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत – सवना, विकास खण्ड – कासिमाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही/पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में रु. 1782162.00 व्यय दर्शित है, जिसका विवरण निम्न है –

1. सामग्री क्रय (ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट)	809123.00
2. मजदूरी	180187.00
3. हैंडपंप मरम्मत कार्य	425335.00
4. स्ट्रीट लाइट	212500.00
5. अन्य कार्य (प्रधान मानदेय, डस्टबिन, स्टेशनरी एवं फोटोग्राफी आदि)	155017.00
योग –	1782162.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियां हैं—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में संपर्क मार्ग निर्माण खड्जा आदि कार्यों पर ईंट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु. 809123.00 व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। क्रय संबंधी क्रयदेश की वस्तुस्थिति संदिग्ध है। लेखा परीक्षा में कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, मॅप पुस्तिका, सृजित स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। संबंधित पर कार्यवाही अपेक्षित है।
2. मजदूरी पर भुगतान रु. 180187.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा वर्ष में मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक रहा।
3. हैंडपंप मरम्मत संबंधी व्यय पर रु. 425335.00 की पुष्टि में न तो हैंडपंप मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य संबंधी व्यय अपुष्ट रहा।

4. स्ट्रीट लाइट मद संबंधी व्यय रु. 212500 .00 दर्शित है, परंतु उन स्थानों का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गयी है एवं कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। क्रय किए जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है । क्रय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा ।

5. अन्य व्यय के अंतर्गत मानदेय, दरी एवं डस्टिबन, स्टेशनरी, फोटोग्राफी, टेंडर एवं सामान्य लाभ निधि पर कुल व्यय रु. 155017.00 है । जिसका विवरण निम्न है –

(क) रु. 42000.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए भुगतान, अनियमित रहा । लेखा परीक्षा मे मानदेय संबंधी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया । मानदेय रजिस्टर के अभाव मे मानदेय अवधि की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध है ।

(ख) रु 96200.00 दरी एवं डस्टिबन क्रय पर व्यय दर्शित है । लेकिन इसकी पुष्टि मे लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है ।

(ग) रु. 10000.00 स्टेशनरी क्रय पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि मे लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है ।

(घ) रु. 367.00 फोटोग्राफी पर व्यय दर्शित है । लेकिन इसकी पुष्टि मे लेखा परीक्षा के दौरान कार्य से संबंधित न तो कोई फोटो दिखायी गयी और न ही व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक प्रस्तुत किया गया । अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है ।

(ङ) रु. 5450.00 टेंडर पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि मे कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है ।

(च) रु. 1000.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को सामान्य लाभ निधि कहते मे ट्रांसफर किया गया है, लेकिन इस संबंध मे कोई शासनादेश और गाइड लाइन मांगोंपरांत ऑडिट मे प्रस्तुत नहीं रहा । विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 मे योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु. 1782162.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है । व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहरित धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है । इसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दयाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8-क एवं 7-ख मे विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि मे से रु. 891081.00 श्रीमती लीलावती देवी एवं रु. 891081.00 श्री राम दयाल शर्मा से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

प्रस्तर-91. ग्राम पंचायत – सुरवत, विकास खण्ड – कासिमाबाद, जनपद – गाजीपुर के वर्ष 2018-19 में कोशबही/पासबुक के अनुसार विभिन्न तिथियों में रुपए 2781627.90 व्यय दर्शित है, जिसमे से रु 713.90 बैंक चार्ज तथा स्टेटमेंट चार्ज के रूप मे कट गया है शेष रु 2780914 का विवरण निम्न है

1. सामग्री क्रय (ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट)	1449117.00
2. मजदूरी	475925.00
3. हैंडपंप मरम्मत कार्य	246942.00
4. ह्यूम पाइप	122580.00
5. स्ट्रीट लाइट	165080.00
6. अन्य कार्य (प्रधान मानदेय, डस्टिबन, सफाई कीट व प्रियासॉफ्ट स्टेशनरी आदि)	321270.00
योग –	2780914.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियां है—

1. लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में संपर्क मार्ग निर्माण खड़जा आदि कार्यों पर ईंट एवं अन्य निर्माण सामग्री क्रय पर रु. 1449117 .00 व्यय दर्शित है उसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए है । क्रय संबंधी क्रयदेश की वस्तुस्थिति संदिग्ध है । लेखा परीक्षा मे कार्यों से संबंधित अनुमानित लागत, मॅप पुस्तिका, सृजित स्तर पर गठित समितियों से अनुमोदित प्रमाणपत्र आदि लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किए जाने से कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी । संबंधित कार्यवाही अपेक्षित है ।
2. मजदूरी पर भुगतान रु. 475925.00 दर्शित है । लेखा परीक्षा वर्ष मे मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मजदूरी का नकद भुगतान किया गया है जो आपत्तिजनक रहा ।
3. हैंडपंप मरम्मत संबंधी व्यय पर रु. 246942.00 की पुष्टि मे न तो हैंडपंप मरम्मत रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन

स्थानों पर मरम्मत में कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। अतः कार्य संबंधी व्यय अपुष्ट रहा।

4. आलोच्य वर्ष में रु.122580.00 ह्यूम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय किए गए हैं लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रुपये ६ कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासांगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु स्थानों पर या किन्तु किन्तु कार्यों में इस ह्यूम पाइप की यह भी अस्पष्ट रहा। विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।
5. स्ट्रीट लाइट मद संबंधी व्यय रु. 165080.00 दर्शित है, परंतु उन स्थानों का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन्तु किन्तु स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गयी है एवं कितनी कितनी धनराशि व्यय की गयी है। क्रय किए जाने का प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समिति से इसकी पुष्टि नहीं करायी गयी है। क्रय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दर्शित व्यय अपुष्ट रहा।
6. अन्य व्यय के अंतर्गत मानदेय, डस्टिबन सफाई किट एवं प्रियासॉफ्ट स्टेशनरी पर कुल व्यय रु. 321270.00 है। जिसका विवरण निम्न है –

(क) रु. 42000.00 प्रधान को मानदेय सादे कागज पर बिना औपचारिकता पूर्ण किए भुगतान, अनियमित रहा। लेखा परीक्षा में मानदेय संबंधी पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। मानदेय रजिस्टर के अभाव में मानदेय अवधि की पुनरावृत्ति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता अतः भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

(ख) रु 26270 सफाई कीट क्रय पर दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(ग) रु. 10000.00 प्रियासॉफ्ट, टेंडर एवं स्टेशनरी क्रय पर व्यय दर्शित है, लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

(घ) रु. 24300.00 डस्टिबन क्रय पर व्यय दर्शित है। लेकिन इसकी पुष्टि में लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में योजना से संबंधित कुल दर्शित व्यय रु. 1782162.00 के सापेक्ष निर्माण कार्य की वस्तु स्थिति संदिग्ध है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आहरित धनराशि के अपहरण की पूर्ण संभावना है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री संतोश कुमार राय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम दयाल शर्मा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 पैर 7, 8-क एवं 7-ख में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त धनराशि में से रु. 891081.00 श्री संतोश कुमार राय एवं रु. 891081.00 श्री राम दयाल शर्मा से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-04

(01)

ग्राम पंचायत-जमदहं विकास खण्ड- शाहगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर 1 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 कोशबही के अनुसार हैन्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रुपये 49050 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	10.10.18	20850=	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	28.03.19	28200=	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	49050=	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं।

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर)
 - (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाण के अलग-अलग होना चाहिए।
 - (ख) किसी पंजीकृत फर्म का न हो कर सादा छपा (कैश मेमो है)
2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

(क) कार्य वाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(घ) इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(च) हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट
(छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया शॉफ्ट फिडिंग
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।

3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. हैण्ड पम्पराग मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्पमरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाण का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 49050=की वसूली ग्राम प्रधान **तरन्नुम बानो** एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(02)

ग्राम पंचायत-ढढवाराकला विकास खण्ड- शाहगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19
प्रस्तर 2 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रुपये 19950 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	26.03.19	19950	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	19950	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर
(क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।
2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-
(क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(घ) इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर
(ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया शॉफ्ट फिडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।
3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 19950 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति शोभावती एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(03)

ग्राम पंचायत- मेंहरावा विकास खण्ड-शाहगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर 3 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रुपये 38808 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	02.05.2018	15500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	30.07.2018	23308.00	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	38808.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो है)
- उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—
(क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया सॉफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।
- डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ०प्र० पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 38808.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इंद्रराज गौतम एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(04)

ग्राम पंचायत-सोंगर विकास खण्ड-शाहगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19
प्रस्तर 4 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की कोशबही में विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	व्यय का विवरण	धनराशि
1	07.02.2019	10008477	अफजल के घर से जलालुद्दीन के घर तक खडन्जा निर्माण 11400)ग(5775	65835.00
2	07.02.2019	10008478	अफजल के घर से जलालुद्दीन के घर तक खडन्जा निर्माण की मजदूरी	17850.00
			योग	83685.00

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं -

- ईट क्रय के सापेक्ष प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं हैं
- स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मजदूरी पर किए गए व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती
- माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट हैं की ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेड लेखा मैनुअल के अध्याय 7- के खण्ड 8, खण्ड 8 क, ख 8 , एवं उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम के 205 एवं 204 विपरीत तथा नियम एवं 256 के तहत अपहरण हैं 27 अधिनियम की धा, जो अधिभार के योग्य है

अतः उक्त की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान साविता खातून एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/जाना अपेक्षित है।

(05)

ग्राम पंचायत-हडही विकास खण्ड- शाहगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर 5 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रुपये 69950-00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	01.06.2018	19950.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	02.06.2018	30700.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
03	05.06.2018	9300.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
04	04.08.2018	10000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	69950.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैश मेमो है)
- उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—
(क) कार्य वाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया साँफ्ट फ्रीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।
- डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- हैण्डपम्प पर मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवास ग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि 69950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमति मांडवी सिंह एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(06)

ग्राम पंचायत-पुरा बलई विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-6 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैशबुक के अनुसार रू0 145205.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि(रू०)
1	11.07.2018	10004107	10500.00
2	25.09.2018	10004109	39150.00
3	16.10.2018	10004117	77880.00
4	24.10.2018	10004119	17675.00
		योग-	145205.00

उक्त व्यय को स्वयं निकाला गया है। जिसके संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

- लेखा परीक्षा के दौरान भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र डेड स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
- सहायक विकास अधिकारी (पं०) का त्रैमासिक निरीक्षण पुस्तिका/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा।
- उक्त व्यय को कैशबुक में आहरित दिखाकर निकाला गया। जिसके सम्बन्ध में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान /व्यय धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी, गुलाबी देवी, विनय तिवारी ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री संतोश दूबे से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(07)

ग्राम पंचायत-बैहारी विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-7 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैशबुक के अनुसार रू0 32725.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि(रू0)
1	01.12.2018	10009018	32725.00
योग-			32725.00

उक्त व्यय को स्वयं निकाला गया है। जिसके संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. लेखा परीक्षा के दौरान भुगतानित धनराशि निकाला गया। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक , कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र डेड स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
2. सहायक विकास अधिकारी (पं0) का त्रैमासिक निरीक्षण पुस्तिका/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा।
3. मस्टररोल, मजदूरों की संख्या आदि सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान /व्यय धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्री अजय कुमार ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री आलोक कुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(08)

ग्राम पंचायत-डोमपुर विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-8 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैशबुक के अनुसार ह्यूम पाइप एवं प्रशासनिक मद पर रू0 28200/- एवं 15500.00 कुल रूपये 43700.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि
1	16.04.2018	10006668	28200.00
2	15.05.2018	10006674	15500.00
योग :-			43700.00

उक्त विवरण से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. क्रम संख्या 1 से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. कोशवही के अनुसार रू0 15500.00 प्रशासनिक मद पर व्यय हेतु व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान /व्यय (क्रम सं01 एवं 2) ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती भुखना ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री आलोक कुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(09)

ग्राम पंचायत-कठार विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैशबुक के अनुसार निम्नतिथियों में रू0 7620.00 संबंधी गंभीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें निम्न आपत्तियाँ हैं :-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि(रू0)

1	25.10.2018	10006482	45000.00
2	25.08.2018	10009666	31200.00
		योग-	76200.00

आपत्तियों का विस्तृत विवरण:-

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक , कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट, स्टीमेट एवं एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प खराबी सम्बन्धी शिकायत पत्र, तकनीकी रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
2. श्रमिकों के भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
3. हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर के पश्चात अगल-बगल निवासरत लाभार्थियों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री आलोक कुमार मिश्रा से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(10)

ग्राम पंचायत- शिवनगर उर्फ घुरीपुर विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर 10 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कोशवही के अनुसार पक्की नाली निर्माण पर कुल रू0 48100.00 व्यय किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि(रू0)
1	05.05.2018	10006478	48100.00
		योग-	48100.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ है:-

1. इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर स्टीमेट, एम0बी0,स्टीमेट, फर्म का नाम, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा।
2. लेखा परीक्षा के दौरान मस्टररोल, मजदूरों की संख्या आदि सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहा।
3. सहायक विकास अधिकारी (पं0) का त्रैमासिक निरीक्षण पुस्तिका/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान /व्यय धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देवी ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(11)

ग्राम पंचायत-आनापुर विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-11लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 के अनुसार रू0 34700.00 का गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि(रू0)
1	18.06.2018	10002449	34700.00
		योग-	34700.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ है:-

1. इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।
2. कार्यवाही रजिस्टर,स्टॉक रजिस्टर स्टीमेट, एम0बी0,स्टीमेट, फर्म का नाम, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहा। जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। कि रू0 34700.00 किसे ट्रान्सफर किया गया है।

3. सहायक विकास अधिकारी (पं०) का त्रैमासिक निरीक्षण पुस्तिका/प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त भुगतान /व्यय धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती ऊशा ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री अशोक कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(12)

ग्राम पंचायत-चरियाही विकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनप वर्ष-2018-19

प्रस्तर-12 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कोशवही /पासबुक के अनुसार रू० 25250.00 स्वयं निकाला गया है। का गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि(रू०)
1	13.07.2018	10010071	20250.00
2	24.10.2018	10012727	5000.00
योग-			25250.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित विस्तृत आपत्तियाँ निम्न है:-

1. लेखा परीक्षा में रू० 20250.00 ह्यूम पाइप क्रय हेतु स्वयं निकाला गया है। जबकि कैशबुक में गंगा इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है। जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, स्टीमेट, एम०बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
2. कोशवही के अनुसार इण्डिया मार्का हैण्डपम्प पर रू० 5000.00 व्यय किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में डेड स्टॉक रजिस्टर, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प खराबी सम्बन्धी शिकायत पत्र आदि अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय /भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

उक्त धनराशि की ग्राम प्रधान श्रीमती चमेला ग्रा०पं०/वि०अधि० श्री पुरुशार्थ यादव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(13)

ग्राम पंचायत-ठेगहॉविकास खण्ड- महाराजगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-13 लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैशबुक के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू० 20000.00 सीधे एवं रू०31500.00 रिबोर हेतु स्वयं निकाल कर व्यय किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि(रू०)
1	10.04.2018	10004155	20000.00
2	10.04.2018	10004156	31500.00
योग-			51500.00

उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ है:-

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक , कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट, स्टीमेट एवं एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, हैण्डपम्प खराबी सम्बन्धी शिकायत पत्र, तकनीकी रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट्स का स्टॉक एवं नीलामी के उपरान्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. श्रमिकों के भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
3. हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर के पश्चात अगल-बगल निवासरत लाभार्थियों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/ गम्भीर अनियमितता /दुर्विनियोग है जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुबराजी ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री दिनेश कुमार यादव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(14)

ग्राम पंचायत-भैरोसुल्तानपुरविकास खण्ड- मुँगराबादशाहपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-14 निम्नलिखित हैण्डपम्प रिबोर कार्य- (व्यय धनराशि- 552085.00रु.) बिल-वाउचर व अन्य अभिलेख अप्राप्त, स्थल-अज्ञात, भुगतान फर्म को न कर अपहरण की स्थिति-

क्र.सं.	दिनांक	हैण्डपम्प रिबोर का विवरण		धनराशि	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	दिनांक
		रिबोर की संख्या	स्थल				
01-	02.07.18	01नग	अज्ञात	32355.00	पुष्पा	35000.00	02.07.18
02-	03.07.18	01नग	"	32355.00	नीरज	36000.00	03.07.18
03-	04.08.18	03नग	"	97665.00	पुष्पा	105000.00	04.08.18
04-	06.08.18	02नग	"	64710.00	शंकर इण्टर	80150.00	06.08.18
05-	20.10.18	02नग	"	60000.00	पुष्पा	60000.00	20.10.18
06-	02.11.18	01नग	"	30000.00	पुष्पा	30000.00	02.11.18
07-	06.11.18	02नग	"	65000.00	पवन कुमार	65000.00	06.11.18
08-	17.11.18	01नग	"	35000.00	पवन कुमार	35000.00	17.11.18
09-	05.02.19	02नग	"	60000.00	पवन कुमार	60000.00	05.02.19
10-	13.02.19	03नग	"	95000.00	पुष्पा	95000.00	13.02.19
		18नग	योग-	552085.00			

आपत्ति:-

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार किसी कार्य व व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

— उक्त समस्त रिबोर कार्य के सापेक्ष ले.प. में कोई भी बिल-वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त नियम का उल्लंघन है।

— उक्त समस्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष, जल निगम की प्रतीक्षा सूची/ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने की सूची, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., टेण्डर/कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, कार्यपूर्ति, स्टाक रजि., निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टाक रजि., जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण पंजिका, हैण्डपम्प खराबी का शिकायती-पत्र, परिसम्पत्ति रजि., लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे रिबोर कार्य की पुष्टि नहीं होती है। (शासनादेश संख्या- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 का उल्लंघन)

— उक्त समस्त रिबोर कार्य हेतु भुगतान किसी फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से न कर व्यक्तिगत नामें किया गया है।

— उक्त समस्त कार्यो पर आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरित किया गया है।

— उक्त कार्य पर किसी भी फर्म का भुगतान प्राप्ति रसीद प्रमाणक के तौर पर ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे किसी फर्म से क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु व्यय धनराशि 552085.00 कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-15

15नग हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (व्यय धनराशि- 60000.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक 12.02.19 को 10 नग एवं दिनांक 12.02.19 को 05 नग हैण्ड पम्प मरम्मत कुल- 15नग हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय धनराशि- 60000.00 रु. के सापेक्ष बिल-वाउचर्स व मस्टररोल, ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे मरम्मत कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

(लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत में मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों का सर्वे के आधार पर तत्काल मरम्मत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं, परन्तु ले.प. में कोई भी सर्वे सूची उपलब्ध नहीं कराया गया है।

— वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-05 के प्रस्तर-2 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प खराबी की शिकायती-पत्र, पेयजल की गुणवत्ता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, साथ ही अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा— कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., स्टॉक रजि., डेड स्टॉक रजि., कार्यपूर्ति, परिसम्पत्ति रजि., मरम्मत हैण्डपम्पों के भौतिक स्थलों की सूची, ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये।

— आदेश संख्या आरजीएसए/197/2009-04/379/2015 लखनऊ, जिसमें 20000.00 रु. से अधिक मरम्मत कार्य की ग्रुप आई.डी. विकसित नहीं किये जाने का जिक्र है। परन्तु ले.प. में पाया गया है कि वर्क आई.डी. प्रस्तुत किये बिना भी 20000.00 रु. से अधिक का व्यय किया गया है।

— उक्त मरम्मत कार्य का भुगतान, सामग्री क्रय हेतु किसी भी फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से न कर व्यक्तिगत नामें आहरण किया गया है। (पासबुक के अनुसार दिनांक 12.02.19 को 65000.00 आहरण पुष्पा के नामें)

अतः प्रमाणकों/अभिलेखों के ले.प. में प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर रु. 60000.00 का ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-16

ह्यूमपाईप क्रय 20नग (व्यय धनराशि- 63000.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक 20.02.19 को ह्यूमपाईप क्रय (20नग) पर व्यय धनराशि 63000.00रु. के सापेक्ष बिल-वाउचर ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन।

— 20 नग ह्यूम पाईप कितने एम.एम. की क्रय की गई की स्थिति अज्ञात रहा।

— क्रय का उद्देश्य, अधिष्ठापन स्थल, अधिष्ठापन हेतु श्रमांश व्यय एवं उसके उपभोग किये जाने की स्थिति अज्ञात रहा।

— उक्त क्रय का भुगतान किसी फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है, बल्कि पासबुक के अनुसार दिनांक 20.02.19 को 60000.00रु. नीरज के नामें आहरण रहा।

— किसी भी फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— उक्त क्रय के सापेक्ष अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा— कार्यवाही रजि., स्टीमेट, वर्क आई.डी., स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय की पुष्टि नहीं होती।

अतः स्पष्ट है कि उक्त ह्यूमपाईप क्रय कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों—ग्रामप्रधान श्रीमती पुष्पा एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा रु. 63000.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-17

पिच रोड से अनिल के घर तक खड़ंजा निर्माण (व्यय धनराशि- 115802.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार उक्त कार्य पर दिनांक 25.02.19 को $14783 \times 5.775 = 85002.00$ रु. ईंट क्रय तथा दिनांक 30.01.19 को 30800.00रु. श्रमांश पर व्यय के सापेक्ष बिल-वाउचर एवं मस्टर रोल ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। (अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड- 8(क) का उल्लंघन)

— उक्त कार्य से सम्बन्धित अन्य अभिलेख/पत्रावली, यथा— कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजि., कार्यपूर्ति रजि., कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि., ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त कार्य पर ईंट क्रय का भुगतान किसी फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है और न ही किसी फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद का प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ईंट क्रय की पुष्टि नहीं होती।

— पासबुक के अनुसार दिनांक 25.02.19 को उक्त भुगतान 85000.00रु. कैश के रूप में रहा।

— कोटेशन से सम्बन्धित पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि कोश-बही में उक्त कार्य पर व्यय धनराशि 115802.00रु. सुनियोजित तरीके से काल्पनिक व्यय दर्शा कर तथा उक्त के सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत न कर उत्तरदायी व्यक्तियों-ग्रामप्रधान श्रीमती पुष्पा एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

(15)

ग्राम पंचायत-भसोटविकास खण्ड- मुँगराबादशाहपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-18 वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार किसी कार्य व व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर ले.प. में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी। उक्त समस्त कार्यों पर व्यय पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हैण्डपम्प रिबोर (व्यय-85000.00)

कोश-बही के अनुसार दिनांक 28.02.19 को एक नग, दिनांक 12.03.19 को एक नग, दिनांक 13.03.19 को एक नग हैण्डपम्प रिबोर पर कुल 85000.00 रु. व्यय के सापेक्ष बिल-वाउचर/सम्बन्धित पत्रावली यथा- कार्यवाही रजि., जल निगम की प्रतीक्षा सूची या फिर ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिबोर की सर्वे सूची, स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, स्टाक रजि., डेड स्टाक रजि., कार्यपूर्ति, कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, हैण्डपम्प खराबी का शिकायती पत्र, परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे रिबोर कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(शासनादेश सं.- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दि. 19 जून 2017 का उल्लंघन)

— तालिका में दर्शित समस्त रिबोर कार्य हेतु भुगतान किसी फर्म को एकाउण्टपेयी चेक से न कर व्यक्तिगत नामें किया गया है।

— उक्त कार्य पर किसी भी फर्म का भुगतान प्राप्ति रसीद प्रमाणक के तौर पर ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे किसी फर्म से सामग्री क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः प्रमाणकों के ले.प. में प्रस्तुत न किये जाने तथा भुगतान व्यक्तिगत नामें किये जाने से स्पष्ट है कि हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु समस्त व्यय धनराशि- 85000.00रु काल्पनिक रूप से कोश-बही में दर्शाया गया है, जिसे सुनियोजित तरीके से ग्राम प्रधान- श्री जय प्रकाश एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-19

हैण्डपम्प मरम्मत- 15नग (व्यय धनराशि- 45000.00)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक- 05.03.19 को 07नग तथा दिनांक 08.03.19 को 08नग हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल- 45000.00 व्यय के सापेक्ष बिल-वाउचर/सम्बन्धित पत्रावली यथा- कार्यवाही रजि., खराब हैण्डपम्पों की सर्वे सूची, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय- 05 क प्रस्तर-2) शिकायती-पत्र, पेयजल की गुणवत्ता का प्रमाण, स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., स्टाक रजि., डेडस्टाक रजि., कार्यपूर्ति, मरम्मत हैण्डपम्पों के भौतिक स्थलों की सूची, परिसम्पत्ति रजि., ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे मरम्मत कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

(शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दि.- 12.04.2017 का उल्लंघन)

— उक्त मरम्मत कार्य का भुगतान, सामग्री क्रय हेतु किसी फर्म को नहीं किया गया है।

— आदेश सं.- आर0जी0एस0ए0/197/2009-04/379/2015 लखनऊ, जिसमें 20000.00 रु. से अधिक मरम्मत कार्य की ग्रुप आई.डी. विकसित नहीं किये जाने का जिक्र है। परन्तु दिनांक- 08.03.19 को पाया गया कि वर्क आई.डी. प्रस्तुत किये बिना भी 25000.00 रु. का व्यय किया गया है।

अतः व्यय-वाउचर व पत्रावली के ले.प. में प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शा कर रु. 45000.00 का ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-20

सोक्ता निर्माण (व्यय धनराशि- 25000.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक-19.03.19 को सोक्ता निर्माण हेतु ईट क्रय $1500 \times 5.775 = 8662.00$ रु. बिल्डिंग मैटेरियल- 12338.00रु. तथा 4000.00रु. श्रमांश पर (कुल- $8662 + 12338 + 4000 = 25000.00$ रु.) व्यय

के सापेक्ष— बिल—वाउचर, मस्टरोल, स्टीमेट, एम.बी., कार्यवाही रजि., वर्क आई.डी., कार्यस्थल का नाम, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टाक रजि., कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण—पत्र, परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त क्रय एवं कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त कार्य पर सामग्री क्रय का भुगतान किसी भी फर्म को एकाउण्टपेयी चेक से नहीं किया गया है।

— कार्यस्थल अज्ञात है तथा उक्त धनराशि से कितने नग सोक्ता निर्माण कराया गया की स्थिति अज्ञात है।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सोकपिट हेतु व्यय धनराशि रु. 25000.00 कोश—बही में काल्पनिक रूप से दर्ज कर उत्तरदायी व्यक्तियों— श्री जय प्रकाश (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेन्द्र नाथ (पंचायत सचिव) द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर—21

आ प्रसाद मौर्य के दुकान से रामदुलार के घर तक ख.म. (व्यय धनराशि—58500.00रु.)

— कोश—बही के अनुसार दिनांक— 26.11.18 को उक्त कार्य पर 9000×6500=58500.00रु. ईट क्रय पर व्यय के सापेक्ष बिल—वाउचर व पत्रावली यथा— कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., स्टाक रजि., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, डेडस्टाक रजि., कार्यपूर्ति, परिसम्पत्ति रजि., कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त कार्य हेतु ईट क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त कार्य पर ले.प. में कोई मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही वर्ष के दौरान कोश—बही में श्रमांश पर कोई भुगतान दर्शाया गया है, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उक्त कार्य के सापेक्ष किसी भी प्रकार का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि कोश—बही में उक्त कार्य हेतु ईट क्रय पर व्यय रु.— 58500.00 काल्पनिक रूप से दर्ज कर ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

(16)

ग्राम पंचायत—भीखपुरविकास खण्ड— मुँगराबादशाहपुर जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—22

(तालिका—1)

1— ऐसे कार्य पर व्यय/क्रय दर्शित (कोश—बही के अनुसार) जिनके प्रमाणक/अभिलेख ले.प. में अप्राप्त के कारण अपहरण की स्थिति

क्र.सं.	कोश—बही के अनुसार कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि		योग	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक /अभिलेख
			सामग्री	श्रम					
1.	ह्रूम पाईप पर व्यय (नग, एम.एम., स्थल अज्ञात)	02.11.18	137250.00	—	137250.00	सेल्फ	137250.00	02.11.18	अप्राप्त
2.	हैण्डपम्प रिबोर 03 नग	05.02.19	87662.00	श्रम+सामग्री	87662.00	आशा सिंह	198000.00	05.02.19	अप्राप्त
3.	(स्थल अज्ञात)	05.02.19	59462.00	"	59462.00	" "			
4.	सोक्ता निर्माण 06 नग	05.02.19	49684.00	"	49684.00	" "			
5.	सोकपिट निर्माण 05 नग	07.03.19	56227.00	"	56227.00	आशा सिंह			
6.	हैण्डपम्प रिबोर 02 नग 1— पहाड़ी,	07.03.19	22310.00	"	22310.00	" "	199750.00	07.03.19	अप्राप्त
7.	2—कमला	07.03.19	27720.00	"	27720.00	" "			
8.	हैण्डपम्प रिबोर 02 नग, 1—सुशील,	07.03.19	23970.00	"	23970.00	" "	320000.00	07.03.19	अप्राप्त
9.	2—राजेश हैण्डपम्प मरम्मत 06 नग	07.03.19	27025.00	33360.00	60385.00	" "			
10.	हैण्डपम्प मरम्मत 08 नग	07.03.19	27025.00	31960.00	58985.00	" "			
11.	हैण्डपम्प मरम्मत 06 नग	07.03.19	42550.00	44200.00	86750.00	" "			
12.	हैण्डपम्प मरम्मत 08 नग	29.03.19	997500.00	—	997500.00	" "	997500.00	08.03.19	अप्राप्त
13.	हैण्डपम्प मरम्मत 06 नग	29.03.19	200,000.00	—	200,000.	" "	200000.00	29.3.19	अप्राप्त
14.	मेन खड़जा से	29.03.19	200,000.00	—	200,000.	" "	200000.00	29.3.19	अप्राप्त

15.	राकेश यादव के घर तक ख.म. पिचरोड मेन	29.03.19	54625.00	63350.00	00	सिंह ईट	235000.00	29.03.19	अप्राप्त
16.	खड़ंजा से जीतेन्द्र	29.03.19	150034.00	श्रम+सामग्री	117975.00	आशा सिंह	293750.00	29.03.19	अप्राप्त
17.	तिवारी के घर तक ख.म. मेन खड़ंजा से कल्लू के घर तक ख.म. सौर ऊर्जा लाईट क्रय (28500.00×35) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन पर मैटेरियल पिचरोड से बिन्द बस्ती तक ख.म. हैण्डपम्प रिबोर 05 नग हैण्डपम्प रिबोर 05 नग	29.03.19	150000.00	"	150034.00 150000.00	" "			
				योग-	2343454.00				

आपत्तियाँ:-

— यदि किसी कार्य व व्यय के सापेक्ष कोई वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 2(क) का उल्लंघन।

क-हूम पाईप पर व्यय- (137250.00)

- हूमपाईप क्रय से सम्बन्धित बिल-वाउचर ले.प. में अप्राप्त।
- रु. 137250.00 से कितने नग और कितने एम.एम. की पाईप क्रय किया गया की स्थिति अज्ञात।
- क्रय का उद्देश्य, अधिष्ठापन स्थल, अधिष्ठापन हेतु श्रमांश व्यय- अज्ञात।
- भुगतान किसी फर्म को नहीं किया गया।
- टेण्डर प्रक्रिया, स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., कार्यवाही रजि., स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र किसी फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः स्पष्ट है कि रु. 137250.00 कोश-बही में काल्पनिक व्यय दर्शा कर ग्राम प्रधान श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

ख-तालिका में दर्शित सोक-पिट निर्माण 6+5=11 नग (109146.00 रु.) एवं तालिका में दर्शित समस्त खड़ंजा मरम्मत कार्य (04 कार्य) (324095.00 रु.)

- तालिका में दर्शित सोक-पिट कार्य एवं समस्त खड़ंजा मरम्मत कार्य पर सामग्री क्रय हेतु बिल-वाउचर एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किसी क्रय एवं कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।
- उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी. वर्क आई.डी., स्टॉक रजि., डेड स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., त्रिस्तरीय फोटो, टेण्डर/कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाण, चल एवं अचल सम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो गम्भीर विषय है।
- सामग्री क्रय हेतु कोई भी भुगतान (पासबुक के अनुसार) फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से नहीं किया गया है, और न ही किसी फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सोक-पिट निर्माण पर व्यय- 109146.00 रु. एवं खड़ंजा मरम्मत (04 कार्य) पर व्यय- 324095.00 रु. कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसकी धनराशि- (109146.00+324095.00=433241.00 रु.) ग्राम प्रधान- श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश

पाठक/तत्कालीन पं.सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

ग-तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य- 17 नग (व्यय धनराशि- 501463.00रु.)

— तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य (17 नग) पर व्यय धनराशि- 501463.00 रु. के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे रिबोर कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— उक्त समस्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष, जलनिगम की प्रतीक्षा सूची/ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर खराब हैण्डपम्पों के कार्य-योजना में सम्मिलित किये जाने की सूची, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम. बी., वर्क आई.डी., टेण्डर/कोटेशन, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण पंजिका, स्टाक रजि. निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टाक रजि., जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, उपभोग-प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि., लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। (शासनादेश संख्या- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19जून 2017 का उल्लंघन)

— उक्त समस्त रिबोर कार्य हेतु सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को एकाउण्टपेयी चेक से नहीं किया गया है और न ही किसी फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद प्रमाण के तौर पर ले.प. में प्रस्तुत किया गया है, जिससे किसी फर्म से क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु व्यय धनराशि- 501463.00 रु. कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक/तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

घ-तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य (20नग) व्यय धनराशि- 74000.00

— तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य - 20नग पर व्यय धनराशि- 74000.00 के सापेक्ष, बिल-वाउचर व मस्टर रोल, ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मरम्मत कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— शासनादेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार ग्राम पंचायतों में मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों का सर्वे के आधार पर तत्काल मरम्मत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है, परन्तु उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

— वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति, हैण्डपम्प खराबी की शिकायती-पत्र, पेयजल की गुणवत्ता का प्रमाण, साथ ही मरम्मत कार्य से सम्बन्धित पुष्टि प्रमाणक यथा- कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., स्टाक रजि., डेड स्टाक रजि., मरम्मत हैण्डपम्पों के भौतिक स्थलों की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये।

— आदेश संख्या-आरजीएसए/197/2009-04/379/2015 लखनऊ, जिसमें 20000.00रु. से अधिक की ग्रुप आई.डी. विकसित नहीं किये जाने का जिक्र है। परन्तु ले.प. में पाया गया है कि बिना वर्क आई.डी. के भी 20000.00रु. से अधिक का व्यय किया गया है।

— उक्त मरम्मत कार्य का भुगतान, सामग्री क्रय हेतु किसी फर्म को नहीं किया गया है।

अतः प्रमाणकों/ अभिलेखों के ले.प. में प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर रु. 74000.00 का ग्रामप्रधान श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक/तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

ड-सौरऊर्जा क्रय पर (व्यय- 997500.00रु.)

— तालिका में दर्शित सौर ऊर्जा क्रय पर व्यय धनराशि- 997500.00 के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय की पुष्टि नहीं होती है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण के शासनादेश संख्या- 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017, तथा निदेशक यूपी. नेडा के पत्र संख्या 3559/यूपीनेडा/एस.एस.एल. (डब्लू-एल.ई.डी.)/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय एवं अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यूपी.नेडा द्वारा

निविदा के माध्यम से आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं पाँच वर्षों की काम्प्रीहेन्सिव वारण्टी के साथ प्रति संयंत्र दर रुपये— 25000.00 तथा अभिकरण आनुशंगिक व्यय—रु. 1000.00 एवं जी.एस.टी. रु. 180.00(जहाँ देय हो) कराये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं जिसका उल्लंघन किया गया है।

— महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त सौर ऊर्जा क्रय हेतु भुगतान 'सिंह ईट' को किया गया है तथा कोश-बही में सौर ऊर्जा क्रय दर्शित है। अतः क्रय पूर्णतया फर्जी है।

— उक्त क्रय 100,000.00 से अधिक का है, इसलिए टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया जाना था/नेडा से क्रय निविदा के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किया जाना था। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के खण्ड-5(1) (निविदा हेतु) शासनादेश सं०. ए-1-864/दस-8-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उल्लंघन किया गया है।

— उक्त क्रय हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया है।

— उक्त सौर ऊर्जा कहीं अधिष्ठापित किया गया है— के अधिष्ठापन स्थल का विवरण एवं फोटोग्राफ अप्राप्त रहा।

— उक्त क्रय के सापेक्ष कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., कार्यपूर्ति प्रमाण/उपभोग प्रमाण, स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., चल एवं अचल रजि., (पंचवर्षीय योजना) ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि उक्त क्रय पूर्णतया फर्जी/काल्पनिक है, जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमेश पाठक/तत्कालीन पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आशा सिंह द्वारा कोश-बही में फर्जी प्रवृष्टि करके रु. 997500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

च-आँगनबाड़ी केन्द्र भवन पर मैटेरियल क्रय— (व्यय धनराशि—2,00,000.00)

— उक्त कार्य हेतु 2,00,000.00 रु. व्यय के सापेक्ष बिल-वाउचर एवं मस्टर रोल ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त कार्य की पुष्टि नहीं होती। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— उक्त क्रय हेतु भुगतान किसी फर्म को न कर आशा सिंह को किया गया है। किसी फर्म का भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— आँगनबाड़ी भवन कार्य— किस प्रकार का कार्य कराया गया है, निर्माण/मरम्मत का विवरण अज्ञात रहा। इससे पूर्व आँगनबाड़ी भवन की क्या स्थिति थी की पुष्टि नहीं कराया गया।

— उक्त कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., स्टॉक रजि., कार्यपूर्ति, त्रिस्तरीय फोटो, टेण्डर/कोटेशन, परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये, जो गम्भीर विषय है तथा कार्य की पुष्टि नहीं होती।

अतः स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन व्यय से किसी कार्य की पुष्टि नहीं होती है, उक्त क्रय कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक/तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा रु. 2,00,000.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

कोश-बही के अनुसार ऐसे कार्य—जिसके सामग्री क्रय का भुगतान फर्म को न कर नकद आहरण कर गम्भीर अनियमितता

क्र.सं.	कोश-बही के अनुसार कार्यनाम	दिनांक	धनराशि /सामग्री	वाउ चर सं.	बुक सं.	फर्म का नाम	बैंक पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	एम0बी0 की कुल धनराशि	
										जेई (टीए)एस0ए 0 खान	एम0बी0 की कुल धनराशि
1	मेन रोड से	07.05.18	51750.00	258	06	सिंह	उपेन्द्र	07.05.18	149000.00	जेई	109151.00
2	रामशिरोमणि के	26.07.18	79350.00	259	06	ईट	आशा सिंह	26.07.18	49000.00	(टीए)एस0ए	174689.00
3	चक तक ख.म.	08.08.19	57500.00	260	06	उोग	आशा सिंह	07.08.18	49000+91	0 खान '	114802.00
4	प्रा.पा. से कबीर	20.09.18	166750.00	261	06	" "	उपेन्द्र सिंह	20.08.18	000.00	" "	213577.00
5	के घर तक ख.	03.10.18	30475.00	262	06	" "	" "	05.10.18	195000.00	" "	63942.00
6	म.	03.10.18	51750.00	263	06	" "	दू कैश		140000.00	" "	120689.00
7	दुखरन के घर	29.11.18	77625.00	264	06	" "	" "			" "	154312.00
8	से लाल के घर	29.11.18	125925.00	265	06	" "	आशा सिंह	29.11.18		" "	169914.00
9	तक ख.म.	29.11.18	52900.00	266	06	" "	आशा सिंह	29.11.18	657000.00	" "	103847.00
10	मेन खड्गजा से	29.11.18	57700.00	267	06	" "	आशा सिंह	29.11.18	198000.00	" "	116142.00

11	पिचरोड तक ख.	29.11.18	82225.00	268	06	" "	आशा सिंह	07.03.19	198000.00	"	151355.00
12	नि.	29.11.18	80500.00	269	06	" "		07.03.19	199750.00	"	150558.00
13	मदरसा से	29.11.18	48875.00	270	06	" "		29.03.19	320000.00	"	107938.00
14	मेवालाल के	29.11.18	37375.00	271	06	" "			293750.00	"	84006.00
15	घरतक ख.म.	29.11.18	45425.00	272	06	" "				"	93244.00
16	मेन खड़ुंजा से	07.03.19	28750.00	273	06	" "				"	59011.00
17	नाला तक ख.म.	07.03.19	20125.00	284	06	" "				"	47164.00
18	पिचरोड से	29.03.19	28750.00	329	06	" "				"	59032.00
	यादव बस्ती तक ख.म.					" "				"	
	मेन खड़ुंजा से गुलाब के घर तक ख.नि.					पटेल एण्ड सन्स ईट डोग				"	
	पिचरोड से सरोज बस्ती तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से हरिजन बस्ती तक ख.म.									"	
	दुखी के घर से हरिजन बस्ती तक ख.म.									"	
	भोलेशंकर के खेत से बाबुल के घर तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से तालाब तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से अखिलेश के घर तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से रमेश के घर तक ख.म.									"	
	पिचरोड से बैजनाथ के घर तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से अर्जुन के घर तक ख.म.									"	
	मेन खड़ुंजा से मुनेश्वर के घर तक ख.म.									"	
	योग—		1123750.00								

आपत्तियाँ:

— तालिका में दर्शित समस्त खड़ुंजा मरम्मत/निर्माण कार्य के सापेक्ष प्रस्तुत-पत्रावली के अभिलेख/प्रमाणक यथा— स्टीमेट, एम.बी., बिल-वाउचर, मस्टर रोल की मूल प्रति ले.प. में प्रस्तुत न कर छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जो गम्भीर विशय है।

— तालिका में दर्शित समस्त खड़ुंजा मरम्मत/निर्माण कार्य के सापेक्ष भुगतान फर्म को एकाउण्टपेयी चेक से नहीं किया गया है, पासबुक विवरण से स्पष्ट है कि उक्त समस्त धनराशि— आशा सिंह एवं उपेन्द्र सिंह के नामे व्यक्तिगत रूप से आहरण रहा। अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(5) भुगतान एकाउण्टपेयी चेक से का उल्लंघन किया गया है।

— समस्त खड़ुंजा मरम्मत कार्य टेण्डर (100000.00) से अधिक हेतु एवं कोटेशन 20000.00रु. से अधिक हेतु का पालन नहीं किया गया है। अतः टेण्डर हेतु शासनादेश संख्या— ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 एवं कोटेशन हेतु शासनादेश संख्या— ए-1-864/दस-8-15(1)/86 दिनांक 23 सितंबर 2008 का उल्लंघन किया गया है।

— पासबुक के विवरण से स्पष्ट है कि उक्त समस्त कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक धनराशि आहरण किया गया है, जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5(3)— वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के अनुसार— निधि से किसी मद में उतनी ही धनराशि व्यय की जायेगी, जितनी उस कार्य पर आवश्यक हो।

— तालिका में दर्शित समस्त खड़जा मरम्मत कार्य, जो इतने बड़े पैमाने पर मरम्मत के पश्चात निष्प्रयोज्य/अप्रयोज्य प्राप्त हुयी (जिनके सापेक्ष समस्त खड़जा मरम्मत पर कुल— 144500.00 नग नये ईट का प्रयोग किया गया) को यू.पी. पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम-252क— ग्राम पंचायत की अप्रयोज्य वस्तुओं को नीलाम करना और उन्हें बेकार घोषित करना। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा न कर नियमों का उल्लंघन किया गया है।

— तालिका में दर्शित समस्त कार्य पर वाउचर संख्या—एवं बुक संख्या के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईट क्रय विभिन्न तिथियों में किया गया है, परन्तु वा.सं. एक क्रम से निर्गत किया गया है, सम्भवतः उक्त फर्म विशेष रूप से एक ग्राम पंचायत के लिए बनाया गया है, जो संदिग्ध एवं गम्भीर है।

— उक्त समस्त कार्य से सम्बन्धित— कार्यवाही रजि., वर्क आई.डी., स्टॉक रजि., कार्यपूर्ति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जो गम्भीर विषय है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 का उल्लंघन)

— उक्त समस्त कार्य की एम.बी. जेई (टीए)एस0ए0 खान द्वारा किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर रा. वि.अ. /केन्द्रीय वित्त अयोग की एम.बी. जे0ई0 (एम.1) रेड मंडीपरिशद या जिलाधिकारी जिसे नामित कर के द्वारा किया जायेगा। ले.प. में इस बात की पुष्टि नहीं कराया गया कि क्या जिलाधिकारी द्वारा जे0ई0 टी0ए0 नामित किये गये हैं या नहीं, किये गये हैं तो किस अवधि के लिए।

अतः उक्त समस्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्रीमती आशा सिंह एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक/तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन करके रु. 1123750.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(17)

ग्राम पंचायत—मादरडीहविकास खण्ड— भुंगराबादशाहपुर जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर-24 कार्य नाम— पंधारी के घर से द्वारिका के खेत तक भूमिगत नाली निर्माण (व्यय धनराशि— 119904.00रु.)

— यदि किसी कार्य व उसके व्यय के सापेक्ष बिल—वाउचर ले.प. में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुये धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

(वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क))

— कोश—बही के अनुसार उक्त कार्य हेतु पाईप क्रय का भुगतान दिनांक 27.03.19 को 95000.00रु. किया गया, जिसके सापेक्ष ले.प. में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

— ले.प. के दौरान उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राप्त पत्रावली में स्टीमेट, एम.बी., एवं मस्टर रोल के अलावा अन्य अभिलेख यथा— कार्यवाही रजि., वर्क आई.डी., स्टॉक रजि., कोटेशन प्रक्रिया का प्रमाणक, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र, परिसम्पत्ति रजि., चल एवं अचल सम्पत्ति का रजि., जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

— उक्त कार्य की तकनीकी विवरण निम्नवत् है:—

जे0ई0 (एम.1) राजेश सिंह

इस्टीमेटेड धनराशि— 189089.62 रु. सामग्री + 10835.00 श्रमांश

एम.बी. की धनराशि—

सामग्री विवरण

क्रमांश पर व्यय

1—	सीमेन्ट	—	33×332.60	=	10982.40	10835.00
2—	बालू	—	4.9मी ³ ×1834	=	8986.60	
3—	को.बालू	—	0.25मी ³ ×1887	=	471.75	
4—	ब्रिक ब्लास्ट	—	4.20मी ³ ×1102.50	=	4630.50	
5—	एम0150 ईट	—	2510×5.775	=	14495.25	
6—	स्टोन गिट्टी	—	0.45×2872	=	1292.40	
7—	सी0पी0वी0सी0 पाईप	—	146.50×1000	=	146500.00	
					188976.74	+ 10835.00
					कुल—	199811.00रु.

— कोश-बही के अनुसार उक्त कार्य पर व्यय— 95000.00 (27.03.19) सी.पी.वी.सी. पाईप क्रय तथा दिनांक 19.03.19 को 24904.00 रु. श्रमांश पर व्यय रहा।

— एम.बी. किसी भी कार्य के भौतिक धरातल पर पूर्ण किये जाने के पश्चात् मेजरमेंट बुक में दर्ज किया जाता है, उक्त एम.बी. विवरण से स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु एम.बी. में दर्ज उपरोक्त सामग्रियों का प्रयोग किया गया है परन्तु व्यय-पत्रावली एवं कोश-बही में सी.पी.वी.सी. पाईप के अतिरिक्त किसी भी सामग्री के क्रय एवं उपभोग का विवरण अप्राप्त रहा। यहाँ तक की 146.5 रनिंग मीटर पाईप की जगह (146.50×1000=146500.00) 95000.00रु. (95 रनिंग मीटर) पाईप का भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में या तो यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है या फिर उक्त एम.बी. फर्जी बनाया गया है क्योंकि एम.बी. निर्गत रजिस्टर एम.बी.संख्या ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

— एम.बी. के अनुसार श्रमांश पर 10835.00रु. व्यय तथा कोश-बही के अनुसार 24904.00रु. व्यय तथा प्राप्त मस्टर रोल के अनुसार 66×330=21780.00रु. मिस्त्री व 104×176=18304.00रु. (कुल— 40084.00रु.) की जगह 24904.00 रु. टोटल के रूप में लिखा गया है। अतः मस्टर रोल पूर्णतया फर्जी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमिगत नाली निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि— 119904.00रु. कोश-बही में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्रीमती जयदेवी एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 कार्य नाम— पी.डब्लू.डी. रोड से साधन सहकारी समिति तक ख.म. (व्यय धनराशि—121847.00रु.)

— कोश-बही/प्राप्त बिल-वाउचर के अनुसार उक्त कार्य पर दिनांक 16.03.19 को ईट क्रय— 9000×5.775=51975.00रु बिल-वाउचर— आयुश ईट उोग वा.सं. 81 दिनांक 25.02.19 तथा श्रमांश पर 35090.00+34782.00=69872.0 रु. दिनांक 16.03.19 व्यय पाया गया, जबकि पासबुक के अनुसार दिनांक 16.03.19 को (ओम शिव) (स्टेटमेंट हल्का होने के कारण जो दर्शित रहा) के नामें 51975.00रु. भुगतानित रहा।

— प्रथम दृष्टया भुगतान ओम शिव को और पत्रावली में संलग्न बिल-वाउचर आयुश ईट उोग का। अतः बिल-वाउचर और फर्म में कोई ताल-मेल नहीं है। अतः बिल-वाउचर फर्जी है।

— उक्त कार्य पर आयुश ईट उोग द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद का प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त फर्म से क्रय की पुष्टि नहीं होती है।

— कार्य की पत्रावली में— स्टीमेट, एम.बी., कार्यवाही रजि., कार्यपूर्ति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, वर्क आई.डी., स्टाक रजि., परिसम्पत्ति रजि. ले.प. के दौरान नहीं पाये गये/उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त कार्य पर व्यय एवं कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त तथ्यों के आलोक में मस्टर रोल पर भुगतान की स्थिति पूर्णतया काल्पनिक है।

— कोटेशन का प्रमाणक अप्राप्त रहा।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामप्रधान— श्रीमती जयदेवी एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा सुनियोजित तरीके से कोश-बही में काल्पनिक कार्य एवं भुगतान दर्शाकर कुल धनराशि— 121847.00 रु. का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

07 नग सोलर लाईट क्रय (व्यय धनराशि— 199500.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक— 29.08.18 को 07 नग सोलर लाईट 28500=199500.00रु. व्यय दर्शित रहा, उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय पत्रावली यथा— बिल-वाउचर, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ/अधिष्ठापन स्थल की सूची, वर्क आई.डी., स्टाक रजि., कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि., चल एवं अचल सम्पत्ति रजि. लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अनुसार— किसी कार्य/व्यय के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर ले.प. में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी।

— उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के शासनादेश संख्या— 33/2017/977/45—वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 तथा निदेशक यू.पी. नेडा के पत्र संख्या— 3549/यू.पी.नेडा/एस.एस.एल. (डब्लू.एल.ई.डी.)/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयन्त्रों के क्रय एवं अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू.पी.नेडा द्वारा

निविदा के माध्यम से आपूर्ति, स्थापना, कमिशनिंग एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सिव वारंटी के साथ प्रति सयंत्र दर रुपये— 25000.00 तथा अभिकरण आनुशंगिक व्यय— 1000.00 एवं जी.एस.टी. 180.00 (जहाँ देय हो) से क्रय किये जाने के स्पष्ट निर्देश है जिसका उल्लंघन किया गया है।

— महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त सौर ऊर्जा क्रय हेतु भुगतान पासबुक के अनुसार दिनांक 29.08.18 को सिंह ईट को 199500.00 रु. किया गया है, जिसकी भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

— उक्त क्रय 1 लाख से ऊपर का है, अतः टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है। (जो शासनादेश संख्या— ए-1-864/दस-8-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 का उल्लंघन है।

अतः प्रमाणक अभिलेखों एवं बिल-वाउचर के बिना उक्त क्रय पूर्णतया काल्पनिक है, जिसे उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती जयदेवी (ग्रामप्रधान) एवं श्री सुरेन्द्रनाथ (ग्रा.पं.अधि.) द्वारा सुनियोजित तरीके से कोश-बही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु. 199500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27

03नग सोक्त गड़ड़ा निर्माण हेतु सामग्री क्रय (व्यय धनराशि— 49321.00रु.) स्थल अज्ञात

— कोश-बही के अनुसार दिनांक 13.08.18 को 32500.00 रु. भुगतान के सापेक्ष— $1644\text{नग} \times 5.775 \text{ ईट} = 9494.00\text{रु.}$ पी0डब्ल्यू0डी0 रोड से राधेमोहन के घर तक ख.नि. तथा 03 नग सोक्त निर्माण हेतु $3000 \times 5.775 \text{ ईट} = 17325.00\text{रु.}$ व ईट गिट्टी हेतु $4.10\text{एम}^3 \times 1385.60 = 5681.00$ कुल— $9494 + 17325 + 5681 = 32500.00\text{रु.}$ व्यय दर्शित रहा। पासबुक के अनुसार उक्त भुगतान दिनांक 13.08.18 को पटेल एण्ड सन्स को किया गया है। दिनांक 27.02.19 को 03नग सोक्ता निर्माण हेतु 4315.00रु. ईट क्रय तथा दिनांक 27.02.19 को 22000.00रु. बिल्डिंग मैटेरियल क्रय इस प्रकार 03नग सोक्ता निर्माण हेतु $17325 + 5681 + 4315 + 22000 = 49321.00\text{रु.}$ व्यय दर्शित रहा।

— उक्त कार्य एवं व्यय के सापेक्ष कोई व्यय-पत्रावली यथा— बिल-वाउचर, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., कार्य स्थल का नाम, फोटोग्राफ, स्टॉक रजि., कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त क्रय एवं कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त कार्य पर कोश-बही में श्रमांश भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है और न ही ले.प. में कोई मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया है। जिससे कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है, उक्त कार्य पर अगस्त-18 से फरवरी-19 तक भुगतान किया जाता रहा तथा मार्च तक भी कार्य पर श्रमांश का भुगतान नहीं किया गया।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सोकपिट हेतु सामग्री क्रय का भुगतान सुनियोजित व काल्पनिक तरीके से कोश-बही में दर्ज कर रु. 49321.00 का अपहरण श्रीमती जयदेवी(ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेन्द्रनाथ द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28

मेन खड़जा से रामकृष्ण के घर तक ख.नि. (व्यय धनराशि— 88394.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार उक्त कार्य पर दिनांक 13.08.18 को $7975 \times 5.775 \text{ ईट} = 46000.00$ पासबुक के अनुसार प्रधान ईट, कोश-बही के अनुसार उक्त कार्य पर दिनांक 26.11.18 को $6000\text{नग} \times 5.775 = 34650.00\text{रु.}$ पासबुक के अनुसार दिनांक 26.11.18 को 42500.00रु. राजेश कुमार गिरि के नामें दिनांक 26.11.18 को श्रमांश पर व्यय— 7744.00 कुल— $46000 + 34650 + 7744 = 88394.00\text{रु.}$ व्यय दर्शित रहा।

— उक्त कार्य पर व्यय के सापेक्ष, व्यय पत्रावली यथा— बिल-वाउचर, मस्टर रोल, कार्यवाही रजि., वर्क आई.डी., कोटेशन, स्टीमेट, एम.बी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति रजि., स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., ले.प. में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

— पासबुक के अनुसार दिनांक 26.11.18 को 42500.00रु. राजेश कुमार गिरि के नामें आहरण रहा, जिसमें 34650.00रु. से ईट क्रय दर्शाया गया है, अतः किसी फर्म को भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

— दिनांक 13.08.18 को प्रथम भुगतान के पश्चात लगभग 3 माह बाद कार्य को पुनः कराया गया दर्शित रहा, जो इतने छोटे कार्य को इतनी लम्बी अवधि लिया जाना अपने आप में संदिग्ध पूर्ण स्थिति है।

अतः उक्त कार्य के सापेक्ष किसी भी प्रकार का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि कोश-बही में उक्त कार्य पर व्यय काल्पनिक रूप से दर्ज कर सुनियोजित तरीके से ग्रामप्रधान— जयदेवी एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा रु. 88394.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29

दो नग हैण्डपम्प रिबोर पर श्रमांश व्यय (व्यय धनराशि— 35000.00रु.)

— कोश-बही के अनुसार दिनांक 03.12.18 को दो नग हैण्डपम्प रिबोर (1) काली माई का चौरा (2) संतोश यादव कमांश हेतु रु. 35000.00 व्यय दर्शित रहा। पासबुक के अनुसार उक्त भुगतान दिनांक 01.12.18 को रामअजोर के नामे रहा।

— उक्त रिबोर कार्य की पत्रावली ले.प. में अप्राप्त रहा।

— सामग्री हेतु कब और किस फर्म को भुगतान किया गया की पत्रावली/बिल-वाउचर एवं कोश-बही में विवरण अप्राप्त रहा।

— उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, स्टाक रजि., जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, परिसम्पत्ति रजि., ले.प. में उपलब्ध नहीं कराया गया।

— रिबोर हेतु कमांश का भुगतान व्यक्तिगत नामें किया गया है, जिससे कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रिबोर कार्य पर सामग्री एवं श्रम का भुगतान किसी को नहीं किया गया है, बल्कि काल्पनिक तौर पर कैशबुक में श्रमांश भुगतान दर्शाकर रु. 35000.00 ग्राम प्रधान— श्रीमती जयदेवी एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

एक नग हैण्डपम्प रिबोर (पारस नाथ)– व्यय धनराशि– 28500.00रु.

— कोश-बही के अनुसार दिनांक 25.02.19 को एक नग हैण्डपम्प रिबोर (पारस नाथ) पर 28500.00रु. व्यय दर्शित रहा।

— पासबुक के अनुसार दिनांक 25.02.19 को 28500.00रु. रामनिरंजन बिन्द के नामें आहरित रहा।

— उक्त रिबोर कार्य से सम्बन्धित व्यय पत्रावली यथा— स्टीमेट, एम.बी., कार्यवाही रजि., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, शिकायती-पत्र, स्टाक रजि., परिसम्पत्ति रजि., जल निगम की सर्वेसूची, ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— रिबोर कार्य का भुगतान किसी फर्म को न कर व्यक्तिगत नामें किया गया है।

अतः किसी भी प्रकार का व्यय प्रमाणक/अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि कोश-बही में उक्त कार्य पर व्यय काल्पनिक रूप से दर्ज कर सुनियोजित तरीके से ग्राम प्रधान— श्रीमती जयदेवी एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्रनाथ द्वारा रु. 28500.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(18)

ग्राम पंचायत-रामपुर विकास खण्ड- मुँगराबादशाहपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-31

1) निम्नलिखित कार्यों पर भुगतान किसी अन्य फर्म को तथा बिल-वाउचर अन्य फर्म का (व्यय धनराशि- 518472.00रु.)

क्र. सं.	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री मद	धनराशि	प्रस्तुत बिलवाउचर सं. / फर्म का नाम	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि / दिनांक	सामग्री क्रय एवं भुगतान के सापेक्ष अन्तर	मा.रो. पर व्यय धनराशि
1.	रामपुर पिचरोड से चन्द्रभान के खेत तक ख. नि.	03.04.18	ईट क्रय (21200×5.775)	122430.00	पा.सं.— 1413, चन्द्रशेखर ईट ओग	जनता (जनता ईट भट्टा)	195000.00 (03.04.2018)	72570.00	43575.00
2.	शेरबहादुर यादव के चक से मानिकचन्द्र के घर तक ख. नि.	11.05.18	ईट क्रय (12000×5.775)	69300.00	जीतलाल पटेल ईट ओग वा.सं. 311, जी0एस0टी0एन 0-निल	दोनों कार्यों पर शमी (शमी ईट ओग)	130000.00 (11.05.2018)	14500.00	60550.00
3.	केदारनाथ के खेत से महादेव के चक तक ख.म.	11.05.18	ईट क्रय (8000×5.775)		जीतलाल पटेल ईट ओग वा.सं. 312, जी0एस0टी0एन 0-निल				48300.00
4.	बीरेन्द्र के चक से पटेल बस्ती	20.09.18	ईट क्रय (17700×5.775)	102217	जीतलाल पटेल ईट ओग वा.सं.	पटेल एण्ड सन्स	149500.00 (20.09.2018)	52858.00	25900.00

	तक ख.नि.		775)		314, जी0एस0टी0एन 0—निल (धनराशि— 96642.00)		2018)		
				340147. 00					178325.00

आपत्तियाँ:-

क-कोश-बही के अनुसार कार्य का नाम- रामपुर पिचरोड से चन्द्रभान के खेत तक ख.निर्माण कार्य पर दिनांक- 03.04.2018 को ईट क्रय 122430.00 रु. (बिलवाउचर चन्द्रशेखर ईट उोग) तथा श्रमांश पर दिनांक- 03.04.2018 को 43575.00 रु. व्यय दर्शित रहा। जबकि पासबुक के अनुसार दिनांक- 03.04.2018 को समग्री क्रय हेतु 'जनता' (जनता ईट भट्टा) को 195000.00 रु. भुगतान किया गया।

— प्रथमदृष्टया भुगतान 'जनता' (जनता ईट भट्टा) को और पत्रावली में संलग्न बिल-वाउचर चन्द्रशेखर ईट उोग का। अतः बिल वाउचर और फर्म तथा भुगतान में कोई तालमेल नहीं है।

— उक्त कार्य पर सामग्री क्रय हेतु कुल- (21200 नग×5.775= 122430.00 रु.) की आवश्यकता थी, परन्तु सचिव द्वारा फर्म-जनता ईट भट्टा को 195000.00 रु. भुगतान किया गया। अतः 72570.00 रु. अधिक भुगतान किया गया।

— उक्त कार्य पर जनता ईट भट्टा द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि सामग्री/ईट, जनता ईट भट्टा से क्रय किया गया है।

— टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि ग्राम पंचायत द्वारा किसकी निविदा स्वीकृत की गई है।

— जनता ईट भट्टा फर्म को भुगतान धनराशि- 195000.00 रु. से अवशेष धनराशि 72570.00 रु. क्या फर्म से वापस ले ली गई है, जो दिनांक- 03.04.2018 को ही श्रमांश पर व्यय किया गया है।

— कार्य की पत्रावली में एम0बी0 त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यवाही रजि., कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि., वर्क आई.डी. ले.प. के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।

— उक्त तथ्यों के आलोक में मस्टर रोल पर भुगतान की स्थिति पूर्णतया फर्जी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा सुनियोजित तरीके से कोश-बही में फर्जी कार्य एवं भुगतान दर्शाकर कुल धनराशि- 122430.00 रु. (सामग्री) + 43575.00 रु. (श्रमांश) = 166005.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ख- (अ+ब) - कोश-बही के अनुसार कार्य का नाम- शेरबहादुर यादव के चक से मानिकचन्द्र के घर तक ख.म. कार्य पर दिनांक- 11.05.2018 को ईट क्रय 69300.00 रु. (बिल वाउचर- जीतलाल पटेल ईट उोग, वा. सं.- 311) तथा श्रमांश पर दिनांक- 16.08.2018 को 60550.00 रु. व्यय दर्शित तथा कार्य का नाम- केदारनाथ के चक से महादेव के चक तक ख.म. कार्य पर दिनांक- 11.05.2018 को ईट क्रय 46200.00 रु. (बिल वाउचर- जीतलाल पटेल ईट उोग वा.सं.- 312) तथा श्रमांश पर दिनांक 20.07.2018 को 48300.00 रु. व्यय दर्शित रहा। जबकि पासबुक के अनुसार दिनांक- 11.05.2018 को 'शमी' (शमी ईट उोग) को 130000.00 रु. का भुगतान किया गया।

— प्रथम दृष्टया भुगतान शमी ईट उोग को और पत्रावली में संलग्न बिल-वाउचर जीत लाल पटेल ईट उोग का। अतः बिल वाउचर और फर्म तथा भुगतान में कोई ताल-मेल नहीं है।

— उक्त कार्य पर सामग्री/ईट क्रय हेतु कुल- 115500.00 रु. की आवश्यकता थी, परन्तु पंचायत सचिव द्वारा शमी ईट उोग को 130000.00 रु. भुगतान किया गया। अतः 14500.00 रु. अधिक भुगतान किया गया।

— उक्त कार्य पर शमी ईट उोग द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ईट शमी ईट उोग से क्रय किया गया है।

— प्रस्तुत वाउचर्स पर जी0एस0टी0एन0. अंकित नहीं है, जिससे फर्म के रजिस्टर्ड होने की पुष्टि नहीं होती है।

— टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि ग्राम पंचायत द्वारा किसकी निविदा स्वीकृत की गई है।

— कार्य की पत्रावली में कार्यवाही रजि., एम.बी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, वर्क आई.डी., स्टाफ रजि. तथा निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टॉक रजि., परिसम्पत्ति रजि. ले.प. के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

— उक्त तथ्यों के आलोक में मस्टर रोल पर भुगतान की स्थिति पूर्णतया फर्जी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा सुनियोजित तरीके से कोश-बही में भुगतान दर्शा कर 69300+60550 (सामग्री+श्रम) तथा 46200+48300 (सामग्री+श्रम) कुल- 224350.00 रु. का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग-कोश-बही के अनुसार कार्य का नाम- बीरेन्द्र के चक से पटेल बस्ती तक ख.नि. कार्य पर दिनांक- 20.09.2018 को ईट क्रय 102217.00 रु. (बिल वाउचर- जीतलाल ईट उोग) तथा श्रमांश पर दिनांक- 20.09.2018 को 25900.00 रु. व्यय दर्शित रहा। जबकि पासबुक के अनुसार ईट क्रय हेतु 'पटेल एण्ड सन्स' दिनांक- 20.09.2018 को 149500.00 रु. भुगतान किया गया।

— प्रथम दृष्टया भुगतान 'पटेल एण्ड सन्स' को और पत्रावली में संलग्न बिल-वाउचरस जीतलाल पटेल ईट उोग का अतः बिल-वाउचर और फर्म तथा भुगतान में कोई ताल-मेल नहीं है।

— प्राप्त बिल-वाउचर पर अंकित धनराशि 102217.00 रु. काट कर 96642.00 अंकित किया गया है अतः ईट क्रय हेतु कुल- 96642.00 रु. की आवश्यकता थी, परन्तु सचिव द्वारा फर्म पटेल एण्ड सन्स को 149500.00 रु. भुगतान किया गया है, जो कि 52858.00 रु. से अधिक भुगतान किया गया है

— उक्त कार्य पर 'पटेल एण्ड सन्स' द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ईट क्रय 'पटेल एण्ड सन्स' से क्रय किया गया है।

— 'पटेल एण्ड सन्स' फर्म को भुगतानित धनराशि- 149500.00 रु. से अवशेष धनराशि 52858.00रु. क्या फर्म से वापस ले ली गई है, जो दिनांक- 20.09.2018 को श्रमांश पर व्यय की गई है।

— टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली ले.प. में अप्राप्त।

— कार्य की पत्रावली में कार्यवाही रजि., एम.बी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि., वर्क आई.डी., परिसम्पत्ति रजि. ले.प. के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त तथ्यों के आलोक में मस्टर रोल पर भुगतान की स्थिति पूर्णतया फर्जी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदायी व्यक्तियों- ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा सुनियोजित तरीके से कोश-बही में फर्जी कार्य एवं भुगतान दर्शा कर कुल धनराशि 102217+25900 (सामग्री+श्रम) = 128117.00 रु. का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 निम्नलिखित कार्यों पर सामग्री क्रय का भुगतान नकद आहरण कर गम्भीर अनियमितता (व्यय धनराशि- 369022.00रु.)

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री मद	धनराशि/भुगतान	प्रस्तुत बिल-वाउचर सं./फर्म का नाम	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्ति रसीद	धनराशि/दिनांक
1-	चन्द्रभान के खेत से मौर्य बस्ती तक ख.नि.	25.04.18	ईट क्रय (23800×5.775)	137445.00	चन्द्रशेखर ईट उो. वा.सं.-114	'पवन कुमार'	130000.00 (25.04.18)
2-	महादेव के घर से सूर्यलाल के घर तक ख.नि.	25.04.18	ईट क्रय (21200×5.775)	122430.00	जीतलाल पटेल ईट उो. वा.सं.-309	'पवन कुमार'	130000.00 (25.04.18)
3-	जीतलाल के खेत से मौर्य सरोज बस्ती तक ख.नि.	02.05.18	ईट क्रय (15900×5.775)	91822.00	जीतलाल पटेल ईट उो. वा.सं.-310	'पवन कुमार'	110000.00 (02.05.18)
4-	राजकुमार के घर से राजेश कुमार के घर तक ख.म.	18.06.18	ईट क्रय (3000×5.775)	17325.00	जीतलाल पटेल ईट उो. वा.सं.-312	'पवन'	25000.00 (18.06.18)
				369022.00			

अपत्तियाँ:- तालिका में दर्शित उपरोक्त समस्त कार्यों पर ईट क्रय का भुगतान फर्म को एकाउण्ट पेयी न कर पवन कुमार के नामें किया गया है, जबकि उक्त समस्त भुगतान फर्म के नामे एकाउण्ट पेयी चेक से किया जाना चाहिए था।

— उपर्युक्त समस्त कार्यों पर प्रस्तुत बिल-वाउचर व उनके फर्मों द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद का प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्राप्त बिल-वाउचर वाले फर्मों से ही ईट क्रय किया गया है।

— टेण्डर से सम्बन्धित पत्रावली ले.प. में प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि ग्रा.पं. द्वारा किसकी निविदा स्वीकृत की गई है।

— कार्य की पत्रावली में कार्यवाही रजि., एम.बी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, वर्क आई.डी., स्टाक रजि., डेड स्टाक रजि., परिसम्पत्ति रजि. ले.प. के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती।
 — अतः उपर्युक्त समस्त कार्यों पर ईट क्रय का भुगतान फर्म के नामें एकाउण्ट पेयी चेक से न कर बल्कि नकद आहरण कर, तथा ले.प. में वांछित अभिलेख प्रस्तुत न कर रु. 369022.00 की गम्भीर अनियमितता किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-33

कोश-बही के अनुसार ऐसे कार्य/व्यय जिनकी व्यय-पत्रावली/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये (व्यय धनराशि- 543450.00रु.)

क्र.सं.	कार्य का नाम	दिनांक	सामग्री मद	धनराशि	बिल वाउचर	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि/दिनांक	मस्टर रोल पर व्यय धनराशि
1—	आा प्रसाद के घर से सूर्यप्रताप के घर तक ख.नि.	06.02.19	ईट क्रय	सभी खड़जा कार्यों पर 161000.00 रु. (27878 × 5.775)	अप्राप्त	शमी ईट उोग	161000.00 (06.02.19)	9625.00
2—	चन्द्रभान के खेत से रामजी के घर तक ख.नि.	06.02.19	ईट क्रय		अप्राप्त			16100.00
3—	रामचन्द्र के घर से राम निरंजन के घर तक ख.म.	06.02.19	ईट क्रय		अप्राप्त			64575.00
4—	घनश्याम के घर से संदीप के घर तक ख.म.	06.02.19	ईट क्रय		अप्राप्त			24150.00
5—	प्रशाशनिक मद व्यय	26.02.19	अज्ञात	25000.00	अप्राप्त	इन्द्रबहादुर	164500.00 (26.02.19)	—
6—	स्ट्रीट लाइट क्रय	25.02.19	स्ट्रीट लाइट (40×45 00)	180,000.00	अप्राप्त	अतुल कुमार सिंह	180000.00 (25.02.19)	—
7—	ह्यूम पाईप क्रय	03.11.18	ह्यूम पाईप	63000.00	अप्राप्त	अशोक कुमार	63000.00 (03.11.18)	—
				429000.00				114450.00

आपत्तियाँ (1 से 4 तक)

क— तालिका में दर्शित क्र.सं. 1, 2, 3, 4 में दर्शित कार्य हेतु दिनांक— 06.02.19 को 161000.00 रु. ईट क्रय हेतु भुगतान के सापेक्ष बिल वाउचर ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नहीं होती। (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

— फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ईट शमी ईट उोग से क्रय किया गया है।

— उक्त क्रय की धनराशि रु. 1 लाख से अधिक की है, जिसके सापेक्ष टेण्डर प्रक्रिया का प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— उक्त समस्त कार्य अलग-अलग हैं, जबकि भुगतान चारों कार्य पर एक मुश्त किया गया है, जिससे कार्यों पर मस्टर रोल भुगतान के सापेक्ष यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि किस कार्य पर कितने नग ईट का प्रयोग किया गया है। अतः भुगतान अलग-अलग किया जाना था।

— उक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख यथा— कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, स्टाक रजि., डेड स्टाक रजि., परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

अतः स्पष्ट है कि प्रमाणक के बिना किसी कार्य की पुष्टि नहीं होती। प्रमाणक के अभाव में उक्त कार्यों पर व्यय-161000+114450=275450.00 रु. काल्पनिक व्यय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय

बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ख-कोश-बही के अनुसार दिनांक- 26.02.19 को प्रशासनिक मद में 25000.00 रु. व्यय दर्षित रहा, जिसका कोई भी व्यय प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासनिक मद में किस प्रकार का व्यय किया गया, किस उद्देश्य से व्यय किया गया का विवरण अज्ञात रहा। अतः स्पष्ट है कि उक्त धनराशि व्यय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है।

ग-कोश-बही के अनुसार दिनांक- 25.02.19 को स्ट्रीट लाइट क्रय (40X4500) पर 180,000.00 रु. व्यय अंकित रहा।

— उक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल-वाउचर, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूर्ति, स्टाक रजि., परिसम्पत्ति रजि., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, वर्क आई.डी. ले.प. में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय प्रमाणक के बिना स्ट्रीट लाइट क्रय की पुष्टि नहीं होती।

— स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन स्थल अज्ञात रहा।

— स्ट्रीट लाइट क्रय का भुगतान फर्म के नामे एकाउण्ट पेयी चेक से न हो कर अतुल कुमार सिंह के नामे रहा।

— पंचायतीराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं.- 51/2018/1701/33.03.18-40 दिनांक- 13.06.18 के अनुसार एल.ई.डी. लाइटों का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा, जिससे वाट एवं दरों का निर्धारण किया जायेगा का पत्र/अभिलेख ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे क्रय दर्षित एल.ई.डी. कितने वाट एवं किस दर से तथा बी0आई0एस0 मानक के अनुरूप रहा की नहीं की स्थिति अज्ञात रही, जो गम्भीर विषय है।

— उक्त शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु बिना किसी अपवाद के ग्राम पंचायत द्वारा वित्त वितरण निगम से वित्त संयोजन लेगी, साथ ही बिल के सापेक्ष भुगतान करेगी, परन्तु उक्त से सम्बन्धित अभिलेख ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तथा प्रमाणकों के अभाव में उक्त व्यय पूर्णतया काल्पनिक है जिससे रु. 180000.00 काल्पनिक व्यय दर्शाकर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

घ-कोश-बही के अनुसार दिनांक- 03.11.18 को ह्यूम पाईप क्रय पर 63000.00 रु. व्यय दर्षित रहा, उक्त व्यय/क्रय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर, कार्यवाही रजि., स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूर्ति, स्टाक रजि., वर्क आई.डी., ले.प. में प्रस्तुत नहीं रहा। अतः प्रमाणक के अभाव में ह्यूम पाईप क्रय एवं उसके उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।

— उक्त ह्यूम पाईप किस उद्देश्य से क्रय की गई, कितने नग क्रय की गई, कितने एम.एम. की क्रय की गई की स्थिति अज्ञात रहा।

— ह्यूम पाईप का अधिष्ठापन स्थल अज्ञात रहा, और न ही इस हेतु (अधिष्ठापन हेतु) श्रमांश पर कोई व्यय किया गया है।

— पासबुक के अनुसार उक्त क्रय का भुगतान दिनांक- 03.11.18 को अशोक कुमार के नामे रहा, जबकि क्रय हेतु भुगतान फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में एवं प्रमाणकों के अभाव में ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय पूर्णतया काल्पनिक है। जिसे रु. 63000.00 काल्पनिक व्यय दर्शा कर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34

(4) निम्नलिखित हैण्डपम्प रिबोर कार्य जिस पर फर्जी बिल-वाउचर प्रस्तुत कर एवं भुगतान फर्म को न कर अपहरण की स्थिति (व्यय धनराशि- 833660.00रु.)

क्र. सं.	रिबोर स्थल	दिनांक	धनराशि	प्रस्तुत बिल-वाउचर	वा. सं.	बुक सं.	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि/दिनांक	एम.बी.
1	राकेश पुत्र	04.04.18	30000.00	शंकर	207	05	पवन कुमार	95000.00/04.04.	अप्राप्त
2	रामसुमेर	04.04.18	30000.00	इण्टरप्राइजेज	207	05		18	'
3	बृजलाल पुत्र	04.04.18	30000.00	"	207	05			"
4	शिवबरन	04.04.18	30000.00	"	207	05	पवन कुमार		"
5	सुरेन्द्र पुत्र	04.04.18	29380.00	"	207	05		60000.00/04.08.	"
6	पारसनाथ	20.09.18	30000.00	"	207	05	जनता ईट भट्टा	18	"

7	संतोश पुत्र	20.09.18	30000.00	“	207	05			“
8	तेजबहादुर	20.09.18	30000.00	“	207	05		195500.00 / 20.09.	“
9	पु.मा.वि.	20.09.18	30000.00	“	207	05		18	“
10	रामपुर	20.09.18	30000.00	“	207	05			“
11	प्रेमचन्द्र पुत्र	20.09.18	30000.00	“	207	05			“
12	हीरालाल	20.09.18	30000.00	“	207	05	पवन कुमार		“
13	अनिल कुमार	20.09.18	30000.00	“	207	05			“
14	पुत्र अर्जुन	20.09.18	30000.00	“	207	05			“
15	लालमणि पुत्र	25.09.18	29000.00	“	207	05	शंकर	80000.00 / 26.09.	“
16	रामसुमेर	17.10.18	30000.00	“	207	05	इण्टरप्राइजेज	18	“
17	राजनाथ पुत्र	17.10.18	30000.00	“	207	05	पवन कुमार		“
18	रामअधार	01.11.18	29000.00	“	207	05			“
19	सुरेश पुत्र	01.11.18	29000.00	“	207	05	पवन कुमार	29000.00 / 25.09.	“
20	अमरबहादुर	01.11.18	29000.00	“	207	05		18	“
21	राजेन्द्र पुत्र	27.11.18	29500.00	“	207	05		60000.00 / 17.10.	“
22	रामऔतार	31.01.19	29750.00	“	207	05	अजीत कुमार	18	“
23	अनिल पुत्र	31.01.19	29750.00	“	207	05	पवन कुमार		“
24	राजाराम	31.01.19	29750.00	“	207	05		125000.00 / 01.11.	“
25	लालजी पुत्र	31.01.19	29500.00	“	207	05		18	“
26	राजाराम	11.02.19	30000.00	“	207	05			“
27	राकेश पुत्र	11.02.19	30000.00	“	207	05	पवन कुमार		“
28	रामसुमेर	11.02.19	30000.00	“	207	05		50000.00 / 27.11.	“
	प्रा.पा.शिवपुर			“				18	
	सलीम पुत्र							165000.00 / 30.01.	
	जावेद							19	
	मानिचन्द्र पुत्र								
	समरबहादुर								
	रामदौड पुत्र								
	रामहित							90000.00 / 11.02.	
	मेवालाल पुत्र							19	
	श्रीनाथ								
	खुशींद पुत्र								
	सुबराती								
	सुशील कुमार								
	लालजी								
	धर्मराज								
	कामराज								
	विजय बहादुर								
	सन्तलाल								
	इन्द्रमणि								
	रणजीत								
			833660.00						

अपत्तियाँ:-

— तालिका में दर्शित उक्त समस्त रिबोर कार्य पर बिल-वाउचर शंकर इण्टरप्राइजेज के बिल-वाउचर की फोटाकापी जिसका क्रमांक/वा.सं.-207 है तथा बुक सं.- 05 है, पर फर्जी तरीके से धनराशि अंकित की गयी है।

— उक्त समस्त री-बोर कार्य हेतु जलनिगम की प्रतीक्षा सूची, स्टीमेट, एम.बी., वर्क आई.डी., त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की निरीक्षण आख्या, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, लाभार्थियों का शिकायती-पत्र, कार्यवाही रजि. कार्यपूर्ति, स्टॉक रजि., निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टॉक रजि. परिसम्पत्ति रजि. ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया। (शासनादेश संख्या- 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19जून 2017 का उल्लंघन)

— दिनांक- 25.09.18 को छोड़कर समस्त भुगतान पवन कुमार व अजीत कुमार के नामे रहा। दिनांक- 20.09.18 को रु. 195500.00 का भुगतान जनता ईट उोग को किया गया है, जिसके सापेक्ष दिनांक 20.09.18 को 06 नग रिबोर कार्य पर 180000.00 रु. भुगतान किया गया है।

— तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प रिबोर के पश्चात् निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी कर प्राप्त आय को सम्बन्धित खाता में जमा एवं कोश-रजि. में दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु पंचायत सचिव एवं ग्रामप्रधान द्वारा ऐसा न कर यू.पी. पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 252(क) का उल्लंघन है।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समस्त रिबोर कार्य पर व्यय समस्त धनराशि काल्पनिक तरीके से कोश-बही में अंकित करके तथा फर्जी बिल-वाउचर बनाकर उक्त समस्त धनराशि- 833660.00 रु. का अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों- ग्रामप्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35

(5) निम्नलिखित हैण्डपम्प मरम्मत कार्य जिसपर फर्जी बिल-वाउचर प्रस्तुत कर एवं भुगतान फर्म को न कर अपहरण की स्थिति (व्यय धनराशि- 640861.00रु.)

क्र.सं.	हैण्डपम्प मरम्मत स्थल एवं नगों की सं.	दिनांक	धनराशि	प्रस्तुत बिलवाउचर	वा.सं.	बुक सं.	पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि/दिनांक	एम.बी.
1	10 नग इण्डिया	13.04.18	40000.00	शंकर	207	05	पवन कुमार	52000.00 / 13.04.18	अप्राप्त
2	मार्का-II मरम्मत	21.04.18	40000.00	इण्टरप्राइ	"	"	पवन कुमार	6000.00 / 21.04.18	
3	10 नग	27.04.18	14645.0	जेज	"	"	पवन कुमार	30000.00 / 27.04.18	
4	"	02.05.18	42000.00	"	"	"	पवन कुमार	42000.00 / 02.05.18	
5	"	10.05.18	15000.00	"	"	"	पवन कुमार	15000.00 / 10.05.18	
6	"	11.05.18	30000.00	"	"	"	-	-	
7	05 नग	25.06.18	19253.00	"	"	"	पवन कुमार	25000.00 / 25.06.18	
8	"	29.08.18	40000.00	"	"	"	"	"	
9	"	29.08.18	39270.00	"	"	"	पवन कुमार दू	75000.00 / 29.08.18	
10	"	06.09.18	40000.00	"	"	"	कैश सेल्फ	121000.00 / 06.09.18	
11	10 नग	06.09.18	40000.00	"	"	"	पवन कुमार	40000.00 / 24.10.18	
12	"	24.10.18	40000.00	"	"	"	अजीत कुमार	20000.00 / 06.11.18	
13	"	06.11.18	20000.00	"	"	"	पवन कुमार	50000.00 / 27.11.18	
14	"	27.11.18	23308.00	"	"	"	"	15000.00 / 01.12.18	
15	05 नग	01.12.18	15000.00	"	"	"	पवन कुमार	"	
16	"	31.01.19	22500.00	"	"	"	"	165000.00 / 30.01.19	
17	"	31.01.19	24000.00	"	"	"	पवन कुमार	"	
18	"	05.02.19	40000.00	"	"	"	"	80000.00 / 05.02.19	
19	10 नग	05.02.19	40000.00	"	"	"	पवन कुमार	"	
20	"	15.02.19	35000.00	"	"	"	इन्द्रबहादुर	90000.00 / 11.02.19	
21	"	26.02.19	20885.00	"	"	"	"	164500.00 / 26.02.19	
	"			"					
	05 नग			"					
	"			"					
	"			"					
	10 नग			"					
	"			"					
	"			"					
	10 नग			"					
	"			"					
	"			"					
	10 नग			"					
	"			"					
	"			"					
	10 नग			"					
	"			"					
	"			"					
	05 नग			"					
	"			"					

	05 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	05 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	05 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	05 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	10 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	10 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	10 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	05 नग			“					
	“			“					
	“			“					
	165 नग		640861.00						

अपत्तियाँ—

शासनादेश संख्या— 27/2017/662/33-03-2017-46/2015 दिनांक— 12.04.2017 के अनुसार ग्रामपंचायतों में मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों का सर्वे के आधार पर तत्काल मरम्मत कराये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। ग्रामपंचायत द्वारा इतने बड़े पैमाने पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य दर्शाया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत द्वारा सर्वे रिपोर्ट एवं उसके कार्ययोजना में दर्ज किये जाने का प्रमाणक ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— तालिका में दर्शित उक्त समस्त मरम्मत कार्यों पर बिल—वाउचर शंकर इण्टरप्राइजेज के बिल—वाउचर की फोटोकापी, जिसका क्रम सं०./वा.सं.— 207 है तथा बुक सं.— 05 है, पर फर्जी तरीके से धनराशि अंकित की गई है।

— आदेश संख्या— आर०जी०एस०ए०/197/2009-04/379/2015 लखनऊ, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 20000.00 रु. से अधिक की ग्रुप आई.डी. विकसित किया जा रहा है। ग्रामपंचायत द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत काग़ की वर्क आई.डी. ले.प. में उपलब्ध नहीं करायी गई है परन्तु 20000.00 रु. से अधिक का मरम्मत कार्य ग्रुप में कराया गया है जो गम्भीर विशय है।

— वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय—05 के प्रस्तर—2 के अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जल—प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट, हैण्डपम्प खराबी की शिकायती पत्र, पेय जल सुविधा बहाली की संतुष्टि—पत्र, पेयजल की गुणवत्ता का प्रमाण आदि ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया।

— समस्त मरम्मत काय का स्टीमेट, एम.बी., कार्यवाही रजि., कार्यपूर्ति रजि., स्टाक रजि., डेड स्टाक रजि., मरम्मत कराये गय हैण्डपम्पों के भौतिक स्थल की सूची, ग्राम पंचायत में कुल संचालित एवं असंचालित हैण्डपम्पों की सूची ले.प. में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती है।

— हैण्डपम्पों के मरम्मत हेतु समस्त भुगतान, पासबुक के अनुसार फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक से न कर, पवन कुमार, अजीत कुमार, इन्द्रबहादुर एवं कैश व सेल्फके रूप में किया गया है, जो गम्भीर विशय है।

— तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प रिबोर के पश्चात् निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी कर प्राप्त आय को सम्बन्धित खाता में जमा एवं कोश-रजि. में दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु पंचायत सचिव एवं ग्रामप्रधान द्वारा ऐसा न कर यू.पी. पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 252(क) का उल्लंघन

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तालिका में दर्शित समस्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य व उसके सापेक्ष व्यय धनराशि काल्पनिक तरीके से कोश-बही में अंकित करके तथा फर्जी बिल वाउचर बनाकर उक्त समस्त धनराशि— 640861.00 रु. का अपहरण उत्तरदायी व्यक्तियों— ग्राम प्रधान श्री विजय बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री रमेश पाठक द्वारा कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(19)

ग्राम पंचायत-बमैला विकास खण्ड- धर्मापुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-36 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रूपया 60240.00 का भुगतान/व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1	01.09.2018	12006706	17500.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
2	24.10.2018	12006712	12950.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
3	26.02.2019	12015106	26219.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
4	16.03.2019	12015107	14000.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
		योग	60240.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी है:-

- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर)
 - सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
 - किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।
- उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-
 - कार्यवाही रजिस्टर
 - कार्ययोजना
 - जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 - स्टेटमेन्ट एवं एम0बी0।
 - कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र।
 - हैंडपंप खराबी से संबंधित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।
 - स्टाक रजिस्टर
- कराये गये कार्य की आई0डी0 मासिक प्रियासाफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका
- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
- हैण्डपम्प मरम्मत अगल बगल निवासरत ग्रामीणों से हैंडपंप मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रूपया 60240.00 की वसूली ग्रामप्रधान श्री दिनेश सोनकर एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(20)

ग्राम पंचायत-सखैला विकास खण्ड- धर्मापुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-37 लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रूपया 54450.00 का भुगतान/व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	विवरण
1	21.04.2018	02004549	15000.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
2	26.07.2018	12007682	19500.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
3	26.11.2018	12007689	19950.00	हैण्डपम्प की मरम्मत
		योग	54450.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है:-

- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर)
 - सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
 - किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।
- उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-
 - कार्यवाही रजिस्टर
 - कार्ययोजना
 - जलप्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 - स्टेटमेन्ट एवं एम0बी0।
 - कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र।
 - हैंडपंप खराबी से संबंधित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।
 - स्टाक रजिस्टर
 - कराये गये कार्य की आई0डी0 मासिक प्रियासाफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका
- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
- हैण्डपम्प मरम्मत अगल बगल निवासरत ग्रामीणों से हैंडपंप मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रूपया 54450.00 की वसूली ग्रामप्रधानश्रीमती रुक्मिणा एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(20)

ग्राम पंचायत-जुडऊपुर विकास खण्ड- मछलीशहर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-38

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1) ग्राम पंचायत जुडऊपुर में दिनांक 05.06.2018 को कोशबही में निधि-1 खाता सं० 674096 से हैण्डपम्प पर मजदूरी रू० 28600 .00 और दिनांक 07.06.2018 को हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मैटेरियल खरीद पर रू० 23200.00 व्यय दर्शित है।

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है-

- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
- लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
- हैण्डपम्प की खराबी से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।
- लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खराब एवं निष्प्रयोज्य पार्ट्स तथा बदले गये पार्ट्स की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

6. लाभार्थी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 51800.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री धनुशधारी यादव एवं ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(21)

ग्राम पंचायत-कोढ़ा विकास खण्ड- मछलीशहर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-39

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1) ग्राम पंचायत कोढ़ा में दिनांक 03.08.2018 को निधि-1 खाता सं0 674097 से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 16500.00 मॉ वैष्णों मार्बल एण्ड पेंट्स सप्लायर को दिया जाना कोशबही में व्यय दर्शित है।

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है-

1. उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हैण्डपम्प की खराबी से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खराब एवं निष्प्रयोज्य पार्टस तथा बदले गये पार्टस की पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. लाभार्थी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 16500.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री धनुशधारी यादव एवं ग्राम प्रधान श्री राकेश से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

(22)

ग्राम पंचायत-जगदीशपुर मुजहना विकास खण्ड-मछलीशहर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-40

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1) ग्राम पंचायत जगदीशपुर मुजहना में दिनांक 20.02.2019 को निधि-1 खाता सं0 372175 से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 10520.00 कृष्ण ट्रेडर्स को दिया जाना व्यय कोशबही में दर्शित है।

लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है-

1. उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हैण्डपम्प की खराबी से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।
4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खराब एवं निष्प्रयोज्य पार्टस तथा बदले गये पार्टस की पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. लाभार्थी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।
7. कोशबही में हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के

नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 10520.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री अमित कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(23)

ग्राम पंचायत-खरैयाऊ विकास खण्ड- मछलीशहर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-41

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1) ग्राम पंचायत खरैयाऊ में दिनांक 08.10.2018 को निधि-1 खाता सं0 685258 से हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु0 29750.00 का आहरण करके कोशवही में एक नग हैण्डपम्प रिबोर के लिए प्रधान बिल्डिंग मैटेरियल एण्ड मशीनरी स्टोर को भुगतान और मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है-

1. उक्त दर्षित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हैण्डपम्प की खराबी से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।
4. हैण्डपम्प रिबोर स्थल का उल्लेख कोशवही में नहीं अंकित किया गया है।
5. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खराब एवं निष्प्रयोज्य पार्टस तथा बदले गये पार्टस की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दर्षित कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
7. लाभार्थी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 29750.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री विनोद कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अजीत सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(24)

ग्राम पंचायत-मीरपुर उमरीविकास खण्ड- मछलीशहर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-42

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

(1) ग्राम पंचायत मीरपुर उमरी में दिनांक 15.05.2018 को निधि-1 खाता सं0 9656 से हेतु रु0 21655.00 का आहरण करके कोशवही में 11 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु माँ विन्ध्यवासिनी हार्ड स्टोर से सामग्री क्रय के लिए भुगतान दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त दर्षित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है-

1. उक्त दर्षित व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये।
2. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. हैण्डपम्प की खराबी से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट एवं जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा।
4. हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख कोशवही में नहीं अंकित किया गया है।
5. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे खराब एवं निष्प्रयोज्य पार्टस तथा बदले गये पार्टस की पुष्टि नहीं की जा सकी।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त दर्षित कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।
7. लाभार्थी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 21655.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 श्री प्रभात कुमार सरोज एवं ग्राम प्रधान श्री विजयी सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(25)

ग्राम पंचायत-हथेरा विकास खण्ड- रामपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-43

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनु सार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 5000.00 दिनांक 16.05.2018 को व्यय किया गया है, जिस पर निम्न आपत्तियाँ पायी गयी :-

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

- (1) लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट, स्टीमेट एवं एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- (2) श्रमिकों के भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मास्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (3) हैण्ड पम्प मरम्मत के पश्चात अगल-बगल निवासरत लाभार्थियों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रू0 50000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ज्ञानचन्द ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह से किया जाना अपेक्षित हैं

(26)

ग्राम पंचायत-सिधवन विकास खण्ड- रामपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-44 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशवही में निम्नलिखित तिथियों में कुल रू0 73836.00 का भुगतानित दर्शाया गया है, जो निम्न है:-

दिनांक-01-08-2018	-	19900.00
दिनांक-20.08.2018	-	17690.00
दिनांक-04.09.2018	-	7120.00
दिनांक-04.09.20218	-	9126.00
दिनांक-08.02.2019	-	20000.00

योग- 73836.00

आपत्तियों का विस्तृत विवरण निम्न है:-

- (1) लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट, स्टीमेट एवं एम0बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट, स्टॉक रजिस्टर, डेडस्टॉक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- (2) श्रमिकों के भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मास्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- (3) हैण्ड पम्प मरम्मत के पश्चात अगल-बगल निवासरत लाभार्थियों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 76836.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बरुण कुमार व (तत्कालीन) ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री से किया जाना अपेक्षित हैं।

(27)

ग्राम पंचायत-सरौनीपुरब पट्टीविकास खण्ड- केराकत जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

आपत्तियों का विवरण- ग्राम पंचायत- सरौनी पुरब पट्टी विकास क्षेत्र-केराकत जनपद-जौनपुर के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण, गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोग प्रकरण प्रकाश में आया जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है-

प्रस्तर-45 सोमारु के घर से ओमप्रकाश के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पुर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

- 1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- 2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।
- 4- शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि नगद मजदूरी आहरण की गयी है।
- 5- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।
- 6- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा। अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
- 7- लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक

व्यय का विवरण

धनराशि

18.09.2018

मजदूरी हेतु पवन कुमार यादव द्वारा नगद आहरित धनराशि

63350.00

19.09.2018	ईट 15000 नग दर रुपये 5460.00 प्रति हजार	81900.00
6.10.2017	ईट 15000 नग दर रुपये 5460.00 प्रति हजार	81900.00
	योग—	227150.00

अतः रू0 227150.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पं0 अ0 श्री ओम प्रकाश सरोज से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 06)

प्रस्तर-46 करिया के घर से विजय के घर तक नाली मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1— उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक, सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2— पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3— कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

4— शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेंगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि मजदूरी का नगद आहरण किया गया।

5— पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

6— उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा। अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

7— लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
31.10.2018	नाली निर्माण हेतु सामग्री सीमेन्ट बालू आदि	122441.00
19.09.2018	नाली निर्माण हेतु ईट कय	55122.00
6.10.2017	मजदूरी पवन यादव द्वारा नगद आहरित	31220.00
	योग—	208783.00

अतः उक्त धनराशि रू0 208783.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश सरोज से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 08)

प्रस्तर-47 दिनांक 22.11.2018 को पवन कुमार यादव के द्वारा चैक संख्या 10010319 से रु0 55500.00 नगद आहरित किया गया है । जिसको काल्पनिक रूप से 3 नग सोख्ता निर्माण दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसमें निम्न कमियां पाई गई—

- 1— कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।
- 2— शासनादेश संख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये। बलिक ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि मजदूरी का नगद आहरण किया गया।
- 3— पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेशसंख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।
- 4— उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- 5— पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।
- 6— लेखा परीक्षा में लाभार्थियों की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित सूची अनुपलब्ध रही।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
22.11.2018	3 नग सोख्ता निर्माण की मजदूरी	8785.00
22.11.2018	सीमेन्ट, बालू, गिट्टी, सरिया आदि	25501.00
22.11.2018	3 नग सोख्ता निर्माण हेतु ईट	21214.00
	योग	55500.00

अतः धनराशि रु0 55500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं ग्राम पं0 अ0 श्री ओम प्रकाश सरोज से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 16)

(28)

ग्राम पंचायत-खर्गसेनपुरविकास खण्ड- केराकत जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

ग्राम पंचायत- खर्गसेनपुर विकास क्षेत्र-केराकत जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण, गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोग प्रकरण प्रकाश में आया जिस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है—

प्रस्तर-48

1— बोझवा मार्ग से मन्नु के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है—

1— उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- रु0 2.50 लाख से ऊपर की धनराशि के कार्यों हेतु तकनीकी परीक्षण अभियन्ता जिला पंचायत को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। जिसका पालन नहीं किया गया है।

4- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

5-शासनादेशसंख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रु0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि मजदूरी का नगद आहरण किया गया।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेशसंख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा। लेकिन अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं रखा गया है।

8- लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
26.11.2018	मजदूरी हेतु नगद आहरित धनराशि	54950.00
29.01.2019	ईट कय	201000.00
	योग-	255950.00

अतः धनराशि रु0 255950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पं0 अ0 से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 07)

प्रस्तर-49 थानागद्दी मार्ग से बोझवा बस्ती तक खडन्जा मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरी स्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

4-शासनादेशसंख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि मजदूरी का नगद आहरण किया गया।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेशसंख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं0) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ0प्र0पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा।लेकिन अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं रखा गया है।

8- लेखा परीक्षा में कय सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
30.10.2018	ईट कय	54600.00
29.01.2019	ईट कय	60600.00
30.01.2019	मजदूरी नगद आहरित	89950.00
योग-		205150.00

अतः धनराशि रू0 205150.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार एवं ग्राम पं0 अ0 श्री ओम प्रकाश सरोज से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 09)

प्रस्तर-50 मकसूदनपुर मार्ग से मनबोध के घर तक खडन्जा मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है जिसमें निम्न कमिया प्रकाश में आयी जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कार्य पर किया गया व्यय पुर्णतः काल्पनिक है, विवरण निम्नवत है-

1- उ0प्र0पंचायतीराज लेखा मैनुअल के अध्याय 7 के प्रस्तर 7 और उ0प्र0पंचायतीराज नियम 1947 के नियम 202 के अन्तर्गत एक स्टाक बुक रूप पत्र-25 में रखी जायेगी और जिसमें स्टेशनरीस्टाक,सार्वजनिक निर्माण कार्य का स्टाक, डेड स्टाक और बेची जाने वाली और बेची गयी वस्तु की प्रविष्टि कर छमाही जांच की जायेगी लेकिन स्टाक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

2- पंचायत अनुभाग 1 के शासनादेशसंख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22-11-2016 के बिन्दु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुरूप वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

3- कार्य प्रारम्भ करने, कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति पर फोटोग्राफी भी नहीं कराया गया है।

4-शासनादेशसंख्या 2686/37-07-2011-752 प0रा0जी0ए0/2011 पंचायतीराज अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम प्रधान की मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक द्वारा नहीं किया जाये।बल्कि ग्राम सभा सचिव/कैशियर/आफिस /स्टोर कीपर द्वारा एक बार में रू0 5000.00 तक ही स्टेशनरी/तकनीकी एवं सामाजिक प्रक्रिया चलाने हेतु ग्राम प्रधान के निर्देश पर आहरण कर सकेगी इसके अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नगद भुगतान न किया जाय उनके राष्ट्रीकृत बैंकों में खातों को खुलवाया जाना उचित होगा। कुशल श्रमिकों को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कुशल

श्रमिक एवं अकुशल श्रमिकों का भुगतान उनके खातों में किया जायेगा। जबकि मजदूरी का नगद आहरण किया गया।

6- पंचायतराज अनुभाग 3 के शासनादेशसंख्या-234/33-3-2016-2/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 चौदहवें वित्त आयोग की गाइडलाइन के बिन्दु 1 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद के बिन्दु 1क के उपबिन्दु 12 के अनुसार कार्य के स्थलीय सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी(पं०) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य के सत्यापन की रिपोर्ट अप्राप्त रहा।

7- उ०प्र०पंचायतीराज 1947 के धारा 34 और नियमावली के नियम 136 के अनुसार तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 2 के अनुसार संस्था को ग्राम सभा में निहित अचल सम्पत्ति जिसमें वृक्ष भी सम्मिलित है जिसका ग्राम पंचायत स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गयी हो या जिस पर किसी पट्टे द्वारा अधिकारी रखती हो का विवरण रूप पत्र 13 पर अचल सम्पत्ति रजिस्टर रखा जायेगा। जिसका जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा वार्षिक निरीक्षण कर प्रमाणित किया जायेगा। अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

8- लेखा परीक्षा में कृय सामग्री के सापेक्ष जी०एस०टी०वाला व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया।

दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
03.04.2018	मजदूरी का नगद आहरण	28875.00
26.04.2018	ईट कृय	175000.00
	योग	203875.00

अतः धनराशि रू० 203875.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार एवं ग्राम पं० अ० श्री ओम प्रकाश सरोज से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या- 17)

(29)

ग्राम पंचायत-मंगराविकास खण्ड- बरसठी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-51

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

क्र०सं०	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1	24.05.2018		10000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
2	26.06.2018		5000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
3	23.07.2018		10000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
4	19.09.2018		10000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
5	01.12.2018		2000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
6	07.12.2018		5000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
7	11.02.2018		3000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
8	12.02.2018		10000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
9	12.03.2018		10000.00		हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग-		65000.00		

धनराशि शब्दों में-पैसठ हजार रुपये मात्र।

कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि /व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियों पायी गयी है।

1- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल /बाउचर)-

- (क) सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
- (ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।

2- उक्त भुगतानित राशि /व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-

- (क) कार्यवाही रजिस्टर।
- (ख) कार्ययोजना।
- (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
- (घ) स्टोमेट एवं एम०बी०।
- (ङ) कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाणक पत्र।

- (च) हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।
 (छ) स्टॉक रजिस्टर।
 (ज) कराये गये कार्य की आई0डी0एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

- 3— डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
 4— श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
 5— हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
 6— हैण्ड पम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 65000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बाबा एवं श्री रामपूजन वर्मा ग्रा0वि0/पं0अधि0 से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(30)

ग्राम पंचायत-सोतीपुरविकास खण्ड- बरसठी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-52

आपत्तियों का विस्तृत विवरण-

क्र0सं 0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1	05-04-2018	12001755.20000 12001756.10000	30000.00	जगत नारायन सतीश कुमार दूबे	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
2	03-05-2018	21008480	20000.00	जगत नारायन	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
3	04-06-2018	12007663	5000.00	नागेन्द्र	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
4	03-07-2018	12007664	20000.00	जगत नारायन	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
5	07-08-2018	12007669	23167.00	जगत नारायन	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
6	28-09-2018	12007674	8000.00	जगत नारायन	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
7	28-02-2018	12012030	1400.00	जगत नारायन	हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग-		107567.00		

धनराशि शब्दों में-एक लाख सात हजार पाँच सौ सरसठ रुपये मात्र।

कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि /व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

- 1— लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल /बाउचर)-
 (क) सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
 (ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।
- 2— उक्त भुगतानित राशि /व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-
 (क) कार्यवाही रजिस्टर।
 (ख) कार्ययोजना।
 (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 (घ) स्टोमेट एवं एम0बी0।
 (ङ) कार्यपूति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाणक पत्र।
 (च) हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।
 (छ) स्टॉक रजिस्टर।
 (ज) कराये गये कार्य की आई0डी0एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में

अप्रस्तुत रहा।

- 3— डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 4— श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- 5— हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
- 6— हैण्ड पम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु0 107567.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जगत नारायन एवं श्री अनिल कुमार गुप्ता ग्रा0वि0/पं0अधि0 से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(31)

ग्राम पंचायत-आदमपुरविकास खण्ड- बरसठी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19
प्रस्तर-53लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प पर व्यय रु0 117397.00 का व्यय निम्न प्रकार किया गया है।

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	03.05.18	32400.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	18-06-25	40000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
03	18-07-31	17987.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
04	18-08-18	17010.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
05	19-02-25	10000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	117397.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो है)
2. उक्तभुगतानितराशि/व्यय की पुष्टिहेतुअन्य प्रमाणक—
(क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(घ) इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(च) हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट
(छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया शॉफ्ट फिडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।
3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिस से मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. हैण्ड पम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवास रतग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रु0 117397 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सूर्यमणि एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री आकाश यादव संयुक्त रूप व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कुल रु0 94002.00 का भुगतान / व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रम	दिनांक	धनराशि	विवरण
01	05.04.18	18070.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	18-04-27	23835.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
03	18-06-06	1475.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
04	18-08-20	10000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
05	18-09-09	15000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
06	18-10-29	5622.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
07	18-01-28	10000.00	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग	94002.00	

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

- लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो है)

- उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक-

- कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
 - इस्टिमेट एवं एम.बी. (ङ) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
 - हैण्डपम्पखराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट
 - स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया शॉफ्ट फिडिंग
- लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।

- डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं निलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

- हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 94002 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राम अजोर एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल गुप्ता से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55

क्रम	दिनांक	मद का नाम	धनराशि
1	18-06-06	महावीर शुक्ला के घर से रामकृष्ण शुक्ला के घर तक खड्जा कार्य हेतु ईट क्रय	63525
2	18-10-29	महावीर शुक्ला के घर से रामकृष्ण शुक्ला के घर तक खड्जा कार्य हेतु ईट क्रय	109378
3	18-10-29	महावीर शुक्ला के घर से रामकृष्ण शुक्ला के घर तक खड्जा कार्य हेतु मजदूरी	49000

	योग	221903

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं –

- ईट कर के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं है।
- ईट कर के सापेक्ष स्टेटमेंट में उक्त दिनांक में उतनी धनराशि का आहरण दर्शित नहीं है (बैंक के)
- स्टॉक रजिस्टर (ख) डेड स्टॉक रजिस्टर (क)ए स्टेटमेंट एवं एम0बी0 कार्यवाही (घ) कार्ययोजना (ग) प्रस्तुत नहीं किया गया। पं0 परिसंपत्ति रजिस्टर ले (च) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (ड) रजिस्टर।
- मजदूरी हेतु मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मजदूरी पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेड लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के खण्ड 8ए खण्ड क 8ए ख 8ए एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 204 के नियम 1947 के तहत अपहरण है 27 एवं अधिनियम की धारा 256 के विपरीत तथा नियमा 205 एवं जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अजोर एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनिल गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-धनापुरविकास खण्ड- बरसठी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-56

लेखा परीक्षा वर्ष 20418-19 में कोशबही के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रू0 49000.00 का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्रम	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
01	18-05-05	10003088	15000	राम आसरे	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
02	18-05-10	10003089	12000	राम आसरे	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
03	18-07-05	10003090	10000	दिनेश कुमार	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
04	18-08-21	10003093	12000	राम आसरे	हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय
	योग		49000		

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर (क) सामग्री व मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री व श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित राशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए। (ख) किसी पंजीकृत फर्म का न हो कर सादा छपा (कैशमेमो है)
2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक— (क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) इस्टिमेट एवं एम. बी. (ड) कार्य पुष्टि प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैंड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य आई.डी. एवं मासिक प्रिया शॉफ्ट फिडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत है।
3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट कास्टॉक एवं निलामी के पश्चात आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. हैंड पम्प मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवास रत ग्रामीणों से हैंडपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज्य नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 49000 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शीतला भारती से संयुक्त रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(34)

ग्राम पंचायत-लवायनविकास खण्ड-खुटहन जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत लवायन विकास खण्ड खुटहन जिला जौनपुर की वर्ष 2017-18 से 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित हैं।

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण :-

आलोच्य वर्ष 2017-18 से 2018-19 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान तथा अन्य व्यक्ति के द्वारा निम्नांकित तिथियों में धनराशि का आहरण करके ईट एवं विभिन्न सामग्री नगद क्रय दर्शित हैं, जबकि क्रय सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जाना था। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 एवं 256 के विपरीत नगद 495402.00 रु0 की सामग्री क्रय की गयी हैं। क्रय सामग्री की पुष्टि हेतु माप पुस्तिका, स्टीमेट, सम्पत्ति रजिस्टर, नियोजन एवं प्रशासनिक समिति की संस्तुति, स्टाक रजिस्टर एवं व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से किये जाना अपेक्षित है।

क्र0	दिनांक	धनराशि	क्रय सामग्री	भुगतान प्राप्तकर्ता
1	07.04.2018	66700.00	हयूम पाईप	श्री राजेश
2	24.04.2018	73420.00	ईट क्रय	श्री चन्द्रशेखर
3	13.06.2018	87500.00	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री	श्री काली प्रसाद
4	16.08.2018	87782.00	हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री	श्री काली प्रसाद
5	28.01.2019	60000.00	नाली निर्माण सामग्री	श्री काली प्रसाद
6	17.12.2018	40000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत	श्री उगेश पाठक

(35)

ग्राम पंचायत-मैदासपट्टी विकास खण्ड- खुटहन जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत मैदासपट्टी विकास खण्ड खुटहन जिला जौनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण :-

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान द्वारा विगत वर्ष का मानदेय 42000.00 रु0 प्राप्त किया गया हैं। वर्तमान वर्ष का भी 42000.00 रु0 इसी वर्ष में भुगतान किया गया हैं। विगत वर्ष के बकाया मानदेय के भुगतान की पुष्टि में कोई अभिलेख दर्शित नहीं किया गया। जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204, 205 एवं 256 के विपरीत हैं। अतः उक्त बकाया मानदेय के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से अपेक्षित हैं।

(36)

ग्राम पंचायत-उदयीपुरदीपिविकास खण्ड- खुटहन जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-59 ग्रामपंचायत उदयीपुर दीपि विकास खण्ड खुटहन जिला जौनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण :-

1. आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान का मानदेय जनवरी 2017 से मार्च 2018 तक का बकाया मानदेय 52500.00 रु0 भुगतान किया गया हैं। बकाया मानदेय के भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204, 205 एवं 256 के विपरीत हैं। अतः उक्त बकाया मानदेय के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित हैं।

(37)

ग्राम पंचायत-मखदूमपुरविकास खण्ड- खुटहन जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत मखदूमपुर विकास खण्ड खुटहन जिला जौनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये हैं। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं।

आपत्ति का संक्षिप्त विवरण :-

आलोच्य वर्ष 2018-19 में 04.08.2018 को दो नग हैण्ड पम्प रिबोर पर 52400.00 रु0 एवं 4 नग हैण्ड पम्प रिबोर वर 97000.00 रु0 भुगतान किया गया है। जिसकी पुष्टि में कोई अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिका, मास्टर रोल, एवं स्टाक रजिस्टर आदि जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जो उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 एवं 256 के विपरीत हैं। अतः उक्त भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती जिसकी ब्याज सहित वसूली हेतु कार्यवाही की जानी अपेक्षित हैं

(38)

ग्राम पंचायत-आसमानपट्टीविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-61 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्गद्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई/आर ईडी/मंडी परिशद्/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही। विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. -4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो।

आलोच्य वर्ष में रु0. 267400.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, स्टॉक रजि0, जल प्रबंधन समिति कार्यवाही पंजिका, जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओं एवं नलकूपों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/ संस्तुति रिपोर्ट आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। जिससे उक्त व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है।

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई.डी. तैयार किये जाने का निर्देश है। किन्तु ऐसा न कर उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड -8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा -27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त रु0. 267400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती निशा सिद्धार्थ ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। आपत्ति संख्या - (29)

(39)

ग्राम पंचायत-बदलपुरविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-62 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दविषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई0 / आरईडी / मंडीपरिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुण वत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही। विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकी ताकि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

कैशबुक के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय रु0. 220795.00 का है। जिसमें प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर की अलग-अलग वर्कआई. डी. प्राप्त नहीं की गयी है। एक ही वर्कआई. डी. प्राप्त की गयी है। जो अपेक्षित है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त रु0.220795.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती हीरावती ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। आपत्तिसंख्या - (29)

(40)

ग्राम पंचायत-गहोराविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-63 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-51/2018/1701/33-3-2018-40 दिनांक 13.06.2018 के गाइडलाईन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्रामपंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीटलाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान/सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवरकरपोरेशन के मध्य वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकता एवं पूर्ण किये जाने संबंधी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही, और फाईल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा। उचित कार्य वाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। एल0 ई0 डी0 स्ट्रीटलाइट के संदर्भ में वाट और उसके सापेक्ष क्रय दर के निर्धारण में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता वाली समिति के किये जाने संबंधी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीटलाइट के स्थान पर की गयी है या नहीं। पुरानी की दशा में इसके निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही?

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार स्ट्रीटलाइट स्थापना पर व्यय रु0. 196000.00 है, जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। जिसमें प्रिया साफ्ट की फिडिंग भी नहीं की गयी है तथा वर्कआई. डी. भी प्राप्त नहीं की गयी है। अतः प्रिया साफ्ट की फिडिंग की जानी एवं वर्कआई. डी. भी प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त व्यय रु0. 196000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री सभाजीत यादव ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्तिसंख्या - (28)**

(41)

ग्राम पंचायत-हुन्सेपुरविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-64 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडीपरिशद / जिलापंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही। विकेन्द्री कृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्ट्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो।

आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्परि बोर पर रु0. 117747.00 व्यय किया गया है, जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के लिए अलग-अलग वर्कआई. डी. तैयार नहीं की गयी है। जो अपेक्षित है।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त रु0 117747.00 की ब्याज सहित वसूली श्री जित्तू राम यादव ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमतीलालती ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है। **आपत्तिसंख्या - (28)**

(42)

ग्राम पंचायत-इजरीविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-65 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-51/2018/1701/33-3-2018-40 दिनांक 13.06.2018 के गाइड लाईन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीटलाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान/सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर करपोरेशन के मध्य वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने संबंधी

पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही , और फाईल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा । उचित कार्य वाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । एल0 ई0 डी0 स्ट्रीटलाइट के संदर्भ में वाट और उसके सापेक्ष क्रय दर के निर्धारण में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षतावाली समिति के किये जाने संबंधी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इन की स्थापना पुराने स्ट्रीटलाइट के स्थानपर की गयी है या नहीं । पुरानी की दशा में इस के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही ।

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार कुल 64 अदद स्ट्रीटलाइट स्थापना का कार्य कराया गया है जिस पर कुल रु0. 311280.00 का व्यय किया गया है । जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0.311280.00की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री पांचू सरोज ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है ।

आपत्तिसंख्या – (28)

प्रस्तर-66 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या – 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दविषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडी परिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुण वत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपी डीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. – 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार कुल रु0. 3137000.00 का हैण्ड पम्प रिबोरपर व्यय किया गया है । जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है । उक्त शासनादेश के अनुसार प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्कआई. डी. तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया है । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । कोई वर्क आई. डी. तैयार नहीं की गयी है । प्रियासाप्ट की फिडिंग में हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय रु0.शून्य अंकित है । इस प्रकार अन्तर रु0. 3137000.00 का है । अन्तर का समाधान अपेक्षित है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 3137000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह,ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री पांचूसरोज ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है ।

(43)

ग्राम पंचायत-इस्मैलाविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-67 पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-51/2018/1701/33-3-2018-40 दिनांक 13.06. 2018 के गाइडलाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है । लेकिन ग्राम प्रधान/सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उत्तर प्रदेश पॉवर करपोरेशन के मध्य वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने संबंधी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही , और फाईल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहा । उचित कार्य वाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । एल0 ई0 डी0 स्ट्रीटलाइट के संदर्भ में वाट और उसके सापेक्ष क्रय दर के निर्धारण में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता वाली समिति के किये जाने संबंधी पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इन की स्थापना पुराने स्ट्रीटलाइट के स्थानपर की गयी है या नहीं । पुरानी की दशा में इसके निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही ?

आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट स्थापना पर व्यय रु0. 114000.00 का किया गया है । जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथानियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0.114000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री नीरज श्रीवास्तव ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती मंजू देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । **आपत्तिसंख्या - (28)**

(44)

ग्राम पंचायत-जमैथाविकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-68 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडी परिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही। विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्यपीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन/संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सके ताकि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार कुल रु0. 338380.00 का हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय किया गया है । जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है । उक्त शासनादेश के अनुसार प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्कआई. डी. तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया है । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । कोई वर्कआई. डी. तैयार नहीं की गयी है ।

कैशबुक के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर पर कुल रु0. 338380.00 का व्यय दर्शित है । जबकि प्रिया साफ्ट की फिल्टिंग में यह रु0. 0.00 अंकित है । इस प्रकार अन्तर रु0. 338380.00 कम फिल्टिंग का है । अन्तर का समाधान अपेक्षित है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथानियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 338380.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती कान्ती ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । **आपत्तिसंख्या - (28)**

(45)

ग्राम पंचायत-कोतवालपुर विकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-69 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आर ईडी / मंडी परिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही। विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन/संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में कैशबुक के अनुसार कुल रु0. 267284.00 का हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय किया गया है जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है । उक्त शासनादेश के अनुसार प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्क आई. डी. तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया है ।

किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । केवल एक वर्क आई. डी. तैयार की गयी है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 267284.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती सुदामा देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । **आपत्ति सं0 - (30)**

(46)

ग्राम पंचायत-कुददुपुर विकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-70 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दविर्षका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडी परिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुण वत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्यपीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सके ताकि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प रिबोर पर रु0. 609145.00 का व्यय किया गया है , जिसमें उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया है। प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर की अलग-अलग वर्कआई.डी. नहीं तैयार की गयी है । जो अपेक्षित है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 609145.00 की ब्याज सहित वसूली श्री प्रदीप कुमारसिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री ओम प्रकाश ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । **आपत्तिसंख्या - (30)**

(47)

ग्राम पंचायत-मुस्तफाबाद 2विकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-71 पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दविर्षका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडी परिशद् / जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।विकेन्द्री कृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं. - 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 336 समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सके ताकि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में कैश बुक में हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय रु0. 74065.00 (02 नग) किया गया अंकित है। किन्तु प्रियासाफ्ट की फिडिंग के अनुसार यह रु0. 38302.00 है। इस प्रकार अन्तर रु0. 35763.00 का है। अन्तर का समाधान अपेक्षित है। उक्त व्यय के लिए एक ही वर्कआई.डी तैयार की गयी है । जबकि अलग-अलग वर्कआई. डी. तैयार की जानी अपेक्षित है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 74065.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अजय मिश्रा ग्राम पंचायत सचिव एवं श्रीमती इन्द्रावती देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । **आपत्ति संख्या - (29)**

(48)

ग्राम पंचायत-नेवादा विकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-72

पंचायत राज अनुभाग-7 के आदेश संख्या 2686/37/07/2011-752 पं0रा0जी0ए0/2011 लखनऊ दिनांक 16 जुलाई 2011 के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय के अलावा कोई भी भुगतान बियरर चेक से न किया जाये । इसी शासनादेश के अनुसार किसी भी दशा में श्रमिकों को नकद भुगतान न किया जाय , सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता का संचालन कर ही भुगतान चेक द्वारा उनके खाता में किया जाय । इस शासनादेश के द्वारा प्रधान के नकद आहरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है ।

आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान श्री अलोक कुमार सिंह को बैंक खाता के अनुसार विभिन्न तिथियों में कुल रु. 940400.00 का भुगतान वियरर चेक के माध्यम से करके उक्त शासनसदेश का पालन नहीं किया गया है । अतः नियमों का पालन किया जाना अपेक्षित है ।

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -5 के बिन्दु-5 के अनुसार रु. 2000.00 से अधिक के समस्त भुगतान एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाय तथा समय- समय पर आयकर विभाग एवं व्यापारकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आयकर / व्यापार कर की कटौती सुनिश्चित की जाय । किन्तु इसका पालन नहीं किया गया है ।

विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु. 940400.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्री आलोक कुमार सिंह ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । आपत्ति संख्या - (24)

(50)

ग्राम पंचायत-सुरहुरपुर विकास खण्ड-सिरकोनी जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-73

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या - 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही । तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई / आरईडी / मंडीपरिशद / जिला पंचायत / डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइड लाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही । विकेन्द्री कृत शासन के लिए जुलाई 99 में शा. सं0- 4430/33-1-99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत छः समितियों में जल प्रबंध समिति का कार्यपीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है । लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित हो ।

आलोच्य वर्ष में रु. 390600.00 हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय है । उक्त शासना देश के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में प्रत्येक हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य को मरम्मत का कार्य मानते हुए अलग-अलग वर्कआई.डी. तैयार किये जाने का निर्देश है । किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । केवल एक ही वर्कआई. डी. तैयार की गयी है । अतः उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया है । जो अपेक्षित है ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु. 390600.00 की ब्याज सहित वसूली श्री हौसिला प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं श्रीमती बबीता देवी ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है । आपत्ति संख्या - (29)

(51)

ग्राम पंचायत-गैरवाह विकास खण्ड-सुइथाकला जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-74 दिनांक 31.7.18 को चेक सं० 10007133 से रू० 20,000 / एवं चेक सं० 10007136 से रू० 20,000 / कुल 40,000 / प्रधान डाली सिंह द्वारा खाता सं० 11003972 से नकद आहरण कर रू० 20,000 / बिरजू के घर से अनो तक नाली का निर्माण मजदूरी का भुगतान किया गया है। शेष रू० 20,000 / कोशबही में न तो रोकड़ शेष दर्शित है न तो उक्त का कोई व्यय है। ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रू० 20,000 /- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान डाली सिंह एवं ग्रा.पं. सचिव तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-75 दिनांक 16.5.18 को चेक सं० 10005517 से रू० 25,000 / ग्राम प्रधान को ग्राम स्वराज में व्यय का भुगतान दर्शित है। पुष्टि में उक्त व्यय से संबंधित कोई प्रमाणक, प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त में उल्लेखनीय है कि उक्त में कोई व्यय किया भी गया था तो चेक संबंधित व्यक्ति / पार्टी / फर्म के नाम एकाउंटपेयी चेक से भुगतान दर्शित होना था। व्यय काल्पनिक है। ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रू० 25,000 /- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान डाली सिंह एवं ग्रा.पं. सचिव तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-76 दिनांक 23.01.19 को चेक सं० 10008915 से रू० 30,000 / प्रधान डाली सिंह को विभिन्न बैंकों में खर्च हेतु भुगतान दर्शित है। उपरोक्त में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं।

(क) लेखा परीक्षा में बैठक से संबंधित कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं रहा।

(ख) भुगतान संबंधित व्यक्ति / पार्टी को एकाउंटपेयी चेक से न कर प्रधान द्वारा नगद धनराशि आहरित किया गया है। व्यय काल्पनिक है। ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रू० 30,000 /- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान डाली सिंह एवं ग्रा.पं. सचिव तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-77 दिनांक 25.02.19 को चेक सं० 10009331 से रू० 35,000 / प्रधान डाली सिंह को खेत मैदान के समतलीकरण एवं सफाई कार्य का भुगतान किया गया है जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई हैं।

(क) उक्त खेत मैदान समतलीकरण एवं सफाई कार्य किस व्यक्ति का एवं किस स्थान पर किया गया अज्ञात रहा।

(ख) उक्त कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं रहा।

(ग) सफाई कार्य के लिये ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी की नियुक्ति है। अतः अलग से सफाई कार्य पर व्यय औचित्य पूर्ण नहीं है।

(घ) व्यय का भुगतान संबंधित व्यक्ति / पार्टी को एकाउंट पेयी चेक से न कर प्रधान द्वारा नगद धनराशि आहरित किया गया है।

(ड.) व्यय काल्पनिक है। ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रू० 35,000 /- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान डाली सिंह एवं ग्रा.पं. सचिव तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

(52)

ग्राम पंचायत-हुसेनाबाद विकास खण्ड-सुइथाकला जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-78 पासबुक / बैंक स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 19.03.19 को चेक सं० 12023593 से रू० 27000 / ग्राम प्रधान मनोज कुमार यादव द्वारा आहरित किया गया है जिसे कोशबही के आय में दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आहरित धनराशि ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रू० 27,000 /- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मनोज कुमार यादव एवं ग्रा.पं. सचिव तत्कालीन से किया जाना अपेक्षित है।

(53)

ग्राम पंचायत-ऊंचगांव विकास खण्ड-सुइथाकला जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-79 कोशबही अनुसार दिनांक 02.02.19 को रू० 30,000 / का भुगतान आलमारी, कुर्सी, मेज, दरी, बाल्टी, मग क्रय हेतु शुभम ट्रेडर्स को दर्शित है। उपरोक्त में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई हैं।

(क) धनराशि का भुगतान संबंधित फर्म / दुकान को एकाउंट पेयी चेक से न कर चेक सं० 043234 से रू० 30,000 / सचिव रामबहादुर को भुगतान है।

(ख) डेड स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं रहा जिस से डेडस्टॉक की स्थिति अज्ञात रहा।

(ग) उक्त क्रय से संबंधित बिल / कैश मेंमो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

(घ) उक्त क्रय से संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्रय काल्पनिक है ग्रा.पं. के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं 5.9 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अधिभार के योग्य है। अतः रु० 30,000/- की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान विवती एवं ग्रा.पं. सचिव रामबहादुर से किया जाना अपेक्षित है।

(54)

ग्राम पंचायत-असबरनपुर विकास खण्ड-जलालपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-80 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक में ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव श्री उदयशंकर सिंह के द्वारा निम्न तिथियों में व्यक्तिगत भुगतान करके गम्भीर अनियमितता एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। निम्न तिथियों में ग्राम निधि प्रथम खाता संख्या-4170202010876745 धनराशि का भुगतान ओलिखित व्यक्तियों को किया गया है-

2016-17			2017-18			2018-19		
दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
4/2016	175000	अशोक कुमार	24.05.2017	10000	अशोक कुमार	02.05.2018	22500	अशोक कुमार
4/2016	50000	"				26.02.2019	20000	"
5/2016	10000	"						
5/2016	70000	"						
8/2016	20000	"						
11/2016	10000	"						
	335000			10000			42500	

उपरोक्त वशों में किये गये भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई है।

1- भुगतान व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाना चाहिए जो कि वित्तीय नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए धनराशि का अपहरण/दुरुपयोग कर लिया गया है।

2- कोशवही में यह लिखा जाना कि अशोक कुमार को भुगतान, साथ ही कोई कार्य विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

3- अशोक कुमार स्वयं ग्राम पंचायत के प्रधान है जिनका हस्ताक्षर कोशवही में पाया गया इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सचिव उदयशंकर सिंह एवं श्री अशोक कुमार किं दुरभि संधि से सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया।

4- उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक भी, एम0बी0कार्य की माप एवं कार्य स्थल का विवरण नहीं दिया गया है। तीनों वशों में मिला कर रु० 387500.00 का श्री अशोक कुमार ग्राम प्रधान एवं श्री उदयशंकर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित करके अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 19)

प्रस्तर-81 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक में ग्राम सचिव श्री उदयशंकर सिंह एवं ग्राम प्रधान अशोक कुमार के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर करके ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित धनराशि सीधे सचिव उदयशंकर सिंह को भुगतान किया गया -

2016-17			2017-18			2018-19		
दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
—	—	—	25.09.2017	33000	उदयशंकर सिंह सचिव	12.04.2018	100000	उदयशंकर सिंह
—	—	—	08.09.2017	21000	"	02.05.2018	300000	"
—	—	—	27.02.2018	150000	"	21.06.2018	70000	"
—	—	—	20.03.2018	230000	"	07.08.2018	300000	"

—	—	—				27.08.2018	250000	..
				434000			1020000	

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सचिव स्वयं के नाम चेक निर्गत कर प्रधान की सहमति से सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया, जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई है।

1- सचिव के द्वारा स्वयं के नाम इतनी धनराशि का भुगतान किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

2- उपरोक्त आहरित धनराशि 1454000.00 का कोशबही में कोई विवरण पत्र एवं कार्य की कोई पत्रावली एवं कार्य स्थल का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3- ग्राम पंचायत की 6 समितियों का कोई रजिस्टर या अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त आहरित धनराशि 2 वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 में 1454000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयशंकर सिंह एवं ग्राम प्रध श्री अशोक कुमार से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 20)

(55)

ग्राम पंचायत-छतारी विकास खण्ड-जलालपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-82 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक में ग्राम प्रधान अच्छेलाल सरोज एवं ग्राम सचिव श्री उदयशंकर सिंह के द्वारा निम्न तिथियों में व्यक्तिगत भुगतान करके गम्भीर अनियमितता एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2016-17			2017-18			2018-19		
दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
02.04.2016	100000	अच्छेलाल सरोज	24.05.2017	10000	अच्छेलाल सरोज	18.04.2018	22500	अच्छेलाल सरोज
08.04.2016	50000	..	16.10.2017	250000	उदयशंकर सिंह	18.04.2018	200000	उदयशंकर सिंह
12.04.2016	80000	..	08.02.2018	160000	..	13.06.2018	100000	..
16.05.2016	20000	..	16.09.2017	100000	..	27.08.2018	100000	..
07.09.2016	20000	..	27.02.2018	110000		25.02.2019	20000	अच्छेलाल सरोज
07.01.2017	10000	..						
	280000			630000			442500	

उपरोक्त वर्षों में किये गये भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई है।

1- कोशबही में यह लिखा जाना कि अच्छेलाल सरोज को भुगतान किया जाना एवं साथ ही कोई कार्य विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

2- सचिव के द्वारा स्वयं के नाम इतनी धनराशि का भुगतान किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

3- अतः उपरोक्त आहरित 1352500.00 का कोशबही में कोई विवरण पत्र एवं कार्य की कोई पत्रावली एवं कार्यस्थल का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4- उपरोक्त आहरित रु० 1352500.00 धनराशि, समस्त तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 तक की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री उदयशंकर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अच्छेलाल सरोज से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 19)

(56)

ग्राम पंचायत-काकोरीविकास खण्ड-जलालपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-83 वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक में ग्राम प्रधान मंजूलता पाण्डेय एवं ग्राम सचिव श्री उदयशंकर सिंह के द्वारा निम्न तिथियों में व्यक्तिगत भुगतान करके गम्भीर अनियमितता एवं धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2016-17			2017-18			2018-19		
दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
01.04.2016	70000	मंजूलता	23.08.2017	15000	मंजूलता	18.04.2018	20000	उदयशंकर

		पाण्डेय			पाण्डेय			सिंह
15.06.2016	26000	..	01.02.2018	170000	उदयशंकर सिंह	23.04.2018	22500	मंजूलता पाण्डेय
20.09.2016	20000	..	01.02.2018	1000	..	08.06.2018	100000	उदयशंकर सिंह
17.01.201	10000	..	05.03.2019	110000	..	05.08.2018	200000	..
						03.11.2018	400000	..
						28.02.2019	150000	..
	126000			296000			1072500	

उपरोक्त वर्षों में किये गये भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गई है।

1- कोशबही में यह लिखा जाना कि मंजूलता पाण्डेय को भुगतान किया जाना एवं साथ ही कोई कार्य विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया।

2- सचिव के द्वारा स्वयं के नाम इतनी धनराशि का भुगतान किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है स्पष्ट किया जाना अपेक्षित है।

3- अतः उपरोक्त आहरित 1494500.00 का कोशबही में कोई विवरण पत्र एवं कार्य की कोई पत्रावली एवं कार्यस्थल का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4- उपरोक्त आहरित रू0 1494500.00 धनराशि, समस्त तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 तक की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री उदयशंकर सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री मंजूलता पाण्डेय से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या- 19)

(57)

ग्राम पंचायत-नेवादाविकास खण्ड-जलालपुर जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-84 वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01.04.2018 से 31.03.2019 तक निम्नलिखित तिथियों में अंकित धनराशि के सम्मुख लिखित व्यक्तियों के नाम चेक निर्गत कर कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत, स्टेशनरी क्रय कार्य दर्शाया गया है-

दिनांक	धनराशि	व्यक्ति का नाम
24.04.2018	17500.00	सभाजीत सरोज
26.04.2018	12500.00	..
01.05.2018	22350.00	सन्तोश कुमार
05.05.2018	11300.00	रंगनाथ
21.05.2018	21350.00	राजेश कुमार
21.05.2018	35000.00	सभाजीत सरोज
05.06.2018	12600.00	रतनलाल मौर्य
29.06.2018	25100.00	चन्दा सरोज
29.08.2018	5500.00	पवन
11.09.2018	7100.00	रंगनाथ दुबे
15.10.2018	30600.00	सभाजीत सरोज
05.01.2019	25000.00	
15.02.2019	79800.00	महादेव
02.03.2019	28300.00	सदानन्द मौर्य
19.03.2019	33500.00	समरजीत सरोज
30.03.2019	27500.00	तरपवन सरोज
	395000.00	

उपरोक्त आहरित धनराशि हैण्डपम्प मरम्मत एवं स्टेशनरी क्रय पर कोशबही में दर्शाया गया है। जिसमें निम्न आपत्तियां है-

1- हैण्डपम्प मरम्मत के पूर्व जल प्रबन्धन समिति के द्वारा कोई भी प्रस्ताव एवं अनुमोदन पारित नहीं कराया गया है।

2- कोशबही में यह भी उल्लेख नहीं है किं हैण्डपम्प कहां स्थापित रहा एवं उसके मरम्मत के पुर्व सम्बन्धित लाभार्थियों के द्वारा मरम्मत हेतु मांग पत्र भी नहीं दिया गया ।

3- उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात निकली हुई निशप्रयोज्य सामग्रीयों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4- हैण्डपम्प मरम्मत क्रय सामग्री का भुगतान सम्बन्धित मशीनरी को न कर व्यक्तिगत उल्लिखित नामों को किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त भुगतान रू0 395000.00 हैण्डपम्प मरम्मत एवं स्टेशनरी क्रय पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर प्रधान श्रीमती चन्दा सरोज एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती सरला गौड़ की दुरभि संधि से भुगतान करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से दोनों व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 19)

प्रस्तर-85 दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापित करने हेतु निम्न फर्मों को अंकित तिथियों के आगे लिखित धनराशि का भुगतान किया गया है-

दिनांक	भुगतान की राशि	फर्म का नाम
13.04.2018	95000.00	गोल्डेन एनर्जी
13.04.2018	95000.00	"
10.05.2018	95000.00	सूरज सोलर लाइट
10.05.2018	95000.00	"
11.06.2018	95000.00	"
11.06.2018	95000.00	"
27.07.2018	95000.00	"
27.07.2018	95000.00	"
27.08.2018	95000.00	"
27.08.2018	95000.00	"
18.07.2018	60000.00	सी0एस0डी0इन्टरप्राइजेज
04.10.2018	95000.00	आर0एस0इन्टरप्राइजेज
04.10.2018	95000.00	आर0एस0इन्टरप्राइजेज
16.10.2018	114000.00	"
31.10.2018	85000.00	सूरज सोलर लाइट
02.02.2019	95000.00	सूरज सोलर लाइट
08.03.2019	57000.00	"
16.03.2019	95000.00	गोल्डेन एनर्जी
	1646000.00	

उपरोक्त रू0 1646000.00 का भुगतान स्ट्रीट लाइट की स्थापना पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसमें निम्न आपत्तियां पाई गयीं-

1- स्ट्रीट लाइट क्रय से पुर्व कोई निविदा सम्बन्धित फर्मों से नहीं प्राप्त की गयी, जिसे प्राप्त किया जाना आवश्यक रहा ।

2- इतनी भारी धनराशि जो किं केवल स्ट्रीट लाइट एवं ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु की जानी चाहिए थी तो प्रशासनिक समिति द्वारा प्रस्ताव एवं अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया ।

3- लेखा परीक्षा में सम्बन्धित फर्मों को व्यय बाउचर भी नहीं प्रस्तुत किया गया ।

4- ग्राम पंचायत में इतने बड़े पैमाने पर स्ट्रीट लाइट स्थापित की जानी थी तो ग्राम पंचायत के नाम वित्त कनेक्शन क्यों नहीं लिया गया । इससे स्पष्ट है किं सम्पूर्ण व्यय काल्पनिक है ।

अतः उपरोक्त अंकित रू0 1646000.00 प्रधान श्रीमती चन्दा सरोज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सरला गौड़ की दुरभि संधि से बिना स्ट्रीट लाइट स्थापित किये हुए कोशबही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों व्यक्तियों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या- 20)

प्रस्तर-86 निम्नलिखित तिथियों में ईट क्रय का भुगतान खडन्जा या किसी मरम्मत कार्य हेतु गुरु कृपा ईट उोग को किया गया है-

दिनांक	भुगतान की गयी धनराशि	फर्म का नाम

11.04.2018	58100.00	गुरु कृपा ईट उोग
21.04.2018	55000.00	"
15.06.2018	109000.00	"
07.09.2018	12400.00	"
07.09.2018	179100.00	"
07.09.2018	61300.00	"
07.09.2018	94000.00	"
07.09.2018	18100.00	"
07.09.2018	152600.00	"
07.09.2018	79000.00	"
07.09.2018	13000.00	"
07.09.2018	19700.00	"
07.09.2018	19700.00	"
07.09.2018	2500.00	"
07.09.2018	166500.00	"
07.09.2018	110600.00	"
24.11.2018	33500.00	"
22.11.2018	44400.00	"
13.12.2018	44900.00	"
19.01.2019	65150.00	"
05.02.2019	82000.00	"
28.02.2019	44700.00	"
28.02.2019	55100.00	"
	1520350.00	

उपरोक्त भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गयीं—

- 1— गुरु कृपा ईट उोग से ईट क्रय से पूर्व कोई कोटेशन ,निगोशिएशनया निविदा नहीं निकाली गयी।
- 2— लेखा परीक्षा के समय गुरु कृपा ईट उोग से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक(बाउचर) प्रस्तुत नहीं किया या है। सम्पूर्ण धनराशि का काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दा सरोज एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सरला गौड़ के दुरभि संधि करके रू0 1520350.00 का अपहरण कर लिया गया । जिसकी वसूली दोनों से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(58)

ग्राम पंचायत—पतहनाविकास खण्ड—सुजानगंज जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—87 ग्राम सभा पतहना के निधि —। खाता संख्या यू0बी0आई0—9507 से दिनांक 02.03.19 को ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। कैशबुक में गौरीशंकर इण्टर प्राइजेज को भुगतान 10 नग ह्यूम पाइप दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में यश के नाम आहरण दर्शित है। जो पंचायत नियमावली 1947 का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं:—

1. धनराशि का भुगतान फर्म को न कर व्यक्तिगत भुगतान किया गया है।
2. ह्यूम पाइप का उपयोग किन—किन जगहों पर हुआ है। इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
3. निर्माण नियोजन समिति से सम्बन्धित संस्तुति प्रमाणक एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
4. कार्यपूर्ति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे क्रय की गयी ह्यूम पाइप तथा प्रयुक्त एवं अवशेष ह्यूम पाइप की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7, खण्ड—8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली—1947 के

नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त धनराशि 42250.00 को तत्कालीन कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(59)

ग्राम पंचायत-बेलवारविकास खण्ड-सुजानगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-88 ग्राम सभा बेलवार के निधि -I खाता संख्या -4540 यू0बी0आई0 से दिनांक 06.07.18 को क्रमशः रू0 45000.00 और 96850.00 का आहरण कुल रू0 141850.00 खडण्जा मरम्मत पर व्यय कैशबुक में ईट क्रय पर अंकित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में फर्म के नाम की जगह अरबिन्द के नाम आहरण किया गया है, जो पंचायत नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे सम्बन्धित आपत्तिया इस प्रकार हैं:-

1. लेखा परीक्षा में बाउचर, बिल एवं एम0बी0, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति, स्टॉक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
2. चेक भुगतान फर्म की जगह व्यक्ति के नाम आहरित किया गया है।
3. कार्यवाही रजिस्टर एवं निर्माण नियोजन समिति का संस्तुति प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।
4. ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा स्थलीय निरीक्षण प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 141850.00 को संयुक्त रूप से तत्कालीन कार्यरत सचिव एवं ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(60)

ग्राम पंचायत-नारीपुर विकास खण्ड-सुजानगंज जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत नारीपुर के निधि -I खाता संख्या -5558 यू0बी0आई0 से दिनांक 26.10.18 को प्रशासनिक मद से 10114.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है। जबकि स्टेटमेंट में उक्त धनराशि का भुगतान आलोक के नाम से है। पंचायत नियमावली 1947 के अनुसार धनराशि का आहरण फर्म के नाम से होना चाहिए। जबकि उक्त धनराशि व्यक्ति के नाम से आहरित हैं, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:-

1. धनराशि फर्म के नाम देय न होकर व्यक्ति के नाम आहरण किया गया है। जो पंचायत नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है।
2. कैशबुक में सिर्फ प्रशासनिक मद पर व्यय अंकित है। जबकि किन-किन सामग्री का क्रय किया गया है। इसका वर्णन अंकित नहीं है।
3. कार्यवाही रजिस्टर में बैठक द्वारा इसका अनुमोदन अंकित नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह वित्तीय अनियमितता है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 10114.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0अ0 एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(61)

ग्राम पंचायत-बौराई विकास खण्ड-सुजानगंज व जिला-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत बौराई के ग्राम निधि -1 के खाता सं0 9496 यू0बी0आई0 से दिनांक 14.12.18 को रू0 10000.00 ट्राली क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। ट्राली किस फर्म से क्रय किया गया है, इसका वर्णन कैशबुक में अंकित नहीं है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में फूलचन्द्र के नाम से आहरण हुआ है, जो पंचायत नियमावली 1947 का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे सम्बन्धित आपत्ति निम्नवत् है:-

1. फर्म के नाम चेक न काटकर व्यक्ति के नाम आहरित हुआ है।
2. कैशबुक में फर्म /संस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. कार्यवाही रजिस्टर में उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रस्ताव बैठक में पारित हुआ, इसका वर्णन नहीं किया गया है।
4. लेखा परीक्षा में बिल /बाउचर अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो

अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 10000.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(62)

ग्राम पंचायत— सुल्तानपुर विकास खण्ड—सुजानगंज जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—91 ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के ग्राम निधि —1 यू0बी0आई0 खाता सं0 9495 के दिनांक 15.06.18 को रू0 1180.00 और दिनांक 28.03.18 को रू0 12000.00 कैशबुक में आकस्मिक व्यय पर दर्शित है। जबकि स्टेटमेंट में उक्त धनराशि क्रमशः राम आसरे एवं राजकुमार के नाम से आहरित है। इससे सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नवत् हैं।

1. आकस्मिक निधि का ग्राम पंचायत नियमावली में कही वर्णन नहीं है।
2. भुगतान संस्था / फर्म को न कर व्यक्ति के नाम हुआ है।
3. लेखा परीक्षा में कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।

उक्त धनराशि के व्यय का समिति की बैठक में निर्णय हुआ है कि नहीं इससे सम्बन्धित कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7, खण्ड—8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम—204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम—256 एवं अधिनियम की धारा—27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि 13180.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(63)

ग्राम पंचायत—हिम्मतनगर विकास खण्ड—सुजानगंज जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—92 ग्राम पंचायत हिम्मतनगर के ग्राम निधि —1 यू0बी0आई0 खाता सं0 4545 के दिनांक 30.08.17 को हैण्डपम्प रिबोर पर रू0 109000.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है। बैंक स्टेटमेंट में ट्रान्सफर राजपूत कान्सट्रक्शन को किया गया है। कैशबुक में कितने नग रिबोर किया गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित आपत्ति इस प्रकार है।

1. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।
2. रिबोर किन—किन स्थलों पर किया गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
4. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. कार्यपूर्ति प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।
6. लाभार्थी से प्राप्त आवेदन पत्र एवं रिबोर उपरान्त लाभार्थी से लिखित प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7, खण्ड—8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली—1947 के नियम—204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम—256 एवं अधिनियम की धारा—27 के अनुसार यह वित्तीय अनियमितता है। अतः उक्त धनराशि 109000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0/वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(64)

ग्राम पंचायत— विकैपुर विकास खण्ड—सुजानगंज जिला—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—93 ग्राम पंचायत विकैपुर के ग्राम निधि —1 खाता सं0 3564 यू0बी0आई0 से दिनांक 14.03.19 को रू0 9950.00 को स्टेशनरी पर व्यय कैशबुक में अंकित है तथा दिनांक 29.03.19 को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु रू0 34400.00 व्यय कैशबुक में अंकित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट में फर्म की जगह व्यक्ति (अमित) को भुगतान किया गया है। इससे सम्बन्धित आपत्तियाँ इस प्रकार हैं:—

1. रू0 9950 स्टेशनरी पर व्यय से सम्बन्धित बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे व्यय काल्पनिक प्रतीत होता है।
2. फर्म की जगह व्यक्ति को भुगतान किया गया है।
3. स्टॉक रजिस्टर, कार्यपूर्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
4. जल प्रबन्धन समिति का संस्तुति प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5. कैशबुक में स्टेशनरी से सम्बन्धित क्या—क्या क्रय किया गया, इसका उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार रू0 9950.00 अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है तथा रू0 34400.00 वित्तीय अनियमितता है। अतः कुल धनराशि 44350.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्रा0पं0 / वि0अ0 एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

(65)

ग्राम पंचायत-सलेखनपट्टी विकास खण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-94 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशवही के अनुसार पम्प नहर से राज बहादुर यादव के घर तक खडण्जा मरम्मत हेतु कुल रू0 43500.00 भुगतान / व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम
1	06.04.2018	10003280	26000.00	दिव्यांश ईट उोग
2	04.04.2018	10008461	17500.00	मंशा देवी
		योग-	43500.00	

धनराशि शब्दों में-तैतालिस हजार पाँच सौ रू0 मात्र।

कोशवही में दर्शित उक्त व्यय (सोनौरा पम्प नहर से राज बहादुर यादव के घर तक खडण्जा मरम्मत) के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ पायी गयी हैं:-

1-ईट क्रय हेतु किये गये भुगतान के सापेक्ष:-

(क) बिल बाउचर/प्रमाणक (ख) स्टॉक रजिस्टर (ग) स्टीमेट एवं एम0 बी0 (घ) कार्य योजना एवं कार्यवाही रजिस्टर (ङ) निर्माण समिति की संस्तुति रिपोर्ट, प्रस्तुत करना अपेक्षित था। लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्रा0पं0 के खण्ड-7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो कि अधिभार की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त धनराशि रू0 26000.00 की वसूली ग्राम प्रधान मंशा देवी एवं पंचायत सचिव श्री सत्यम कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 सोनौरा पम्प नहर से राज बहादुर यादव के घर तक खडण्जा कार्य में लगे श्रमिकों की मजदूरी पर भुगतानित धनराशि रू0 17500.00 के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी:-

1. श्रमिकों को भुगतानित धनराशि की पुष्टि में मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः बिना मस्टररोल के किया गया भुगतान अप्रमाणित है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो कि अधिभार की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त धनराशि रू0 17500.00 की वसूली ग्राम प्रधान मंशा देवी एवं पंचायत सचिव श्री सत्यम कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(66)

ग्राम पंचायत-कुशहां-1 विकास खण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-96 लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रू0 31140.00 भुगतान / व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1	10.09.2018	10009845	8280.00	शिवांगी हार्डवेयर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2	10.09.2018	10009846	17610.00	शिवांगी हार्डवेयर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3	17.10.2018	10009852	5250.00	सुजीत कान्स्ट्रैक्टर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
		योग-	31140.00		

धनराशि शब्दों में:-इक्तीस हजार एक सौ चालीस रू0 मात्र।

कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि / व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं:-

- 1— लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर) में सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
- 2— उक्त भुगतानित धनराशि /व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—(क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्ययोजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) स्टीमेट एवं एम0बी0 (ड) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये कार्य की आई0डी0 एवं मासिक प्रियासाफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- 3— डेड स्टॉक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिसमें मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 4— श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- 5— हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
- 6— हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय /भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो कि अधिभार की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त धनराशि रु0 31140.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजमणि एवं पंचायत सचिव श्री सत्यम कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(67)

ग्राम पंचायत-खालिसपट्टी विकास खण्ड-बदलापुर जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-97

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रु0 18270.00 भुगतान /व्यय किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	फर्म का नाम	विवरण
1	24.10.2018	10010270	18270.00	राज कान्त्रैक्टर्स	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
		योग-	18270.00		

धनराशि शब्दों में:-अठारह हजार दो सौ सत्तर रु0 मात्र।

कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि /व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है:-

- 1— लेखा परीक्षा में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर) में सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
- 2— उक्त भुगतानित धनराशि /व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—(क) कार्यवाही रजिस्टर (ख) कार्ययोजना (ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) स्टीमेट एवं एम0बी0 (ड) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये कार्य की आई0डी0 एवं मासिक प्रियासाफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- 3— डेड स्टॉक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिसमें मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
- 4— श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
- 5— हैण्डपम्प मरम्मत स्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।
- 6— हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय /भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204, 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो कि अधिभार की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त धनराशि रू0 18270.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रशेखर एवं पंचायत सचिव श्री अवनीश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(68)

ग्राम पंचायत-पौनी विकास खण्ड-मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-98

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 84900.00 सोलर लाइट हेतु भुगतान दर्षित हैं:-

दिनांक-	धनराशि
03.08.2018	84900.00

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0-33/2017/977/45-वि0/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइड लाइन के अनुसार सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए इसकी स्थापना का कार्य एक मात्र अधिकृत नोडल एजेन्सी यू0पी0नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।

सोलर लाइट की स्थापना ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय किया गया है। लेकिन सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी है। सोलर लाइट एक ही प्रोजेक्ट है। जी0पी0डी0पी0 कार्य योजना में एक कार्य है, लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया जा रहा है।

इसके लिए अलग से टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है। यह स्पष्ट नहीं रहा, खरीद दर सोलर में नेडा का रेट पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही।

(1) टेण्डर /कोटेशन प्रक्रिया का पालन न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 -864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन है।

(2) सोलर लाइट स्थापना में सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई।

(3) खाता रजिस्टर अप्रस्तुत होने की दशा में किस योजना के तहत धन का व्यय किया गया स्पष्ट नहीं हो सका।

अतः उक्त धनराशि रू0 84900.00 का ससमय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अरुणेश चतुर्वेदी से सुयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-99

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 7500.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्षित हैं:-

दिनांक	धनराशि
24.04.2018	5000.00
18.07.2018	2500.00

योग- 7500.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है।

और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 7500.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री अरुणेश चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 208600.00 रिवोर हेतु भुगतान दर्शित है:-

07.05.2018	38600.00
03.08.2018	65000.00
31.10.2018	37500.00
29.01.2019	67500.00

योग- 208600.00

पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिवोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गद्विषका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिशद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख -रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी।

1. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टरलेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पं0 लेख मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 202 का उल्लंघन है।
2. कोशवही का निरीक्षण न होने के कारण उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

3. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
4. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 नियम 422 का उल्लंघन है।
5. प्रिया साफ्ट के 8डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं 1/शा0/188 /10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।
7. उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।
8. टेण्डर /कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 -864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 208600.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं सचिव श्री अरुणेश चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

4- आलोच्य वर्ष 2018-19 में ह्यूमपाइप हेतु धनराशि रू0 96319.00 विभिन्न तिथियों में भुगतानित दर्शित है:-

तिथि	धनराशि
04.04.2018	15000.00
25.04.2018	25000.00
03.08.2018	53319.00
योग-	93319.00

प्रस्तर-101

आलोच्य वर्ष 2018-19 में रू0 93319.00 ह्यूम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय किये गये हैं। लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के संदर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये /कुछ भी व्यय नहीं किया गया है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता को संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन-किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा। दूसरे शब्दों में कार्य के विवरण को स्पष्ट रूप से अपेक्षित किया गया है। स्थापना की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसा की भूमिगत नाली निर्माण के संदर्भ में किया जाता है।

कच्ची सड़क का सम्पर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से ह्यूम पाइप खरीदने के बने कार्य के स्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दूरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना नहीं की गयी है। ऐसे भी इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शासनादेश सं0 आर0जी0एस0ए0 /197/2019-4 /379 /2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 03 में ऐसे कार्य स्थल विहीन और विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है।

अतः धनराशि रू0 93319.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार एवं ग्रा0वि0/पं0अधिकारी की अरुणेश कुमार चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(69)

ग्राम पंचायत-असवारा विकास खण्ड-मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-102

आलोच्य वर्ष 2018-19 में रू0 172500.00 स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	फर्म का नाम
23.05.2018	10010182	49000.00	अकबाली शाह
07.12.2018	10010192	123500.00	उत्कर्ष इण्टर प्राइजेज
	योग-	172500.00	

पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान /सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य

वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहे।

एल0ई0डी0 स्टीट लाइट के संदर्भ वाद उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डी0एम0 समिति द्वारा की जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। यह भी स्पष्ट नहीं रहा कि इनकी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गई या नहीं पुराने की दशा में इसके निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही।

उक्त धन के सापेक्ष:-

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0पं0नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन किया गया है।
3. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 लेखा मैनुअ के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन किया गया है।
4. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन किया गया है।
5. टेण्डर /कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन किया गया।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 नियम 422 का उल्लंघन किया गया।
7. तकनीकी रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
8. कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 11 का उल्लंघन किया गया।
9. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन किया गया।

अतः उक्त धनराशि रू0 172500.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती बिमला एवं ग्रा0वि0/पं0अधिकारी श्री अरुणेश चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 133180.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	फर्म का नाम
11.10.2018	10010188	30000.00	पाल हार्डवेयर
27.12.2018	10010197	28500.00	पाल हार्डवेयर
25.02.2019	10010203	74680.00	पाल हार्डवेयर
	योग-	133180.00	

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय ब्याज सामग्री खरीद के लिए किया गया, उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0 27/2017 /662/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश है का पालन किया गया है। नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शा0सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0/99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन /संस्तुति करना। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कोई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना

है। परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की गुप आईडी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की संभावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो रही है।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0नि01947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर/कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड1 एवं शा0सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पंअधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्रा0पं0 के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 06 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8डाटा पत्र लेख परीक्षा में प्रस्तुत न करके शा0सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0पं0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 133180.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विमला एवं ग्राम0वि0/पं0अधिकारी की अरुणेश चतुर्वेदी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(70)

ग्राम पंचायत-गद्दीपुर विकास खण्ड-मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-104

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 35000.00 स्टीट लाइट हेतु भुगतान दर्शित हैं:-

दिनांक-	चेक नं0	धनराशि	फर्म का नाम
01.06.2018	10009789	35000.00	अकवाली शाह

पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान /सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहे।

एल0ई0डी0 स्टीट लाइट के संदर्भ बाद उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण डी0एम0 समिति द्वारा की जाने सम्बन्धी पत्रावली के स्थान पर की गई या नहीं पुराने की दशा में इसके निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही।

उक्त धन के सापेक्ष:-

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं है।
2. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0पं0नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन किया गया है।
3. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 लेखा मैनुअ के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन किया गया है।
4. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन किया गया है।
5. टेण्डर /कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन किया गया।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 नियम 422 का उल्लंघन किया गया।
7. तकनीकी रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
8. कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 11 का उल्लंघन किया गया।

9. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन किया गया।

अतः उक्त धनराशि रू0 35000.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी एवं ग्रा0वि0/पं0अधिकारी श्री राम आसरे से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 165450.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	विवरण
1	25.06.2018	—	6000.00	
2	26.06.2018	10009795	3000.00	कमलेश
3	13.07.2018	10009794	26860.00	पाल हार्डवेयर
4	09.08.2018	10009797	21000.00	कमलेश
5	26.10.2018	10009798	18500.00	संजू देवी
6	27.12.2018	10011422	28800.00	हीरा
7	11.02.2019	10009800	19200.00	वृजेश कुमार
8	27.03.2019	10011435	5950.00	राम जतन
9	29.03.2019	10011434	36140.00	हीरा
			165450.00	

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया, उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0सं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0 नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 नियम 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर/ कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 165450.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी श्री राम आसरे से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 38202.00 रिवोर हेतु भुगतान दर्शित है:-

13.08.2018

10009796

38202.00

आयुश इण्टरप्राइजेज

योग- 38202.00

पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/शा0/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिवोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जननिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिशद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

विकेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में सीमित है।

ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम0 2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख -रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी।

1. स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पं0 लेखा मैनमुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0प0नि0 1947 के नियम 202 का उल्लंघन है।

2. कोशवही का निरीक्षण न होने के कारण उ0प्र0प0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

3. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

4. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 नियम 422 का उल्लंघन है।

5. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं 1/शा0/188 /10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

6. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

7. उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(1) का उल्लंघन है।

8. टेण्डर /कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड -1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 -864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 38202.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी एवं सचिव श्री राम आसरे से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(71)

ग्राम पंचायत-इटैली विकास खण्ड-मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-107

आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 70000.00 स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक-

धनराशि

फर्म का नाम

21.05.2018

70000.00

अकवाली शाह

पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान /सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य वित्त कनेक्शन तथा बिल के भुगतान सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने सम्बन्धी पत्रावली अप्रस्तुत रही और फाइल में फोटो और स्थापना प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं रहे।

एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट के संदर्भ वाट उसके सापेक्ष क्रय दर का निर्धारण में डी0एम0 समिति द्वारा की जाने सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रही। यह भी स्पष्ट रहा कि इसी स्थापना पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर की गई या नहीं पुराने की दशा में इसके निस्तारण की प्रक्रिया क्या रही।

उक्त धन के सापेक्ष:-

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं है।
2. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0नि0 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन किया गया है।
3. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन किया गया है।
4. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन किया गया है।
5. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1 864 /दस दिनांक 23.09.2008 का उल्लंघन किया गया।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 नियम 422 का उल्लंघन किया गया।
7. तकनीकी रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
8. कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 11 का उल्लंघन किया गया।
9. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन किया गया।

अतः उक्त धनराशि रु0 70000.00 का ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला एवं ग्रा0वि0/पं0अधिकारी श्री राज बहादुर पाल से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108

आलोच्य वर्ष 2018-19 में रु0 40000.00 भुगतान दर्षित है।

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार।

19.05.2018	02008412	40000.00	रामावध यादव

कैशबुक के अनुसार।

19.05.2018	1500.00	इण्डिया मार्का-2हैण्डपम्प की मरम्मत की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान
19.05.2018	38500.00	प्रधान (श्रीमती शशिकला) का मानदेय मई 2017 से मार्च 2018 तक (11माह)
		योग-40000.00

आलोच्य वर्ष 2018-19 में दिनांक 19.05.2018 को उक्त विवरणानुसार रु0 40000.00 श्री रामावध यादव को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान किया गया है। जबकि कैशबुक में उक्त तिथि में इस धनराशि में से 1500.00 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान तथा 38500.00 प्रधान श्रीमती शशिकला का मानदेय भुगतान किया गया है। यह कैसे संभव है कि भुगतान किसी व्यक्ति को दिया जाय और कैशबुक में किसी अन्य व्यक्तियों को भुगतान दर्शाया जाय। साथ ही प्रधान मानदेय का कोई प्रमाणक एवं मानदेय रजिस्टर भी नहीं प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि धन का अपहरण करते हुए फर्जी व्यय दर्शाया गया है।

अतः इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शशिकला एवं ग्रा0वि0/पं0अधि0 की श्री राज बहादुर पाल से बराबर-बराबर की जाय।

(72)

ग्राम पंचायत-रसूलपु ओझनियां विकास खण्ड- मुफ्तीगंज जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-109 आलोच्य वर्ष-2018-19 में धनराशि रू0 364000.00 भुगतान स्वयं व्यक्तिगत रूप से बैंकस्टेटमेंट में दर्शित है।

क्र0सं0	दिनांक	चेक नं0	धनराशि	आहरितकर्ता
1	09.04.2018	10005837	19000.00	सुरेश कुमार
2	17.04.2018	10005838	20000.00	सुरेश कुमार
3	03.05.2018	10005839	25000.00	सुरेश कुमार
4	09.05.2018	12011082	25000.00	सुरेश कुमार
5	01.06.2018	12011084	30000.00	सुरेश कुमार
6	28.06.2018	12011085	8000.00	सुरेश कुमार
7	03.08.2018	12011088	30000.00	सुरेश कुमार
8	04.08.2018	12011090	30000.00	सुरेश कुमार
9	07.08.2018	12011092	30000.00	सुरेश कुमार
10	15.09.2018	12011095	5000.00	सुरेश कुमार
11	26.10.2018	12011097	10000.00	सुरेश कुमार
12	30.01.2019	12015805	48000.00	सुरेश कुमार
13	14.03.2019	12015810	20000.00	सुरेश कुमार
14	14.03.2019	12015809	49000.00	सुरेश कुमार
15	29.03.2019	12015811	15000.00	सुरेश कुमार
		योग-	364000.00	

आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान श्री सुरेश द्वारा विभिन्न तिथियों में धनराशि 364000.00 स्वयं के नाम से आहरित किया है। जबकि ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 5 के बिन्दु 5 के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है।

वित्त पथ भण्डार क्रय नियम के बिन्दु 17 ग के अनुसार रू0 2000.00 से अधिक के भुगतान एकाउन्टपेयी चेक से किये जाने के निर्देश है।

वित्त पथ 2011 आहरण वितरण अधिकारी के कार्य बिन्दु 03 के व्यय भुगतान सम्बन्धित प्रकार्य के अनुसार शा0सं0 ए 1 / 1450 / दस-96-10(11) -93 दिनांक 23.07.1996 के अनुसार निजी संस्थाओं व्यक्तियों तथा पार्टियों को रू0 2000.00 से अधिक नगद भुगतान नहीं किया जाना है।

पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट (अमेडमेंट) 2017के अनुसार ऑल बेजेज शैल बी पेड ओनली बाई चेक कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोशवही एवं बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख जैसे बिल बाउचर, स्टीमेट, एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन, कार्यवाही रजिस्टर, विभिन्न समितियों से संबंधित कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूति प्रमाणपत्र, संबंधित रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, मस्टर रोल, इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया।

स्पष्ट है कि उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क खण्ड 8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। अतः उक्त धनराशि की वसूली रू0 36400.00 ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(73)

ग्राम पंचायत-सहोदरपुर विकास खण्ड- बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत- सहोदरपुर में दिनांक 06.09.2008 को 14वें वित्त आयोग के मद से रू. 73008.00 का अपहरण चेक सं. 10005034 दिनांक 06.09.20188 को किया गया है। धनराशि का ट्रांसफर खाता संख्या 362901010320237 में किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त खाता संख्या किस फर्म अथवा एजेन्सी का है।

उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश सं. 51/2017/1211/8309-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जलनिगम की मार्गद्विषनी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यावरण की पत्रावली प्रस्तुत रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति से अवगत रही।

विकेन्द्रीकृत शासन के लिए जुलाई 1999 में शासनादेश सं. 4430/33-1-99/एस. दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करता है लेकिन कार्यवाही रजि0 प्रस्तुत न

किए जाने के कारण इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

ग्राम विकास अनुभाग 6 के शासनादेश सं. 1134/35-5011-56 सम/2010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 1 के अनुसार नये इ.मा. हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाएँ कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किए जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 3 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजि० में दर्ज किया जाएगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजि० के अभाव में इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। हैण्डपम्प रिबोर किस स्थान पर और कहाँ किया गया, लेखा परीक्षा में उक्त हैण्डपम्प रिबोर की धनराशि काल्पनिक तरीके से खाते में ट्रांसफर कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया जिसके लिए ग्रा०पं० अधि० श्री विनोद कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री रमापति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं और उक्त धनराशि की वसूली मय ब्याज सहित पत्रावली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत— सरायलोका विकास खण्ड— बक्शा जनपद— जौनपुर वर्ष 2018-19

प्रस्तर—111 ग्रा०पं० सरायलोका की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में पाया गया कि खाते से आहरित धनराशि से कम धनराशि कैशबुक में दर्शाकर रु. 4500.00 की धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। दिनांक 30.03.2020 को चेक सं. 08975 द्वारा ग्राम निधि प्रथम खाते से रु. 19435.00 आहरित किया गया है परन्तु कैशबुक में मात्र रु. 14935.00 दर्शाकर ह्रूम पाइप लगवाई हेतु व्यय दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल रु. 4500.00 कम दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए सम्बन्धित ग्रा०पं०/वि० अधिकारी व ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमलता देवी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं, ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(75)

ग्राम पंचायत—बरबसपुर विकास खण्ड—बक्शाजनपद—जौनपुर वर्ष—2018-19

प्रस्तर—112 हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत से सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किस स्थल के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपरोक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया है।

चतुर्थ राज्य वित्त मद से दिनांक 07.02.2019 विवेचक संख्या 10005030 एवं 10005071 द्वारा आहरित धनराशि रु. 19725.00 एवं रु. 19675.00 (कुल धनराशि रु. 39400.00) फर्म विजय मशीनरी स्टोर्स को भुगतान किया गया है।

सामग्री भुगतान की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी पर कोई व्यय नहीं किया गया है। डेडस्टॉक की स्थिति अज्ञात रही एवं स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5क बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या 4430/33-1-99/एम.पी.आर./99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों जल प्रबन्धन समिति का कार्य क्षेत्र में पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन कार्यकारी रजि० प्रस्तुत न होने के कारण आय-व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः हैण्डपम्प (इण्डिया मार्क) मरम्मत में व्यय धनराशि के सापेक्ष कार्यस्थल का विवरण कार्यवाही पंजिका, स्टॉक रजि० (डेड स्टॉक) एवं सामग्री के सापेक्ष कार्यस्थल पत्रावलियों के अभाव में व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती और कार्य व्यय दर्शाकर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए सम्बन्धित पंचायत सचिव श्री सुधा सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती शशिलता संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(76)

ग्राम पंचायत—पसियाही कला विकास खण्ड—रामनगरजनपद—जौनपुर वर्ष—2018-19

प्रस्तर—113 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रु० 30000.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:—

दिनांक	धनराशि
02.05.2018	10500.00
25.05.2018	4500.00
01.06.2018	15000.00
योग—	30000.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं०-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकरण शासन के लिए शा० सं०-4430/33-1-99/एस० पी० आर० /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा० सं० -आर० जी० एस० ए / 197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी० पी० डी० पी० के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई० डी० बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई० डी० विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ० प्र० पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ० प्र० पं० नि० 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ० प्र० पं० नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं० ए-1-864 / दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ० प्र० पं० नि० 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ० प्र० पं० अधि० 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ० प्र० पं० अधि० 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं० 1/शा०/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ० प्र० रा० नि० 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रु० 30000.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-114 दिनांक-29.07.2018 को रु० 16000.00 सफाई कर्मी के किट का भुगतान कैशबुक में दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

1. किट क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. सफाई कर्मी द्वारा उक्त किट की मांग की गयी है। ऐसा पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. किट क्रय के उपरान्त सम्बन्धित सफाई कर्मी को किट प्राप्त कराया गया, का रिशिविग लेटर अप्राप्त रहा।
4. भुगतान डी० पी० एस० इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री उशा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी ने डी० पी० एस० इन्टरप्राइजेज से दुरभि सन्धि करके उक्त धनराशि का रु० 16000.00 का अपहरण कर लिया गया है।

अतः उक्त धनराशि रु० 16000.00 का ससमय ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-115 दिनांक-25.02.2019 कोरू0 21500.00 का आहरण हुआ है। कैश बुक में केवल प्रशासनिक मद व्यय अंकित कर खारिज किया गया है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति है।

1. उक्त रू0 21500.00का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. उक्त रू0 21500.00 को किस प्रकार के सामान/सेवा अपूर्ति के लिए खारिज किया गया हैं। कैशबुक में अंकित नहीं है।

अतः बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक में प्रशासनिक मद अंकित कर देने मात्र से व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से प्रशासनिक मद अंकित कर रू0 21500.00 खारिज कर अपहरण किया गया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(77)

ग्राम पंचायत-सादुल्लापुर विकास खण्ड-रामनगरजनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-116 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 121373.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
24.05.2018	4000.00
11.06.2018	24524.00
01.10.208	10517.00
11.10.2018	9000.00
29.10.2018	9000.00
30.11.2018	25782.00
01.12.2018	21000.00
01.12.2018	4125.00
02.02.2019	2500.00
05.03.2019	33000.00
28.03.2019	35000.00

योग- 121373.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 121373.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(78)

ग्राम पंचायत-परमलपट्टी विकास खण्ड-रामनगरजनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-117 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 85600.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
22.10.2018	10500.00
11.01.2019	15100.00
12.02.2019	15000.00
08.03.2019	25500.00
01.03.2019	19500.00
योग-	85600.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0प0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 85600.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-118 दिनांक-28.09.2018 को रू0 16000.00 डी0पी0एस0 इन्टरप्राइजेज से सफाई कर्मी के किट का भुगतान कैशबुक में दर्शित है। जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

1. किट क्रय से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. सफाई कर्मी द्वारा उक्त किट की मांग की गयी है। ऐसा पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. किट क्रय के उपरान्त सम्बन्धित सफाई कर्मी को किट प्राप्त कराया गया,का रिशिविग लेटर अप्राप्त रहा।
4. भुगतान डी0पी0एस0 इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधान श्री उशा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी ने डी0पी0एस0 इन्टरप्राइजेज से दुरभिसन्धि करके उक्त धनराशि का रू0 16000.00 का अपहरण कर लिया गया है।

अतः उक्त धनराशि रू0 16000.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 माह फरवरी 2019 में रू0 18500.00 का आहरण हुआ है। कैश बुक में केवल प्रशासनिक मद व्यय अंकित कर खारिज किया गया है। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति है।

1. उक्त रू0 18500.00 का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. उक्त रू0 18500.00 को किस प्रकार के सामान/सेवा अपूर्ति के लिए खारिज किया गया हैं। कैशबुक में अंकित नहीं है।

अतः बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक में प्रशासनिक मद अंकित कर देने मात्र से व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से प्रशासनिक मद अंकित कर रू0 18500.00 खारिज कर अपहरण किया गया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(79)

ग्राम पंचायत-दुधावर विकास खण्ड-रामनगरजनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-120 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 34016.00 प्रशानिक व्यय हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
05.06.2018	10000.00
18.09.2018	43000.00
30.10.2018	2916.00
29.01.2021	10500.00
02.02.2019	6300.00
योग-	34016.00

इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति है।

1. उक्त रू0 34016.00 का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. उक्त रू0 34016.00 को किस प्रकार के सामान/सेवा अपूर्ति के लिए खारिज किया गया हैं। कैशबुक में अंकित नहीं है।

अतः बैंक स्टेटमेन्ट/कैशबुक में प्रशासनिक मद अंकित कर देने मात्र से व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से प्रशासनिक मद अंकित कर रू0 34016.00 खारिज कर अपहरण किया गया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-121 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 43500.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
11.04.2018	12000.00
02.02.2019	12250.00
11.02.2019	19250.00
योग-	43500.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं०-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा०नं०-4430/33-1-99/एस०पी०आर० /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा०सं० -आर०जी०एस०ए / 197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी०पी०डी०पी० के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई०डी० बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई०डी० विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र० पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ०प्र०पं०नि० 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०पं० नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं० ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०पं०नि० 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०पं०अधि० 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०पं०अधि० 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं० 1/शा०/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ०प्र०रा०नि० 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 43500.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-वसीरपुर विकास खण्ड-रामनगरजनपद-जौनपुर वर्ष-2018-19

प्रस्तर-122 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 88250.00 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
26.06.2018	30500.00
26.06.2018	10500.00
26.11.2018	12250.00
08.03.2019	17500.00
28.03.2019	17500.00

योग- 88250.00

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की माँग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक गुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक गुप आई0डी0 विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं0 ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रू0 88250.00 का ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि0/पं0 अधिकारी से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-123 आलोच्य वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 14099.00 प्रशानिक व्यय हेतु भुगतान दर्शित है:-

दिनांक	धनराशि
26.06.2018	10000.00

12.10.2018 4099.00

योग— 14099.00

इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति है।

1. उक्त रू0 14099.00 का व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।
2. उक्त रू0 14099.00 को किस प्रकार के सामान/सेवा अपूर्ति के लिए खारिज किया गया हैं। कैशबुक में अंकित नहीं है।

अतः बैंक स्टेटमेंट/कैशबुक में प्रशासनिक मद अंकित कर देने मात्र से व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

अतः स्पष्ट है कि काल्पनिक रूप से प्रशासनिक मद अंकित कर रू0 14099.00 खारिज कर अपहरण किया गया है। तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(81)

ग्राम पंचायत— लोहता, विकास खण्ड—करंजाकला,जनपद—जौनपुर वर्ष—2018—19

प्रस्तर—124 ग्राम पंचायत लोहता विकास खण्ड करंजाकला के वर्ष 2018—19 के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है—ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 4.8.2018 को सोलर लाईट 6 नग कय का भुगतान रू0 141000.00 अकबलिशाह को किया गया है। जबकि शासनादेश के अनुसार सोलर लाईट नेडा से अथवा नेडा द्वारा स्वीकृत फर्म से ही किया जाना है, उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष लाईट लगाये जाने का स्थलीय प्रमाणित प्रमाण पत्र, स्वीकृत रेट लिस्ट प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि अनियमित रूप से व्यय की गयी है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री हरिशचन्द समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—125 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक में दिनांक 12.12.2018 को रू0 10000.00 आहरित दर्शित है जो बैंक स्टेटमेंट के अनुसार श्री हरिशचन्द द्वारा आहरित है, किन्तु धनराशि का व्यय नहीं दर्शित है। जिससे स्पष्ट होता है उक्त धन का अपहरण कर अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री हरिशचन्द समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 20

(82)

ग्राम पंचायत— हकारीपुर, विकास खण्ड— करंजाकला जिला—जौनपुर वर्ष— 2018—19

प्रस्तर—126 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31.1.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत पर रू0 35000.00 भुगतान दर्शित है किन्तु भुगतान के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, जल प्रबन्धन समिति की स्वीकृति, किसी लाभार्थी द्वारा मरम्मत हेतु प्रार्थना पत्र तथा मरम्मत के पश्चात् प्रमाण पत्र, एम०बी० प्रस्तुत नहीं रही। जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि को काल्पनिक व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री अनिल कुमार समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 20**

प्रस्तर—127 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैश बुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 7.2.2019 को सफाई कर्मी किट पर रू0 10000.00 भुगतान दर्शित है किन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक व सफाई कर्मी को सामग्री प्राप्त कराये जाने की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं रहा। जिससे स्पष्ट होता है उक्त धनराशि को काल्पनिक व्यय दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री अनिल कुमार समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 21

(83)

ग्राम पंचायत—जंगीपुर कला, विकास खण्ड करंजाकला के वर्ष 2018—19 जिला—जौनपुर

प्रस्तर—128 लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है—

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही के अनुसार दिनांक 24.4.2018 को प्रधान का मानदेय रू0 7000.00 देना दर्शित है, जो बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रधान श्री सुभाश को न कर श्री श्याम को किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि मानदेय भुगतान में अनियमितता की गयी है तथा प्रधान मानदेय पंजिका भी प्रस्तुत

नहीं होने के कारण भुगतान किस महिने का रहा यह अज्ञात रहा, जिसके लिए सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री सुभाश समान रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 19 प्रस्तर-129** ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही के अनुसार निम्न तिथियों में विभिन्न भुगतान किये गये हैं किन्तु कोशबही में कय का गयी वस्तु का उल्लेख व पुष्टि में बाउचर, ग्राम समिति का अनुमोदन कार्यवाही पुजिका प्रस्तुत नहीं रहा स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान फर्म को न करके निम्न भुगतान प्राप्तकर्ता को किया गया है-

दिनांक	कोशबही में दर्जित	भुगतान धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
04.4.2018	प्रशासनिक व्यय	5000.00	श्री उमाशंकर
14.5.2018	प्रशासनिक व्यय	10000.00	श्री राजेश
04.1.2019	सफाई कर्मी किट	10000.00	श्री जंगबहादुर
10.1.2019	प्रशासनिक व्यय	8000.00	श्री सन्तोश
16.1.2019	प्रशासनिक व्यय	10000.00	श्री श्यामराजी
	योग	43000.00	

जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कुल आहरित धनराशि ₹0 43000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री सुभाश समान रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 20

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों लेखा परीक्षा/जांच में पाया गया कि वर्ष में कराये गये कार्यों के मजदूरी का भुगतान निम्न तिथियों में कोशबही में दर्जित है किन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मजदूरी मजदूरों के खाते में नहीं कर निम्न भुगतान प्राप्तकर्ता को किया गया है जो ठेके पर कार्य कराया जाना दर्शाता है-

दिनांक	कार्य का नाम	मजदूरी धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
13.4.2018	प्रा0वि0 में खडन्जा एवं फवर्ष मरम्मत	25000.00	श्री मेवा लाल
19.6.2018	खडन्जा निर्माण पहर से नन्दलाल कन्नौजिया के घर तक	46000.00	श्री मेवा लाल
21.8.2018	प्रा0वि0 में खडन्जा एवं फवर्ष मरम्मत (रु. 26500.00)	46000.00	श्री मेवा लाल
21.8.2018	विनोद के घर से प्रा0स्कूल तक खडन्जा निर्माण (रु0 19500.00)		
23.8.2018	विनोद के घर से प्रा0स्कूल तक खडन्जा निर्माण (रु0 26300.00)	35000.00	श्री राजेश कुमार
23.8.2018	श्याम बहादुर के घर से मन्दिर तक खडन्जा निर्माण (रु0 8700.00)		
29.10.2018	श्याम बहादुर के घर से मन्दिर तक खडन्जा निर्माण	36000.00	श्री मेवा लाल
28.10.2018	मेन सेक्टर से विश्वनाथ के घर तक खडन्जा निर्माण	14500.00	श्री सुभाश
06.2.2019	मेन सेक्टर से विश्वनाथ के घर तक खडन्जा निर्माण	17000.00	श्री जंग बहादुर
06.2.2019	मन्ना के खेत से रेलवे क्रासिंग तक	38900.00	श्री हरिशचन्द
	योग	258400.00	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान कुल ₹0 258400.00 उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार न कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है, जिसके लिए ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री सुभाश समान रूप से उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 21

(84)

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत- जंगीपुर खुर्द, विकास खण्ड करंजाकला के वर्ष 2018-19 जिला-जौनपुर

लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से कोशबही में दिनांक 24.7.2018 को नन्दन स्पन पाईप को ₹0 179379.00 भुगतान दर्जित है जब कि बैंक स्टेटमेंट में फर्म के नाम से भुगतान न कर नन्दन द्वारा आहरित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के नियम विरुद्ध कर वित्तीय अनियमितता किया गया है तथा ह्युम पाईप का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया गया, नियोजन समिति से अनुमति प्रमाण पत्र, कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा, जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री अनिल कुमार समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 20**

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों से कोशबही में दिनांक 27.2.2019 को जु0हा0स्कूल में मिट्टी कार्य पर रूपया 76000.00 तथा कन्या पूर्व मा0वि0 में मिट्टी कार्य पर रू0 59000.00 इस प्रकार कुल रू0 135000.00 भुगतान दर्षित है किन्तु मिट्टी आपूर्ति कर्ता का उल्लेख नहीं है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त तिथि को क्रमशः श्री तिलकधारी व श्री अभिमन्यु यादव को भुगतान दर्षित है तथा पुष्टि में व्यय प्रमाणक, ग्राम समिति का अनुमति प्रमाण पत्र, कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं रहे। इससे स्पष्ट होता है काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री रामफेर समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 21

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही के अनुसार निम्न तिथियों में विभिन्न भुगतान किये गये हैं किन्तु कोशबही में कय की गयी वस्तु का उल्लेख व पुष्टि में बाउचर, ग्राम समिति का अनुमोदन, कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत नहीं रहा तथा स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान फर्म को न न काके निम्न भुगतान प्राप्त कर्ता को किया गया है-

दिनांक	कोशबही में दर्षित	भुगतान धनराशि	स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम
15.12.2018	प्रशासनिक एवं स्टेशनरी व्यय	7000.00	श्री रामफेर
03.01.2019	प्रशासनिक एवं स्टेशनरी व्यय	9000.00	श्री जंगबहादुर
	योग	16000.00	

जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त कुल आहरित धनराशि रू0 16000.00 का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम सचिव श्री सन्तोश कुमार व प्रधान श्री रामफेर समान रूप से है। जिनसे ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत वित एवं लेखा मैनुअल खण्ड 8 के 8(क) के अनुसार की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 22

(85)

ग्राम पंचायत- कुठुली, विकास खण्ड- मड़ियाहू वर्ष- 2018-19 जिला-जौनपुर

प्रस्तर-134 लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रू0 173240.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	फर्म का नाम/नाम	विवरण
1.	05.04.2018	12010201	13850.00	ट्रांसफर प्रदीप	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2.	05.07.2018	12010213	14300.00	ट्रांसफर प्रदीप	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3.	06.08.2018	12010217	18600.00	201-21387	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4.	23.08.2018	12012261	19850.00	201-21387	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5.	11.09.2018	12012265	22850.00	गुंजन हार्डवेयर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6.	05.12.2018	12012273	14530.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
7.	05.12.2018	12012272	12660.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
8.	05.02.2019	12012280	22500.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
9.	08.02.2019	12016283	5200.00	ट्रांसफर प्रदीप	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
10.	13.03.2019	12016287	28900.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग		173240.00		

धनराशि शब्दों में एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र।

कोशबही में दर्षित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है :-

1. ले0प0 में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/वाउचर)-

(क) सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।

(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।

2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

(क) कार्यवाही रजि० (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) स्टीमेट एवं एम०बी० (ङ) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य की आई०डी० एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

3. डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

5. हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।

6. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानिक राशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8 ख एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या— 18**

(86)

ग्राम पंचायत—जीयनपुर, विकास खण्ड— मड़ियाहू के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण

प्रस्तर— 135 प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है—

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रु० 130720.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	दिनांक	चेक सं०	धनराशि	फर्म का नाम/नाम	विवरण
1.	11.05.2018	2001920	19800.00	कैलाश	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2.	24.05.2018	12002628	17920.00	बृजेश कुमार पटेल	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3.	26.07.2018	12002638	12000.00	गीतान्जलि	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4.	16.08.2018	21059425	65000.00	389501010110029	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5.	04.01.2019	21059437	16000.00	गीतान्जलि ट्रेडर्स	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग		130720.00		

धनराशि शब्दों में —एक लाख तीस हजार सात सौ बीस रुपये मात्र।

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है 1. ले०प० में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/वाउचर)—

(क) सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।

(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।

2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

(क) कार्यवाही रजि० (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) स्टीमेट एवं एम०बी० (ङ) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य की आई०डी० एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

3. डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

5. हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।

6. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानिक राशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या- 18**

(87)

ग्राम पंचायत- कुम्भ, विकास खण्ड- मड़ियाहू वर्ष 2018-19 जिला-जौनपुर

प्रस्तर-136 लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-
लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही में निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है:-

क्र0सं0	दिनांक	मद का नाम	धनराशि
1.	03.05.2018	रामसूरत की मशीन से कवलधारी की मशीन तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	120120.00
2.	22.05.2018	रामसूरत की मशीन से कवलधारी की मशीन तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	37128.00
3.	22.05.2018	रामसूरत की मशीन से कवलधारी की मशीन तक खड़जा निर्माण कार्य की मजदूरी	34238.00
	योग-		191486.00

धनराशि शब्दों में-एक लाख इक्यानबे हजार चार सौ छियासी रुपये मात्र।

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. ईट क्रय के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाणक मानक के अनुरूप नहीं है।
2. स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. मजदूरी हेतु मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मजदूरी पर किये गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
4. माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8 ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या- 18

(88)

ग्राम पंचायत-मलसिल, विकास खण्ड- मड़ियाहू के वर्ष 2018-19 जिला-जौनपुर

प्रस्तर-137 लेखा परीक्षा में गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-
लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में कोशबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर कुल रु0 193146.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	दिनांक	चेक सं0	धनराशि	फर्म का नाम/नाम	विवरण
1.	18.06.2018	10009165	10100.00	स्वयं	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2.	09.08.2018	10009178	16750.00	अम्बुज मिश्रा	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3.	31.08.2018	10009618	47870.00	गुंजन हार्डवेयर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4.	09.10.2018	10011904	12390.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5.	29.12.2018	10011912	19680.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6.	14.02.2019	10013331	30000.00	ए0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
7.	07.03.2019	10013343	14226.00	एम0एस0 इण्टरप्राइजेज	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
8.	19.03.2019	10013338	42130.00	गुंजन हार्डवेयर	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग		193146.00		

धनराशि शब्दों में-एक लाख तिरानबे हजार एक सौ छियालीस रुपये मात्र।

कोशबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है :-

1. ले0प0 में भुगतानित धनराशि की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/वाउचर)-
(क) सामग्री एवं मजदूरी दोनों धनराशियाँ अंकित थी जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि का प्रमाणक अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।

2. उक्त भुगतानित राशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

(क) कार्यवाही रजि० (ख) कार्य योजना (ग) जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट (घ) स्टीमेट एवं एम०बी० (ङ) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र (च) हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट (छ) स्टॉक रजिस्टर (ज) कराये गये कार्य की आई०डी० एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

3. डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

5. हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया।

6. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित राशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, खण्ड 8 ख एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या— 18

(89)

ग्राम पंचायत— कनकपुर, विकास खण्ड— सिकरारा वर्ष— 2018-19 जिला—जौनपुर

प्रस्तर—138 लेखा परीक्षा वर्ष—2018-19 में कोशवही के अनुसार हैण्ड पम्प कार्य पर कुल रू० 102500.00 भुगतान व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम विवरण
1	4862	12.06.2018	60000.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी
2	4868	21.08.2018	42500.00	हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी

धनराशि शब्दों में एक लाख दो हजार पांच सौ० रूपया/मात्र कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानि धनराशि/व्यय के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है—

1. लेखा परीक्षा में भुगतान धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक बिल बाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

क—कार्यवाही रजिस्टर

ख—कार्य योजना

ग—जल प्रबंधन समिति की संस्तुति की रिपोर्ट।

घ—स्टीमेट एवं एम०बी०।

ङ—कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।

च—हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।

छ—स्टॉक रजिस्टर।

ज— कराये गये कार्य की आई०डी एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

2. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिसके मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट की

नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

3. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4. हैण्ड पम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानिक राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—07, खण्ड 8 क खण्ड—8ख एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधि० की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रू० 102500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्र बहादुर सिंह एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(90)

ग्राम पंचायत— भरसावां, विकास खण्ड— सिकरारा वर्ष— 2018-19 जिला—जौनपुर

प्रस्तर—139 लेखा परीक्षा वर्ष—2018-19 में कोशवही के अनुसार हैण्ड पम्प कार्य पर कुल रू० 36400.00 भुगतान व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि	कार्य का नाम विवरण
1	12018897	20.09.2019	5000	हैण्ड पम्प सामग्री एवं मजदूरी
2	12018849	06.02.2019	7000	हैण्ड पम्प सामग्री एवं मजदूरी
	12034544	13.03.2019	14400	हैण्ड पम्प सामग्री एवं मजदूरी
	12034558	30.03.2019	10000	हैण्ड पम्प सामग्री एवं मजदूरी
		योग—	36400	

कोशवही में दर्शित उक्त भुगतानिक धनराशि/व्यय क सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है— परीक्षा में भुगतान धनराशि की पुष्टि में प्रमाणक बिल बाऊचर प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक—

क—कार्यवाही रजिस्टर

ख—कार्य योजना

ग—जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति की रिपोर्ट।

घ—स्टीमेण्ट एवं एम0बी0।

ङ—कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।

च—हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट।

छ—स्टाक रजिस्टर।

ज— कराये गये कार्य की आई0डी एवं मासिक प्रिया साफ्ट फीडिंग, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

3. डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिसके मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट की नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।

4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

5. हैण्ड पम्प मरम्मत पश्चात अगल—बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्ड पम्प मरम्मत होने की पुष्टि प्रमाण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानिक राशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड—07, खण्ड 8 क खण्ड—8ख एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरित तथा नियम 256 एवं अधि0 की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 36400.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री इन्द्र बहादुर सिंह एवं पंचायत सचिव सुश्री कृतिका मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(91)

ग्राम पंचायत— बोदरी, विकास खण्ड— डोभी वर्ष— 2018—19 जिला—जौनपुर

प्रस्तर—140 दिनांक 07.04.2018 को चेक संख्या 12004643 से रु0 40600.00 द्वारा ट्रान्सफर आहरण नामे सुबाश जौनपुर, मारिकपुर हुआ है। कैशबुक में मजदूरी का भुगतान अंकित करके धनराशि खारिज किया गया है। इस भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है:—

1. लेखा परीक्षा सम्बन्धित मस्टररोल अप्राप्त रहा।
2. कैशबुक में किस कार्य /सेवा की मजदूरी का भुगतान किया गया, अंकित नहीं पाया गया।
3. भुगतान जिस व्यक्ति को किया गया है वह ग्राम पंचायत गोदरी का निवासी भी नहीं है, क्योंकि बैंक स्टैमप में उसका पता मारिकपुर जौनपुर अंकित है। मारिकपुर एक अलग ग्राम पंचायत है। नियमानुसार दूसरे ग्राम पंचायत से मजदूर लेने की आवश्यकता नहीं है तथा एक मजदूर की हैसियत से किसी एक कार्य की मजदूरी के भुगतान की धनराशि के हिसाब से इतनी बड़ी धनराशि अपने आपमें ही हास्यास्पद है।

अतः उपरोक्ता भुगतान पूर्णतया काल्पनिक है तथा व्यक्ति विशेष श्री सुबाश जौनपुर मारिकपुर से दूरभिसंधि करके रु0 40600.00 का आहरण किया गया साथ ही साथ अपहरण भी कर लिया गया। अपहरित धनराशि रु0 40600.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राजेन्द्र यादव एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आनन्द श्रीवास्तव से बराबर—बराबर किया जाना अपेक्षित है।

(92)

ग्राम पंचायत— कुत्तूपुर, विकास खण्ड— रामनगर वर्ष— 2018—19 जिला—जौनपुर

प्रस्तर—141 लेखा परीक्षा वर्ष 2018—19 में रु0 153500.00 हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है, जिसमें सम्बन्ध में आपत्ति निम्नवत् है :—

हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नहीं हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया, उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं०-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नहीं की जाँच नहीं की जा सकी।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकरण शासन के लिए शा०सं०-4430/33-1-99/एस०पी०आर० /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

शा०सं० -आर०जी०एस०ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी०पी०डी०पी० के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई०डी० बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई०डी० विकसित की जा रही है। और स्थान का स्पष्ट विवरण नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1. खाता रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण मदवार व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी।
2. स्टॉक रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र० लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ०प्र० नि० 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।
3. सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र० नियम 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।
4. टेण्डर/ कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शासनादेश सं० ए-1-864 /दस दिनांक 23.09.2018 का उल्लंघन है।
5. प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०प०नि०1947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
6. माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र०अधि० 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
7. परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ०प्र० अधि० 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
8. प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं० 1/शा०/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9. कोशवही का निरीक्षण न होने पर उ०प्र०रा०नि० 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

अतः उक्त धनराशि रु० 153000.00 ग्राम प्रधान एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-142 दिनांक 07.02.2019 को रु० 38500.00 का व्यय/भुगतान प्रशासनिक व्यय शब्द अंकित कर कैशबुक में खारिज किया गया है। आपत्ति निम्नवत् है:-

1. दिनांक 04.02.2019 को बैंक पासबुक अनुसार रु० 38500.00 आहरित हुआ है। जिसके विवरण में केवल प्रशासनिक शब्द अंकित किया गया है। पासबुक के विवरण से स्पष्ट है कि उक्त का भुगतान किस सेवा /कार्य /क्रय के सम्बन्ध में हुआ है से ज्ञात नहीं हो सका।
2. कैशबुक में दिनांक 04.02.2019 को बिना किसी बिल/ बाउचर के धनराशि को खारिज किया गया है।

अतः उपरोक्त भुगतान की धनराशि रु० 38500.00 का काल्पनिक व्यय किया गया है तथा धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। अपहरित धनराशि रु० 38500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रारूप- 4

जनपद-वाराणसी

1- ग्राम पंचायत रामेश्वर

विकास खण्ड- सेवापुरी

वर्ष- 2018-19

प्रस्तर – 1 वर्ष 2018-19 में निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत के विभिन्न चकरोडो एवं विभिन्न स्थानों पर सीवर निर्माण कार्य हेतु ह्यूम पाइप कय पर भुगतान दर्षित है।

क.सं.	दिनांक	बाउचर सं०	धनराशि	संस्था का नाम
1.	20.09.2018	11	98128.00	एस.एन.इण्टरप्राइजेज
2.	20.09.2018	12	98128.00	एस.एन.इण्टरप्राइजेज
3.	27.03.2019	66	90000.00	शिवांश कन्स्ट्रक्शन
		योग	286256.00	

लेखा परीक्षा के समय उक्त भुगतान से सम्बन्धित बाउचर सुलभ नहीं रहा. व उक्त कय ह्यूम पाइप ग्राम पंचायत में किस-किस स्थान पर लगाया गया से सम्बन्धित विवरण भी प्रस्तुत नहीं रहा। उक्त कय ह्यूम पाइप के लगवायी पर वर्ष 18-19 में कोई व्यय भी दर्षित नहीं है। उक्त स्थिति में एक ओर जहां बाउचर के अभाव में कय अपुष्ट रहा. वही दूसरी ओर कय ह्यूम पाइप के उपभोग/उपभोग की भी पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त भुगतान पूर्णतया आधारहीन व अपुष्ट रहा। भुगतान धन की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान अधि० श्री मनोज कुमार व प्रधान श्री राम प्रसाद से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत – भिटकुरी विकास खण्ड- सेवापुरी वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -2 ग्राम पंचायत भिटकुरी में कोऑपरेटिव भवन (सा०सह०समिति भिटकुरी) मरम्मत कार्य पर निम्न विवरणअनुसार भुगतान दर्षित है।

क.सं.	दिनांक	भुगतान धन.	चेक सं.	संस्था का नाम
1	13.07.2018	190954.00	12021122	उक्त कार्य हेतु सामग्री कय
2	30.01.2019	80843.00	12032453	उक्त कार्य हेतु सामग्री कय
3	30.01.2019	32615.00	12032455	उक्त कार्य हेतु सामग्री कय
4	13.07.2018	59780.00	12021121	उक्त कार्य की मजदूरी
5	30.01.2019	59430.00	12032454	उक्त कार्य की मजदूरी
	योग-	423622.00		

- कमांक (1) पर अंकित भुगतान श्री राम इंटरप्राइजेज जंसा बाजार वाराणसी (इन्चाइस नं-221, दिनांक -04-05-18) को डाला गिट्टी, ईट गिट्टी, मोरंग, लोहे की खिड़की, पेंट पूट्टी व सिमेन्ट कय का किया गया है।
- कमांक (2) पर अंकित भुगतान श्री राम इंटरप्राइजेज जंसा बाजार वाराणसी (इन्चाइस नं-226, दिनांक -04-05-18) को ईट सिमेन्ट व ईट गिट्टी कय का किया गया है।
- कमांक (3) पर अंकित भुगतान श्री राम इंटरप्राइजेज जंसा बाजार वाराणसी (इन्चाइस नं-232, दिनांक -10-05-18) को पंखा, कुर्सी, टेबल, इलेक्ट्रिक वर्क्स, मुरंग व लोहे की खिड़की दरवाजा आदि कय का किया गया है।
- कमांक (4) पर अंकित भुगतान दिनांक 05.05.18 से 19.05.18 तक के मस्टर रोल द्वारा मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित है।
- कमांक (5) पर अंकित भुगतान दिनांक 21.05.18 से 06.06.18 तक के मस्टर रोल द्वारा मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित है।

उक्त कार्य की पत्रावली देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य का इस्टिमेट नं० 04 है जो दिनांक 18.08.18 को स्वीकृत हुआ है जबकि सभी सामग्री कय का प्रमाणक व मस्टर रोल 5वें व 6वें माह का है। उक्त स्थिति में उक्त कार्य पर किया गया भुगतान रु० 423622.00 की पुष्टि न की जा सकी। अतः रु० 423622.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश शर्मा व प्रधान श्री कुँवर प्रताप से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -3 ग्राम पंचायत में दिनांक 30.01.19 को चेक संख्या 12032452 द्वारा रु० 48369.00 का भुगतान श्री अजय सिंह को बैंक आफ बडौदा के पास गड्ढा भराई का किया गया है। प्रस्तुत वाउचर पर गाड़ी/ट्रैक्टर का नं० होना, मिट्टी की मात्रा व कितना ट्रैक्टर मिट्टी ढुलाई हुआ से सम्बन्धित विवरण नहीं है। उक्त स्थिति में उक्त भुगतान आधारहीन रहा। अतः रु 48369.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार शर्मा व प्रधान श्री कुँवर प्रताप से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत – जगापट्टी विकास खण्ड- सेवापुरी वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -4 ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर में निम्नवत् विवरण के अनुसार कमियां पायी गयी है –

क. सं.	नाम स्थान	सामग्री + मजदूरी का	चेक सं. व दिनांक	नाम संस्था/इनवाइस सं०/दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
1	राम सेवक के	37000.00	000174/ 19.	श्री राम	19.03.2018	22.03.2018

	घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर		06.2018	इण्टरप्राइजेज / 751 / 15.06.18		
2	दिनेश के दरवाजे पर	37000.00	000171 / 19.06.2018	श्री राम इण्टरप्राइजेज / 780 / 15.06.18	19.04.2018	22.04.2018
3	ग्रा0 वि0 परसीपुर में	37000.00	000184 / 28.06.2018	श्री राम इण्टरप्राइजेज / 710 / 15.06.18	18.04.2018	22.04.2018
	योग	111000.00				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त तीनो हैण्डपम्प रिबोर कार्य की समाप्ति तिथि सामग्री क्रय करने के पूर्व का है जिससे सामग्री + मजदूरी पर किये गये भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अतः भुगतान धनराशि रु0 111000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री विनय कुमार सिंह व प्रधान श्री जितेन्द्र से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -5 ग्राम पंचायत के कौशबुक में दिनांक-30.03.2019 को बाउचर नं0 82 द्वारा रु0 52560.00 का भुगतान जल निकासी कार्य हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर किया गया है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित बाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया व उक्त क्रय ह्यूम पाइप ग्राम पंचायत में किस-किस स्थान पर लगाया गया, से सम्बन्धित विवरण भी सुलभ नहीं रहा। उक्त क्रय ह्यूम पाइप के लगवायी पर वर्ष 18-19 में कोई व्यय दर्शित नहीं है। उक्त स्थिति में एक ओर जहां बाउचर के अभाव में क्रय अपुष्ट रहा। वहीं दूसरी ओर क्रय ह्यूम पाइप के उपभोग/उपयोग की भी पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त भुगतान पूर्णतया आधारहीन व अपुष्ट रहा। भुगतान धन की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह व प्रधान श्री जितेन्द्र से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -6 ग्राम पंचायत के कौशबुक में दिनांक 28.06.2018 को बाउचर नं0 12 द्वारा रु0 14100.00 (चेक सं0-192) हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय व दिनांक 18.06.2018 को बाउचर नं0 01 द्वारा रु0 5140.00 (चेक सं0-181) हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी पर भुगतान किया गया है। उक्त बाउचरों की जांच में निम्न कमियां पायी गयी है।

1. सामग्री क्रय का बाउचर निशा इण्टरप्राइजेज (इनवाइस नं0 173. दिनांक अंकित नहीं) का है। जबकि पासबुक अनुसार सामग्री क्रय का भुगतान श्री राम इण्टरप्राइजेज को किया गया है।
2. मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल पर अवधि नहीं अंकित है।
3. सामग्री क्रय के बाउचर पर दिनांक अंकित नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय व उस पर किया गया मजदूरी भुगतान अपुष्ट रहा। अतः उक्त भुगतान रु0 19240.00 (सामग्री क्रय 14100 + मजदूरी 5140) की ब्याज सहित वसूली ग्रा0वि0अधि0 श्री विनय कुमार सिंह व प्रधान श्री जितेन्द्र से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

4- ग्राम पंचायत - कचहरिया विकास खण्ड- आराजी लाइन वर्ष- 2018-19

प्रस्तर -7 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कौशबुक में रु0 39773.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय अंकित है जिसमें दिनांक 12.12.2018 में चेक सं0 12019780 से रु0 20650.00 सामग्री क्रय पर व दिनांक 03.12.2018 को चेक सं0 12019773 से रु0 19123.00 श्रमांश पर व्यय है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं-

- ❖ ग्राम पंचायत द्वारा किन स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणिक प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- ❖ कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गई है, तथा कार्य का एस्टीमेट एम.बी., फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि हो सकें।
- ❖ क्रय की सामग्री का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है या नहीं इसकी स्थिति अज्ञात रहीं।
- ❖ हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा मजदूरी भुगतान का चेक किसके नाम से निर्गत है इसका उल्लेख नहीं है। इससे मजदूरों को श्रमांश भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

- ❖ हैण्डपम्प रिबोर के क्रम में प्राप्त स्क्रेप से संबंधित डेड स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्क्रेप की संख्या व मात्रा अज्ञात रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी विवरण के अभाव में उक्त व्यय अपहरण आंकलित किया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

5- ग्राम पंचायत- जखिनी विकास खण्ड-आराजीलाईन वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-8 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान को एक निश्चित धनराशि मासिक मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। यह धनराशि पहले रु0 2500.00 थी जो शासनादेश संख्या-3/2016/3038/33-1-2016 द्वारा दिसम्बर/2016 से बढ़ाकर रु0 3500.00 कर दिया गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में कुल रु0 45500.00 प्रधान मानदेय दिया गया है। उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

1. मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मानदेय किस-किस महीने का दिया गया है तथा एक ही महीने का मानदेय कितनी बार दिया गया है।
2. निर्धारित मानदेय के हिसाब से एक वित्तीय वर्ष में कुल मानदेय रु0 42000.00 दिया जाना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में रु0 45500.00 दिया गया है।
3. मानदेय भुगतान नियमित रूप से मासिक न करके रु0 17500.00 दिनांक 04.07.2018 में चेक सं0 12005774, रु0 14000.00 दिनांक 03.11.2018 में चेक सं0 12016000, रु0 14000.00 दिनांक 12.03.2019 में चेक सं0 12027114 से तीन किश्तों में किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि रु0 3500.00 मानदेय भुगतान का अपहरण किया गया है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

6- ग्राम पंचायत- बेनीपुर विकास खण्ड- आराजीलाईन वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-9 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा में आलोच्य वर्ष में "विजयी के घर से मंगरू के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य" हेतु सामग्री क्रय हेतु एक फर्म को दिनांक 30.03.2019 में चेक सं0 10009501 से कुल रु0 144719.00 का भुगतान किया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं-

- ❖ उक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से ली गई है या नहीं इस सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। इस कार्य का ग्राम सभा द्वारा पूर्व में स्वीकृति और कार्य कराने के बाद अनुमोदन के सम्बन्ध में भी स्थिति अज्ञात रही।
- ❖ कार्य की लम्बाई व चौड़ाई को कोई उल्लेख नहीं है तथा कार्य का एस्टीमेट व एम.बी. भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- ❖ सामग्री क्रय हेतु निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है।
- ❖ क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा क्रय की गई सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
- ❖ उक्त कार्य पर कोई श्रमांश भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया तथा ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ये ज्ञात हो सके कि यह कार्य पूर्ण है या अपूर्ण।
- ❖ उक्त निर्माण कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उक्त कार्य की पुष्टि हो सकें। सृजित परिसंपत्तियों का रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण स्पष्ट न हो सका कि उपरोक्त कार्य पर भुगतान इसके पूर्व भी दर्शित है अथवा नहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी विवरण के अभाव में उक्त व्यय अपहरण आंकलित किया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

7- ग्राम पंचायत- मेंहदीगंज विकास खण्ड- आराजीलाईन वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-10 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में सामग्री क्रय हेतु रु0 182720.00 एवं उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु रु0

47700.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु0 230420.00 पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं—

- ❖ ग्राम पंचायत द्वारा किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणिक सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- ❖ उक्त दर्शित कार्य में क्रय की गयी सामग्री का विवरण नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है।
- ❖ क्रय सामग्री का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया एवं क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है या नहीं, इस सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही।
- ❖ दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा मजदूरी भुगतान का चेक किसके नाम से निर्गत है इसका उल्लेख नहीं है। इससे मजदूरों को श्रमांश भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।
- ❖ कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गयी है तथा उक्त कार्य का एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे, जिससे कृत व्यय की पुष्टि हो सके।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है किसी विवरण/प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपहरण आंकलित किया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

8— ग्राम पंचायत— ककरमत्ता विकास खण्ड— काशी विपीठ वर्ष— 2018—19

प्रस्तर—11

1. पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान को एक निश्चित धनराशि मासिक मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। यह धनराशि पहले रु0 2500.00 थी जो शासनादेश संख्या—3/2016/3038/33—1—2016 द्वारा दिसम्बर/2016 से बढ़ाकर रु0 3500.00 कर दिया गया था। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018—19 में कुल रु0 52500.00 प्रधान मानदेय दिया गया है। उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं—
- ❖ मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मानदेय किस-किस महीने का दिया गया है तथा एक ही महीने का मानदेय कितनी बार में दिया गया है।
- ❖ निर्धारित मानदेय के हिसाब से एक वित्तीय वर्ष में कुल मानदेय रु0 42000.00 दिया जाना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में रु0 52500.00 दिया गया है।
- ❖ मानदेय भुगतान नियमित रूप से मासिक न करे अनियमित रूप से रु0 31500.00 तथा रु0 21000.00 की दो किश्तों में किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0 10500.00 मानदेय भुगतान का अपहरण किया गया है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर—12 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018—19 के दौरान कैशबुक में “प्रा0वि0 में हैण्डपम्प रिबोर व समर्सीबल कार्य” पर रु0 70840.00 एवं “प्रा0वि0 में हैण्डपम्प रिबोर” पर रु0 70709.00 सामग्री क्रय हेतु व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं—

- ❖ ग्राम पंचायत द्वारा किन स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणिक प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।
- ❖ काय का एस्टीमेट, एम.बी., फोटोग्राफ, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि हो सकें।
- ❖ क्रय की सामग्री का क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है या नहीं इसकी स्थिति अज्ञात रही।
- ❖ उक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान का उल्लेख आलोच्य वर्ष में कैशबुक में नहीं है, जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है।
- ❖ हैण्डपम्प रिबोर के क्रम में प्राप्त स्क्रेप से संबंधित डेड स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्क्रेप की संख्या व मात्रा अज्ञात रहीं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है किसी विवरण/प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपहरण आंकलित किया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत- तारापुर विकास खण्ड- काशी विपीठ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में स्वच्छता पर व्यय **रु0 29320.00** एवं स्वच्छता स्लोगन पर व्यय **रु0 87050.00** दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय मई व जून 2018 में अलग-अलग तिथियों पर क्रमशः **रु0 12320.00** दिनांक 15.05.2018 चेक सं0 10011741, **रु0 3500.00** दिनांक 16.05.2018 चेक सं0 10011744, **रु0 7500.00** दिनांक 16.05.2018 चेक सं0 10011742, **रु0 6000.00** दिनांक 22.05.2018 चेक सं0 10011749, **रु0 22500.00** दिनांक 28.05.2018 चेक सं0 10011745 **रु0 42000.00** दिनांक 13.06.2018 चेक सं0 10011753, **रु0 22550.00** दिनांक 15.06.2018 चेक सं0 10011754 से खाते से डेबिट है। इस समस्त व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं-

- ❖ उक्त व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि ये व्यय किस रूप में व किस उद्देश्य से किये गये हैं।
- ❖ ग्राम निधि खाते के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त व्यय में से रु0 22500.00 रम्भा चौधरी को तथा शेष कैलाश को भुगतान किया गया है, लेकिन इनके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ❖ उक्त व्ययों से सम्बन्धित एस्टिमेट व एम.बी. भी अनुपलब्ध रहे, जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी।
- ❖ उक्त व्ययों के सम्बन्ध में यह ज्ञात नहीं हो पाया कि कितना भुगतान सामग्री क्रय पर किया गया है तथा कितना भुगतान श्रमांश पर किया गया है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी विवरण/प्रमाणक के अभाव में उक्त व्यय अपहरण आंकलित किया जाता है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत- गोसाईपुर विकास खण्ड- हरहुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं पासबुक की जाँच में पाया गया है कि इस तिथि में **खड़न्जा निर्माण कार्य** पर विवरणविहीन एवं प्रमाणकविहीन व्यय किया गया है-

दिनांक	चेक नं0	धनराशि	कैशबुक में दर्शित विवरण
18.11.2018	028892	8974.00	अनिल मिश्रा के घर से मुन्ना दूबे के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य में ईट का भुगतान (संजय ईट जोग)
18.11.2018	028893	13123.00	अनिल मिश्रा के घर से मुन्ना दूबे के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य में सामग्री का भुगतान (रचना इण्टरप्राइजेज)
18.11.2018	028894	18449.00	अनिल मिश्रा के घर से मुन्ना दूबे के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य में पारिश्रमिक का भुगतान
कुल योग		40,546.00	

जिसकी पुष्टि बैंक पासबुक में भी है, परन्तु रिकार्ड फाइल में उक्त सामग्री का क्रय प्रमाणक संलग्न नहीं पाया गया। इस प्रकार बिना भुगतान प्रमाणक के क्रय की पुष्टि सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त क्रय सामग्री भुगतान लेखा परीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है। अतः धनराशि **रु0 40,546/-** का अपहरण ग्राम प्रधान तथा सचिव द्वारा की गयी सम्भव प्रतीत होती है। अतः **रु0 40,546/-** की क्षतिपूर्ति ब्याज सहित प्रधान **श्री सर्वेश मिश्रा एवं सचिव श्री कुमार अवनीश** से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 कैश-बुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत** पर सामग्री क्रय दर्शित किया गया है।

क्र0सं0	चेक नं0	दिनांक	धनराशि
1.	012047	24.07.2018	19,997.00
2.	012048	24.07.2018	19,965.00
3.	012049	24.07.2018	19,945.00
योग			59,907.00

उपरोक्त दर्शित व्ययों पर आपत्तियाँ निम्नवत हैं-

- (क) क्रय सामग्री का विवरण कैश-बुक में अंकित नहीं है। सामग्री क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। भुगतान प्रमाणक के अभाव में क्रय की पुष्टि सम्भव नहीं है।
- (ख) हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब है इससे सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट नहीं है।
- (ग) हैण्डपम्प बिगड़े होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।
- (घ) दर्शित क्रय का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(ङ) कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य संतोशप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।

(च) स्टॉक रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोजन सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

(छ) हैण्डपम्पमरम्मत में प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष निकाले गये स्क्रेप/निष्क्रय सामग्री जो निकाला गया का स्टॉक लेखा भौतिक सत्यापन/स्क्रेप बिक्री का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, दर्शित व्यय की धनराशि **रु० 59,907.00** फर्जी आंकलित की जाती है। अतएव रु० **59,907.00** की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री सर्वेश मिश्रा एवं सचिव श्री कुमार अवनीश से की जानी अपेक्षित है।

11- ग्राम पंचायत- मोहनपुर विकास खण्ड- हरहुआ वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-16 कैश-बुक के अनुसार दिनांक 03.12.2019 को चेक सं० 12028828 द्वारा **रु० 56,000.00** मानदेय प्रधान द्वारा आहरित किया गया है। उक्त धनराशि का भुगतान जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018 तक कुल 16 माह का किया गया है। कैश-बुक में अंकित है जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां इस प्रकार है-

(क) वित्तीय वर्ष 2017-18 का मानदेय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है।

(ख) मानदेय की धनराशि प्रधान के खाते में स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(ग) बकाया मानदेय धनराशि की पुष्टि विभागीय अधिकारी से प्राप्त नहीं है।

(घ) मानदेय पंजिका सम्प्रेक्षण में अनुपलब्ध रहा। जिससे बकाया मानदेय की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त मानदेय भुगतान अनियमित है। उक्त के प्रति प्रधान श्री संजय कुमार सिंह एवं सचिव श्री मिथिलेश श्रीवास्तव उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर-17 कैश-बुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मतपर सामग्री क्रय दर्शित किया गया है।

क्र०सं०	चेक नं०	दिनांक	धनराशि
1.	12028832	02.03.2019	15,500.00
2.	12028833	02.03.2019	4200.00
योग			19,700.00

उपरोक्त दर्शित व्ययों पर आपत्तियां निम्नवत है-

(क) क्रय सामग्री का विवरण कैश-बुक में अंकित नहीं है। सामग्री क्रय का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। भुगतान प्रमाणक के अभाव में क्रय की पुष्टि सम्भव नहीं है।

(ख) हैण्डपम्प कौन-कौन से खराब है इससे सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट नहीं है।

(ग) हैण्डपम्प बिगड़े होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है।

(घ) दर्शित क्रय का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(ङ) कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य संतोशप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।

(च) स्टॉक रजि० नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोजन सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।

(छ) हैण्डपम्पमरम्मत में प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष निकाले गये स्क्रेप/निष्क्रय सामग्री जो निकाला गया का स्टॉक लेखा भौतिक सत्यापन/स्क्रेप बिक्री का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, दर्शित व्यय की धनराशि **रु0 19,700.00** फर्जी आंकलित की जाती है। अतएव रु0 **19,700.00** की वसूली ब्याज सहित **प्रधान श्री संजय कुमार सिंह एवं सचिव श्री मिथिलेश श्रीवास्तव** से की जानी अपेक्षित है।

12- ग्राम पंचायत- सोनबरसा विकास खण्ड- चिरईगांव वर्ष- 2018-19 प्रस्तर-18

ग्राम पंचायत मे आलोच्य वर्ष मे अधोलिखित भुगतान किए गए है

मद	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	बाउचर न0	भुगतान एज पर बैंक स्टेटमेंट
स्वच्छ भारत मिशन मेशौचालय					
पर कोड लिखवाई पेंट	20000.00	5518	4.7.18	1	किशोरी प्रसाद
सहित पोतवाई पर व्यय	16000.00	5532	10.8.18	11	किशोरी प्रसाद
हैंडपंप मरम्मत मजदूरी परव्यय	4830.00	5522	13.7.18	2	किशोरी प्रसाद
हैंडपंप मरम्मत सामग्रीपर व्यय	15168.00	5519	17.7.18	4	ड्र थू चेक
हैंडपंप मरम्मत मजदूरी परव्यय	4830.00	5520	13.7.18	3	किशोरी प्रसाद
हैंडपंप मरम्मत सामग्रीपर व्यय	15050.00	5521	17.7.18	5	ड्र थू चेक
हैंडपंप मरम्मत मजदूरी परव्यय	4830.00	5528	10.8.18	12	किशोरी प्रसाद
हैंडपंप मरम्मत सामग्रीपर व्यय	15140.00	5526	13.8.18	14	ड्र थू चेक
हैंडपंप मरम्मत मजदूरी परव्यय	4830-00	5530	10.8.18	13	किशोरी प्रसाद
हैंडपंप मरम्मत सामग्रीपर व्यय	15115-00	5529	13.8.18	15	ड्र थू चेक
प्रिया सॉफ्टके कार्य परभुगतान	3000-00	5516	20.7.18	6	सुभम मौर्य
निविदा प्रकाशन	4141-00	5517	20.7.18	7	परफेक्ट मिस
स्ट्रीट लाइट	197410-00	5523	24,7,18	8	वैशनवी
अमरनाथ पटेल के दुकान सेमहगु	18470-00	5524	30.7.18	9	किशोरी प्रसाद
हर्ष प्रधान नाली साफ सफाईमरम्मत	41195-00	5525	30.7.18	10/1.2.	किशोरी प्रसाद
और ढककन निर्माण	188757.60	5538	31.8.18	16	चेक ट्रान्सफर विडराल
	86047.50	5537	31.8/18	17	चेक ट्रान्सफर विडराल
	19320-00	5539	31.8.18	22	किशोरी प्रसाद
	4200-00	5540	31.8.19	24	किशोरी प्रसाद
	3850-00	5542	31.8.18	25	किशोरी प्रसाद
	12915-00	5541	31.8.18	26	किशोरी प्रसाद
पिच रोड टेलहू हलवाई केघर से	139335-00	5533	31.8.18	18	चेक ट्रान्सफर विडराल
सूखा माई मंदिर तक खड़जा	55930-00	5543	31.8.18	19/1.2.3	किशोरी प्रसाद
मरम्मत	9835-00	5534	31.8.18	21	किशोरी प्रसाद
	17500-00	5536	31.8.18	23	किशोरी प्रसाद
सोलर लाइट	196218-00	5535	31.8.18	20	वैशनवी
योग	1113917.10				

प्रस्तर-19

ग्राम पंचायतमे आलोच्य वर्ष मे अधोलिखित भुगतान किए गए है

श्रीवास्तव बस्ती मे तालाबमरम्मत	3613-00	5546	17.10.18	27	किशोरी प्रसाद
और साफ सफाई पर मजदूरी	54410-00	5548	17.10.18	28	किशोरी प्रसाद

और सामग्री पर व्यय	18469.91	5545	17.10.18	29	चेक ट्रान्सफर विडराल
	23850.75	5544	22.10.18	30	चेक ट्रान्सफर विडराल
सोनबरसा मे सोकपीठ गड्डा	89428-00	5549	31.10.18	31	चेक ट्रान्सफर विडराल
निर्माण	30240-00	5551	31.10.18	32	किशोरी प्रसाद
	49010-00	5550	31.10.18	33	चेक ट्रान्सफर विडराल
सोनबरसा मे वृक्षारोपणऔर					
भाड़ा पर व्यय	4500-00	5552	6.11.18	34	कैश पेड टू सेल्फ
मुख्य मार्ग से मुसहरबस्ती के	137340-00	5553	6.11.18	35	चेक ट्रान्सफर विडराल
सरकारी नलकूप तकखड्डंजा	16940-00	5554	6.11.18	37	कैश पेड टू सेल्फ
निर्माण	16940-00	5555	6.11.18	38	कैश पेड टू सेल्फ
ग्राम प्रधान कामानदेय					
मार्च 18 से अक्टूबर 18 तक	28000-00	5556	6.11.18	36	पेड टू सेल्फ
नवंबर 18 -फरवरी 19 तक	14000-00	26348	11.03.19	53	
प्राथमिक विद्यालयसोनबरसा	50715-00	5560	5.2.19	39	कैश पेड टू सेल्फ
मे कमरों	52751-00	26337	6.2.19	46	चेक ट्रान्सफर विडराल
का फर्श मरम्मत कार्य	23310-00	26336	7.2.19	48	चेक ट्रान्सफर विडराल
	40157-00	26341	7.2.19	50	चेक ट्रान्सफर विडराल
प्राथमिक विद्यालय मे नयागेट	8516-00	26343	6.2.19	41	कैश पेड टू सेल्फ
निर्माण और गेट के सामनेखड्डंजा	33670-00	26344	6.2.19	43	कैश पेड टू सेल्फ
निर्माण कार्य	54984-00	26342	6.2.19	45	चेक ट्रान्सफर विडराल
पूर्व माध्यमिक विद्यालयमे कमरों	46245-00	26340	6.2.19	42	कैश पेड टू सेल्फ
का फर्श और दीवालमरम्मत	63465-00	26339	6.2.19	47	चेक ट्रान्सफर विडराल
	43890-00	26338	7.2.19	49	चेक ट्रान्सफर विडराल
प्रशासनिक व्यय जिओटैग	2500-00	5559	6.2..19	40	कैश पेड टू सेल्फ
प्रियासॉफ्टहेतु	3000-00	26352	25.3.19	57	कैश पेड टू सेल्फ
सोनबरसा मे डस्टबिननिर्माण कार्य	137618-00	26345	6.2.19	44	अधर इन्टे0
हैंडपंप मरम्मत मजदूरी परव्यय	4830-00	26347	1.3.19	51	कैश पेड टू सेल्फ
हैंडपंप मरम्मत सामग्रीपर व्यय	14963-00	26346	5.3.19	52	चेक ट्रान्सफर विडराल
राजेन्द्र प्रसाद संतोष केघर के पास	9370-00	26351	13.3.19	54	कैश पेड टू सेल्फ
सोकपीठ निर्माण	29809-00	26349	14.3.19	55	चेक ट्रान्सफर विडराल
	16338-00	26350	14.3.19	56	चेक ट्रान्सफर विडराल

योग **1122872.66**

उपर्युक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली वर्तमान सचिव श्री कृपा राम के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जो कि व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा के दौरान चार्ज न दिये जाने का कारण बताया गया। जिसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त उपभोग/ व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणकविहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार “ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेशन दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के साथ ही और खंड 8 क के अनुसार यह भी कि “यदि दर्शाए गए व्यय के

सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

उपर्युक्त रुपये 2236789.76 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री किशोरी प्रसाद और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी है। इस संबंध में नियमानुसार ग्राम प्रधान से रुपये 1118394.9 और पंचायत सचिव श्री हेमंत लाल श्रीवास्तव से रुपये 556958.55 और ग्राम पंचायत सचिव श्री राम अचल से रुपये 561436.33 की ब्याज सहित वसूली सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

13- ग्राम पंचायत- रामपुर (खुटहों) विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2018-19
प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत-रामपुर (खुटहों), वि०क्ष०-चोलापुर, जनपद-वाराणसी के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

निम्नांकित तिथियों में खड़जा निर्माण पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 246310.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	विवरण	अन्य
1.	03.10.18	18572	121210.00	पिच रोड़ से दशरथ के घर तक खड़जा कार्य में ईट क्रय का भुगतान, ईट का उपयोग वर्षान्त तक दर्शित नहीं।	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
2.	05.11.18	18578	100100.00	पिच रोड़ से धर्मेन्द्र के घर तक खड़जा कार्य, ईट क्रय का भुगतान	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
3.	05.11.18	18580	25000.00	पिच रोड़ से धर्मेन्द्र के घर तक खड़जा कार्य, मजदूरी भुगतान	म.रो. अप्राप्त
		योग	246310.00		

उपरोक्त कार्य की पुष्टि में मस्टर रोल, व्यय प्रमाणक, कोटेशन स्टीमेट, एम.बी. कार्यपूर्ति एवं परिसम्पत्ति रजि० अप्राप्त रहा। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 246310.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रु० 246310.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेश कुमार एवं ग्रा०पं०अ० श्री अशोक राजभर से किया जाना अपेक्षित है।

(पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु-8(क) के अनुसार)

14- ग्राम पंचायत- मुन्नारी विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-21ग्राम पंचायत-मुन्नारी वि०क्ष०-चोलापुर, जनपद-वाराणसी के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

निम्नांकित तिथियों में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 295700.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	विवरण	अन्य
1.	05.11.18	009485	100100.00	पक्की सड़क से रामाश्रय के घर तक खड़जा मरम्मत में ईट क्रय का भुगतान	सामग्री उपभोग वर्षान्त तक नहीं, बाउचर अप्राप्त
2.	06.11.18	009486	100100.00	पक्की सड़क से नन्दू के घर तक खड़जा मरम्मत में ईट क्रय	सामग्री उपभोग वर्षान्त तक नहीं, बाउचर अप्राप्त
3.	08.11.18	006757	59500.00	प्रा०वि० में बाउण्ड्री वाल निर्माण ईट क्रय का भुगतान	सामग्री उपभोग वर्षान्त तक नहीं, बाउचर अप्राप्त
4.	17.11.18	006758	36000.00	पू०मा०वि० में मरम्मत कार्य हेतु ईट क्रय का भुगतान	सामग्री उपभोग वर्षान्त तक नहीं, बाउचर अप्राप्त
		योग	295700.00		

उपरोक्त कार्य की पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कोटेशन, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति, एम.बी. कार्यपूर्ति, परिसम्पत्ति रजि० एवं स्टॉक रजि० अप्राप्त रहा। निर्माण सामग्री का उपभोग दर्शित नहीं है। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 295700.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रु० 295700.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमित शर्मा एवं ग्रा०पं०अ० श्री अशोक राजभर से किया जाना अपेक्षित है।

(पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु-8(क) के अनुसार)

15- ग्राम पंचायत- धौरहरा विकास खण्ड- चोलापुर वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत-धौरहरा वि०क्षे०-चोलापुर, जनपद-वाराणसी के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अपहरण एवं गम्भीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

निम्नांकित तिथियों में काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 906386.00 का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र.	दिनांक	चेक नं०	धनराशि	विवरण	अन्य
1.	11.04.18	5408	124064.00	पिच रोड़ से रामजी के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	बाउचर अप्राप्त
	24.08.18	6292	20000.00	मजदूरी भुगतान (उपरोक्त कार्य)	मस्टर रोल अप्राप्त
2.	13.04.18	5405	148512.00	बारी से मुर्गी फार्म तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	17.04.18	5397	40000.00	उपरोक्त कार्य का मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
3.	06.04.18	5401	115600.00	आर.सी.सी. रोड़ से डब्लू के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
	20.12.18	7664	21210.00	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान	बाउचर अप्राप्त
4.	06.04.18	5402	45600.00	पिच रोड़ से कमला के घर तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय किन्तु सामग्री उपभोग नहीं	व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5.	27.04.18	5396	88000.00	मंदिर से हरिओम के घर तक खड़जा कार्य हेतु ईट क्रय	बाउचर अप्राप्त
	14.02.19	7624	20000.00	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
6.	27.04.18	5395	88000.00	पिच रोड़ से पंचदेव के घर तक खड़जा कार्य हेतु ईट क्रय	बाउचर अप्राप्त
	01.03.19	7631	23850.00	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
7.	19.05.18	5412	148300.00	मुख्य पुलिया से मुसहर बस्ती तक खड़जा निर्माण हेतु ईट क्रय	बाउचर अप्राप्त
	20.12.18	6316	23250.00	उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान	मस्टर रोल अप्राप्त
		योग	906386.00		

उपरोक्त कार्य की पुष्टि में मस्टर रोल, व्यय प्रमाणक, कोटेशन स्टीमेट, एम.बी., कार्यपूर्ति एवं परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा। इस प्रकार काल्पनिक व्यय दर्शाकर रु० 906386.00 का अपहरण किया गया है।

अतः अपहरण की धनराशि रु० 906386.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्रा०प०अ० श्री अशोक राजभर से किया जाना अपेक्षित है।

(पंचायत लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु-8(क) के अनुसार)

16- ग्राम पंचायत- सियरहा विकास खण्ड- बड़ागांव वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-23 आलोच्य वर्ष में 2018-19 ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार मानदेय भुगतान किया गया है

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	माहवार विवरण (कैशबुक व प्रमाणक के अनुसार)
1	21.08.2018	7000	अक्टूबर 2017 से नवंबर 2017 तक के लिये
2	23.08.2018	30000	कैशबुक में अंकित नहीं है
3	27.11.2018	14000	जुलाई 2018 से नवंबर 2018 तक के लिये
4	05.03.2019	14000	नवंबर 2018 से फरवरी 2019 तक के लिये
	योग	65000	

पंचायत राज अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या के 3-2016/3038/33-01-2016 दिनांक 22.11.2016 जो कि ग्राम प्रधानों के मानदेय से सम्बन्धित है। जिसके अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय रु० 3500/- माह चतुर्थ राज्य वित्त से दिया जाता है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ हैं -

- ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय रजिस्टर न बनाकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर रिसीविंग बना दी गयी है। मानदेय रजिस्टर के अभाव में पूर्व में दिये गये मानदेय व बकाया मानदेय का विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है।
- उक्त भुगतान में गणनानुसार अक्टूबर 2017 से फरवरी 2019 के मध्य कुल 17 माह होते हैं। इस प्रकार उक्त अवधि का ग्राम प्रधान का कुल मानदेय रु० 3500X17= 59500 होता है जबकि ग्राम प्रधान को कुल रु० 65000 भुगतान किया गया है। अतः स्पष्ट है कि दुरभिसंधि कर रु० 5500 अधिक भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत- सरांवा विकास खण्ड- बड़ागांव वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-24 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान को निम्न विवरणानुसार मानदेय भुगतान किया गया है -

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	माहवार विवरण (कैशबुक व प्रमाणक के अनुसार)
1	05.10.2018	12023355	42000	अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 तक के लिये
2	16.03.2019	12046301	21000	सितम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक के लिये
	योग		63000	

पंचायत राज अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या के 3-2016/3038/33-01-2016 दिनांक 22.11.2016 जो कि ग्राम प्रधानों के मानदेय से सम्बन्धित है। जिसके अनुसार ग्राम प्रधानों का मानदेय रु0 3500/- माह चतुर्थ राज्य वित्त से दिया जाता है। उक्त भुगतान के विरुद्ध निम्न आपत्तियाँ हैं -

1. ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय रजिस्टर न बनाकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर रिसीविंग बना दी गयी है। मानदेय रजिस्टर के अभाव में पूर्व में दिये गये मानदेय व बकाया मानदेय का विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है।
2. उक्त भुगतान में गणनानुसार अक्टूबर 2017 से फरवरी 2019 के मध्य कुल 17 माह होते हैं। इस प्रकार उक्त अवधि का ग्राम प्रधान का कुल मानदेय रु0 3500X17= 59500 होता है जबकि ग्राम प्रधान को कुल रु0 63000 भुगतान किया गया है। अतः स्पष्ट है कि रु0 3500 अधिक भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

18- ग्राम पंचायत- कनियर विकास खण्ड- बड़ागांव वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि ग्राम निधि खाता सं0 6486 से भुगतान/आहरित किया गया है -

क.सं.	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान का विवरण (पासबुक के अनुसार)
1	07.03.2019	12040731	21350	सेल्फ
2	07.03.2019	12040732	16100	चन्द्रमा
3	08.03.2019	12040730	74800	टीआरएफ यादव इन्ट जोग 1011000222
	योग		112250	

उक्त धनराशि को न तो कैशबुक व्यय पक्ष में प्रविष्ट किया गया है और न तो व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का दुरभिसंधि कर अपहरण कर लिया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री चन्द्रमा तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री रामतजीत पाल से किया जाना अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत- मझवा विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत मझवा विकास खण्ड- पिण्डरा, जनपद - वाराणसी की लेखा परीक्षा में चौदहवां व राज्य वित्त की धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण निम्न रहा -

क.सं.	कार्य	मजदूरी
1	कलाम के घर से हरिशर्मा के घर तक भूमिगत नाली कार्य	28350.00
2	गुलाब के घर से कैलाश के घर तक पाइप लाइन पर मजदूरी	21525.00
3	संजय चौहान के घर से मोखा के घर तक खड़न्जा कार्य	16275.00
	योग	66150.00

उपरोक्त की लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ पायी गयी -

1. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कार्य को कराये जाने का कार्ययोजना, लागत, वित्तीय स्वीकृति परिसम्पत्ति पंजिका, वर्क रजिस्टर आदि पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने के कारण उपरोक्त कार्यों पर भुगतान अपुष्टित रहा।
2. ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्य के सापेक्ष मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्य की अवधि अस्पष्ट रही साथ ही क्षेत्र में लगाये गये श्रमिकों की संख्या अज्ञात रही। अतः उक्त कार्यों पर व्यय मजदूरी अपुष्ट अपहरित रही, इसके उत्तरदायी प्रधान व सचिव रहे। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

शासनादेश संख्या- आडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के संदर्भ में एडीओ (पी) को ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 बिन्दु 7 व 13 का प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत अनिवार्य सम्प्रेक्षण की प्रतिवर्ष उपेक्षा लेखा परीक्षा में दर्शित रही। जिसके शासकीय अनुदानों के उपभोग में अपहरण का प्रकरण दृष्टिगत होता है। अतः सचिव/एडीओ

(पी) पंचायत (प्रभार) श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा व प्रधान श्री राधेश्याम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

20- ग्राम पंचायत- सहमलपुर विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-27 विकास खण्ड- पिण्डरा, जनपद- वाराणसी ग्राम पंचायत- सहमलपुर में चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त की धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों में व्यय, निर्माण नियमावली और शासनादेशों को अनदेखी करके किया गया है, जिसका विवरण निम्न है -

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	बुद्धि चौहान के चक से जिलोघर के घर तक खड़न्जा कार्य कराया गया।	27300 ईट 5.50 दर 158107.00 (धनराशि)	39500.00 (मजदूरी)	197607.00
2	पिच रोड से शारदा चौहान के घर तक खड़न्जा कार्य।	9900 ईट 5.50 दर 57622.00 (धनराशि)	16415 (मजदूरी)	74037.00
3	सहमलपुर में तालाब घेरा बन्दी।	60 पिलर 500 दर 30000.00 (धनराशि)	18655.00 (मजदूरी)	48655.00
4	लालमन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर	15800.00	00.00	15800.00
5	हैण्डपम्प मरम्मत	12700.00	00.00	12700.00
6	भैयालाल के घर से रामचन्द्र के घर तक खड़न्जा कार्य।	8550 ईट 5.77 दर 49783.00 (धनराशि)	13790.00	63573.00
			योग	412372.00

ग्राम पंचायत सहमलपुर में वर्ष 2018-19 में कराये गये निर्माण उपरोक्त कार्यों में व्यय की पुष्टि में निम्न आपत्तियां दौरान लेखा परीक्षा पायी गयी -

1. ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदित कार्ययोजना, लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। स्पष्ट है कि कार्यवाही रजिस्टर के अभाव में उपरोक्त निर्माण कार्यों की कार्ययोजना बननी ही न हो। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।
2. ग्राम सभा सहमलपुर में कराये गये निर्माण कार्यों की तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पत्रावलियां लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. ग्राम पंचायत सहमलपुर में निर्माण कार्यों के सापेक्ष कय सामग्रियों का कोटेशन व टेंडर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. उपलब्ध निर्माण पत्रावलियों के साथ परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण कार्य का औचित्य अस्पष्ट रहा।
5. प्राप्त निर्माण पत्रावलियों में सामग्री कय का बाउचर नं0 दिनांक सहित लेखा परीक्षा में प्राप्त न होने के कारण कय सामग्रियों का भुगतान अपुष्ट रहा।
6. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण निर्माण सामग्रियों का निर्माण कार्यों के सापेक्ष कितनी सामग्री की आवश्यकता है अस्पष्ट रहा।
7. ग्राम पंचायत सहमलपुर में श्रमांश व्यय के सापेक्ष मस्टररोल अपूर्ण रहा, जिससे कब से कब तक कितने श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य कराया गया का भुगतान अपुष्ट रहा।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 एवं 13 के अधीन ग्राम पंचायतों का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने के प्रति उदासीन इच्छाशक्ति उपरोक्त कराये गये निर्माण कार्यों के प्रति अपहरण दर्शित रहे, अन्तर्गत इसके सचिव राजेश कुमार एवं प्रधान सुबेदार उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

21- ग्राम पंचायत- कृष्णपुरकला विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष में दिनांक 13.08.2018 आई0डी0 संख्या- 008571 ह्यूम पाइप कय करके 53940/- का व्यय अरुन इण्टरप्राइजेज को किया गया।

इस संदर्भ में मुख्य आपत्ति यह रहा कि कहा-कहा, किन-किन जगहों पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाईपों का उपयोग होगा। कार्ययोजना, स्टीमेट कय आदेश, फोटोग्राफी, निरीक्षण, बाउचर आदि पत्रावलियों के अभाव में व्यय अपहरण रहा। इसके लिए सचिव नितिन कुमार व प्रधान मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्पमरम्मत और हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी पर व्यय का विवरण लेखा परीक्षा में निम्नवत् रहा –

दिनांक 25.05.2018	आईडी 006850	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	19000/-
दिनांक 13.06.2018	आईडी 006853	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	4140/-
दिनांक 22.06.2018	आईडी 006854	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	19000/-
दिनांक 03.07.2018	आईडी 006860	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	19000/-
दिनांक 13.08.2018	आईडी 008572	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	5140/-
दिनांक 07.03.2019	-----	हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	3900/-

योग- 70180/-

लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियां पायी गयी –

1. विभिन्न जगहों पर हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर को कार्ययोजना में न सम्मिलित करना कार्य अनियमित दर्शित रहा।
2. ग्राम पंचायत के विभिन्न जगहों पर हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर की प्रार्थना पत्र सूचना सम्बन्धी पत्रावलियां तथा सक्षम अधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावलियों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य संदिग्ध रहा।
3. हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर पर केवल मजदूरी पर धनराशि व्यय किया गया सामग्री कय आदेश के अभाव में व्यय की पुष्टि अपुष्ट रही।
4. मजदूरी का भुगतान प्रधान को किया जो आपत्तिजनक रहा।
5. लेखा परीक्षा में डेड स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा मरम्मत व रिबोर की खराब सामग्री की पुष्टि न हो सकी।
6. उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य पर मस्टररोल के अभाव में व्यय धनराशि 70180/- रु० अपहरण रहा इसके लिए सचिव नितिन कुमार व प्रधान उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-30

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में न कराये गये खड़न्जा का विवरण निम्न पाया गया –

क्र.सं.	कार्य का नाम	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय
1	देवराज के घर से सर्वजीत के घर तक खड़न्जा का कार्य दिनांक 26.06.2018	95205/- (ईट कय)	37500.00	132705
2	कब्रिस्तान गेट से रामचरण के घर तक खड़न्जा का कार्य दिनांक 21.08.2018	95205/- (ईट कय)	00.00	95205
3	प्रा०वि० में खड़न्जा व इण्टरलाकिंग दिनांक 27.09.2018 विनोद गोंड के घर से	56900/- (ईट कय)	00.00	56900
4	बिन्द पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग दिनांक 28.03.2019, 30.03.2019	61155/- (ईट कय)	00.00	61155
		21349/- (ईट कय)		21349
			योग	367314.00

उपरोक्त खड़न्जा पर निम्न आपत्ति दर्शित रही –

1. आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में कराये गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष उपरोक्त निर्माण कार्यों की कार्ययोजना कय आदेश, टेंडर व कोटेशन, स्टाफ, रजिस्टर, परिसम्पत्ति पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अभाव में केवल मात्र ईट कय का औचित्य से व्यय की पुष्टि न हो सकी।

अतः ईट कय में किया गया भुगतान राजकीय धन का अपहरण है इसके लिए सचिव नितिन कुमार व प्रधान मुख्य रूप से उत्तरदायी है। उच्चाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित है।

2. इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदन से मौखिक, टेलीफोनिय वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारी द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया गया।
3. शासनादेश संख्या- आडिट 2953/2009-101(64)2007 दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किये जा रहे लेखों की आडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एडीओ (पी) नोडल अधिकारी नामित कर

व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है परन्तु अभिलेखों को लेकर सक्षम अधिकारियों की इच्छाशक्ति उदासीन रही।

- शासनादेश संख्या-1838/133-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4 घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना के प्रति के कार्यालय में रखी जायेगी लेकिन अपने-अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 और बिन्दु-7 व 13 के अन्तर्गत पंचायत का संप्रेक्षण प्रतिवर्ष अनिवार्यता उपेक्षित रही और गबन, दुरुपयोग, गम्भीर अनियमितता का प्रकरण लेखा परीक्षा में प्रकाश में आता रहा। अतः विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

22-ग्राम पंचायत- गड़खड़ा विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पासबुक में जांच पर पाया गया कि दिनांक 21.08.2018 को ह्यूम पाइप का कय दिखाया गया जिस का विवरण निम्न है -

दिनांक	धनराशि	कैशबुक में दर्शित विवरण
21.08.2018	184140.00	विभिन्न स्थानों पर लगाने हेतु ह्यूम पाइपकय
- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत गड़खड़ा में ह्यूम पाइप कय खरीद दिखाई गई है परन्तु सामग्री कय के पूर्व टेंडर या कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। - कय सामग्री का उपयोग किन किन स्थानों पर किया गया या नहीं कैशबुक में दर्शित नहीं है साथ ही परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कय की गई ह्यूम पाइप का उपयोग किया गया या नहीं। - कय किये गये ह्यूम पाइप का बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि सामग्री वास्तव में कय की गई है अथवा नहीं। - दर्शित कय सामग्री का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ऐसे में दर्शित व्यय रु0 184140.00 लेखा परीक्षा में उक्त के अभाव में अपुष्ट एवं प्रमाणित रही है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रामआसरे एवं ग्रा0प0अ0/ग्रा0वि0अ0 श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।		

23-ग्राम पंचायत- करखियांव विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पासबुक में जांच पर पाया गया कि दिनांक 28.05.2018 को ह्यूम पाइप का कय दिखाया गया जिस का विवरण निम्न है -

दिनांक	धनराशि	कैशबुक में दर्शित विवरण
28.05.2018	173910.00	विभिन्न स्थानों पर लगाने हेतु ह्यूम पाइप कय (मॉ दुर्गा इन्टरप्राइसेस)
- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत करखियांव में ह्यूम पाइप कय खरीद दिखाई गई है परन्तु सामग्री कय के पूर्व टेंडर या कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। - कय सामग्री का उपयोग किन किन स्थानों पर किया गया या नहीं कैशबुक में दर्शित नहीं है साथ ही परिसंपत्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कय की गई ह्यूम पाइप का उपयोग किया गया या नहीं। - कय किये गये ह्यूम पाइप का बिल/बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि सामग्री वास्तव में कय की गई है अथवा नहीं। - दर्शित कय सामग्री का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ऐसे में दर्शित व्यय रु0 173910.00 लेखा परीक्षा में उक्त के अभाव में अपुष्ट एवं प्रमाणित रही है जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती बबीता एवं श्री अमित कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।		

24-ग्राम पंचायत- जाठी विकास खण्ड- पिण्डरा वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं बैंक पासबुक में जांच पर पाया गया कि दिनांक 18.03.2019 को खडंजा निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय प्रदर्शित है जिस का विवरण निम्न है -

दिनांक	धनराशि	कैशबुक में दर्शित विवरण
18.03.2019	219555.00	नहर से पूरब चौराहा तक खडंजा हेतु ईट कय
18.03.2019	67250.00	उपरोक्त खडंजा निर्माण पर मजदूरी
कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत में खडंजा पर ईट कय और मजदूरी पर भुगतान दर्शाया गया है उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् है -		

1. उपरोक्त क़य का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टररोल नहीं है।
2. उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, इस्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृत आदि का प्रमाण नहीं है।
3. दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, निरीक्षण प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, धन का उपभोग प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निर्माण का रजिस्टर, परिसंपत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे ऐसे में कार्य की एवं व्यय आदि की पुष्टि नहीं होती।
4. कार्य आरंभ कार्य प्रगति एवं कार्य की समाप्ति के दौरान ली जाने वाली छाया प्रतियां भी अनुपलब्ध रहे।

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए दर्शित व्यय की धनराशि को अप्रमाणिक मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री कमलेश एवं सचिव श्री विरेंद्र कुमार मिश्रा से की जानी अपेक्षित है।

25—ग्राम पंचायत— रघुनाथपुर विकास खण्ड— सेवापुरी वर्ष— 2018—19

प्रस्तर—34 2018—19 में हैण्डपम्प रिबोर पर निम्न विवरण अनुसार व्यय दर्शित है —

क्र. सं.	नाम स्थान	समग्री मजदूरी का भुगतान धन	चेक सं. / दिनांक	नाम संस्था / इन्वाइस नं. / दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि	कार्य समाप्ति तिथि
1	सभाजीत सिंह के घर के पास	39000.00	10006870 / 2 9.05.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 30 / 11—05.18	07.05.18	10.05.18
2	धनिराज यादव के घर के पास	36300.00	10006871 / 2 9.05.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 31 / 1 1.05.18	04.05.18	07.05.18
3	लालचंद राजभर के घर के पास	39500.00	10006868 / 2 9.05.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 29 / 1 0.05.18	28.04.18	01.05.18
4	पौंचू राजभर के घर के पास	37700.00	10006869 / 2 9.05.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 27 / 1 0.05.18	01.05.18	04.05.18
5	रामकरन राजभर के घर के पास	39500.00	10006867 / 2 9.05.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 28 / 1 0.05.18	25.04.18	28.04.18
6	राजकुमार दूबे के घर के पास	37000.00	10006874 / 2 5.06.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 43 / 2 0.05.18	16.05.18	19.05.18
7	सभाजीत राजभर के घर के पास	37700.00	10010827 / 0 3.08.18	प्रतिष्ठा इंटरप्राइजेज / 99 / 2 8.07.18	11.07.18	14.07.18
8	मुरली राभर के घर के पास	39400.00	10010829 / 0 3.08.18	प्रतिष्ठा इंटरप्राइजेज / 100 / 28.07.18	08.07.18	11.07.18
9	लाल बहादुर के दरवाजे पर	37200.00	10010828 / 0 3.08.18	प्रतिष्ठा इंटरप्राइजेज / 98 / 2 8.07.18	15.07.18	18.07.18
10	मोनू सिंह के घर के पास	38087.00	10012402 / 0 6.10.18	शिवांग इंटरप्राइजेज / 301 / 05.10.18	14.09.18	17.09.18
11	विनोद सिंह के घर के पास	36276.00	10012404 / 0 6.10.18	महादेव इंटरप्राइजेज / 04 / 0 5.10.18	22.09.18	25.09.18
12	कलदुन सिंह के घर के पास	38407.00	10012403 / 0 6.10.18	महादेव इंटरप्राइजेज / 03 / 0 5.10.18	18.09.18	31.09.18
	योग	456070.00				

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त सभी हैण्डपम्प रिबोर कार्य की समाप्ति तिथि सामग्री क़य करने के पूर्व का है। जिससे सामग्री + मजदूरी पर किये गये भुगतान की पुष्टि न की जा सकी। अतः भुगतान धन रु0 456070.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री आदर्ष दूबे व प्रधान श्री गणेश से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

26—ग्राम पंचायत— छाहीं विकास खण्ड— चिरईगांव वर्ष— 2018—19

प्रस्तर-35 संजय यादव के मशीन से चारागाह तक नया खडंजा कार्य बाउचर सं0 113 और गुलाब के खेत से चारागाह तक नया खडंजा कार्य बाउचर सं0 114

तिथि	नाम	113/II	114/III	भुगतान मजदूरी	
01.03.17-07.03.19	राजेश	1	13	1225	संलग्नक मस्टररोल 113/II और 114/III की फोटोकॉपी
	कल्लू	2	14	1225	
	नथू	3	16	1225	
	प्यारेलाल	4	17	1225	
	पत्तू	5	18	1225	
	रज्जू	6	19	1225	
	बुल्लू	7	20	1225	
	योग	7	7	8575	

उपर्युक्त दो कार्यों में 01.03.2019-07.03.2019 के दिवस विवरण के अनुसार का मजदूरी भुगतान 175 दर प्रति दिन के दर से किया गया है लेकिन एक ही तिथि/एक ही कार्यदिवस में दो कार्यों में एक मजदूर को दो जगह कार्यरत दिखाया गया है जो कि संभव नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य दिवस का सृजन कर मजदूरी की धनराशि का भुगतान कर गबन किया गया है। जिसके लिए सचिव श्री सचिव श्री रवि सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-36

हिरा यादव के घर से सीसी रोड तक खडंजा कार्य

मस्टररोल तिथि	नाम	एम0आर0 109	एम0आर0 112	भुगतान मजदूरी	
25.02.2019 से 03.03.2019 तक	जोखन	पेज II- 1	1	1225	संलग्नक मस्टररोल 109/II और 112 की फोटोकॉपी
	केरा	पेज II- 2	3	1225	
	अनिल	पेज II- 3	8	1225	
	जोकिल	पेज II- 5	2	1225	
	रमेश	पेज II- 7	7	1225	
	राजेश	पेज II- 10	9	1225	
	सुनील	एम0आर0 109/ पेज II-6 & पेज I-6		1650	
	योग	7	7	9000	

उपर्युक्त एक कार्य में 25.02.2019 - 03.03.2019 के दिवस विवरण के अनुसार मस्टररोल संख्या 109 दो पेज में और 112 एक पेज में निर्गत है। मजदूरी का भुगतान 175 दरप्रतिदिन के दर से 7 दिवस के लिए और मिस्त्री का भुगतान 330 दरप्रतिदिन की दर से 5 दिवस के लिए किया गया है लेकिन एक ही कार्य में एक ही तिथि/एक ही कार्य दिवस में एक व्यक्ति को दो बार कार्यरत प्रस्तुत किया गया है जो कि संभव नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य दिवस का सृजन कर मजदूरी की धनराशि का भुगतान कर गबन किया गया है। जिसके लिए सचिव श्री रवि सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-37

छाही में सीसी रोड व्यासपुर पक्की सड़क तक खडंजा कार्य

मस्टररोल तिथि	नाम	एम0आर0 111 /एसआर	एम0आर0 नं0 /एसआर	भुगतान मजदूरी
25.02.19 से 03.03.19 तक	जियालाल	पेज II- 8	112/5	1225
	जोकिल	पेज II- 17	109/5	1225
	रामजन्म	पेज II- 20	112/6	1225
	राजेश	पेज I- 3	109 (II)/10	1225
	दुधनाथ	पेज I- 4	109 (II)/12	1225
	रामदुलार	पेज I- 5	111 (II)/10	1225
	रामसकल	पेज I- 6	111 (II)/19	1225
	योग			8575

उपर्युक्त एक कार्य में 25.02.2019 - 03.03.2019 के दिवस विवरण के अनुसार मस्टररोल संख्या 111 दो पेज में और अन्य में निर्गत है। मजदूरी का भुगतान 175 दरप्रतिदिन के दर से किया गया है लेकिन एक ही कार्य में एक ही तिथि/एक ही कार्य दिवस में एक व्यक्ति को दो बार कार्यरत प्रस्तुत किया गया है जो कि संभव नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य दिवस का सृजन कर मजदूरी की धनराशि का भुगतान कर गबन किया गया है। जिसके लिए सचिव श्री रवि सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी उत्तरदायी है। जिनसे नियमानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 दर्दतरा वीर बाबा से पक्की सड़क तक खडंजा कार्य

मस्टररोल तिथि	नाम	एम0आर0 17 पेज 2	एम0आर0 17 पेज 1	भुगतान मजदूरी	
11.08.2018 से 17.08.2018 तक	देवी	1	1	1225	संलग्नक मस्टररोल 17 पेज 1 और 2 की फोटो कॉपी
	शिवपूजन	2	2	1225	
	कन्हैया	3	3	1225	
	चन्नर	4	4	1225	
	राजकुमार	5	6	1225	
	अजय	6	7	1225	
	बच्चे लाल	7	8	1225	
	पप्पू	8	9	1225	
	गौरी	9	10	1225	
	बबलू	10	11	1225	
	मोहन	11	12	1225	
	हौसला	12	13	1225	
	दिलीप	13	14	1225	
	रामधारी	14	15	1225	
	शोभनाथ	15	16	350	
	योग	15		17500	

उपर्युक्त एक कार्य में 11.08.2018 – 17.08.2018 के दिवस विवरण के अनुसार मस्टररोल संख्या 17 दो पेज है। मजदूरी का भुगतान 175 दरप्रतिदिन के दर से किया गया है लेकिन एक ही कार्य में एक ही तिथि एक ही कार्य दिवस में एक व्यक्ति को दो बार कार्यरत प्रस्तुत किया गया है जो कि सम्भव नहीं है। स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से कार्य दिवस का सृजन कर मजदूरी की धनराशि का भुगतान कर गबन किया गया है। जिसके लिए सचिव श्री रवि सिंह और ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी उत्तरदायी है। जिनसे निमयानुसार ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

उपर्युक्त आपत्ति संख्या 2 से 5 तक के संदर्भ में मजदूरी के भुगतान में एक व्यक्ति को एक ही कार्य दिवस में अलग अलग और एक कार्य में दो बाद उपस्थित होकर कार्य करते हुए दर्शाकर मजदूरी का कुल रुपये 43650.00 का फर्जी भुगतान दर्शाकर गबन किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव उत्तरदायी है। जिनसे ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन का मत है कि ग्राम पंचायत के द्वारा उपर्युक्त निर्माण कार्य और उन पर व्यय दर्शित है वो अनियमित है। इस प्रकार कुल रुपये 43650.00 ग्राम निधि प्रथम से आहरित कर अपहरण कर लिया गया है। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8-क के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत उत्तरदायी है। इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी से 21825.00 और सचिव श्री रवि सिंह से 21825.00 किया जाना अपेक्षित है।

27-ग्राम पंचायत- व्यासपुर विकास खण्ड- चिरईगांव वर्ष- 2018-19

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत में आलोच्य वर्ष में अधोलिखित भुगतान से हैण्डपम्प मरम्मत के कार्य कराये गये है -

	बाउ.	वर्क आई0डी0	धनराशि	मद	चेक दिनांक	चेक संख्या	नग	सचिव
अ	5 1	8922487	15168 4830	सामग्री मजदूरी	19.07.18 13.07.18	11092 11093		हेमंत
ब	4 2	8922486	15050 4830	सामग्री मजदूरी	19.07.18 13.07.18	11094 11095		हेमंत
स	15 11	8922534	15140 4830	सामग्री मजदूरी	23.08.18 16.08.18	11106 11107		हेमंत
द	52 51	8922488	14660 4960	सामग्री मजदूरी	20.02.19 20.02.19	26920 26919	8	रामअवतार
य	54 53		14180 5580	सामग्री मजदूरी	22.02.19 22.02.19	26922 26921	9	रामअवतार
श्री हेमंतलाल श्रीवास्तव			59848	50% प्रधान	29924	50% सचिव	हेमंतलाल	

श्री रामअवतार यादव	39380	50% प्रधान	19690	50% सचिव रामअवतार	
सम्पूर्ण योग	99228	योग प्रधान	49614		

1. हैण्डपम्प मरम्मत के सन्दर्भ में कार्यस्थल का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। स्पष्ट है बिना कार्यस्थल के कार्य होने की सम्भावना होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
2. हैण्डपम्प मरम्मत के संबंध में हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थल के हैण्डपम्प खराब थे जिनपर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री और मजदूरी के उपभोग के लिए किया गया।
3. उपर्युक्त के भुगतान सम्बन्धी प्रमाणक भी वर्तमान सचिव के द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। फलतः कार्य के पूर्ण अपूर्ण और गुणवत्ता की स्थिति अज्ञात रही।
5. शासनादेश संख्या आर0जी0एस0ए0/1972019-4/379/2015 लखनऊदिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अन्तर्गत तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/- या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक की ग्रुप आई डी विकसित कर कार्य कराया गया है।
6. पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी.आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि क्या यह अनुमति ली गई या नहीं। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के क्रम में उपर्युक्त भुगतान अपुष्ट रहे और गम्भीर अपहरण की गई है जिसके लिए तत्कालीन सचिव और ग्राम प्रधान उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम प्रधान को अधोलिखित विवरण से मानदेय का भुगतान किया गया है -

बाउ.नं.	वर्क आई0डी0	धनराशि	चेक दिनांक	चेक संख्या	विवरण
24	2484	77000.00	02.11.2018	11115	22 माह
67		17500.00	19.03.2019	26931	5 माह (अक्टूबर 18-फरवरी 19)
योग		94500.00			

पंचायत राज अनुभाग-1 के आदेश संख्या 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के बिन्दु 2अ के अनुसार ग्राम प्रधान का मानदेय 2500/- रुपये से बढ़ाकर रुपये 3500/- मासिक किया गया जिसका भुगतान ग्राम निधि प्रथम से किया जा रहा है लेकिन मासिक भुगतान हेतु पंजिका का निर्माण नहीं किया गया है। फलतः आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षों में दिये गये मानदेय और वर्तमान में बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका। इस सन्दर्भ में मानदेय दिये जाने में दुहराव संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में 22 माह तक मानदेय रोककर क्यों रखा गया है और एक वर्ष में कुल 27 माह के मानदेय के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह सम्पूर्ण भुगतान बैंक स्टेटमेंट के अनुसार सचिव के द्वारा कैश चेक पेड टू सेल्फ की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। प्रधान का भुगतान प्रधान को किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार कुल रुपये 94500.00 के भुगतान अपुष्ट रहे। जिसके लिए तत्कालीन सचिव उत्तरदायी है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 अधोलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये गये हैं -

	बाउ.	वर्क आई0डी	धनराशि	चेक संख्या	दिनांक	कार्य का नाम (एम/डब्लू)	सचिव
अ	7	8922495	197410.00	111096	27.07.2018	स्ट्रीट लाइट स्थापना	हेमंत श्रीवास्तव
	35	5978	197318. 00	11132	04.01.2019	स्ट्रीट लाइट स्थापना	रामअवतार
ब	16	2496	196218.00	11108	24.08.2018	सोलर लाइट स्थापना	हेमंत श्रीवास्तव
स	40	4562	248330.00	26908	30.01.2019	डस्टबीन स्थापना	रामअवतार
द	34		185141. 00	11131	18.12.2018	मुख्य खड्जा खोटी दया के	
	33	2492	47550.00	11130	16.12.2018	चक से श्री प्रकाश से होते हुए गुलाब गौड़ के घर तक	

						खडंजा निर्माण	राम अवतार
य	68	2485	19300.00	26930	14.03.2019	प्रशासनिक कार्य हेतु	राम अवतार
श्री हेमंतलाल श्रीवास्तव			393628.00	50% प्रधान	196814.00	50% सचिव हेमंतलाल	196814.00
श्री राम अवतार यादव			697639.00	50% प्रधान	348819.50	50% सचिव रामअवतार	348819.50
सम्पूर्ण योग			1091267.00	योग प्रधान	545633.50		

उपर्युक्त व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि अपेक्षित थी। जिसके फलस्वरूप वर्ष दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त उपभोग/व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। पत्रावली और व्यय प्रमाणकविहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत तथा यह भी कि खंड 8 के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है।

उपर्युक्त रुपये 1091267.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सिम्पल तिवारी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी है।

नियमानुसार आवश्यक ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सिम्पल तिवारी 545633.50 और श्री हेमंतलाल श्रीवास्तव से 196814.00 रुपये की और श्री रामअवतार यादव 348819.50 से रुपये की अपेक्षित है।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

प्रारूप-4

जनपद -भदोही

मण्डल का नाम विन्ध्याचल

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियों

ग्राम पंचायत का नाम ताल सुपैला विकास खण्ड सुरियावाँ जिला भदोही

प्रस्तर 01-खडंजा मेन रोड से राजेन्द्र के घर तक खण्डजा

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
21.02.19	45500	पंकज ईट उोग	ईट
20.02.19	7100	प्रधान	मजदूरी
योग	52600		

मेन रोड से विजय सिंह के घर तक खडंजा

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
27.02.19	39375	आर एस डी ईट उोग	ईट
26.02.19	6390	प्रधान	मजदूरी
योग	46765		

- 1- सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।
- 2-सामग्री की मात्रा एवं दर तथा खडंजे की लम्बाई व चौड़ाई भी अप्राप्त रही
- 3-कार्य की एमवी अप्राप्त रही
- 4- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य अपूर्ण की स्थिति रही ।
- 5- कार्य के सापेक्ष मजदूरी सम्बन्धित व्यय प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु मस्टर रोल अप्राप्त रहा
- 6- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 एवं शा0स0 ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में 20000 से अधिक और एक लाख तक कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही इस लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना है अथवा नहीं यह स्थिति भी अज्ञात है।
- 7-खण्डजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आकलन सीट/ स्टीमेंट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार कोटेशन की प्रक्रिया के पालन किए जाने के कारण स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने के कारण तथा आकलन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवाने के कारण रु0 99365 की वित्तीय अनियमिता की गयी है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 02—ग्राम पंचायत ताल सुपैला हैण्ड पम्प मरम्मत निम्न विवरणानुसार हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है।

दिनांक	राशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
15.11.2018	36500	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री	बुद्धम विल्डिग मटेरियल
19.11.2018	11915	मजदूरी	प्रधान पुष्पा देवी
13.02.19	36502	हैण्ड पंप मरम्मत सामग्री	बुद्धम विल्डिग मटेरियल
18.02.19	11919	मजदूरी	प्रधान पुष्पा देवी
योग	96836		

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1—सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
 - 2—कार्य की एमवी अप्राप्त रही
 - 3—हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा
 - 4—कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
 - 5—कार्य के सापेक्ष मजदूरी सम्बन्धित व्यय प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु मस्टर रोल अप्राप्त रहा
 - 6— वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 एवं शा0स0 ए—1—864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क़य करने में 20000 से अधिक और एक लाख तक कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं रही इस लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना है अथवा नहीं यह स्थिति भी अज्ञात है।
 - 7— उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबन्ध समिति कि संस्तुति नहीं ली गयी है जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित है।
- इस प्रकार हैण्डपंप मरम्मत के मद में बिना व्यय प्रमाणको के तकनीकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के तथा कोटेशन की प्रक्रिया के पालन किए बिना ही रु0 96836.00 का व्यय कर के वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री योगेन्द्र सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-03 ग्राम पंचायत ताल सुपैला हैण्डपंप रिबोर निम्न विवरणानुसार धन व्यय किया गया है।

दिनांक	राशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता
24.05.18	20560	अमरनाथ का हैण्डपम्प रिबोर	आरव हाईवेयर
29.5.18	9040	अमरनाथ का हैण्डपम्प रिबोर बकाया	आरव हाईवेयर
28.5.18	29630	दया शंकर का हैण्डपम्प रिबोर बकाया	आरव हाईवेयर
13.02.18	20020	राम लोलारख का हैण्डपम्प रिबोर सामग्री	सरस्वती पंप
12.02.19	9940	राम लोलारख का हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी	प्रधान

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1—सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2—कार्य की एमवी अप्राप्त रही
- 3—हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा
- 4—कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही
- 5— ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप रिबोर सामग्री क़य किया जाना कोशांकित है परन्तु उक्त मद की क़य सामग्री की प्रविष्टि न तो स्टाक रजिस्टर में किया गया है। न ही हैण्डपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इन्द्राज डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर में किया गया है। हैण्डपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाये जाने के कारण क़य सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से और आगणन सीट तैयार कर क़य की पुष्टि न करवा के रु0 89190 की वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए श्रीमती पुष्पा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री योगेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-4 ग्राम पंचायत ताल सुपैला में स्ट्रीट लाइट पर किया गया व्यय निम्नलिखित है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
16.03.19	99000	स्वामी इंटरप्राइजेज	स्ट्रीटलाइट क़य

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1—स्ट्रीट लाइट सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

- 2- स्ट्रीट लाइट पर किए गये व्यय के सापेक्ष कोई भी एमवी प्राप्त नहीं हुयी ।
- 3-इससे सम्बन्धित टेन्डर की आवश्यक प्रक्रिया कि कोई भी पत्रावली प्राप्त नहीं हुयी ।
- 4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
- 5- यह भी अज्ञात है कि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर यह लगाए गये हैं अथवा नहीं और यदि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाए गए हैं तो पुराने स्ट्रीट लाइट के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही है।
- 6- स्ट्रीट लाइट किन स्थानों पर लगाए गए हैं यह भी अज्ञात है।
- 7- स्ट्रीट लाइट के लाभार्थी कौन हैं यह भी अज्ञात है।
- 8-आलोच्य वर्ष में रु0 99000के स्ट्रीट लाइट की खरीद की गयी है किन्तु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है क्रय दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी है और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है इस प्रकार भण्डार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रु0 99000 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं श्री योगेन्द्र सिंह विकास अधिकारी संयुक्त रूप उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम जगतीपुर विकास खण्ड सुरियावाँ जिला भदोही

प्रस्तर-5 निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत जगतीपुर के खाते से धन का आहरण किया गया है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
11.05.18	19875	राम कुमार	मजदूरी (पीच रोड से गजराज के घर तक खण्डजा
04.06.18	19995	कंचन कुमार	मजदूरी शोक पीठ निर्माण
17.10.18	11825	कंचन कुमार	मजदूरी स्नानघर
17.10.18	14200	कंचन कुमार	मजदूरी
05.11.18	44200	कंचन कुमार	हैण्डपम्प मरम्त सामग्री
22.11.18	11360	कंचन कुमार	मजदूरी
07.12.18	11445	कंचन कुमार	मिट्टी क्रय हैण्ड पंप चबूतरा
10.12.18	8575	कंचन कुमार	मजदूरी हैण्ड पंप चबूतरा
11.1.19	19995	कंचन कुमार	मजदूरी स्नानघर
12.03.19	19995	कंचन कुमार	मजदूरी नाली निर्माण
18.03.19	19995	कंचन कुमार	मजदूरी नाली निर्माण
25.03.19	19875	कंचन कुमार	मजदूरी अनु0 बस्ती में खण्डजा
30.03.19	34665	संतारा देवी प्रधान	हैण्डपम्प मरम्त सामग्री
30.03.19	33000	कंचन कुमार	मजदूरी स्नानघर

योग 289000.00

- 1-सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।
 - 2-'कार्य की एमवी अप्राप्त रही ।
 - 3-मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।
 - 4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही
 - 5- उपरोक्त कार्य में श्री कंचन को 12 मदों में जबकि राम कुमार को एक मद में ग्राम पंचायत के खाते से अनधिकृत रूप से धन का भुगतान किया गया है। तथा प्रधान द्वारा 30.03.19 को रु0 34665 का आहरण कर हैण्डपंप सामग्री क्रय की गयी है। सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जाना चाहिए ।
- इस प्रकार व्यय प्रमाण को एवं अन्य पत्रों के आभाव में तथा अनाधिकृत व्यक्तियों को धन का भुगतान कर के रु0 289000 का उपभोग तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संतरा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजनाथ द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। इस प्रकार रु0 289000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-06

जगतीपुर में हैण्डपंप रिबोर निम्न विवरणानुसार पर धन व्यय किया गया है।

दिनांक	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कार्य का नाम
26.11.18	30200	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	सूर्यवली का हैण्डपंप रिबोर
26.11.186	31200	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	राजेन्द्र का हैण्डपंप रिबोर
26.11.18	29500	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	पंचू का हैण्डपंप रिबोर
26.11.18	31500	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	शिव मन्दिर का हैण्डपंप रिबोर
07.02.19	29500	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	हैण्डपंप रिबोर का स्थान अज्ञात
योग	151900.00		

उक्त विवरण से संबन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

1-सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2-कार्य की एमवी अप्राप्त रही ।

3-दिनांक 7.02.19 को कराए गए हैण्डपंप का स्थान अज्ञात रहा ।

4-हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभधियों का विवरण अप्राप्त रहा ।

5-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही ।

6- ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोशांकित है परन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि न तो स्टाक रजिस्टर में किया गया है। न ही हैण्डपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इन्द्राज डिस्पोजल स्टाक रजिस्टर में किया गया है। हैण्डपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवाने के रु0 151900 की वित्तीय अनियमितता किया गया है। जिसके लिए श्रीमती संतरा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राज नाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

ग्रा0पं0जगतीपुर मे स्ट्रीट लाइट पर किया गया व्यय निम्नलिखित है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
26.11.18	135000	जय श्री महाकाल इंटरप्राइजेज	स्ट्रीटलाइट क्रय

उक्त विवरण से संबन्धित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

1-स्ट्रीट लाइट सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2- स्ट्रीट लाइट पर किए गये व्यय के सापेक्ष कोई भी एमवी प्राप्त नहीं हुयी ।

3-इससे सम्बन्धित टेन्डर की आवश्यक प्रक्रिया कि कोई भी पत्रावली प्राप्त नहीं हुयी ।

4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही ।

5- यह भी अज्ञात है कि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर यह लगाए गये हैं अथवा नहीं और यदि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाए गए हैं तो पुराने स्ट्रीट लाइट के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही है।

6- स्ट्रीट लाइट किन स्थानों पर लगाए गए हैं यह भी अज्ञात हैं।

7- स्ट्रीट लाइट के लाभार्थी कौन हैं यह भी अज्ञात है।

8-आलोच्य वर्ष में रु0 135000 के स्ट्रीट लाइट की खरीद की गयी है किन्तु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है क्रय दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी है और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है इस प्रकार भण्डार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रु0 135000 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। है। जिसके लिए श्रीमती संतरा देवी ग्राम प्रधान एवं श्री राज नाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम सिंहपुर विकास खण्ड सुरियावाँ जिला भदोही

प्रस्तर-8

निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत के खाते से धन का आहरण किया गया है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
30.03.19	19875	अनिल कुमार	रोड से प्रा0 वि0 के गेट तक खडजा मजदूरी
30.03.09	40400	राजेश	चौरा माता से फूलचंद के घर तक खण्डजा मजदूरी
11.05.18	19875	जय श्री महाकाल इंटर प्रा0	चौरा माता से नन्हे लाल कुवाँ तक खडजा मजदूरी
14.05.18	11000	सर्वेश कुमार मिश्र	सर्वेश कुमार मिश्रा का हैण्डपंप रिबोर
22.5.18	20000	राज नाथ	सर्वेश कुमार मिश्रा का हैण्डपंप रिबोर
11.5.18	19875	राज नाथ	करियावाँ रोड से प्रा0 वि0 सिंहपुर तक खडजा की मजदूरी
19.03.19	19995	राजनाथ	प्रा0 वि0 बाउंडी निर्माण मजदूरी
योग	151020		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

2-कार्यपूर्ति एवं कार्य की एमवी अप्राप्त रही ।

03- 30.03.19 को होने वाले खण्डजा निर्माण में मजदूरी का भुगतान अनाधिकृत रूप व्यक्तियों अनिल कुमार तथा राजेश कुमार को किया गया है। 11.5.18 को होने वाली खडजा निर्माण की मजदूरी का भुगतान जय श्री महाकाल इण्टर प्राइजेज को किया गया है। जो भण्डार कय नियमों के विरुद्ध है।

14-05-2018 को सर्वेश कुमार मिश्रा के हैंडपंप रिबोर का भुगतान स्वयं सर्वेश कुमार को किया गया है।

22.05.18 ,11.05.18 एवं 19.03.19 को होने वाले कार्यों में मजदूरी एव सामग्री का भुगतान स्वयं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ ने अपने पक्ष में किया है।

उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एव ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रु0 151020 का भुगतान काल्पनिक रूप से कैशबुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 151020 की वसूली ग्राम प्रधान उशा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उशा देवी द्वारा ग्राम पंचायत के खाते से निम्न विवरण अनुसार धन का आहरण किया गया है।

दिनांक	राशि	कृतकार्य
14.6.18	22750	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
27.09.18	20000	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
16.10.19	17530	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
26.10.19	11360	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी
26.10.19	11360	हैण्डपंप मरम्मत मजदूरी
12.11.18	20000	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
योग	103000	

1-सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2- रु0103000 का आहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उशादेवी द्वारा स्वयं किया गया है।

3- भण्डार कय नियमों का पालन नहीं किया गया है।

4- कार्यपूर्ति एव कार्य की एमवी अप्राप्त रही।

5- उक्त कार्य पर व्यय की स्वीकृति से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गयी है जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेख प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्ताव के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति की जानी अपेक्षित है।

6- हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण भी प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एव ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रु0 103000 का भुगतान काल्पनिक रूप से कैशबुक में दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 103000 की वसूली ग्राम प्रधान उशा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राजनाथ से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम जमुनीपुर अठगवॉ विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही

प्रस्तर-10 निम्न विवरण अनुसार सोलर लाइट कय किया गया है-

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
1-05-2018	192600	मेसर्स जय बजरंग सुपर	सोलर लाइट 09 नग
1-05-2018	192600	मेसर्स जय बजरंग सुपर	सोलर लाइट 09 नग
योग	385200.00		

8-आलोच्य वर्ष में रु0 385200 के सोलर लाइट मेसर्स जय बजरंग सुपर की खरीद की गयी कैशबुक में दर्शित है। ग्राम पंचायत सिर्फ यूपी नेडा से ही सोलर लाइट कय कर सकती है। यूपी नेडा द्वारा सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार कय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1-सोलर लाइट सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2- सोलर लाइट पर किए गये व्यय के सापेक्ष कोई भी एमवी प्राप्त नहीं हुयी ।

3-ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट कय करने में यूपी नेडा को पूरी तरीके से नजरअंदाज करके भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक दामो पर सोलर लाइट कय कर के रु 385200 की वित्तीय अनियमितता की गयी है।

4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

6- सोलर लाइट किन स्थानों पर लगाए गए हैं यह भी अज्ञात हैं।

7- सोलर लाइट के लाभार्थी कौन हैं यह भी अज्ञात है।

अतः एवं उक्त कार्य में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है। इस प्रकार ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री श्रीधर पाल ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
प्रस्तर-11 स्ट्रीट लाइट पर किया गया व्यय निम्नलिखित है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
1.5.18	180000	मेसर्स जय बजरंग सुपर	स्ट्रीट लाइट 40 नग
1.5.18	180000	मेसर्स जय बजरंग सुपर	स्ट्रीट लाइट 40 नग
1.5.18	180000	मेसर्स जय बजरंग सुपर	स्ट्रीट लाइट 40 नग
योग	540000.00		

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1-स्ट्रीट लाइट सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2- स्ट्रीट लाइट पर किए गये व्यय के सापेक्ष कोई भी एमवी प्राप्त नहीं हुयी।
- 3-इससे सम्बंधित टेन्डर की आवश्यक प्रक्रिया कि कोई भी पत्रावली प्राप्त नहीं हुयी।
- 4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
- 5- यह भी अज्ञात है कि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर यह लगाए गये हैं अथवा नहीं और यदि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाए गए हैं तो पुराने स्ट्रीट लाइट के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही है।

6- स्ट्रीट लाइट किन स्थानों पर लगाए गए हैं यह भी अज्ञात है।

7- स्ट्रीट लाइट के लाभार्थी कौन हैं यह भी अज्ञात है।

8-आलोच्य वर्ष में ₹0 540000 के स्ट्रीट लाइट की खरीद की गयी है किन्तु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है क्रय दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी हैं और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है इस प्रकार भण्डार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में ₹0 540000.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए श्रीमती कलावती देवी ग्राम प्रधान एवं श्री श्रीधर पाल ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-12 निर्माण सामग्री पर काल्पनीक व्यय आलोच्य वर्ष में शोक पीट निर्माण हेतु विभिन्न तिथियों में ईट, सरियों क्रय हेतु आनंद ईट उोग एवं मुन्ना विल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया है। उसी शोक पीट निर्माण में गिट्टी एवं बालू क्रय हेतु निम्न विवरण अनुसार व्यय किया गया है।

दिनांक	भुगतान राशि	भुगतान प्राप्तकर्ता	कृत कार्य
16.05.18	100000	वीआईपी फर्नीचर	शोक पीट के लिए गिट्टी बालू
16.05.18	20560	वीआईपी फर्नीचर	शोक पीट के लिए गिट्टी बालू
योग	120560		

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1-गिट्टी एवं बालू हेतु वीआईपी फर्नीचर को भुगतान किया गया है। जो की विरोधाभास है।

02- उक्त व्यय की गई धनराशियों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

03- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर पर सामग्री से बेमेल एजेंसी को भुगतान कर व्यय की धनराशि अपने पक्ष में उपभोग किया गया है अतः ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से ₹0 120560 उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम पीपर गॉव विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर-13 आलोच्य वर्ष में ₹0 192000.00 का स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	फर्म जहा से क्रय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
14.04.2018	96000	860733	विजय ट्रेडर्स
18.04.2018	96000	460734	विजय ट्रेडर्स
योग	192000		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कैश बुक एवं स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि ₹0 192000.00 विजय ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। परन्तु क्रय से सम्बंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

2- भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफ़िपक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क़य की गयी है ।

3-क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फ़र्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क़य कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नाम किया गया है। इस प्रकार भण्डार क़य नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क़य नियमों का पालन किये बिना रू0 192000 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि के वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री सीता राम सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम जगदरी विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर-14 आलोच्य वर्ष में रू0 240000.00 का स्ट्रीट लाइट क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फ़र्म जहा से क़य किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
15.05.18	72000	001982	विजय ट्रेडर्स
17.5.18	72000	001983	विजय ट्रेडर्स
27.08.18	96000	001999	विजय ट्रेडर्स
योग	240000		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कैश बुक एवं स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रू0 240000. विजय ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क़य की गई है। परन्तु क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफ़िपक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क़य की गयी है ।

3-क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फ़र्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क़य कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नाम किया गया है। इस प्रकार भण्डार क़य नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5. एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क़य नियमों का पालन किये बिना रू0 240000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि के वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरोज देवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम रामपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर-15 आलोच्य वर्ष में रू0 1152000.00 का स्ट्रीट लाइट क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फ़र्म जहा से क़य किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
27.07.18	192000	63053	विजय ट्रेडर्स
27.07.18	192000	63051	विजय ट्रेडर्स
14.8.18	192000	63059	विजय ट्रेडर्स
24.8.18	96000	63065	
योग	672000		
30.7.18	144000	63058	मॉ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स
13.8.18	144000	63060	मॉ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स
24.8.18	96000	63064	मॉ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स
31.1.19	96000	63086	मॉ विन्ध्यवासिनी ट्रेडर्स
योग	480000		
महा योग	1152000		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कैश बुक एवं स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रू0 672000 विजय ट्रेडर्स एवं 480000 मॉ विन्ध्यवासिनी से स्ट्रीट लाइट क़य की गई है। परन्तु क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफ़िपक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क़य की गयी है ।

3—क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी है न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4—जिस फ़र्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क़य कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नाम किया गया है। इस प्रकार भण्डार क़य नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क़य नियमों का पालन किये बिना रू0 1152000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि के वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री रमेश कुमार सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सरोज से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम सागरपुर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही

प्रस्तर—16 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 28.09.18 को कोशवही के अनुसार रू0 18533.00 हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है। किन्तु रू0 18533 के सापेक्ष लेखा परीक्षामें व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यय कि पुष्टि न की जा सकी हैण्डपम्प रिबोर से सम्बन्धित कार्यस्थल प्रस्ताव एवं अनुमोदन से सम्बन्धित प्रमाणक भी अप्राप्त रहे अतः उक्त व्यय कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रू0 18533.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 18533 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फुलवासी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री कैलाश से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 5)

ग्राम पंचायत का नाम मसूधी विकास खण्ड अभोली जिला भदोही

प्रस्तर—17 वर्ष 2017—18 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 02.1.18 को बैंक खाता से रू0 20000.00 आहरित किया गया है। किन्तु य0 20000.00 आहरित धनराशि को कोशवही के आय पक्ष में वर्ष पर्यन्त दर्शित नहीं किया गया है। आय पक्ष में बैंक से आहरित धनराशि दर्शित न कर के धन का अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 20000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरि एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गणेश राय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 5)

ग्राम पंचायत का नाम नीवी विकास खण्ड अभोली जिला भदोही

प्रस्तर—18 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 31.01.19 को कोशवही के अनुसार रू0 32500.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है। किन्तु रू0 32500.0 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यय कि पुष्टि न की जा सकी हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित कार्यस्थल प्रस्ताव एवं अनुमोदन से सम्बन्धित प्रमाणक भी अप्राप्त रहे अतः उक्त व्यय कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रू0 32500.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 32500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गणेश राय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 8)

ग्राम पंचायत का नाम सदौवपुर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही

प्रस्तर—19 वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया की दिनांक 15.10.18 को कोशवही के अनुसार रू0 42290.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क़य पर व्यय दर्शित है। किन्तु रू0 42290.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा जिससे व्यय कि पुष्टि न की जा सकी हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित कार्यस्थल प्रस्ताव एवं अनुमोदन से सम्बन्धित प्रमाणक भी अप्राप्त रहे अतः उक्त व्यय कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रू0 42290.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः रू0 42290.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शर्मिला एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गणेश राय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 8)

ग्राम पंचायत का नाम कोम विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर—20 निम्न विवरणानुसार खडजा मरम्मत हेतु ईट पर व्यय किया गया दर्शित है।

दिनांक	मद	धनराशि
19.4.18	डेल्टा ईट जोग को ईट क़य का भुगतान	52000
24.4.18	मजदूरी	19950
योग		7195.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1— ईट सामग्री क़य से सम्बन्धी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें

2— कार्यवाही रजिस्टर में भी मदवार व्यय की पुष्टि नहीं करायी गयी

3-सामग्री व्यय के कोटेशन नहीं लिए गए हैं।

4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा

5- मस्टर रोल पर मजदूरों के अगूठे के निशान/ हस्ताक्षर नहीं पाये गये

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है की पूरी धनराशि रु0 71950.00 का व्यय करके काल्पनिक रूप से कैशबुक में दर्शित करके तात्कालिक ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अवध नारायण द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रु0 71950.00/की वसूली ग्राम प्रधान हरिश्चन्द्र यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अवध नारायण से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 25)

ग्राम पंचायत का नाम पिपरिस विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-21 निम्न विवरणानुसार हैण्डपंप सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय किया गया दर्शित है।

दिनांक	मद	धनराशि
27.09.18	गुरुदास हार्डवेयर को सामग्री क्रय का भुगतान	38200
27.09.18	हैण्डपंप मजदूरी	9975.00
योग		48175.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1-सामग्री क्रय से सम्बन्धी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें।

2- कार्यवाही रजिस्टर में भी मदवार व्यय की पुष्टि नहीं करायी गयी।

3-सामग्री व्यय के कोटेशन नहीं लिए गए हैं।

4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

5- मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहें।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है की पूरी धनराशि रु0 48175.0 / का व्यय करके काल्पनिक रूप से कैशबुक में दर्शित करके तात्कालिक ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण चौबे द्वारा अपहरण किया गया है। अतः रु0 48175.00की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता यादव तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री रुण चौबे से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 25)

ग्राम पंचायत का नाम अहमदपुर फुलवरियों विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत अहमदपुर फुलवरियों की वर्ष 2018- 19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण /दु0/ग0 अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

1- ग्राम पंचायत अहमदपुर फुलवरियों में दिनांक 12.03.2019 को सोलर लाइट निर्माण कार्य हेतु राधा इण्टर प्राइजेज से सोलर लाइट क्रय पर रु0 398000.00 व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। सामग्री क्रय नेडा द्वारा निर्धारित ऐजन्सी से नहीं किया गया है। निर्धारित ऐजन्सी से सामग्री क्रय न कर के तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर के उक्त धनराशि का उपभोग तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना जायसवाल द्वारा अपने पक्ष में कर लिया प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त धनराशि में से 199000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना जायसवाल तथा 199000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 19)

ग्राम पंचायत का नाम डोमनपुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत डोमनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये

ग्राम पंचायत डोमनपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में देखा गया कि दिनांक 03.05.18 को नाली निर्माण हेतु ईट क्रय पर भुगतान रु0 20000.00 कैशबुक में दर्शित है।

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ हैं।

क- ईट क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

ख- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा।

ग- नाली का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ कैशबुक में अंकित नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि नाली निर्माण हेतु रु0 20000.00 का ईट क्रय कैश बुक में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित करके धन का अपहरण तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में किया गया है।

अतः उक्त धन में से रु0 10000.00 ग्राम प्रधान श्री प्रदीप यादव एवं रु0 10000.00 तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप बिन्द से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 19)

ग्राम पंचायत का नाम सोनहर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत सोनहर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण /दु0/ग0 अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आये है
लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया कैशबुक में दर्शित है।

दिनांक	मद	धनराशि
25.02.19	विवेक इण्टर प्राइजेज को ईट का भुगतान	100000.00
26.02.19	लालता के घर से मेन नाला होते हुए जगदम्बा के घर तक नाली निर्माण हेतु वंदना इण्टर प्राइजेज सीमेंट ईट का भुगतान	108000.00
26.02.19	वंदना इण्टर प्राइजेज सीमेंट ईट का भुगतान	81000.00
योग		289000.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे

2- कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहा

3-स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

4- सामग्रियों का उपयोग नाली निर्माण में कब किया गया के सन्दर्भ में जानकारी न हो सकी

5- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी अप्राप्त रहा।

इस प्रकार व्यय प्रमाणको रहित उक्त व्यय कि धनराशि अनियमित रही। उक्त की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बन्दना जायसवाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री लक्ष्मण कुमार से आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

सक्षिप्त विवरण

1- ग्राम पंचायत अधिकारी 144500.00

2- ग्राम प्रधान 144500.00

योग 289000.00

ग्राम पंचायत का नाम मुंसीलाटपुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-25 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा वर्ष में कुल कैशबुक अवलोकन से ज्ञात हुआ की दिनांक 17.10.18 को श्रद्धा इण्टरप्राइजेज चेक संख्या 445151 द्वारा रु0 184000.00 हयूम पाइप 32 नग क्रय करने हेतु दिया गया उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2- शासनादेश संख्या ए-1-8664/दस -08 -15 1 /86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार 100000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेन्डर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए श्रद्धा इण्टरप्राइजेज से हयूम पाइप क्रय किया गया है। टेन्डर आमंत्रित न किये जाने से ग्राम पंचायत को सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है

इस प्रकार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से मनमाने दरों पर 184000.00 मूल की हयूम पाइप क्रय कर के अनियमिता बरती गयी है जिसके लिए प्रधान श्री पुनम राय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अवध नारायण उत्तरदायी रहे हैं। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 19)

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत मूसीलाटपुर में आलोच्य वर्ष से सोलर लाइट क्रय पर निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी हैं

दिनांक	फर्म का नाम	नगो की संख्या	धनराशि
13.02.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	729120
18.2.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	29120
25.02.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	29120
5.03.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	29120
26.03.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	29120
28.03.19	मों विन्वासिनी इण्टर प्राइजेज	28	29120

इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कुल 168 नग सोलर लाइट रु0 4374720 मनमाफिक एजेन्सी से क्रय की गयी है जबकि ग्राम पंचायतें सिर्फ यू0पी0 नेडा से ही सोलर लाइट क्रय कर सकी है यू0पी0 नेडा द्वारा सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय करने में यू0पी0 नेडा पूरी तरह नजरअंदाज कर भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट क्रय कर के रु0 4374720 की वित्तीय अनियमिता की गयी है। जिसके लिए है जिसके लिए प्रधान श्री पुनम राय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

श्री अवध नारायण उत्तरदायी रहे है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
(सा0आ0स 19)

ग्राम पंचायत का नाम चकबसूही विकास खण्ड भदोही जिला भदोही

प्रस्तर-27 आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा वर्ष में कुल कैशबुक अवलोकन से ज्ञात हुआ की दिनांक 29.05.2018 को बन्दना इण्टरप्राइजेज रु0 135000 स्ट्रीट लाइट क्रय करने हेतु दिया गया उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2- कितने नग स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया अस्पष्ट रहा स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है क्रय दरे न सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है। और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी तकनीकी स्वीकृति ली गयी है जिस फर्म से उक्त लाइट क्रय की गयी उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकारार नाम किया गया है।

इस प्रकार भण्डार क्रय नियमों एवं विना व्यय प्रमाणको एव भण्डार क्रय नियमों का आदि का उल्लघन करते हुए उक्त मद में रु0 135000.00 व्यय कर के वि0 अनियमितता की गयी है जिसके लिए जिसके लिए प्रधान श्रीमती नेहा मिश्रा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अवध नारायण उत्तरदायी रहे है। उत्तरदायी व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 19)

ग्राम पंचायत का नाम त्रिलोकपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर-28 आलोच्य वर्ष रु0 384000.00 का सोलर लाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न है ।

दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
25.05.2018	विजय ट्रेडर्स	467735	96000.00
25.05.2018	विजय ट्रेडर्स	437737	96000
25.05.2018	विजय ट्रेडर्स	437236	96000
25.05.2018	विजय ट्रेडर्स	437233	96000
योग			384000.00

रु0 384000.00 के सोलर लाइट दिनांक 25.05.2018 को मनमाफिक एजेन्सी विजय ट्रेडर्स से क्रय की गयी जबकि ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0नेडा से सोलर लाइट क्रय कर सकती है यू0पी0नेडा से सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय करने में यू0पी0नेडा से सोलर लाइट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर भण्डार क्रय नियमों पालन न कर के मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट क्रय किया गया है

2- क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

3- एम0वी0एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

इस प्रकार से सोलर लाइट क्रय में रु0 384000.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राम आसरे एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री रविन्द्र गौड संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे है अतएवं उक्त दोनों से समान रूप से रु0 384000.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम दवनपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर-29 आलोच्य वर्ष रु0 582000.00 का स्ट्रीटलाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न है ।

दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
3.04.2018	विजय ट्रेडर्स	35741	99000.00
12.6.18	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	35749	99000.00
5.7.18	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	35758	99000.00
19.9.18	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	35760	186000.00
18.9.18	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	328415	99000.00
			582000.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0नेडा से सोलर लाइट क्रय कर सकती है यू0पी0नेडा से सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय करने में यू0पी0नेडा से सोलर लाइट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर भण्डार क्रय नियमों पालन न कर के मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट क्रय किया गया है

1-क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कारायी गयी न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

2-जिस फ़र्म मे स्ट्रीट लाइट ली गयी गयी उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार क़य नियमो का उल्लघन किया गया है

3- क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

4- एम0वी0एवं कार्यपूति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कृत नियमों का पालन किये रू0 582000.00 कैशबुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्षित करके धन का व्यय करके अनियमिता की गयी है अतएव रू0 582000.00 की वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री रामदूबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शाशि भूशण मिश्र से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

प्रस्तर-30ग्राम पंचायत दवनपुर आलोच्य वर्ष में रू0 198000.00 का डस्वीन क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	फ़र्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
13.2.19	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	328444	99000.00
13.2.19	विजय ट्रेडर्स	328445	99000.00
योग			198000.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

इस प्रकार भण्डार क़य नियमो पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धा दरों पर डस्टवीन क़य की गयी

क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कारायी गयी न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

डेडस्टाक रजिस्टर में उक्त मदो का अंकन नहीं किया गया है।

कार्यवाही रजिस्टर में क़य के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 के विन्दु 8 क में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कृत नियमों का पालन किये रू0 198000.00 कैशबुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्षित करके धन का व्यय करके अनियमिता की गयी है अतएव रू0 198000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री रामदूबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शाशि भूशण मिश्र से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम समधाखास विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -31

आलोच्य वर्ष में रू0 243600.00 का स्ट्रीट लाइट क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	फ़र्म जहा से क़य किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
20.6.18	50400	687213	विजय ट्रेडर्स
11.9.18	96600	687225	विजय ट्रेडर्स
25.9.18	96600	687237	मॉ विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज
	243600		

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है।

1- कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रू0 243600.0 विजय ट्रेडर्स एवं मॉ विन्धवासिनी से स्ट्रीट लाइट क़य की गई है। परन्तु क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क़य की गयी है ।

3-क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत काराई गयी है न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4—जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कय नियमों का पालन किये बिना रु0 243600.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्षित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री नित्यानन्द दूबे सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि भूशण मिश्रासे किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

प्रस्तर 32 ग्रां0पं0समधा खास में आलोच्य वर्ष में रु0 118800.00का डस्बीन कय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
01.03.19	विजय ट्रेडर्स	94661	59400.00
19.03.19	विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज	94673	59400.00
योग			118800.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1—इस प्रकार भण्डार कय नियमों पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धा दरो पर डस्टवीन कय की गयी

2—कय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कारायी गयी न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

3—कय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

4—डेडस्टाक रजिस्टर में उक्त मदों का अंकन नहीं किया गया है।

5—कार्यवाहीह रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 के विन्दु 8 क में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कृत नियमों का पालन किये रु0 118800.00 कैशबुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्षित करके धन का व्यय करके अनियमिता की गयी है अतएव रु0 118800.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्रामप्रधान श्री नित्यानंद दूबे एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशि भूशण मिश्र से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

—ग्राम पंचायत का नाम झौवा विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर —33

आलोच्य वर्ष में रु0 420000.00 का स्ट्रीट लाइट कय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	फर्म जहा से कय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
20.7.18	120000.00	744721	विजय ट्रेडर्स
20.7.18	120000.00	744722	विजय ट्रेडर्स
21.5.18	180000.00	088780	ऋशि इण्टर प्राइजेज
	420000.00		

1— कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रु0 420000.00 विजय ट्रेडर्स एवं ऋशि इण्टर प्राइजेज से स्ट्रीट लाइट कय की गई है। परन्तु कय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2— भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी है ।

3—कय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4—जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नाम किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0बी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कय नियमों का पालन किये बिना रु0 420000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्षित कर के धन का अपहरण किया गया है। अतएवं उक्त धनराशि की

ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीमती कमला देवी से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

प्रस्तर 34 ग्राम पंचायत झौवां में आलोच्य वर्ष में रु0 370000.00 का डस्टबिन क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	फर्म का नाम	चेक संख्या	धनराशि
29.1.19	ऋशि इंटर प्राइजेज	744743	108000.00
6.3.19	ऋशि इंटर प्राइजेज	744786	86400.00
6.3.19	ऋशि इंटर प्राइजेज	744789	97200.00
1.2.19	सदगुरु कान्हेक्टर एण्ड सप्लायर	744774	78400.00
योग			370000.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

- 1— सामग्री उक्त फर्म से क़य किया गया और क़य सामग्रीयों के व्यय प्रमाण अप्राप्त रहें।
- 2—क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कारायी गयी न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है
- 3— भण्डार क़य नियमों का पालन न करते हुए मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रस्पस्पर्धी दरों पर डस्टबिन क़य की गयी।

4—डेडस्टाक रजिस्टर में उक्त मदों का अंकन नहीं किया गया है।

5—कार्यवाहीह रजिस्टर में क़य के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 के विन्दु 8 क में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कृत नियमों का पालन किये रु0 370000.00 कैशबुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित करके धन का व्यय करके अनियमितता की गयी है अतएव रु0 370000.00 की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती कमला देवी से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम गोरी डीह विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर —35 ग्राम पंचायत गौरीडीह में आलोच्य वर्ष में रु0 180600.00 का स्ट्रीट लाइट क़य किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक संख्या	फर्म जहा से क़य किया गया (कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार)
30.6.18	96600.00	299288	मा विन्धवासिनी ट्रेडर्स
30.6.18	84000.00	299285	मा विन्धवासिनी ट्रेडर्स
	180600.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1— कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रु0 180600.00 माँ विन्धवासिनी ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क़य की गई है। परन्तु क़य से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा।

2— भण्डार क़य नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क़य की गयी है।

3—क़य दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी है न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4—जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क़य कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार क़य नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क़य नियमों का पालन किये बिना रु0 180600.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्रामप्रधान श्रीमती बेबी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

प्रस्तर 36 ग्राम पंचायत गोरीडीह में आलोच्य वर्ष रु0 196200.00 का सोलर लाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न है ।

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1-कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ है कि रु0 196200.00 का सोलर लाइट माँ विन्धवासिनी इण्टर प्राइजेज से क्रय किया गया है परन्तु क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2-ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0नेडा से सोलर लाइट क्रय कर सकती है यू0पी0नेडा से सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा एवं कोटेशन आमंत्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय करने में यू0पी0नेडा से सोलर लाइट को पूरी तरह से नजरअदाज कर भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक दामों पर सोलर लाइट क्रय किया गया है

3- क्रय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4- जिस फर्म से सोलर लाइट क्रय की गयी है उनको न तो सोलर लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है। और न ही उनसे किसी प्रकार इकरारनामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन किया गया है।

5- एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

6-कार्यवाही रजिस्टर में क्रय के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन किये बिना रु0 196200.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया ।

अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेवी सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील पटेल से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम अलुआ विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -37 आलोच्य वर्ष में रु0 96000.00 का स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फर्म जहा से क्रय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
23.5.18	96000.00	549267	विजय ट्रेडर्स
योग	96000.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रु0 96000.00 विजय ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। परन्तु क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार क्रय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है ।

3-क्रय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन किये बिना रु0 96000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री ओम प्रकाश यादव एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम सम्भई भटानी विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -38 आलोच्य वर्ष में रु0 192000.00 का स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फर्म जहा से क्रय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
23.5.18	96000.00	543701	राय ट्रेडर्स
23.5.18	96000.00	543704	राय ट्रेडर्स
	192000.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रु0 192000.0 राय ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। परन्तु क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी है ।

3-कय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कय नियमों का पालन किये बिना रु0 192000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से वयय दर्षित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम कठारी विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -39 आलोच्य वर्ष में रु0 96000.00 का स्ट्रीट लाइट कय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फर्म जहा से कय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
23.5.18	96000.00	2021848	विजय ट्रेडर्स
योग	96000.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तिया है।

1- कैश बुक एवं स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रु0 96000.00 विजय ट्रेडर्स से स्ट्रीट लाइट कय की गई है। परन्तु कय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी है ।

3-कय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0वी0एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कय नियमों का पालन किये बिना रु0 96000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से वयय दर्षित कर के धन का अपहरण किया गया अतएवं उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुलाम मोहम्मद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्याम सुन्दर पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

प्रस्तर 40 ग्राम पंचायत कठारी में आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में विभिन्न मदों में बिना व्यय प्रमाणक के निम्नलिखित विवरण के अनुसार सामग्री कय की गयी है।

दिनांक	कार्य का विवरण	आहरित धनराशि	चेक सं0	फर्म जहा से कय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
17.9.18	अजीत के घर से एलडी रोड एवं कमरुद्दीन के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य	84000.00	12021846	सदगुरु कान्स्ट्रक्टर एवं सप्लायर
		60000.00	12021865	
		योग 144000.00		
18.9.18	स्नान गृह निर्माण एवं साफ्टपीट निर्माण सामग्री	65000.00	12021843	पूनम हार्ड वेयर
		65000.00	12021844	
		योग 130000.00		
18.9.18	हैण्डपंप सामग्री	36000.00	12021842	पूनम हार्डवेयर
		36000.00	12021841	
		योग 72000.00		
19.9.18	उक्त कार्य पर मजदूरी	52150.00	नकद मजदूरी	प्रधान द्वारा
		योग 398150.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तिया है।

1-सामग्री उक्त फर्म से कय किया गया रू0 346000.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2-एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा

3- कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

4- मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

5-ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 के विन्दु 8 क में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर से व्यय दर्शित कर के धनराशि रू0 346000.00 का अपहरण किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर से सामग्री पर व्यय की धनराशि 346000.00 एवं मजदूरी 52150.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर कैशबुक में दर्शित कर धन का अपहरण किया गया ।

अतएव प्रधान श्री गुलाम मोहम्मद एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री श्याम सुन्दर पाण्डेय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

1-ग्राम पंचायत का नाम अमवामाफी विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -41 आलोच्य वर्ष में रू0 196000.00 का स्ट्रीट लाइट कय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फर्म जहा से कय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
19.5.2018	98000.00	44673	रिमझिम कान्स्ट्रक्शन
19.5.18	98000.00	44674	रिमझिम कान्स्ट्रक्शन
	196000.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियां हैं।

1- कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट से ज्ञात हुआ कि रू0 196000.00 रिमझिम कान्स्ट्रक्शन से स्ट्रीट लाइट कय की गई है। परन्तु कय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।

2- भण्डार कय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी है ।

3-कय दरे न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदीत कराई गयी है न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है

4-जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय कि गयी है। उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरार नामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियमों का उल्लंघन किया गया है।

5' एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

उक्त से स्पष्ट है कि बिना व्यय प्रमाणपत्रों एवं भण्डार कय नियमों का पालन किये बिना रू0 196000.00 कैश बुक में काल्पनिक तरीके से व्यय दर्शित कर के धन का अपहरण किया गया अतएव उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती कुसुम देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री शशि भूषण मिश्र से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 16)

ग्राम पंचायत का नाम अमवामाफी विकास खण्ड औराई जिला भदोही

प्रस्तर -42 आलोच्य वर्ष क लेखा परीक्षा में देखा गया की पूर्व मा0वि0 द्वितीय अमवॉ माफी में इण्टर लाकिंग कार्य में कय सामग्री निम्नवत है।

दिनांक	धनराशि	चेक सख्या	फर्म जहा से कय किया गया कैशबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार
03.7.18	95000.00	44680	गौरव इण्स्ट्रीज
03.7.18	90000.00	44883	गौरव इण्स्ट्रीज
03.7.18	95000.00	44686	गौरव इण्स्ट्रीज
03.7.18	90000.00	44677	गौरव इण्स्ट्रीज
05.07.18	49750.00	नकद मजदूरी	प्रधान द्वारा
योग	419750.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियां हैं।

1-सामग्री उक्त फर्म से कय किया गया रू0 370000.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे ।

2- एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3- कार्यवाही रजिस्टर में क्रय के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं है।

4- मजदूरी भुगतान सम्बंधित मस्टर रोल अप्राप्त रहा।

ग्राम पंचायत ने वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल में अध्याय 8 के विन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर से व्यय दर्शित कर के धनराशि रु0 370000.00 का अपहरण किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर से व्यय धनराशि 370000.00 एवं मजदूरी 49750.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर कैशबुक में दर्शित कर धन का अपहरण किया गया।

अतःएव प्रधान श्रीमती कुसुम देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशि भूषण मिश्र से संयुक्त रूप से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम लखनों विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -43 ग्राम पंचायत लखनों में डीह बाबा मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग पर निम्न प्रकार भुगतान किया गया।

दिनांक	धनराशि	अपहरण कर्ता	मद
5.11.18	23900.00	प्रधान	मजदूरी
28.11.18	19900.00	मनीश कुमार	मजदूरी
1.3.19	36400.00	न्यू अमर ईट उोग	ईट
योग	80200.00		

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है। (ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2-कार्य की ए0बी0 अप्राप्त है।

3- कार्य की कार्यपूर्ति अप्राप्त हैं

4- उक्त कार्य की मजदूरी का भुगतान नवम्बर माह में मिट्टी भराई हेतु किया जाना कोशवही में दर्शित है। तीन माह पश्चात उक्त कार्य हेतु ईट क्रय किया जाना दर्शित है। ईट लगवाई पर पुरे मार्च माह तक मजदूरी का भुगतान नहीं दर्शित है। न ही उक्त ईट की स्टॉक पंजिका से पुष्टि करायी गयी है

स्पष्ट है। कि उक्त कार्य को काल्पनिक रूप से कोशवही में दर्शित कर धन को उक्त कार्य में समायोजित कर धन का व्यय अपने पक्ष में तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी पंचायत द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। दिनांक 28.11.18 को रु0 19900.00 का आहरण मनीश कुमार द्वारा किया गया जबकि कि ग्राम पंचायत में धन प्रधान अथवा संस्था द्वारा आहरित किया जा सकता है। अतः रु0 80200.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 14)

प्रस्तर -44ग्राम पंचायत लखनों में दिनांक 22.11.18 को प्रधान द्वारा रु0 10000.00 का आहरण कर कोशवही में व्यय निम्न प्रकार दर्शित किया गया है

दिनांक	मद	धनराशि	
22.11.18	प्रशासनिक व्यय	3000.00	
30.11.18	अक्टूबर एवं नवम्बर का मानदेय	7000.00	
योग		10000.00	

जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

1- प्रशासनिक व्यय में क्या क्रय किया गया किस दर से क्रय किया गया ,व्यय प्रमाणक के आभाव में अपुष्ट रहा। नकद भुगतान आपत्ति जनक है।

2- दिनांक 31.12.18 को पुनः प्रधान द्वारा 10500.00 आहरित कर अक्टूबर से दिसम्बर 18 तक मानदेय लिया गया है। स्पष्ट है। माह अक्टूबर एवं नवम्बर 18 का मानदेय दो बार आहरित किया गया है।

अतः स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.18 को रु0 10000.00 कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रु0 3000.00 को प्रशासनिक मद एवं रु0 7000.00 को अक्टूबर एवं नवम्बर 18 के मानदेय में समायोजित कर धन का अपहरण किया गया है। अतः रु0 10000.00 की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 15)

प्रस्तर -45 ग्राम पंचायत लखनों में डस्टबिन क़य के सापेक्ष निम्न प्रकार में व्यय किये गये हैं।

दिनांक	धनराशि	अपहरण कर्ता	
28.12.18	98000.00	एस के ट्रेडर्स	

जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1- कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है।
 - 2- वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
 - 3- मेजरमेन्ट पंजिका अप्राप्त रही।
 - 4- उक्त के सापेक्ष कोटेशन की स्थिति अज्ञात रही।
- भण्डार क़य नियमों का पालन न कर के गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर मनमाफिक एजेंसियों से क़य कर रु0 98000.00 की वित्तीय अनियमिता कर धन का अपहरण किया गया।
- 5- डस्टबिन के लेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः रु0 98000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

प्रस्तर -46

ग्राम पंचायत लखनो वित्तीय वर्ष 18-19 में को निम्न प्रकार से भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	फर्म का नाम	कार्य विवरण	धनराशि
07.09.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	97000.00
07.09.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	97000
07.09.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	97000
07.09.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	97000
07.09.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	97000
योग			485000.00

जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

- 1- स्ट्रीट लाइट क़य से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।
- 2- सक्षम अधिकारी से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी
- 3- कितनी नग स्ट्रीट लाइट क़य किया गया किस दर से किया गया अज्ञात रहा।
- 4- डेडस्टाक रजिस्टर में क़य की गयी स्ट्रीट लाइट के लेखों के सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर नहीं करायी गयी।
- 5- टेन्डर प्रत्रावली नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया। एक ही तिथि पर एक ही फर्म को चेक द्वारा भुगतान किया गया। टेन्डर प्रक्रिया का अनुपालन न करने हेतु ऐसा किया गया है।
- 6- आलोच्य वर्ष में रु0 485000.00 के स्ट्रीट लाइट मनमाफिक एजेंसियों से क़य किये गये हैं। किन्तु उक्त के क़य हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का स्ट्रीट लाइट क़य किया की गयी और दरे न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी और न ही क़य हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त लाइट क़य की गयी है। उनको स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश नहीं था इस प्रकार भण्डार क़य नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रु0 485000.00 व्यय कर के वित्तीय अनियमितता कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम भिदिउरा विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -47 ग्राम पंचायत भिदिउरा में दिनांक 24.5.18 रु0 36400.00 की हैण्डपंप सामग्री जायसवाल ट्यूब कम्पनी से क़य किया जाना कोशवही में दर्शित है।

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं।

- 1- कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। (ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।
- 2- वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
- 3 कार्य की एम0बी0 अप्राप्त है।
- 4- हैण्डपम्प की मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

5- हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपंप खराब होने की सूचना व मरम्मत की मांग सम्बन्धित प्रपत्र अप्राप्त रहा ।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा ।

स्पष्ट है कि हैण्डपम्प मरम्मत कार्य को कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शित करके वर्ष पर्यंत बिना मजदूरी भुगतान किए तत्कालीन सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा यह अपने पक्ष में किया गया । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 14)

प्रस्तर -48 ग्राम पंचायत भिदिउरा में दिनांक 22-06-2018 को रु0 19950.00 का आहरण ग्राम प्रधान द्वारा कर कोशवही में नलकूप नाली मरम्मत हेतु मजदूरी में दर्शाया गया है ।

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियां हैं ।

सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टर रोल अप्राप्त रहा । (ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

उक्त कार्य के सापेक्ष वर्ष पर्यन्त कोई सामग्री क्रय किये बिना सामग्री के मरम्मत कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। उक्त कार्य किस स्थान पर हुआ था अस्पष्ट है । स्पष्ट है कि बिना सामग्री के मरम्मत कार्य नहीं करया जा सकता । अतः उक्त कार्य को काल्पनीक रूप से कोशवही दर्शित करते हुए धन सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने पक्ष में अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 15)

प्रस्तर -49 ग्राम पंचायत भिदिउरा में ह्यूम पाइप से सम्बन्धित निम्नलिखित व्यय हुआ है

दिनांक धनराशि आहरण कर्ता

23.01.2019 45000.00 मयंक ट्रेडर्स

जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां हैं ।

1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त है।

2- उपयुक्त के सन्दर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के सन्दर्भ में किया गया है। उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा । बीना कार्य स्थल के सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध है।

3- इस कार्य में गिट्टी ,बालू,सीमेन्ट ,छड आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

4- सामग्री को स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्ट नहीं कराया गया है।

5- कार्य की एम0बी0 अप्राप्त है।

6- कार्य की कार्यपूर्ति अप्राप्त हैं।

वर्षपर्यन्त कोई सामग्री क्रय किये बिना कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है इस प्रकार ह्यूम पाइप कार्य को काल्पनीक रूप से कोशवही दर्शित करते हुए धन सचिव एवं प्रधान द्वारा अपने पक्ष में अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

प्रस्तर -50 ग्राम पंचायत भिदिउरा में मे 21.2.19 को परीइन्टर प्राइजेज से डस्टबिन क्रय रु0 99000.00 के सापेक्ष निम्न प्रकार में व्यय किये गये हैं।

जिसके सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

1- कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टर रोल अप्राप्त रहा । (ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- मेजरमेन्ट पंजिका अप्राप्त रही ।

3- उक्त के सापेक्ष कोटेशन की स्थिति अज्ञात रही ।

4- डस्टबिन स्थापन किन स्थानों पर हुयी यह भी अज्ञात रहा ।

5- डस्टबिन के लेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

उक्त के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का डस्टबिन स्थापित नहीं कराया गया है उक्त व्यय को कोशवही में कुतरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय किया गया है।

6- आलोच्य वर्ष में रु0 99000.00 के डस्टबिन मनमाफिक ऐजेन्सियों से क्रय किये गये हैं। भण्डार नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का डस्टबिन क्रय की गयी और जिसके लिए

ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह उत्तदायी है । अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

प्रस्तर -51 ग्राम पंचायत भिदिउरा में 12 अज्ञात हैण्ड पम्प रिबोर पर निम्न लिखित खर्च किया गया है

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	आहरकर्ता	कार्य का विवरण
1	27.12.18	12200.0	प्रधान	मजदूरी
2	27.12.18	17400	मौ विन्धवासिनी इलेक्ट्रानिक्स	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
3	27.12.18	12200	प्रधान	मजदूरी
4	27.12.18	17300	मौ विन्धवासिनी इलेक्ट्रानिक्स	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
5	27.12.18	12200	प्रधान	मजदूरी
6	27.12.18	17200	मौ विन्धवासिनी इलेक्ट्रानिक्स	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
7	27.12.18	12200	प्रधान	मजदूरी
8	01.01.19	15500	पाठक विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
9	01.01.19	12500	प्रधान	मजदूरी
10	01.01.19	12300	प्रधान	मजदूरी
11	15.01.19	17200	पाठक विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
12	23.01.19	17300	पाठक विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
13	29.01.19	12000	प्रधान	मजदूरी
14	14.02.19	17800	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
15	08.03.19	12500	प्रधान	मजदूरी
16	08.03.19	25000	प्रधान	मजदूरी
17	08.03.19	25000	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
18	08.03.19	17800	प्रधान	मजदूरी
19	08.03.19	17125	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
20	19.03.19	20600	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
21	19.03.19	17125	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
22	19.03.19	17125	रवीन्द्र विल्डिंग मटेरियल	अज्ञात हैण्डपंप रिबोर सामग्री
	योग	357575.00		

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है। सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टर रोल अप्राप्त रहा । (ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- मेजरमेन्ट पंजिका अप्राप्त रही ।

3- हैण्डपंप खराबी के सापेक्ष एक भी प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है। कि हैण्डपंप खराब थे

4- हैण्डपम्प रिबोर की स्थान पर हुआ अज्ञात रहा बिना स्थल चयन के कार्य कराया जाना असम्भव है। स्थान के विवरण न देने से स्पष्ट है की उक्त कार्य काल्पनिक रूप से कोशवही में दर्शाकर मजदूरी का भुगतान प्रधान द्वारा अहरण कर एवं सामग्री का फर्म को ट्रान्सफर करते हुए धन का व्यय तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है।

12 हैण्डपम्प रिबोर के सापेक्ष सामग्री का भुगतान रु0 209475.00 एवं हैण्डपंप रिबोर की मजदूरी के सापेक्ष रु0 148100.00 भुगतान कोशवही में दर्शित है

5- हैण्डपम्प से निकली डिस्पोजल सामग्री डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में दर्शाकर डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

6- कार्य की कार्यपूर्ति अप्राप्त हैं।

7- टेन्डर की आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अप्राप्त रहा।

8- ग्राम पंचायत अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/ 2017 / 1211/ 33-3-2017-46/ 2015 दिनांक 19. 06.17 के इण्डिया मार्का हैण्डपंप रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपंप रिबोर सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जलनिगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे ।

कार्य कोशवही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शाकर तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में अपहरण किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र पाठक एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 18)

प्रस्तर -52 ग्राम पंचायत भिदिउरा में कूप जगत निर्माण कार्य पर निम्नलिखित खर्च किया गया है

क्रमांक	दिनांक	धनराशि	आहरकर्ता

	13.11.18	40700.00	शीतल त्रिक्स
	22.11.18	29992.00	एस के विल्डींग मटेरियल
	27.11.18	14400.00	मजदूरी प्रधान
	23.1.19	26000.00	शीतल त्रिक्स
	23.1.19	26000.00	एस के विल्डींग मटेरियल
	11.3.19	42700.00	मजदूरी प्रधान
		179792.00	

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ हैं।

1—कूप जगत निर्माण कार्य पर सामग्री के सापेक्ष रु० 165392.00 के व्यय प्रमाणक मजदूरी रु० 14400.00 का मस्टर रोल अप्राप्त रहा ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2— वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

03— कार्य की एमबी० अप्राप्त है।

4— परिसम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

5— कूप जगत निर्माण स्थल का विवरण अप्राप्त रहा सामग्री के सापेक्ष रु० 165392.00 सामग्री की स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्ट नहीं कराया गया है।

6— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

7— टेण्डर की आवश्यक पत्रावली अप्राप्त रहा।

8— दिनांक 23.01.19 को रु० 20000.00 23.01.19 को रु० 26000.00 ईट दिनांक 11.03.19 को रु० 42700.00 का भुगतान सामग्री कय दर्शाया गया है, के सापेक्ष मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। बिना मजदूरी भुगतान कार्य कराया जाना असम्भव है।

अज्ञात कूप जगत निर्माण अप्राप्त व्यय प्रमाणक, बिना मजदूरी भुगतान के आभाव में अस्पष्ट है कूप जगत निर्माण काल्पनिक रूप से कोशबही में दर्शाकर बिना स्थान का विवरण दिये, तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमहेन्द्र पाठक एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०स 19)

ग्राम पंचायत का नाम गणेशराय पुर विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर —53 ग्राम पंचायत गणेश राय पुर मे बरात घर में मिट्टी भराई का कार्य भुगतान निम्न प्रकार किया गया है।

क्र०	दिनांक	अपहरण कर्ता	कार्यविवरण	धनराशि
1	02.02.19	प्रधान	मिट्टी भराई	11025.00
1	02.02.19	प्रधान	मिट्टी भराई	44895.00
योग				55920.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1— व्यय प्रमाणक अप्राप्त है।

2—कार्य की वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

3— मेजरमेन्ट पंजिका अप्राप्त रही। के आभाव में कितने घन मीटर मिट्टी पड़ी अज्ञात रहा।

4— कार्यवाही रजिस्टर के आभाव में व्यय कि पुष्टि ग्राम पंचायत की बैठक में गरायी गयी है या नहीं स्पष्ट न हो सका

5—कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के आभाव में स्पष्ट है कि बरात घर में कोई मिट्टी भराई कार्य नहीं हुआ रु० 55920.00 प्रधान श्रीमती अनारा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय की सहमती से व्यय अपने पक्ष में किया गया। कोशबही में काल्पनिक रूप से मिट्टी भरायी में दर्शित किया गया अतः रु० 27960.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान अनारा देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०स 14)

प्रस्तर —54 ग्राम पंचायत गणेश राय पुर मे दिनांक 18.12.18 को गुरुभवानी पुरी से डस्टबिन रु० 99000.00 के व्यय किये गये हैं उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ हैं।

1— व्यय प्रमाणक अप्राप्त है।

ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- मेजरमेन्ट पंजिका अप्राप्त रही ।

3- उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन की स्थिति अज्ञात रही ।

4-डस्टबिन स्थापना किस स्थान पर हुई अज्ञात रहा ।

5-डस्टबिन के लेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6- आलोच्य वर्ष में ₹0 99000.00 डस्टबिन भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दारों डस्टबिन क्रय कर के वित्तीय अनियमितता कर धन का अपहरण किया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देबी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय की सहमती से व्यय अपने पक्ष में किया गया अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

उक्त के आभाव में स्पष्ट है कि किसी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का डस्टबिन स्थापित नहीं करवाया गया है । उक्त व्यय को कोशवही में कूटरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप अपने पक्ष में किया गया है अतः ग्राम प्रधान से ₹0 49500.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 49500.00 की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । (सा0आ0स 15)

प्रस्तर -55 ग्राम पंचायत गणेश रायपुर में केत तिवारी के घर से रमापति पाण्डेय के घर तक इण्टर लाकिंग कार्य का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है ।

दिनांक	अपहरण कर्ता	धनराशि	मद
16.11.18	महादेव कन्डूकशन	1272.00	विवरण रहित
20.11.18	अजय सिमेन्ट	40931.00	सीमेन्ट
20.11.18	अभय ब्रिक्स	42250.00	ब्रिक्स
27.11.18	प्रधान	7100.00	मजरदूरी
योग		217481.00	

उक्त कार्य में निम्न लिखित आपत्तिया है ।

1-सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है ।

2- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त है ।

3- टेण्डर की आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया की पत्रावली अप्राप्त है ।

4- उपरोक्त कार्य में कुल ₹0 217481.00 का व्यय किया गया है । परन्तु इसके सापेक्ष आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रही है ।

5- कार्य की कार्यपूर्ति अप्राप्त रही ।

6- उक्त के आभाव में स्पष्ट है ग्राम पंचायत में उक्त व्यय को कोशवही में कूटरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपने पक्ष में किया गया है अतः ग्राम प्रधान से ₹0 108740.50 एवं ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 108740.50 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(सा0आ0स 16)

प्रस्तर -56 ग्राम पंचायत गणेश राय पुर वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस के टेर्डस को स्ट्रीट लाइट क्रय में निम्न प्रकार भुगतान किए गये है ।

दिनांक	अपहरण कर्ता	धनराशि	मद
3.10.18	एस के टेर्डस	194000.00	
3.10.18	एस के टेर्डस	194000.00	
5.10.18	एस के टेर्डस	97000.00	
योग		485000.00	

उक्त कार्य में निम्न लिखित आपत्तिया है ।

1- स्ट्रीट लाइट क्रय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है । है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है ।

2- सक्षम अधिकारी प्राप्त वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

3- कितनी नग स्ट्रीट लाइट क्रय किस दर से कि गयी अज्ञात रहा ।

4- डेडस्टाक रजिस्टर में क्रय की गयी स्ट्रीट लाइट केलेखों के सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर नहीं करायी गयी ।

5- टेन्डर नहीं प्रस्तुत किए गये । एक ही तिथि पर एक ही फर्म को दो चेक द्वारा भुगतान किया गया है । टेन्डर प्रक्रिया का अनुपालन न करने हेतु ऐसा किया गया है ।

6- आलोच्य वर्ष में ₹0 485000.00 के स्ट्रीट लाइट मनमाफिक एजेन्सियों से क्रय किये गये हैं। किन्तु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का स्ट्रीट लाइट क्रय किया की गयी और दरे न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त लाइट क्रय की गयी है। उनको स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश नहीं था इस प्रकार भण्डार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में ₹0 485000.00 व्यय कर के वित्तीय अनियमितता कर धन का अपहरण किया गया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 17)

प्रस्तर -57 ग्राम पंचायत गणेश रायपुर वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस के टेर्डस को सोलर लाइट क्रय में निम्न प्रकार भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	अपहरण कर्ता	धनराशि	
6.10.18	एस के टेर्डस	112875.00	
9.10.18	एस के टेर्डस	112875.00	
योग		225750.00	

उक्त के सापेक्ष में निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- सोलर लाइट क्रय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- सक्षम अधिकारी प्राप्त वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

3- कितनी नग सोलर लाइट क्रय किस दर से कि गयी अज्ञात रहा

4- डेडस्टाक रजिस्टर में क्रय की गयी सोलर लाइट के लेखों के सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर नहीं करायी गयी।

5- टेन्डर नहीं प्रस्तुत किए गये।

6- आलोच्य वर्ष में ₹0 225750.00 के सोलर लाइट मनमाफिक एजेन्सियों से क्रय किये गये हैं। जब कि ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0नेडा से ही सोलर लाइट क्रय कर सकती है। यू0पी0 नेडा द्वारा उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदि आमंत्रित की जानी चाहिए थी किन्तु ग्राम पंचायत आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय में यू0पी0नेडा को नजरअंदाज कर के भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के ₹0 225750.00 ग्राम पंचायत को नोडल एजेन्सी यू0पी0नेडा से कराये जाने के स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। आलोच्य वर्ष में ₹0 225750.00 व्यय कर वित्तीय अनियमितता कर धन का अपहरण किया जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डे से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 18)

ग्राम पंचायत का नाम कांवल विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -58 ग्राम पंचायत कांवल में निम्न अनुसार हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है।

दिनांक	धनराशि	अपहरणकर्ता	कार्य विवरण
18.06.18	12600.00	प्रधान	मजदूरी
30.6.18	35000.00	डी0एम0 स्टोर	सामग्री
13.9.18	12600.00	प्रधान	मजदूरी
29.9.18	36300	पाठक विल्डिंग मटेरियल्स	सामग्री
15.11.18	12600.00	प्रधान	मजदूरी
17.11.18	35600.00	पाठक विल्डिंग मटेरियल्स	सामग्री
योग	144700.00		

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

3- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त है।

4- हैण्डपंप के मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

5—हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब होने की सूचना एव मरम्मत की माँग सम्बन्धित प्रपत्र अप्राप्त रहें।

6— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

7—टेण्डर की आवश्यक पत्रावली अप्राप्त है।

उक्त हैण्डपम्प के मरम्मत कार्य पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबन्धन की समिति की संस्तुति नहीं ली गयी। जबकि ग्राम पंचायतों के वित्तीय एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर दो के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार जल प्रबन्धन समिति संस्तुति के बिना हैण्डपंप मरम्मत कार्य कराया जाना तथा व्यय प्रमाणक, वित्तीय स्वीकृति, कार्यपूति प्रमाण पत्र के आभाव में रु० 144700.00 हैण्डपम्प मरम्मत कार्य को कोशवही काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मुकेश मिश्रा एवं ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है (सा०आ०स 14)

प्रस्तर —59 ग्राम पंचायत कावल में हैण्डपम्प रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है

दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता	कार्य विवरण
4.4.18	90000.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	राम शिरोमणि
4.4.18	90000.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	वाहीद अली
4.4.18	60000.0	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	लालजी
16.3.19	29900.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	राकेश के घर के पास
16.3.19	29975.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	राम जी मिश्र
16.3.19	29900.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	लाल चन्द्र गुप्ता
योग	329775.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1— सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2— कार्य की मेजरमेन्ट पुस्तिका अप्राप्त रही।

हैण्डपम्प खराबी के सापेक्ष एक भी प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। जिसे इस बात की पुष्टि नहीं होती है। की हैण्डपंप खराब थे

3— हैण्डपंप रिबोर किस स्थान पर हुआ अज्ञात रहा बिनास्थल के चयन के कार्य कराया जाना असम्भव है। स्थान का विवरण न देने से स्पष्ट है कि उक्त कार्य काल्पनिक रूप कोशवही में दर्शाकर फर्म को ट्रान्सफर करते हुए धन का व्यय अपने पक्ष में किया गया है।

4— हैण्डपम्प से निकली डिस्पोजल सामग्री डिस्पोजल रजिस्टर में दर्शाकर डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5— कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6— टेण्डर नहीं प्रस्तुत किए गये एक ही तिथि पर एक ही फर्म को दो चेक द्वारा भुगतान किया गया है। टेण्डर प्रक्रिया का अनुपालन न करने हेतु ऐसा किया गया है।

7— ग्राम पंचायत अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/ 2017 / 1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.17 के इण्डिया मार्का हैण्डपंप रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपंप रिबोर सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जलनिगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

8— हैण्डपम्प सामग्री कय हेतु रु० 329775.00 का भुगतान श्री जय महाकाल इण्टर प्राइजेज को दर्शाया गया है। इस प्रकार 329775.00 का हैण्डपंप रिबोरकार्य को काल्पनिक रूप दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मुकेश मिश्रा एवं ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है (सा०आ०स 15)

प्रस्तर —60 ग्राम पंचायत कावल में ह्यूम पाइप से सम्बन्धित निम्न लिखित व्यय हुआ है

दिनांक	धनराशि	आहरणकर्ता	
16.11.18	47775.00	श्याम	

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1— व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें।

2- उपयुक्त के सन्दर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के सन्दर्भ में किया गया है। उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा। बिना कार्य स्थल के सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध है।
3- इस कार्य में गिट्टी, बालू, सीमेन्ट, छड़ मजदूरी आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

4-सामग्री को स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्ट नहीं करया गया है।

5- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त रही।

इस प्रकार ह्यूम पाइप कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान मुकेश मिश्रा एवं ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 16)

प्रस्तर -61 ग्राम पंचायत कांवल में लियाकत अली के घर से पिच रोड तक भूमिगत नाली निर्माण हेतु पी0वी0सी0 पाइप पर व्यय किया गया।

दिनांक	धनराशि	अपहरणकर्ता	कार्यविवरण
24.01.19	35000.00	पाठक विल्डिग मटेरियल्स	पीवीसी पाइप
26.01.19	14000.00	प्रधान	अप्राप्त
27.01.19	9975.00	प्रधान	मजदूरी
11.1.19	96000.00	पाठक विल्डिग मटेरियल्स	पीवीसी पाइप
29.3.19	96000.00	पाठक विल्डिग मटेरियल्स	पीवीसी पाइप
29.1.19	50200.00	पाठक विल्डिग मटेरियल्स	पीवीसी पाइप
योग	301175.00		

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें।

2- उपरोक्त कार्य में कुल 301175.00 का व्यय किया गया है परन्तु इसके सापेक्ष आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत जो कि डी पी आरओ के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए उससे संबंधित पत्रावली अप्राप्त रही है।

3- पी0 वी0 सी0 पाइप रूपया 301175.00 को स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर स्टाक पुष्ट नहीं कराया गया है।

मजदूरी रु0 9975.00 भुगतान हेतु मस्टर रोल भी आडिट के समय उपलब्ध नहीं रहा

4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

5-कार्य की एम0वी0 अप्राप्त रही। जिसके अनुसार प्रयुक्त सामग्री और लगाया गया मजदूरी की पुष्टि न की जा सकी

6- टेन्डर नहीं प्रस्तुत किए गये एक ही तिथि पर एक ही फर्म को दो चेक द्वारा भुगतान किया गया है। टेन्डर प्रक्रिया का अनुपालन न करने हेतु ऐसा किया गया है।

7- इस कार्य में गिट्टी वालू सिमेन्ट छड़ आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है इस प्रकार कोशवही से काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान मुकेश मिश्रा एवं ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम थानीपुर **विकास खण्ड** ज्ञानपुर **जिला** भदोही

प्रस्तर -62ग्राम पंचायत थानीपुर प्राथमिक विालय इब्राहिमपुर मे टाइल्स कार्य पर निम्न प्रकार भुगतान किए गये है।

दिनांक	धनराशि	अपहरणकर्ता	कार्यविवरण
27.12.18	9975.00	प्रधान	मजदूरी
11.3.19	140000.00	मौ जगदम्बा एवं सेनेटरी	टाइल्स
12.3.19	30450.00	प्रधान	मजदूरी
17.3.19	17675.00	प्रधान	मजदूरी
28.3.19	21860.00	लक्ष्मी विल्डिग मटेरियल	विवरण रहित सामग्री
28.3.19	115400.00	मौ जगदम्बा एवं सेनेटरी	टाइल्स
29.3.19	14940.00	सदगुरु विल्डिग मटेरियल	वालू सीमेन्ट
योग	360300.00		

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ हैं।

1- सम्बन्धित कार्य के व्यय प्रमाणक अप्राप्त है। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त है।

3- कार्य की कार्यपूर्ति अप्राप्त है।

4-टेन्डर की आवश्यक वित्तीय प्रक्रियों की प्रत्रावली अप्राप्त है।

5- उपरोक्त कार्य में कुल ₹0 360300.00 का व्यय किया गया है। परन्तु इसके सापेक्ष आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जो की डीपीआरओ के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए इससे सम्बन्धित प्रत्रावली अप्राप्त रही है। इस प्रकार 360300.00 का उक्त कार्य को कोशवही में काल्पनिक रूप दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालमणि एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 14)

प्रस्तर -63 ग्राम पंचायत थानीपुर में निम्नानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर धन व्यय किया गया ।

दिनांक	धनराशि	अपहरणकर्ता	कार्यविवरण
3.5.18	13000.00	प्रधान	मजदूरी
28.5.18	36000.00	मौ जगदम्बा इण्टर प्राइजेज	हैण्डपम्प सामग्री
4.6.18	12950.00	प्रधान	मजदूरी
5.6.18	36000.00	मौर्या इलेक्ट्रानिक्स	हैण्डपम्प सामग्री
31.10.18	12600.00	प्रधान	मजदूरी
1.11.18	36400.00	लक्ष्मी विल्डिंग मटेरियल	हैण्डपम्प सामग्री
28.12.18	13125.00	प्रधान	मजदूरी
28.2.18	36000.00	लक्ष्मी विल्डिंग मटेरियल	हैण्डपम्प सामग्री
25.3.19	35000.00	पाठक विल्डिंग मटेरियल्स	हैण्डपम्प सामग्री
योग	231075.00		

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त रही ।

3- हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त है।

4- हैण्डपंप के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प खराब हो जाने की सूचना व मरम्मत की मॉग सबन्धित प्रपत्र के अप्राप्त रहा।

5- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6- टेन्डर की आवश्यक पत्रावली अप्राप्त है।

7- कार्य के सापेक्ष मजदूरी सम्बन्धि व्यय प्रधान द्वारा किया गया है। और इसकी पुष्टि हेतु मस्टर रोल अप्राप्त रहा। इस प्रकार ₹0 231075.00 उक्त कार्य को कोशवही काल्पनिक रूप से दर्शाकर तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालमणि एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स 15)

प्रस्तर -64 ग्राम पंचायत थानीपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में जय अम्बे इण्टर प्राइजेज को निम्न प्रकार भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	धनराशि	फर्मका नाम	कार्यविवरण
25.5.18	48500.00	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट
29.5.18	97500.00	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट
योग	146000.00		

उक्त के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- स्ट्रीट लाइट कय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। है। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

3- कार्य की एम0वी0 अप्राप्त रही ।

4- कितनी नग स्ट्रीट लाइट कय किस दर से की गयी अज्ञात रहा

5- डेडस्टाक रजिस्टर में कय कि गयी स्ट्रीट लाइट के लेखों के सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर नहीं करयी गयी ।

6- टेन्डर नहीं प्रस्तुत किए गये एक ही तिथि पर एक ही फर्म को दो चेक द्वारा भुगतान किया गया है। टेन्डर प्रक्रिया का अनुपालन न करने हेतु ऐसा किया गया है।

7- आलोच्य वर्ष में ₹0 146000.00 के स्ट्रीट लाइट मनमाफिक एजेन्सियों से क़य किये गये हैं। किन्तु उक्त के क़य हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का स्ट्रीट लाइट क़य किया की गयी और दरे न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गयी और जिस फर्म से उक्त लाइट क़य की गयी है। उनको स्ट्रीट लाइट आपूर्ति करने का आदेश नहीं था इस प्रकार भण्डार क़य नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में ₹0 146000.00 व्यय कर के वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री लालमनि एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

प्रस्तर -65 ग्राम पंचायत थानीपुर में दिनांक 06.03.19 को परी इण्टर प्राइजेज से डस्टबिन ₹0 99000.00 के क़य किये गये हैं। उक्त के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे । है। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- मेजरमेन्ट पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही ।

3- उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन कि स्थिति अज्ञात रही।

4-डस्टबिन स्थापना किस स्थान पर हुई अज्ञात रहा।

5-डस्टबिन के लेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उक्त के आभाव में स्पष्ट है कि किसी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का डस्टबिन स्थापित नहीं कराया गया है। उक्त व्यय को कोशवही में कूटरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप अपने पक्ष में किया गया है अतः संयुक्त रूप से इसकी वसूली ग्राम प्रधान से ₹0 49500.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी से ₹0 49500.00 की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लालमनि एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 17)

ग्राम पंचायत का नाम भिड़ुरा विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -66 ग्राम पंचायत भिड़ुरा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मैदान में भराई कार्य का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है।

दिनांक	चेक संख्या	आहरणकर्ता	कार्यविवरण	धनराशि
19.4.18	10000695	मालती	मिट्टी भराई	20000.00
25.5.18	10000696	मालती	मिट्टी भराई	35000.00
26.6.18	100001241	मालती	मिट्टी भराई	28685.00
				83685.00

उक्त के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1- ₹0 83685.00 के सापेक्ष कराये गये कार्य के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये ।

2- वित्तीय स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।

3- मेजरमेन्ट पंजिका (अप्राप्त रही)। के आभाव में कितने घन मीटर मिट्टी पड़ी अज्ञात रहा ।

4- कार्यवाही रजिस्टर के आभाव में व्यय कि पुष्टि ग्राम पंचायत की बैठक में गरायी गयी है या नहीं स्पष्ट न हो सका

5-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

6' - ₹0 83685.00 का आहरण मालती द्वारा किया गया जो कि धन आहरण हेतु अनधिकृत व्यक्ति है।

उक्त के आभाव में स्पष्ट है कि प्रा0/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कोई मिट्टी भराई कार्य नहीं हुआ ₹0 83685.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय की सहमति से अनधिकृत व्यक्ति मालती के खाते में हस्तान्तरित कर के व्यय अपने पक्ष में किया गया । कोशवही में काल्पनिक रूप से मिट्टी भरायी में दर्शित किया गया अतः ₹0 83685.50 तत्कालीन ग्राम श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय एवं ₹0 41842.50 एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय से कराया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स 14)

प्रस्तर -67 ग्राम पंचायत भिड़ुरा वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस के ट्रेडर्स को निम्न प्रकार भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	चेक संख्या	फर्म का नाम	कार्यविवरण	धनराशि

12.6.18	10000700	एस के ट्रेडर्स	सोलर लाइट	112875.00
12.6.18	10000699	एस के ट्रेडर्स	सोलर लाइट	112875.00
				225750.00

उक्त के सापेक्ष निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1— सोलर लाइट क्रय से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2— कितनी नग सोलर लाइट क्रय की गयी यह अज्ञात रहा।

3— डेडस्टाक रजिस्टर में क्रय की गयी सोलर लाइट के लेखों के सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत कर नहीं करायी गयी।

4— आलोच्य वर्ष में ₹0 225750.00 के सोलर लाइट मनमाफिक ऐजेन्सियों से क्रय किये गये हैं। जब कि ग्राम पंचायत सिर्फ यू0पी0नेडा से ही सोलर लाइट क्रय कर सकती है। यू0पी0 नेडा द्वारा सोलर लाइट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाइट क्रय में यू0पी0नेडा को नजरअंदाज कर के भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के ₹0 225750.00 की वित्तीय अनियमिता की गयी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेशचन्द्र पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शेषमणि पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0स15)

ग्राम पंचायत का नाम लागानवारी विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर —68 ग्राम पंचायत लागानवारी में हैण्ड पम्प मरम्मत

निम्न विवरण अनुसार हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम
18.05.18	14200.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
15.6.18	38500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
10.9.18	38500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
26.10.18	5000.00	मजदूरी
1.11.18	11360.00	मजदूरी
20.11.18	14200.00	मजदूरी
26.11.18	38500.00	सामग्री
29.12.18	13150.00	मजदूरी
27.2.19	21005.00	सामग्री
30.3.19	20000.00	सामग्री
30.3.19	12000.00	सामग्री
30.3.19	50050.00	सामग्री
30.3.19	4900.00	सामग्री
30.3.19	32000.00	मजदूरी
योग	313365.00	

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियाँ हैं।

1—सामग्री एवं मजदूरी से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2— कार्य की एमवी अप्राप्त रही

3—हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4—कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5—कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6.—दिनांक 27.-2-19, 30-3-19 को 3 सामग्री मदों के सापेक्ष मजदूरी नहीं दिखाई गई है बिना मजदूरी के कार्य का होना संभव नहीं है। स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर संबंधित सामग्रियों के होने की पुष्टि भी नहीं करवाई गई है।

7—वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शासन देश संख्या ए-1 —.864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

8—उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई है जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

9- उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोशांकित है। किंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 313365.00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दशा करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री रंग बहादुर और सचिव श्री राजनाथ से की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0स0)

प्रस्तर -69 ग्राम पंचायत लागनवाडी में हैंडपंप रिबोर

निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है

दिनांक	भुगतान की राशि	कार्य का नाम	स्थान
29.01.19	60000.00	हैंडपंप रिबोर मैटेरियल	अज्ञात
13.2.19	58600.00	हैंडपंप रिबोर मैटेरियल	अज्ञात
योग 118600.00			

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1- संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2- कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3- हैंडपंप रिबोर की स्थल सूचीए लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5- ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोशवही में कोशांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीट / स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 118600.00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री रंगबहादुर और सचिव श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम चौरापुर बैदान विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -70 ग्राम पंचायत चौरापुर बैदान में हैंडपंप मरम्मत

निम्न विवरण अनुसार चौरापुर बैदान में हैंडपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम
15.5.18	48500.00	हैंडपंप मरम्मत सामग्री
18.5.18	4095.00	हैंडपंप मरम्मत मजदूरी
28.8.18	5075.00	मजदूरी
22.10.18	23500.00	हैंडपंप मरम्मत सामग्री
3.11.18	13460.0	मजदूरी
योग	94630.00	

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां हैं।

1- सामग्री एवं मजदूरी से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें।

2- कार्य की एमवी अप्राप्त रही

3- हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5- कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6- 28.8.18 को मजदूरी पर रु0 5075.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है। परन्तु हैंडपंप सामग्री क्रय नहीं

7- वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शासनादेश संख्या ए-1 -864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

8—उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

9— उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोशवही में कोशांकित है। किंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 94630.00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शित करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्री सुशील कुमार और सचिव श्री राजनाथ से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -71 चौरापुर बैदान में हैण्ड पम्प रिबोर

निम्न विवरण के अनुसार चौरापुर बैदान में हैण्डपंप रिबोर पर पंचायत द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम
18.7.18	18000.00	महेन्द्र का हैण्डपंप रिबोर
18.7.18	18000.00	गुलाब चन्द्र का हैण्डपंप रिबोर
18.7.18	18000.00	सुमित्रा का हैण्डपंप रिबोर
1.9.18	29800.00	श्यामा का हैण्डपंप
7.9.18	30100.00	लल्लन का हैण्डपंप रिबोर
7.9.18	29900.00	हौशिला का हैण्डपंप रिबोर
15.9.18	13500.00	महेन्द्र का हैण्डपंप रिबोर
15.9.18	13700.00	गुलाब का हैण्डपंप रिबोर
15.9.18	13200.00	सुमित्रा का हैण्डपंप रिबोर
7.2.19	29500.00	चौरा माता का हैण्डपंप रिबोर
7.2.19	29500.00	इन्द्रावती का हैण्डपंप रिबोर
1.3.19	29500	अलगू मिश्रा का हैण्डपंप रिबोर
योग	272700.00	

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1—संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2—कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3—हैंडपंप रिबोरकी स्थल सूची एवं लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4— कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5—ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोशवही में कोशांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीट/ स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 272700.00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री सुशील कुमार और सचिव श्री राजनाथ ग्राम विकासअधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम करियाँव विकास खण्ड सुरियावाँ जिला भदोही

प्रस्तर -72 ग्राम पंचायत करियाँव में हैण्ड पम्प मरम्मत

निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत करियाँव में हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम
11.5.18	10660.00	मजदूरी
18.5.18	38500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
28.9.18	48500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
9.10.18	45150.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
5.2.19	48500.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
18.2.19	10835.00	मजदूरी
29.3.19	9513.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री
29.3.19	4472.00	हैण्डपंप मरम्मत सामग्री

योग	216130.00

उक्त विवरण से सम्बन्धित निम्न लिखित आपत्तियां हैं।

- 1-सामग्री एवं मजदूरी से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
 - 2- कार्य की एमवी अप्राप्त रही।
 - 3-हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।
 - 4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
 - 5-कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।
 - 6- दिनांक 28.9.18, 9.10.18, 29.3.19 हैंडपंप सामग्री पर रु0 48500, 45150.00 और 9513.00, 4472.00 का व्यय कैशबुक में दर्शित है। परन्तु हैंडपंप मजदूरी नहीं दिखायी गयी है।
 - 7-वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शासन देश संख्या ए-1 -864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परन्तु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
 - 8-उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।
 - 9- उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोशांकित है। किंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।
- हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/ स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।
- इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 216130.00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शित करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार और सचिव श्री राजनाथ से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -73 ग्राम पंचायत करियाँव में हैंड पम्प रिबोर

निम्न विवरण के अनुसार करियाँव में हैंडपंप रिबोर पर ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम
29.6.18	22000.00	जयन्ती का हैंडपंप रिबोर
29.6.18	22000.00	ज्ञानेश्वर प्रसाद का हैंडपंप रिबोर
1.9.18	29700.00	शकर का हैंडपंप रिबोर
1.9.18	29900.00	लल्लन दूबे का हैंडपंप रिबोर
14.9.18	16200.00	जयन्ती और ज्ञानेश्वर हैंडपंप रिबोर
24.9.18	30900.00	कल्लू सेठ का हैंडपंप रिबोर
24.9.18	30800.00	राजकुमार का हैंडपंप रिबोर
28.12.18	29500.00	दिनेश लाल का हैंडपंप रिबोर
7.2.19	29500.00	छोटे लाल का हैंडपंप रिबोर
27.2.19	29500.00	सुरेन्द्र गुप्ता का हैंडपंप रिबोर
योग	270000.00	

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

- 1- संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2-कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
- 3- हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
- 4- कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
- 5-ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोशवही में कोशांकित है परन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंदियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीट/ स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार न करके क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 270000.00 का वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार और सचिव श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -74 ग्राम पंचायत करियॉव में स्ट्रीट लाइट

ग्राम पंचायत करियॉव में स्ट्रीट लाइट पर किया गया व्यय निम्न लिखित है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कृत कार्य
5.10.18	112500.00	जय श्री महाकाल इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट कय

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

- 1- कैशबुक एव बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दिनांक 5.10.18 को रू0 112500.00 का स्ट्रीट लाइट कय किया गया है। परन्तु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त है।
- 2- स्ट्रीट लाइट पर किये गये व्यय के सापेक्ष कोई भी एमबी प्राप्त नहीं हुई है।
- 3- इससे सम्बन्धित टेन्डर की आवश्यक प्रतियों की कोई भी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुयी है।
- 4- कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुयी है।
- 5- यह भी अज्ञात है कि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर यह लगाये गये हैं अथवा नहीं । और यदि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाये गये हैं तो पुराने स्ट्रीट लाइट के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही है।
- 6- स्ट्रीट लाइट किन स्थानों पर लगाये गये हैं यह भी अज्ञात है।
- 7- स्ट्रीट लाइट के लाभार्थी कौन हैं यह भी अज्ञात है।
- 8- आलोच्य वर्ष में रू0 112500.00 के स्ट्रीट लाइट की खरीद की गयी है । किन्तु उक्त के व्यय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार कय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट कय की गयी है कय दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है और न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है। इस प्रकार भण्डार कय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रू0 112500.00 व्यय कर के वित्तीय अपहरण प्रकाश में लाया गया है। जिसके लिए प्रधान श्री नरेन्द्र कुमार और सचिव श्री राजनाथ संयुक्त रूप से उत्तर दायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम घराव विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही

प्रस्तर -75

ग्राम पंचायत घराव में वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्न प्रकार भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	फर्म का नाम	कार्य विवरण	धनराशि
27.6.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	58200.00
27.6.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	38800.00
योग			97000.00

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

- 1-स्ट्रीट लाइट कय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।
- 2- फोटो, मेजरमेन्ट पुस्तिका ,कोटेशन पत्रावली , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- 3- वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी ।
- 4- कितनी नग स्ट्रीट लाइट, किस दर से कय कि गयी अज्ञात रहा।
- 5- डेडस्टाक रजिस्टर में कय की गयी स्ट्रीट लाइट के लेखा सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करायी गयी है।
- 6- स्टोक पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- 7- आलोच्य वर्ष में रू0 97000.00 के स्ट्रीट लाइट मनमाफिक एजेंसीयों से कय किये गये हैं किन्तु उक्त के कय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार कय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का स्ट्रीट लाइट कय की गयी और दरें न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी और न ही कय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट कय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है । इस प्रकार भण्डार कय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रू0 97000.00 स्ट्रीट लाइट कय हेतु कूटरचित तरीके से समायोजित किया गया है उक्त के सापेक्ष व्यय तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 14)

प्रस्तर -76 ग्राम पंचायत घराव में दिनांक 25.02.19 को चेक संख्या 23024 द्वारा परी इण्टर प्राइजेज से डस्टबीन रु0 49500.00 के कय किये गये है।

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ है।

- 1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमणाक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।
- 2- मेजरमेन्ट पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही ।
- 3- उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन की स्थिति अज्ञात रही ।
- 4-डस्टबिन स्थापना किन स्थानों पर हुयी यह भी अज्ञात रहा ।
- 5-डस्टबिन के लेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित न करके डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त के अभाव में स्पष्ट है ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का डस्टबिन स्थापित नहीं कराया गया है । उक्त व्यय को कोशवही में कूटरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपने पक्ष में किया गया है अतः संयुक्त रूप इसकी वसूली ग्राम प्रधान से रु0 24750.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी से रु0 24750.00 की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बिनोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 15)

प्रस्तर -77 ग्राम पंचायत घराव में दिनांक 15.3.19 को चेक संख्या 29121 द्वारा खेल कूद सामग्री ज्ञान स्पोर्ट्स को रु0 10000.00 भुगतान किये गये ।

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियाँ है।

- 1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमणाक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।
- 2-कौन सी किडा सामग्री किस दर से कितने नग कय की गयी अज्ञात रहा ।
- 3- उक्त केलेखे डेडस्टाक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त के अभाव में स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में कोई खेलकूद सामग्री कय नहीं किये गये उक्त को काल्पनिक रूप से कोशवही में दर्शित कर व्यय तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में किया गया अतः संयुक्त रूप से इसकी वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। अतः रु0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बिनोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी से रु0 5000.00 की ब्याज सहित वसूली श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप से की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 16)

प्रस्तर -78 ग्राम पंचायत घराव में दिनांक 4.03.19 को चेक संख्या 29122 से रु0 1770.00 की कोशवही में स्टेशनरी कय किया जाना दर्शित है।

- 1- व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमणाक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि अपहरण के अन्तर्गत आती है।
- 2- क्या कय किया गया कितने नग किया गया किस दर से किया गया की जानकारी अप्राप्त रही ।
- 3- उक्त से स्पष्ट है कि उक्त को काल्पनिक रूप से कोशवही में दर्शित कर व्यय तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में किया गया है।
- 4- अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बिनोद कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 17)

ग्राम पंचायत का नाम मदनपुर विकास खण्ड सुरियाँवा जिला भदोही

प्रस्तर -79 ग्राम पंचायत मदनपुर वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण माध्यमिक विालय के मैदान में मिट्टी भराई कार्य का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है।

दिनांक	आहरण कर्ता	कार्य विवरण	धनराशि
12.6.18	प्रधान	मिट्टी भराई	4375.00
14.6.18	अखिलेश	मिट्टी भराई	31000.00
			34375.00

उक्त के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है।

- 1- रु0 34375.00 के सापेक्ष कराये गये कार्य के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है
- 2- कार्य की वित्तीय स्वीकृति ,तकनीकी स्वीकृति , लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ।
- 3- मेजरमेन्ट पुस्तिका प्रस्तुत नहीं कि गयी के आभाव में कितने घन मीटर मिट्टी पड़ी अज्ञात रहा ।
- 4- कार्यवाह रजिस्टर के अभाव में व्यय की पुष्टि ग्राम पंचायत की बैठको में करायी गयी है या नहीं स्पष्ट न हो सका ।

5- ₹0 31000.00 का आहरण अखिलेश द्वारा किया गया जो कि आहरण हेतु अनाधिकृत व्यक्ति है।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त के अभाव में अस्पष्ट है कि पूर्व मा0 वि0 में कोई मिट्टी भराई कार्य नहीं हुआ। ₹0 34375.00 प्रधान श्री रमेश यादव एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह की सहमती से प्रधान द्वारा 4375.00, ₹0 31000.00 अनाधिकृत व्यक्ति अखिलेश के खाते हस्तान्तरित कर के व्यय अपने पक्ष में किया गया कोशवही में काल्पनिक रूप से मिट्टी भराई दर्षित किया गया अतः ₹0 17137.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव एवं ₹0 17137.50 तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 14)

प्रस्तर -80 ग्राम पंचायत मदनपुर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में एस0 के0 ट्रेड्स को निम्न प्रकार भुगतान किए गये हैं।

दिनांक	फर्म का नाम	कार्य विवरण	धनराशि
14.9.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	91000.00
14.9.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	91000.00
14.9.18	जय अम्बे इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट	45500.00
			227500.00

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियां हैं

1-स्ट्रीट लाइट क्रय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2- सक्षम अधिकारी से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

3- कितनी नग स्ट्रीट लाइट किस दर से क्रय की गयी अज्ञात रहा।

4- डेडस्टाक रजिस्टर में क्रय की गयी स्ट्रीट लाइट के लेखा सन्दर्भ में जानकारी डेडस्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करायी गयी है।

5- आलोच्य वर्ष में ₹0 227500.0 के स्ट्रीट लाइट मनमाफिक एजेन्सीयों से क्रय किये गये हैं किन्तु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के मनमाफिक कम्पनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों का स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी और दरे न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की गयी है उनको न तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार भण्डार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में ₹0 227500.00 क्रय कर के वित्तीय अनियमितता की गयी जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0स0 15)

प्रस्तर -81 हैण्डपम्प रिबोर

निम्न वितरण के अनुसार ग्राम पंचायत मदनपुर में हैण्डपम्प रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का नाम
1.5.18	12500.00	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
3.5.18	25000.00	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
24.5.18	17400.00	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
13.11.18	25000.0	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.12.18	17400.00	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.12.18	17300.0	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.12.18	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.12.18	17300	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.3.19	17400	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.3.19	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
5.3.19	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
7.3.19	12500	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
15.3.19	25000	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
18.3.19	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
18.3.19	17400	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
18.2.19	17300	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
4.2.19	17300	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
4.2.19	17300	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर

7.2.19	12500	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
14.2.19	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
26.2.19	25000.00	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
14.2.1.9	17400	विजय विल्डिग मटेरियल	
18.3.19	17300	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
26.3.19	11200	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
27.3.19	17400	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
29.3.19	12500	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
29.3.19	17200	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
29.3.19	17400	विजय विल्डिग मटेरियल	सामग्री हैण्डपंप रिबोर
29.3.19	12500	प्रधान	हैण्डपंप रिबोर मजदूरी
योग	517800.00		

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1— संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिपेक्ष में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।

2— कार्य की मेजर मेन्ट पुस्तिका अप्राप्त रही। हैण्डपंप खराबी के सापेक्ष एक भी प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती की हैण्ड पम्प खराब थे

3— हैण्डपंप रिबोर किस स्थान पर हुआ अज्ञात रहा। बिना स्थल के चयन के कार्य कराया जाना असम्भव है स्थान के विवरण न देने से अस्पष्ट है कि उक्त कार्य काल्पनिक रूप कोशवही में दर्शाकर मजदूरी का भुगतान प्रधान द्वारा आहरण कर एवं सामग्री का फर्म को टान्सफर करते हुए धन का व्यय अपने पक्ष में किया गया है।

20 हैण्डपम्प रिबोर के सापेक्ष सामग्री का भुगतान एवं 14 हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी के सापेक्ष भुगतान कोशवही में दर्शित है। 6 हैण्डपंप रिबोर के सापेक्ष मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। बिना मजदूरी भुगतान के हैण्डपम्प रिबोर तैयार कराया जाना असम्भव है।

4— हैण्डपम्प से निकली डिस्पोजल सामग्री डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में दर्शाकर डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

5— कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा

6— कृत कार्य की त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

7— ग्राम पंचायत अनुभाग 3 के श०दे०सं० 51/2017/1211 /33-3-2017 - 46 / 2015 दिनांक 19.6.17 को इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ जल निगम की प्रतिक्षा सूची और जन निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे

8— हैण्डपम्प सामग्री क्रय हेतु रु० 346100.00 का भुगतान बिजय विल्डिग को एवं मजदूरी भुगतान रु० 171700.00 प्रधान द्वारा आहरित कर मजदूरी भुगतान हेतु दर्शाया गया है इस प्रकार 517800.00 का हैण्डपम्प रिबोर कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है। अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान रमेश यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०स० 16)

प्रस्तर -82 ग्राम पंचायत मदनपुर में डस्टबिन क्रय के सापेक्ष निम्न प्रकार किये गये हैं।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	
25.3.19	99000.00	राधा इण्टर प्राइजेज	
27.3.19	49500.00	राधा इण्टर प्राइजेज	
योग	148500.00		

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तियां रही

1— व्यय प्रमाण अप्राप्त रहा।

2— वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

3— मेजरमेन्ट पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

4— रु० 99000.00 के सापेक्ष 10 डस्टबीन क्रय किया गया है रु० 9900.00 की एक डस्टबीन क्रय किया जाना लागत से अधिक प्रतीत होता है। उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन की स्थिति अज्ञात रही।

5— भण्डार क्रय नियमों का पालन न कर के गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर मनमाफिक एजेन्सी से क्रय कर के रु० 148500.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है।

6— डस्टबिन के लेखे डेडस्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेडस्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उक्त धनराशि की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।

(सा०आ०स० 17)

1-ग्राम पंचायत का नाम जगदीशपुर विकास खण्ड सुरियावाँ जिला भदोही

प्रस्तर -83

हैण्डपम्प मरम्मत

निम्नविवरण अनुसार ग्राम पंचायत जगदीशपुर हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया है

दिनांक	भुगतान धनराशि	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्त कर्ता
4.5.18	10000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	महेन्द्र
4.7.18	48500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	लक्ष्मी हार्डवेयर
31.7.18	13655	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रधान
11.7.18	14200	मजदूरी	प्रधान
18.9.18	38500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	लक्ष्मी हार्डवेयर
29.9.18	12975	मजदूरी	प्रधान
20.10.18	14200	मजदूरी	प्रधान
25.12.18	40000.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रधान
7.2.19	38500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	लक्ष्मी हार्डवेयर
29.3.19	30500	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री	प्रकाश एण्ड कम्पनी
योग	261030.00		

उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तिया रही

निम्न वितरण अनुसार हैण्डपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया

- 1- संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2.-कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
- 3.-हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।
- 4.-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही ,
- 5-कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6-दिनांक 25.12.18 7-12-19, 29-3-19 को सामग्री के सापेक्ष मजदूरी नहीं दिखाई गई है बिना मजदूरी के कार्य का होना संभव नहीं है। स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर संबंधित सामग्रियों के होने की पुष्टि भी नहीं करवाई गई है।

7-दिनांक 4.5.18 को रु0 10000 ,31718 को 13655.00 तथा 25.12.18 को 40000.00 को कि हैण्डपंप सामग्री का भुगतान फर्म को ना कर व्यक्ति अर्थात अनधिकृत व्यक्ति महेन्द्र और प्रधान को क्रमशः किया गया है।

8-वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23.9.18 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु लेखा परीक्षा में कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

9-उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैण्डपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

इस प्रकार हैण्डपंप सामग्री क्रय परंतु मजदूरी पर भुगतान न करके तथा सामग्री क्रय का भुगतान संबंधित फर्म को न करके एवं कोटेशन की प्रक्रिया का पालन न कर के रुपया 261030.00 हैण्डपंप मरम्मत पर व्यय कर के वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री नन्हकू राम ग्राम प्रधान एवं श्री राजनाथ ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0स0 11

प्रस्तर -84 हैण्डपम्प रिबोर

ग्राम पंचायत जगदीशपुर में निम्न विवरण अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर खर्च किया गया है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का नाम
1.5.18	20000.00	अशोक हार्डवेयर	सहकारी समिति का हैण्ड पम्प रिबोर
6.6.18	18750.00	अशोक हार्डवेयर	लालजी हरि का हैण्डपंप रिबोर
21.6.18	19350.00	प्रकाश एण्ड कम्पनी	लालजी हरि0 का हैण्डपंप रिबोर
24.8.18	29624.00	गुरु गोरखनाथ इण्टर प्राइजेज	पंचायत भवन प्रगण हैण्डपंप रिबोर
24.8.18	29624.00	गुरु गोरखनाथ इण्टर प्राइजेज	सूबेदार तिवारी हैण्डपंप रिबोर
24.9.18	30900.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	कृष्ण मुरारी हैण्डपंप रिबोर
27.12.18	31300.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	अमीला हरि0 का हैण्डपंप रिबोर
28.12.18	20165	अशोक हार्डवेयर	शेषधर पाण्डेय हैण्डपंप रिबोर
17.1.19	20500.00	अशोक हार्डवेयर	मुन्ना पाण्डेय का हैण्डपंप रिबोर
22.1.19	29500	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	पारस नाथ का हैण्डपंप रिबोर

28.1.19	20500	अशोक हार्डवेयर	सुभाश पाठक हैण्डपंप रिबोर
31.1.19	20500	अशोक हार्डवेयर	बजरंगवली मन्दिर का हैण्डपंप रिबोर
13.3.19	20000.00	प्रकाश एण्ड कम्पनी	राजन का हैण्डपंप रिबोर
27.3.19	20500.00	प्रकाश एण्ड कम्पनी	राजेन्द्र पाठक का हैण्डपंप रिबोर
	331213.00		

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2- कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
- 3.-हैण्डपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
- 4-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण / अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
- 5-ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोशांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैण्डपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इन्दाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैण्डपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीट स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार न करके क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 331213 की वित्तीय अनियमितता किया गया है जिसके लिए श्री नन्हकू राम ग्राम प्रधान एवं श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। सा0आ0स0 12

प्रस्तर -85 स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचपायत जगदीशपुर पर व्यय किया गया निम्नलिखित है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कृत कार्य
5.10.18	135000.00	जय श्री महा काल इण्टर प्राइजेज	स्ट्रीट लाइट क्रय

उपरोक्त विवरण पर आपत्तियां निम्नलिखित हैं

- 1-स्ट्रीट लाइट से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 2- स्ट्रीट लाइट पर किए गए व्यय के सापेक्ष में कोई भी एमबी प्राप्त नहीं हुई है।
- 3-इससे संबंधित टेंडर की आवश्यक प्रक्रिया कि कोई भी पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है।
- 4-कार्य-पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुई है।
- 5-यह भी अज्ञात है कि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर यह लगाए गए हैं अथवा नहीं और यदि पुराने स्ट्रीट लाइट के स्थान पर लगाए गए हैं तो पुराने स्ट्रीट लाइट के निस्तारण की क्या प्रक्रिया रही है।
- 6-स्ट्रीट लाइट किन स्थानों पर लगाए गए हैं यह भी अज्ञात है।
- 7-स्ट्रीट लाइट के लाभार्थी कौन है यह भी अज्ञात है।
- 8-आलोच्य वर्ष में रुपया 135000.00 के स्ट्रीट लाइट की खरीद की गई है किंतु उक्त के क्रय हेतु आलोच्य वर्ष में भंडार क्रय नियमों का पालन न करके मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धी दरों पर स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है। क्रय दरे ना तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराई गई हैं और ना ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गई है। जिस फर्म से उक्त स्ट्रीट लाइट क्रय की गई है उनको ना तो स्ट्रीट लाइट आपूर्ति कराने का आदेश दिया गया है और नहीं उनसे किसी प्रकार का इकरारनामा किया गया है। इस प्रकार भंडार क्रय नियम आदि का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रुपया 135000.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री नन्हकू राम एवं श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है। सा0आ0स0 13

प्रस्तर -86

ह्यूम पाइप

ग्राम पंचायत जगदीशपुर ह्यूम पाइप से समन्वित निम्नलिखित व्यय हुआ है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कार्य का नाम
17.10.18	60000.00	आदर्श इण्टर प्राइजेज	ह्यूम पाइप
20.10.18	5775.00	प्रधान	मजदूरी
29.3.19	70000.00	आदर्श इण्टर प्राइजेज	ह्यूम पाइप
योग	135775.00		

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

- 1.व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
- 2-कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण / अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

3.—उपर्युक्त के संदर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के संदर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा बिना कार्यस्थल के संपूर्ण भुगतान संदिग्ध है।

4.—इस कार्य में गिट्टी बालू सीमेंट छड़ आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

5.—मजदूरी का भुगतान प्रथम कार्य में किया गया है लेकिन दूसरे कार्य में मजदूरी शून्य है और संबंधित सामग्री को स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर पुष्ट नहीं कराया गया है प्रथम सामग्री क्रय के संदर्भ में मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल भी ऑडिट के समय उपलब्ध नहीं रहा।

इस प्रकार क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रुपया 135775.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री नन्हकू राम ग्राम प्रधान एवं श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0स0 14

प्रस्तर —87

ग्राम पंचायत जगदीशपुर प्रा0 वि0 की बाउन्ड्री में निम्न लिखित व्यय किया है।

दिनांक	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता	कृत कार्य
14.6.18	35000.00	आर के ट्रेडर्स	सीमेंट बालू
20.8.18	19995.00	प्रधान	मजदूरी भुगतान
4.9.18	19995.00	प्रधान	मजदूरी भुगतान
28.1.19	19995.00	प्रधान	मजदूरी भुगतान
29.1.19	28500.00	पायल हार्ड वेयर	गेट
30.1.19	8500.00	गुरु भवानी विल्डिंग मैटेरियल	शौचालय और बाउन्ड्री के वास्ते सीमेंट बालू
योग	131985.00		

उपरोक्त कार्य से संबंधित आपत्तियां निम्नलिखित हैं

1— व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा, सामग्री की मात्रा एवं दर भी अज्ञात रहा।

2—कार्य की एमबी अप्राप्त रहा।

3—कार्य में मजदूरी के सापेक्ष कोई भी मस्टररोल प्राप्त नहीं हुआ है।

4—कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त है।

5—प्राथमिक विालय की बाउन्ड्री निर्माण में सामग्री के रूप में केवल सीमेंट और बालू की खरीद की गई है साथ ही गेट की सामग्री पर व्यय दिखाया गया है परंतु प्राथमिक विालय के बाउन्ड्री निर्माण में प्रमुख घटक ईट का उल्लेख कहीं नहीं दिखाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि यह एक काल्पनिक व्यय है क्योंकि बिना महत्वपूर्ण सामग्री ईट के प्राथमिक विालय की बाउन्ड्री का निर्माण केवल सीमेंट बालू और गेट के साथ नहीं हो सकता।

6— माह जून 2018 में सीमेंट खरीद करके जनवरी 2019 तक कार्य कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि सीमेंट वर्षा काल में खराब होने पूरी संभावना प्रतीत होती है।

इस प्रकार नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त मद में रुपया 131985.00 व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गई है जिसके लिए श्री नन्हकू राम ग्राम प्रधान एवं श्री राजनाथ ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से किया जाना अपेक्षित है।

सा0आ0स0 15

प्रारूप-4

जनपद-मीरजापुर मण्डल-विन्ध्याचलधाम
ग्राम पंचायतों से संबंधित गंभीर आपत्तियां

1. ग्रा0पं0-ढेलवासपुर ककरही विकास खण्ड-जमालपुर जनपद-मीरजापुर

ग्राम पंचायत ढेलवासपुर ककरही के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग/ अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है :

प्रस्तर-1. आलोच्य वर्ष में कोश बही में निम्न विवरणानुसार भिन्न-भिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान खारिज किया गया है:

दिनांक	कार्य का नाम	सामग्री का नाम/विवरण	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया है	भुगतान का विवरण चेक सं० व धनराशि
12.3.19	नन्दू के घर से भोका नाला तक ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण ।	अज्ञात	शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज	002359 / 15455.00 (चतुर्थ राज्य वित्त)

13.3.19	नन्दू के घर से भोका नाला तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	अज्ञात	एस0 के0 एस0 ईट उोग	002361 / 3280.00 (चतुर्थ राज्य वित्त)
12.3.19	ढेलवासपुर में स्कूल के पीछे ह्यूम पाइप द्वारा नाली निर्माण ।	अज्ञात	शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज	002362 / 10412.00 (चतुर्थ राज्य वित्त)
12.3.19	विजय के घर से शारदा के घर तक नाली व इण्टर लाकिंग कार्य ।	अज्ञात	शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज	002355 / 77913.00 (14वें वित्त)
13.3.19	विजय के घर से शारदा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	अज्ञात	एस0 के0 एस0 ईट उोग	002356 / 13120.00 (14वें वित्त)
12.3.19	भगवान दास के घर से प्रमोद के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	अज्ञात	शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज	002357 / 50638.00 (चतुर्थ राज्य वित्त)
13.3.19	भगवान दास के घर से प्रमोद के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य	अज्ञात	एस0 के0 एस0 ईट उोग	002358 / 13120.00 (चतुर्थ राज्य वित्त)
योग				183938.00

उपरोक्तानुसार क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे क्रय सामग्री का विवरण अज्ञात रहा । साथ ही कोश बही के अनुसार दिनांक 31-03-2019 तक उपरोक्तानुसार दर्शित कार्यों पर मजदूरी पर व्यय शून्य है जिससे स्पष्ट है कि क्रय सामग्री का उपभोग दिनांक 31-03-2019 तक नहीं हुआ है और न ही लेखा परीक्षा में उक्त सामग्री का स्टॉक पंजिका उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार उपरोक्तानुसार क्रय सामग्री जिसका कुल कीमत रु0 183938.00 होता है का तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुखु राम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या-02)

2. ग्रा0पं0-कूड़ी

विकास खण्ड-राजगढ़

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-2.

ग्राम पंचायत-कूड़ी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधोलिखित विवरणानुसार धनराशियां व्यय किया जाना कोश पंजिका (रूप पत्र संख्या-6) तथा निधि-1 के बैंक लेखा संख्या-22169494255, इलाहाबाद बैंक, शाखा राजगढ़ के बैंक स्टेटमेंट से विदित होता है-

क्र0सं0	प्रमाणक संख्या व दिनांक चेक संख्या	विवरण	धनराशि
1	01 / 14.09.2019 / 029882	विविध व्यय-जनता स्टेशनरी	9220.00
2	17 / 25.10.2018 / 029896	फोटो ग्राफी-जनता स्टेशनरी	750.00
3	20 / 02.11.2018 / 036262	विविध व्यय-जन स्टेशनरी	3910.00
4	40 / 29.01.2019 / 016890	जी.पी.डी.पी.बोर्ड-जन स्टेशनरी	2000.00
5	49 / 19.03.2019 / 016899	विविध व्यय-जन स्टेशनरी	8095.00
योग रुपया			23975.00

उक्त सभी भुगतान में जनता स्टेशनरी एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स को किया जाना कोश पंजिका में अंकित है किन्तु उक्त में से किसी भी भुगतान के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। इस प्रकार कोश पंजिका में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त कुल धनराशि रु0 23975.00 (रु0 तेइस हजार नौ सौ पचहत्तर मात्र) का अपहरण किया गया जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह पर जाता है।

अतः उक्त धनराशि रु0 23975.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से ब्याज सहित किया जाना चाहिये।

(मूल आपत्ति संख्या-32)

3. ग्राम पंचायत-धनावल

विकास खण्ड-राजगढ़

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-3.

ग्राम पंचायत-धनावल के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विधि व्यय/लेखन सामग्री क्रय के विरुद्ध अधोलिखित विवरणानुसार भुगतान किया जाना कोश पंजिका (रूप पत्र संख्या-6) में दर्शित है-

क्र0सं0	प्रमाणक संख्या व दिनांक	विवरण	फर्म का नाम	धनराशि
1	03, दि0 12.06.2018	विविध व्यय	विकास फोटो स्टेट	1888.00
2	04, दि0 18.06.2018	विविध व्यय	जनता स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग	4790.00
3	13, दि0 30.08.2018	विविध व्यय	अंकित नहीं है	4000.00
4	23, दि0 02.11.2018	विविध व्यय	जनता स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग	8805.00
5	30, दि0 29.01.2019	पलेक्स बोर्ड	जनता स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग	2000.00

6	39, दि० 19.03.2019	विविध व्यय	विकास फोटो स्टेट	5598.00
7	41, दि० 19.03.2019	विविध व्यय	जनता स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग	4320.00
योग				31401.00

उक्त दर्शित व्यय के विरुद्ध कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन व्यय कोश पंजिका में दर्शाकर धनराशि रु० 31401.00 का अपहरण किया गया है जिसका पूर्ण दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती सोनाली तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह पर जाता है।

अतः उक्त धनराशि रु० 31401.00 (रु० एकतीस हजार चार सौ एक मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सोनाली तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-32)

4. ग्राम पंचायत-सरिया विकास खण्ड-राजगढ़ जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-4. दिनांक 26.06.2018 को ग्राम निधि-1 के लेखा से अधोलिखित चेक संख्या द्वारा धनराशि का आहरण कोश पंजिका में अंकित है-

1	चेक संख्या	187	133745.00
2	चेक संख्या	188	133745.00
3	चेक संख्या	189	133745.00
4	चेक संख्या	190	133745.00
कुल योग			534980.00

उक्त चारों आहरण के विरुद्ध व्यय पक्ष में कोई भी व्यय दर्शित नहीं पाया गया। व्यय प्रमाणक भी नहीं प्रस्तुत किये गये। इस आधार पर रु० 534980.00 का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि चेक किसे निर्गत किये गये।

अतः उक्त धनराशि रु० 534980.00 (रुपया पांच लाख चौतीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रुची सिंह तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम नरेश से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-32)

5. ग्राम पंचायत-चिन्दलिख विकास खण्ड-कोन जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-5. ग्राम पंचायत चिन्दालिख विकास खण्ड कोन, जनपद मिरजापुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-

1. ग्राम पंचायत के कोश रजिस्टर में दिनांक 03.05.2018 को रु० 52500.00 विगत वर्ष 2017-18 का मानदेय रु० 52500.00 का भुगतान ग्रा०प० अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत कर धनराशि का भुगतान ग्राम प्रधान श्री आनन्द कुमार सिंह को किया गया है। लेखा परीक्षा दौरान मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत के बैंक पासबुक खाते में वर्षान्त तक पर्याप्त धनराशि होते हुए भी मानदेय बकाया रखने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। नियमानुसार प्रत्येक माह के समाप्ति के उपरान्त ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन मानदेय का भुगतान कर धनराशि रु० 52500.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्रा०प०अधि० श्री मनोज कुमार बिन्द एवं ग्राम प्रधान श्री आनन्द कुमार सिंह से बराबर-बराबर भाग में किया जाना आवश्यक है।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

6. ग्राम पंचायत-बनकी विकास खण्ड-पटेहरा कला जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत बनकी विकास खण्ड पटेहरा कला जिला मीरजापुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के कोश रजिस्टर में दिनांक 25.04.2018 को विगत वर्ष 2017-18 का बकाया मानदेय रु० 21000.00 का भुगतान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत कर धनराशि का भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी को किया गया है। लेखा परीक्षा दौरान मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायत के बैंक पासबुक खाते में वर्षान्त तक पर्याप्त धनराशि होते हुए भी मानदेय बकाया रखने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। नियमानुसार प्रत्येक माह के समाप्ति के उपरान्त ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन मानदेय का भुगतान कर धनराशि रु० 21000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनन्द सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-26)

7. ग्राम पंचायत-मझिगावां विकास खण्ड-कोन जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत मझिगावां क्षेत्र पंचायत कोन जिला मिजापुर के वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के कोश रजिस्टर में दिनांक 18.04.2018 को रु0 42000.00 विगत वर्ष 2017-18 का बकाया मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक निर्गत कर धनराशि का भुगतान ग्राम प्रधान श्री लालचन्द को किया गया है। लेखा परीक्षा दौरान मानदेय रजिस्टर अप्राप्त रहा ग्राम पंचायत के बैंक पास बुक में उक्त वर्ष के अन्त तक पर्याप्त धनराशि होते हुए भी ग्राम प्रधान का मानदेय बकाया रखने का औचित्य सिद्ध नहीं होता है। नियमानुसार प्रत्येक माह के समाप्ति के उपरान्त ग्राम प्रधान को मानदेय का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। अतः प्रमाणक विहीन बकाया मानदेय का भुगतान कर धनराशि रु0 42000.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली श्री मनोज कुमार बिन्दु ग्रा0पं0अ0 एवं श्री लालचन्द ग्राम प्रधान से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपति संख्या-26)

8. ग्राम पंचायत-नौगवां विकास खण्ड-हलिया जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-8.आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम पंचायत नौगवां की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी है जिसमें अपहरण संबंधी निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए, विवरण निम्नवत् है :

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर (व्यय प्रमाणक) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल 2018 में रु0 423880.00, मई 2018 में रु0 355690.00, जून 2018 में रु0 1526394.00, जुलाई 2018 में रु0 37800.00, अगस्त 2018 में 248510.00 धनराशि आहरित एवं विभिन्न मदों में व्यय दर्शित है। इस प्रकार माह अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 तक दर्शित कुल व्यय धनराशि रु0 2592274.00 के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाए गए।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय संबंधी अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, आंगणक, माप पुस्तिकाएं, बाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं पत्रावलियाँ आदि ग्राम पंचायत के पास नहीं पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरित धनराशि ग्राम पंचायत प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अमर बहादुर सिंह से क्रमशः आधी-आधी की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपति संख्या-24)

9. ग्राम पंचायत-हडौरा विकास खण्ड-पटेहरा कला जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-9. वित्तीय वर्ष 2018-19 में मजदूरी श्रमांश मद में ग्रा0 विालय हडौरा के बाउन्ड्री वॉल निर्माण हेतु रु0 154600.00 व्यय किया गया है। जिसका भुगतान मजदूरों को न कर कियी अन्य व्यक्ति को चेक निर्गत कर अनियमित रूप से भुगतान किया गया है।

दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्त कर्ता
31.01.2019	67,300.00	श्री महेन्द्र कुमार राय
31.01.2019	87,300.00	श्री महेन्द्र कुमार राय
योग	1,54,600.00	

उपरोक्तानुसार रु0 1,54,600.00 श्री महेन्द्र कुमार राय को अनियमित रूप से चेक निर्गत कर भुगतान किया गया है। नियमानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से किये जाने का शासन से निर्देश है। अतः स्पष्ट है कि ग्राम सभा प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के मिली भगत से किसी अन्य व्यक्ति के नाम चेक निर्गत कर अनियमित रूप से मजदूरी का भुगतान किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री विनन्द सिंह से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-26)

10. ग्राम पंचायत-अरंगी सरपती

विकास खण्ड-छानबे

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-10.

ग्राम पंचायत अरंगी सरपती के वर्ष 2018-19 की लेखा-परीक्षा अपहरण/दुरुपयोग अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित-
लेखा परीक्षा में प्रस्तुत निधि प्रथम खाता सं0 50046837169 (इलाहाबाद बैंक शाखा विजयीपुर) के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आलोच्य वर्ष में दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 के मध्य भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल रु0 2814975.00 का डेबिट / आहरण हुआ है जिसके व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख / व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि रु0 2814975.00 का तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अतएव आहरित धनराशि रु0 2814975.00 की वसूली उत्तरदायी प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शेष नारायण से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

11. ग्राम पंचायत-खैरा

विकास खण्ड-छानबे

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत खैरा के वर्ष 2018-19 की लेखा-परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण / के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके सम्बन्ध में आवश्यक ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

1. आलोच्य वर्ष में कोश बही में निम्नविवरणानुसार भिन्न-भिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान खारिज किया गया है-

दिनांक	कार्य का नाम	सामग्री का नाम/विवरण	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया है	भुगतान का विवरण चेक सं0 व धनराशि
26.3.19	नहर से बाँके सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	ईट 17650 नग दर 6565.00 प्रति हजार एवं राबिस 44 घन मी0 दर600.00 प्रति घन मी0	डी0आर0एस0 ईट भट्टा	024214 / 142272.00 (14वें वित्त)
26.3.19	नहर से बाँके सिंह के घर तक खडंजा निर्माण	मोरंग बालू 22 घन मी0 दर630.00 प्रति घन मी0	कृष्णा बिल्डिंग मेटेरियल	024215 / 13860.00 (14वें वित्त)
योग				156132.00

कोश बही के अनुसार दिनांक 31.03.2019 तक उपरोक्तानुसार दर्शित कार्य पर मजदूरी पर व्यय शून्य है जिससे स्पष्ट है कि क्रय सामग्री का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक नहीं हुआ है और न ही लेखा परीक्षा में उक्त सामग्री का स्टॉक पूँजी ही उपलब्ध कराया गया । इस प्रकार उपरोक्तानुसार क्रय सामग्री जिसका कुल कीमत रु0 156132.00 होता है का तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती अनिता सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गौरव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

12. ग्राम पंचायत-जोपा

विकास खण्ड-छानबे

जनपद-मीरजापुर

ग्राम पंचायत जोपा के वर्ष 2018-19 की लेखा-परीक्षा में निम्न विवरणानुसार अपहरण/दुरुपयोग/ अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है-

प्रस्तर 12 आलोच्य वर्ष में कोश बही में चौदहवें वित्त योजनार्तगत निम्न विवरणानुसार भिन्न-भिन्न तिथियों में सोलर लाईट अधिष्ठापन हेतु रु0 135000.00 का भुगतान खारिज किया गया है-

दिनांक	चेक सं0	फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया है	धनराशि
04.09.2018	049800	माँ इण्टरप्राइजेज	90000.00
13.09.2018	050961	माँ इण्टरप्राइजेज	45000.00
योग			135000.00

उ0प्र0 शासनादेश सं0 33/2017/977/45-वि0(अति0ऊ0स्त्रो0वि0)/2017 दिनांक 29.08. 2017 के अनुसार सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण (यूपीनेडा) से कराया जाना था जबकि स्थानीय प्रतिष्ठान माँ इण्टरप्राइजेज से कराया गया है जो भारत सरकार के निर्धारित मानको एवं गुणवत्ता को पूर्ण नहीं करते है। इस प्रकार किया गया व्यय पूर्णतः अनियमित है जिसके प्रति आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-03)

13. ग्राम पंचायत-मनोहरपुर

विकास खण्ड-पहाड़ी

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-13. दिनांक 14.02.2019 को चेक सं० 416183 के द्वारा रु० 21000.00 (इक्कीस हजार मात्र) आहरण बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। परन्तु उक्त तिथि में कोशवही में आहरण न दर्शाकर रु० 21000.00 अपहरण कर लिया गया है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री सिद्धनाथ (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुभाश चन्द्र यादव (ग्राम पं० वि० अधिकारी) से ब्याज सहित वसूली की जाये ।

(मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर-14. दिनांक 18.05.2018 को हैण्ड पम्प रिबोर के कार्य का भुगतान रु० 88758.00 कोशवही में भुगतान किया गया दार्शित है जिसके सापेक्ष भुगतान का कोई भी प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उक्त भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा०पं०वि० श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर-15 निम्न तिथियों में हिन्दुस्तान ट्रैक्टर रिपेयरिंग को भुगतान कोशवही में दर्शित है जिसका कोई प्रमाणक अथवा पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी, साथ ही यह भी आपत्ति है कि यह ट्रैक्टर कैसा / किसका है जो ग्राम पंचायत रिपेयर करा रही है इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये ।

दिनांक	धनराशि	अतः रु० 114000.00 की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं० वि० से किया जाना अपेक्षित है।
28.05.2018	90,000.00	
02.06.2018	14000.00	
25.06.2018	10000.00	
योग	114000.00	

इस प्रकार रु० 114000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-06)

प्रस्तर-16. निम्नांकित तिथियों में ग्राम पंचायत में सोलर लाईट लगाने का भुगतान कोशवही में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक / पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी—

दिनांक	धनराशि
08.08.2018	376200.00
25.10.2018	146300.00
योग	522500.00

अतः उक्त धनाशि की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा०पं० वि० अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से व ब्याज सहित सूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-17. निम्नांकित तिथियों में हैण्ड पम्प सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान कोशवही में दर्शित है जिसके सापेक्ष भुगतान का कोई भी प्रमाणक एवं अन्य पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री		मजदूरी	
दिनांक	धनराशि	तिथि	धनराशि
22.10.2018	59116.00	03.11.2018	7350.00
23.10.2018	3100.00	19.03.2019	3500.00
19.03.2019	50145.00	योग	10850.00
योग	112361.00		

अतः उक्त कुल रु० 123211.00 की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा०पं०वि० अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-07)

प्रस्तर-18. निम्नांकित तिथियों में प्रा० पाठशाला जरहा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण का भुगतान कोशवही में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक व पत्रावली पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ।

सामग्री		मजदूरी	
दिनांक	धनराशि	तिथि	धनराशि
30.11.2018	213226.00	22.10.2018	70,000.00
16.01.2019	154204.00	03.11.2018	7350.00
14.01.2019	218511.00	06.11.2018	50,000.00

योग	585941.00	14.01.2019	30418.00
		योग	157768.00

अतः उपरोक्त धनराशि रु0 743709.00 की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-09)

प्रस्तर-19. दिनांक 25.10.2018 को नीशा स्टील हाउस से कुर्सी मेज क्रय रु0 21641.00 एवं दिनांक 02.11.2018 को मुस्कान स्टील हाउस से आलमारी क्रय रु0 8500.00 कुल रु0 30141.00 कोशवही में भुगतान दर्शित हैं जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-10)

प्रस्तर-20 दिनांक 03.11.2018 को ग्राम पंचायत में टैंकर द्वारा पानी सप्लाई प्रेमशीला को भुगतान रु0 145600.00 कोश वही में दर्शित हैं जिसका कोई प्रमाणक व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी। पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-11)

प्रस्तर-21 दिनांक 06.11.2018 को रु0 12880+23320=36200.00 राजेश का ह्यूम पाईप क्रय का भुगतान कोश बही में अंकित है जिसके सापेक्ष भुगतान का कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पुष्टि करायी जाये अन्यथा की स्थिति में ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-12)

प्रस्तर-22. निम्नांकित तिथियों में पंचायत भवन में कोटा स्टोन कार्य का भुगतान कोशवही में अंकित है जिसके सापेक्ष कोई भी प्रमाणक व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पुष्टि नहीं की जा सकी।

सामग्री		मजदूरी	
दिनांक	धनराशि	तिथि	धनराशि
30.11.2018	55593.00	30.11.2018	4667.00
		03.11.2018	82575.00
		30.11.2018	21111.00
		योग	48353.00

उपरोक्त भुगतान की धनराशि रु0 103946.00 की पुष्टि करायी जाये। पुष्टि के अभाव में ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा0पं0वि0 अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली एवं उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-36)

प्रस्तर-23 दिनांक 19.03.2019 को रु0 51347+20,000=71347.00 सामग्री क्रय एवं दिनांक 11.03.2019 को रु0 10,000.00 मजदूरी जू0हा0 स्कूल मरम्मत कार्य पुनित इण्टर प्राइजेज को भुगतान कोश बही में अंकित है जिसके सापेक्ष पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक व पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान रु0 81347.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः पुष्टि करायी जाये, पुष्टि के अभाव में तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सिद्धनाथ एवं ग्रा0पं0 विकास अधिकारी श्री सुभाश चन्द्र यादव से ब्याज सहित वसूली एवं उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-37)

14. ग्राम पंचायत-भुड़कुड़ा

विकास खण्ड-नारायणपुर

जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत भुड़कुड़ा के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निधि-1 के बैंक लेखा संख्या-28450100017966, बैंक आफ बड़ौदा से चेक संख्या 283 द्वारा रु0 177500/-का आहरण दिनांक 05.03.2019 को किया जाना बैंक स्टेटमेंट में दर्शित है। इसी आहरण के विवरण में एनईएफटी-बीएआरबीक्यू 19064977717 भी बैंक स्टेटमेंट में अंकित है। इस धनराशि के आहरण को कोश पंजिका (रूप पत्र संख्या-6) में आय पक्ष में नहीं दर्शाया गया है। साथ ही व्यय पक्ष में उक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय भी नहीं दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार उक्त आहरित धनराशि मात्र बैंक स्टेटमेंट में अंकित पायी गयी तथा ग्राम पंचायत के मूल अभिलेख कोश पंजिका (रूप पत्र-6)

में नहीं दर्शाया जाना तथा इसके व्यय प्रमाणक न उपलब्ध कराया जाना स्पष्ट करता है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसका पूर्ण दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पलता तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हिमांशु कुमार पर जाता है।

अतः उक्त आहरित धनराशि रु0 177500/- (रु0 एक लाख सतहत्तर हजार पांच सौ मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पलता तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हिमांशु कुमार से ब्याज सहित किया जाना चाहिये । (मूल आपत्ति संख्या-21)

15. ग्राम पंचायत-कोलउन्द विकास खण्ड-नारायणपुर जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-25. उपलब्ध करायी गयी कोश पंजिका वर्ष 2018-19 से विदित होता है कि माह फरवरी 2019 के आय पक्ष में कुल रु0 540994.00 की आय या निधि 1 के बैंक लेखा से आहरण दर्शित है जो सही हैं तथा बैंक स्टेटमेंट से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके सापेक्ष माह फरवरी 2019 के व्यय पक्ष में कुल व्यय रु0 540994.00 तथा मासान्त में नकद शेष रु0 शून्य ग्राम प्रधान के पास अंकित है। किन्तु व्यय पक्ष में दर्शित विभिन्न कार्यों पर व्ययों का योग गणना करने पर रु0 540848.00 होता है। इस प्रकार रु0 540994-540848.00 = 146.00 का नकद शेष ग्राम प्रधान के पास होना चाहिए था किन्तु यह नकद शेष शून्य अंकित है। माह मार्च 2019 का नकद शेष दिनांक 01.03.2019 को भी शून्य लिखा गया है जो स्पष्ट करता है कि रु0 146.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती समुपता द्वारा किया गया। अतः रु0 146.00 की वसूली श्रीमती समुपता ग्राम प्रधान से ब्याज सहित किया जाना चाहिए । (मूल आपत्ति संख्या-21)

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत कोलउन्द के वर्ष 2018-19 की कोश पंजिका (रूप पत्र 6) में माह सितम्बर 2018 के व्यय पक्ष का कुल योग रु0 28300.00 तथा माह दिसम्बर 2018 के व्यय पक्ष का कुल व्यय योग रु0 150159.00 अंकित किये गये हैं जबकि दर्शित भुगतानों की धनराशियों की गणना करने पर माह सितम्बर 2018 का व्यय योग रु0 29300.00 तथा माह दिसम्बर 2018 का व्यय योग रु0 150477.00 होता है जिनकी पुष्टि भी सम्बन्धित आय पक्षों के योग तथा निधि 1 के बैंक स्टेटमेंट से होती है। इस प्रकार माह सितम्बर 2018 का व्यय योग रु0 29300.00-28300.00 = 1000.00 से तथा माह दिसम्बर 2018 का व्यय योग रु0 150777.00-150159.00 = 618.00 से कम दर्शाया गया तथा नकद शेष प्रधान के पास दोनों ही मासान्त में शून्य दर्शित रहा। इस कृत्य हेतु ग्राम प्रधान श्रीमती समुपता तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सन्तोश कुमार के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही किया जाना चाहिए । (मूल आपत्ति संख्या-22)

16. ग्राम पंचायत-गंगहरा कला विकास खण्ड-लालगंज जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत गंगहरा कला के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अपहरण प्रकाश में आया-

1. ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु दि0 29-10-2018 को रु0 129000.00, दि0 30-10-2018 को रु0 138000.00, दि0 30-10-2018 को रु0 100000.00 एवं दि0 26-03-2019 को रु0 150080.00 का आहरण कैशबुक में दर्शित है जिसका योग रु0 517080.00 है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति, वित्त कनेक्शन व निविदा प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । उ0प्र0 सरकार पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय आठ के 8(क) के अनुसार ऊपर उल्लिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना अपहरण है । अतः ग्राम प्रधान श्री अमरेश चन्द्र दुबे व ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री संतोश कुमार से रु0 517080.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(मूल आपत्ति संख्या-22)

17. ग्राम पंचायत-लालापुर विकास खण्ड-लालगंज जनपद-मीरजापुर

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत लालापुर के वर्ष 2018-19 के लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अपहरण प्रकाश में आया-

1. ग्राम पंचायत लालापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में दि0 24-12-2018 को रु0 74275.00 का ह्यूम पाइप क्रय दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, स्टॉक पंजिका आदि महत्त्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है । उ0प्र0 सरकार पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय आठ के 8(क) के अनुसार ऊपर उल्लिखित अभिलेख लेखा परीक्षा में

प्रस्तुत न करना अपहरण है । अतः ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री संतोश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री केशव से रु0 74275.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपति संख्या-22)

प्रारूप-4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-19

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपतियाँ

जनपद-सोनभद्र ।

मण्डल का नाम-विन्ध्याचल

ग्राम पंचायत का नाम- अरंगी- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र ।

प्रस्तर संख्या-1 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष-2018-19 के कैशबुक में प्राथमिक विधालय पेटराही में समरसिबल स्थापना कार्य में सामग्री कय हेतु रु0-42424.00 एवं उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु रु0-2100.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपतियाँ हैं।

सामग्री कय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक संस्था के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त भुगतानों की पुष्टि हो सके एवं कय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।

दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा मजदूरी भुगतान का चेक ग्राम प्रधान के नाम से निर्गत है। इससे मजदूरों को श्रमांश भुगतान की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही। यह भी सम्भव है कि उपरोक्त कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो तथा समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया हों।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-02

प्रस्तर संख्या-2 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक में पेटराही सामूहिक भवन के पास चबूतरा निर्माण कार्य में रु0-27909.00 मिट्टी कय हेतु व्यय दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपतियाँ हैं।

उक्त सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं रहा, जिससे मिट्टी की मात्रा इतनी मिट्टी का कटाई स्थल ढुलाई का माध्यम, इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई।

उक्त कय के सापेक्ष कोई भी कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं हो पायी।

अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उपरोक्त व्यय अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-03

ग्राम पंचायत का नाम- (चुर्क)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र ।

प्रस्तर संख्या-3 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के कैश बुक में दो कार्यों(1) प्राथमिक विधालय चुर्क में सुन्दरीकरण कार्य तथा(2) शिव मंदिर से पोखरे तक इण्टरलाकिंग खंडजा निर्माण कार्य में सामग्री कय हेतु किए गये तीन भुगतानों रु0-26075.00, रु0-32000.00 तथा रु0-22700.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा को निम्न आपतियाँ हैं।

ग्राम निधि खाते के स्टेटमेंट के अनुसार उपरोक्त भुगतान क्रमशः चंक संख्या-003996/27.04.2018, चेक संख्या-041680/22.02.2019 एवं चंक संख्या-041679/18.02.2019 के माध्यम से किए गये हैं। ये तीनों चेक किसी फर्म के नाम से न होकर ग्राम प्रधान श्री राम प्रवेश यादव के नाम से निर्गत हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भुगतान नकद किए गए हैं। ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु में रु0-2000.00 से अधिक का भुगतान अकाउंट पेयी चेक से किए जाने का निर्देश है।

सामग्री कय प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है एवं कय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा, जिससे उक्त भुगतानों की पुष्टि नहीं हो पायी यह भी सम्भव है कि कोई सामग्री कय ही नहीं की गयी हो एवं समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त समस्त भुगतान रु0-80775.00 अनियमित तरीके से किया गया है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (कुरथा)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र ।

प्रस्तर संख्या-4 पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान को एक निश्चित धनराशि रु0-3500.00 दिसम्बर 2016 से मासिक मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है।लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 में कुल रु0-101500.00 प्रधान मानदेय दिया गया है। उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है,जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस किस महीने का दिया गया है तथा एक ही महीने का मानदेय कितनी बार दिया गया है।

निर्धारित मानदेय के हिसाब से एक वित्तीय वर्ष में कुल मानदेय रु0-42000.00 दिया जाना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में रु0-101500.00 दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रु0-59500.00 मानदेय भुगतान अनियमित किया गया है,जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- (जमुआंव)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-5 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य हेतु रु0-500000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

कैशबुक के अनुसार उक्त भुगतान अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी को भुगताननित है लेकिन ग्राम निधि खाते के बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार उक्त की पुष्टि नहीं होती है।

क्रय की गयी सामग्री का क्रय प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है,जिससे उक्त व्यय की पुष्टि हो सके तथा ये ज्ञात हो सके कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है। क्रय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा।उक्त दर्शित कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान सम्बन्धित विवरण नहीं है जिसके अभाव में कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।उक्त दर्शित का निर्माण आदेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ये ज्ञात हो पाया कि उक्त निर्माण कार्य किस आदेश के तहत किया जा रहा है।

उक्त दर्शित कार्य का एस्टीमेट,एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि यह कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमादित है नहीं तथा कार्य पूर्णता या हस्तगत की स्थिति अज्ञात रही।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (तकिया)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-6आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता प्रथम की जाँच में पाया गया कि दिनांक-04.01.2020 को रु0-67816.00 खाते से चेक संख्या-655569 के माध्यम से आहरित है,जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं:-

यह धनराशि जनता ट्रेडर्स के नाम से आहरित है लेकिन इसके व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

संस्था के कैशबुक में उक्त धनराशि से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है,जिससे इस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि उक्त धनराशि का आहरण किस प्रयोजन से किया गया।

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण के अभाव में यह प्रतीत होता है कि रु0-67816.00 की धनराशि ग्राम निधि खाता से निरुद्देश्य आहरित कर अपहरण कर ली गयी है,जिसके लिए सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत/वि0 अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (दुरावल कलां)-विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-7 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप लगवाने हेतु रु0-43391.00 व्यय कैशबुक में दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के सन्दर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा बिना कार्य रुथल के सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपर्युक्त भुगतान के सन्दर्भ में माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही जिससे कार्य के अनंसार प्रयुक्त सामग्री और जगाये गए मजदूरी की पुष्टि की जा सकें।

उपर्युक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

सामग्री हेतु भुगतान के व्यय प्रमाणक मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहें अतः इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण धराशि का अपहरण कर लिया गया हों।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि उक्त व्यय अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-02**

ग्राम पंचायत का नाम- (बघुआरी)- विकास खण्ड-रावर्ट्सगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-8 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में तीन स्थानों विजय शंकर के घर के पास प्राथमिक विधालय गरोड़ा में तथा उच्च प्राथमिक विधालय उड़िया पर तीन हैण्डपम्प रिबोर, जिनके पर कमशः ₹0-98558.00, ₹0-138064.00 तथा ₹0-123311.00 कुल ₹0-359933.00 के भुगतान कैशबुक में दर्षित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं।

उपरोक्त तीनों रिबोर कार्यों की कार्य आई0डी0एक (8245883) ही है, जो पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक-28.09.2017 का उल्लघन है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के लिए अलग आई0डी0 विकसित की जाएगी।

उक्त सम्बन्ध में हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची तथा सक्षम तकनीकी कर्मी द्वारा प्रदत्त रिबोरिंग के योग्य हैण्डपम्प के तकनीकी अनुश्रवण सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है या नहीं।

उक्त दर्षित कार्यों हेतु कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त कार्यों में कितना व्यय सामग्री पर है और कितना श्रमांश पर है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। उपरोक्त कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्यपूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (बहुआर)- विकास खण्ड-रावर्ट्सगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-9 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत में दस स्थानों (उप स्वास्थ्य केन्द्र में, प्रा0वि0कचरिया में, पंचायत भवन पर, पू0मा0वि0बहुआर में, प्रेम के घर के पास, दीनानाथ के घर के पास, बहादुरपुत्र छत्रधारी के घर के पास, राम दुलार पुत्र राम सिंह के घर के पास, अम्बेडकर फार्म में तथा बनारसी के घर के पास) पर दस हैण्डपम्प रिबोर, जिन पर कमशः ₹0-106013.00, ₹0-90565.00, ₹0-108383.00, ₹0-1053376.00, ₹0-95358.00, ₹0-128512.00, ₹0-108783.00, ₹0-108600.00, ₹0-98594.00 तथा ₹0-81452.00 (कुल ₹0-1031636.00) के भुगतान कैशबुक में दर्षित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां हैं।

उपरोक्त दसों रिबोर कार्यों हेतु भुगतान एक ही कार्य आई0डी0(9511317) पर किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता हो कि उपरोक्त सभी रिबोर कार्य एक ही आई0डी0 पर कराए गए हैं। यह पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-85/2017/2244/33-3-2017-46/2015 दिनांक-28.09.2017 का उल्लघन है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के लिए अलग आई0डी0 विकसित की जाएगी।

उक्त सम्बन्ध में हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची तथा सक्षम तकनीकी कर्मी द्वारा प्रदत्त रिबोरिंग के योग्य हैण्डपम्प के तकनीकी अनुश्रवण सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया है या नहीं।

उक्त दर्षित कार्यों हेतु कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त कार्यों में कितना व्यय सामग्री पर है और कितना श्रमांश पर है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। उपरोक्त कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम— (बुड़हरकला)— विकास खण्ड—रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—10 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष के कैशबुक में कृष्ण कुमार शुक्ला के घर से समरसिबल द्वारा पाइपलाईन से सम्पूर्ण बस्ती में पेय जलापूर्ति कार्य हेतु रु0—180807.00 सामग्री पर एवं उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान हेतु रु0—17000.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कोई विवरण यथा एस्टीमेट व एम0बी0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि ये किस प्रकार का कार्य है। यथा समरसिबल अधिस्थापन है या केवल जलापूर्ति की गई है। सामग्री क्रय के सापेक्ष कोई क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त व्यय अपुष्ट रहा तथा ये ज्ञात नहीं हो पाया कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है। क्रय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा।

मजदूरी भुगतान हेतु रु0—17000.00 का व्यय दर्शाया गया है परन्तु इसकी पुष्टि में मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है। जिससे मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई। उपरोक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण—पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्यपूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही। यह भी सम्भव है कि उपरोक्त कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो तथा समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—01

ग्राम पंचायत का नाम— (बुड़हरखुर्द)— विकास खण्ड—रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—11 लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा के आलोच्य वर्ष के कैशबुक में नागेश्वर वियार के घर से कैलाश के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय हेतु एक फर्म को रु0—90692.00 का भुगतान किया गया दर्षित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

क्रय की गयी सामग्री का क्रय प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि हो सके तथा ये ज्ञात हो सके की क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है। क्रय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर भी अनुपलब्ध रहा। उक्त दर्षित कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया है जिसके अभाव में कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उक्त दर्षित कार्य का एस्टीमेट, एम0बी0 व फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि यह कार्य अस्तित्व में है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। ऐसी स्थिति में अपहरण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त दर्षित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य पूर्णता या हस्तगत की स्थिति अज्ञात रही।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या—01

ग्राम पंचायत का नाम— (सैन्दुरी)— विकास खण्ड—रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—12 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018—19 में ग्राम पंचायत में छः स्थानों (सजिमुल्लाह के घर के पास, केवल के घर के पास, सुनील मिश्रा के घर के पास, हीरालाल के घर के पास, मुनव्वर के घर के पास तथा शिव मंदिर के प्रांगण में) पर छः हैण्डपम्प रिबोर, जिन पर क्रमशः रु0—102057.00, रु0—92272.00, रु0—107495.00, रु0—123210.00 तथा रु0—100576.00 कुल रु0—625655.00 के भुगतान कैशबुक में दर्षित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

उपरोक्त छः रिबोर कार्यों हेतु भुगतान एक ही वर्क आई0डी0—12481633 पर किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि उपरोक्त सभी रिबोर कार्य एक ही आई0डी0 पर कराए गये हैं। यह पंचायती राज अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—85/2017/2244 / 33—3—2017—46 / 2015 दिनांक—28.09.2017 का उल्लंघन है जिसमें कहा गया कि प्रत्येक हैण्डपम्प रिबोर के लिए अलग आई0डी0 विकसित की जाएगी।

उक्त सम्बन्ध में हैण्डपम्प रिबोरिंग के लिए ग्राम पंचायत जल निगम द्वारा पूर्व में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची तथा सक्षम तकनीकी कर्मी द्वारा प्रदत्त रिबोरिंग के योग्य हैण्डपम्प के तकनीकी अनुश्रवण सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त शासनादेश का अनुपालन किया गया या नहीं। उक्त दर्षित कार्यों हेतु कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त कार्यों में कितना व्यय सामग्री पर है और कितना कर्मांश पर है, जो वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है।

उपरोक्त कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त समस्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- (सुकृत)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-13 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष के कैशबुक में आंगनवाड़ी विधालय ढोलकहिया निर्माण कार्य हेतु रू0-200000.00 एवं आंगनवाड़ी विधालय खानेआजमपुर निर्माण हेतु रू0-200000.00 का व्यय सामग्री क्रय हेतु दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

उपरोक्त दर्शित दो अलग अलग कार्य हैं लेकिन दोनों कार्यों की वर्क आई0डी0 एक ही-8774952 है, जो गंभीर अनियमितता है क्योंकि एक वर्क आई0डी0 पर एक ही निर्माण कार्य कराया जा सकता है।

लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि निर्माण कार्य किस आदेश के तहत किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य क्या है। क्रय की गयी सामग्री का क्रय प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि हो सके तथा ये ज्ञात हो सके कि क्या-क्या सामग्री क्रय की गई है। क्रय की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा। उक्त दर्शित कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान सम्बन्धित विवरण नहीं है जिसके अभाव में कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उक्त दर्शित कार्य का एस्टीमेट, एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य की पूर्णता या हस्तगत की स्थिति अज्ञात रही।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर संख्या-14 आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता प्रथम की जांच में पाया गया कि दिनांक-09.10.2020 को रू0-25000.00 खाते से चेक संख्या-041489 के माध्यम से आहरित है, जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

यह धनराशि प्रधान अकबाल अहमद के नाम से आहरित है, परन्तु संस्था के कैशबुक में उक्त धनराशि से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है, जिससे अस बात की जानकारी नहीं हो पाई कि, उक्त धनराशि का आहरण किस प्रयोजन से किया गया।

उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवरण के अभाव में यह प्रतीत होता है कि रू0-25000.00 की धनराशि ग्राम निधि से निरुद्देश आहरित कर अपहृत कर ली गई जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- (खैराही)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-15 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक में रू0-140130.00 चेक संख्या-006509 के माध्यम से प्राथमिक विधायल में मिट्टी भराई पर व्यय अंकित है उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं।

उक्त सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मिट्टी की मात्रा, इतनी मिट्टी का कटाई स्थल, ढुलाई का माध्यम, एवं कार्य के उद्देश्य इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं पायी गयी। कैशबुक के अनुसार उक्त धनराशि में 0सम्राट कंक्रीट उोग को भुगतान किया गया है, लेकिन ग्राम निधि खाते के बैंक स्टेटमेंट से भुगतानित पक्ष की पुष्टि नहीं हो सकी। व्यय प्रमाणक भी अनुपलब्ध रहा। उक्त से सम्बन्धित एस्टीमेट व एम0बी0 भी अनुपलब्ध रहे, जिससे उक्त कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

समस्त धनराशि किसी फर्म को भुगतान किया गया है तथा कोई मस्टररोल भी संस्था के पास उपलब्ध नहीं है। अतः यह ज्ञात नहीं हो पाया कि उक्त कार्य में कितना श्रमांश भुगतान किया गया है, जो वित्तिय औचित्य के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है किसी विवरण के अभाव में उक्त अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

प्रस्तर संख्या-16 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक में रू0-27612.00, चेक संख्या-018969 के माध्यम से ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय अंकित है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उपर्युक्त के सन्दर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के

सन्दर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा। बिना कार्य स्थल के सम्पूर्ण भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। उपर्युक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्य पूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही।सामग्री हेतु भुगतान के व्यय प्रमाणक मांगोपरान्त लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि सम्पूर्ण धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है किसी विवरण के अभाव में व्यय अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- (देवरी खुर्द)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-17लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक में रु0-70528.00 प्राथमिक विधालय व जूनियर हाई स्कूल में मिट्टी भराई पर व्यय अंकित है।उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है।उक्त सम्बन्ध में कोई पत्रावली लेखा परीक्षद्धा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मिट्टी की मात्रा इतनी मिट्टी का कटाई स्थल,ढुलाई का माध्यम,एवं कार्य का उद्देश्य इत्यादि के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पायी।उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी।उक्त से सम्बन्धित एस्टिमेट व एम0बी0 भी अनुपलब्ध रहे,जिससे उक्त कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।समस्त धनराशि किसी फर्म को भुगतान किया गया है तथा कोई मस्टररोल भी संस्था के पास उपलब्ध नहीं है। अतः यह ज्ञात नहीं हो पाया कि उक्त कार्य में कितना श्रमाशं भुगतान किया गया है,जो वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है किसी विवरण के अभाव में उक्त व्यय अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

प्रस्तर संख्या-18 लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विधालय देवारीखुर्द में आंगनवाड़ी केन्द्र निर्माण कार्य हेतु रु0-200000.00 का व्यय कैशबुक में दर्शाया गया है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा का निम्न आपत्तियाँ है। लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त निर्माण कार्य किस आदेश के अन्तर्गत किया जा रहा है।क़य की गयी सामग्री का क़य प्रमाणक ग्राम पुचायत पर उपलब्ध नहीं है,जिससे उक्त व्यय की पुष्टि हो सके तथा ये ज्ञात हो सके कि क्या-क्या सामग्री क़य की गई है। क़य की गई सामग्री की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।उक्त दर्षित कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान सम्बन्धित विवरण नहीं है जिसके अभाव में कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।उक्त दर्षित कार्य का एस्टिमेट,एम0बी0 व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र/पी0आर0सी0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया,जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमादित है या नहीं तथा कार्य की पूर्णता या हस्तगत की स्थिति आत रही।इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-03

ग्राम पंचायत का नाम- (नई)- विकास खण्ड-रावर्टसगंज जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-19 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के कैशबुक में प्राथमिक विधालय हिनौता में समरसिबल अधिष्ठापन व पानी वायरिंग कार्य में सामग्री क़य हेतु रु0-79399.00 व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है।सामग्री क़य के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक संस्था के पास उपलब्ध नहीं है,जिससे उक्त भुगतानोंकी पुष्टि हो सके एवं क़य की गई सामग्री की पुष्टि में स्टाक रजिस्टर अनुपलब्ध रहा।उक्त दर्षित कार्य हेतु कोई मजदूरी भुगतान न होने के कारण कार्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।उपरोक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 प्रस्तुत नहीं रहा जिससे कार्यपूर्णता अथवा हस्तगत की स्थिति अस्पष्ट रही यह भी सम्भव है कि उपरोक्त कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो तथा समस्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया हो।उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है।ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- (तेनुआ)- विकास खण्ड-नगवां जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-20 आलोच्य वर्ष 2018-19 में कोश वही ग्राम निधि-1 में हैण्डपम्प मरम्मत दिनांक-07.08.2018 को रु0-19130.00दर्षित है परन्तु हैण्डपम्प सामग्री क़य की रसीद एव मजदूरी भुगतान का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।इस प्रकार उक्त धनराशि रु0-19130.00 का अपहरण किया गया जिसके

प्रति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-01**

ग्राम पंचायत का नाम- (कजियारी)- **विकास खण्ड-** नगवां **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-21 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर अधोलिखित व्यय रोकड़ वही ग्राम निधि-1 में दर्शित है-

क्र०	दिनांक	मद	चेक संख्या	धनराशि
1	09.08.2018	सामग्री	019178	14280.00
2	09.08.2018	सामग्री	019186	5400.00
3	09.08.2018	सामग्री	530978	14590.00
4	09.08.2018	सामग्री	019187	5400.00
5	09.08.2018	सामग्री	019182	14160.00
		योग-		53830.00

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत रु०-53830.00 कोशवही में दर्शित है परन्तु हैण्डपम्प सामग्री क्रय की रसीद एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रु०-53830.00 का अपहरण किया है, अधिभार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (रईया)- **विकास खण्ड-** नगवां **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-22 दिनांक-28.09.2018 को कोशवही ग्राम निधि-1 में वा०सं०19 एवं चेक सं०-536463 द्वारा प्राइमरी विधालय रईया में शौचालय का मरम्मत एवं विधालय भवन के सुन्दरीकरण पर रु०-65965.00 व्यय दर्शित है जिसकी पुष्टि में पत्रावली में सम्बन्धित प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर अपहरण किया गया जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/वि० अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-01**

ग्राम पंचायत का नाम- (मरकुड़ी)- **विकास खण्ड-** नगवां **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-23 कोशवही ग्राम निधि-1 में दिनांक-18.03.2019 को बाउचर संख्या क्रमशः 55, 56, 57, 58, चेक संख्या-क्रमशः 018116, 018114, 018118, एवं 018120 द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान दर्शित है जिसका प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा विवरण निम्नवत् है-

वा० क्र०	दिनांक	चेक संख्या	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
55	18.03.2019	018166	3600.00	ग्राम प्रधान बलीराम
56	18.03.2019	018114	3600.00	
57	18.03.2019	018118	3600.00	
58	18.03.2019	018120	3600.00	
		योग-	14400.00	

इस प्रकार रु०-14400.00 श्रमाशं का भुगतान मजदूरों को न कर अपहरण किया गया जिसके प्रति ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

आपत्ति संख्या-01

ग्राम पंचायत का नाम- (पनिकप खुर्द)- **विकास खण्ड-** नगवां **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-24 आलोच्य वर्ष में दिनांक-10.04.2018 को कोशवही ग्राम निधि-1 में धनराशि रु०-11760.00 नन्दलाल के घर से कूप तक इण्टरलाकिंग खड़जा कार्य हेतु श्रमाशं देय दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मस्टररोल अप्राप्त रही अतएव उक्त धनराशि से सम्बन्धित प्रमाणक/पत्रावली प्रस्तुत न कर रु०-11760.00 का अपहरण किया गया है जिस हेतु ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार एवं ग्राम पंचायत/वि० अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा उत्तरदायी है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-01**

प्रस्तर संख्या-25 दिनांक-10.04.2018 को बाबूलाल के घर से जीवन के घर तक इण्टरलाकिंग/खड़जा के कार्य हेतु श्रमाशं रु०-15745.00 कोशवही में दर्शित है जिसका भुगतान चेक संख्या-605925 द्वारा किया गया है किन्तु पत्रावली में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। **आपत्ति संख्या-02**

ग्राम पंचायत का नाम- (जरहा)- **विकास खण्ड-** म्योरपुर **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-26 वि०ख०-म्योरपुर की ग्राम पंचायत जरहा के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशवही में निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गईं

- 1.दिनांक 16.04.2018 को बाउचर नम्बर—(2) से 60 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का क्रय का भुगतान माँ संतोशी इण्टरप्राइजेज को रु0 179410.00
- 2.दिनांक 26.04.2018 को बाउचर नम्बर—(4) से 21 नग हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को रु0 40000.00
- 3.दिनांक 07.06.2018 को बाउचर नम्बर—(24) से 30 नग हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रीतिक इण्टरप्राइजेज को रु0 76890.00
- 4.दिनांक 07.06.2018 को बाउचर नम्बर—(25) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान को माँ संतोशी इण्टरप्राइजेज रु0 89750.00
- 5.दिनांक 15.06.2018 को बाउचर नम्बर—(31) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान ए0एस0 कम्पनी को रु0 38445.00
- 6.दिनांक 15.06.2018 को बाउचर नम्बर—(32) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान ए0एस0 कम्पनी को रु0 38445.00
- 7.दिनांक 15.06.2018 को बाउचर नम्बर—(33) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान ए0एस0 कम्पनी को रु0 25630.00
- 8.दिनांक 19.07.2018 को बाउचर नम्बर—(38) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री 18 नग का भुगतान ए0एस0 कम्पनी को रु0 46134.00
- 9.दिनांक 14.08.2018 को बाउचर नम्बर—(44) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान माँ 10.संतोशी इण्टरप्राइजेज को दिनांक 14.08.2018 वा0न0—45 से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान संदीप ट्रेडिंग कं0 को रु0 76890.00
- 11.दिनांक 26.10.2018 को बाउचर नम्बर—(62) से हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान 64 नग हैण्डपम्प हेतु एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज रु0 152160.00
- 12.दिनांक 26.10.2018 को बाउचर नम्बर—(63) से 63 नग हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को रु0 151200.00
- 13.दिनांक 26.10.2018 को बाउचर नम्बर—(64) 42 नग हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को रु0 109240.00
- 14.दिनांक 19.01.2019 को बाउचर नम्बर—(73) 72 नग हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान हर्षित इण्टरप्राइजेज को रु0 184400.00
- 15.दिनांक 18.03.2019 को बाउचर नम्बर—(111) 45 नग हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान रितिक इण्टरप्राइजेज को रु0 105750.00

कुल योग— 1391189.0

उपरोक्त दर्षित व्यय में निम्न कमियाँ पायी गयीं:—

1. टेण्डर /कोटेशन की पत्रावलीलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
2. हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु अलग अलग पार्टियों से सामग्री क्रय का मतलब है कि बिना टेण्डर कोटेशन के ही सामग्री क्रय किया गया।
3. निर्माण कार्यसमिति एवं जल प्रबन्धन समिति से भुगतान हेतु स्वीकृति एवं अनुमोदन नहीं लिया गया।
- 4 दिनांक 26.10.2018 को वाउचर नम्बर—(62), (63), (64) से कुल 169 नग हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय किया गया दर्षित है अर्थात् एक साथ इतने हैण्ड पम्प एक गांव में कैसे खराब हो सकते हैं।
5. एक ही पार्टी को एक ही तारीख में तीन बाउचरों से रूपया 15260.00 रूपया 151200.00तथारूपया 109240.00 का भुगतान किया गया। दर्षित है तो ये सारे भुगतान एक साथ क्यों नहीं किया गया।
6. उपरोक्त का मतलब है कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से बचने के लिए ऐसा किया गया क्योंकि 2.50 लाख से उपर के भुगतान हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 से ली जानी चाहिए होती है।
7. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रति भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही।
8. अर्थात् वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लिये जाने का कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होने से वित्तीय एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिये जाने की स्थिति अज्ञात रही।
9. हैण्ड पम्प खराब की स्थिति में मम्मत हेतु प्रार्थनापत्र एवं उस पर ए0डी0ओ0 (पं0) द्वारा किया गया मार्क भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
10. सामग्री प्राप्ति की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर तथा सामग्री प्राप्ति का चालान लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

11. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होने से वास्तव में मरम्मत किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

12. कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। उपरोक्त के संदर्भ में शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण/मरम्मत कार्यों से सम्बन्धित रूपया 1-00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्यवर्ष में उपरोक्त विवरणानुसार रूपया 1391189.00 का हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय विभिन्न पार्टियों से किया गया है। किन्तु शासनादेश का पालन न करते हुए टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। अगर ऐसा किया गया होता तो एक ही संस्था से सामग्री क्रय किया गया होता। टेण्डर की प्रक्रिया न अपनाये जाने से ग्राम पंचायत को सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से मनमानी दरों पर रूपया 1391189-00 मूल्य की सामग्री क्रय कर अनियमितता बरती गयी है।

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत जरहा के कैश बुक में निम्न विवरणानुसार डस्टविन क्रय किया गया दर्शित है।

दिनांक	वा0नं0	विवरण	धनराशि
28.01.2019	79	16 नग डस्टविन क्रय का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को	94400.00
28.01.2019	80	16 नग डस्टविन क्रय का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को	94400.00
28.01.2019	81	16 नग डस्टविन क्रय का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को	94400.00
28.01.2019	82	16 नग डस्टविन क्रय का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को	94400.00
28.01.2019	83	16 नग डस्टविन क्रय का भुगतान एफ0ए0 इण्टरप्राइजेज को	94400.00
		योग रूपया-	472000.00

ग्राम पंचायत द्वारा डस्टविन क्रय में निम्न कमियाँ पायी गयीं-

1. लेखा परीक्षा में बाउचर एवं पत्रावली अप्राप्त रही।
2. ग्राम सभा की निर्माण कार्य समिति से क्रय हेतु अनुमोदन एवं भुगतान हेतु संस्तुति नहीं ली गयी क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
3. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी है क्योंकि पत्रावलीलेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही तथा एक सामग्री क्रय करने के लिए एक ही तिथि को भुगतान किया गया। जो कि अलग अलग किया गया। धनराशि रूपया 472000.00 का भुगतान 94400.00 के पांच भागों में करके सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेने से बचने का प्रयास मात्र है। क्योंकि रूपया 250000.00 से उपर के प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति डी0पी0आर0ओ0 द्वारा प्रदान की जाती है।
4. कहाँ-कहाँ तथा किसको वितरित की गयी इसकी लाभार्थियों/परिवारों के हस्ताक्षर वाली सूची भी लेखापरीक्षा में अप्राप्त रही।
5. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट भी अप्राप्त रही।
6. कार्यपूति प्रमाणपत्र भी लेखापरीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

उपरोक्त आधार पर यह अवधारित किया गया कि फर्जी तरीके से बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिना निर्माण कार्य समिति से संस्तुति व अनुमोदन लिए डस्टविन क्रय रूपया 472000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति योग्य है। क्योंकि पत्रावली व व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रक्षेप दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायेगा, के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जायेगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार फर्जी तरीके से सामग्री भुगतान दर्शाकर रूपया 472000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समरबहादुर सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री श्रीराम द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम- (काचन)- विकास खण्ड- म्योरपुर **जिला सोनभद्र।**

प्रस्तर संख्या-28 वि0खं0-म्योरपुर की ग्राम पंचायत काचन के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही के अनुसार दिनांक 01.03.2019 को "न्यू आर्ट हाउस, दिवार लेखन, प्रा0वि0छानीपाथर" हेतु न्यू आर्ट हाउस को भुगतान रूपया 113280.00 दर्शित है यह भुगतान चेक नम्बर 057252 द्वारा किया गया दर्शित है। जिसमें निम्न कमियाँ पायी गयीं-

1. लेखा परीक्षा में बाउचर एवं पत्रावली अप्राप्त रही।

2. दिवाल लेखन हेतु स्टीमेट एवं लेखन हेतु सक्षम अधिकारी का आदेश की प्रति लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।

3. दिवाल लेखन का फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं रहा।

4. एक प्राथमिक विालय के दिवाल लेखन हेतु रुपया 113280.00 का भुगतान बहुत ही अधिक है। जबकि दिनांक 05.04.2018 को दिवाल लेखन हेतु न्यू आर्ट हाउस को चेक संख्या-016438 से रुपया 12980.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार दिवाल लेखन हेतु रुपया 126260.00 का भुगतान सामान्य वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के विपरीत रहा।

5. निर्माण कार्य समिति तथा शिक्षा समिति से उक्त भुगतान की संस्तुति/ अनुमोदन नहीं लिया गया है। क्योंकि इस आशय का पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

6. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त आधार पर यह अवधारित किया कि फर्जी दिवाल लेखन हेतु भुगतानित धनराशि रुपया 126260.00 क्षतिपूर्ति योग्य है क्योंकि पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु वित्त लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जायेगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उपरोक्त आधार पर रुपया 126260.00 की क्षतिपूर्ति बराबर बराबर सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती सुशमा तिवारी तथा ग्राम प्रधान श्री कुददूश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम— (किरबील)— विकास खण्ड— म्योरपुर जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—29

1. वि०खं०—म्योरपुर की ग्राम पंचायत किरबिल की ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2018—19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोशबही के अनुसार दिनांक 13.08.2018 को "सामग्री भुगतान मॉडल स्कूल हेतु" मॉ विन्ध्यवासिनी इंटरप्राइजेज को भुगतान रुपया 264000.00 चेक संख्या—042465 द्वारा किया गया दर्शित है। जिसमें लेखा परीक्षा में निम्न कमियाँ पायी गयीं—

1. मॉडल स्कूल हेतु क्रय सामग्री के सापेक्ष पूरे वित्तीय वर्ष में कोई भी मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है अर्थात् मजदूरी पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

2. बिना मजदूरी के सामग्री का इस्तेमाल कैसे और किस प्रकार किया गया।

3. बैंक स्टेटमेंट में "चेक ट्रॉसफर विड्रॉल" वर्णित है जिससे यह प्रमाणित नहीं हो सका कि भुगतान वास्तव में किसको किया गया।

4. चेक बुक प्रतिपण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

5. उपरोक्त क्रय की अनुमति एवं भुगतान स्वीकृति ग्रामसभा की निर्माण कार्य समिति से नहीं लिया गया है क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

6. सामग्री प्राप्ति की पुष्टि में स्टाक रजिस्टर तथा सामग्री प्राप्ति का चालान लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

7. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं होने से वास्तव में कार्य के होनेकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

8. सम्बन्धित विालय के प्रधानाचार्य का प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। जिससे यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि उनके विालय में मॉडल स्कूल हेतु सामग्री का इस्तेमाल किया गया।

9. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

10. शासनादेश संख्या—ए—1—864/दस—08—15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण/मरम्मत कार्यों से सम्बन्धित रुपया 1.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री हेतु टेण्डर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रुपया 2,64,000.00 मूल्य का निर्माण/ मरम्मत सामग्री क्रय की गयी किन्तु उक्त शासनादेश का पालन न करते हुए टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। टेण्डर आमंत्रित न किये जाने से ग्राम पंचायत को सामग्री क्रय में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा मनमाने ढंग से मनमानी दरों पर रुपया 2,64,000.00 मूल्य की सामग्री क्रयदर्शित कर अनियमितता बरती गयी है। इस प्रकार बिना टेण्डर आमंत्रण तथा वर्ष पर्यन्त केवल सामग्री क्रय करके तथा निर्माण कार्य समिति की अनुमति लिये बिना फर्जी तरीके से सामग्री भुगतान दर्शाकर रुपया 2,64,000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री बच्चालाल द्वारा अपने पक्ष में

किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम— (करकी)— विकास खण्ड— म्योरपुर जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—30 वि०ख०—म्योरपुर की ग्राम पंचायत करकी की ग्रामनिधि प्रथम की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018—19 की कोशबही में निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्ययकिया जाना दर्शित है—

दिनांक	विवरण	धनराशि
28.03.2019	10 नग सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय का भुगतान	229750.00
28.03.2019	30 नग सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय का भुगतान	689250.00
28.03.2019	10 नग सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय का भुगतान	229750.00
28.03.2019	10 नग सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय का भुगतान	229750.00
	योग—	1378500.00

आलोच्य वर्ष में रूपया 1378500.00 के 60 नग सोलर लाईट मनमाफिक एजेन्सियों से क्रय की गयी है, जबकि ग्राम पंचायत सिर्फ यू०पी० नेडा से ही सोलर लाईट क्रय कर सकती है। यू०पी० नेडा द्वारा सोलर लाईट उपलब्ध न कराने पर भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए थी। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में सोलर लाईट क्रय करने में यू०पी० नेडा को पूरी तरह नजर अन्दाज करके भण्डार क्रय नियमों का पालन न करके मनमाफिक दामों पर सोलर लाईट क्रय करके तथा व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके रूपया 1378500.00 का वित्तीय अपहरण किया गया है, जिसके लिए श्रीमती पार्वती देवी ग्राम प्रधान एवं श्री अरुण यादव ग्रामपंचायत अधिकारी उत्तरदायी रहे हैं। अतएव उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त दर्शित व्यय में निम्न कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयीं:—

1. लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक एवं पत्रावली अप्राप्त रही।
2. सामग्री क्रय हेतु टेण्डर प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
3. सोलर लाईट क्रय हेतु ग्रामसभा की निर्माणकार्य समिति से संस्तुति एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
4. सक्षम अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिए जाने सम्बन्धी प्रपत्र लेखा परीक्षामें अप्राप्त रहा।
5. चेकबुक प्रतिपर्ण भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
6. सोलर लाईट की स्थापना में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सोलर लाईट की स्थापना नेडा से या नेडा अधिकृत फर्म से ही कराये जाने का निर्देश राज्य सरकार का है। लेकिन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या—33/2017/977/45—वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के गाइड लाइन के अनुसार सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जानेके लिए इसकी स्थापना का कार्य एकमात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू०पी० नेडा से कराये जाने का स्पष्ट निर्देश है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।
7. सक्षम अधिकारी से सोलर लाईट की स्थापना हेतु अनुमति नहीं किया गया है।
8. सोलर लाईट एक ही प्रोजेक्ट है जी०पी०डी०पी० कार्य योजना में एक कार्य है लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़कर सम्पादित किया गया है और ऐसा सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिये जाने से बचने के लिए ऐसा किया गया है।
9. इसके लिए अलग से टेण्डर प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है।
10. स्थान का चयन कैसे और किस प्रकार किया गया यह अस्पष्ट रहा।
11. बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जानेसे कार्य के होने की संभावना संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि सोलरलाईट की स्थापना का स्थलीय विवरण, उसकी फोटोग्राफी, लाभार्थी परिवारों का हस्ताक्षर सहित विवरण आदि प्रपत्र भी अनुपलब्ध रहे।
12. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट तथा कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के खण्ड—7 के अनुसार “ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये” के विपरीत तथा यह भी खण्ड—8 के अनुसार “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्रामप्रधान तथा सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी।” के अंतर्गत अधिभार योग्य है। इस प्रकार फर्जी तरीके से सोलर लाईट क्रय भुगतान दर्शाकर रूपया

1378500.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण यादव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती पार्वती देवी द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम— (किरहुलिया)— विकास खण्ड— चतरा जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—31 दिनांक—31.03.2018 को चेक संख्या—190856 द्वारा ग्राम पंचायत किरहुलिया में प्रा0वि0 सिरसी व प्रा0वि0 किरहुलिया के शौचालय की रंगाई व पोताई हेतु श्रम व सामग्री का प्रशासनिक मद से रामनन्दन को भुगतान रू0—35800.00 दर्षित है। जिसका भुगतान प्रमाणक व प्रशासनिक मद से व्यय हेतु स्वीकृति पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जो कि गम्भीर आपत्ति पूर्ण है। अतः सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सतीश व ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या—28)**

प्रस्तर संख्या—32

(2) दिनांक—28.12.2018 को प्रशासन मद से रू0—10000.00 का भुगतान मुसहर बस्ती के लोगो का आय व जाती प्रमाण पत्र बनवाने हेतु चेक सं0—024508 द्वारा सौरव सिंह कोकिया जाना दर्षित है। जिसका भुगतान सम्बन्धि पत्रावली सरकारी आदेश की प्रति व उच्च अधिकारियों का निर्देश तथा लाभान्वित लोगो की सूची आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। यह घोर आपत्ति का विषय है। अतः सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान सतीश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमसा से किया जाना अपेक्षित है। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायत में वित्त व लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय—8 के बिन्दु 8(क) में दिये गये प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। **(सामान्य आपत्ति संख्या—29)**

ग्राम पंचायत का नाम— (ढोढरी) —विकास खण्ड— चतरा जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—33 ग्राम पंचायत ढोढरी की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में प्रशासनिक मद व्यय दर्षित है—

क्र0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	चेक सं0	धनराशि
1.	27.06.2018	प्रशासनिक व्यय	श्री संतोश	01561	6747.00
2.	19.09.2018	प्रशासनिक व्यय	श्री गोपाल	019307	5260.00
3.	10.01.2019	प्रशासनिक व्यय	मे0 आर्ट हाउस	024246	7000.00
4.	19.01.2019	प्रशासनिक व्यय	श्री गोपाल	024247	6550.00
5.	06.03.2019	प्रशासनिक व्यय	श्री गोपाल	024251	3500.00
			योग—		29057.00

किन्तु उपरोक्त व्यय धनराशि रू0—29057.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृति पत्र, शासनादेश व व्यय किस कार्य हेतु किया जा रहा है, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जो कि गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री गोपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश से की जानी अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क में दिए गये प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। **(सामान्य आपत्ति संख्या—29)**

ग्राम पंचायत का नाम— (सौली)— विकास खण्ड— चतरा जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—34 ग्राम पंचायत सौली की वर्ष—2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक के अनुसार निम्न तिथियों विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि व्यय किया जाना दर्षित है—

क्र0सं0	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	चेक सं0
1.	ग्राम प्रधान द्वारा खुली बैठक पर खर्च जलपान	10.08.2018	5000.00	018192
2.	ग्राम प्रधान द्वारा खुली बैठक पर खर्च जलपान	02.01.2019	5000.00	025584
3.	ग्राम प्रधान द्वारा खुली बैठक पर खर्च जलपान	01.03.2019	15500.00	025597
		योग—	25500.00	

किन्तु उपरोक्त व्यय धनराशि रू0—25500.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक, प्रशासनिक व्यय हेतु स्वीकृति पत्र, शासनादेश व व्यय किस कार्य हेतु किया जा रहा है, इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। जो कि गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गोपाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम— (बभनगवां)— विकास खण्ड— चतरा जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—35 ग्राम पंचायत बभनगवां की वर्ष—2018—19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथियों में कैशबुक के अनुसार मजदूरी का भुगतान विभिन्न कार्यों हेतु धनराशि व्यय किया जाना दर्षित है—

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनांक	धनराशि	चेक सं०
1.	रामकेवल के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान श्री रामसजीवन को	25.05. 2018/4	18870.00	012213
2.	रामकेवल के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य हेतु मजदूरी भुगतान श्री रामसजीवन को	25.05. 2018/5	18695.00	12212
3.	विजेन्द्र के घर से छांगुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान श्री रामसजीवन को	28.06. 2018/8	17820.00	012220
4.	विजेन्द्र के घर से छांगुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान श्री रामसजीवन को	30.06. 2018/10	10305.00	018482
		योग—	65690.00	

किन्तु उक्त कार्य हेतु किये गये मजदूरी भुगतान हेतु श्रमिक के मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। साथ ही मजदूरी का भुगतान श्रमिक के खाते में न करके श्री रामसजीवन को किया जाना कैशबुक में अंकित है। जबकी मजदूरी का भुगतान मजदूर के खाते में किया जाना होता है। इस प्रकार किया गया उपरोक्त व्यय गम्भीर आपत्तिपूर्ण है। अतः सम्पूर्ण धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामसजीवन व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है। पंचायत राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8क में दिए गये प्रविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से की जायेगी। (आपत्ति संख्या-23)

ग्राम पंचायत का नाम—(चितबिसरांव)— विकास खण्ड— चतरा जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—36 ग्राम पंचायत कचतविसरांव विकास खण्ड—चतरा, जनपद—सोनभद्र की लेखा परीक्षा हेतु ओहस्ताक्षरी एवं लेखा परीक्षा विभाग द्वारा विकास खण्ड के अधिकारियों के साथ पत्राचार करने के बाद भी वर्ष 2016—17 के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जबकि इनके द्वारा प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू०—361910.00 आहरण करके व्यय किया गया है। उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक पजी, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूति प्रमाण पत्र, कर कटौती रजिस्टर आदि ही रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी है। अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष व्यय धनराशि रू०—361910.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसके लिए विभागीय अधिकारी जैसे ब्लाक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी भीर मौन रहे। स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू०—361910.00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुति की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार तत्समय में नियुक्ति के आधार पर कार्यकाल का निर्धारण कर वसूली किया जाना राजकीय राजस्व की क्षति एवं ग्राम पंचायत को पहुँचाई गई हानि की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या—02)

ग्राम पंचायत का नाम—(घघरी)— विकास खण्ड— बभनी जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या—37 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में वर्ष 2018—19 के दौरान ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत सम्बन्धि दो कार्या में सामग्री पर रू०—69420.00 तथा रू०—105942.00 का भुगतान दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई कय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इसकी पुष्टि हो सके। उक्त कार्य पर कोई मजदूरी भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिससे दर्शित कार्य पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत होता है। हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष निकले गए स्कैप/निष्क्रिय सामग्री जो निकाला गया था, स्टाक लेखा/भौतिक सत्यापन/स्कैप बिक्री का कोई विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे तथा किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणिक सूची उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है उपरोक्त भुगतान काल्पनिक है, और रू०—175362.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या—02)

प्रस्तर संख्या—38

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा में आलोच्य वर्ष में रामनेवाज के घर से रामदयाल के घर तक मोरम कार्य हेतु मजदूरी भुगतान रू०—190200.00 दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को

निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कोई भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिसके अभाव में उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टररोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा उक्त भुगतान ग्राम प्रधान के नाम से किया गया है, जिससे मजदूरों को भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। उक्त निर्माण कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ व उपभोग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा, जिससे कार्य की पूर्णता या हस्तगत के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट रही। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-39

लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा में आलोच्य वर्ष में प्राथमिक विलय शहगोड़ा पर माडल शौचालय निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पर भुगतान ₹0-120000.00 दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त कार्य हेतु मजदूरी क्रय पर कोई भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिसके अभाव में उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। क्रय सामग्री पर भुगतान के सापेक्ष कोई क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि हो सके। उक्त निर्माण कार्य का कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ व उपभोग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं रहा, जिससे कार्य की पूर्णता या हस्तगत के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट रही। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-40

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक में ₹0-20100.00, ₹0-56300.00, तथा ₹0-43600.00 कुल ₹0-120000.00 का भुगतान ग्राम पंचायत में अन्य स्वच्छता कार्यक्रम पर व्यय अंकित है, जिसमें ₹0-76400.00 ग्राम प्रधान को तथा ₹0-43600.00 सामग्री हेतु व्यय है। उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया उक्त भुगतानित धनराशि से क्या क्रय किया गया है तथा उक्त धनराशि किस प्रयोजन से ग्राम प्रधान को प्रदत्त की गई। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-05)

ग्राम पंचायत का नाम-(बरवें) -विकास खण्ड- बभनी

जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-41 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में सामग्री पर ₹0-117210 का भुगतान दर्शित है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। क्रय सामग्री पर भुगतान के सापेक्ष कोई क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त भुगतान की पुष्टि हो सके। उक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय पर कोई भुगतान आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया है, जिसके अभाव में उक्त कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है। हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष निकले गए स्कैप/निष्क्रिय सामग्री जो निकाला गया था, स्टॉक लेखा/भौतिक सत्यापन/स्कैप बिक्री का कोई विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य एस्टीमेट, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे तथा किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणिक सूची उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है उपरोक्त भुगतान काल्पनिक है, और ₹0-117210.00 का अपहरण किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-42

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान ₹0-24500.00 का प्रधान मानदेय भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि नियमानुसार प्रधान मानदेय का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। इसी के साथ उक्त भुगतान बिना वर्क आईडी से किया गया है, जो अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-43

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान रु0-174400.00 स्टीट लाइट स्थापना पर कैंशबुक में व्यय अंकित है उक्त दर्षित व्यय गनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त भुगतान बिना वर्क आई0डी0 से किया गया है। ग्राम सभा की कार्यवाही पुस्तिका, अनुमोदित कार्य योजना, एस्टिमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान देखने को नहीं मिला। क्रय की गयी सामग्री का डीलिवरी चालान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय की गई स्टीट लाइट का गारंटी/वारंटी कार्ड लेखा परीक्षा में देखने को नहीं मिला। बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध नहीं है। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर संख्या-44

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैंशबुक में रु0-50000.00 प्रा0वि0 खैराडीह में बेंच की स्थापना कार्य पर व्यय अंकित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त भुगतान ग्राम प्रधान को किया गया है तथा बिना किसी वर्क आई0डी0 के किया गया है, जिससे यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त कार्य एस्टिमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान देखने को नहीं मिला। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-05)

प्रस्तर संख्या-45 लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान कैंशबुक में रु0-85000.00 ग्राम पंचायत में कूड़ेदान क्रय हेतु व्यय अंकित है। उक्त दर्षित व्यय एस के इन्टरप्राइजेज को भुगतान किया गया है लेकिन उक्त से सम्बन्धित वर्क आई0डी0 मौजूद नहीं है तथा फर्म को निर्गत कोई आपूर्ति आदेश निर्गत नहीं है। उक्त कार्य का एस्टिमेट, एम0बी0, फोटोग्राफ एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान देखने को नहीं मिला। अस्तु लेखा परीक्षा का निष्कर्ष है कि उक्त भुगतानित धनराशि अनियमित है, जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-06)

ग्राम पंचायत का नाम-(कोगा) -विकास खण्ड- बभनी

जिला सोनभद्र।

प्रस्तर संख्या-46 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैंशबुक में वर्ष 2018-19 के दौरान ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में सामग्री एवं मजदूरी पर भुगतान वर्क आई0डी0-8877545.00 पर कुल रु0-111488.00 तथा वर्क आई0डी0-8877543 पर कुल रु0-109995.00 दर्षित है। उक्त दर्षित व्यय धनराशियों पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं। उक्त भुगतान अलग-अलग कार्य दिखाकर छोटी छोटी धनराशियों के रूप में किया गया है, परन्तु सभी कार्यों की वर्क आई0डी0 एक है। उक्त समस्त भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाईड लाइन में स्पष्ट निर्देश है कि हैण्डपम्प मरम्मत कार्य चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कराए जाए। इस प्रकार ये उन गाइडलाइंस का उल्लंघन है। हैण्डपम्प मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री के सापेक्ष निकले गए स्कैप/निष्क्रिय सामग्री जो निकाला गया था, स्टॉक लेखा/भौतिक सत्यापन/स्कैप विक्रि का कोई विवरण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य का एस्टिमेट कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे तथा किन स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया जाना है, इसकी कोई प्रमाणित सूची उपलब्ध नहीं रही। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है उपरोक्त समस्त भुगतान रु0-221483.00 अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-02)

प्रस्तर संख्या-47

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष 2018-19 के दौरान रु0-10500.00 का प्रधान मानदेय भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत किया गया है, जबकि नियमानुसार प्रधान मानदेय का भुगतान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। इसी के साथ उक्त भुगतान बिना वर्क आई0डी0 से किया गया है जो अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर संख्या-48 लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैंशबुक में वर्ष 2018-19 के दौरान रु0-20200.00 का भुगतान प्रशासनिक व्यय के रूप में ग्राम प्रधान को किया गया है। लेकिन उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि उक्त भुगतान किस प्रयोजन

से किया गया है, इसी के साथ उक्त भुगतान बिना वर्क आई0डी0 से किया गया है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जानी अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या-04)

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

5-1-जिला पंचायत-

जिला पंचायतों में मात्र 41 जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 06 सामान्य प्रतिवेदन तथा 01 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5-2-क्षेत्र पंचायत-

मात्र 445 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, किसी भी क्षेत्र पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन अथवा विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

5-3-ग्राम पंचायत-

ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं रही, मात्र 41 ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य प्रतिवेदन तथा 299 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रुचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

अध्याय-6

निष्कर्ष व सुझाव

6-1-निष्कर्ष

वाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता-

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 822 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 445 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई गयी कि कुल क्षेत्र पंचायतों का 54 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ०प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या- 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 58829 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 47938 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का 81-48 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने

तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना—त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अनेक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी।

कार्य की पंचायत, तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।

खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी। इच्छित लाभ लोगों तक पहुँचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।

श्रमिकों के भुगतान में विलंब।

नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।

असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।

सतत व व्यापक अनियमितता, धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।

अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।

11—अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।

12—महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नहीं रखे जा रहे हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1—परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?

2—किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?

3—न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?

4—न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?

5—ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण—

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1—लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।

2—परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।

3—परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।

4—लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

अनुपालन जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अत्यन्त कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित

अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6-2-संस्तुतियां-

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट-2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती हैं-

1-लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2- सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3- निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4-लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए

5-कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वांगीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6-पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

7-महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाँए जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

अनुपालन-पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रुपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।



(पद्म जंग)

निदेशक

सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा

परीक्षा

उत्तर प्रदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

प्रारूप 1 जिला पंचायत

प्रारूप-1											
वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
2	रायबरेली	1	1	2	—	1	1	1	—	1	
3	उन्नाव	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
4	हरदोई	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
5	सीतापुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
6	लखीमपुर-खीरी	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
7	गोरखपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
8	देवरिया	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1
9	महराजगंज	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1
10	कुशीनगर	01	00	01	01	00	01	00	00	00	01
11	बस्ती	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
12	संतकबीर नगर	1	0	01	01	0	1	0	0	0	
13	सिद्धार्थनगर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
15	मुरादाबाद	1	—	—	00	—	00	—	—	—	
16	सम्भल	1	—	—	00	—	00	—	—	—	
17	रामपुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
18	बिजनौर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
19	अयोध्या	01	02	03	—	01	01	01	01	02	
20	बहराइच	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
21	गोण्डा	01	01	02	01	01	02	—	—	—	
22	बलरामपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
23	अमेठी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
24	श्रावस्ती	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
25	सुल्तानपुर	1	—	—	—	—	—	1	—	1	
26	बाराबंकी	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
27	अम्बेडकर नगर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
28	आजमगढ़	01	01	02	01	01	02	—	—	—	—
29	बलिया	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
30	मऊ	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
31	बाँदा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
32	ललितपुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
33	हमीरपुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
34	जालौन	01	—	01	—	—	—	01	—	01	
35	चित्रकूट	01	0	01	01	—	01	0	0	0	
36	महोबा	01	—	01	—	—	—	01	—	01	

37	झांसी	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
38	प्रतापगढ़	01	—	01	01	—	01	01	—	01	
39	इलाहाबाद	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
40	कौशाम्बी	01	0	01	01	0	01	0	0	0	
41	फतेहपुर	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—
42	बुलन्दशहर	01	01	02	—	—	—	01	01	002	
43	गौतमबुद्धनगर	01	03	04	—	—	—	01	03	04	
44	गाजियाबाद	01	01	02	01	01	01	—	—	—	
45	हापुड	01	02	03	—	02	02	01	—	01	
46	मेरठ	01	02	03	00	00	00	01	02	03	
47	बागपत	01	05	06	—	01	01	01	04	05	
48	मुजफ्फरनगर	01	02	03	00	01	01	01	01	02	
49	सहारनपुर	1	—	1	—	—	—	1	—	1	
50	शामली	1	1	2	—	—	—	1	1	2	
51	वाराणसी	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
52	चन्दौली	01	—	01	01	—	01	—	—	—	—
53	जौनपुर	1	1	2		1	1	1		1	1
54	गाजीपुर	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
55	मीरजापुर	01	—	01	01	—	01	—	—	—	
56	सोनभद्र	01	00	01	01	00	01	00	00	00	
57	भदोही	1	—	1	1	—	1	—	—	—	
58	बरेली	1	6	7	—	2	2	1	4	5	
59	पीलीभीत	01	02	03	01	02	03	—	—	—	&
60	बदायूँ	01	02	03	—	—	—	01	02	03	
61	शाहजहाँपुर	1	8	9	—	2	2	1	6	7	
62	आगरा	1	1	2	0	1	1	1	0	1	
63	फिरोजाबाद	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
64	मथुरा	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
65	अलीगढ़	01	03	04	—	—	—	01	03	04	
66	एटा	01	—	01	—	—	—	01	00	01	
67	मैनपुरी	1	1	2	0	1	1	1	0	1	
68	हाथरस	01	04	05	—	—	—	01	04	05	
69	कासगंज	01	04	05	0	03	03	01	01	02	
70	कानपुर नगर	01	01	02	0	01	01	01	0	01	
71	औरैया	01	0	01	01	0	01	0	0	0	
72	कानपुर देहात	1	1	—	01	—	01	—	—	—	
73	फर्रुखाबाद	01	10	11	—	04	04	01	06	07	
74	कन्नौज	01	03	04	—	01	01	01	02	03	
75	इटवा	1	1	2	—	1	1	1	—	1	

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

प्रारूप 1 क्षेत्र पंचायत

प्रारूप-1											
वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	08	95	103	08	—	08	—	95	95	
2	रायबरेली	18	118	136	18	30	48	—	88	88	
3	उन्नाव	16	44	60	12	12	24	4	32	36	
4	हरदोई	19	53	72	15	15	30	04	38	42	
5	सीतापुर	19	270	289	—	—	—	19	270	289	
6	लखीमपुर-खीरी	15	260	275	—	27	27	15	233	248	
7	गोरखपुर	20	226	246	3	3	6	17	223	240	
8	देवरिया	16	79	95	16	16	32	0	63	63	
9	महराजगंज	12	33	45	10	12	22	2	21	23	
10	कुशीनगर	14	83	97	10	10	20	04	73	77	
11	बस्ती	14	150	164	14	16	30	—	134	134	
12	संतकबीर नगर	9	107	116	09	09	18	0	98	98	
13	सिद्धार्थनगर	14	55	69	14	13	27	—	42	42	
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	06	08	14	—	0	0	06	08	14	
15	मुरादाबाद	8	75	83	8	—	8	—	75	75	
16	सम्भल	8	112	120	01	30	31	7	90	97	
17	रामपुर	06	78	84	—	05	05	06	73	79	
18	बिजनौर	11	110	121	05	05	10	06	105	111	
19	अयोध्या	11	03	14	06	01	07	05	02	07	
20	बहराइच	14	110	124	08	11	19	06	99	105	
21	गोण्डा	16	259	275	06	11	17	10	248	258	
22	बलरामपुर	2	27	29	2	27	29	0	0	0	
23	अमेठी	13	58	71	8	24	32	5	34	39	
24	श्रावस्ती	05	53	58	03	18	21	02	35	37	अभिलेख अप्राप्त होना
25	सुल्तानपुर	14	8	22	8	5	13	6	3	9	
26	बाराबंकी	15	135	150	05	04	09	10	131	141	
27	अम्बेडकर नगर	9	—	9	9	—	9	—	—	—	
28	आजमगढ़	22	244	266	16	16	32	06	228	234	—
29	बलिया	17	158	175	11	04	15	06	154	160	
30	मऊ	09	46	55	09	02	11	—	44	44	अभिलेख अप्रस्तुत
31	बाँदा	8	0	8	3	0	3	5	132	137	
32	ललितपुर	06	—	06	06	—	06	—	—	—	
33	हमीरपुर	07	27	34	06	04	10	01	23	24	

34	जालौन	09	133	142	01	—	01	08	133	141	
35	चित्रकूट	05	36	41	0	10	10	05	26	31	
36	महोबा	04	51	55	01	07	08	03	44	47	
37	झांसी	8	87	95	8	0	8	0	87	87	
38	प्रतापगढ़	17	333	350	03	—	03	14	333	347	
39	इलाहाबाद	20	248	268	4	4	8	16	244	260	
40	कौशाम्बी	08	0	08	08	0	08	0	0	0	—
41	फतेहपुर	13	—	13	13	—	13	—	—	—	—
42	बुलन्दशहर	16	300	316	—	—	—	16	300	316	
43	गौतमबुद्धनगर	04	21	25	—	—	—	04	21	25	
44	गाजियाबाद	04	02	06	04	02	06	—	—	—	
45	हापुड	04	24	28	—	24	24	04	—	04	
46	मेरठ	12	148	160	00	17	17	12	131	143	
47	बागपत	06	89	95	01	07	08	05	82	87	
48	मुजफ्फरनगर	09	120	129	04	10	14	05	110	115	
49	सहारनपुर	11	71	82	—	5	5	11	66	77	
50	शामली	5	69	74	4	4	8	1	65	66	
51	वाराणसी	08	17	25	08	—	08	—	17	17	
52	चन्दौली	09	08	17	09	—	09	—	08	08	
53	जौनपुर	21	01	22	17	01	18	04	—	04	
54	गाजीपुर	16	121	137	16	8	24	—	113	113	
55	मीरजापुर	12	54	66	06	09	15	06	45	51	
56	सोनभद्र	08	44	52	08	08	16	00	36	36	
57	भदोही	6	—	6	6	—	6	—	—	—	
58	बरेली	15	76	91	10	10	20	05	66	71	
59	पीलीभीत	07	77	84	04	04	08	03	73	76	
60	बदायूँ	15	197	212	—	—	—	15	197	212	
61	शाहजहाँपुर	15	60	75	—	—	—	15	60	75	
62	आगरा	15	19	34	3	6	9	12	13	25	
63	फिरोजाबाद	9	121	130	0	0	0	9	121	130	
64	मथुरा	10	141	151	0	0	0	10	141	151	
65	अलीगढ़	12	165	172	07	19	26	5	146	151	—
66	एटा	08	09	17	03	02	05	05	07	12	—
67	मैनपुरी	9	40	49	0	0	0	9	40	49	
68	हाथरस	07	132	139	—	07	07	07	125	132	—
69	कासगंज	07	133	140	01	15	16	06	118	134	—
70	कानपुर नगर	10	02	12	08	02	10	02	0	02	
71	औरैया	07	66	73	03	02	05	04	64	68	
72	कानपुर देहात	10	8	2	8	—	8	5	—	5	
73	फर्रुखाबाद	07	23	30	07	10	17	—	13	13	
74	कन्नौज	08	79	87	04	09	13	04	70	74	
75	इटवा	8	127	135	2	15	17	6	112	118	

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19
प्रारूप 1 ग्राम पंचायत

वर्ष 2018-19 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र० सं०	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं०	वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं०				वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं० (3-4)				लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3	4				5				6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	570	2710	3280	541	&	541	29	2710	2739	
2	रायबरेली	989	30	1019	962	4	966	27	26	53	
3	उन्नाव	1044	1143	2187	891	191	1082	153	952	1105	
4	हरदोई	1306	1244	2550	710	308	1018	596	936	1532	
5	सीतापुर	1600	7702	9302	950	760	1710	650	6942	7592	
6	लखीमपुर-खीरी	1167	769	1936	898	148	1046	269	621	890	
7	गोरखपुर	1354	487	1841	985	43	1028	369	444	813	
8	देवरिया	1189	229	1418	655	70	725	534	159	693	
9	महराजगंज	923	66	989	689	54	743	234	12	246	
10	कुशीनगर	1049	1848	2897	403	236	639	646	1612	2258	
11	बस्ती	1235	06	1241	1212	02	1214	23	04	27	
12	संतकबीर नगर	794	02	796	748	02	750	46	&	46	
13	सिद्धार्थनगर	1199	252	1451	743	04	747	456	248	704	
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	601	2928	3529	596	00	596	05	2928	2933	
15	मुरादाबाद	584	2118	2702	584	&	584	&	2118	2118	
16	सम्भल	556	1622	2178	504	52	556	52	1622	1674	
17	रामपुर	684	1146	1830	683	&	683	01	1146	1147	
18	बिजनौर	1128	4742	5870	1120	46	1166	08	4696	4704	
19	अयोध्या	835	1048	1883	832	&	832	03	1048	1051	
20	बहराइच	1054	3338	4392	1024	06	1030	30	3332	3362	अभिलेख अप्राप्त
21	गोण्डा	1054	12471	13525	959	170	1129	95	12301	12396	
22	बलरामपुर	76	0	76	76	0	76	0	0	0	
23	अमेठी	682	21	703	670	17	687	12	4	16	
24	श्रावस्ती	397	665	1062	312	44	356	85	621	706	
25	सुल्तानपुर	986	&	986	967	&	967	19	&	19	—
26	बाराबंकी	1166	4538	5706	1166	&	1166	&	4538	4538	—
27	अम्बेडकर नगर	930	2411	3341	910	4	914	20	2407	2427	
28	आजमगढ़	1872	10747	12619	1557	764	2321	315	9983	10298	—
29	बलिया	949	4430	5379	769	136	905	180	4294	4474	
30	मऊ	675	1101	1776	673	06	679	02	1095	1097	अभिलेख अप्रस्तुत
31	बाँदा	471	3403	3834	302	148	450	169	3255	3424	
32	ललितपुर	416	31	447	401	&	401	15	31	46	
33	हमीरपुर	330	1345	1675	295	41	336	35	1304	1339	
34	जालौन	575	3872	4447	512	304	816	63	3568	3631	
35	चित्रकूट	335	1496	1831	273	&	273	82	1496	1578	
36	महोबा	273	2424	2697	89	209	298	184	2215	2399	
37	झाँसी	496	2770	3266	477	0	477	19	2770	2789	
38	प्रतापगढ़	1255	998	2253	1156	808	1964	99	190	289	
39	इलाहाबाद	1637	1192	2829	1557	42	1599	80	1150	1230	
40	कौशाम्बी	476	0	476	3728	0	449	27	0	27	
41	फतेहपुर	840	2172	2972	830	38	868	10	2134	2144	
42	बुलन्दशहर	951	3645	4596	951	&	951	&	3645	3645	
43	गौतमबुद्धनगर	86	56	132	63	14	77	23	42	65	
44	हापुड	273	41	314	201	37	238	72	04	76	

45	गाजियाबाद	161	&	161	161	&	161	&	&	&	
46	मेरठ	482	471	953	474	09	483	08	462	470	
47	बागपत	245	175	420	195	&	195	50	175	225	
48	मुजफ्फरनगर	498	1353	1851	449	02	451	49	1351	1400	
49	सहारनपुर	887	3936	4823	887	220	1107	&	3716	3716	
50	शामली	230	769	999	208	1	209	22	768	790	
51	वाराणसी	760	1612	2372	743	&	743	17	1612	1629	
52	चन्दौली	734	2110	2844	733	&	733	01	2110	2111	
53	जौनपुर	1773	4803	6576	1712	17	1729	61	4786	4847	
54	गाजीपुर	1237	4572	5809	1146	70	1216	91	4502	4593	
55	मीरजापुर	809	79	888	804	01	805	05	78	83	
56	सोनभद्र	637	1269	1906	592	00	592	45	1269	1314	
57	भदोही (संतरविदास नगर)	561	1924	2485	515	16	531	46	1908	1954	
58	बरेली	1193	4621	5814	1163	02	1165	30	4619	4649	
59	पीलीभीत	721	5727	6448	623	65	688	98	5662	5760	
60	बदायूँ	1038	10046	11084	302	435	737	736	9611	10347	
61	शाहजहाँपुर	1077	3534	4611	700	—	700	377	3534	3911	
62	आगरा	695	565	1260	629	50	679	66	515	581	
63	फिरोजाबाद	569	1332	1901	486	32	518	83	1300	1383	
64	मथुरा	515	0	515	86	0	86	429	0	429	
65	मैनपुरी	552	2829	3389	5	15	20	555	2814	3369	
66	अलीगढ़	902	6634	7536	615	882	1497	287	5752	6039	—
67	एटा	576	1415	1991	465	251	716	111	1164	1275	—
68	कासगंज	423	5723	6146	238	454	692	185	5269	5454	—
69	हाथरस	474	3839	4313	301	406	707	173	3433	3616	—
70	कानपुर नगर	590	05	595	577	02	579	13	03	16	
71	औरैया	477	1402	1879	447	120	567	30	1282	1312	
72	कानपुर देहात	640	473	167	473	—	473	24	—	24	
73	फर्रुखाबाद	600	7126	7726	171	213	384	429	6913	7342	
74	कन्नौज	504	6896	7400	165	675	840	339	6221	6560	
75	इटवा	471	3960	4431	232	271	503	239	3689	3928	

प्रारूप-5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2018-19

जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र-सं —	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल जिला पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	01	01	00	01	00	01	01	00	01
2	रायबरेली	1	0	2	0	0	0	0	0	0
3	उन्नाव	1	1	—	1	—	—	1	—	01
4	हरदोई	01	01	—	01	—	01	01	—	01
5	सीतापुर	01	01	—	—	—	—	—	—	—
6	लखीमपुर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
7	गोरखपुर	1	1	0	1	—	1	1	—	1
8	देवरिया	1	1	0	1	—	1	1	1	1
9	महाराजगंज	01	01	—	01	—	01	01	—	01
10	कुशीनगर	01	01	00	01	00	01	01	00	01
11	बस्ती	01	01	—	01	—	01	01	—	01
12	संतकबीर नगर	01	01	0	01	0	01	01	0	01

13	सिद्धार्थनगर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	01	01	—	01	—	01	01	—	01
15	मुरादाबाद	01	01	—	—	—	01	1	—	1
16	सम्भल	00	00	—	00	—	00	—	—	—
17	रामपुर	01	01	—	01	—	01	—	—	—
18	बिजनौर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
19	फैजाबाद	1	—	1	—	—	—	—	—	—
20	बहराइच	01	01	—	01	—	01	01	—	01
21	गोण्डा	01	01	—	01	00	01	01	00	01
22	बलरामपुर	01	01	0	01	01	01	01	00	01
23	अमेठी	01	01	—	—	—	—	—	—	—
24	श्रावस्ती	01	01	0	01	0	01	01	0	01
25	सुल्तानपुर	01	—	—	—	—	—	—	—	—
26	बाराबंकी	01	01	—	01	—	01	01	—	01
27	अम्बेडकर नगर	1	1	—	1	—	1	1	—	1
28	आजमगढ़	1	1	—	1	—	1	1	—	1
29	बलिया	01	01	—	01	—	01	01	—	01
30	मऊ	01	01	—	01	—	01	01	—	01
31	बौदा	1	1	0	1	0	1	1	0	1
32	ललितपुर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
33	हमीरपुर	01	01	—	01	0	01	01	—	01
34	जालौन	01	—	01	—	—	—	—	—	—
35	चित्रकूट	01	01	—	01	—	01	—	—	—
36	महोबा	01	—	01	—	—	—	—	—	—
37	झांसी	1	1	—	1	—	1	1	—	1
38	प्रतापगढ़	01	01	—	01	—	01	01	—	01
39	इलाहाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	1
40	कौशाम्बी	01	01	—	01	01	—	01	01	—
41	फतेहपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
42	बुलन्दशहर	1	—	1	—	—	—	—	—	—
43	गौतमबुद्धनगर	01	—	01	—	—	—	—	—	—
44	गाजियाबाद	01	—	01	—	—	—	—	—	—
45	हापुड	01	—	01	—	—	—	—	—	—
46	मेरठ	03	00	03	00	00	00	00	00	00
47	बागपत	01	01	04	01	—	—	01	—	01
48	मुजफ्फरनगर	01	—	01	01	—	01	—	—	—
49	सहारनपुर	1	1	—	1	1	—	—	—	—
50	शामली	1	1	2	—	—	—	—	—	—
51	वाराणसी	01	01	—	01	—	01	01	—	01
52	चन्दौली	01	01	—	01	—	01	01	—	01
53	जौनपुर	01	01	—	01	01	—	01	01	—
54	गाजीपुर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
55	मीरजापुर	01	01	—	01	—	01	01	—	01
56	सोनभद्र	01	01	00	02	00	02	02	00	02
57	भदोही	1	—	1	1	—	1	—	—	—
58	बरेली	1	—	1	—	—	—	—	—	—
59	पीलीभीत	3	3	0	2	—	2	2	0	2
60	बदायूँ	01	—	—	—	—	—	—	—	—
61	शाहजहाँपुर	1	—	1	—	—	—	—	—	—

62	आगरा	1	0	0	0	0	0	0	0	
63	फिरोजाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	
64	मथुरा	1	1	0	1	0	1	1	0	
65	अलीगढ़	01	03	04	—	—	—	—	—	—
66	एटा	01	—	—	—	—	—	—	—	—
67	कासगंज	01	—	01	01	—	01	01	—	01
68	मैनपुरी	1	0	1	0	0	0	0	0	
69	हाथरस	01	04	05	01	—	01	01	—	01
70	कानपुर नगर	2	1	1	1	0	1	1	0	1
71	औरैया	01	01	—	01	—	—	—	—	—
72	कानपुर देहात	1	—	1	—	—	—	—	—	—
73	फरुखाबाद	01	—	01	—	—	—	—	—	—
74	कन्नौज	04	01	03	01	—	01	01	01	—
75	इटवा	1	1	—	—	—	—	1	—	1

प्रारूप-5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2018-19

क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र०स०	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	103	08	95	08	00	08	08	00	08
2	रायबरेली	18	18	0	18	0	18	09	0	09
3	उन्नाव	16	12	04	12	—	12	03	—	03
4	हरदोई	19	15	04	15	—	15	08	—	08
5	सीतापुर	19	—	19	—	—	—	—	—	—
6	लखीमपुर-खीरी	15	—	15	—	—	—	—	—	—
7	गोरखपुर	20	3	17	3	—	3	1	—	1
8	देवरिया	16	16	16	32	0	32	13	0	13
9	महाराजगंज	12	10	12	18	—	18	18	—	18
10	कुशीनगर	14	10	00	10	00	10	09	00	09
11	बस्ती	164	30	134	16	—	16	16	—	16
12	संतकबीर नगर	09	09	0	09	—	09	09	—	09
13	सिद्धार्थनगर	14	14	—	14	—	14	14	—	14
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	06	—	06	—	—	—	—	—	—
15	मुरादाबाद	08	08	—	08	—	08	07	—	07
16	सम्भल	08	01	07	01	—	01	01	—	01
17	रामपुर	06	05	73	05	—	05	05	—	05
18	बिजनौर	11	05	06	02	—	02	01	—	01
19	फैजाबाद	11	6	5	6	—	6	03	—	03
20	बहराइच	14	08	11	08	—	08	02	—	02
21	गोण्डा	16	06	10	06	—	06	04	—	04
22	बलरामपुर	09	06	03	06	0	06	06	0	06
23	अमेठी	13	05	08	05	—	05	04	—	04
24	श्रावस्ती	05	03	02	03	शून्य	03	02	शून्य	02
25	सुल्तानपुर	14	8	6	8	—	8	—	—	—
26	बाराबंकी	15	05	10	05	—	05	04	—	04
27	अम्बेडकर नगर	9	9	—	9	—	9	1	—	1
28	आजमगढ़	22	16	06	16	—	16	15	—	15
29	बलिया	17	11	06	11	—	11	11	—	11

30	मऊ	09	09	02	09	—	09	09	—	09
31	बाँदा	8	3	0	0	0	0	0	0	0
32	ललितपुर	06	06	—	06	—	06	01	—	01
33	हमीरपुर	07	06	01	05	0	05	04	0	04
34	जालौन	09	01	08	01	—	—	01	—	01
35	चित्रकूट	05	03	02	03	—	03	03	—	03
36	महोबा	4	01	03	03	—	03	03	—	03
37	झांसी	8	8	—	6	—	6	1	—	1
38	प्रतापगढ़	17	03	14	03	—	03	03	—	03
39	इलाहाबाद	20	04	16	01	0	01	01		03
40	कौशाम्बी	08	08	—	08	00	08	08	00	
41	फतेहपुर	13	13	0	13	0	13	7	0	07
42	बुलन्दशहर	16	16	00	—	—	—	—	—	—
43	गौतमबुद्धनगर	04	0	04	—	—	—	—	—	—
44	गाजियाबाद	04	06	02	—	—	—	05	—	05
45	हापुड	04	03	01	—	—	—	—	—	—
46	मेरठ	160	17	143	07	00	00	07	01	06
47	बागपत	06	01	05	01	01	01	01	01	01
48	मुजफ्फरनगर	09	04	10	14	—	14	00	—	00
49	सहारनपुर	11	—	11	—	—	—	—	—	—
50	शामली	74	8	66	4	—	4	4	—	4
51	वाराणसी	08	08	—	06	—	06	06	—	06
52	चन्दौली	09	09	—	09	—	09	09	—	09
53	जौनपुर	01	01	—	01	01	—	01	01	—
54	गाजीपुर	16	16	0	16	—	16	16	—	16
55	मीरजापुर	12	06	06	06	—	06	06	—	06
56	सोनभद्र	08	08	00	08	00	08	08	00	08
57	भदोही	06	06	—	06	—	06	03	—	03
58	बरेली	15	10	05	10	—	10	09	—	09
59	पीलीभीत	84	6	76	6	—	6	2	—	2
60	बदायूँ	15	—	—	—	—	—	—	—	—
61	शाहजहाँपुर	15	—	15	—	—	—	—	—	—
62	आगरा	15	3	12	3	0	3	2	0	
63	फिरोजाबाद	9	0	9	0	0	0	0	0	
64	मथुरा	10	0	10	0	0	0	0	0	
65	अलीगढ़	12	07	05	7	—	07	07	—	07
66	एटा	08	03	05	03	—	03	02	—	02
67	कासगंज	07	01	06	03	—	03	03	—	03
68	मैनपुरी	9	0	9	0	0	0	0	0	
69	हाथरस	07	132	139	02	—	02	02	—	02
70	कानपुर नगर	12	10	2	10	0	10	7	0	7
71	औरैया	07	03	04	03	—	—	03	—	—
72	कानपुर देहात	10	8	2	8	—	—	5	—	—
73	फर्रुखाबाद	07	07	—	07	—	07	07	—	07
74	कन्नौज	87	13	74	06	—	06	05	—	05
75	इटवा	8	5	3	2	—	2	3	—	3

प्रारूप-5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2014-15

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरण:-

क्र.सं०	जनपद	लेखा परीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			विशेष प्रतिवेदन		
		कुल ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं०	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं०
1	लखनऊ	3280	541	2739	541	00	541	24	00	24
2	रायबरेली	989	962	27	962	0	962	47	0	47
3	उन्नाव	1044	891	153	891	—	891	236	—	236
4	हरदोई	1306	710	596	710	—	710	46	—	46
5	सीतापुर	1600	950	650	950	—	—	85	03	82
6	लखीमपुर	1167	898	269	898	—	898	72	—	72
7	गोरखपुर	1354	985	43	985	0	985	77	0	77
8	देवरिया	1189	655	70	725	0	725	53	0	53
9	महाराजगंज	989	689	54	689	—	689	100	—	100
10	कुशीनगर	1049	403	00	403	00	403	16	00	16
11	बस्ती	1235	1212	23	1212	—	1212	40	—	40
12	संतकबीर नगर	794	748	46	748	—	748	45	00	45
13	सिद्धार्थनगर	1199	743	456	743	—	743	25	—	25
14	अमरोहा (जे०पी० नगर)	601	596	05	596	—	596	53	0	53
15	मुरादाबाद	584	584	—	584	—	584	39	—	39
16	सम्भल	556	5	10	546	—	546	49	—	49
17	रामपुर	684	683	105	683	—	683	41	—	41
18	बिजनौर	1128	1120	08	1120	—	1120	52	—	52
19	फैजाबाद	835	832	3	832	—	832	34	02	32
20	बहराइच	1054	1024	06	1024	—	1024	36	—	36
21	गोण्डा	1054	959	95	959	—	959	52	—	52
22	बलरामपुर	801	801	0	801	0	801	76	0	76
23	अमेठी	682	670	12	646	—	646	06	—	06
24	श्रावस्ती	397	312	85	312	शून्य	312	39	शून्य	39
25	सुल्तानपुर	986	967	19	967	—	967	—	—	—
26	बाराबंकी	1166	1166	—	1166	—	1166	64	—	64
27	अम्बेडकर नगर	930	910	20	910	—	910	40	—	40
28	आजमगढ़	1872	1557	315	1557	—	1557	64	—	64
29	बलिया	949	769	180	769	—	769	57	—	57
30	मऊ	675	363	06	673	—	673	37	—	37
31	बोदा	441	302	148	302	0	302	11	0	11
32	ललितपुर	416	401	15	401	—	401	19	—	19
33	हमीरपुर	330	295	41	190	0	190	08	0	08
34	जालौन	575	512	304	512	—	—	28	—	28
35	चित्रकूट	335	273	62	273	—	—	—	—	—
36	महोबा	273	89	184	89	—	89	06	—	06
37	झांसी	496	477	19	477	—	477	17	1	16
38	प्रतापगढ़	1255	1156	289	1156	—	1156	42	—	42
39	इलाहाबाद	1637	1557	80	1557	0	1557	107	0	107
40	कौशाम्बी	476	449	27	449	0	449	48	0	—
41	फतेहपुर	840	830	10	830	0	830	55	00	55
42	बुलन्दशहर	951	951	—	35452	18641	16811	50	1825	1493

43	गौतमबुद्धनगर	86	63	23	63	---	63	02	---	02
44	गाजियाबाद	161	161	—	133	—	133	28	—	28
45	हापुड	273	201	72	201	---	201	---	---	---
46	मेरठ	953	483	470	474	00	00	27	00	00
47	बागपत	245	195	50	195	—	195	09	—	09
48	मुजफ्फरनगर	498	449	02	451	---	451	06	---	06
49	सहारनपुर	887	887	00	887	00	00	55	00	00
50	शामली	999	209	790	208	—	208	6	1	5
51	वाराणसी	760	743	17	743	—	743	27	—	27
52	चन्दौली	734	733	01	733	—	733	72	—	72
53	जौनपुर	1773	1712	61	1712	—	1712	92	—	92
54	गाजीपुर	1237	1146	91	1146	—	1146	81	—	81
55	मीरजापुर	809	804	05	804	—	804	17	—	17
56	सोनभद्र	637	592	45	592	00	592	32	00	32
57	भदोही	561	515	46	515	-----	515	39	-----	39
58	बरेली	1193	1163	30	1163	—	1163	73	06	67
59	पीलीभीत	6448	688	5760	623	—	623	72	—	72
60	बदायूँ	1038	302	435	302	—	302	22	—	22
22	शाहजहांपुर	1077	700	377	700	—	700	123	—	123
62	आगरा	695	629	66	629	0	629	73	0	
63	फिरोजाबाद	569	486	83	486	0	486	165	0	
64	मथुरा	515	86	429	86	0	86	0	0	
65	अलीगढ़	902	615	287	615	—	615	148	—	148
66	एटा	576	465	111	465	—	465	46	—	46
67	कासगंज	423	238	185	238	—	238	24	—	24
68	मैनपुरी	560	5	555	5	0	5	183	0	
69	हाथरस	474	3839	4313	301	—	301	119	—	119
70	कानपुर नगर	595	579	16	579	0	579	67	0	67
71	औरैया	477	477	—	477	—	—	16	—	—
72	कानपुर देहात	640	473	167	473	—	—	24	—	—
73	फर्रुखाबाद	600	171	429	171	—	171	15	—	15
74	कन्नौज	7400	840	6560	165	—	165	40	08	32
75	इटवा	471	232	239	229	—	229	3	—	3